



गांधीजी जब लदनमें पढ़ते थे

# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१

(१८८४-१८९६)



परिलिखित डिवाइजन  
सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय  
भारत सरकार

१५ अगस्त, १९५८ ( २४ श्रावण, १८८० )

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९५८

४५२०

रु० ५ ५०

कापीराइट  
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

डायरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली-८ द्वारा प्रकाशित  
और जीवणजी डाक्षामार्ई दनाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

## श्रद्धाजलि

महात्मा गांधीका उद्देश्य किमी जीवन-दशनया विकास करना या मान्यताओ अथवा आदर्शोंकी प्रणाली निर्मित करना नहीं था। शायद उन्हें ऐसा करनेकी न तो इच्छा थी, न अवकाश ही था। तथापि, मृत्यु और जर्हिमामें उनका दृढ़ विश्वास था, और जो समस्याएँ उनके सामने आईं उनमें इनके व्यावहारिक प्रयोगको ही उनकी शिक्षा और जीवा दान कहा जा सकता है।

शायद ही कोई गजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कृषि व श्रम-सम्बन्धी, औद्योगिक या अन्य समस्या ऐसी हो, जिनपर उन्होंने विचार नहीं किया, और जिसे अपने ही निजी ढंगमें, उन सिद्धान्तोंके अन्दर रहकर निबटाया नहीं, जिन्हें वे मूलभूत और तात्त्विक मानते थे। व्यक्तिगत जीवनकी छोटी-छोटी सफलीला — आहार, पोशाक तथा दैनिक कामकाजसे लेकर जातिप्रथा और अस्पृश्यता-जैसी बड़ी-बड़ी समस्याजा तक, जो सताब्दियोंसे जीवनका न केवल अटूट बल्व घमसम्मत अंग भी बनी हुई थी, भारतीय जीवनका शायद ही कोई ऐसा पहलू हा, जिसे उन्होंने प्रभावित नहीं किया और अपने सचिमें ढाला नहीं।

उनके विचारोंमें आश्चर्यजनक ताजगी दिखलाई पड़ती थी। उनमें परम्परा या प्रचलित रीतियाँकी कोई बाधा नहीं होती थी। इसी तरह छोटी और बड़ी समस्याओंको निबटानेकी उनकी पद्धति भी कम अनाखी नहीं थी। दिखाऊ तौरपर वह विश्वासजनक न होती हुई भी अन्ततः सफल थी। स्पष्ट है कि अपने स्वभावसे ही वे कभी कट्टर नहीं हो सकते थे। नये-नये अनुभवोंसे प्राप्त होनेवाले नये ज्ञानसे वे अपने-आपको सचित नहीं रख सकते थे। और इसी कारण व ऊपरी पूर्वापर-मगतिके हठी भी नहीं थे। सच तो यह है कि उनके विरोधियों, और कभी-कभी उनके अनुयायियोंको भी, उनके कुछ कार्योंमें जाहिरा तौरपर परस्पर-विरोध दिखलाई पड़ता था। वे समझते और माननेको इतने तैयार रहते थे और उनमें नैतिक साहस इतना असाधारण था कि अगर एक बार उन्हें विश्वास हो जाता कि जो काम उन्होंने किया है वह श्रुतिपूर्ण है तो वे अपनी मूल सुधारने और मावजनिक रूपसे घोषित कर देनेमें, कि



उन्होंने भूल की थी, कभी सफ़ाच नहीं करने थे। हमने अक्सर उह अपने निणयो और कार्योंकी वस्तुगत तथा निष्पक्ष आलोचना कराते देखा है। इसलिए, क्या आश्चर्य कि उनके कुछ काय कभी-कभी उनके ही सराहकोको पहेली जैसे मालूम होते थे और उनके आलोचकाको चक्करमें डाल देने थे।

ऐसे पुरुषको ठीक तरहसे समझनेके लिए उनकी शिक्षाओ और जीवन घटनाओको व्यापक तथा समग्र रूपमें देखना विलकुल जरूरी है। उनकी जीवन-कयाकी रूपरेखा मात्रका, या उसव किसी अशको पृथक् करके उसका ही अध्ययन कर लेना भ्रमोत्पादक सिद्ध हो सकता है, और इससे उस महापुरुषके प्रति उतना ही कम गाय होगा, जितना कि स्वय पाठकके प्रति। यही मुख्य कारण है कि इतनी बड़ी मात्रामें गाधीजीके लेखोके सग्रहका काम उठाना पडा। मुझे बताया गया है कि इस ग्रथमालाके पचाससे अधिक खण्ड होंगे। इसके प्रकाशनका मूल कारण गाधीजीकी इस विशेषतामें ही निहित है।

इस ग्रथमालाको प्रकाशित करनेका भार उठाकर भारत-सरकारके सूचना और प्रसार मन्त्रालयने महात्मा गाधीके — उनकी शिक्षाओ, उनके विश्वासो और उनके जीवन-दशनके अध्ययनके लिए नितान्त आवश्यक आधार प्रदान कर दिया है। अब विद्यार्थियो और विचारकोकी जिम्मेदारी होशी कि वे उस कामको पूरा करे, जिसे करनेका महात्मा गाधीने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। इस तरह सारी सामग्री उपलब्ध हो जानेसे वे उनके जीवन-दशन, उनकी शिक्षाओ, उनके विचारो व कायग्रमो और जीवनमें उठनेवाली अगणित समस्याओपर उनके विचारोको, त्वसगत तथा दार्शनिक ढंगसे और विभिन्न शीपको तथा श्रेणियोमें विभाजित करके, प्रवचक जैसे रूपमें प्रस्तुत करनेमें समथ होंगे। उनकी जीवन-योजनामें छोटी और बड़ी बातो ससारव्यापी महत्त्वकी और परिमित व्यक्तिगत महत्त्वकी समस्याओ — सबके लिए स्थान था। यद्यपि उह जीवन भर बड़े-बड़े राजनीतिक प्रश्नासे उलझे रहना पडा, फिर भी उनके लेखोका एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक और भाषा-सम्बन्धी समस्याओसे सम्बन्ध रखता है।

वे पत्र-व्यवहारमें बहुत नियमित थे। ऐसा पत्र शायद ही कोई हो, जिसके विचारपूर्ण उत्तरकी आवश्यकता नहीं हो और वह उन्होंने खुद न दिया हो। व्यक्तिगते नाम पत्र, जिनमें उन व्यक्तिगते निजी और वैयक्तिक समस्याओकी चर्चा होती थी, उनके पत्र-व्यवहारका एक बड़ा भाग थे। और उनके जवाब

वैसी ही समस्याओवाले दूसरे व्यक्तियोंके माग-दशनके लिए मूल्यवान हैं। अपने जीवनमें दीघकालतक उन्होंने शीघ्रलिपिक या मुद्रलेखककी मदद नहीं ली। उन्हें जो कुछ लिखना हाता था, वे अपने हाथसे लिखते थे। और जब इस तरहकी मदद अनिवाय हो गई तब भी वे बहुत-सा लेखन अपने हाथसे ही करते रहे। ऐसे मौके आये जब वे अपने दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे लिखनेमें समर्थ नहीं रह, और जीवनकी उत्तरावस्थामें उन्होंने बायें हाथसे लिखनेकी कलाका अभ्यास किया। यही उन्होंने कातनेमें भी किया। इस तरह, जिस खानगी पत्र-व्यवहारमें उनका बहुत-सा लेखन समायामा वह जनसाधारणके दैनिक जीवनकी समस्याओपर लागू होनेवाली उनकी शिक्षाओका एक महत्त्वपूर्ण और सारगर्भित अंग बन गया।

अगर कभी कोई ऐसा पुरुष हुआ है जिसने जीवनको सम्पूर्ण रूपमें देखा और जिसने अपने-आपको सम्पूर्ण मानवजातिकी सेवामें निछावर कर दिया, तो वह निश्चय ही गांधीजी थे। अगर उनकी विचारधाराका सबल श्रद्धा और सेवाके उच्च आदर्श थे, तो उनके काय और प्रत्यक्ष शिक्षाएँ सदा एवान्त नैतिक और अत्यन्त व्यावहारिक विचारोसे प्रभावित होनी थी। लोकनेताकी हैसियतसे अपने लगभग साठ वर्षके सारे सेवा कालमें उन्होंने कभी भी सामयिक भुविधाओके अनुसार अपने विचारोको नहीं बदला। दूसरे शब्दोंमें, उन्होंने कभी उचित साध्यके लिए अनुचित साधनाका प्रयोग नहीं किया। साधन चुननेमें वे इतनी अधिक सूक्ष्मतासे काम लेते थे कि साध्यकी सिद्धि भी साधनोंके गुण-दोषके अधीन हो जाती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि उचित साध्य अनुचित साधनासे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अनुचित साधनासे जो प्राप्त किया जा सके वह उचित साध्यका विकृत रूपमात्र होगा।

उनके लेखा और भाषणोंके इस सप्रहका महत्त्व स्पष्टतः असन्दिग्ध और स्थायी है। इसमें उस विभूतिके अनुपम मानवीय और अत्यन्त कमठ सावजनिक जीवनकी छ दशाब्दियोंके शब्द उपलब्ध हैं — ऐसे शब्द, जिन्होंने एक अनोखे आन्दोलनको रूप दिया, परिष्कृत किया और सफलता तक पहुँचाया, ऐसे शब्द, जिन्होंने सख्यातीत व्यक्तियोंको प्रेरणा दी और प्रकाश दिखाया, ऐसे शब्द, जिन्होंने जीवनका एक नया ढंग खोजा और दिखाया, ऐसे शब्द, जिन्होंने उन सांस्कृतिक मूल्योंपर जोर दिया, जो आध्यात्मिक तथा सनातन हैं, समय और स्थानकी परिधिके परे हैं और सम्पूर्ण मानवजाति तथा सब युगाकी सम्पत्ति हैं। इसलिए, उनको सचित करनेका प्रयत्न शुभ है।

उनकी काय-पद्धति आत्माका स्फुरित कर देनेवाली एक घोषणा है — मनुष्यमें मनुष्यके स्थायी विश्वासकी, इस विश्वासकी कि मनुष्यकी आध्यात्मिक सिद्धिमें नैतिक भावना निहित है ही। उनकी कल्पनाकी स्वाधीनता कोरे कानूनो और राजकीय निषयोसे प्राप्त नहीं की जा सकती, न वह केवल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगतिसे ही प्राप्त हो सकती है। कोई भी समाज सच्चे अर्थमें स्वतन्त्र तभी हो सकता है, जब कि वह स्वतन्त्रताके लिए सगठित हो। और उस सगठनका आरम्भ व्यक्तिका अपने-आपसे करना आवश्यक है। जहाँतक भारतका राष्ट्रीय जीवन उनके विचारोंसे प्रेरित और उनके विचारोंके साधनेमें ढला रहेगा, वहाँतक वह स्फूर्तिका स्रोत बना रहेगा। जहाँतक स्वतन्त्र भारत उनके विचारोंको कार्यान्वित करेगा और उत्तरोत्तर उच्च समन्वय सिद्ध करता जायेगा, वहाँतक वह सस्मृतिवी मर्यादा विस्तृत करने और एक नई परम्परा स्थापित करनेमें सफल होगा।

तथापि, अबतक उनके बहुत-से विचार पूणत आत्ममात नहीं किये गये। यह तो माना जाता है कि किसी भी समाज-व्यवस्थाके उन्मुक्तिकारी स्वरूपका निषय इस बातसे किया जाना चाहिए कि वह अपने सदस्योंको किम अगतव प्रत्यक्ष स्वतन्त्रता प्रदान करती है, परन्तु इस वस्तुस्थितिका पर्याप्त मात्रामें समझा नहीं गया कि सगठनका — चाहे वह औद्योगिक हो, चाहे सामाजिक या राजनीतिक — जितना केन्द्रीकरण होता है, उससे उमी हदतक व्यक्तिकी स्वतन्त्रता घटती है। उत्तम मध्यमग अभी योजना और अपनाना गेय है। उनके अज्ञासूत्रका बहुधा दुर्लभताकी स्थितिके माय न भी है, तो आत्मनिग्रहकी स्थितिके साथ मिला दिया जाता है। उनके अनुशासनकी नीरस और सौन्दर्यहीन कठोर नैतिकताके माय विचड़ी पका दी जाती है। अपनी जरूरतें छोड़ी और सीमित रखकर उन्होंने पूण और समृद्ध जीवन व्यतीत किया और अपने निजके रहन-सहनमें अपने विश्वासोंके सत्यका प्रदर्शन किया जो क्षीण श्रद्धाकी पृष्ठभूमिपर सत्यसे बहुत अधिक उदात्त प्रनीत होता था। इसी रोशनीमें हमें उनके आधुनिकवातियोंके नियमों और व्रतोंको समझना है, जिन्हें प्रतिदिन सुबह-शाम प्राथनाके समय दुहराया जाता था और जो ये ये अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अग्न्यह शरीररथम, जस्वा निभयता, सर्वधर्म-अमभाव अस्पृश्यता निवारण और अपने वृत्तव्यपात्रनमें स्वदेशीकी भावनाका प्रयोग।

नौ

मैं इस आश्वासनवे साथ इसे नमाप्त करूँगा कि जो भी गाधीजीकी जीवन-सरितामें, जैसी कि वह इस ग्रथमालामें प्रकट हुई है, डुबकी लगायेगा, वह निराश होकर न निकलेगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा खजाना समाया हुआ है, जिससे हरएक व्यक्ति अपनी शक्ति और श्रद्धावे अनुसार, जितना चाहे उतना ले सकता है।

राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली

जनवरी १६, १९५८

राजेन्द्रप्रसाद

## प्रस्तावना

महीने भरमें दस साल पूरे हो जायेंगे, गांधीजीके जीवनका अन्त हुए। व पकी उमर थे लेकिन उनमें जीवन-शक्ति भरपूर थी और उनकी काम करनेकी शक्ति अपार थी। अचानक एक हयारेके हाथों उनका अन्त हुआ। भारतकी धरती पहुँचा और दुनिया दुखी हुई, और हम लागाके लिए, जिनका उनसे ज्यादा निकट सम्बन्ध था उन धरती और उस दुःखको सहना बठिन हो गया। फिर भी, धायद मही एक उचित अन्त था ऐसे शाहदार जीवनका, और उन्होंने जैसे जीकर वैसे ही मरकर भी उसी कामका पूरा किया, जिनमें अपने-आपको लगा रखा था। उन्नके साथ-साथ शरीर और मनसे उनका धीरे-धीरे ढलना हममें से किसीका अच्छा न लगता। और इस तरह, आशा और सफलताने एक दमकते हुए सिनारेकी भाँति, जिस राष्ट्रका उन्होंने आधी सदी तक गडा और सिखाया था उनके पिताके रूपमें व जिये और मरे।

उन लागेके लिए जिह कि उनका बहुत-से कामों से कुछमें उनके माथ रहनेका सौभाग्य रहा है, व मदा नौजवानाकी-सी शक्तके प्रतीक बने रहेंगे। हम उनकी माद एक बूढे आदमीके रूपमें नहीं करेगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तिके रूपमें करेगे, जा वसन्तकी सजीवनी लेकर नये भारतके जन्मका प्रतिनिधि बना। उस नई पीढ़ीके लिए जिसका उनसे निजी लगाव नहीं हो पाया, वे एक परम्परा बन गये ह, और उनके नाम और कामका साथ न जान कितनी कहानिया जुड गई ह। जीते समय व बडे थे, मरनेपर और भी बडे हो गये हैं।

मुझे खुशी है कि भारत-सरकार उनके लेखा और भाषणाका पूरा सग्रह प्रकाशिन कर रही है। यह निहायत जरूरी है कि उन्होंने जो कुछ लिखा और कहा है उसका एक पूरा और प्रामाणिक सग्रह तैयार किया जाये। उनके काम अनेक थे, और उन्होंने लिखा भी बहुत है। इसलिए ऐसा सग्रह तैयार करना अपने-आपमें ही बहुत बडा काम है। और इस पूरा करनेमें कई साल लग सकते ह। लेकिन इसे करना हमारा कर्तव्य है — खुद अपने प्रति और आगे आनेवाली पीढ़ियोंके प्रति।

ऐसे सप्रहमें महत्त्वकी और बिना महत्त्वकी या आकस्मिक चीजोंका मिल-जुल जाना अनिवाय है। फिर भी, कभी-कभी आकस्मिक शब्द ही आदमीके विचारापर ज्यादा रोशनी डालते हैं, यनिस्वत बहुत साधे विचारे हुए ऐस या कथनके। कुछ हो, चुनाव और छंटाव करनेवाले हम कौन होने हैं? उन्हें अपनी बात आप कहने दें। उनके लिए जिदगी एक समूची चीज थी — बहुत-से रंगोंके एक धीने धुने हुए बस्त्रकी भांति। किंगी बच्चेसे दो शब्द बोल लेना, किसी पीड़ितका हलकेसे सहला देना उनके लिए उतनी ही बड़ी बात थी, जिनकी कि मिटिश साम्राज्यका चुनौती देनेका काई प्रस्ताव।

श्रद्धाकी पूरी भावनासे हम इस कामको उठावें, ताकि आगे आनेवाली पीड़ियोंको कुछ बाकी मिले हमारे इस प्यारे नेताकी, जिसने अपने प्रवाससे हमारी पीढ़ीका आलाकित किया, और जिसने हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही नहीं दिलाई, बल्कि हमें एक ऐसी दृष्टि भी दी, जिसमें हम उन गहरे गुणोंको पहचानें, जो आदमीको बड़ा बनाते हैं। आनेवाले युगके लोग अचरज करगे कि किसी जमानेमें एक ऐसे महापुरुषने हमारी भारतभूमिपर पग नापे थे और अपने प्रेम और सेवासे हमारा जनताको ही नहीं, बल्कि सारी मनुष्य-जातिको तर किया था।

मैं यह दार्जिलिंगमें लिख रहा हूँ, और विशाल कचनजघा हमारे सामने ऊँचा खड़ा हुआ है। आज सवेरे मैंने गौरीशंकर — एवरेस्ट — की झलक देखी थी। मुझे ऐसा लगा कि गौरीशंकर और कचनजघाकी प्रशान्त शक्ति और नित्यता कुछ जशोंमें गांधीजीमें भी विद्यमान थी।

दार्जिलिंग,  
दिसम्बर २७, १९५७

जवाहरलाल नेहरू

## सामान्य भूमिका

भारत-भारतने सम्पूर्ण गांधी वाङ्मयके प्रकाशनका यह आयोजन राष्ट्र-स्वातंत्र्य-शिल्पीके प्रति राष्ट्रका ऋण चुवानेकी भावना-भात्रसे नही किया बल्कि इस दृढ़ विश्वाससे किया है कि भावी पीढ़ियांके लिए उन महात्माके तमाम भाषणों लेखा और पत्राको एक स्थानपर एकत्र करने छाप रचना जरूरी है।

इस ग्रंथमालाका मशा गांधीजीने दिन प्रति दिन और वर्ष प्रति-वर्ष जो कुछ कहा और लिखा उस मवका एकत्र करना है। उनके नेवात्राका विस्तार आधी शताब्दी तक रहा और उनने हमारे दशक अलावा दूसरे अनेक दशाका भी प्रभावित किया। जीवन-समस्याओंकी जितनी विविधता-पर उन्होंने ध्यान दिया उससे अधिकपर बहुत कम महापुरुषाने दिया है। जिन लोगोंने उनका सनरीर इस पृथ्वीपर विचरण करने हुए प्रत्यक्ष क्षण अपने विश्वासोको कायरूप दत्त हुए दसा है उनका कतव्य है कि वे आने-वाली पीढ़ियोंको उनकी शिक्षाओंकी समृद्ध विरासत शुद्ध और, जहाँतक हो सके, पूण रूपमें सौंप जायें—उपर उन पीढ़ियाका यह ऋण है, जिह उन महात्माकी उपस्थिति और उदाहरणने शिक्षा लेनका मौका नही मिल सकता।

गांधीजीके लेख भाषण और पत्र लगभग ६० वर्षके अत्यन्त कमठ सावजनिक जीवन—१८८८ से १९४८ तकके हैं। वे दुनियाके विभिन्न भागों, खास तौरसे तीन देशों—भारत, इंग्लड और दक्षिण आफ्रिकामें बितरे हुए हैं।

लेख और भाषण केवल उन थोड़ी-थोड़ी पुस्तकामें ही नही हैं जो उन्हाने लिखी हैं, या जो उनके जीवन-कालमें प्रकाशित हुई थी। वे धूल ग्याती हुई फाइला, सरकारी कागज-पत्रा तथा रिपोर्टों (ब्ल्यू बुक्स) और पुराने अंग्रेजी, गुजराती तथा हिन्दी समाचारपत्राके डेरानें भी हैं। उनका पत्र बड़े और छोटे, धनी और गरीब, सब जातियों और ब्रमोंके असह्य व्यक्तियोंके पास सारी दुनियामें फले हुए हैं। ऐसी सारी सामग्रीको नष्ट हो जाने या खो जानेके पक्षे ही एकत्र कर लेना जरूरी है।

निस्सन्देह, उनके लेखों और भाषणोंके अनेक संग्रह या, अधिक ठीक कहा जाये तो, सकलन मौजूद हैं। उनका प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय रूपमें नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबादने स्वयं गाधीजीके स्थापित किये हुए 'यास (ट्रस्ट)' के अन्तर्गत किया है। ये प्रकाशन बहुमूल्य तो हैं, परन्तु इनमें से अधिकतर गाधीजीके भारतीय कायकाल और मुख्यतः उनके नवजीवन तथा *यंग इंडिया* और *हरिजन-कुटुम्ब*के जैसे साप्ताहिकोंमें प्रकाशित सामग्री तक ही सीमित हैं। इसके अतिरिक्त, व अधिकतर विषयवार सकलित किये गये हैं। फलतः कभी-कभी उनमें लेखों या भाषणोंके इष्ट विषय-सम्बन्धी अक्षमात्र दे दिये गये हैं और अन्य अक्षको छोड़ दिया गया है।

जहातक पत्रोंका सम्बन्ध है, गाधी स्मारक निधिने जितने उसे मिल सके उतने एकत्र करके और उनके फांटो निकलवाकर बहुत बड़ी सेवा की है। परन्तु उन्हें अबतक प्रकाशित नहीं किया गया। उनके एकत्र किये हुए पत्रोंकी संख्या हजारोंतक पहुँच चुकी है। फिर भी अभी बहुत से और पत्रोंको एकत्र करना और सबको प्रकाशित कर देना शेष है।

इस तरह, गाधीजीके सारे लेखों, भाषणों और पत्रोंका, वे उनके जीवनके किन्नी भी कालके और कहीं भी उपलब्ध क्यों न हो एकत्र करने और सबको पूरे-पूरे तथा तिथि-क्रमसे प्रकाशित कर देनेका कोई प्रयत्न अबतक नहीं किया गया। यह वाय खानगी तौरपर काम करनेवाले व्यक्तियों या संस्थाओंके साधनोंके परे था। फलतः भारत-सरकारने इसे उठा लिया है।

गाधीजीने दक्षिण आफ्रिकाके आरम्भिक कालमें भी लेखों, भाषणों और पत्रोंके रूपमें जो सामग्री प्रस्तुत की थी उसकी मात्रा भी बहुत बड़ी है। सम्भवतः इस कालसे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री लगभग एक दर्जन जिल्दोंमें पूरी होगी। साधारण अनुमानके अनुसार, सम्पूर्ण ग्रंथमाला चार चार सौ पृष्ठोंके उतने ही खण्डोंकी हो सकती है, जितने गाधीजीके सावजनिक जीवनके वष हैं।

इसके अतिरिक्त, उनकी वाणी एक ही भाषा तब सीमित नहीं थी। उन्होंने गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी — तीन भाषाओंमें लिखा और भाषण दिये हैं। फलतः सम्पादकोंका काम केवल संग्रह करनेका नहीं है, बल्कि गुजराती और हिन्दीसे अंग्रेजीमें तथा गुजराती और अंग्रेजीसे हिन्दीमें — जिन दो भाषाओंमें ग्रंथमाला प्रकाशित की जायेगी — शुद्ध अनुवाद करनेका भी है। काम इस कारण भी उलघा हुआ है कि गाधीजीके जीवनका जो



आरम्भिक भाग दक्षिण आफ्रिकामें व्यतीत हुआ था उसकी सामग्री भारतके बाहर—लंदनके औपनिवेशिक कार्यालयके कागज-पत्रोंमें और स्वयं दक्षिण आफ्रिकामें पडी हुई है। दक्षिण आफ्रिकाके मूल साधनोंमें पैठ होना अपेक्षाकृत कठिन है। गांधीजीने सरकारी अधिकारियोंको जो कुछ लिखा था, उसके अलावा इंडियन ओपिनियनमें भी बहुत लिखा था। यह इंडिया, नवजीवन और हरिजनमें उनके बादके लेखोंके त्रिपरीत इंडियन ओपिनियनके लेखोंमें उनका नाम नहीं छपता था। उनके लेखोंको पहचानने और प्रमाणित करानेमें सम्पादकाको श्री हेनरी एस० एल० पोलक और श्री छानलाल गांधीमें बहुमूल्य महायत्ना मिली है। इन दोनों महानुभावोंका न केवल इंडियन ओपिनियनसे, वरन् दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके दूसरे कामोंसे भी घनिष्ठ सम्बन्ध था।

कामके स्वरूपको देखते हुए इस संग्रहको पूरा अथवा अन्तिम माननेका दावा नहीं किया जा सकता। आगेकी खोजसे ऐसे कागज-पत्रोंका पता चल सकता है जो अभी प्राप्य नहीं हैं। पूणता लानेके लिए अनिश्चित कालतक हके रहना उचित न होता। इसमें सुधार करनेका काय भविष्यके लिए ही छोड़ देना उचित है। फिर भी, हालमें जो भी सामग्री मिल सकती है उस सबको इकट्ठा करने और परखनेका तथा छोटी-छोटी टिप्पणियोंके साथ, ताकि मूलको समझनेमें पाठकोंको मदद मिले, प्रकाशित कर देनेका प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। अगर कोई सामग्री बहुत देरीसे मिली, जिसे कि उसे उपयुक्त खण्डमें शामिल करना सम्भव ही न हा, तो उसे अलग प्रकाशित करनेका विचार किया गया है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सामग्रीको तारीखोंके क्रमसे रना जायेगा। एक तारीखकी सारी सामग्री—वह लेख, भाषण या पत्र, कुछ भी हो—एक साथ दी जायेगी। विभिन्न वर्गकी सामग्रीको विभिन्न ग्रन्थ मालाओंमें प्रकाशित करनेके बदले इस व्यवस्थाको पसन्द करनेका मुख्य कारण यह है कि बसा पृथक्करण कृत्रिम होगा। गांधीजीने अक्सर किसी एक ही विषयकी चर्चा लेख, भाषण और पत्र—सबमें की है, और यह सब थोड़े ही दिनोंके बीचमें हुआ है। वे जीवनको समूचे रूपमें देखते थे, अलग-अलग विभागोंमें नहीं। अपने विचार प्रकट करनेका जो भी माध्यम—लेख, भाषण या पत्र—उन्होंने चुना, उसके कारण उनके विचारोंमें कोई अन्तर नहीं पडा। अगर ये सब एक ही पुस्तकमें एक-दूसरेके साथ ठीक तिथि-

क्रमसे रखे जायें ता पाठकोको अधिक पूण चित्र मिलेगा वि गाधीजी कैसे काम करते थे और वैसे विभिन्न प्रश्नाको, जैसे-जैसे वे उठने, निबटाया करते थे। ऐसा होनेपर ये पुस्तकें गाधीजीके उस मानसके बर्भवको प्रकट करणी, जो भारी सावजनिक महत्त्वके प्रश्नोका निर्वाह करते हुए भी व्यक्तिपाकी गहरी निजी समस्याओंमें बन्धनिरत नहीं रहता था। व्यक्तिगत पत्रोंको सावजनिक प्रश्नोंसे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्रीके बीच रखनेसे गाधीजीके व्यक्तित्वकी छवि उन्हे एक स्वतंत्र ग्रथमालामें प्रकाशित कर देनेकी अपेक्षा अधिक सच्चे और पूण रूपमें प्राप्त होती है।

ग्रथमालाका उद्देश्य यह है कि जहाँतक सम्भव हो, गाधीजीके मूल शब्द ही प्रकाशित किये जायें। इसलिए उनके भाषणा, मुलाकातो और चर्चाआकी वे रिपोर्टें छोड़ दी गई हैं, जो प्रामाणिक नहीं मालूम हुईं। उनके कथनोंकी पराक्त (इंटरव्यू) रिपोर्टें भी शामिल नहीं की गईं। तथापि, जहाँतक भाषणोका सम्बन्ध है, उनकी ऐसी रिपोर्टें ले ली गई हैं, जिनकी प्रामाणिकता सदेहके परे थी। यदि किसी भाषणकी स्वयमुक्त (टाइपराइट) रिपोर्ट छपी ही नहीं गई या यदि किसीसे ऐसी जानकारी मिलती है जो दूसरे रूपमें उपलब्ध है ही नहीं, तो उसकी भी परोक्त रिपोर्ट शामिल कर ली गई है। गाधीजीने जो काग-जात या पत्र खालिस तौरपर अपने पेशेके सिलसिलेमें बैरिस्टरकी हैसियतसे लिखे थे और जो मागज-पत्र विलकुल नित्य जीवनके ढर्रेके थे तथा जिनका जीवनचरित-सम्बन्धी कोई महत्त्व नहीं था, उन्हे भी छोड़ दिया गया है। विश्वस्त रूपके पत्रों और ऐसे पत्रोंको भी शामिल नहीं किया गया जिनको प्रकाशित करनेसे किसी जीवित व्यक्तिको परेशानी हो सकती थी।

हिन्दी तथा गुजरातीसे अंग्रेजीमें और अंग्रेजी तथा गुजरातीसे हिन्दीमें अनुवाद सायधानीसे चुने हुए अनुभवी अनुवादक कर रहे हैं। शैलीको समान रखनेके लिए एक खण्डकी सामग्रीका अनुवाद यथासम्भव एक ही अनुवादक करता है।

सामग्रीको उद्धृत करनेमें मूलका दृढताक साथ अनुसरण करनेका प्रयत्न किया गया है। छपाईकी स्पष्ट भूलोंको सुधार दिया गया है, और मूलमें जिन शब्दोंको सक्षेपमें लिखा गया था उन्हें पूरा कर दिया गया है।

लिखनेकी तारीख सब जगह एक समान ऊपरके दाहिने कोनेपर दे दी गई है, जैसी कि पत्रोंमें देनेकी साधारण प्रथा है। यदि कुछ रचनाओंमें वह अतमें थी तो उसे भी ऊपर कर दिया गया है। जहाँ मूलमें कोई

तारीख नहीं थी वहाँ चौकार कोष्ठवाके अन्दर आसपासकी तारीख दे दी गई है और, जहाँ जरूरी हुआ है, ऐसी तारीख देनेके कारण भी बता दिये गये हैं। अन्तमें दी हुई तारीख प्रकाशनकी है। व्यक्तिगत पत्राग्रे, जिनकी वे लिखे गये हैं उन व्यक्तियोंके नाम समान रूपसे ऊपर द दिये गये हैं। जो सामग्री जिस साधनसे मिली है उसका उल्लेख उसके अन्तमें कर दिया गया है।

मूलका परिचय करानेके लिए जो सामग्री छोटे अक्षरोंमें दी गई है, वह सम्पादकोंकी लिखी हुई है। पाद टिप्पणियों और पाठके बीचमें चौकार कोष्ठकोंमें दी हुई सब सामग्री भी ऐसी ही है।

अनुवादमें जहाँ-कहीं कुछ शब्दोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए दूसरे शब्दोंका उपयोग किया गया है वहाँ उन दूसरे शब्दोंको भी चौकार कोष्ठकोंमें रख दिया गया है। गोल कोष्ठकोंका उपयोग मूलके अनुवाद ही किया गया है।

मूलमें जहाँ गाधीजीने दूसरे सूत्रास या, कभी-कभी, अपने ही लेखों, वक्तव्यों अथवा रिपोर्टोंसे उद्धरण दिये हैं, वहाँ उन उद्धरणोंको पक्के अनुच्छेदों और काले अक्षरोंमें ज्यादा हाथिया छोड़कर छापा गया है।

पाद टिप्पणियोंको कमसे कम कर देनेके लिए, पुस्तकके अन्तमें व्यक्तियों, स्थानों, कानूनों और बड़े-बड़े सदस्यों पर टिप्पणियाँ द दी गई हैं। प्रत्येक खण्डमें उसके कालसे सम्बन्ध रखनेवाला तिथिवार जीवन-क्रम और सामग्रीके साधन-सूत्रोंका परिचय भी शामिल कर दिया गया है।

इस आयोजनका आरम्भ फरवरी १९५६ में किया गया था। इसके सूत्रपातका श्रेय श्री पुरुषोत्तम मंगेश लाडको है, जो उस समय भारत सरकारके सूचना और प्रसार मंत्रालयके सचिव थे और जिन्होंने, माच १९५७ में अपनी असामयिक मृत्युके पूर्व, इस कायकी नींव रखनेमें मदद की थी।

प्रथमालाका नियंत्रण और निर्देशन एक परामश-मण्डलके अग्रीन है, जिसके प्रथम सदस्य थे श्री मोरारजी र० देसाई (अध्यक्ष) श्री काकासाहब कालेलकर श्री देवदास गाधी, श्री प्यारेलाल नैयर, श्री मंगनभाई प्र० देसाई, श्री जी० रामचन्द्रन्, श्री श्रीमन्तारायण, श्री जीवनजी डा० देसाई और श्री पुरुषोत्तम मंगेश लाड। इस मण्डलके बनाये जानेका उद्देश्य यह था कि योजनाका गाधीजीके जीवन और कायसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियोंके परामश और अनुभवका लाभ मिले।

सम्पूर्णं गाधी वाङ्मय

१

(१८८४-१८९६)



सामग्री एकत्र करनेके कामकी व्यवस्था करने और प्रयोगका सम्पादन करनेका वाय एक प्रधान सम्पादकको सौंपा गया है। श्री भारतन् कुमारप्पा प्रधान सम्पादक नियुक्त किये गये थे। बादमें वे परामर्श-मण्डलके सदस्य भी नियुक्त कर दिये गये थे। उन्होंने, जून १९५७ में अपने देहान्तके समय तक, अनन्य निष्ठाके साथ काम किया था। जब पहला खण्ड छपनेके लिए जाने ही वाला था उस समय, उनके देहातके बाद परामर्श-मण्डलने श्री जयरामदास दौलतरामको प्रधान सम्पादक बनानेके लिए आमन्त्रित किया, और उन्हें परामर्श-मण्डलका सदस्य भी नियुक्त किया गया।

सम्पादकोंकी एक टोली प्रधान सम्पादककी सहायता प्रदान करती है। उसके सदस्य ये हैं श्री उल्लाल रत्नावर राव, लेखोंके लिए, श्री रामचन्द्र कृष्ण प्रभु, भाषणोंके लिए, श्री पाण्डुरंग गणेश देशपाण्डे, पत्रोंके लिए, श्री सीताचरण दीक्षित, हिन्दीके लिए, और श्री मनुभाई कल्याणजी देसाई तथा श्री रतिलाल मेहता, गुजरातीके लिए।

## इस खण्डकी भूमिका

इस खण्डमें गाधीजीके जीवनके प्रथम कालकी सामग्री दी जा रही है। यह काल सम्पादकोंके लिए सबसे कठिन था। इसके अधिक प्रवृत्तिमय उत्तर भागमें गाधीजी विदेशोंमें रहे थे। इंग्लैंडमें वे पढते थे और दक्षिण आफ्रिकामें शुरू-शुरूमें वैरिस्टरकी हैसियतसे गये थे। फलत इस कालकी मूल सामग्री भी मुख्यत इन्ही दोनो देशोंमें उपलब्ध थी।

सौभाग्यसे गाधीजीने इस कालकी कुछ सामग्री सुरक्षित रखी थी और उसे वे भारत ले आये थे। उसमें निम्नलिखित वस्तुएँ थी उनके पत्र-व्यवहारकी कावचन-नकलें, पत्रों और स्मरणपत्रोंके हस्तलिखित मसविदे, प्राथनापत्रों और उनके प्रकाशित किये हुए पत्रोंकी टाइप की हुई या छपी प्रतियाँ, दक्षिण आफ्रिकी समाचारपत्रोंकी कतरनों और दक्षिण आफ्रिकी कुछ सरकारी रिपोर्टें (ब्ल्यू बुक्स) जिनमें उनके कुछ पत्र, प्राथनापत्र और वक्तव्य छपे थे।

फिर भी, गाधीजीने अपनी लिखी हुई सब वस्तुएँ सुरक्षित नहीं रखी थी। उन्होंने हिन्दू धर्मके मूल तत्त्वोंपर कुछ लिखा था। उसकी चर्चा करते हुए अपनी गुजराती पुस्तक *दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहो इतिहास* (१९५०, पृष्ठ २७८) में उन्होंने कहा है “ऐसी तो कितनी ही चीजें मैंने अपने जीवनमें फेंक दी ह, या जला डाली हैं। इन वस्तुओंका संग्रह करनेकी जरूरत जैसे-जैसे मुझे कम मालूम होती गई और जैसे-जैसे मेरी प्रवृत्तियाँ बढ़ती गई, वैसे-वैसे मैं इन्हें नष्ट करता गया। इसका मुझे पछतावा नहीं है। इन वस्तुओंका संग्रह मेरे लिए भार-रूप और बहुत खर्चीला हो जाता। मुझे इनकी संचित करनेके साधन जुटाने पडते। यह मेरी अपरिग्रही आत्माके लिए असह्य होता।”

लंदन और दक्षिण आफ्रिकामें जा सरकारी तथा अथ कागज-पत्र उपलब्ध हैं, उनसे अनुसंधान-सहायक हमारे लिए सामग्री एकत्र कर रहे हैं। गाधीजी स्वयं अपने साथ दक्षिण आफ्रिकासे जो सामग्री ले आये थे उसमें जो कुछ कमी थी उसे इस सामग्रीसे पूरा कर लिया गया है।

दक्षिण आफ्रिकामे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्रीमें अनेक प्राथनापत्र और स्मरणपत्र सम्मिलित हैं, जो गाधीजीने वहाँके भारतीय समाजकी ओरसे भेजे

ये। उन पर गाधीजीके हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि समाजके प्रतिनिधि नेताओं या नेटाल भारतीय कांग्रेस अथवा ट्रान्सवाल ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन-जैसी संस्थाओंके पदाधिकारियोंके हस्ताक्षर हैं। फिर भी उनके मसविदे गाधीजीके ही बनाये हुए हैं। उनके २५ सितम्बर, १८९५ के पत्रसे (जो इस खण्डमें पृष्ठ २५१ पर दिया गया है) यह स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। उसमें उन्होंने कहा है “

अनेकानेक प्रार्थनापत्रोंका मसविदा बनानेकी जिम्मेदारी पूरी-पूरी मुझपर है।” लाड रिपनको जुलाई १८९४ में भेजे गये प्रार्थनापत्रके बारेमें इसका प्रमाण भी मौजूद है। उसपर गाधीजीने नहीं, दूसरोंने हस्ताक्षर किये हैं। परन्तु गाधीजीने अपनी आत्मकथा (गुजराती, १९५२, पृष्ठ १४२) में कहा है “इस प्रार्थनापत्रके पीछे मैंने बहुत मेहनत उठाई। इस विषयका जा-जो साहित्य मेरे हाथ लगा वह सब मने पढ़ डाला।”

यद्यपि गाधीजी १८९४ से कुछ वर्षों तक नेटालमें रहे थे, फिर भी दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें, जिसे बादमें ट्रान्सवाल कहा जाने लगा, भेजे गये कुछ प्रार्थनापत्र भी इस खण्डमें शामिल कर दिये गये हैं। इन्हें गाधीजीके लिखे हुए माननेका कारण यह है कि उन्होंने अपने दक्षिण आफ्रिकावासका पहला वर्ष — अर्थात् १८९३ और १८९४ का कुछ-कुछ भाग — ट्रान्सवालकी राजधानी प्रिटोरियामें बिताया था। और उन्हें वहाँके भारतीयों तथा उनकी समस्याओंका अच्छा परिचय हो गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा (गुजराती, १९५२, पृष्ठ १२६) में लिखा है “अब प्रिटोरियामें शायद ही कोई भारतीय ऐसा रहा होगा, जिसे मैं जानता न होऊँ, या जिसकी परिस्थितिसे मैं परिचित न हूँ।” उन्होंने यह भी कहा है (आत्मकथा, गुजराती, पृष्ठ १२७) “मैंने सुझाया कि एक मण्डल स्थापित करके भारतीयोंके कष्टोंका इलाज अधिकारियोंसे मिलकर, अर्जों आदि देकर करना चाहिए। और यह वादा भी किया कि मुझे जितना समय मिलेगा उतना बिना किसी वेतनके इस कार्यके लिए दूंगा।” इसलिए, यद्यपि गाधीजी इसके बाद नेटालमें रहे फिर भी विलकुल सम्भव है कि ट्रान्सवालके भारतीयोंने अपने प्रार्थनापत्र उनसे ही लिखवाये होंगे। वे नेटालमें रहे हों या ट्रान्सवालमें, सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी समस्याओंके उनकी गहरी दिलचस्पी थी, और उन्होंने आरेज फ्री स्टेट तथा वेप प्रदेश-जैसे दूसरे हिस्सों और, यद्यत्क कि, रोडेेशियाके भी भारतीयोंकी समस्याओंके बारेमें लगातार लिखा है, हालाँकि वे इन देशोंमें रहे कभी नहीं।



तथापि, यह कह देना जरूरी है कि भारतीयोंके भेजे सभी प्राथनापत्र गांधीजीके लिखे हुए नहीं हैं। कुछ प्राथनापत्र तो वे गांधीजीके दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेके पहले ही भेज चुके थे। स्पष्ट है कि ये प्राथनापत्र यूरोपीय वकीलोंने पेशेके तौरपर उनके लिए लिख दिये होंगे। ऐसा होते हुए भी, बिल्कुल सम्भव है कि जैसे ही गांधीजी उनकी समस्याओंमें गहरी दिलचस्पीके साथ रगभूमिपर आये वैसे ही भारतीयोंने अपने सारे प्राथनापत्र उनसे ही लिखवाने शुरू कर दिये। श्री हेनरी एस० एल० पोलक और श्री छगनलाल गांधीका भी यही मत है। ये दोनों महानुभाव सन् १९०४ के आसपाससे दक्षिण आफ्रिकामें रहकर गांधीजीके साथ काम करते थे। जितने दिन गांधीजी वहाँ रहे, ये भी उनके साथ ही थे।

दो कागजात और भी हैं, जिहे गांधीजीके हस्ताक्षर न होनेपर भी इस खण्डमें शामिल कर दिया गया है। वे हैं — नेटाल भारतीय कांग्रेसका विधान और उसकी पहली कायवाही। नेटाल भारतीय कांग्रेसकी स्थापना गांधीजीने ही की थी और वे उसके पहले मंत्री थे। उसके विधानका मसविदा गांधीजीके ही हस्ताक्षरोमें लिखा प्राप्त हुआ है।

उपलब्ध प्रमाणोंके अनुसार, गांधीजीने पहला प्रार्थनापत्र १८९४ में लिखा था। बादमें तो, मालूम होता है, उन्होंने प्राथनापत्र लिखनेका ताँता ही बाध दिया। अपने सावजनिक कायकी इस प्रारम्भिक अवस्थामें गांधीजीने अन्यायको दुरुस्त करानेके लिए सच्ची स्थितिको प्रकाशित करने और तर्कोंके द्वारा अन्यायीकी सदबुद्धि तथा अन्तरात्माको प्रभावित करनेका तरीका अपनाया था। दक्षिण आफ्रिकामें बारह बघ तक इस पद्धतिका प्रयोग करनेके बाद ही वे इस निष्कषपर पहुँचे कि जब निहित-स्वाधवाले लोग तर्कोंको माननेसे इनकार करे तब सत्याग्रह या सीधी कारवाई करना जरूरी है।

पाठकाको स्मरण रहे कि इस खण्डमें जिस कालकी प्रवृत्तियाँ दी गई हैं उसमें गांधीजी अपनी उम्रकी बीसोंमें ही थे। उनके लेखों और भाषणोंसे उल्लेखनीय आत्मसंयम तथा सौम्यता, कठोर सत्य परायणता और विरोधीक दृष्टिकोणके प्रति पूर्ण न्याय करनेकी इच्छाका परिचय मिलता है। उनके ये लाक्षणिक गुण सारे जीवन उनके साथ रहे।

दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीने १८९३ से १९१४ तक जो काम किया उसक सम्बन्धमें सामान्य सन्दर्भके लिए इस खण्डमें दक्षिण आफ्रिकाके वैधानिक तंत्रपर एक टिप्पणी वहाँका संक्षिप्त इतिवृत्त, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका

परिचय और दो नक्शे — एक नेटालका और दूसरा दक्षिण आफ्रिकाका — दे दिये गये हैं।

गांधीजीकी सक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करना इस ग्रथमालाकी मर्यादाने अन्दर नहीं है। इसलिए इस खण्डमें गांधीजीके जीवन और कायका तारीखवार वृत्तान्त दे दिया गया है। उसमें प्रयत्न यह किया गया है कि जन्मसे लेकर इस खण्डके अन्तिम वय तक गांधीजीके जीवनकी धाँकी पाठकोको मिल जाये।

इस खण्डकी मामग्रीवे लिए हम गांधी स्मारक निधि, नई दिल्लीवे आभारी हैं। उसने हमें अपने ग्रथालय और सग्रहालयका, जिसमें उपयोगी पुस्तको तथा गांधीजीके पत्रो और अन्य अप्रकाशित कागजातकी फोटो-नकलोका सग्रह किया गया है, मुक्त रूपसे उपयोग करने दिया है। हम सावरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, अहमदावादके भी ऋणी हैं, जिसने हमें दक्षिण आफ्रिकी पत्रोकी कतरनो तथा सरकारी रिपोर्टों (ब्लू बुक्स)-जैसी मूल्यवान सामग्रीका उपयोग करनेकी अनुमति दी। गांधीजीके पत्राका और उन्होने दक्षिण आफ्रिकामें समय-समयपर जो चीजें प्रकाशित की उनका उपयोग करनेकी भी अनुमति उसने हमें दी।

लदनके औपनिवेशिक कार्यालय, ब्रिटिश म्यूजियम और लदन वेजिटेरियन सोसाइटीके कार्यालय भी हमारे धन्यवादके पात्र हैं। उन्हाने हमारे लदन-स्थित अनुसंधान-सहायकको अपने पुस्तकालयो तथा बागजपत्र घरोंमें आवश्यक सामग्रीकी खोज करनेकी सुविधाएँ प्रदान की।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रासके समाचारपत्र-कार्यालयोंने हमें सामग्री एकत्र करनेकी जो सुविधाएँ दी उनके लिए हम उनके भी आभारी हैं।

गुजरात विद्यापीठ ग्रथालय, अहमदावाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय तथा भारतीय विश्वकाय परिषद पुस्तकालय, नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय (आफ्रिकी अध्ययन विभाग), यूनाइटेड स्टेटस इन्फार्मेशन सर्विस पुस्तकालय, दिल्ली और बम्बई, विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय, बम्बईने हमें पुस्तकोकी सहायता लेनेकी सुविधाएँ प्रदान की। हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस खण्डमें प्रकाशित सख्या ३, ५, ६ और १३ की सामग्री तथा नेटाल भारतीय कांग्रेसके मस्थापकोके चित्रके लिए हम श्री डी० जी० तेदुलकर व महात्माके प्रकाशका, और फोटो नकलोके लिए गांधी स्मारक निधिसे ऋणी हैं।

## दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समस्याकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जब सन् १८९३ में गांधीजी दक्षिण आफ्रिका पहुँचे उस समय वहाँ चार उपनिवेश थे — नेटाल, केप प्रदेश, ट्रान्सवाल और आरेज फ्री स्टेट। इन उपनिवेशोंमें उन यूरोपीयोंने वसजोका राज्य था, जिहाने क्या-बहानियामें वर्णित भारतकी खाजमें जाते-जाते शुद्ध सयोगसे दक्षिण आफ्रिकाका पता पा लिया था। वे वहा बस गये थे, और पहले-महल ता उन्हाने पूव और पश्चिमके बीचो-बीच एक सुविधाजनक पडावके तौरपर उसका विकास किया था, बादमें अपने स्थायी निवासस्थानके रूपमें।

सन् १८९३ में वहा जिन गोरे लोगोका प्रभुत्व था वे डच या बोअर और अंग्रेज थे। ट्रान्सवाल तथा आरज फ्री स्टेटमें डचोका और नेटाल तथा कप-प्रदेशमें अंग्रेजोका आधिपत्य था। अंग्रेजोके रंगभूमिपर आने और १८०६ में केप प्रदेश और तथा १८४३ में नेटालपर कब्जा कर लेनेके पहले डच लोग लगभग दो सौ वर्षोंसे उस देशमें प्राय निर्विघ्न राज्य करते आ रहे थे। इन प्रदेशोके हाथसे निम्नल जानेपर वे अन्दरकी ओर खिसक गये और उन्होने ट्रान्सवाल तथा आरेज फ्री स्टेटपर कब्जा किया। इस सबके बावजूद, ब्रिटिश लोग डच उपनिवेशोंमें और डच लोग ब्रिटिश उपनिवेशोंमें भी बने रहे।

इन दोनो समुदायोके बीच लगातार सघष होता रहता था। दोनो ही अपना-अपना प्रभुत्व देशपर स्थापित करना चाहते थे। आखिर वह सघष बोअर-युद्ध ( १८९९-१९०२ ) में परिणत हुआ, जिसके फलस्वरूप साराका सारा दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश साम्राज्यका अंग बन गया। ब्रिटिशोका कहना था कि युद्ध करनेमें उनका मुख्य उद्देश्य डच क्षेत्रोंमें बसे हुए ब्रिटिश और भारतीय प्रजाजनोको उनके समुचित अधिकार प्राप्त कराना था।

जब गांधीजी दक्षिण आफ्रिका पहुँचे, उस समय चारो उपनिवेश एक दूसरेसे स्वतंत्र थे। वे अपनी-अपनी स्वतंत्र नीतिके अनुसार अपना काम-काज चलाते थे। उम समय लदन स्थित ब्रिटिश सरकार अपने प्रजाजनोके

हिनाकी रक्षाके लिए इन उपनिवेशोंमें अपने प्रतिनिधि रखती थी और कुछ हदतक इन सरकारोंकी नीतियोंका नियंत्रण भी किया करती थी। परन्तु सन् १९१० में इन सब उपनिवेशोंने मिलकर ब्रिटिश झण्डेकी छत्रछायामें दक्षिण आफ्रिकी संयुक्त राज्यकी स्थापना करके पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त कर लिया। इस समयसे ब्रिटिश सरकार भी इन उपनिवेशों जोर इनकी संयुक्त-सरकारके प्रति निहस्तक्षेपी नीतिका अनुसरण करने लगी। उसका कहना था कि दक्षिण आफ्रिका अब एक अधिराज्य (डोमिनियन) बन गया है इसलिए वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलका एक स्वशासित सदस्य है, जिसे अपना काम-काज अपनी इच्छाके अनुसार चलानेकी स्वतंत्रता है। अब ब्रिटिश साम्राज्यके एशियाई प्रजाजनोकी शिकायतोंपर विचार करना दक्षिण आफ्रिकी संयुक्त राज्यके सपरिषद गवर्नर जनरलका विषय बन गया और इस सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिकी सरकारकी नीतिको प्रभावित करनेकी ब्रिटिश सरकारकी शक्ति नामशेष हो गई। परन्तु गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकामें रहते हुए अधिकांश समय ऐसी स्थिति नहीं थी।

कृषिके विकास और देशकी खनिज सम्पत्तिका लाभ उठानेके लिए इन उपनिवेशोंके गोरोंको मजदूरीकी आवश्यकता हुई। आफ्रिकी लोगोंको उन्होंने स्थिर और निभर करने योग्य मजदूर नहीं पाया, क्योंकि वे अपनी भूमिसे जो कुछ मिलता था उसपर निर्वाह करके सन्तुष्ट रहते थे। और इसलिए उनमें से अधिकतर अर्थोपाजनके लिए मजदूरी करनेको उत्सुक नहीं थे। अतएव ब्रिटिश उपनिवेशियोंने भारतके अंग्रेज शासकोंके साथ मिलकर भारतीय मजदूरोंको गिरमित-प्रथा अथवा इकरारनामेके आधारपर दक्षिण आफ्रिकामें लानेका प्रयत्न किया। इस तरहके मजदूरोंका पहला जत्था सन् १८६० में दक्षिण आफ्रिका पहुँचा। इन मजदूरोंको अधिकार था कि इकरारनामेकी अवधि समाप्त हो जानेपर वे चाहे तो भारत लौट जायें, या दक्षिण आफ्रिकामें ही रहकर पाच वर्षकी दूसरी अवधिके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जायें, अथवा सरकार वही उन्हें वापसी-किरायेके मूल्यकी भूमि दे दे और वे उसपर स्वतंत्र नागरिकोंकी हैसियतसे बस जायें।

आम तौरपर ये मजदूर भारतके सबसे गरीब वर्गके लोग थे। इनको आरोग्यके नियमोंके अनुसार रहनेकी आदतें नहीं सिखाई गई थी और ये अनेक दृष्टियोंसे पिछड़े हुए थे। इनके बाद, बहुत जल्दी ही, इनकी जरूरतोंको

पूरा करनेके लिए भारतीय व्यापारी भी आ पहुँचे। यही दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय आवादीया जारम्भ था।

इस प्रकारके और मजदूराना भेजनेका इकरारनामा फिगमे नया करनेके पहले १८६९ में भारत सरकारने साफ-साफ शर्तें कर ली थी कि इकरारनामेकी अवधिके बाद मजदूरको बराबरीका दर्जा दिया जाये, उन्हें देशके साधारण कानूनके अनुसार रखा जाये और उनके साथ कोई कानूनी या प्रशासनिक भेद-भाव न किया जाये। नेटाल-सरकारने, जिसने ऐसे मजदूरोंकी माँग की थी, इन शर्तोंको स्वीकार किया था और बादमें, लंदन स्थित ब्रिटिश सरकारने भी १८७५ में इनको पुष्टि कर दी थी। इसके अलावा, ब्रिटिश महारानीने अपनी १८५८ की घोषणाके द्वारा 'हमारे भारतीय साम्राज्यके निवासिया'को उन्हीं अधिकारोंका आश्वासन दिया था, जो "हमारे अन्य सब प्रजाओंको" प्राप्त है।

तथापि डच लोग भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें रहने देनेके सदा विरोधी रहे। वे चाहते थे कि एशियाई मजदूरोंको (चीनियोंके समेत) एक निश्चित अवधिके लिए लाया जाये और उसके बाद तुरन्त वापस भेज दिया जाये। उनकी इच्छा थी कि उनके उपनिवेश सिर्फ गोरोंके लिए रहे, जिनमें आफ्रिकी लोग अपने लिए अलग किये गये क्षेत्रोंमें निवास करे।

स्थानिक अफ्रीकाकी भी यही इच्छा थी जिन्होंने, दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे यूरोपीय व्यापारियोंके समान ही भारतीयोंको कृषि और व्यापार दोनोंमें अपना भयानक प्रतियोगी पाया था। भारतीय किसानोंने नये-नये फल और शाक-सब्जियाँ बोई, और सस्ती तथा भारी मात्रामें पैदा की। इस तरह उन्होंने गौरे किसानोंके भावोंको गिरा दिया। भारतीय व्यापारी कम खर्चमें गुजारा करते थे, नीबरो और साज-सामानपर नामचारको ही खर्च करते थे, और सरलतासे डच तथा ब्रिटिश व्यापारियोंकी अपेक्षा सस्ते भावोंपर माल बेच सकते थे। इसलिए गोरोंको भय था कि अगर भारतीयोंको मुक्त रूपसे देशमें आने दिया गया और उन्हें उनकी इच्छाके अनुसार भूमिपर या व्यापारमें बस जाने दिया गया, तो वे हमें निगल जायेंगे।

फलत भारतीयोंपर अनेकानेक प्रतिबंध लगा दिये गये। इनमें से सबसे पहला डच उपनिवेश ट्रान्सवालमें १८८५ का अधिनियम ३ था। उसके द्वारा घोषित किया गया था कि एशियाई लोग डच नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं

कर सकते। उसके द्वारा जरूरी कर दिया गया कि "स्वच्छताके कारणोंसे" भारतीय उन बस्तियोंमें रहें, जो उनके लिए खास तौरसे अलग कर दी गई हैं, वे उन बस्तियोंके अलावा दूसरी बस्तियोंमें अचल सम्पत्ति न रखें, और उनमें से जो लोग व्यापारके लिए आये हों वे शुल्क देकर सरकारी दफ्तरमें अपने नाम दर्ज करायें और परवाना प्राप्त करें।

यह कानून ट्रान्सवाल डच गणराज्य और सम्राटके प्रतिनिधियोंके बीच १८८४ के लंदन समझौतेकी धारा १४ के सरासर विरुद्ध था। उक्त धारामें घोषणा की गई थी कि "आदिमजातियोंके परे" सब लोगोंको ट्रान्सवाल गणराज्यके किसी भी भागमें प्रवेश करने, यात्रा करने, निवास करने, जमीन-जायदाद खरीदने और व्यापार करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता होगी और उनसे कोई ऐसा कर वसूल नहीं किया जायेगा, जो डच नागरिकोंसे वसूल न किया जाता हो। उपनिवेशमें निवास करनेवाले ब्रिटिश प्रजाजनोके हितोंकी देख-रेख करनेके लिए ट्रान्सवालमें ब्रिटिश उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) मौजूद था। परन्तु ट्रान्सवालके सभी गोरे — चाहे वे डच हों या ब्रिटिश — उपनिवेशमें "एशियाइयोंके आक्रमणके खतरे"की चीख-पुकार मचाकर आन्दोलन कर रहे थे। ब्रिटिश उच्चायुक्तने आन्दोलनके जोरके कारण ब्रिटिश सरकारको सलाह दी कि वह उक्त कानूनका विरोध न करे। इसपर लंदन स्थित ब्रिटिश सरकारने अपना यह फैसला घोषित कर दिया कि वह इस भारतीय-विरोधी कानून पर कोई आपत्ति नहीं करेगी।

सम्राज्ञी-सरकारने अपनी पहलेकी घोषणाओके बावजूद, कि भारतीयोंको दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोके बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे, जो यह नीति पलटी उससे भारतीयोंके विरुद्ध भेद-भावके कानूनोकी बाढका भाग खुल गया। यह हालत सिर्फ डचोंके ट्रान्सवालमें ही नहीं, बल्कि अफ्रीकाके नेटालमें भी हुई। और यह सब ऐसे समयपर हुआ जब कि ब्रिटिश सरकारको डच तथा ब्रिटिश उपनिवेशोंमें अपने प्रजाजनोके संरक्षणका पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त था।

सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके खिलाफ प्रजातीय (रेशियल) भेद-भाव बरतना जाने लगा। रेल-गाड़ियाँ, बसें, स्कूल और होटल, कोई भी स्थान भेद-भावसे मुक्त नहीं रहा। उन्हें एक उपनिवेशसे दूसरे उपनिवेशमें परवानेके बिना जानेका अधिकार नहीं था। अफ्रीकाके उपनिवेश नेटालमें, जहाँ भारतीयोंकी संख्या सबसे अधिक थी, १८९४ में भारतीयोंका मताधिकार छीन लेनेका और



## विषय-सूची

	पृष्ठ
श्रद्धाजलि डा० राजेन्द्रप्रसाद	पाँच
प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू	दस
सामाय भूमिका	बारह
इस खण्डकी भूमिका	अठारह
दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समस्याकी पृष्ठभूमि	बाईस
१ पत्र पिताको	१
२ जाल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोटमें	१
३ पत्र लक्ष्मीदास गाधीका	२
४ लदन-दैनन्दिनीसे	३
५ पत्र श्री लेलीको	२१
६ पत्र कनल वाट्साका	२३
७ भारतीय अन्नाहारी	२४
८ कुछ भारतीय त्योहार	३७
९ भारतके आहार	४४
१० लदनके बैड आफ मर्सीके समक्ष भाषण	५२
११ हालवनमें विदाईका भोज	५२
१२ इग्लैंड क्या भये ?	५३
१३ एडवोकेट बननेके लिए आवेदन	६३
१४ स्वदेश वापसीके मागमें	६४
१५ पत्र पटवारीको	७१
१६ सनास्तका सवाल	७३
१७ भारतीय व्यापारी	७४
१८ नये गवनरका स्वागत	७७
१९ भारतीयोंके मत	७८
२० अन्नाहार-सम्बन्धी प्रचार-क्राम	८१
२१ प्राणयुक्त आहारका प्रयोग	८२



२२	इंग्लैंडवागी भारतीयोवे नाम	८७
२३	अन्नाहार और बच्चे	९०
२४	धर्म-सम्बन्धी प्रश्नावली	९१
२५	प्रायनापत्र नेटाल विधानसभाको	९३
२६	शिष्टमण्डलकी भेंट नेटालके प्रधानमन्त्रीसे	९८
२७	प्रश्नावली ससद-सदस्योवे नाम	१०१
२८	शिष्टमण्डलकी भेंट नेटालके गवर्नरसे	१०३
२९	प्रायनापत्र नेटाल विधानपरिषदको	१०४
३०	पत्र दादाभाई नौरोजीको	१०६
३१	दसरा प्रायनापत्र नेटाल विधानपरिषदको	१०७
३२	भारतीय और मताधिकार	११२
३३	पत्र नेटालके गवर्नरको	११४
३४	पत्र दादाभाई नौरोजीको	११६
३५	प्रायनापत्र लाड रिपनको	११७
३६	पत्र दादाभाई नौरोजीको	१२९
३७	नेटाल भारतीय कांग्रेस	१३०
३८	"रामीसामी"	१३५
३९	पत्र नाज़रको	१३८
४०	एगॉट्रिक त्रिस्चियन यूनियन	१३९
४१	पुस्तकें बिवाऊ	१४१
४२	खुली चिटठी	१४२
४३	पत्र यूरोपीयोवे नाम	१६७
४४	भौतिकवादकी अपर्याप्ति	१६८
४५	पत्र दादाभाई नौरोजीको	१७१
४६	पुस्तकें बिवाऊ	१७१
४७	मुस्लिम कानून	१७२
४८	स्मरणपत्र प्रिटोरिया-स्थित एजेंटको	१७७
४९	प्रायनापत्र नेटाल विधानसभाको	१७९
५०	पत्र कमरुद्दीनको	१८२
५१	अन्नाहारी मिशनरियाकी टोली	१८२
५२	प्रायनापत्र लाड रिपनको	१८९

५३	प्राथनापत्र	लाड एलगिनको	२१२
५४	प्राथनापत्र	नेटाल विधानपरिषदको	२१५
५५	प्राथनापत्र	श्री चेम्बरलेनको	२१७
५६	प्राथनापत्र	लाड एलगिनको	२३२
५७	नेटाल भारतीय कांग्रेसको पहली वायवाही		२३५
५८	भारतीयोका मताधिकार [नेटाल मर्करीको पत्र]		२४३
५९	भारतीयोका मताधिकार [नेटाल मर्करीको पत्र]		२४६
६०	भारतीय कांग्रेस [नेटाल एडवर्टाइजरको पत्र]		२४९
६१	भारतीय कांग्रेस [नेटाल मर्करीको पत्र]		२५१
६२	भारतीय कांग्रेस [नेटाल मर्करीको पत्र]		२५२
६३	नेटाल भारतीय कांग्रेसको सभामें भाषण		२५३
६४	भारतीयोका सवाल [नेटाल एडवर्टाइजरको पत्र]		२५४
६५	नेटाल भारतीय कांग्रेस		२५५
६६	प्राथनापत्र	श्री चेम्बरलेनका	२५८
६७	भारतीयोका मताधिकार		२६०
६८	नेटालमे अन्नाहार		२९३
६९	अन्नाहारका सिद्धान्त		२९६
७०	प्राथनापत्र	नेटालके गवनरको	२९९
७१	भारतीय जीर परवाने		३०१
७२	जूलुलैड-सम्बन्धी कार्यके स्थानापन्न सचिवका		३०६
७३	जूलुलैड-सम्बन्धी कार्यके सचिवको		३०७
७४	पत्र	दादाभाई नौरोजीको	३०८
७५	पत्र	वेडरबनको	३०९
७६	प्राथनापत्र	श्री चेम्बरलेनका	३१०
७७	भारतीयोका मताधिकार [नेटाल विटनेसको पत्र]		३१४
७८	प्राथनापत्र	नेटाल विधानसभाको	३१९
७९	तार	दादाभाई नौरोजीको	३२८
८०	नेटाल भारतीय कांग्रेस [नेटालके प्रधानमन्त्रीको पत्र]		३२९
८१	नेटाल भारतीय कांग्रेस		३३०
८२	प्राथनापत्र	श्री चेम्बरलेनको	३३१
८३	भेंट	भारतको विदा होते समय	३५५

८४	भारतीयोकी एक सभा	३५७
	मामग्रीके साधन-सूत्र	३५९
	तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	३६१
	दक्षिण आफ्रिकाका वैधानिक तन्त्र (१८९०-१९१४)	३७१
	दक्षिण आफ्रिकाका संक्षिप्त इतिवत्त	३७८
	टिप्पणियाँ	३८९
	साक्षेत्तिका	३९७

## चित्र-सूची

गाधीजी

जब लन्दनमें पढते थे

मुखचित्र

पोरबन्दरका मकान

जिसमें गाधीजीका जन्म हुआ था

८

राजकोटका आल्फ्रेड हाईस्कूल

जहाँ गाधीजीने शिक्षा पाई थी

९

गाधीजी

लदन अन्नाहारी मण्डलके अय सदस्योके साथ, १८९०

१३६

नेटाल भारतीय कांग्रेसके

सस्थापक, १८९५

१३७

## नक्शे

नेटाल

२७०

दक्षिण आफ्रिका

३७६



## १ पत्र पिताको

यह गांधीजीके एक सबसे पहले पत्रका हवाला है। मूल पत्र उपलब्ध न होनेके कारण, उनकी आत्मकथामें उनकी ही लिखी हुई जो विवरणी मिलती है वह यहाँ उद्धृत की गई है। जब वे १५ वर्षके थे, उन्होंने अपने भाइका थोड़ा सा कर्ज पटानेके लिए उनके हाथके कड़ेसे कुछ सोना निकाल लिया था। बादमें उन्हें अपने इस कामसे इतनी वेदना हुई कि उन्होंने अपने पिताके सामने बातको कबूल कर लेनेका निश्चय किया। पिताने गूढ़ अक्षुभ्रके रूपमें उन्हें क्षमा प्रदान की। इस घटनाका उनके मन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके अपने ही शब्दमें, यह उनके लिए अहिंसाकी शक्तिका एक पदाध पाठ था।

[१८८४]

मैंने पत्र लिखकर अपने हाथसे उन्हें दिया। पत्रमें सब दोष स्वीकार किया और उसका दण्ड मांगा। यह विनती की कि मेरे अपराधके लिए वे स्वयं दण्ड न भोगें। साथ-साथ मैंने प्रतिज्ञा भी की कि भविष्यमें फिर कभी ऐसा अपराध न करूँगा।

[गुजरातीसे]

आत्मकथा, १९५२, पृष्ठ २६।

## २ आल्फ्रेड हार्डि स्कूल राजकोटमें

जब गांधीजी बैरिस्टरीकी शिक्षाके लिए इंग्लैंड जा रहे थे उस समय उनके साथी-विचारियोंने आल्फ्रेड हार्डि स्कूल, राजकोटमें एक विदार समारोहका आयोजन किया था। वह समारोह ४ जुलाई, १८८८को हुआ था। उसमें लिया हुआ भाषण ही शायद गांधीजीका सबसे पहला भाषण था। उसके सम्बन्धमें उन्होंने अपनी आत्मकथामें कहा है “जवाबके लिए मैं कुछ लिखकर ले गया था। उसे मैं मुश्किलमें पढ़ सका। सिर चकराता था, शरीर कँपता था—बस, इतना ही मुझे-याद है” (पृष्ठ ३८)। उस समय वे १८ वर्षके थे। उनके भाषणकी जो रिपोर्ट एक समाचारपत्रमें प्रकाशित हुई थी, वह नीचे दी जा रही है।

जुलाई ४, १८८८

मुझे आशा है कि दूसरे भी मेरा अनुसरण करेंगे और इंग्लैंडसे लौटने के बाद हिन्दुस्तानमें सुपारखे बड़े-बड़े काम करनेमें सच्चे दिलसे लग जायेंगे।

[गुनरातीमे]

फाटियावाड टाइम्स, १२-७-१८८८

### ३ पत्र लक्ष्मीदास गांधीको

हृदन

नवंबर ९, १८८८, शुक्रवार

वृषासागर, आदरणीय बड़े भाई श्री मुरब्बी लक्ष्मीदास करमचन्द गांधीकी सेवामें से० मोहनदास करमचन्दकी शिर-साप्टाग दण्डवत स्वीकार हो।

दो या तीन हफ्ते हो गये, आपका कोई पत्र नहीं आया। यह बड़े ताज्जुबकी और खेदजनक बात है। कारण कुछ समझमें नहीं आता। शायद बीचमें योड़े दिन मेरे पत्र न पहुँचनेसे ऐसा हुआ हो। तो, हृदन पहुँचने तक मेरा कोई पक्का मुकाम नहीं था, इसलिए पत्र लिखकर डाल नहीं सका। परन्तु इस कारण आपका पत्र न लिखना तो ताज्जुबकी बात है। इस दूर देशमें सिर्फ पत्रसे ही मिलाप होता है। इसलिए आपको यह क्या सूझा, समझमें नहीं आता। बहुत चिन्ता है। घरकी खैर-कुशल सुननेका मौका हफ्तेमें एक बार आता है। वह भी न मिले तो कोई कम दुःखकी बात नहीं है। जब सारे दिन बेकार बैठा रहता हूँ, तब दिन इसी फिरमें बीतता है। आशा है कि आगे आप ऐसा हर्गिज नहीं करेंगे। हफ्तेमें एक कांड लिख देनेकी कृपा करेंगे तो भी बस हागा। परन्तु अगर इस तरह आप बिलकुल लिखेंगे ही नहीं, तो मेरी क्या दशा होगी, वह नहीं सकता। आपको ठिकाना मालूम न होता तो मुझे बिलकुल चिन्ता न होती। परन्तु आपके दा पत्र मिले, फिर बन्द हो गये—यह खेदजनक है। मंगलवारको मैं इनर टेम्पलमें भरती हो गया। अगले हफ्तेमें आपका पत्र आयेगा, यह सोचकर इस सप्ताह मैंने विस्तारपूर्वक पत्र नहीं लिखा। आपका पत्र पढ़कर सारा समाचार दूंगा। ठंड बहुत सख्त पड़ रही है। इससे ज्यादा पड़नेकी सम्भावना नहीं है। अलबत्ता, ज्यादा पड़ती तो है, मगर कभी-कभी। परन्तु इस सख्त ठंडमें ईश्वरकी

कृपासे मास-मदिराकी जरूरत मालूम नहीं होती। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। यस, हाल इतना ही है। मातृश्रीकी सेवामें शिर-साष्टांग दण्डवत पहुँचाइएगा। मेरी भाभीको दण्डवत।

डी० जी० तेन्दुलकर महात्मा, खड १, मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकलसे।

## ४ लंदन-दैनन्दिनीसे

जब गांधीजीके सम्बन्धी और साथी श्री छगनलाल गांधी १९०९ में पहली बार लंदन जा रहे थे, उस समय गांधीजीने उन्हें अपनी लंदनमें लिखी हुई दैनन्दिनी दे दी थी। उनका खयाल था कि शायद श्री छगनलाल गांधीको उसमें दिलचस्पी होगी और उससे उन्हें कुछ व्यावहारिक मदद मिलेगी।

दैनन्दिनी लगभग १२० पृष्ठोंकी थी। श्री छगनलालने १९२० में वह श्री महादेव देसाइको दे दी थी। परन्तु दनेके पहले उन्होंने एक बहीमें नीचे दी हुई सामग्रीकी हू-ब-हू नकल कर ली थी। यह मूल दैनन्दिनीके लगभग बीस पृष्ठोंमें थी। शेष १०० पृष्ठोंमें इन बीस पृष्ठोंके समान सिलसिलेवार सामग्री नदा थी, बल्कि १८८८ से १८९१ तकके लंदनवासमें दिन प्रतिदिन जो घटनाएँ होती थीं उनका उल्लेखमात्र था।

अब मूल प्रतिका पता नहीं चलता। श्री छगनलालकी नकल प्रकाशित करनेमें संपादकोंने सिर्फ जहाँ-कहीं हिज्जेकी गलतियाँ रह गईं था उन्हें ठीक कर दिया है। कहीं-कहा विरामचिह्न लगा दिये हैं, एक-आध शब्द जोड़ दिया है और पढ़नेमें सरलता हो इसलिए कहीं-कहीं लम्बी सामग्रीको अनुच्छेदोंमें बाँट दिया है।

गांधीजीने दैनन्दिनी अग्रेजीमें लिखी थी। उसे लिखनेके समय वे केवल १९ वर्षके थे और उनका अग्रेजी भाषाका ज्ञान विकसित हो ही रहा था।

लंदन

नवम्बर १२, १८८८

इंग्लैंड आनेवा इरादा किन कारणोंसे हुआ? घटना-मटल अप्रैलके लगभग अन्तमें खुलता है। अध्ययनके लिए लंदन आनेके इरादेने जब प्रत्यक्ष रूप ग्रहण किया उसके पहले ही मेरे मनमें यहाँ आने और लंदन देखकर अपनी जिज्ञासा तृप्त करनेना गुप्त मसूबा मौजूद था। जब मैं भावनगर कालेजमें पढ रहा था, जयशंकर बूचसे मेरी मामूली बातें हुई थी। बातोंके दौरानमें उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि तुम तो सोरठवे निवासी हो, इसलिए जूनागढ राज्यको लंदन जानेके



लिए छात्रवृत्ति की अर्जी दो। उस दिन मैंने उन्हें क्या जवाब दिया था, यह अब अच्छी तरह याद नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैंने छात्रवृत्ति पाना असम्भव समझा होगा। उस [समय]से मेरे मनमें इस भूमिका यात्रा करनेका इरादा जम गया था। मैं इस ध्येयका पूण करनेके साधन रोजता रहा।

तेरह अप्रैल, १८८८ को मैं भावनगरसे छुट्टियाँ मनानेके लिए राजकोट गया। पन्द्रह दिनकी छुट्टियाँके बाद मेर बड़े भाई और मैं पटवारी<sup>१</sup>में मिलने गये। लौटने पर मेरे भाईने कहा “चला, मावजी जोशी<sup>२</sup>से मिल आये।” इसलिए हम उनके यहाँ गये। मावजी जोशीने साधारण मुसल-प्रश्न करनेके बाद भावनगरमें मेरी पढाईकी बाबत कुछ पूछ-ताछ की। मैंने उन्हें साफ-साफ बताया कि मेरा पहले बपमें परीक्षा पास हा जाना मुश्किल ही है। मैंने यह भी कहा कि मुझे पाठ्यक्रम बहुत कठिन मालूम होना है। यह सुनकर उहाने मेरे भाईको मलाह दी कि वे, जैसे भी सम्भव हो, मुझे बैरिस्टरी पढनेके लिए लदन भेज दें। उन्होंने बताया कि खर्च सिर्फ ५,००० रुपये आयेगा। “यह अपन साथ थोड़ी उढदकी दाल ले जाये। वहाँ अपने लिए खुद कुछ खाना बना लिया करेगा। इससे कोई धार्मिक आपत्ति न होगी। यह बात किसीको बताओ मत। कोई छात्रवृत्ति पानेका प्रयत्न करो। जूनागढ और पोरबन्दर दाना राज्योका अर्जी भेज दो। मेरे लडके बेवलराम<sup>३</sup>में मिल लो और अगर तुम्हें आर्थिक सहायता पानेमें सफलता न मिले, और तुम्हारे पास भी खपया न हो, तो अपना साज-सामान (फर्नीचर) बेच डालो। परन्तु किसी भी तरह मोहनदासको लदन तो भेज ही दो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे स्वगवासी पिताकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेका एकमात्र उपाय यही है।” मावजी जोशी जो-कुछ भी कहते हैं उस पर हमारे परिवारके सभी लोगोको बडा भरोसा रहता है। और मेरे भाई तो स्वभावसे ही बडे भोत्रे हैं। उन्होंने मावजी जोशीसे मुझे लदन भेजनेका वादा कर दिया। अब मेरे प्रयत्नोकी बारी आई।

मेरे भाईने बातकी गुप्त रखनेका जो वचन दिया था उसके बावजूद उसी दिन खुशालभाई<sup>४</sup>से सब-कुछ कह दिया। बेशक, खुशालभाईने बात पसन्द की। शत इतनी ही थी कि मैं अपने धमका पालन कर सकू। उसी दिन

१ एक सज्जनका नाम।

२ गांधी कुटुम्बके मित्र, पुरोहित और सलाहकार।

३ काठियावाडके प्रमुख वकील।

४ गांधीजीके चचेरे भाई और श्री छगनलाल गांधी व श्री मगनलाल गांधीके, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके साथ काम किया था, पिता।

मेघजीभाई'को भी बता दिया गया। वे प्रस्तावसे विलकुल सहमत हो गये और उन्होंने मुझे ५,००० रुपये देनेकी तैयारी भी दिखाई। मुझे उनकी बात पर कुछ भरोसा हो गया था, परन्तु जब बात मेरी प्यारी माँके सामने प्रकट की गई तो उन्होंने मेरे इतने मोलेपन पर मुझे फटकार सुनाते हुए कहा कि समय आने पर तुम्हें उनसे कुछ भी रूपया न मिलेगा। उनका खयाल तो यह था कि वह समय ही कभी नहीं आयेगा।

उस दिन मुझे वेवलरामभाईके पास [जाना] था। मैं उनसे मिला। वहाँ मेरी बातचीत सन्तोषजनक नहीं रही। उन्होंने मेरे लक्ष्यको तो पसन्द किया परन्तु कहा यह कि "तुम्हें वहाँ कमसे कम दस हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे।" मेरे लिए तो यही एक बड़ा धक्का था, परन्तु उन्होंने आगे और कहा— "अगर तुम्हारे मनमें कोई धामिक् आग्रह है तो उनको तुम्हें छोड़ देना होगा। तुम्हें मास खाना पड़ेगा, दाराब पिये बिना भी काम न चलेगा। उसके बिना वहाँ तुम जी नहीं सकते। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतने ही ज्यादा होशियार बनोगे। यह बात बहुत महत्त्वकी है। मैं तुमसे साफ-साफ कहता हूँ। बुरा न मानना। पर देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो। लदनमें प्रलोभन बहुत है। तुम उनके फदेमें फँस जाओगे।" मुझे इस बातचीतसे कुछ खिन्नता हुई। परन्तु मैं एक बार इरादा कर लेने पर उसे सरलतासे छोड़ देनेवाला आदमी नहीं हूँ। उन्होंने अपनी बात कहते हुए श्री गुलाम मोहम्मद मुनशीका उदाहरण दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे छात्रवृत्ति पानेमें कोई सहायता कर सकते हैं? उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया और कहा— इसके अलावा आर सब-कुछ बहुत खुशीसे कहेंगा। मैंने अपने भाईको सब बातें बता दी।

अब मुझे अपनी प्यारी माँकी अनुमति प्राप्त करनेका काम सौंपा गया। मैं मानता था कि यह मेरे लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक-दो दिन बाद मैं और मेरे भाई श्री वेवलरामसे मिलने गये। उस समय वे बहुत काय-ब्यस्त थे, फिर भी हमसे मिले। एक-दो दिन पहले मेरी उनके साथ जैसी बातें हुई थी, वैसी ही बातें फिर हुई। उन्होंने मेरे भाईको सलाह दी कि मुझे पोरबन्दर भेजें। प्रस्ताव मान लिया गया। फिर हम लौट आये। मैंने हँसी-हँसीमें अपनी माँके सामने बात छोड़ी। हँसी देखते-देखते सच्ची बातमें बदल गई। फिर मेरे पोरबन्दर जानेके लिए दिन तय किया गया।

दो या तीन बार मैंने जानेकी तैयारी की, परन्तु कुछ-न-कुछ कठिनाई मागमें आती गई। एक बार म श्वेतरचन्द्रके साथ जानेवाला था, परन्तु रवाना होनेके एक घंटे पहले एक गम्भीर आकस्मिक दुघटना हा गइ। मैं हमेशा अपने मित्र शेख महताब<sup>१</sup>से झगडता रहता था। रवाना होनेके दिन मैं झगड़े-सम्बन्धी विचारोंमें बिलकुल डूबा हुआ था। रातको नजन-नगीतका कार्यक्रम था। मुझे उममें बहुत मजा नहीं आया। साढ़े दस बजे रातके लगभग कार्यक्रम समाप्त हुआ और हम सब मेघजीभाई और रामीसे मिलने गये। रास्तेमें चलना चलता एक ओर तो मैं लदनकी धुनमें डूबा हुआ था, दूसरी ओर शेख महताबके खयालोंमें। इस धुनमें मैं अजाने एक गाड़ीसे टकरा गया। मुझे कुछ चोट आई। फिर भी, चलनेमें मैंने किमीका सहारा नहीं लिया। मुझे लगता है, मेरा सिर चकरा रहा था और आंखोंके सामने बिलकुल अंधेरा छाया हुआ था। फिर हम मेघजीभाईके घरमें प्रविष्ट हुए। वहा फिरसे अजाने मैं एक पत्थरसे ठोकर खा गया और मुझे चोट आई। मैं बिलकुल बेहोश हो गया था। उस [समय]के बाद क्या-क्या हुआ, इसका पना मुझे नहीं चला। उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद कुछ कदम चलने पर मैं जमीन पर लोट-पाट हा गया था। पाँच मिनट तक मुझे कोई होश नहीं था। उन्होंने समझा कि मैं मर गया। परन्तु भाग्यवश जहाँ पर मैं गिरा था वहाँकी जमीन बिलकुल सपाट थी। आखिर मुझे होश आया और सबको खुशी हुई। माका बुलाया गया। उह मुझे देखकर बहुत दुःख हुआ और मद्यपि मने तो कहा कि मैं बिलकुल अच्छा हूँ, फिर भी यह मेरे लिए देरीका कारण बन गया। कोई मुझे जाने देनेका तैयार न हुआ। बादमें मालूम हुआ कि मेरी साहसी और अत्यन्त प्यारी माने तो मुझे जाने दिया होता, परन्तु उनका लोकापवादका डर था। अन्तमें बड़ी कठिनाईसे कुछ दिन बाद मुझे राजकोटसे पोरबन्दर जानेकी इजाजत मिली। रास्तेमें भी मुझे कुछ कठिनाइयोंका सामना करना पडा।

आखिर मैं पोरबन्दर पहुँच गया, और सबको बहुत खुशी हुई। गालभाई<sup>२</sup> और करसनदास<sup>३</sup> मुझे घर ले जानेके लिए खाड़ी-मुल पर आये थे। अब,

१ गांधीजीका स्वपनका मित्र, जिने सुधारनेका प्रयत्न उन्होंने वर्षों तक किया, परन्तु सफल नहीं हुए।

२ गांधीजीके चचेरे भाई।

३ गांधीजीके बड़े भाई।

पोरबन्दरमें पहले तो मुझे अपने चाचाकी अनुमति प्राप्त करनी थी, दूसरे, श्री लेली'को अर्जी देनी थी कि मुझे कुछ आर्थिक सहायता दी जाये, और अन्तमें, अगर राज्यसे छात्रवृत्ति न मिले तो, परमातन्दभाई'से कहना था कि वे मुझे कुछ रूपया दें। सबसे पहले मैंने चाचासे भेंट की और उनसे पूछा कि उन्हें मेरा लदन जाना पसन्द है या नहीं। स्वाभाविक था, जैसी कि मैंने अपेक्षा भी की ही थी, कि चाचाने मुझसे लदन जानेके फायदे गिनानेको कहा। मैंने अपनी शक्तिके अनुसार फायदे गिना दिये। तब उन्होंने कहा— "बेशक, इस पीढीके लोग इसे बहुत पसन्द करेगे, परन्तु जहाँतक मेरी बात है, मैं पसन्द नहीं करता। फिर भी, हम दादमें विचार करेगे।" इस प्रकारके उत्तरसे मुझे निराशा नहीं हुई। कमसे कम मुझे इतना ता सन्तोष हुआ कि कुछ भी हो, दिलसे वे बातको पसन्द करते हैं। और उनके कामसे सिद्ध हो गया कि मैंने जो सोचा था वह ठीक था।

मेरे दुर्भाग्यसे श्री लेली पोरबन्दरमें नहीं थे। सच ही है कि विपत्तियाँ कभी अकेली नहीं आती। श्री लेली जिलेके दौरे पर गये थे और वहाँसे लौटने पर वे तुरन्त छुट्टी पर चले जानेवाले थे। मेरे चाचाने मुझे अगले रविवार तक उनकी प्रतीक्षा करनेकी सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वे तबतक न लौटे तो जहाँ-वहाँ भी होंगे, वहाँ उनके पास तुम्हें भेज दूंगा। परन्तु मुझे यहाँ यह लिखते बहुत प्रसन्नता है कि वे रविवारको जिलेके दौरेसे लौट आये। फिर यह तय हो गया कि मैं उनसे सोमवारको मिलू। ऐसा ही हुआ। अपने जीवनमें पहली बार मैंने एक अग्रेज सज्जनसे मुलाकात की। इसके पहले मैंने अग्रेजोंके सामने जानेका साहस कभी नहीं किया था। परन्तु लदनके विचारोंने मुझे साहसी बना दिया था। मैंने गुजरातीमें उनके साथ थोड़ी-सी बातें की। वे बहुत जल्दीमें थे। वे मुझसे अपने बँगलेके ऊपरी खडके जीने पर चढते-चढते मिले थे। उन्होंने कहा कि पोरबन्दर रियासत बहुत गरीब है, इसलिए वह तुम्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सकती। फिर भी, उन्होंने कहा पहले तुम भारतमें स्नातक (ग्रैजुएट) बन जाओ, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें कोई आर्थिक सहायता दे सकता हूँ या



१ ब्रिटिश एजेंट, जो राजकुमारकी नाबालिगीके समय पोरबन्दर राज्यका प्रबन्ध करता था।

२ गांधीजीके चचेरे भाई।

नहीं। उनके ऐसे उत्तरसे मैं सचमुच विलकुल मायूस हो गया। मैंने उनसे ऐसे जवाबकी अपेक्षा नहीं की थी।

अब मेरा काम यह था कि परमानन्दभाईसे पाँच हजार रुपये माँग लू। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे चाचा तुम्हारा लदन जाना पसन्द करे तो मैं खुशीसे रुपये दे दूंगा। मैंने इसे जरा कठिन ही समझा। परन्तु मैं चाचाकी अनुमति निकाल लेने पर तुला हुआ था। मैं जब उनसे मिला उस समय वे किसी काममें व्यस्त थे। मैंने उनसे कहा — “चाचाजी, अब बताइए, आप मेरे लदन जानेके बारेमें सचमुच क्या सोचते हैं? मेरा यहाँ आनेका मुख्य उद्देश्य आपकी अनुमति हासिल करना ही है।” उन्होंने उत्तर दिया — “मैं अनुमति नहीं दे सकता। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तीर्थ-यात्रा पर जा रहा हूँ? फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे लोगोंका लदन जाना पसन्द है, तो क्या यह मेरे लिए धरमकी बात न होगी? तो भी, तुम्हारी माता और भाईको पसन्द है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।” मैंने कहा — “परन्तु आप जानते नहीं कि मुझे लदन जानेकी इजाजत न देकर आप परमानन्दभाईको मेरी आर्थिक सहायता करनेसे रोक रहे हैं।” मैंने ये शब्द कहे ही थे कि उन्होंने गुस्सा-भरी आवाजमें कहा — “ऐसी बात है? तू क्या जाने, छोकरे, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। वे जानते हैं कि मैं तुझे जानेकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। इसीलिए उन्होंने यह बहाना बनाया है। सच बात यह है कि वे कभी तुझे वैसी मदद नहीं करेंगे। मैं उह मदद करनेसे रोकता नहीं।” इस प्रकार हमारी बात समाप्त हो गई। फिर मैं खुश होकर परमानन्द-भाईके पास दौड़ा गया और मैंने उह अपने और चाचाके बीच जो बात हुई थी वह शब्दशः कह सुनाई। उसे सुनकर वे भी बहुत नाराज हुए। लेकिन साथ-साथ उन्होंने मुझे ५,००० रुपये देनेका वादा भी किया। जब उन्होंने यह वादा किया तो मैं खुशीसे फूला नहीं समाया। मुझे इस बातसे और भी ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने अपने बेटेकी शपथ खाकर यह वादा किया। अब, उस दिनसे मैं सोचने लगा कि मैं जरूर ही लदन जाऊँगा। थोड़े दिन पोरबन्दरमें ठहरा। मैं जितना ज्यादा ठहरा उतना ही ज्यादा यह वादा पक्का होता गया।

अब, मेरी गैरहाजिरीमें राजकोटमें जो-कुछ हुआ, वह इस प्रकार है। मेरा दोस्त शेख महताब, मैं कहूँ बड़ा करिश्मेबाज है। उसने मेघजीभाईको उनके वादेकी याद दिलाई और मेरे दस्तखतसे एक जाली पत्र तैयार किया,



पोरबंदरका मकान. जिममें गांधीजीका जन्म हुआ था



राजकोटका आल्फ्रेड हार्ड स्कूल, जहा गांधीजीने शिक्षा पाई थी

जिसमें उसने लिखा कि मुझे ५,००० रुपयेकी आवश्यकता है—आदि। वह पत्र उन्हें दिखलाया गया और वह सचमुच मेरा लिखा हुआ मान लिया गया। इस पर वे घमड़से फूल उठे और उन्होंने मुझे ५,००० रुपये देनेका गभीरताके साथ वादा किया। मुझे इसकी कोई सूचना राजकोट पहुँचने तक नहीं दी गई।

अब फिर पोरबन्दरकी बात। आखिर मेरी वापसीके लिए एक दिन निश्चित किया गया और मैं कुटुम्बके लोगोंसे विदा लेकर अपने भाई करसनदास और मेघजीके पिताके साथ—जो, सचमुच, कृपणताके अवतार ही थे— राजकोटके लिए रवाना हुआ। राजकोट जानेके पहले मैं मेज-कुर्सी आदि साजसज्जा बेच देने और घरके किरायेका सिलसिला तोड़ देनेके लिए भावनगर गया। मैंने यह सब सिर्फ एक दिनमें कर लिया। अपने पडोसके मित्रों और दयालु घर-मालकिनसे मैं जुदा हुआ तो उनकी आँखोंसे आँसू ढले बिना न रहे। मैं उनकी, अनोपरामकी और दूसरे लोगोंकी आत्मीयता कभी भूल नहीं सकता। यह सब करके मैं राजकोट पहुँचा।

परन्तु, तीन वषके लिए बाहर जानेके पहले मुझे बनल वाट्सन<sup>१</sup>से तो मिलना ही था। वे १९ जून, १८८८को राजकोट आनेवाले थे। मेरे लिए तो यह समय बहुत लम्बा था, क्योंकि मैं मईके आरम्भमें राजकोट पहुँच गया था। परन्तु लाचारी थी। मेरे भाईको बनल वाट्सनसे बहुत बड़ी आशा थी। सचमुच ये दिन बड़े कठिन गुजरे। रातको मैं अच्छी तरह सो नहीं सकता था। हमेशा स्वप्नोंके आश्रमण होते रहते थे। कुछ लोग मुझे लदन न जानेके लिए समझाते थे, कुछ जानेकी सलाह देते थे। कभी-कभी मेरी माँ भी न जानेको कहती। और बड़ी अजीब बात तो यह थी कि मेरे भाई भी अक्सर अपना मन बदलते रहते थे। इसलिए मैं विशकुकी स्थितिमें था। परन्तु सब लोग जानते थे कि एक बार किसी चीजको शुरू करने मैं छोड़ूँगा नहीं। इसलिए वे सब शान्त रहे। इसी बीच मेरे भाईने मेघजीभाईके वादेके बारेमें उनका मन टटोलनेकी बात मुझसे कही। परिणाम अवश्य ही बिलकुल निराशाजनक हुआ और उस समयसे वे सदा शत्रुवत् व्यवहार करते रहे। वे हर-किसीके सामने मेरी बुराई करते थे। परन्तु मैं उनके तानोकी पूरी तरह उपेक्षा करता रहा। मेरी अत्यन्त प्यारी माँ इसके लिए उन पर बहुत नाराज थी और कभी-कभी बेचैन भी हो उठती

१ राजकोटमें नियुक्त काठियावाड़के पोस्ट्रिकल धर्जेंट।



थी। परन्तु मैं सरलतासे उनका धैर्य बँधा सकता था। और मुझे यह महसूस करने सन्तोष है कि मैंने अक्सर उनका समाधान करनेमें सफलता पाई है, और जब वे, मेरी प्यारी-प्यारी माँ, मेरे लिए ब्राँसू बहाती होती, तब अक्सर मैं उन्हें दिलसे हँसा गया हूँ। आखिर बनल वाटसन आये। मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा—“मैं इस बारेमें सोचूँगा।” मगर मुझे उनसे कभी कोई मदद नहीं मिली। यह कहते मुझे अफसोस है कि उनके पाससे परिचयकी एक चिट्ठी पाना भी मेरे लिए कठिन हुआ था। उन्होंने बड़े दप मेरे स्वरमें कहा था कि उसका मूल्य तो एक लाख रुपये है। अब तो सचमुच उसे याद करके मुझे हँसी आती है।

तो, मेरी विदाईके लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया। पहले वह चार अगस्तका दिन था। अब सारा मामला नाजुक स्थितिमें पहुँच चुका था। मैं इंग्लैंड जानेवाला हूँ, इसका समाचार अखबारोंमें छप गया था। कुछ लोग मेरे भाईसे मेरे जानेके बारेमें हमेशा पूछा करते थे। अब समय आया जब कि भाईने जानेका इरादा छोड़ देनेके लिए मुझसे कहा। मगर मैं तो माननेवाला नहीं था। तब वे राजकोटके ठाकुरसाहब<sup>१</sup>से मिले और उन्होंने उनसे कुछ आर्थिक सहायता देनेका अनुरोध किया। परन्तु उनसे कोई सहायता नहीं मिली। फिर मैंने ठाकुरसाहब और बनल वाटसनसे आखिरी बार मुलाकात की। पहलेसे एक फोटो प्राप्त हुई, दूसरेसे परिचयकी एक चिट्ठी। यहाँ लिखे बिना काम न चलेगा कि इस समय मुझे जो पक्की खुशामद करनी पड़ी उससे मेरे मनमें गुस्सा भर गया था। अगर मुझे अपने भोले-भाले भाईका खयाल न होता तो मैंने ऐसी घोर खुशामदका आश्रय कदापि न लिया होता। आखिर १० अगस्तका दिन आया और मेरे भाई, शेख महताब, श्री नाथूभाई, खुशालभाई और मैं रवाना हुए।

मैं राजकोटसे बम्बईके लिए रवाना हुआ। वह शुक्रवारकी रात थी। मुझे मेरे स्कूलके साथियोंने एक मान-पत्र<sup>२</sup> दिया था। जब मान-पत्रका उत्तर देने खड़ा हुआ उस समय मैं बहुत उद्विग्न था। मुझे जो-कुछ बोलना था उसे आधा बोलनेके बाद मैं कापने लगा। आशा है कि भारत लौटनेके बाद फिर वैसा न होगा। मुझे चाहिए कि भाषण देनेके पहले उसे लिख लिया करूँ। उस रातको मुझे विदा करनेके लिए बहुत-से लोग आये थे। सबकी

१ राजकोटके राजा।

२ देखिय, पृष्ठ १।

बेबलराम, छगनलाल (पटवारी), ब्रजलाल, हरिशकर, अमूलस, रत्नीब, पोपट, भानजी, सीमजी, रामजी, दामोदर, मेपजी, रामनारणजी, रणछोडदास, मणिलाल उन लोगोमें शामिल थे। जटाश आदिको भी उनमें शामिल किया जा सकता है। पहला स्टेशन गोडल। वहाँ डाक्टर भाऊसे भेंट हुई और हमने बपूराईका अपने साथ ले लिया। नाथूभाई जेतपुर तक जाये। ढोलामें हमें उस्मानभाई मिले और वे बडवाण तक आये। वहाँ सर्वथी नारणदास, प्राणशकर, नरभेराम, आनन्दराय और ब्रजलाल विदाई देने आये थे।

मुझे २१ ता० को बम्बई छोडनी थी। परन्तु बम्बईमें जो बठिनाइयाँ चलेनी पडी वे अवणनीय हैं। मेरी जातिसे लोगाने मुझे आगे जानेस राखनेकी भरसक कोशिश की। उनमें लगभग सभी विरोधी थे। और अन्तमें मेरे भाई सुशाभाई और स्वयं पटवारीने भी मुझे न जानेकी सलाह दी। परन्तु मैं उनकी सलाह माननेको तैयार नहीं था। फिर समुद्री मौसमका बहाना बना, जिससे मेरे जानेमें देरी हुई। इसके बाद मेरे भाई और दूसरे लोग मेरे पाससे चले गये। परन्तु मैं अबस्मात् ४ सितम्बर, १८८८ को बम्बईसे रवाना हो गया। इस समय मैं सर्वथी जगमोहनदास, दामोदरदास और बेचरदासका बहुत आभारी था। शामलजीका भी निस्तन्देह मैं बहुत आभारी हूँ और रणछोडलालका क्या श्रण मुझ पर है, मैं जानता नहीं। वह बेबल आभारसे तो कुछ बडी धीज है। सर्वथी जगमोहनदास, मानशकर, बेचरदास, नारायणदास पटवारी, द्वारकादास, पोपटलाल, काशीदास, रणछाडलाल, मोदी, ठाकुर, रविशकर, फीरोजशाह, रतनशाह, शामलजी और कुछ अन्य लोग मुझे विदाई देनेके लिए क्लाइड जहाजके अन्दर आये। इनमें से पटवारीने मुझे पाँच रुपये, शामलजीने भी उतने ही, मोदीने दो, काशीदासने एक, नारणदासने दो रुपये दिये। कुछ और लोगाने भी दिये, परन्तु उनकी मुझे याद नहीं आनी। श्री मानशकरने मुझे चाँदीकी एक जजोर दी और फिर वे सब तीन बपके लिए विदाई देकर चले गये। इस प्रसंगको समाप्त करनेके पहले मुझे इतना तो लिखना ही चाहिए कि जिस स्थितिमें मैं था, उसमें अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह इलैड न देख सकता। जिन कठिनाइयोका

१ रणछोडलाल पटवारीके साथ गांधीजीकी बडी घनिष्ठता थी। उनके साथ गांधीजीका पत्र-व्यवहार था और उनके पिताने गांधीजीको लंदन जानेके लिए आर्थिक सहायता दी थी।

सामना मुझे करना पड़ा उनसे इग्लैंड मेरे लिए साधारण स्थितिमें जैसा होता उससे अधिक प्यारा बन गया है।

सितम्बर ४, १८८८। समुद्र-यात्रा। जहाजने लगभग ५ बजे शामको लगर उठाया। यात्राके बारेमें मुझे बहुत आशंका थी, परन्तु सीभाग्यमे वह मेरे अनुकूल पड़ी। सारी यात्रामें मुझे प्रवास-जन्य कष्ट नहीं हुआ और न उलटियाँ हुईं। मैंने अपने जीवनमें पहली ही बार भापके जहाज द्वारा यात्रा की थी। मुझे यात्रामें खूब मजा आया। लगभग ६ बजे ब्यालूकी घटी बजी। स्ट्यूअर्डने मुझे मेज पर जानेकी सूचना दी। परन्तु मैं गया नहीं। अपने साथ जो कुछ लाया था वही मैंने खा लिया। श्री मजमूदारने पहली ही रातको जिस स्वच्छन्दतासे मेरे साथ बरताव किया उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मेरे साथ ऐसे ढगसे बातें की, मानो हमारी पहचान बहुत पुरानी हो। उनके पास काला कोट नहीं था, इसलिए ब्यालूके लिए मैंने उन्हें अपना काट दे दिया। वे मेज पर गये। उस रातसे मैं उन्हें बहुत चाहने लगा। उन्होंने अपनी चाबियाँ मुझे सौंप दी और मैंने उसी रातसे उन्हें अपने बड़े भाईके समान मानना शुरू कर दिया। अदन तक हमारे साथ एक मराठा डाक्टर था। कुल मिलाकर वह एक अच्छा आदमी मालूम होता था। सो, दो दिनतक मैं उन फलों और मिठाइयों पर रहा जो मेरे पास जहाजमें थीं। बादमें श्री मजमूदारने जहाजके कुछ लडकोंके साथ यह प्रबन्ध कर लिया कि वे हमारे लिए भोजन बना दिया करें। मैं तो कभी भी ऐसा प्रबन्ध न कर सका होता। एक अब्दुल मजीद थे, जो पहले दर्जमें यात्रा कर रहे थे। हम सलून-यात्री थे। छोकरेका बनाया हुआ शामका भोजन हम खूब स्वादसे खाते थे।

अब थोड़ा-सा जहाजके बारेमें। मुझे जहाजकी व्यवस्था बहुत पसन्द आई। जब हम कोठरियों या सलूनोमें बैठते हैं तो हमें यह भान नहीं रहता कि ये कोठरियाँ और सलून जहाजके हिस्से हैं। कभी-कभी हमें जहाजका चलना महसूस ही नहीं होता। मजदूरों और खलासियोंका कौशल तो सराहनीय है। जहाजमें बाजे थे। मैं अक्सर पियानो बजाया करता था। ताश, शतरंज, और ड्रापटकी जोडिया भी थी। यूरोपीय यात्री रातको हमेशा ही कोई खेल खेला करते थे। छत (डेक) यात्रियोंके लिए बड़ी राहतकी चीज होती है। कोठरियोंमें बैठे-बैठे अक्सर मन ऊब उठता है। छत पर खुली हवा मिलती है। अगर आप नि सकोची हों और जरूरी लियाकत रखते हों तो साथी

यात्रियोंसे मिल-जुल सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। जब आसमान साफ होता है तब समुद्रका दृश्य बड़ा सुहावना होता है। एक रातको, जब चाँदनी छिटकी हुई थी, मैं समुद्रका अवलोकन कर रहा था। चन्द्रका प्रतिबिम्ब पानी पर पड़ रहा था। लहरोके कारण चन्द्रमा ऐसा दिखलाई पड़ता था मानो वह इधर-उधर डोलता हो। एक अँधेरी रातको, जब आसमान साफ था, तारोके प्रतिबिम्ब पानी पर दिखलाई पड़े। उस समय हमारे चारा ओरका दृश्य बड़ा सुन्दर था। पहले-पहल तो मैं अनुमान ही नहीं कर सका कि यह सब क्या है। ऐसा लगता था मानो इतने-सारे हीरे बिखरे हुए हों। परन्तु यह तो मैं जानता ही था कि हीरे तैर नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि ये कोई कीड़े हाने, जो रातको ही दीख पड़ते हैं। इन्हीं विचारामें डूबे हुए मैंने आसमानकी ओर देखा और फिर मैं समझा कि ये तो और कुछ नहीं, तारोके प्रतिबिम्ब हैं। मैं अपनी भूल पर हँस पड़ा। तारोकी ये परछाइयाँ आतिशबाजीकी कल्पना कराती हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी बँगलेकी छत पर खड़े हुए हैं और अपने सामने छत्नेवाली आतिशबाजियाँ देख रहे हैं। मैं अक्सर इस दृश्यका आनन्द लिया करता था।

कुछ दिनों तक मैंने साथी-यात्रियोंसे बिल्कुल बातचीत नहीं की। मैं हमेशा सुबह आठ बजे सोकर उठता था और दाँत धोकर, शौच आदिसे निवृत्त कर स्नान करता था। विलायती पाखानोकी व्यवस्था भारतीय यात्रियोंका ताज्जुबमें डालनेवाली थी। वहाँ पानी नहीं होता, वागजके टुकड़ोंसे काम चलाना पड़ता है।

लगभग पाँच दिन तक समुद्र-यात्राका आनन्द लेनेके बाद हम अदन पहुँचे। इस बीच हमें कहीं भूमि या पर्वतोका एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। हम सब समुद्र-यात्राके नीरस एक-सुरेपनसे ऊब गये थे और जमीन देखनेको आतुर थे। आखिर छठवें दिनके सवेरे हमें भूमि दिखलाई पड़ी। सब आनन्दित और प्रफुल्ल दीखने लगे। ग्यारह बजे सुबहके लगभग जहाजने अदनमें लगर डाला। कुछ लड़के छोटी-छोटी नावें लेकर आ गये। वे बड़े अच्छे तैराक थे। कुछ यूरोपीयोंने पानीमें पैसे फेंक दिये। इन लड़काने गहरी डुबकियाँ लगाकर उन पैसेको निकाल लिया। वाश, मैं भी इस तरह तैर सकता! वह दृश्य बड़ा सुहावना था। लगभग आधे घंटे तक उसका आनन्द लेनेके बाद हम अदन देखने गये। मैं वह दू कि हमने उन

लडकोको पीसे निवालते हुए सिफ देता, खुद हमने एक पाई भी नहीं फेंकी। इस दिनसे हमें इंग्लैंडके खचकी बल्पना होने लगी। हम तीन व्यक्ति थे, और नाववा भाडा दो रुपये देना पडा। किनारा तो मुश्किलसे शायद एक मील रहा होगा। हम १५ मिनटमें किनारे पर पहुँच गये। वादमें हमने एक गाड़ी की। हम अदनकी एक मात्र देखने लायक चीज पानीघर देखने जाना चाहते थे, परन्तु दुर्भाग्यसे समय हो गया और हम जा नहीं सके। हमने अदनका कैम्प देखा। अच्छा था। इमारतें अच्छी थी। आम तौर पर दुकानें ही थी। इमारतोंकी बनावट सम्भवत वही थी जो राजकोटके बंगलोकी और खास तौर पर पोलिटिकल एजेंटके नये बंगलेकी है। मन कोई कुआ या ताजे पानीका कोई दूसरा स्थान नहीं देखा। मुझे भय है कि, शायद ताजा पानी सिफ तालाबोसे आता है। घूप बडी तेज थी। मैं पसीनेमें डूबा हुआ था। इसका कारण यह था कि हम लाल सागरसे बहुत दूर नहीं थे। मैंने एक भी पेड या हरा पौधा नहीं देखा और इससे मुझे और भी आश्चर्य हुआ। लोग खच्चरों या गधों पर सवारी करते थे। अगर हम चाहते तो खच्चर किराये पर ले सकते थे। कैम्प पहाड पर है। जब हम लौटे तो नाववालोने बताया कि जिन लडकोके वारेमें मैंने ऊपर लिखा है वे कभी कभी घायल हो जाते हैं। समुद्रके जानवर कभी किसीके पैर और कभी किसीके हाथ काट लेते ह। परन्तु फिर भी, वे लडके इतने गरीब हैं कि अपनी छोटी छोटी नावों पर बैठ कर आ ही जाते हैं। हम तो उन नावों पर बैठनेका साहस ही नहीं कर सकते। हममें से हरएकको एक एक रुपया गाडी भाडा देना पडा। लगर १२ बजे दुपहरकी उठा और हम अदनसे रवाना हो गये। परन्तु उस दिनसे हमें रोज ही धरतीका कोई-न-कोई हिस्सा दिखलाई देता रहा।

शामको हम लाल सागरमें प्रविष्ट हुए। वहा गर्मी महसूस होने लगी। मगर बम्बईमें कुछ लोग जैसी बताते हैं वैसी भून देनेवाली गर्मी, मेरे खयालसे, वह नहीं थी। बेशक कोठरियोंमें वह असह्य थी। आप घूपमें रह नहीं सकते, कोठरीमें कुछ मिनट भी रहना पसन्द नहीं करेगे, मगर छत पर हो तो आपको ताजी हवाके सुखद झकोरे जरूर मिलेंगे। कमसे कम मुझे तो मिले। करीब-करीब सभी यात्री छत पर सोते थे, और मैं भी ऐसा ही करता था। प्रभात-सूयकी गर्मा भी आप सह नहीं सकते। छत पर आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। यह गर्मी लगभग तीन दिनतक रही।

बादमें, चौथी रातको हम स्वेज नहरमें दाखिल हुए। स्वेजके दीप हम बहुत दूरसे देख सकते थे। लाल सागर कहीं तो बहुत चौड़ा था, कहीं बहुत सँकरा — इतना सँकरा कि हम दोनों ओरकी भूमि देख सकते थे। स्वेज नहरमें दाखिल होनेके पहले हम 'हेल्सगेट' [ नरक-द्वार ] से गुजरे। 'हेल्सगेट' एक बहुत सँकरा जलभाग है, जो दोनों ओर पहाड़ोंसे बँधा हुआ है। उसे 'नरक-द्वार' इसलिए कहा जाता है कि बहुत-से जहाज वहाँ टकराकर नष्ट हो जाते हैं। हमने लाल सागरमें एक नष्ट हुआ जहाज देखा था। स्वेजमें हम लगभग आधा घंटा ठहरे। अब कहा जाने लगा कि हमें ठंड झेलनी होगी। कुछ लोगोंने कहा था कि अदनसे रवाना होनेके बाद तुम्हें शराबकी जरूरत पड़ेगी। मगर यह गलत निकला। जब मैंने सह-यात्रियोंसे थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अदनके आगे तुम्हें मासकी जरूरत पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने जीवनमें पहली बार मैंने अपने जहाजके आगे बिजलीकी रोशनी देखी। वह चादनी जैसी दिखाई पड़ती थी। उससे जहाजका सामनेका हिस्सा बड़ा सुन्दर लगता था। मुझे लगता है कि जो आदमी इसे किसी दूसरी जगहसे देखता होगा उसे यह और भी सुन्दर दिखलाई पड़ती होगी। यह बात ठीक वैसी ही है जैसे कि हम अपने शरीरके सौन्दर्यका इतना आनन्द नहीं ले सकते, जितना कि दूसरे ले सकते हैं, अर्थात्, हम उसे सराहक दृष्टिसे देख नहीं सकते। स्वेज नहरकी रचना मेरी समझमें नहीं आई। सचमुच वह अद्भुत है। जिस आदमीने इसका निर्माण किया है उसकी प्रतिभाकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे उसने यह किया होगा। कहना बिल्कुल ठीक ही है कि उसने प्रकृतिसे होड़ की है। दो समुद्रोंको जाड़ देना कोई सरल काम नहीं है। नहरसे एक समय पर सिर्फ एक जहाज निकल सकता है। इसने लिए कुशल मार्ग-दर्शनकी आवश्यकता होती है। जहाज बहुत धीमी चालसे चलता है। हमें उसके चलनेका कोई भान नहीं होता। नहरका पानी बिल्कुल गँदला है। मुझे उसकी गहराईकी याद नहीं। चौड़ी वह उतनी ही है जितनी रामनाथके पास आजी नदी है। दोनों ओर आप आदमियोंको चलते-फिरते देख सकते हैं। नहरके पासकी जमीन ऊसर है। नहर फ्रांसीसियोंकी है। जहाजको मार्ग दिखानेके लिए इस्माइलियासे दूसरा मार्ग-दर्शक (पाइलट) आता है। फ्रांसीसी लोग नहरसे गुजरनेवाले हर जहाजसे कुछ रुपया वसूल

करते हैं। यह आमदनी बहुत बड़ी होगी। जहाजके बिजलीके दीपकके अलावा लगभग २० फुटकी दूरी पर दोनों ओर और भी चिराग दिखाई देते हैं। ये चिराग अलग-अलग रंगोंके हैं। जहाज चिरागोंकी इन कतारोंको पार करके निकलता है। नहर पार करनेमें लगभग २४ घंटे लगते हैं। इस दृश्यकी खूबसूरती बखानना मेरी ताकतके बाहर है। उसे देखे बिना आप उसका आनन्द नहीं पा सकते। पोर्ट सईद इस नहरके अन्तिम सिरेका बन्दरगाह है। पोर्ट सईदका अस्तित्व ही स्वेज नहरके कारण है। हमारा जहाज शामको वहाँ रुका। वह एक घंटे ही वहाँ रुकनेवाला था, मगर एक घंटा उस बन्दरगाहको दर्शनके लिए बिलकुल काफी था। वहाँ ब्रिटिश सिक्कोका प्रचलन था। भारतीय सिक्के बिलकुल बेकार हो गये। नावका भाड़ा ६ पेंस फी-सवारी था। एक पेंस एक आनेके बराबर होता है। पोर्ट सईदकी इमारतोंकी रचना फ्रांसीसी है। वहाँ फ्रांसीसी जीवनकी झलक मिल जाती है। हमने कुछ काफी-घर देखे। एकको देखकर पहले-पहल तो मैंने सोचा कि कोई नाटक-घर है, मगर वह तो काफी घर निकला। उसमें एक ओर काफी, साडा, चाय या कोई भी दूसरे पेय-पदार्थ मिलते हैं, दूसरी ओर गाना-बजाना होता है। कुछ स्त्रियाँ चिकारो (फिडल्स)का वृन्द-वादन कर रही थीं। बम्बईमें लेमनेडकी जो बोतल एक आनेसे भी कममें मिलती है उसकी कीमत इन काफी घरोंमें—जिन्हें 'काफे' कहा जाता है— १२ आने (१२ पेंस) होती है। कहा जाता है कि ग्राहकोंका गाना-बजाना मुफ्तमें सुननेको मिलता है। मगर सचमुच बात यह नहीं है। जैसे ही गाना बजाना खत्म हुआ कि एक स्त्री रूमालसे ढँकी हुई एक तश्तरी लेकर हर एक ग्राहकके पास जाती है। मतलब यह होता है कि उसे कुछ दिया जाये और हम कुछ देनेके लिए बाध्य हो जाते हैं। हम 'काफे' में गये और उस स्त्रीको हमने ६ पेंस दिये। पोर्ट सईद विलासके केन्द्रके अलावा कुछ नहीं है। वहाँके स्त्री और पुरुष बड़े चालाक हैं। दुभाषिये आपको रास्ता दिखानेके लिए पीछे लग जायेंगे। मगर आप उनसे साफ-साफ कह दें कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। पोर्ट सईद मुश्किलसे राजकोटके 'परा' के बराबर होगा। हम सात बजे शामको पोर्ट सईदसे रवाना हुए।

हमारे सह-यात्रियोंमें से एक श्री जेफरीज मुक्ष पर बड़े मेहरबान थे। वे हमेशा मुक्षसे भेज पर जाने और कुछ खानेको कहा करते थे। मगर मैं

नही जाता था। उन्होने कहा कि ब्रिटिसी पहुँचनेके बाद तुम्हें ठंड मालूम पड़ेगी। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। तीन दिन बाद हम रातको ब्रिटिसी पहुँचे। ब्रिटिसीका बन्दरगाह बड़ा सुन्दर है। जहाज किनारे तक गया और हम लोग एक सीढीसे — जो इसीलिए लगा दी गई थी — किनारे पर उतर गये। [अंधेरा] होनेके कारण मैं ब्रिटिसीमें ज्यादा-बहुत नहीं देख सका। वहाँ सब लोग इतालवी भाषा बोलते हैं। सबके पत्यरोंसे पटी हुई है। गलिया उतार-बढाववाली हैं और उनपर भी पत्यरोंकी फर्शियाँ हैं। दीपकोके लिए गैसका उपयोग किया जाता है। हमने ब्रिटिसीका स्टेशन देखा। वह उतना सुन्दर नहीं था, जितने सुन्दर बम्बई-बडोदा और सेंट्रल इंडिया रेलवेके स्टेशन हैं। परन्तु रेलके डिब्बे हमारे डिब्बोंसे बहुत बड़े थे। यातायात वहाँ अच्छा है। अगर आप काले आदमी हैं तो जैसे ही ब्रिटिसीमें उतरेंगे, कोई आदमी आपके पास आयेगा और कहेगा “साहब, मेरे साथ आइए। एक बड़ी खूबसूरत लडकी है, साहब,— १४ बरसकी। मैं आपको उसके पास ले चलूंगा। भाव बहुत महंगा नहीं है, साहब।” आप एकदम चकरा जायेंगे। लेकिन शान्तिसे काम लीजिए और दृढताके साथ उसको जवाब दे दीजिए कि हमें उस लडकीकी जरूरत नहीं है। और उस आदमीसे चले जानेको कह दीजिए, तो आप सकुशल रहेंगे। अगर आप किसी कठिनाईमें पड जायें तो फौरन पासमें पुलिसका जा आदमी हो उससे कहिए। या, तुरन्त किसी एक बड़ी इमारतमें, जो आपको दिखलाई देगी ही, घुस जाइए। हाँ, घुसनेके पहले इमारत पर लिखा हुआ नाम पढ लीजिए और यह निश्चय कर लीजिए कि वह सबके लिए खुली हुई है। यह आप तुरन्त समझ सकेंगे। वहाँके अरदलीको बताइए कि आप कठिनाईमें हैं। वह तुरन्त आपको उससे निकलनेका रास्ता बतायेगा। अगर आपमें काफी हिम्मत हो तो अरदलीसे कहिए कि वह आपको मुख्य अधिकारीके पास ले जाये और आप उसको सब बात बताइए। बड़ी इमारतसे मेरा मतलब है कि वह टामस कुक, हेनरी किंग या ऐसे ही किन्हीं दूसरे एजेंटोंकी हो। वे आपकी हिफाजत करेंगे। उस समय कजूसी न करे। अरदलीको कुछ दे दें। परन्तु इस जरियेका सहारा तभी लेना चाहिए जब कि आप अपने-आपको खतरोंमें समझते हो। मगर ये इमारतें आपको सिर्फ समुद्र-तट पर ही मिलेंगी। अगर आप तटसे बहुत दूर हा तो पुलिसके आदमीको खोजिए। अगर वह न मिले तो फिर आपका अन्तरात्मा ही आपका सबसे अच्छा माग-दशक होगा। हम तहके ब्रिटिसीसे खाना हुए।



लगभग तीन दिन बाद हम माल्टा पहुँचे। जहाजने कोई दो बजे दुपहरको लगर डाला। वहाँ वह लगभग चार घंटे ठहरनेवाला था। श्री अब्दुल मजीद हमारे साथ बाहर जानेवाले थे। परन्तु किसी कदर उन्हें बहुत देरी हो गई। मैं जानेको बिलकुल अधीर था। श्री मजमूदारने कहा—“क्या श्री मजीदकी राह न देखें, हम अकेले चले चलें?” मैंने जवाब दिया—“जैसा आप ठीक समझें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” फिर हम दोनों ही चले गये। हमारे लौटने पर अब्दुल मजीदने कहा—“मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोग चले गये।” इस पर श्री मजमूदारने जवाब दिया—“ये गांधी ही अधीर हो गये थे। इन्होंने ही मुझे कहा था कि आपके लिए न ठहरें।” मुझे श्री मजमूदारके इस तरहके बरतावसे सचमुच बहुत चोट लगी। मैंने उस आरोपको धो डालनेकी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि चुपचाप उसे मजूर कर लिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सारा आरोप अब्दुल मजीदसे सिर्फ इतना इशारा करके सरलतासे धोया जा सकता था कि अगर श्री मजमूदार सचमुच ही आपके लिए ठहरना चाहते थे तो बेहतर होता कि वे मेरे कहनेके अनुसार न करते। और मैं समझता हूँ कि श्री अब्दुल मजीदको विश्वास दिला देनेके लिए कि इस काममें मेरा हाथ नहीं था, इतना ही काफी होता। मगर उस समय ऐसा कुछ करनेका मेरा इरादा नहीं था। फिर भी, उस दिनसे श्री मजमूदारके बारेमें मेरा खयाल बहुत नीचा हो गया और उनके लिए मेरे दिलमें कोई सच्चा आदर नहीं रहा। इसके अलावा भी दो-तीन बातें हुईं, जिनसे मजमूदार दिन प्रतिदिन मुझे कम भाते गये।

माल्टा एक दिलचस्प जगह है। वहाँ देखने लायक बहुत-सी चीजें हैं। मगर हमारे पास समय काफी नहीं था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, श्री मजमूदार और मैं तट पर गये थे। वहाँ एक बड़ा ठग हमें मिला। हमें बहुत हानि उठानी पड़ी। हमने नावका नम्बर ले लिया और शहर देखनेके लिए एक गाड़ी की। ठग हमारे साथ था। लगभग आधा घंटा चलनेके बाद हम सेंट जान गिरजेमें पहुँचे। गिरजाघर बड़ा सुन्दर बना था। वहाँ हमने कुछ प्रतिष्ठित लोगोंके अस्थिपजर देखे। वे बहुत पुराने थे। जिस साथीने हमें गिरजाघर दिखाया था उसको हमने एक शिल्प दिया। गिरजेके ठीक सामने सेंट जानकी प्रतिमा थी। वहाँसे हम शहरको चले। सबके फसादार थी और उनके दोनों ओर लोगोंके पैदल चलनेके लिए फसादार पटरियाँ बनी थीं। टापू बहुत सुन्दर है। उसमें बहुत-सी शानदार इमारतें हैं। हम दास्त्रास्त्र-भवन देखने गये। यह भवन बड़ी सुन्दरतासे सजा आ था। वहाँ हमने बहुत पुराने चित्र देखे। वे सिर्फ रंगसे बने हुए नहीं थे,

बल्कि वशीदावारीके थे। परन्तु किसी अनजान आदमीको किसीके बताये बिना मालूम नहीं होता कि ये वशीदावारीके हैं। वहाँ पुराने योद्धाआवे शस्त्रास्त्र रखे हुए थे। उनमें सभी देखने लायक हैं। मैंने लिख नहीं रखा, इसलिए मुझे उन सबकी याद नहीं है। परन्तु एक फौजी टोप (हल्मेट) था, जिसका वजन तीस पाँच था। नेपोलियन बोनापाटकी गाड़ी बड़ी सुन्दर थी। जिस आदमीने हमें भवन दिखाया उसे ६ पेंस इनाम दवर हम लौट पडे। गिरजाघर और शस्त्रास्त्र-भवन देखते समय आदर-प्रदशनये लिए हमें अपने टोप उतार लेने पडे थे। फिर हम उस ठगकी दूकान पर गये। उसने जवरन कुछ चीजें हमारे भत्ये मठ देनेका प्रयत्न किया। मगर हम कोई चीज खरीदनेको तैयार नहीं थे। आखिर श्री मजमूदारने २ शिलिंग ६ पेंसके माल्टाके चित्र खरीद लिये। यहाँ ठगने हमारे साथ एक दुभापियेको कर दिया और वह खुद नहीं आया। दुभापिया बहुत अच्छा आदमी था। वह हमें सतरा-बाग (आरेंज गार्डन्स) में ले गया। हमने बाग देखा। मुझे वह बिलबुल पसन्द नहीं आया। मुझे हमारा राजकोटका सावजनिक पाक उससे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे कुछ देखने लायक मालूम हुआ तो वह था एक छोटे-से कुडमें सुनहली और लाल मछलियाँ। वहासे हम राहको लौटे और एक होटलमें गये। श्री मजमूदारने कुछ आलू खाये और चाय पी। रास्तेमें हमारी भेंट एक भारतीयसे हुई। श्री मजमूदार बडे बेघडक आदमी थे, इसलिए उन्होने उस भारतीयसे बातें की। ज्यादा बातें करने पर मालूम हुआ कि वह माल्टाके एक दूकानदारका भाई है। हम फौरन उस दूकानमें गये। श्री मजमूदारने दूकानदारसे खूब बातें की। हमने वहाँ कुछ चीजें खरीदी और दो घटे उस दूकानमें ही बिता दिये। इससे हम माल्टाका बहुत-सा भाग देख नहीं पाये। हमने एक और गिरजाघर देखा। वह भी बहुत सुन्दर और देखने लायक था। हमें संगीत-नाटकघर (आपेरा हाउस) देखना था, पर उसके लिए समय नहीं बचा। उन सज्जनने श्री मजमूदारको अपने लदनवासी भाईके नाम अपना काड दिया और हम उनसे विदा लेकर वापस लौटे। लौटते समय वह ठग हमें फिर मिला और ६ बजे शामको हमारे साथ हो लिया। तट पर पहुँचने पर हमने उसे, उस अच्छे दुभापियेको और गाडीवानको पैसा दे दिया। नाववालेसे भाडेके बारेमें हमारी कुछ कहा-सुनी हो गई। नतीजा अलबत्ता उसके ही पक्षमें रहा। यहाँ हम खूब ठगे गये।

फ्लाइट जहाज ७ बजे शामको रवाना हुआ। तीन दिनकी यात्राके बाद हम १२ बजे रातको जिब्राल्टर पहुँचे। जहाज सारी रात वहाँ रुका रहा। मेरी

जिब्राल्टर देखनेकी बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने श्री मजमूदारको जगाकर उनसे पूछा कि वे मेरे साथ तट पर जायेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि जायेंगे। तब श्री मजीदके पास जाकर मैंने उन्हें जगाया। हम तीनों तट पर गये। हमारे पास सिर्फ डेढ़ घंटेका समय था। तड़का होनेके कारण सब दुकानें बन्द थी। कहा जाता है कि जिब्राल्टर तट-करसे मुक्त बन्दरगाह है, इस लिए वहाँ मिगरेट आदि घूमपानकी वस्तुएँ बहुत सस्ती मिलती हैं। जिब्राल्टर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। शिखर पर किला है। मगर हम उसे देख नहीं पाये, इसका बहुत अफसोस रहा। मकान कतारोंमें हैं। पहली कतारसे दूसरी कतारमें जानेके लिए कुछ सीढियाँ चढ़ना जरूरी होता है। मुझे वह बहुत पसन्द आया। रचना बहुत ही सुन्दर है। सड़कें पटी हुई हैं। समय न होनेसे हम जन्दा लोटनेके लिए लाचार थे। जहाज साठे आठ बजे सुबह रवाना हो गया।

तीन दिन बाद हम ११ बजे रातको प्लीमथ पहुँच गये। अब ठीक सर्दोका समय आ गया था। हर एक यात्री कहता था कि तुम लोग मास और शराबके बिना मर जाओगे। मगर ऐसा हुआ तो नहीं। ठंड तो सचमुच बहुत थी। हमें सूफानकी सूचना भी दी गई थी, मगर हम उसे नहीं देख पाये। दर असल मैं उसे देखनेको बहुत उत्सुक था, मगर देख नहीं सका। रात होनेके कारण हम प्लीमथमें कुछ भी देख नहीं सके। कुहरा घना था। आखिरकार जहाँ लदनके लिए रवाना हो गया। २४ घंटोंमें हम लदन पहुँचे। जहाज छोड़कर हम टिलबरी रेलवे स्टेशनसे २८ अक्टूबर, १८८८ के ४ बजे सायकाल विक्टोरिया होटलमें पहुँच गये।

शनिवार, १८ अस्तूषर, १८८८ से शुक्रवार, २३ नवम्बर

श्री मजमूदार, श्री अब्दुल मजीद और मैं विक्टोरिया होटलमें पहुँचे। श्री अब्दुल मजीदने विक्टोरिया होटलने आदमीसे कुछ धान दिखाते हुआ कहा कि वह हमारे गाड़ीवालेको मुनासिब बिराया दे दे। श्री अब्दुल मजीद अपने-आपको बहुत बड़ा समझत थे, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ कि वे जो बपट्टे पहने हुए थे वे सामान होटलने उस छोकरेके बपट्टेसे भी सराब थे। उन्होंने सामानकी भी कोई परवाह नहीं की और, जैसा कि लदनमें बहुत दिनछि रह रहे हो, वे होटलने अन्दर चले गये। होटलने ठाट-बाट देगनर में चकरा गया। मैंने अपनी जिन्दगीमें इतनी घात-शोषत कभी नहीं देखी थी। मेरा नाम घुपचाप अपने दोनों मित्रों पीछे-पीछे चलना मर था। सभी जगहोंमें विजलीकी बतियाँ थी। हमें एक

कमरेमें ले जाया गया। श्री मजीद एवम अन्दर चले गये। मंनेजरने उसी समय उनसे पूछा कि आपको दूसरा सड पसन्द होगा या नहीं। श्री मजीदन रोजाना भाडेके बारेमें पूछताछ करना अपनी शानके खिलाफ समझकर कह दिया—  
हैं। मंनेजरने फौरन प्रत्येकके नाम ६ सिग्लिंग रोजपा बिल वाटवर एक छोकरेको हमारे माय भेज दिया। मैं सारे समय मन ही मन हैसता रहा। अब हमें एक 'लिफ्ट' के जरिये दूसरे सडमें जाना था। मैं नहीं जानता था कि लिफ्ट क्या है। छोकरेने कोई चीज छुई जा, मैंने सोचा, दरवाजेका ताला होगा। परन्तु, जैसा कि मुझे बादमें मालूम हुआ, वह एक घटी थी, जो उसने लिफ्टके छोकरेको यह जतानेके लिए बजाई थी कि वह लिफ्ट ले आये। दरवाजा गोलका गया और मैंने सोचा कि यह कोई कमरा है, जिनमें हमें कुछ देर ठहरना होगा। लेकिन हमें उससे हमारे सडमें ले जाया गया और इस पर मुझे बहुत आश्चय हुआ।

[ अपूर्ण ]

## ५ पत्र श्री लेली'को

लंदन

दि. १८८८

श्रीमन्,

आप मेरा वह पत्र देखकर मुझे पहचान जायेंगे, जो मैंने आपसे मिलनेका अवसर पाने पर आपको दिया था। आपने उसे सुरक्षित रखनेका वादा किया था।

उस समय मने इंग्लैंड आनेके लिए आपसे कुछ जायिक सहायता मांगी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश आप जानेकी जल्दीमें थे। इसलिए मुझे जो-कुछ कहना था वह सब बहनेके लिए काफी समय नहीं मिला।

मैं, उस समय, इंग्लैंड आनेके लिए बहुत अधीर था। इसलिए मेर पास जो थोडा-बहुत पैसा था उसे लेकर मैं ४ सितम्बर, १८८८ को भारतसे रवाना

१ श्री लेलीके नाम एक पत्रका मसविदा, जो गांधीजीने अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधीके पास उनकी सम्पत्तिके लिए भेजा था।

हो गया। मेरे पिता हम तीनों भाइयोंके लिए जो-कुछ छोड़ गये थे वह तो बहुत थोड़ा था। मेरे भाई बहुत कठिनाईसे मेरे लिए लगभग ६६६ पाँड निकाल सकें। मैंने माना कि इतनी रकम लंदनमें तीन वर्ष रहनेके लिए काफी होगी। और म इंग्लैंडमें कानूनका अध्ययन करनेके लिए भारतसे खाना हो गया। भारतमें रहते हुए मुझे मालूम हो गया था कि लंदनमें रहना और शिक्षा प्राप्त करना बहुत खर्चीला होता है। परन्तु यहाँ दो माह रहकर मैंने अनुभव किया है कि वह भारतमें जितना मालूम हुआ था उससे भी ज्यादा खर्चीला है।

यहाँ आरामसे रहने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए मुझे ४०० पाँडकी और जरूरत होगी। मैं पोरबन्दरवा निवासी हूँ। ऐसी हालतमें वही एक स्थान है, जिससे मैं इस प्रकारकी सहायताकी अपेक्षा कर सकता हूँ।

महाराणा साहबके भूतपूर्व शासनमें शिक्षाको बहुत कम प्रोत्साहन दिया जाता था। परन्तु अब हमारा यह अपेक्षा करना स्वाभाविक ही है कि अंग्रेजोंके शासन प्रवर्धमें शिक्षाको प्रोत्साहन मिलेगा। मैं उन लोगोंमें हूँ जो ऐत प्रोत्साहनका लाभ उठा सकते हैं।

इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कुछ आर्थिक सहायता देनेकी कृपा करेंगे और इस तरह मेरी बहुत बड़ी जरूरत पूरी करके मुझे आभारी बनायेंगे।

मैंने अपने भाई लक्ष्मीदास गांधीको [ वह मदद ] ले लेनेके लिए लिखा है। मैं उन्हें एक पत्र भेज रहा हूँ कि अगर जरूरी हो तो वे खुद आपसे मिल लें।

मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करनेकी कृपा करेंगे। परम आदरके साथ—

आपका

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

इस तरह मैंने तीन हफ्ते हुए लिख रखा है, और विचार कर रहा हूँ। परन्तु विचार करते इस पत्रका जवाब आ जायेगा ऐसा मानकर यह मसविदा आपको भेजा है। इसमें मैंने पूरी मददकी माँग नहीं की, क्योंकि वह अनुचित मानी जायेगी। साथ ही, वे यह भी सोचेंगे कि अगर हमारी आशा पर गया होता, तब तो मदद मिले बिना न जाता। परन्तु यहाँ आनेके बाद यह सोचकर कि ज्यादा पैसेकी जरूरत होगी, बाकी पैसेकी मदद माँगी है। बचन आदि स्वीकार करनेकी बात लिखी ही नहीं, क्योंकि वह लिखनेकी

काई जल्दत नहीं थी। थोड़ी मददके लिए बघन स्वीकार करना ठीक नहीं। इसी तरह, यदि

[ अपूर्ण ]

महात्मा, सड १, एक फोटो-नकलसे।

६ पत्र कर्नल वाट्सनको

[ दिसम्बर, १८८८ ]

सेवामें

कर्नल जे० डबल्यू० वाट्सन  
पोलिटिकल एजेंट, काठियावाड

श्रीमन्,

मुझे इस देशमें आये लगभग छ या सात सप्ताह हुए हैं। इस बीचमें मैं यहाँ ठीक तरहसे जम गया हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई काफी अच्छी तरह शुरू कर दी है। मैं अपनी कानूनी शिक्षाके लिए इनर टेम्पलमें भरती हुआ हूँ।

आप भलीभाँति जानते हैं कि इंग्लैंडमें रहने-सहने बहुत खर्चीला है। मुझे जो थोड़ा-सा अनुभव हुआ है उससे मैं देखता हूँ कि भारतमें रहते हुए मैंने जितना समझा था उससे भी बहू ज्यादा खर्चीला है। आप जानते ही हैं कि मेरे साधन बहुत सीमित हैं। मेरा खयाल है कि मैं किसीकी सहायताके बिना तीन वर्षका पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकूँगा। जब मैं याद करता हूँ कि आपको मेरे पिताजीसे बहुत स्नेह था और आपने उह अपना मित्र बनाया था तो मुझे बहुत कम सन्देह होता है कि आप उनसे सम्बन्ध रखने-वाली बातोंमें भी वही दिलचस्पी रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे कोई ऐसी अच्छी मदद दिला देनेकी भरसक कोशिश करेंगे, जिससे इस देशमें मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनेमें सहूलियत हो। इस तरह आप मेरी भारी जल्दत पूरी करके मुझे बहुत आभारी बनायेंगे।

१ गुजरातीमें लिखा हुआ यह संदेश श्री लक्ष्मीदास गांधीके नाम था। उपयुक्त मसनिदा इसके ही साथ भेजा गया था।

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

कुछ दिन हुए मैंने डाक्टर बटलरसे भेंट की थी। वे मुझ पर बहुत मेहरबान हैं और उन्होंने वादा किया है कि वे जो भी मदद कर सकेंगे, सब करेंगे। अबतक मौसम बहुत उग्र नहीं रहा। मैं बहुत मजेमें हूँ। परम आदरके साथ—

आपका विश्वस्त  
मो० क० गांधी

महात्मा, खण्ड १, एक अंग्रेजी फोटो-नकलसे।

## ७ भारतीय अन्नाहारी

सम्भवतः ये गांधीजीके लिखे हुए सबसे पहले लेख हैं। इनका प्रकाशन वेजिटेरियन में हुआ था। ये अंग्रेजीमें थे।

१

भारतमें ढाई करोड़ (२५ मिलियन) लोग निवास करते हैं। वे भिन्न-भिन्न जातियों और धर्मोंके हैं। इंग्लैंडके जो लोग भारत नहीं गये, या जिन्होंने भारतीय मामलोंमें बहुत कम दिलचस्पी ली है, उनका सामान्य विश्वास यह है कि सारे भारतीय जमसे ही अन्नाहारी—अथवा निरामिष-आहार—हैं। यह केवल आशिक रूपमें सही है। भारतके निवासी तीन मुख्य वर्गोंमें बँटे हुए हैं। वे वग हैं—हिन्दू, मुसलमान और पारसी। हिन्दू और भी चार मुख्य वर्गोंमें बँटे हुए हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सबमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो केवल ब्राह्मण और वैश्य ही शुद्ध अन्नाहारी हैं, परन्तु व्यवहारमें प्रायः सभी भारतीय अन्नाहारी हैं। कुछ लोग तो स्वेच्छासे अन्नवा आहार करनेवाले हैं, परन्तु शेषके लिए अन्नाहार अनिवार्य है। इनमें से दूसरे वर्गके लोग मांस खानेके इच्छुक तो हमेशा रहते हैं, परन्तु वे गरीब इतने हैं कि मांस खरीद नहीं सकते। भारतमें हजारों लोगोंको केवल एक पैसे (३/४ पैसे) रोज पर गुजारा करना पड़ता है। यह वस्तु-

१ मूल अंग्रेजीमें '२५० मिलियन' की जगह '२५ मिलियन' दिया है, जो स्पष्ट छपाईकी भूल है।

स्थिति मेरे कथनकी पुष्टि करनेवाली होगी। ये लोग सिर्फ रोटी और भारी कर-लद नमक पर निर्वाह करते हैं, क्योंकि भारत जैसे दरिद्रता-ग्रस्त देशमें भी एक पैसेमें खाने योग्य मास मिल जाना अगर बिलकुल असम्भव नहीं तो बहुत कठिन जरूर होगा।

अब इस प्रश्नका निणय हो जानेके बाद कि भारतमें अन्नाहारी लोग कौन हैं, स्वाभाविक प्रश्न यह उठेगा कि वे जिस अन्नाहार सिद्धान्तका पालन करते हैं वह क्या है? पहले तो, भारतीयोंके अन्नाहारका अर्थ शाक-सब्जी, अडा और दूधका आहार नहीं है।<sup>१</sup> भारतीय—अर्थात् भारतीय अन्नाहारी—मास, मछली और मुर्गीके अलावा अडे खानेसे भी परहेज करते हैं। उनका तब यह है कि अडा खाना जीवहत्या करनेके बराबर है, क्योंकि यदि अडेको छोड़ा न जाये तो स्पष्ट है कि उससे बच्चा पैदा होगा। परन्तु जिस तरह यहाँके कट्टर अन्नाहारी दूध और मक्खनसे भी परहेज करते हैं, वैसे भारतीय अन्नाहारी नहीं करते। उलटे, वे तो उन्हें फलाहार—उपवास—के दिनोमें सेवन करने योग्य पवित्र वस्तुएँ मानते हैं। ये फलाहारके दिन हर सप्ताहमें आते हैं और ऊँची जातियोंके हिन्दू सामान्य रूपसे इनका पालन करते हैं। उनका कहना है कि हम गायका दूध लेकर उसकी हत्या नहीं करते। गो-दोहनको तो भारतमें काव्य और चित्र-बलाका विषय बना लिया गया है और, निश्चय ही, उससे कोमलतम भावनाओंको भी घसका नहीं पहुँच सकता, जैसा कि गो-वधसे पहुँचता है। यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि हिन्दू लोग गायको पूजनीय मानते हैं और वधके हेतु गायको जो निर्यात किया जाता है उसे रोकनेके लिए एक आन्दोलन तेजीके साथ जोर पकड़ रहा है।

वेजिटेरियन, ७-२-१८९१

२

साधारणतः भारतीय अन्नाहारियोंका भोजन उनके अपने-अपने प्रदेशके अनुसार भिन्न होता है। इस तरह बंगालका मुख्य आहार चावल है, जब कि बम्बई प्रदेशका गेहूँ है।

<sup>१</sup> मूल अंग्रेजीमें 'बी० ई० एम० डाक्ट' दिया है, जिसका पूरा रूप है 'वेजिटैबल्स, एन्ड एंड मिन्क डाक्ट'।



आम तौर पर गारे भारतीय—और विशेषतः प्रौढ़ लोग और उनमें भी ऊंची जातियोंके हिन्दू—दिनमें दो बार भोजन करते हैं। दोनों बारके भोजनके बीच जब-कभी प्यास लगती है, वे एक-दो गिलास पानी पी लेते हैं। पहली बारका भोजन व लगभग दस बजे सुबह करते हैं। यह इंग्लैंडके सामके मुख्य भोजन (डिनर)के जैसा होता है। दूसरी बारका भोजन रातको लगभग आठ बजे किया जाता है। जहाँतक नामका सम्बन्ध है, वह इंग्लैंडकी ब्यालू (सपर) के समान हाता है। परन्तु यह हल्का आहार नहीं, भरपूर भोजन होता है। साधारणतः भारतके लोग छ बजे और इससे भी जल्दी चार या पाँच बजे सुबह जागृत हैं। यह देखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि उन्हें कलेवाकी जरूरत पड़ती होगी। परन्तु, जैसा कि ऊपरके विवरणसे स्पष्ट हो गया होगा, वे कलेवा नहीं करते और न दुपहरका साधारण भोजन ही करते हैं। पर निस्संदह कुछ पाठकाका आश्चय होगा कि वे अपने पहले भोजनके बाद नौ घंटा तक कुछ भी खाने बिना कसे रहते हैं। हमने दो उत्तर हाँ सक्ने हैं—पहला तो यह कि आदत दूसरा स्वभाव है। कुछ लोगोंका धर्म आदेश देता है और कुछ लोगोंके धर्म तथा रीति रिवाज बाध्य करते हैं कि वे दिनमें दो बारसे ज्यादा भोजन न कर। दूसरे, कुछ स्थानाका छोड़कर सारे भारतकी आवश्यकता बहुत गम है। यह उपर्युक्त आदतका कारण हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंडमें भी देखा जाता है कि सर्दियों मौसममें भोजनकी जितनी मात्रा आवश्यक होती है उतनी ही गर्मियों मौसममें आवश्यक नहीं होती। इंग्लैंडमें जिस तरह भोजनका प्रत्येक पदार्थ अलग अलग ग्रहण किया जाता है, वैसा भारतीय नहीं करते। वे अनेक पदार्थोंको एक-साथ मिला लेते हैं। कुछ हिन्दुओंमें तो सब पदार्थोंको एक-साथ मिला लेना धार्मिक विधि होता है। इसके अतिरिक्त, भोजनका प्रत्येक पदार्थ बड़े आडम्बरके साथ बनाया जाता है। मन्त्र यह है कि भारतीय सारी उबली हुई धाक-सब्जियोंके सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करते, बल्कि उन्हें अच्छी खासी मात्रामें नमक, मिर्च, हल्दी, राई, लौंग और तरह-तरहके दूसरे मसाले डाल कर स्वादिष्ट बना लेते हैं। अंग्रेजीमें उन सारे मसालोंके नाम दवाइयोंके नामोंमें ही मिल सकते हैं, उनके बाहर पाना कठिन है।

पहले भोजनमें साधारणतः रोटियाँ या चपातियाँ—जिनके बारेमें बादमें अधिक लिखा जायेगा—थोड़ी-सी दाल, जैसे अरहर या सेम आदिकी, और अलग-अलग या एक-साथ पकी हुई दाल या तीन हरी सब्जियाँ होती हैं।

इसके बाद पानीमें पकी हुई और मसालोंसे स्वादिष्ट बनी दाल और चावल खाते हैं। अन्तमें कुछ लोग दूध या चावल या केवल दूध या दही या, विशेषत गर्मके दिनमें, छाँछ भी लेते हैं।

दूमरे भोजन या ब्यालूमें अधिकतर पहले भोजनके ही पदार्थ हात हैं। परन्तु उनकी मात्रा और शाक-सन्निध्योंकी संख्या कम होती है। दूधका उपयोग अधिक मात्रामें किया जाता है। यहाँ पाठकोंका याद दिला दूं कि यही भारतवासियोंका निश्चित भोजन नहीं है। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यही पदार्थ सारे भारतके और सब वर्गोंके आहारके नमूने हैं। उदाहरणके लिए, नमूनेके इन आहारोंमें मिठाई नहीं गिनाई गई, जब कि सम्पन्न वर्गोंमें हफ्तेमें एक बार तो मिठाई जरूर ही खाई जाती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बम्बई प्रदेशमें चावलसे अधिक गेहूँ खाया जाता है, बंगालमें गेहूँसे अधिक उपयोग चावलका होता है। यही बात तीसरे अपवादके बारेमें भी है, जिससे कि नियम सिद्ध हो जाना चाहिए—मजदूर-वर्गका आहार उपर्युक्त आहारसे भिन्न है। यदि सब प्रकारके आहारोंकी चर्चा की जाये तो बहुत विस्तार हो जायेगा और बँसा करनेसे, भय है, लेखकी सारी रोचकता मारी जायेगी।

रमोईके कामोंमें मकखन या, या कहिए कि, घीका जितना उपयोग इंग्लैंड या सम्भवत सारे यूरोपमें किया जाता है उससे भारतमें वही अधिक हाता है। और, इस विषयमें कुछ अधिकार रखनेवाले एक डाक्टरके कथनानुसार, इंग्लैंडकी जैसी ठीकी आबहवामें मकखनका बहुत उपयोग जैसा हानिकारक हो सकता है वँसा भारतकी जैसी गम आबहवामें नहीं हो सकता, फिर भले ही वह गुणकारी भी न हो।

शायद पाठक महसूस करेंगे कि आहारके उपर्युक्त नमूनामें फलोंका—हाँ, सबमहत्त्वपूर्ण फलोंका—अभाव खेदजनक और खटकनेवाला है। इसके अनेक कारणोंमें से कुछ ये हैं कि भारतीय फलोंका उचित महत्त्व नहीं जानते, गरीब लोगोंमें अच्छे फल खरीदनेका सामर्थ्य नहीं है और बड़े-बड़े शहरोंको छोड़कर शेष सारे भारतमें अच्छे फल प्राप्य नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसे फल जरूर हैं जो यहाँ नहीं पाये जाते और जिनका उपयोग भारतके सब वर्गोंके लोग करते हैं। परन्तु खेदकी बात है कि उनका सेवन ऊपरी चीजोंके रूपमें किया जाता है, भोजनके रूपमें नहीं। रासायनिक दृष्टिसे उनके गुणोंकी जानकारी किसीको नहीं है, क्योंकि उनके विश्लेषणका कष्ट कोई नहीं उठाता।

पिछले लेखमें चपातिया या रोटियोकी बाबत "बादमें अधिक" लिखनेका वादा किया गया था। ये रोटियाँ आम तौर पर गेहूँके आटेकी बनाई जाती हैं। पहले गेहूँको हाथ-चक्कीमें पीस लिया जाता है। हाथ-चक्की गेहूँ पीसनेका बिलकुल सादा उपकरण होती है, यन्त्रसे चलनेवाली मिल नहीं। गेहूँका यह आटा मोटी चालनीसे चाला जाता है, जिससे मोटा-मोटा चोकर अलग हो जाता है। हाँ, गरीब वर्गोंमें चालनेकी यह प्रिया नहीं की जाती। यह आटा ठीक वही तो नहीं होता जिसका उपयोग यहाँके अन्नाहारी करते हैं, फिर भी यहाँ बुरी तरहसे काममें आनेवाली 'सफेद डबल रोटी'के आटेसे कहीं अच्छा होता है। लगभग आधा सेर आटेमें चायका चम्मचभर शुद्ध किया हुआ अर्थात्, उवाल और छानकर ठंडा किया हुआ मक्खन [घी] मिला दिया जाता है, यद्यपि जब मक्खन बिलकुल शुद्ध हो तब यह क्रिया व्यर्थ होती है। फिर काफ़ी पानी डालकर आटेको हाथोंसे तबतक माडा जाता है जबतक कि उसका एक समरस लादा नहीं बन जाता। बादमें इस लोदेको टैजियरके सतरेके बराबर छोटी-छोटी, समान आकारकी, लोइयाँ बनाई जाती हैं। इन लोइयोंको इसी कामके लिए खास तौरसे बने हुए लकड़ीके बेलनसे बेला जाता है और लगभग ६-६ इंच व्यासकी पतली, गोलाकार चकतियाँ [चपातियाँ] बनाई जाती हैं। प्रत्येक चपाती तवे पर अलग-अलग अच्छी तरह सेंकी जाती है। इस प्रकार एक चपातीको सेंकनेमें पाँचसे लेकर सात मिनट तक लगते हैं। यह चपाती या रोटी मक्खन [घी]के साथ गम-गम खाई जाती है और बड़ी स्वादिष्ठ होती है। इसे बिलकुल ठंडी हो जाने पर भी खाया जा सकता है, और खाया जाता है। अंग्रेजोंके लिए जैसा मास है, भारतीयोंके लिए वैसी ही रोटी है—मासाहारी लोग भी मासको स्वतंत्र आहारके रूपमें आवश्यक नहीं समझते, बल्कि यो कहें कि, रोटियाँ खानेमें मदद देनेवाली वस्तुके रूपमें, शाक-सब्जी [सालन]के तौर पर, खाते हैं।

यह है खुशहाल भारतीयोंके साधारण आहारकी रूप-रेखा—और रूप रेखा मात्र। अब एक सवाल पूछा जा सकता है—“क्या ब्रिटिश शासनसे भारतीयोंकी आदतोंमें कोई फ़क नहीं पड़ा?” जहाँतक भोजन और पेयोंका सम्बन्ध है, “हाँ” और “नहीं”। “नहीं,” क्योंकि साधारण स्त्री-पुरुषोंने अपने मूल आहार और आहारोकी सख्या कायम रखी है। “हाँ,” क्योंकि जिन

लोगोंने थोड़ी-सी अंग्रेजी सीख ली है उन्होंने इक्के-दुक्के अंग्रेजी विचार ग्रहण कर लिये हैं। परन्तु यह परिवर्तन भी बहुत दिखलाई नहीं पड़ता। और, यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय करनेका काम पाठकोंके लिए ही छोड़ना होगा।

यह धम कलेवाकी जरूरतको मानने लगा है। कलेवामें मामूली तौर पर एक-दो प्याले चाय ही होती है। इससे हम "पेयो" के प्रश्न पर आ जाते हैं। तथाकथित शिक्षित भारतीयोंमें, मुख्यतः ब्रिटिश शासनके कारण, चाय-बाफीका जो प्रचार हुआ है उसका बम-से-बम जिक्र करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चाय-बाफी तो अधिकसे अधिक इतना ही कर सकती है कि थोड़ा-सा फालतू खच घड़ा दे, और बहुत ज्यादा पीने पर स्वास्थ्यमें सामान्य कमजोरी पैदा कर दे। मगर ब्रिटिश शासनकी जिन बुराइयोंको सबसे ज्यादा महसूस किया गया है, उनमें से एक है शराबका—मानव जातिके उम शत्रु का, सम्यताके उस अभिशापका—विभिन्न रूपोंमें भारतमें आगमन। दूसरोसे सीखी हुई इस आदतकी बुराईका अन्दाजा तब लगेगा जब पाठक जान लें कि धार्मिक निषेधके बावजूद यह शत्रु भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक फैल गया है, क्योंकि मुसलमान तो, अपने धमके मुताबिक, शराबकी बोतल छू लेने मात्रसे ही नापाक हो जाता है और हिन्दुओंके धमने हर एक रूपमें शराबके उपयोगका कठोर निषेध किया है। फिर भी, अफसोस! ऐसा मालूम होता है कि सरकार उसे रोकनेके बजाय उसके प्रचारमें मदद और प्रोत्साहन दे रही है। भारतके गरीब लोग, जैसा कि सभी जगह होता है, इससे सबसे अधिक पीड़ित हैं। अपनी थोड़ी-सी कमाईको अच्छा भोजन और जरूरतकी दूसरी चीजें खरीदनेके बदले शराब पर खर्च कर देनेवाले वे ही हैं। वे अभागे गरीब ही हैं, जिन्हें पी-पी कर अपने-आपको बरबाद करने और अकाल मृत्यु मर जानेके लिए अपने कुटुम्बको भूखा मारना पड़ता है, और अगर उनके कोई बाल-बच्चे हों तो उनकी देख रेख करनेके पवित्र कर्तव्यका भंग करना पड़ता है। यहाँ वैरोके भूतपूर्व सदस्य मि० वेनवी प्रशासमें यह कहा जा सकता है कि वे इस बुराईके फैलावके खिलाफ अब भी अपना धमयुद्ध अविचल रूपसे जारी किये हुए हैं। परन्तु एक उदासीन और सोई हुई सरकारकी अकम्प्यताके खिलाफ एक मनुष्यकी शक्ति, फिर वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या कर सकती है?

अब पाठशालाको मालूम हो चुका है कि भारतमें अन्नाहारी कौन हैं और आम तौर पर वे क्या खाते हैं। इससे बाद, नीचे लिखी हकीकतसे वे निणय कर सकेंगे कि अन्नाहारी हिन्दुअधि शरीर कमजोर होनेके वारेमें कुछ लोग जो तब बरत हैं वे बितने निराधार और पोचे हैं।

भारतीय अन्नाहारियाके वारेमें जो एक बात अन्तर नहीं जाती है सा यह है कि वे शारीरिक दृष्टिसे बहुत दुबल हैं और, इसका अर्थ है कि, अन्नाहार शारीरिक शक्तके साथ मेल नहीं खाता।

अब, अगर यह सिद्ध किया जा सके कि भारतमें अन्नाहारी लग भारतीय भासाहारियोंसे — और यो कहिये कि, अंग्रेजोंसे भी — अधिक हूट-मुट नहीं ता उनके बराबर जरूर हैं और, इसके अलावा, जहा-कही दुबलता देखनेमें आती है वहा उसका कारण निरामिष आहार नहीं, बल्कि कुछ और ही है, तो उपयुक्त दलीलका सारा आधारभूत ढाँचा ही ढह जायेगा।

आरभमें यह स्वीकार करना ही होगा कि हिन्दू लोग साधारणत इतने दुबल हैं कि वे अपनी दुबलताके लिए कु-स्वात हो गये हैं। परन्तु कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति — भले ही वह मासाहारी हो — जो भारत और उसके लोगोंको जरा भी जानता है, बता सकेगा कि इस लोच विश्रुत दुबलताके अन्य अनेक कारण हैं जो लगातार अपना काम करते रहते हैं।

वाल विवाहकी दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा और उससे पैदा होनेवाली बुराईया ऐसा ही एक कारण है। यह अगर अपने-आपमें सबसे महत्वपूर्ण नहीं, तो सबसे महत्वपूर्ण कारणोंमें एक जरूर है। आम तौर पर जब बच्चे नौ बरसकी 'महान' आयु प्राप्त करते हैं, उन पर विवाहित जीवनकी वेडियोका भार लाद दिया जाता है। बहुत-से तो और भी छोटी उम्रमें ब्याह दिये जाते हैं और कुछकी सगाई उनके जन्मके पहले ही कर दी जाती है। अर्थात्, एक स्त्री दूसरी स्त्रीसे वादा कर देती है कि यदि मेरे लडका और तुम्हारे लडकी हुई या मेरे लडकी और तुम्हारे लडका हुआ तो हम दोनोंका विवाह कर देंगे। अलबत्ता, अन्तकी इन दोनों हालतामें विवाहकी रस्म बच्चेके १०-११ वष पूरे कर लेने तक अदा नहीं की जाती। ऐसे मामलोंके उल्लेख मिलते हैं जिनमें १२ वषकी पत्नीके १६-१७ वषके पतिसे सन्तानोत्पत्ति हुई, है। क्या बलवानसे बलवान शरीर पर भी इन विवाहोका बुरा असर नहीं पड़ेगा?

अब जरा कल्पना कीजिए कि इस प्रकारके विवाहोंसे उत्पन्न सन्तति कितनी दुबल होगी। फिर खयाल कीजिए उन चिन्ताभावा, जो ऐसे दम्पतीको डोनी पडेंगी। मान लीजिए कि किसी ११ बपके बालकका विवाह लगभग उसी उम्रकी बालिकाके साथ कर दिया जाता है। अब, लडका तो जानता ही नहीं कि पति बननेका अर्थ क्या है, उसे जानना चाहिए भी नहीं, फिर भी उसके एव पत्नी हो जाती है, जो जबरन उसके गले मढ दी गई है। वह अपने स्कूल तो जाता ही है और स्कूलकी बेगारके साथ-साथ उसे अपनी बाल-पत्नीकी देखभाल भी करनी पडती है। उसका भरण-पोषण तो नहीं करना पडता, क्योंकि भारतमें विवाहित लडकोका अपने माता-पितासे अलग हो जाना जरूरी नहीं होता। हाँ, आपसमें धनतो न हो तो बात अलग होती है। परन्तु भरण-पोषण छोडकर उन्हें अपनी पत्नियोंके लिए सब-कुछ करना पडता है। फिर विवाहके लगभग छ वर्ष बाद, मान लीजिए, उसको लडका हो गया। शायद उस समय तक उसकी पढाई भी पूरी नहीं हुई। और उसे सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चेके भी भरण-पोषणके लिए रुपया कमानेकी चिन्ता लग गई, क्योंकि वह अपना सारा जीवन अपने पिताके साथ व्यतीत करनेकी आशा तो नहीं कर सकता। और मान लिया जाये कि वह पिताके आश्रयमें रहता ही है, तो भी उमसे इतनी अपेक्षा तो की ही जायेगी कि वह अपनी पत्नी और बच्चेके भरण-पोषणमें कुछ हाथ बँटाये। तब क्या अपने तत्त्वका ज्ञान-मात्र ही उसके मनको खा-खाकर स्वास्थ्य को कमजोर न कर देगा? क्या कोई यह कहनेका साहस कर सकता है कि इससे तगडेसे तगडा धरीर भी बरबाद न हो जायेगा? परन्तु यह तक बखूबी किया जा सकता है कि अगर इस उदाहरणका लडका मासाहारी होता तो जितना पुष्ट रहा उससे अधिक पुष्ट रहता। इस दलीलका उत्तर उन क्षत्रिय राजाओंके जीवनसे मिल सकेगा, जो कि मासाहार करते हुए भी ध्यभिचारके कारण बहुत दुबल पाये जाते हैं।

फिर भारतके ग्वाले इस बातके अच्छे उदाहरण हैं कि जहाँ दूसरे प्रतिकूल तत्व काम नहीं करते वहाँ भारतीय अन्नाहारी कितने मजबूत हो सकते हैं। भारतका ग्वाला भीमसेनी धरीर-दृष्टिका और बहुत अच्छे गठनवाला हाता है। अपनी मोटी, मजबूत लाठीसे वह किसी भी तलवारवाले साधारण यूरोपीयका सामना कर सकता है। ग्वालोकी ऐसी कहानियोंके उल्लेख मिलते हैं जिनमें उन्होंने अपनी लाठियोंसे ही शेरों और बाघोंको मारा या भगाया है। एक मित्रने एक दिन कहा था—“परन्तु यह उदाहरण तो उन लोगोका है जो

असम्य और प्राकृतिक अवस्थामें रहते हैं। समाजकी वतमान नितान्त कृत्रिम अवस्थामें आपको सिफ गोभी और मटरसे कुछ अधिककी जरूरत है। आपका ग्वाला तो बुद्धिहीन है, वह कितावें नहीं पढता, आदि।" इसका एकमात्र जवाब यह था, और है, कि अन्नाहारी ग्वाला मासाहारी ग्वाले या गहरीसे अधिक मजबूत नहीं तो उसके बराबर तो होगा ही। इस प्रकार एक वगके अन्नाहारी और उसी वगके मासाहारीके बीच तुलना हो जाती है। यह तुलना शक्तिके साथ शक्तिकी है, शक्तिके साथ शक्ति और बुद्धिकी नहीं, क्योंकि मैं तो हालमें सिफ यह गलत सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि भारतीय अन्नाहारी अपने अन्नाहारके कारण शारीरिक दृष्टिसे कमजोर हैं।

कोई चाहे जो आहार ग्रहण करे, शारीरिक और मानसिक शक्तिका एक-साथ बराबर विकास होना तो असमभव मालूम होता है। हाँ, इसमें बिरले अपवाद भले ही हो। क्षतिपूर्तिके नियमकी भाग होगी कि मानसिक शक्तिमें जितनी बढ़ती होती है, शारीरिक शक्तिमें उतनी घटती हो। संभसन जैसा शरीर-बली ग्लैडस्टन जैसा भेधावी नहीं हो सकता। और अगर यह दलील मान ली जाये कि समाजकी वतमान अवस्थामें अन्न या शाक-सब्जीके बदले किसी दूसरे आहारकी जरूरत है ही, तो क्या यह अन्तिम रूपसे साबित हो चुका है कि वह दूसरा आहार मांस ही है?

फिर, क्षत्रियोका, भारतकी तथाकथित योद्धाजातिका उदाहरण ले लीजिए। वे तो निस्सन्देह मासाहारी हैं, और उनमें कितने कम लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कभी तलवार चलाई है। मैं यह नहीं कहूँगा कि वे प्रजाति (रेस)-नगरूपमें बहुत कमजोर हैं। बहुत पुराने जमानेमें क्या जायें, जबतक पथुराज और भीम और उनके जैसे सब लोगोकी याद बनी है, तबतक कोई मूख ही विश्वास कराना चाहेगा कि उनकी प्रजाति कमजोर है। परन्तु अब तो यह खेदजनक बात सच है कि उनका ह्रास हो गया है। सचमुच युद्ध-कुशल लोग तो, अन्य लोगोके साथ-साथ पश्चिमोत्तर प्रदेशके लोग हैं, जिन्हें 'भैया' कहा जाता है। वे गेहूँ, दाल और शाक-सब्जियो पर निर्वाह करते हैं। वे शान्तिके सरक्षक हैं। देशी सेनाजोमें उनकी सख्या बहुत बड़ी है।

१ नाथ-वेस्टर्न प्राविन्स, जो वतमान उत्तर प्रदेश और भासपाछेके प्रदेशोके कुछ हिस्से मिलाकर बनाया गया था।

उपर्युक्त तथ्योंसे आसानीसे समझा जा सकता है कि अन्नाहार हानिकारक तो है ही नहीं, उल्टे शारीरिक स्वास्थ्यको बढ़ानेवाला है। और जो यह कहा जाता है कि हिन्दुओंकी शारीरिक दुबलताका कारण अन्नाहार है, वह केवल भ्रान्तिमूलक है।

वेजिटेरियन, २८-२-१८९१

५

पिछले लेखमें हमने देखा कि हिन्दू अन्नाहारियोंकी शारीरिक कमजोरीका कारण उनका आहार नहीं, कुछ और ही है। हमने यह भी देखा कि जो ग्वाले अन्नाहारी हैं वे मासाहारियोंके बराबर ही ताकतवर हैं। ग्वाला अन्नाहारियोंका एक बहुत अच्छा नमूना है, इसलिए उसके रहन-महनका अवलाकन कर लेना लाभदायक होगा। परन्तु पहले पाठकोको बता दिया जाये कि जो-कुछ आगे लिखा जा रहा है वह भारतके सब ग्वालो पर नहीं, एक अमुक हिस्सेके ही ग्वालो पर लागू होता है। जिस तरह स्काटलैंडके निवासियोंकी आदतें इंग्लैंडके निवासियोंकी आदतोंसे भिन्न हैं, ठीक वैसे ही भारतके एक हिस्सेमें रहनेवाले लागाकी आदतें दूसरे हिस्सेमें रहनेवाले लोगोंकी आदतोंसे भिन्न हैं।

तो, भारतीय ग्वाला आम तौर पर पात्र बजे सुबह सोकर उठता है। अगर वह भक्ति भाववाला हो तो सबसे पहले ईश्वरकी प्रार्थना करता है। फिर हाथ-मुह धोता है। यहाँ मैं पाठकोको उस 'ब्रश' का परिचय दे देनेके लिए, जिससे भारतीय अपने दाँत साफ करते हैं, थाड़ा-सा विषयान्तर कर लूँ। वह 'ब्रश' और कुछ नहीं, 'बबूल' नामके एक काटेदार पेड़की टहनी होता है। टहनीके लगभग एक एक फुटके टुकड़े काट लिये जाते हैं। सब काटे तो छील दिये ही जाते हैं। भारतीय उसके एक सिरेको चात्रकर उसकी दाँत साफ करने लायक नरम कूची बना लेते हैं। इस प्रकार वे रोजाना अपने लिए एक नया और घरमें बना 'ब्रश' तैयार कर लेते हैं। जब वे अपने दाँतोंको घिसकर मोती जैसे उज्ज्वल कर लेते हैं, तब उस टहनी [ दतौन ] को चीरकर दो फाँके करते हैं और एक फाँकको मोड़कर उससे अपनी जीभ खरोचते या साफ करते हैं। शायद औसत दर्जेके भारतीयोंके दाँत मजबूत और सुन्दर होनेका कारण सफाईकी यह क्रिया ही है। कदाचित् यह कहना अनावश्यक होगा



कि वे किसी दन्त-मजनका उपयोग नहीं करते। बूढ़े लोग, जब उनके दात दंतोंको कुचलने लायक नहीं रहते, छोटी-सी हथौड़ी काममें लाते हैं। इस सारी क्रियामें २०-२५ मिनटसे ज्यादा समय नहीं लगता।

तो, अब फिर ग्वालेकी ओर लौटें। बादमें वह घाजरा (एक अनाज, जिस आंग्ल-भारतीय भाषामें 'मिलेट' कहा जाता है और जिसका गेहूँके बदले या उसके अलावा बहुत उपयोग होता है) की मोटी रोटी, घी और गुडका नाश्ता करता है। लगभग आठ-नौ बजे सुबह वह उन सब जानवरोंको लेकर, जो उसकी देखभालमें दिये जाते हैं, चराने चला जाता है। चरागाह आम तौर पर उसके कस्बेसे दो या तीन मील दूर और पहाड़ी प्रदेशके किसी भू-खडमें होती है। उस पर लहलहाती हुई घास-पत्तियोंका हरा गलीचा बिछा होता है। इस प्रकार उसे प्राकृतिक दृश्योंके बीच ताजीसे ताजी हवाका आनन्द लेनेका अनुपम अवसर मिलता है। जब जानवर इधर-उधर घूमते होते हैं, वह अपना समय गानेमें या अपने साथीसे गप-चाप करनेमें बिताता है। साथी उसकी पत्नी हो सकती है, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी भी हो सकता है। वह लगभग बारह बजे भोजन करता है, जो वह हमेशा अपने साथ ले जाता है। उसमें हमेशा मौजूद रहनेवाली रोटियां, मक्खन [ घी ], एक सब्जी, या थोड़ी-सी दाल, या उसके बदले अथवा उसके अलावा, कुछ अचार और तत्काल गायके धनसे दुहा हुआ ताजा दूध होता है। फिर दो या तीन बजेके लगभग अक्सर वह किसी छायादार पढके नीचे कोई आधे घंटे नीद लेता है। यह थोड़ी-सी नीद उसे सूखकी कड़ी घूपसे कुछ राहत देती है। छ बजे वह घर लौटता है। सात बजे ब्यालू करता है, जिसमें कुछ गरम रोटियां और दाल या सब्जी होती है। ब्यालूकी समाप्ति चावल और दूध या चावल और छाछसे की जाती है। फिर घरका कुछ काम-धाम करनेके बाद, जिसका मतलब अक्सर ता अपने परिवारके लोगोंके साथ हँसी-खुशीकी बातें करना ही होता है, लगभग १० बजे रातको वह सा जाता है। वह या तो खुली जगहमें साता है या किसी झोपडीमें। झोपडीमें कभी-कभी बहुत भीड़ होती है। उसका आश्रय वह सर्दी या वर्षामें ही लेता है। यह उल्लेखनीय है कि ये झोपडियां देखनेमें तो बड़ी दीन-हीन मालूम पडती हैं और अक्सर इनमें खिडकिया भी नहीं होती, फिर भी ये बन्द हवाकी नहीं होती। ये ग्रामीण ढंगसे बनाई जाती हैं, इसलिए इनके दरवाजे हवा या आधीसे रक्षाके लिए नहीं, बल्कि चोरसे बचनेके लिए बनाये जाते हैं। तथापि, इन झोपडियामें सुधारकी बहुत गुंजाइश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

तो, एव सुदाहाल ग्वालेका रहन-सहन इस प्रकारका होता है। अनेक दृष्टियाँसे उसने रहन-सहनका तरीका आदर्श है। उसको जबरन अपनी आदतामें नियमित रहना पडता है। वह अपना ज्यादा समय घरके बाहर बिताता है। और जब वह बाहर रहता है, तब शुद्धतम धायुवा सेवा करता है, उचित मात्रामें व्यायाम पाता है, अच्छा और पौष्टिक भोजन करता है। और अन्तिम बात, परन्तु महत्त्वमें अन्तिम नहीं, यह है कि वह उन अनेक चिन्ताओंसे मुक्त रहता है, जो अक्सर शरीरको कमजोर कर देती हैं।

वेजिटेरियन, ७-२-१८९१

६

ग्वालेके रहन-सहनमें एक ही दोष पाया जाता है, और वह है स्नानकी कमीका। गरम आवहवामें स्नान बहुत गुणकारी होता है। मगर जब कि ब्राह्मण दिनमें दो बार और वैश्य दिनमें एक बार स्नान करता है, ग्वाला एक सप्ताहमें सिफ एक बार नहाता है। भारतीय किस तरह स्नान करते हैं, यह बतानेके लिए मैं यहाँ फिर थोडा विषयान्तर करूँगा। आम तौर पर भारतीय अपने गाँवके पासकी नदीमें स्नान करते हैं। मगर यदि कोई इतना आलसी हो कि नदी तब जाये ही नहीं, या उसे डूब जानेका डर मालूम होता हो, या अगर उसके गाँवक पास कोई नदी न हो, तो वह घरमें स्नान करता है। नहानेके लिए कोई स्नान-बुड या नहानेकी गगाल नही हाती, जिसमें डूबकर स्नान किया जा सके। भारतीयाका विश्वास हाना है कि जैसे ही कोई बन्द पानीमें कूदा जैसे ही वह पानी अशुद्ध हो जाता है और आगेके लिए उपयोगी नहीं रहता। इसलिए वे किसी बडे बतनमें पानी भरकर अपने पास रख लेते हैं और लोटेमें ले-लेकर अपने शरीर पर डालते हैं। इसी कारण वे चिलमचीमें हाथ भी नहीं धोते, बल्कि किसी दूसरेसे हाथो पर पानी डलवा लेते हैं, या दोनों हाथोकी कलाइयोके सहारे लोटेको पकड कर खुद ही डाल लेते हैं।

परन्तु हम मुख्य विषय पर लौटें। ऐसा मालूम होता है कि स्नानकी कमीसे ग्वालेके स्वास्थ्य पर कोई घास बुरा असर नहीं पडता। दूसरी ओर यह भी साफ है कि यदि कोई ब्राह्मण एक दिन भी स्नान किये बिना रह जाये तो उसे बडी बेचैनी मालूम होगी, और यदि वह थोडे ज्यादा समय तक स्नान करना बन्द रखे तो वह बहुत जल्दी बीमार पड जायेगा।

मैं मान लेता हूँ कि यह उन अनेक वाताका एक उदाहरण है, जिनका अन्यथा स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता और इसीलिए जिनको आदतका परिणाम बताया जा सकता है। इसी तरह, जब कि एक भगी अपना धवा करता हुआ अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है, तब यदि कोई साधारण आदमी वैसा ही करनेका प्रयत्न करे तो उसे मौतका खतरा झेलना पड़ेगा। यदि कोई सुकुमार प्रकृतिका लाड ईस्ट एंड [लदनके कारखाना-क्षेत्र] के मजदूरकी नकल करनेका प्रयत्न करे तो मौत शीघ्र ही उसका दरवाजा खटखटाने लगेगी।

मैं यहाँ एक कहानी लिख देनेका लोभ सवरण नहीं कर सकता। वह इस विषयमें बिलबुल ठीक बैठती है। एक राजा एक दतीन बेचनेवाली स्त्रीके प्रेममें पड़ गया। वह स्त्री सुन्दरतामें मानो साक्षात् मोहिनी ही थी। फिर क्या था, आदेश दे दिया गया कि उसे राजाके महलमें रख दिया जाये। इससे सचमुच तो वह प्रत्यक्ष वैभवकी गोदमें पहुँच गई। उसे उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र और, सक्षेपमें, सब उत्तम वस्तुएँ प्राप्त हो गईं। परन्तु आश्चर्य! जितना ही वैभव, उतना ही उसका स्वास्थ्य गिरता गया। बीसियों वद्योने उपचार किया, औपधिया अत्यन्त नियमपूर्वक दी गईं, परन्तु लाभ कुछ न हुआ। इस बीच एक चतुर वैद्यने बीमारीका असली कारण ताड लिया। उसने कहा कि इसे भूत-प्रेतकी बाधा है। अतएव भूत-प्रेतको तुष्ट करनेके लिए उसने उस स्त्रीके सब कमरामें बासी रोटियोंके टुकड़े और फल रखा दिये। उसने कहा कि जितने कमरे हैं उतने ही दिनमें भूत-प्रेत भाग जायेंगे और उनके जानेके साथ ही बीमारी भी दूर हो जायेगी। और यही हुआ। अलबत्ता, रोटियाँ तो उस बेचारी रानीने ही खाई थी।

इस कहानीसे मालूम होता है कि आदत मनुष्यो पर कैसा अधिकार कर लेती है। मैं समझता हूँ कि इसी कारण स्नानकी कमी ग्वालेको बहुत हानि नहीं पहुँचाती।

इस प्रकारके रहन-सहनका परिणाम हम आशिक रूपसे पिछले लेखमें देख चुके हैं। वह परिणाम यह है कि, अन्नाहारी ग्वालेका शरीर हृष्ट-मुष्ट होता है। वह दीर्घजीवी भी होता है। मैं एक ग्वालाको जानता हूँ, जो १८८८ में सौ वषसे अधिककी थी। पिछली बार जब मने उसे देखा था तब उसकी नजर बहुत अच्छी थी। स्मरणशक्ति भी ताजी थी। उसे अपने बचपनमें देखी हुई चीजोकी याद बनी थी। वह एक लाठीके सहारे चल सकती थी। मुझे आशा है कि वह अब भी जीवित होगी।

इस सबके अलावा, ग्वालेका शरीर सुडौल होता है। उसके शरीरमें कोई ऐव शायद ही मिलता है। वह शेरके समान भयावना न होता हुआ भी ताकत-धर और बहादुर होता है। और सीधा भी इतना होता है, जैसे कि मेमना। उसका वद आतक पैदा करनेवाला न होता हुआ भी प्रभावोत्पादक होता है। समग्रत भारतका ग्वाला अन्नाहारियोका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और जहाँ तक शारीरिक बलका सम्बन्ध है, वह किसी भी मासाहारीकी तुलनामें बहुत अच्छा टहर सकता है।

वेजिटेरियन, १४-३-१८९१

## ८ कुछ भारतीय त्योहार

१

ईस्टरके इस अवसर पर मैंने उस त्योहारके बारेमें कुछ लिखना पसन्द किया होता, जो समयके खयालसे ईस्टरकी जोडीका है। परन्तु उसके साथ कुछ दुख-दायी बातें जुडी हुई हैं और वह सबसे बड़ा हिन्दू त्योहार भी नहीं है। इसलिए उसे छोड़कर दिवालीके त्योहारका लिया जा सकता है, जो उससे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण और भव्य है।

दिवालीके त्योहारको हिन्दू क्रिसमस कहा जा सकता है। वह हिन्दू वषके अन्तमें, अर्थात् नवम्बर महीनेमें पडता है। वह सामाजिक त्योहार भी है और धार्मिक भी। और लगभग एक मास तक चलता है। आश्विन (हिन्दू वषके बारहवें मास) का प्रथम दिन इस भव्य त्योहारके आगमनका सूचक होता है। उस दिन बच्चे पहले-पहल पटाखे छोडते हैं। पहल नौ दिनाको 'नव रात्रि' कहा जाता है। ये दिन 'गरबी' [गरबा-नृत्य] के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं। बीस-तीस या इससे भी ज्यादा लोग एक घेरा बनाते हैं। बीचमें एक बड़ा दीप-स्तम्भ रखा जाता है। वह बड़ा सुन्दर बनाया जाता है और उसके चारो ओर बत्तिया जलती हैं। बीचमें डोलक लिये हुए एक आदमी भी बैठता है। वह कोई लोकगीत गाता है। घेरेके लोग हाथसे ताल दे-देकर उस गीतको डुहराते हैं। गाते-गाते और धूम-धूमकर नाचते हुए

वे दीपककी परिश्रमा करते हैं। जक्सर इन गरमियाको मुननेमें बडा आन आता है।

यह कह देना आवश्यक है कि लडकियाँ—और खास तोरसे स्त्रियाँ— इनमें कभी शामिल नहीं होती। अलवत्ता, वे अपनी गरमिया अलग रचा सकती है, जिनमें पुरुषोको शामिल नहीं किया जाता। कुछ परिवारामें अथ उपवासकी प्रथा होती है। उसमें परिवारके एक सदस्यवा उपवास कर लेना काफी होता है। उपवास करनेवाला केवल एक बार और वह भी शामको भाजन करता है। इसके अलावा, उसके लिए गेहूँ, बाजरा, दाल आदि अनाज खाना बजित होता है। उसका आहार फल, दूध और आलू आदिके समान कन्दो तक ही सीमित रहता है।

महीनेका दसवाँ दिन 'दशहरा' कहलाता है। उस दिन मित्र आपसमें मिलते हैं और एक-दूसरेकी दावत करते हैं। मित्रा और खासकर मालिका और बड लोगको भेंटमें मिठाई भेजनेकी भी प्रथा प्रचलित है। दशहराके दिनको छोडकर मनोरजनके सारे वायत्रम रातमें होने हैं। दिनके समय दैनिक जीवनके साधारण काम-धंधे किये जात हैं। दशहराके बाद लगभग एक पखवारे तक अपेक्षाकृत शान्ति रहती है। केवल महिलाएँ आगे आनेवाले भव्य दिनके लिए मिठाइयाँ, पकवान आदि बनानेमें व्यस्त रहती हैं, क्योंकि भारतमें ऊँचेसे ऊँचे यगवी महिलाएँ भी भोजन बनानेसे एतराज नहीं करनी। वास्तवमें यह एक गुण है, और माना जाता है कि प्रत्येक स्त्रीमें यह हाता ही है।

इस प्रकार, मध्याओको दावतो और गाने-बजानेमें विताते हुए हम आरविन कृष्ण तेरस पर पहुँचते हैं। (भारतमें प्रत्येक मासके दो पक्ष होने हैं— कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष। इनका प्रारभ पूर्णिमा और अमावस्यासे होता है। पूर्णिमाके बादका दिन कृष्णपक्षका पहला दिन होता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे आदि पदहवें दिन तककी गणना की जाती है)। तेरहवाँ दिन और उसके बादके तीन दिन पूरी तरहसे उत्सवमें विताये जाते हैं। तेरहवें दिनको 'घनतेरस' कहा जाता है, जिसका अर्थ है—घनकी देवी लक्ष्मीके पूजनके लिए निश्चित किया हुआ तेरहवाँ दिन। घनी लाग तरह-तरहके रत्न और मिस्के आदि एकत्रित करके सावधानीके साथ एक मन्दूकमें रखते हैं। इनका उपयोग पूजाके अलावा और किसी कामके लिए नहीं किया जाता। हर बय इस सप्रहमें कुछ वृद्धि की जाती है। फिर उसकी पूजा होती है। अपने हृदयमें तो घनकी कामना या, दूसरे शब्दोंमें, पूजा कुछ गिने-चुने लोगोंको छोडकर

कौन नहीं करता? परन्तु यहाँ पूजा—अर्थात् वाह्यपूजा—के रूपमें उस द्रव्यको पानी और दूधसे स्नान कराया जाता है, बादमें उस पर फल चढाये जाते हैं और कुकुम लगाया जाता है।

चौदहवें दिनको 'वाली चौदस' [नरव चौदस] कहा जाता है। परन्तु उस दिन लोग तडके उठते हैं और आलसीसे आलसी आदमीको भी अच्छी तरह स्नान करना पडता है। मा अपने छोटे-छोटे बच्चोंको भी स्नान करनेके लिए बाध्य करती है, हालांकि वह मौसम ठडवा होता है। ऐसा माना जाता है कि वाली चौदसकी रातको श्मशानमें भूतोने जुलूस निकलते हैं। भूतो पर विश्वासका दिखावा करनेवाले लोग अपने भूत-मित्रोंसे मिलनेके लिए श्मशानोंमें जाते हैं। परन्तु डरपोक लोग भूत दिखाई देनेके डरसे घरोंके बाहर पैर नहीं रखते।

[अग्नेजीमे]

वेजिटेरियन, २८-३-१८९१

२

और यह लीजिए, अब पन्द्रहवें दिनका प्रातःकाल—ठीक दिवालीका दिन आ पहुँचा! दिवालीके दिन खूब पटाखे छोडे जाने हैं। उस दिन कोई आदमी अपना धन किसीको देनेके लिए राजी नहीं होता। कज न तो कोई लेता है, न देता है। जो-कुछ भी खरीदना हो, पहले ही दिन खरीद लिया जाता है।

अब आप एक धाम सडकके नुक्कडेके पास खडे हैं। उस ग्वालेको देखिए, जो दूध जैसे सफेद बपडे पहने—जिन्हें उसने पहली ही बार पहना है—और अपनी लम्बी दाढी चेहरेके दानों ओर ऊपरको फेरकर पगडीके नीचे बाधे, कुछ अधूरे गाने गाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे-पीछे गायाका शूड चल रहा है, जिसमें गावोंके सीग लाल-हरे रंगों और चाँदीसे मडे हुए हैं। उसके पीछे-पीछे आप छोटी-छोटी लडकियोंकी वह भीड देखते हैं। लडकियोंके मिरो पर गिडरियो पर सघी हुई छोटी-छोटी मटकिया हैं। आपको कौतूहल हा रहा है कि उन मटकियोंमें क्या है। मगर उस असावधान बालिकाकी मटकीसे थोडा-सा दूध छलक जाता है और आपका कौतूहल शीघ्र ही मिट जाता है। अब आप उस ऊँचे-भूरे, तगडे, सफेद मूछोवाले आदमीको देखिए, जो अपने सिर पर बडा-भा सफेद दुपट्टा बांधे है। उसके दुपट्टेमें लम्बी भम्की कलम खुसी हुई है। अपनी कमरमें वह एक लम्बा दुपट्टा लपेटे है जिसमें एक चाँदीकी दावात खुसी हुई है। आपको जानना चाहिए कि वह

एक बड़ा साहूकार है। इस तरह आपने तरह-तरहके लोगोको देखा, जो ह्य और उल्लाससे भरे हुए मजेके साथ घम-फिर रहे हैं।

अब रात आ गई। सड़कें आँखाको चौंधिया देनेवाली रोशनीसे दमक रही है—हा, चौंधिया देनेवाली उसके लिए, जिसने कभी रोजेंट स्ट्रीट या आक्स फडको नहीं देखा। परन्तु अगर बम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरको छोड़ दिया जाये तो क्रिस्टल महलमें जिस पैमाने पर रोशनी होती है, उससे तो इस रोशनीका कोई तुलना नहीं होगी। स्त्री, पुरुष और बच्चे उत्तम-उत्तम वस्त्र पहने हैं—और करीब-करीब सभी वस्त्र अलग-अलग रंगके हैं। उनकी अद्भुत बहु-रंगी छवि इन्द्र धनुषकी छवि प्रस्तुत कर रही है। आजकी रात विद्याकी देवी सरस्वतीके पूजनकी रात भी है। व्यापारी लोग पहली मद दर्ज करके अपने नये बही-खाते भी आज रातको शुरू करते हैं। पूजा करानेवाला पुरोहित—वह सब्र विद्यमान ब्राह्मण—कुछ मंत्र गुनगुनाता है और देवीका आवाहन करता है। पूजाके अन्तमें बिलकुल अधीर बने बच्चे पटाखे सुलगाते हैं और चूकि यह पूजा सब जगह एक निश्चित समय पर होती है, सड़कें पटाखोंके घडाकी, पटपटाहट और सुरसुराहटसे गूज उठती है। वादमें धार्मिक वृत्तिके लोग मदिरोंमें जाते हैं। परन्तु वहा भी ह्य और उल्लास, चकाचौंधकारी प्रकाश और भव्यताके सिवा कुछ दिखलाई नहीं देता।

दूसरा दिन, अर्थात् नव-वष दिन<sup>१</sup>, लोगोसे भेंट करनेका होता है। उस दिन घरोंमें चूल्हे नहीं जलते और लोग पिछले दिन बना हुआ बासा और ठंडा भोजन करते हैं। परन्तु कोई खाऊ व्यक्ति भूखा नहीं रहता, क्योंकि खानेकी चीजें इतनी होती हैं कि उसके बार-बार खाने पर भी बहुत-सा भोजन बच रहता है। खुशहाल लोग हर प्रकारकी शाब-सब्जी और घाय खरीदते तथा पकाते हैं, और नव-वष दिवसके उपलक्ष्यमें उन सबको चखते हैं।

नव-वषका दूसरा दिन अपेक्षाकृत शान्त होता है। उस दिन चूल्हे फिर जलते हैं। आम तौर पर पिछले दिनके गरिष्ठ भोजनके बाद हलका भोजन ग्रहण किया जाता है। नटखट बच्चोंको छोड़कर अब कोई पटाखे और आतिशबाजियाँ नहीं छोड़ता। रोशनी भी कम हो जाती है। दूसरे दिन दिवालीका उत्सव लगभग समाप्त हो जाता है।

१ गुजरातमें विक्रम मवत्के अनुसार नये वषका धारम्भ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है।

अब हम देखें कि इन उत्सवोंका समाज पर क्या असर पड़ता है और इनके द्वारा लोग अनजाने कितने अभीष्ट काम पूरे कर डालते हैं। साधारणतः परिवारके सब लोग उत्सवके दिनोमें अपने मुख्य घरमें एकत्र होनेका प्रयत्न करते हैं। पति अपने कामके कारण भले ही सारे वर्ष दूर रहा हो, इन दिनों वह फिरसे अपनी पत्नीके पास घर पहुँचनेका प्रयत्न करता है। पिता लम्बी यात्रा करने भी अपने बच्चासे मिलनेके लिए आ जाता है। पुत्र यदि दूर पड़ता होता है तो वह अपने स्कूलसे घर आता है और इस तरह हमेशा सारे परिवारका पुनर्मिलन होता रहता है। फिर, जो समय होते हैं वे सब नये कपड़े बनवाते हैं। धनी लोग खास तौरसे इस अवसरके लिए जेवर भी खरीदते हैं। विभिन्न परिवारोंके पुराने-पुराने झगड़े भी मिटा लिये जाते हैं। ऐसा करनेका गम्भीरताके साथ प्रयत्न तो कम-से-कम किया ही जाता है। घरोंकी मरम्मत और सफेदी की जाती है। बँधी पडी हुई साज-सज्जा निकाल कर साफ की जाती है और उससे कमरोंको सजाया जाता है। यदि कोई पुराना कर्ज हो तो उसे सम्भवतः पटा दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्तिसे नव-वषके लिए कोई-न-कोई नई चीज खरीदनेकी अपेक्षा रखी जाती है। और वह चीज आम तौर पर बतन या इसी तरहकी काई दूसरी चीज होती है। शिक्षा खुले हाथों दी जाती है। जो लोग प्रायना करने और मन्दिर जानेमें अधिक आस्था नहीं रखते वे भी इन दिनों ये दोनों काम करते हैं।

त्योहारोंके दिन कोई आदमी किसी दूसरेसे लड़ाई-झगडा नहीं करता और न किसीको कोसता है। कोसनेकी नाशकारी आदत खास तौरसे निम्न वर्गके लोगोंमें बहुत फैली हुई है। सक्षेपमें, प्रत्येक बात शान्तिमय और आनन्दमय होती है। जीवन भाररूप होनेके बजाय पूर्णतः आनन्द मनानेके योग्य होता है। यह समय लेना कठिन नहीं कि इस तरहके त्योहारोंका परिणाम अच्छा और दूर तक प्रभाव डालनेवाला हुए बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग इन त्योहारोंको अविश्वास और उचकनेपनका प्रतीक बताते हैं। परन्तु सचमुच तो ये मानव जातिके लिए धरदान-रूप हैं और कठोर परिश्रम करनेवाले करोड़ों लोगोंको जीवनके नीरम ढर्रेमें बहुत हद तक राहत पहुँचाते हैं।

यद्यपि दिवालीका उत्सव सारे भारतमें मनाया जाता है, उसे मनानेकी पद्धति भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें भिन्न भिन्न है। इसके अलावा, यह तो हिन्दुओंके इस सबसे बड़े त्योहारका एक कच्चा, अपूर्ण वर्णन मात्र है। परन्तु ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि इस उत्सवका कोई दुरुपयोग नहीं होता। सब दूसरी



बाताके समान इस त्याहारका भी पटुपित पहलू हो सकता है, और शायद है भी। परन्तु उसे छाड़ देना ही अच्छा होगा। इतना निश्चय है कि इसका जो नलाई होती है वह तौलमें बुराअन बहुत ज्यादा है।

[अप्रेजीने]

वेजिटेरियन, ४-४-१८९१

३

दिवालीके त्योहारके बाद सबसे ज्यादा महत्त्वका त्याहार होनी है, जिसका संकेत २८ मार्चके वेजिटेरियनमें किया गया था।

स्मरण होगा कि होलीका त्योहार ममयकी दृष्टिसे ईस्टरका जोडीदार है। होली हिन्दू षणके पाँचवें महीने फाल्गुनकी पूर्णिमाको मनाई जाती है। यह ठीक वसन्तका मौसम होता है। पड-मौधे फलते हैं। गरम षणडे छाड़ दिये जाते हैं। महीन षणडोका शीक चल जाता है। जब हम मन्दिरमें दशन करने जाते हैं तो और भी प्रत्यक्ष हो जाता है कि वसन्त ऋतुका आगमन हो गया है। किसी मंदिरमें प्रविष्ट होत ही (और उसमें प्रविष्ट होनेके लिए आपका हिन्दू होना जरूरी है) आपका मधुर पुष्पोकी सुवास ही सुवास मिलेगी। भक्तजन, सीडियों पर बैठे हुए, ठाकुरजीके लिए मालाएँ बनात दिखलाई पडेंगे। फूलोंमें आपको चमेली, मोगरा आदिके सुन्दर फूल देखनेको मिलेंगे। जैसे ही दशनके लिए पट खोले गये कि आपको पूरे वेगसे फुहार छोडते हुए फुहारे दिगाई देंगे, मन्द मुगध पवनका आनन्द मिलेगा। ठाकुरजी मृदुल रगोके हलके वस्त्र धारण किये हांगे। सामने फूलाकी राशिया और गलेमें मालाओके पुज उन्हें आपकी दृष्टिमें लगभग छिपाये हांगे। वे इधरसे उधर झुलाये जाते हांगे और उनका झला भा सुगन्धित जल छिडकी हुई हरी पत्तियोंसे सजा हांगा।

मंदिरके बाहरका दृश्य बहुत आह्लादकारी नहीं होता। वहा आपको होलीके एक पखवारे पहलेसे अश्लील भाषाके मिवा कुछ नहीं मिलेगा। छोटे-छोटे गाँवोंमें तो स्त्रियोका बाहर निकलना ही कठिन होता है — उन पर कीचड फेंक निया जाता है और अश्लील आवाजकशी की जाती है। यही व्यवहार पुरुषोंके साथ भी होता है और इसमें छोटे-बडकेका कोई भेद नहीं माना जाता। लोग छापी छोटी टोलियाँ बना लेते हैं और फिर एक टोली दूसरी टोलीके साथ अश्लील

मापाके प्रयोग और अश्लील गीत गानेमें स्पर्धा करती है। सभी पुरुष और बच्चे इन घृणास्पद स्पर्धाओंमें शामिल होते हैं। केवल स्त्रियाँ शामिल नहीं होती।

सच बात यह है कि इस पर्वमें अश्लील शब्दोंका प्रयोग बुरी रचिका परिचायक नहीं माना जाता। जहाँके लोग अज्ञानमें डूबे हुए हैं, उन स्थानानों एक-दूसरे पर कीचड़ आदि भी फेंका जाता है। लोग दूसरोंके कपड़ों पर भद्दे शब्द छाप देते हैं। और कहीं आप मफेद कपड़े पहनकर बाहर निकल गये, तो अवश्य ही आपको कीचड़से सनकर वापस आना होगा। होलीके दिन यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। आप अपने घरमें हो या बाहर हो, अश्लील शब्द तो आपके कानोंको पीड़ा पहुँचायेंगे ही। अगर आप कहीं किसी मित्रके घर चले गये तो जैसा भी मित्र होगा उसके अनुसार आप गंदे या खुशबूदार पानीसे जरूर ही नहला दिये जायेंगे।

मध्या समय लकड़िया या उपलोका भारी ढेर लगाकर जलाया जाता है। ये ढेर अकमर बीस-बीस फुटके या इससे भी ऊँचे होते हैं। लकड़ियोंके ठूठ इतने मोटे होते हैं कि उनकी आग सात-सात आठ-आठ रोज तक नहीं बुझती।

दूसरे दिन लोग इस आग पर पानी गम करके उससे स्नान करते हैं। अबतक तो मैंने यही बताया है कि इस उत्सवका दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है। परन्तु सतोपकी बात है कि अब शिक्षाकी उन्नतिके साथ-साथ ये प्रथाएँ धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे मिट रही हैं। जो जरा धनी और सुसंस्कृत होते हैं, वे लोग इस त्योहारको बहुत सुन्दर ढंगसे मनाते हैं। उनमें कीचड़की जगह रंगके पानी और सुवासिक जलका उपयोग किया जाता है। लोटे भर भरकर पानी फेंकनेके बदले पानी छिड़कना भर काफी होता है। वसन्ती रंगका इन दिनामें सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वह नारंगी रंगके टेसूके फूलोंको उवाल कर बनाया जाता है। समथ लोग गुलाबका जल भी काममें लाते हैं। मित्र और सम्बन्धी एक-दूसरेसे मिलते हैं, उनका दावतें करते हैं और इस प्रकार उल्लासके साथ वसन्तका आनन्द लेते हैं।

होलीके ज्यादातर 'अन-होली' [अपावन] त्योहारसे दिवालीके त्योहारमें अनेक दृष्टियोंसे सुन्दर भेद है। दिवालीका पर्व वर्षके बाद ही शुरू हो जाता है। वर्षाकाल उपवासोंका काल भी होता है, इसलिए उसके बाद दिवालीके दिनाके अच्छे-अच्छे भोजन तथा दावतें और भी अधिक आनन्दकारी बन जाती हैं। इसके विपरीत, होलीका त्योहार आता है उस शीतकालके बाद, जो कि सब प्रकारके पौष्टिक आहार करनेका मौसम होता है। होलीके

दिनोमें ऐसे भोजन छोड़ दिये जाते हैं। दिवालीके अत्यन्त पवित्र गीतके बाद होलीकी अश्लील भाषा सुनाई देती है। फिर दिवालीमें लोग सर्दिके कपड़ पहनना शुरू करते हैं, जब कि होलीमें उन्हें छोड़ देते हैं। दिवाली आश्विनकी अमावस्यकी होती है, फलतः उस दिन पूब रोसनी की जाती है, परन्तु होला पूर्णिमाको होनेके कारण उस दिन रोसनी अशोभन ही होगी।

[ अग्रेजासे ]

वेजिटेरियन, २५-४-१८९१

## ९ भारतके आहार

वेजिटेरियनके ६ मद्र, १८९१ के अकमें निम्नलिखित उल्लेख पाया जाता है "शनिवार, २ म<sup>२</sup>, ब्लूमसबरी हाल, हार्ट स्ट्रीट, ब्लूमसबरी । गीमनी हैरिसनके बाद श्री मो० क० गांधी (बम्बई प्रदेशके एक ब्राह्मण) खड़े हुए। उन्होंने पूर्व व्याख्यात्रीको बधाई दी और अपने 'भारतके आहार' शीर्षक लिखित भाषणमें मन्वन्धमें क्षमा याचना करनेके बाद उसे पढ़ना शुरू किया। आरम्भमें वे कुछ बर्बाद गये थे।" यहाँ दिया गया मूलपाठ उस लिखित भाषणका है जो वेजिटेरियन मोमाइटीकी पोर्ट्समथफी बैठकमें दुबारा पढ़ा गया था और जून १, १८९१ के वेजिटेरियन मेसेंजरमें प्रकाशित हुआ था।

अपने अभिभाषणमें विषय पर आनेके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कायदे लिए मेरी योग्यता क्या है। जब मिलने "भारतका इतिहास" लिखा, उसने अपनी अत्यन्त रोचक प्रस्तावनामें बताया था कि भारतकी यात्रा कभी न करने पर भी और भारतीय भाषाभाषा ज्ञान न रखने पर भी कैसे वह उस पुस्तकको लिखनेका अधिकारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका उपाहरणका अनुकरण करना मेरे लिए उचित ही होगा। वेशक, किसी कामके लिए अपनी योग्यताका उल्लेख करनेकी कल्पना स्वयं ही व्याख्याता या लेखकमें किसी न किसी प्रकारकी अयोग्यता बतानेवाली होती है, और मैं मजूर करता हूँ कि मैं "भारतके आहारो" पर बोलनेके लिए पूणत उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने अपने ऊपर यह काय इसलिए नहीं लिया कि मैं इस विषय पर बोलनेके लिए बिल्कुल योग्य हूँ, बल्कि इसलिए लिया है कि ऐसा करके मैं उस प्रयोजनकी सिद्धिमें सहायक हूँगा, जो मेरे और आपके—दोनाके दिलोमें बसा है। मैं जा कुछ कहनेवाला हूँ उसका मुख्य आधार मेरा बम्बई प्रदेशका अनुभव होगा। अब,

जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल प्रायद्वीप है। उसकी आबादी २८,५०,००,००० है। वह रूसको छोड़कर समूचे यूरोपके बराबर है। ऐसे देशमें विभिन्न भागोंके आचार-व्यवहारमें भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। इसलिए, अगर भविष्यमें कभी आपको भेरे कहनेसे कुछ भिन्न बातें सुननेको मिलें तो मेरा निवेदन है कि आप उपर्युक्त वस्तुस्थितिको भूल न जायें। सामान्य रूपसे मेरा कथन सारे भारत पर लागू होगा।

मैं अपने विषयके तीन हिस्से कर लूंगा। पहले तो मैं उन आहारों पर निर्वाह करनेवाले लोगोंके विषयमें प्रारम्भिक परिचयके तौर पर कुछ कहूँगा। दूसरे, आहारोंका वर्णन करूँगा और तीसरे, उनका उपयोग आदि बताऊँगा।

आम तौर पर माना जाता है कि भारतके सब लोग अन्नाहारी हैं। परन्तु यह सही नहीं है। यहाँतक कि सब हिन्दू भी अन्नाहारी नहीं हैं। परन्तु यह कहना तो बिल्कुल सही होगा कि भारतवासियोंकी भारी बहुसंख्या अन्नाहारी है। उनमें से कुछ तो अपने धमके कारण अन्नाहारी हैं, अथवा लोग अन्नाहार पर निर्वाह करनेको बाध्य हैं, क्योंकि वे इतने गरीब हैं कि मास खरीद ही नहीं सकते। इसे बिल्कुल स्पष्ट करनेके लिए मैं बता दू कि भारतमें दसिया लाख लोग केवल एक पैसे—अर्थात् एक-तिहाई पनी—रोजाना पर गुजर करते हैं। और उस जैसे दरिद्रताके मार देशमें भी इतनी रकममें खाने लायक मास नहीं मिल सकता। इन गरीबोंको दिनमें सिर्फ एक बार भोजन मिलता है। वह भी होता है बासी रोटी तथा नमकका—और नमक एक ऐसी वस्तु है, जिस पर भारी कर लगा हुआ है। परन्तु भारतीय अन्नाहारी और मासाहारी इंग्लैंडके अन्नाहारियों तथा मासाहारियों बिल्कुल भिन्न हैं। भारतीय मासाहारी इंग्लैंडके मासाहारियोंकी तरह ऐसा नहीं मानते कि वे मासके बिना मर जायेंगे। जहातक मुझे ज्ञान है, भारतीय मासाहारी मासको जीवनके लिए आवश्यक वस्तु नहीं, केवल एक विशेष भोजनकी वस्तु मानते हैं। अगर उन्हें उनकी रोटी—आम तौर पर भारतमें 'ब्रेड' का 'राटी' कहते हैं—मिल जाये तो मासके बिना उनका काम मजेमें चल जाता है। परन्तु हमारे अंग्रेज मासाहारियोंको देखिए। वे मानते हैं कि मास उनके लिए अनिवार्य है। रोटी उन्हें मास खानेमें मदद भर करती है। दूसरी ओर, भारतीय मासाहारी मानता है कि मास उसे रोटी खानेमें मदद करेगा।

हालमें ही एक दिन मैं एक अंग्रेज महिलासे आहारके नीतिशास्त्र पर बातें कर रहा था। जब मैं उसे बताने लगा कि वह भी बितनी सरलतासे

अन्नाहारी बन सकती है तो वह एकदम धोल उठी "आप कुछ भी कहें, मैं तो मांस खाऊँगी ही। मुझे वह बहुत प्यारा है। और मुझे बिल्कुल निश्चय है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती!" "मगर, देवीजी!" मन कहा "मान लीजिए कि आपको बिल्कुल अन्नाहार पर रहनेके लिए बाध्य कर दिया जाता है तो फिर आप क्या करेंगी?" उसने कहा "ओह! ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ मुझे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर बाध्य किया जाये तो मुझे बहुत कष्ट होगा।" वेशक, उस महिलाको ऐसा कहनेके लिए कोई दोष नहीं द सकता। इस समय समाजकी स्थिति ही ऐसा है कि किसी भी मासाहारीके लिए सरलतासे मासाहार छोड़ देना असंभव है।

इसी तरह, भारतीय अन्नाहारी भी अग्रेज अन्नाहारियोंसे बिल्कुल भिन्न हैं। भारतीय तो सिर्फ किसी जीवकी या सम्भाव्य जीवकी हत्यासे परहेज करते हैं, इससे आगे वे नहीं जाते। इसीलिए वे अंडा भी नहीं खाते। वे मानते हैं कि अंडा खानेसे उनके जरिए सम्भाव्य जीवकी हत्या होगी। (मुझे कहते खेद है कि मैं लगभग डेढ़ माससे अंडे खा रहा हूँ।) परन्तु उन्हें दूध और मक्खनका सेवन करनेमें कोई सकोच नहीं होता। वे इन प्राणिज पदार्थोंका सेवन फलाहारक दिनोमें भी करते हैं। फलाहारका दिन प्रत्येक पखवारेमें एक बार आता है। इन दिनोमें गेहूँ, चावल आदिका आहार वर्जित होता है। परन्तु दूध और मक्खन यद्येष्ट मात्रामें लिया जा सकता है। यहाँ, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ अन्नाहारी मक्खन और दूधसे परहेज करते हैं, कुछ भोजनको पकाना भी छोड़ देते हैं और कुछ फलो तथा क्वची भेवो पर भी निर्वाह करनेका प्रयत्न करते हैं।

अब मैं विभिन्न प्रकारके आहारोंका वर्णन करूँगा। परन्तु मैं मांसके आहारोंकी कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये जहाँ उपयोगमें आते भी हैं वहाँ भोजनके मुख्य पदार्थ नहीं हैं। भारत सबसे पहले एक कृषि प्रधान देश है। और वह बहुत विशाल है। इसलिए उसमें पैदावारें भी अनेकानेक और भक्ति होती हैं। यद्यपि भारतमें ब्रिटिश शासनकी नींव सन् १७४६ ई० में पड़ गई थी और यद्यपि भारत अग्रेजोंको इसके बहुत पहलेसे ज्ञात था, फिर भी भारतीय आहारोंके बारेमें इंग्लैंडमें इतनी कम जानकारी है—यह एक दयनीय बात है। कारण जाननेके लिए हमें बहुत दूर जानेकी जरूरत नहीं। भारत जानेवाले लगभग सभी अग्रेज अपना रहन-सहनका तरीका कायम रखते हैं। वे उन चीजोंको पानेका आग्रह रखते हैं जो उन्हें इंग्लैंडमें सुलभ होती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें उसी तरीकेसे पकवाते भी हैं। इन सब बातोंके कारण

तथा आशर्षोकी मीनासा करना मेरा काम नहीं है। खयाल तो यह था कि वे, भले चबल जिज्ञासावश ही क्यों न हों, लोगोंकी आदतकी समझेंगे। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फलतः उनकी अडियल उपेक्षाका परिणाम यह देखनेको मिलता है कि बहुत से अंग्रेज भारतीय आहारोंके अध्ययनके उत्तमोत्तम अवसर खो बैठे हैं। भोजनके पदार्थोंके विषय पर लौटें तो भारतमें पैदा होनेवाले अनेक प्रकारके अनाज ऐसे हैं जिनका ज्ञान यहाँ बिलकुल नहीं है।

फिर भी गेहूँका महत्त्व, वैश्वक, यहाँके समान वहाँ भी सबसे अधिक है। फिर बाजरा ( जिसे आग्ल भारतीय लोग 'मिलेट' कहते हैं ), ज्वार, चावल आदि हैं। इनको मुझे रोटीका अनाज कहना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यतः रोटी बनानेके काममें आते हैं। गेहूँ निस्सन्देह बड़े पैमाने पर काममें आता है। परन्तु वह अपेक्षाकृत महंगा है, इसलिए गरीब लोग उसकी जगह बाजरा और ज्वार काममें लाते हैं। दक्षिणी और उत्तरी प्रदेशोंमें ऐसा बहुत ज्यादा है। दक्षिणी प्रदेशोंके बारेमें सर डबल्यु० डबल्यु० हटरने अपने भारतीय इतिहासमें लिखा है "साधारण लोगोंका आहार मुख्यतः ज्वार, बाजरा और रागी है।" उत्तरके बारेमें वे कहते हैं "आखिरी दो (अर्थात् ज्वार और बाजरा) जनसाधारणके आहार हैं। चावल सिर्फ आबपासीवाले खेतोंमें ही बाया जाता है और उसे धनी लोग खाते हैं।" ऐसे लोगोंका मिलना जरा भी गैर-भामूली नहीं होता, जिन्होंने कभी ज्वार चखी ही नहीं। ज्वारके साथ, गरीबोंका आहार होनेके कारण, एक प्रकारका आदर जुड़ गया है। विदार्थिके अभिवादनके तौर पर "गुडबाई" कहनेके बजाय भारतमें गरीब लोग 'ज्वार' कहते हैं। विस्तार और अनुवाद किया जाये तो, मेरा खयाल है, इसका अर्थ होगा — "आपको ज्वारका अभाव कभी न हो।" चावलकी भी, खास तौरसे बंगालमें, रोटियाँ बनाई जाती हैं। बंगाली लोग गेहूँसे ज्यादा चावल काममें लाते हैं। दूसरे प्रदेशोंमें चावलका उपयोग रोटी बनानेके लिए शायद ही कभी किया जाता है। चनेका भी गेहूँके साथ मिलाकर या बिना मिलाये कभी-कभी वही उपयोग किया जाता है। अंग्रेज लोग उसे 'ग्राम' कहते हैं। वह स्वाद और आकारमें बहुत-कुछ मटरसे मिलता-जुलता है। इससे मैं अनेक प्रकारकी दालोंके विषय पर आ जाता हूँ। दालें

१ शक्कर जुन्दारे साथ हो! सुदा हाफिज।

२ मालूम होता है, गांधीजीने 'ज्वार' (अनाज) आर 'जुहार' (कुछ भारतीय भाषाओंके अभिवादन शब्द)को मिला दिया है।

शोरवा [ या सालन ] बनानेके काम आती हैं। चाा, मटर, मसूर, सेम, अरहर, मूग, मोट और उदद सालनके काम आनेवाली मुख्य दारें हैं। इनमें से, मेरा खयाल है, अरहर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये दोना प्रकारके अन्न मुख्यतः पक्कर सूख जाने पर धाममें आते हैं। अब मैं हरी शाक-सब्जी पर आता हूँ। आपको सभी शाक-सब्जियोंके नाम बताना तो बेकार होगा। उनकी सख्या इतनी बडी है कि मैं ही बहुतोको नहीं जानता। भारतकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि उसमें आप जो चाहें वही शाक-सब्जी पैदा हो सकती है। इसलिए हम निर्विवाद कह सकते हैं कि टृपिका उचित पाा हाने पर भारतकी जमीनमें दुनियाकी कोई भी शाक-सब्जी उपजाई जा सकती है।

अब रहे फल और बबची भेवे। मुझे यह कहते खेद है कि भारतमें फलके महत्त्वका उचित ज्ञान नहीं है। फलोका उपयोग तो खूब होता है, परन्तु उन्हें विशेष भोजनके पदायिके तौर पर ही ज्यादा खाया जाता है। ज्यादातर उन्हें स्वास्थ्यके लिए नहीं, स्वादके लिए खाया जाता है। इसलिए हम सतरे, सेब आदि जैसे गुणकारी फल बहुत नहीं पैदा करते। फलतः वे धनीका ही उपलब्ध हैं। परन्तु मौसमी फल तथा सूखे भेवे बहुत होते हैं। दूसरे सब स्थानोंके समान भारतमें भी गर्मीका मौसम पहले प्रकारके फलोके लिए सबसे अच्छा होता है। इन फलोमें आम सबसे ज्यादा महत्त्वका है। मैंने अबतक जो फल चखे ह, उनमें वह सबसे स्वादिष्ट है। कुछ लोगोंने अनन्नासको सबसे अच्छा बताया है। परन्तु जिन्होंने आमका स्वाद चखा है उनमें से ज्यादातर लोग तो उसके ही पक्षमें हाथ उठाते हैं। आम मौसममें तीन महीने उपलब्ध रहता है। सस्ता भी बहुत हाता है। फलतः धनी और गरीब दोनो उसका रसास्वादन कर सकते ह। मन तो यहाँतक सुना है कि कुछ लोग सिफ आम पर ही उदर-निर्वाह करते हैं— अलबत्ता सिफ मौसममें। परन्तु दुर्भाग्यसे आम ऐसा फल है, जो बहुत दिनो तक अच्छा नहीं रहता। स्वादमें वह आड़ू जैसा और गुठलीवाला फल होता है। बहुधा वह छोटे खरबूजेके बराबर होता है। इससे हम खरबूजे पर आते हैं। ये भी गर्मीमें खूब होते हैं। यहाँ जो खरबूजे मिलते हैं उनसे वे बहुत अच्छे होते ह। परन्तु अब मुझे और फलोके नाम गिनाकर आपको उकताना नहीं चाहिए। इतना कहना काफी होगा कि भारतमें असह्य किस्मोंके मौसमी फल पैदा होते हैं, जो बहुत दिनो तक नहीं टिकते। ये सब फल गरीबोंको उपलब्ध हैं। दयाकी बात यही है कि वे कभी इनको आहारके रूपमें छककर नहीं खाते। आम तौर पर हम मानते हैं कि फलोसे बुखार, दस्त आदिकी बीमारी

होती है। गर्मिये दिनमें, जब हमेशा हैजेबा डर रहता है, सरकारी अधिकारी सरवुजे और इसी प्रकारके दूसरे फलोंकी बिक्री रोक देने हैं। और अनेक मामलोंमें यह ठीक ही होता है। जहाँतक सूते पन्नाका सम्बन्ध है, जितने प्रकारके फल यहाँ मिलते हैं वे सब यहाँ उपलब्ध हैं। बबची मेवाकी कुछ ऐसी किस्में होती हैं, जो यहाँ नहीं पाई जातीं। दूसरी आर यहाँकी कुछ किस्में भारतमें नहीं देखी जातीं। बबची फल आहारके तौर पर काममें नहीं लाये जाते। इसलिए, ठीक वैसे तो, उन्हें 'भारतके आहार' में शामिल नहीं करना चाहिए। अब, अपने विषयके आखिरी हिस्से पर आनेके पहले, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे बताये हुए ये आहार-विभाग माद रखें पहला, राटी बनानेके अनाज, अर्थात् गेहूँ, ज्वार आदि, दूसरा, सातन या शोरवा बनानेके लिए दालें, तीसरा, हरी शाक-सब्जियाँ, चौथा, फल, और पाँचवाँ तथा आखिरी, बबची मेवे।

बेशक, मैं आपको विविध प्रकारके भोजन बनानेके नुस्खे बतानेवाला नहीं हूँ। यह मेरे यशकी बात नहीं। मैं सामान्य तरीका बताऊँगा, जिससे वे उचित उपयोगके लिए पकाये जाने हैं। आहार चिकित्सा या आहारके आरोग्य-शास्त्रकी खाने इन्स्टीट्यूटमें अपेक्षाकृत हालमें हुई है। भारतमें हम इसका प्रयोग स्मरणातीत बालसे करते चले आ रहे हैं। वहाँके वैद्य और हकीम दवावाका उपयोग ता करते हैं, परन्तु वे अपनी बताई हुई दवासे ज्यादा आहारके असर पर निर्भर करते हैं। कुछ बीमारियोंमें वे आपसे नमक न खानेका कहेंगे, अनेकमें आपसे खट्टी चीजा आदिवा परहेज करायेंगे। यथाकि, प्रत्येक आहार औषधिके रूपमें अपना विशेष गुण रहता है। जहाँतक रोटी बनानेके अनाजका सम्बन्ध है, वह आहारकी सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है। सुविधाने लिए मने आटेसे बननेवाली चीजको 'ब्रेड' [रोटी] कहा है, परन्तु उसे 'बेक' [चपाती या टिकिया] नाम देना ज्यादा अच्छा होगा। मैं चपाती बनानेकी सारी प्रक्रियाका बणन नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कह दू कि हम चोकरको फेंकते नहीं। ये चपातियाँ हमेशा ताजी बनाई जाती हैं और आम तौर पर शुद्ध किये हुए मक्खन [घी] के साथ गरम-गरम खाई जाती हैं। भारतीयोंके लिए ये वही हैं, जो अंग्रेजोंके लिए मास है। आदमीकी सुरावका अन्दाजा इससे लगाया जाता है कि वह कितनी रोटियाँ खाता है। दाल और शाक-सब्जीका हिसाब नहीं किया जाता। बिना दालके, बिना शाक-सब्जीके तो आपका भोजन हा सबता है, परन्तु रोटियोंके बिना नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकारके अनाजोंसे और भी अनेक प्रकारकी वस्तुएँ बनाई जाती हैं, परन्तु वे सब रोटीके ही दूसरे रूप हैं।



शोरवा या सालन बनानेकी दाल — जैसे मटर, मसूर आदि — पानामें सिफ उबालकर बना ली जाती है। परन्तु बहुत-से मसाले डालनेके कारण वह अत्यन्त स्वादिष्ट बन जाती है। इन आहारोंमें पकानेकी बलावा पूरा-पूरा प्रयोग होता है। मैंने नमक, मिच, हल्दी, लौंग, दालचीनी आदि मसाले पडी हुई दाल खाई है। दालका ठीक उपयोग रोटी पानेमें मदद करना है। बैद्यकी दृष्टिसे बहुत ज्यादा दाल पाना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ चावलके बारेमें दा शब्द कह देना अनुपयुक्त न होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, चावल खाते तौर से बगालमें रोटी बनानेके काम आता है। कुछ डाक्टरोंका कहना है कि बगालियोंके अक्सर मधुमेहके शिकार हो जानेका मूल कारण यही है। भारतमें चावलको पौष्टिक आहार कोई नहीं मानता। वह धनियावा, अर्थात् उन लोगोंका भोजन है, जो काम नहीं करना चाहते। कडी मेहनत करनेवाले लोग कभी कभी ही चावलका उपयोग करते हैं। वैद्य लोग अपने बुखारके मरीजोंको चावलकी सुरुक पर रखते हैं। मैं बुखारका शिकार हुआ हूँ (और, जैसाकि डाक्टर ऐलिसन कहते थे, निम्सन्देह आरोग्यके नियमाका भंग करनेसे) और चावल तथा मूगके पानी पर रखा गया हूँ। मुझे इतनी शीघ्रतासे स्वास्थ्य-लाभ हुआ था, मानो कोई चमत्कार हो गया हो।

अब हरी शाक-सब्जी। इन्हें बहुत-कुछ दालोंकी तरह ही बनाया जाता है। तेल और मक्खन [ घी ] शाक-सब्जी बनानेमें बड़े महत्त्वकी वस्तुएँ हाती हैं। बहुधा सब्जियोंके साथ बेसन मिला लिया जाता है। सिफ उबली हुई शाक-सब्जी कभी नहीं खाई जाती। मैंने भारतमें कभी लोगोंको उबले हुए आलू खाते नहीं देसा। अक्सर अनेक शाक-सब्जियोंको एक-साथ मिला दिया जाता है। कहना अनावश्यक है कि स्वादिष्ट शाक-सब्जी बनानेमें भारत फ्रांसको भारी मात दे सकता है। उनका ठीक उपयोग बहुत-कुछ दाल जैसा ही होता है। महत्त्वमें वे दालके बाद आती हैं। वे कम-ज्यादा रूपमें विशेष भोजनकी वस्तुएँ मानी जाती हैं। आम तौर पर लोग उन्हें बीमारियोंका मूल समझते हैं। गरीब लोगोंको हफ्तोंमें एक या दो बार मुश्किलसे एक सब्जी मिलती है। वे रोटी और दाल खाकर गुजर करते हैं। कुछ शाक-सब्जियोंमें उत्तम औषधि-गुण होते हैं। एक शाकको तादलजा [ चौलाई ] कहा जाता है। उसका स्वाद पालकके स्वादसे बहुत मिलता-जुलता है। वैद्य लोग उन मरीजोंको यह शाक देते हैं जिनकी आँखें बहुत ज्यादा लाल मिच खानेसे बिगड़ जाती हैं।

इसके बाद फलोंकी बारी आती है। वे मुख्यत 'फलाहारके दिना' में खाये जाते हैं। साधारण भोजनके बाद तो अगर खाये भी गये तो छठे-छमाह खाये जाते हैं। आम तौर पर लोग उन्हें कभी-कभी खाते हैं। आमके मौसममें आमका रस बहुत खाया जाता है। लोग उसे रोटी या चावलके साथ खाते हैं। पके फलोंको हम कभी उबालते या भापमें पकाते नहीं। बच्चे फलोका, मुख्यत आमोका, जब वे खट्टे रहते हैं, अचार-मुरब्बा बनाया जाता है। औषधोपचारकी दृष्टिसे माना जाता है कि ताजे और आम तौर पर खट्टे फलोंकी तासीर बुखार रानेकी होती है। सूखे फल बच्चे बहुत खाते हैं और खारिख तो खास तौरसे कहने लायक है। हम उन्हें पुष्टिकारक मानते हैं। इसलिए, शीतकालमें, जब हम पौष्टिक पाक आदिका सेवन किया करते हैं, उन्हें दूध तथा अन्य अनेक वस्तुओके साथ पकाकर आधी छटाक रोज खाते हैं।

अन्तमें, बबची मेवोका स्थान बही है जा इंग्लैंडमें मिठाइयोका है। बच्चे चीनीमें पगे बबची भेवे खूब खाते हैं। 'फलाहारके दिना' में भी उनका उपयोग बडी मात्रामें किया जाता है। हम उन्हें घीमें तलते हैं और दूधमें उबालते हैं। वादामको दिमागके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नारियलका उपयोग हम जिन विविध तरीकोसे करते हैं उनमें से एकका उल्लेख-मात्र मैं कर दू। नारियलकी गरीको पहले बारीक कसा जाता है, फिर उसमें घी और शक्कर मिलाई जाती है। उसका स्वाद बहुत बढिया होता है। आशा है, आपमें से कुछ लोग अपने घरमें नारियलके मीठे लड्डू कहलानेवाली इस वस्तुका स्वाद चख कर देखेंगे। महिलाओ और सज्जनो, यह है भारतके आहारोकी एक रूपरेखा — एक नितान्त अपूण रूपरेखा। आशा है, आपको उनके बारेमें ज्यादा जानकारी हासिल करनेकी प्रेरणा होगी। और मुझे निश्चय है, ऐसा करनेसे आप लाभान्वित होंगे। अन्तमें, मैं यह भी आशा करता हूँ कि एक समय ऐसा आयेगा जब इंग्लैंडकी मासाहारकी आदतों और भारतकी अन्नाहारकी आदतोंका भारी भेद मिट जायेगा। और उसके साथ ही कुछ दूसरे भेद भी मिट जायेंगे, जो कहीं-बही उस एकता तथा सहानुभूतिमें बाधा डालते रहते ह, जो दोनों देशोके बीच रहनी चाहिए। मुझे आशा है, भविष्यमें हम प्रयाओकी और हृदयोकी भी एकता स्थापित करनेकी वृत्ति रखेंगे।

[ अन्तमें ]

वेजिटेरियन मेसेंजर, १-६-१८९१

१ धार्मिक उपवासके दिन — एकादशी आदि।

## १० लदनके वैड आफ मर्सीके समक्ष भाषण

अपर नारबुड। जैसा कि पहलेसे प्रवचन कर लिया गया था, कुमारी सीकोम्बके सौजन्यसे श्रीमती मैकडुआल वैड आफ मर्सीके सदस्योंके सम्मुख भाषण देनेवाली थी। परन्तु उनके बीमार हो जानेके कारण श्री गांधी (भारतके एक हिन्दू) से विनती की गई और उन्होंने कृपापूर्वक भाषण देना मजूर कर लिया। श्री गांधी कोई पंद्रह मिनट तक दया-धमके दृष्टिविन्दुसे अन्नाहार पद्धति पर बोले। उन्होंने इस बातका आग्रह किया कि वैड आफ मर्सीके सदस्योंके लिए युक्तिसंगत तो यही है कि वे अन्नाहारी बन जायें। उन्होंने अपना भाषण शेक्सपियरका एक वचन पढ़कर समाप्त किया।

[अग्नेजीने]

वेजिटेरियन, ६-६-१८९१

## ११. हालवनमें विदाईका भोज

जून ११, १८९१

यद्यपि वह एक प्रकारका विदाई-भोज था, फिर भी वहां दुःखका कोई चिह्न नहीं था, क्योंकि, सब यही अनुभव कर रहे थे कि यद्यपि श्री गांधी भारत लौट रहे हैं, वे अन्नाहारके पक्षमें और भी बड़ा काम करनेके लिए जा रहे हैं। और इस समय अधिक उचित यह है कि व्यक्तिगत विछोह पर शोक प्रकट करनेके बजाय उन्हें कानूनी अध्ययनकी समाप्ति और सफलता पर बधाई दी जाये।

समारोहकी समाप्ति पर श्री गांधीने एक सुसंस्कृत भाषण द्वारा उपस्थित सज्जनोका स्वागत किया, हालांकि भाषण देते समय वे कुछ घबड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंडमें मास-त्यागकी बढ़ती हुई वृत्ति देखकर उन्हें हृष हो रहा है। उन्होंने यह बताने हुए कि लदनकी वेजिटेरियन सोसायटी [अन्नाहारी मण्डल] के सम्पकमें वे किस प्रकार आये, हृदयस्पर्शी भाषामें कहा कि श्री ओल्डफील्डके वे कितने ऋणी हैं।

१ पशुओंके प्रति क्रूरता निवारण करनेवाला संघ।

२ वेजिटेरियनके सम्पादक डा० जोशाया ओल्डफील्ड।

उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि फेडरल यूनियन [संयुक्त सभ] का कोई अगला अधिवेशन भारतमें किया जायेगा ।

[ अग्रजीसे ]

वेजिटेरियन, १३-६-१८९१

## १२ इंग्लैंड क्यों गये ?

वेजिटेरियनके एक प्रतिनिधिने गांधीजीके प्रश्न पूछ कर उनके विस्तृत उत्तर माँगे थे । उद्देश्य यह था कि इंग्लैंडके लोग उन कठिनाइयोंको समझ सकें, जो अध्ययनके लिए इंग्लैंड जानेके श्रेष्ठ हिन्दुओंको डोलनी पड़नी हैं । दूसरा उद्देश्य उन हिन्दुओंको यह बताना भी था कि किस तराकेने कठिनाइयोंको पार करना सम्भव हो सकता है । उक्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिये जा रहे हैं ।

१

श्री गांधीसे पहला प्रश्न यह किया गया — इंग्लैंड जाने और कानूनी पेशा अख्तियार करनेकी प्रेरणा सबसे पहले आपकी किस बातसे मिली ?

एक शब्दमें — महत्त्वानुशासे । मैंने सन् १८८७ में बम्बई विश्वविद्यालयसे मैट्रिककी परीक्षा पास की । बादमें भावनगर कालेजमें दाखिल हुआ । कारण यह था कि अतक कोई बम्बई विश्वविद्यालयका स्नातक (ग्रैजुएट) नहीं हो जाता, उसे समाजमें प्रतिष्ठा नहीं मिलती । यदि कोई उसने पहले ही नौकरी करना चाहे तो उसे तबतक अच्छे वेतन और आदर-मानकी नौकरी नहीं मिलती जबतक कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति उसका पूठ-पोषक न हो । परन्तु मैंने देखा कि स्नातक बननेके लिए मुझे कमसे कम तीन वर्ष खर्च करने पड़ेंगे । इसके अलावा, मुझे हमेशा सिर-दद और नाकसे खून बहनेकी शिकायत रहा करती थी, जिसका कारण गरम आबहवा मानी जाती थी । और, आखिर, स्नातक बनकर भी तो मैं बहुत बड़ी आमदनीकी आशा नहीं कर सकता था । मैं लगातार इन चिन्ताओंमें डूबा रहने लगा । ऐसे ही अवसर पर मेरे पिताके एक पुराने मित्र मुझसे मिले और उन्होंने मुझे इंग्लैंड जाने और बैरिस्टरी पास करनेकी सलाह दी । मानो, उन्होंने मेरे अन्दर जलती हुई आगको धौंक दिया । मैंने

मनमें सोचा — “अगर मैं इंग्लैंड चला जाऊँ तो न सिर्फ वैंरिस्टर बन जाऊँगा (जिसको मैं बहुत बड़ी चीज समझता था), बल्कि दार्शनिकों और कवियाँकी भूमि, सम्यताके साक्षात् केन्द्र-स्थल इंग्लैंडको भी देत सकूँगा।” मेरे बुजुर्गों पर इन सज्जनका बहुत प्रभाव था, इसलिए मुझे इंग्लैंड भेजनेके लिए उन्हें समझानेमें ये सफल हो गये।

मेरे इंग्लैंड आनेके कारणका यह बहुत सन्धिप्त ध्यान है। परन्तु यह मेरे आजके विचारोंका द्योतक नहीं है।

आपके इस महत्त्वाकांक्षी आयोजन पर आपके सब मित्र तो खुश ही हुए होंगे ?

नहीं नहीं, सब नहीं। मित्र तो अलग-अलग तरहके होते हैं। जो मेरे सच्चे मित्र और मेरी ही उम्रके थे, उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं इंग्लैंड जाने वाला हूँ। कुछ मित्र — या यो कहिए कि शुभाकांक्षी — उम्रमें बड़े थे। उनका सच्चा विश्वास था कि मैं अपने-आपको बरबाद करने जा रहा हूँ और इंग्लैंड जाकर मैं अपने परिवारके लिए कलकरूप बन जाऊँगा। दूसरे लोगोंने केवल ईर्ष्या-द्वेषके कारण विरोध किया। उन्होंने कुछ ऐसे वैंरिस्ट्रोको देखा था, जिनकी आमदनी अपार थी। उन्हें डर था कि मैं भी वैसी ही कमाई कर लूँगा। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है (इस समय मैं लगभग २२ वर्षका हूँ), या मैं इंग्लैंडकी आबहवाको बरदासत नहीं कर सकूँगा। सारांश यह कि कोई भी दो लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने एक ही कारणसे मेरे आनेका समर्थन या विरोध किया हो।

आपने अपने इरादोंकी पूर्ण करनेके लिए क्या-क्या किया ? अगर फट न हो तो कृपया बताइए कि आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ हुईं और आपने उन्हें कैसे पार किया ?

मैं आपको अपनी कठिनाइयाँकी कहानी बतानेका प्रयत्न भी करूँ तो आपका मूल्यवान पत्र पूराका पूरा भर जायेगा। वह तो एक दुःख और ददकी कहानी है। उन कठिनाइयाँकी तुलना तो बखूबी रावण — हिन्दुओंके द्वितीय' महान कथा-ग्रंथ रामायणके राक्षस प्रतिनायक, जिसे रामायणके चरितनायक राम

बुद्ध बरवे हराया था — के सिरोंसे धी जा सवती है, जो बहुत-से थे और कटते ही फिर उग आते थे। उन्हें चार मुख्य शीपकोमें बाँटा जा सकता है — धन, मेरे बुजुर्गोंकी सहमति, सम्बन्धियोंसे जुदाई और जाति-बधन।

पहले धनकी बात ले लें। यद्यपि मेरे पिता एकसे ज्यादा देरी रियासतोंके दीवान रहे थे, उन्होंने कभी धन-भ्रम नहीं किया। उन्होंने जो कुछ कमाया, सब अपने बच्चोंकी शिक्षा, विवाहों और धर्माय कार्योंमें खर्च कर डाला। फलत हमारे लिए बहुत पैसा नहीं बचा। वे कुछ अचल सम्पत्ति छोड़ गये थे और वही सब-कुछ थी। जब उनसे पूछा जाता था कि आपने अपने बच्चोंके लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा तो वे जवाब देते थे कि मेरे बच्चे ही मेरी सम्पत्ति हैं, और अगर मैं बहुत-सा रुपया जमा कर लूँगा तो बच्चे बिगड़ जायेंगे। इसलिए रुपयोंकी बठिनाई मेरे सामने छोटी नहीं थी। मैंने राज्यसे कुछ छात्रवृत्ति पानेकी कोशिश की, मगर मैं उसमें असफल रहा। एक जगह तो मुझसे कहा गया कि पहले स्नातक (ग्रैजुएट) बनकर अपनी योग्यता सिद्ध करो, फिर छात्रवृत्तिकी अपेक्षा करना। अनुभव मुझे बताना है कि जिन सज्जनने यह बात कही थी, उन्होंने ठीक ही कहा था। परन्तु मैं किसी बातसे विचलित नहीं हुआ। मैंने अपने सबसे बड़े भाईसे अनुरोध किया कि जो-कुछ भी धन बच गया है वह सब इंग्लैंडमें मेरी शिक्षाके लिए दे दें।

भारतमें प्रचलित कुटुम्ब प्रणालीका परिचय देनेके लिए यहाँ थोडा-सा विषयान्तर किये बिना काम न चलेगा। भारतमें, इंग्लैंडके विपरीत, लडके हमेशा माता पिताके साथ ही रहते हैं, लडकियाँ विवाह तक रहती हैं। वे जो-कुछ कमाते हैं वह पिताके हाथोंमें जाता है। इसी तरह जो-कुछ खोते हैं वह भी पिताका ही नुकसान होता है। हाँ, भारी क्षण्ड आदिकी जैसी विशेष परिस्थितियोंमें तो लडके भी अलग हो ही जाते हैं। परन्तु ये अपवाद हैं। मेनकी कानूनी भाषामें “पश्चिममें सम्पत्ति साधारणतः व्यक्तिगत होती है, पूर्वमें साधारणतः संयुक्त होती है।” सो, मेरे पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी। सब-कुछ मेरे भाईके हाथोंमें था और हम सब एक-साथ रहते थे।

तो, फिर धनकी बात। मेरे पिता जो थोडा-सा धन मेरे लिए छोड़ सके थे वह मेरे भाईके हाथोंमें था। वह उनकी अनुमतिसे ही निकल सकता था। इसके अलावा, वह रुपया काफी नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि सारी पूँजी मेरी शिक्षामें लगा दी जाये। आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या यहाँ कोई भाई ऐसा करेगा? भारतमें भी ऐसे भाई बहुत कम हैं। उनसे कहा गया था कि पश्चिमी

विचार ग्रहण करके मैं एक नालायक भाई साबित हो सकता हूँ। और मरत रूपया तो तभी वापस मिल सकेगा जब मैं जीवित भारत लौट सकूँ, जिसमें बहुत सन्देह व्यक्त किया गया था। परन्तु मेरे भाईने ये सब उचित और सदाचारपूर्ण चेतावनियाँ सुनी-अनसुनी कर दी। मेरे प्रस्तावकी स्वीकृतिके लिए केवल एक शत रखी गई। वह शर्त यह थी कि मैं अपनी माता और चाचाकी अनमति प्राप्त कर लूँ। मेरे भाई जैसे भाई बहुत लोगोंने हा। फिर मैं अपन हिस्सेके काममें लगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह काम बड़ा दुसाध्य था। सौभाग्यसे मैं अपनी माँका दुलारा था। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था। इसलिए मैं उनका अघविश्वास दूर करनेमें तो सफल हो गया, परन्तु मैं तान वपकी जुदाईके लिए उनकी अनुमति कैसे प्राप्त कर सकता था? तथापि, इल्ल आनेके फायदोको अतिरजित करके बताने पर मैंने उनको राजी कर लिया। फिर भी वे अनिच्छापूर्वक राजी हुईं। अब रही चाचाकी बात। वे बनारस तथा अन्य तीर्थोंको जानेके लिए तैयार थे। तीन दिन लगातार समझाने और मतानक बाद मैं उनसे यह उत्तर पा सका

“मैं तो तीर्थयात्राके लिए जा रहा हूँ। तुम जो-कुछ कह रहे हो वह ठीक हो सकता है, परन्तु मैं तुम्हारे अधामिक प्रस्ताव पर राजी-खुशीसे ‘हाँ’ कसे कह सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी माताको जाने पर कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे दखल देनेका कोई अधिकार नहीं।”

इसका अर्थ ‘हाँ’ लगा लेना कठिन नहीं हुआ। परन्तु मुझे इन दो व्यक्तियोंको ही राजी नहीं करना था। भारतमें कोई वितना ही दूरका सबधी क्यों न हो, हरएक समझता है कि उसे दूसरेके मामलोमें दखल देनेका एक हक है। परन्तु जब मैंने इन दो से इनकी सम्मति निचोड़ ली (क्योंकि वह ‘निचोड़ने’ के अलावा और कुछ न था), तब आर्थिक कठिनाइयाँ लगभग मिट गई।

दूसरे शीपककी कठिनाइयाकी आशिक चर्चा ऊपर हो चुकी है। आपको शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं विवाहित हूँ। (विवाह बारह वपकी उम्रमें हुआ था।) इसलिए अगर मेरी पत्नीके माता पिताने सोचा कि उन्हें —केवल अपनी लडकीके हितके लिए ही सही—मेरे मामलेमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार है, तो उनका क्या दाप? मेरी पत्नीकी देख भाल करनेवाला कौन था? वह तीन वप कैसे काटेगी? आई मेरे भाई पर—वे उसकी देख भाल करेंगे! बेचारे भाई! अगर श्वशुरकी नाराजगीका असर मेरी माँ और मेरे

भाई पर पडनेवाला न होता तो अपने उस समयके विचारोंके अनुसार मैं उनकी न्यायोचित आशकाओं और गुराहटकी परवाह न करता। अपने श्वशुरके साथ एकके बाद एक रात बैठना, उनकी आपत्तियाँ सुनना और उनका सफलतापूर्वक जवाब देना कोई सरल काम नहीं था। परन्तु “धीरज और परिश्रमसे पहाड़ भी कट जाता है” — यह पुरानी कहावत मुझे इतनी अच्छी तरह सिखाई गई थी कि मैं पीछे हटनेवाला नहीं था।

जब मुझे रुपया और आवश्यक अनुमति मिल गई तब मैं सोचने लगा — “यह सब जो मुझे इतना प्यारा है और मेरे इतने नजदीक है, इससे जुदा होनेके लिए अपने मनको कैसे समझाऊँ ?” हम भारतीय जुदा होना पसन्द नहीं करते। जब मुझे थोड़े ही दिनोंके लिए घरसे जाना पडा था तभी मेरी माँ रोया करती थी। तो अब मैं अपने आवेगसे मुक्त रहकर ये हृदय विदारक दृश्य कैसे देखूंगा ? मेरे मनको जो वेदना सहनी पडी उसका वणन करना असभव है। जब विदाईका दिन नजदीक आया तो मैं करीब-करीब बेहाल हो उठा। परन्तु मैंने बुद्धिमत्ता की कि अपने परम प्रिय मित्रोंको भी यह बात नहीं बताई। मैं जानता था कि मेरा स्वास्थ्य जवाब दे रहा है। सोते, जागते, खाते, पीते, चलते, दौड़ते, पढ़ते, मैं इंग्लैंडके ही स्वप्न देखता, उसके ही विचारमें डूबा रहता और सोचता रहता कि विदाईके उस गुरुतम दिन मैं क्या कहूँगा। आखिर वह दिन आ पहुँचा। एक ओर मेरी माँ अपनी आसूभरी आँखोंको हाथमें छिपाये थी, परन्तु उनके सिसकनेकी आवाज साफ सुनाई पड रही थी, दूसरी ओर मैं करीब-करीब पचास मित्रोंके बीचमें था। मैंने मनमें कहा — “अगर मैं रोया तो ये लोग मुझे बहुत दुबल समझेंगे, शायद मुझे इंग्लैंड जाने भी न देंगे।” इसलिए, यद्यपि मेरा हृदय फट रहा था, मैं रोया नहीं। अन्तमें अपनी पत्नीसे विदा लेनेका मौका आया। यह मौका अन्तमें भले ही आया हो, किन्तु महत्त्वमें अन्तिम नहीं था। मित्रोंकी उपस्थितिमें पत्नीसे बातचीत करना चालके विरुद्ध होता। इसलिए मुझे उससे एक अलग कमरेमें मिलना पडा। निस्सन्देह उसने बहुत पहलेसे ही सिसकना शुरू कर दिया था। मैं उसके पास गया और क्षण भरके लिए गूगी प्रतिभाके समान उसके सामने खडा रहा। मैंने उसका चुम्बन किया और उसने कहा — “जाओ मत !” इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वणन करनेकी जरूरत नहीं। यह सब तो हो गया, मगर मेरी चिन्ताओंका अन्त नहीं हुआ। यह तो अन्तका आरम्भमात्र था। विदा लेनेका काम सिफ आधा निबटा था। माँ और पत्नीसे तो राजकोटमें ही (जहाँ मैंने शिक्षा पाई थी) विदा ले चुका था, मगर



मेरे भाई और दूसरे लोग मुझे विदा करनेके लिए बम्बई तक आये थे। वहाँ जो दृश्य उपस्थित हुआ, वह कम भ्रमस्पर्शी नहीं था।

बम्बईमें मेरे जाति भाइयोंके साथ जो टक्करें हुईं, उनका वर्णन बला द्रु साध्य है, क्योंकि बम्बई उनका मुख्य बडडा है। राजकोटमें मुझे ऐसे किसी नामलायक विरोधका सामना नहीं करना पडा था। बम्बईमें दुर्भाग्यवश मुझ शहरके बीचमें रहना पडा। वही उनकी सबसे ज्यादा बस्ती थी। इसलिए मैं चारो ओरसे घिरा हुआ था। किसी न किसीने घूरने और अँगुली उठानेसे बच कर मेरा बाहर निकलना भी संभव नहीं था। एक बार तो, जब मैं टाउनहॉल्के पाससे गुजर रहा था, लोगोंने मुझे घर लिया था और मुझ पर हू-हाकी बौछार की थी। बेचारे मेरे भाईको चुपचाप यह सब दृश्य देखना पडा। पराकाष्ठा तब हुई जब जातिके मुख्य प्रतिनिधियोने एक विराट सभाका आयोजन किया। जातिके हर आदमीको सभामें बुलाया गया और जो न आये उसे पाँच आने जुमानेकी धमकी दी गई। यहाँ मैं बता दू कि इस कारवाईका निश्चय करनेके पहले उनका कई शिष्टमंडलोंने जा-आकर मुझे परेशान किया था। परन्तु वे असफल रहे थे। इस विशाल सभामें मुझे श्राताअकि बीचोबीच बैठाया गया। जातिके प्रतिनिधियोने, जिन्हें 'पटेल' कहा जाता है, मुझे खूब सम्स्त-सुस्त सुनाई। मेरे पिताजीके साथ अपने सबघोकी याद भी दिलाई। मैं कह सकता हूँ कि यह सब मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। उन्होंने अक्षरशः मुझे एकान्त स्थानसे घसीट कर सबके बीचमें बैठाया था, क्योंकि मैं तो ऐसी बातोंका अभ्यस्त नहीं था। इसके अलावा, परले दर्जेके शरमीले स्वभावके कारण मेरी स्थिति और भी सकटापन्न हो गई थी। आखिर, यह देखकर कि डाँट-फटकारका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मुख्य पटेलने मुझसे इस आशयकी बातें कही — "तुम्हारे पिता हमारे दोस्त थे इसीलिए हमें तुम पर दया आती है। तुम जानते हो, जातिके मुखियोकि नाते हममें कितनी शक्ति है। हम ठीक-ठीक जानते हैं कि इंग्लैंडमें तुम्हें मास खाना पडेगा, और दारू पीनी पडेगी। इसके अलावा, तुम्हें समुद्र पार जाना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सब हमारे जाति-नियमोंके खिलाफ है। इस लिए हम तुम्हें हुजम देने हैं कि अपने फँसले पर फिरसे सोच-विचार कर लो। नहीं तो, तुम्हें भारीसे भारी सजा दी जायेगी। तुम्हें क्या कहना है?"

मैंने इन शब्दोंमें जवाब दिया — 'आपकी ताकीदाके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मगर अफसोस है कि मैं अपना फँसला बदल नहीं सकता। मैंने इंग्लैंडके बारेमें जो-कुछ सुना है वह आप जो-कुछ कह रहे हैं उससे बिल्कुल

मिन्न है। वहा जरूरी नहीं कि मास-मदिराका सेवन करना ही पड़े। और जहानक समुद्र पार करनेकी बात है, अगर हमारे भाई-बन्द अदन जा सकते हैं तो मैं इन्ग्लैंड क्यों नहीं जा सकता? मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इन सब आपत्तियोंके पीछे ईर्ष्या काम कर रही है।”

लायक पटेलने गुस्सेसे जवाब दिया—“तो, ठीक है। तुम अपने बापके बेटे नहीं हो।” फिर श्रोताओकी ओर मुख करके उसने कहा—“इस लड़केने अपना होश खो दिया है। हम हरएकको आज्ञा देते हैं कि इसके साथ कोई वास्ता न रखा जाये। जो इसको किसी भी तरहसे मदद करेगा, या इसे विदा करने जायेगा उसे जातिसे निकाल दिया जायेगा। और अगर यह लड़का कभी लौटकर आ सके तो इसे बतला दिया जाये कि यह फिरसे कभी जातिमें नहीं लिया जायेगा।”

ये शब्द लोगो पर बज्ज जैसे पड़े। अब तो उन थोड़े-भे चुने हुए लोगोने भी मुझे छोड़ दिया, जो गाढे समयमें भी मेरा साथ देते आये थे। मेरा बड़ा मन था कि उस झुंकरपनकी घमकीका जवाब दू, मगर मेरे भाईने मुझे रोक लिया। इस तरह मैं उस अग्नि-परीक्षासे सकुशल निकल तो आया, मगर मेरी स्थिति पहलेसे भी बदतर हो गई। स्वयं मेरे भाईका मन भी डाँवाडोल होने लगा, हालांकि यह क्षण भरके लिए ही था। उनको यह घमकी याद आई कि वे मुझे जो धनकी सहायता करेंगे उससे उन्हें अपना पैसा ही नहीं, बल्कि विरादरी भी खो देनी पड़ेगी। इसलिए, उन्होंने रू-ब-रू मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर अपने कुछ मित्रोंसे कहा कि वे मुझे या तो अपने निणय पर फिरसे विचार करनेको या क्षोभ ठंडा पडने तकके लिए उसे स्थगित कर देनेको समझायें। मेरा जवाब तो सिफ एक ही हा सकता था। और उसके बाद उन्होंने कभी पसोपेश नहीं किया। और, सचमुच तो, उन्हें जाति-बहिष्कृत भी नहीं किया गया। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जातिवालोकी कारस्तानिया बराबर चलती रही। इस बार वे करीब-करीब सफल हो गये, क्योंकि उन्होंने मेरा जाना एक पखवारेके लिए मुलतवी करा दिया। यह उन्होंने इस तरह किया हम एक जहाज कम्पनीके कप्तानसे मिलने गये। उससे यह कह देनेका अनुरोध किया गया था कि समुद्रमें तूफानी मौसम होनेके कारण उस समय—अगस्तमें—खाना होना मुनासिब न होगा। मेरे भाई सब बातें माननेको तैयार थे, मगर तूफानी मौसममें खाना होने देनेको तैयार न थे। दुर्भाग्यसे मेरे लिए यह पहली ही समुद्र-यात्रा थी। इसलिए यह भी कोई नहीं जानता था कि मैं आरामसे

मजूमर-नामा का मतलब है मा गरी। इस नाम में साधारण हो गया। अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अपनी स्वाधीनता देनी पड़ी। मुझे तो क्या कि सात बाल-बालियां गैर विवाह जायेगा। भरे भाई भरो एन मित्रके नाम एक बिट्टी छोट कर, जिसमें उम्र अनुरूप दिया गया था कि समय आने पर मुझे निरापेक्षा पैसा दे दें, पागल बन गये। जूनाईका दूध बना ही था, जून ऊपर बाँटा दिया गया है। अब मैं बम्बईमें अकेला रह गया। जूनाईका निरापेक्षा लिए पैसा नहीं था। वहाँ मुझे जिता ठहरना पड़ा, उम्र एक-एक पटा एक-एक बंध जैसा मान्य होता था। इसी बीच मैंने गुना कि एक और भारतीय मजूमर भी इस में जा रहे हैं। यह तो भर लिए ईश्वर-प्रति समानार था। मैंने साधा, अब मुझे जाने दिया जायेगा। मैंने उत बिट्टीका उपयोग किया, परन्तु भाईके मित्रों मुझे अपना दोमे इनकार कर दिया। मुझे सोचीम पटोंके अन्दर तैयारी करनी थी। इसलिए मैं भयानक बेचनीमें था। रुपयेके बिना ऐसा महंगम करता था गाँवों में पगहीन पगो हूँ। ऐसे समयमें एन मित्र मददवा आ गये और उन्होंने माग-व्यय दे दिया। उन्हें तो मैं हमेशा ही धन्यवाद दूँगा। भरो टिबट गरीब दिया, जून नाईका तार दे दिया और ४ सितंबर, १८८८ को मैं इंग्लैंडके लिए रवाना हो गया। इस तरहकी थी भरी मुख्य कठिनाइयाँ, जो लगभग पाँच माह तक चलती रही। वह समय भयानक चिन्ता और मास्तापका था। कभी आशा और कभी निरापेक्षा बीच, हमेशा अधिक्ते अधिक् प्रयत्न करता हुआ, और इष्ट लक्ष्य दिग्मानेके लिए ईश्वर पर निर्भर होकर, मैं अपना गाँव पीचता रहा।

[ अंग्रेजीमें ]

वेजिटेरियन, १३-६-१८९१

२

इंग्लैंड पहुँचने पर तो आपकी मासाहारकी समस्याका प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा होगा; आपने उसको कैसे हल किया ?

मैं बेमार्गे उपदेशोके भारसे दब गया था। सदाशयी किन्तु अनजान मित्र अपनी सलाहें अनिच्छुक श्रवण-गुटोमें ठूसते रहे थे। उनमें से ज्यादातरने तो

यह कहा था कि ठंडी आबहवामें तुम्हारा काम मासके बिना नहीं चलेगा। तुम्हें क्षय-रोग हो जायेगा। श्री 'जैड' इंग्लैंड गये थे और वे अपनी मूर्खतापूर्ण वीरताके कारण क्षय-रोगके शिकार हो गये थे। दूसरे लोगोंने कहा कि तुम मासके बिना तो रह सकते हो, मगर शराबके बिना घूम-फिर नहीं सकते। सर्दीसे जखड जाओगे। एवने तो यहाँतक उपदेश दे डाला कि तुम टिप्पनीकी आठ बोटलें साथ रख लो, क्योंकि अदनसे आगे जानेके बाद तुम्हें उसकी जरूरत पड सकती है। एक अन्य सज्जनने घूम-पानकी सलाह दी, क्योंकि उनका मित्र इंग्लैंडमें घूम-पानके लिए बाध्य हो गया था। इंग्लैंड होकर आये हुए डाक्टर तब यही कहानी सुनाते थे। मैंने जवाब दिया कि मैं इन सब चीजोंको टालनेकी ज्यादासे ज्यादा कोशिश करूँगा। परन्तु यदि ये बिलकुल जरूरी ही मालूम हुई ता मैं नहीं जानता क्या करूँगा। मैं यहाँ वह दू कि उस समय माससे मुझे इतनी चिड नहीं थी, जितनी कि आज है। जिन दिनों मैंने अपने लिए सोचनेका अधिकार अपने मित्रोंको दे रखा था, उन दिनों मैं छ या सात बार मास खानेके चक्करमें पड भी चुका था। परन्तु जहाजमें मेरे विचार बदलने लगे थे। मैंने सोचा कि मुझे किसी भी कारणसे मास नहीं खाना चाहिए। मेरी मानि मुने यहाँ आनेकी अनुमति देनेके पूर्व मुझे मास न खानेका वचन ले लिया था। और कुछ नहीं तो उस वचनसे ही मैं मास न खानेकी बंधा हुआ था। जहाजके सह-यात्री हमें (मुझे और मेरे साथके मित्रको) सलाह देने लगे कि जरा परीक्षा करके तो देखो।

उनका कहना था कि तुम्हें अदा छोडनेके बाद उसकी जरूरत पडेगी। जब यह गलत सिद्ध हो गया तो फिर बताया गया कि लाल समुद्र पार करनेके बाद जरूरत होगी। और जब यह भी झूठा हुआ तो एक यात्रीने कहा — “अभीतक मौसम बहुत उग्र नहीं रहा, परन्तु बिस्केकी खाडीमें आपको मौत और मास मदिरामें से एक्को पसन्द करना होगा।” वह सकटका मौका भी सकुशल बीत गया। लदनमें भी मुझे ऐसी डाँट-फटकारें सुननी पडी थी। महीनो तब मेरी भेंट किसी अन्नाहारीसे नहीं हुई। मैंने एक मित्रके साथ अन्नाहारकी पर्याप्तताके विषयमें यहसा करते हुए कई दिन चिन्तामें बित्तये। परन्तु उस समय अन्नाहारके पक्षमें मुझे जीव-दयाकी दलीलोको छोडकर और किन्ही दलीलोका ज्ञान नहीं था। दूसरी ओर, मेरे मित्रने ऐसी बहसामें जीव-दयाके विचारको तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार कर दिया। अतएव मुझे हार

खानी पडी। आखिरकार मैंने यह कहकर उसका मुँह बन्द किया कि मैं मर जाना पसन्द करूँगा, परन्तु अपनी माताको दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। “छि।” उसने कहा, “वचन! घोर अन्धविश्वास! परन्तु यहाँ आने पर भी तुममें इतना अन्धविश्वास कायम है कि तुम इन वेवकूफियोंमें विश्वास करते हो, तो अब मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। काश! तुम इंग्लैंड आये ही न होते।”

वादमें, शायद एक बारको छोड़कर उसने फिर कभी उस बात पर गभीरतासे जोर नहीं दिया, हालांकि तबसे उसने कभी भी मुझे मूखसे बेहतर नहीं माना। इसी बीच मुझे याद आया कि एक बार मैं एक अन्नाहारी जलपान-गृहके पाससे निकला था (वह “पारिज वाउल” था)। मैंने एक आदमीसे वहाँका रास्ता पूछा, मगर वहाँ पहुँचनेके बदले, मैंने “सेंट्रल” जलपान-गृह देखा और वहाँ जाकर पहली बार थोड़ा-सा दलिया खाया। वह तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर दूसरे परोसेमें जो ‘पाई’ [आटेकी पतली परतके बीच कुचले हुए फलाकी मोटी परत भरकर सेंकी गई मीठी रोटी] दी गई, वह मुझे पसन्द आई। वहीसे सबसे पहले कुछ अन्नाहारी साहित्य लाया। उसमें एक प्रति एच० एस० साल्ट कृत ‘ए प्ली फार वेजिटेरियनिज्म’ [अन्नाहारकी हिमायत] की भी थी। उसे पढ़नेके बाद मैंने अन्नाहारको सिद्धान्तिक रूपमें स्वीकार कर लिया।

तबतक मैं मासको वैज्ञानिक दृष्टिसे ज्यादा अच्छा आहार समझता था। इसके अलावा, उसी जलपान-गृहमें मुझे मालूम हुआ था कि मैचेस्टरमें एक अन्नाहारी सघ है। परन्तु मैंने उसमें कोई सक्रिय दिलचस्पी नहीं ली। मैं कभी-कभी वेजिटेरियन मेसेंजर पढ़ लिया करता था, इससे अधिक कुछ नहीं। वेजिटेरियनकी जानकारी तो मुझे एक-डेढ़ बपसे ही है। ऐसा कहा जा सकता है कि लंदनके अन्नाहारी सघकी जानकारी मुझे अन्तर्राष्ट्रीय अन्नाहारी कांग्रेसमें हुई थी। कांग्रेसकी बैठककी सूचना मुझे श्री जोशया ओल्डफील्डके सौजन्यसे प्राप्त हुई थी। उन्होंने एक मित्रसे मेरे बारेमें सुना था और मुझसे कांग्रेसमें शामिल होनेको कहा था। अन्तमें मुझे बहना हाँगा कि इंग्लैंडमें लगभग तीन बप रहकर मैंने कई काम नहीं किये, और कई काम ऐसे किये हैं जिन्हें शायद न करता तो अच्छा होता। फिर भी मुझे यह एक महान सतोष है कि मैंने धराय और मासका सबन नहीं किया,

उनसे बचकर भारत लौट रहा हूँ। और अपने व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि इंग्लैंडमें भी इतने-बहुत अन्नाहारी मौजूद हैं।

[ अंग्रेजीमें ]

वेजिटेरियन, २०-६-१८९१

## १३ एडवोकेट बननेके लिए आवेदन

बम्बई

नवम्बर १६, १८९१

सेवामें

प्रोयोनोटरी व रजिस्ट्रार

उच्च न्यायालय

बम्बई

महोदय,

मैं उच्च न्यायालयका एडवोकेट बननेका इच्छुक हूँ। मीने गत १० जूनको इंग्लैंडमें बैरिस्टरीकी सनद प्राप्त की है और इनर टेम्पलमें बारह सत्र पूरे किये हैं। मैं बम्बई प्रान्तमें बैरिस्टरी करना चाहता हूँ।

मैं इसके साथ अपनी बैरिस्टरीका प्रमाणपत्र पेश कर रहा हूँ। जहाँतक मेरे चालचलन और योग्यताके प्रमाणपत्रका सबब है, मैं इंग्लैंडके किसी न्यायाधीशसे कोई प्रमाणपत्र नहीं ले सका, क्योंकि मुझे बम्बई उच्च न्यायालयमें प्रचलित नियमाका पान नहीं था। तथापि मैं श्री डबल्यू० डी० एडवड्सका प्रमाणपत्र पेश कर रहा हूँ। वे इंग्लैंडके सर्वोच्च न्यायालयके बैरिस्टर और "क्वॉम्पेंडियम आफ द ला आफ प्राक्टिस इन लैंड" के रचयिता हैं, जो बैरिस्टरीकी अन्तिम परीक्षाके लिए निर्दिष्ट पुस्तकामें से एक हैं।

आपका

अत्यन्त आज्ञानुवर्ती सेवक

मो० क० गाधी

## १४ स्वदेश वापसीके मार्गमें

१

इम्लैटमें तीन वष रहोके बाद १२ जून, १८९१ को मैं बम्बईके लिए रवाना हुआ। दिन बड़ा सुहावा था। मूयंकी उज्ज्वल घूप फँसी हुई थी। हवाने ठंडे झबोराते बचनेके लिए आवश्यकता नहीं जरूरत नहीं थी।

पौने बारह बजे मुसाफिरोंकी एकत्रेम रेलगाड़ी लिनरपूल स्ट्रीट स्टेशनज जहाज-घाटके लिए रवाना हुई।

जबतक मैं पो० एंट ओ० कम्पनीके जहाज ओशिपानामें सवार नहीं हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं भारत जा रहा हूँ। इतना मेरा लदन और उसने वातावरणसे अनुराग हो गया था, क्योंकि एसा यौन है, जिसका न हो जायेगा? वहाँ जो सिद्धा-सस्याएँ, सावजनिक कला भवत, अजायबघर, नाटकघर, अपार वाणिज्य, सावजनिक बाग और अन्ना-हारी जलपान-गृह हैं उनके कारण वह विद्यार्थिया, यात्रियो, व्यापारियो, और जिन्हें विरोधी लोग 'खब्बी' कहकर पुकारते हैं उन अन्नाहारियोंके लिए एक योग्य स्थान है। इसलिए मैं गहरे अफसोसके बिना प्यारे लदनसे विदाई नहीं ले सका। साथ ही मुझे खुशी भी थी कि इतने लम्बे अरसेके बाद मैं भारत पहुँचकर अपने मित्रा और सबधियासे मिलूँगा।

ओशिपाना एक आस्ट्रेलियाई जहाज है। उमरी गिनती कम्पनीके सबसे बड़े जहाजोंमें है। उसका वजन ६,१८८ टन और शक्ति १,२०० हासपावर है। इस तैरते हुए विशाल द्वीपमें सवार होने पर हमें अच्छी, ताजगीदेह चाय और नाश्ता दिया गया, जिस पर तमाम यात्रिया और उनके मित्राने समान रूपसे जी भरके हाथ साफ किया। यह बता देना जरूरी है कि चाय-नाश्ता मुफ्त दिया गया था। उस समय जिस इतमीनानमे लोग चाय पी रहे थे, उसे देखकर अनजान व्यक्ति तो यही समझता कि वे सभी यात्री ह (और उनकी सख्या काफी बड़ी थी)। परन्तु जब घटी बजाकर यात्रियोंके मित्राको सूचना दी गई कि जहाज लगर उठानेवाला है, तो वह सख्या बहुतकुछ क्षीण हो गई। जब जहाज बन्दरगाहसे चला तो ढाढस बंधाने और उत्साहित करनेके उद्गारोंका समाँ बँध गया और जहाँ-तहाँ हमालें लहराई जाने लगीं।

बम्बई जानेवाले यात्रियाको अदनमें ओशिपाना छोडकर आसाम जहाज पर बैठना था। इसलिए दोनो जहाजोंका फक बता देना ठीक होगा।

ओशियानामें हजरिये (वेटर) अग्रेज थे। वे सदा साफ-सुधरे और उपकार करनेको तत्पर रहते थे। दूसरी ओर, आसाम जहाजके हजरिये पुतंगीज थे, जो बात-बातमें टकसाली अग्रेजीकी हत्या करते और सदैव अस्वच्छ रहते थे। वे धुन्ने और मन्द भी थे।

इसके अलावा, दोनो जहाजोंमें दिये जानेवाले भोजनकी किस्ममें भी फक था। आसामके यात्री जिस तरह असतोष प्रकट करते रहते थे, उससे यह साफ था। और यही बस नहीं था। ओशियानामें आसामकी अपेक्षा जगह भी अच्छी थी। परन्तु इसका तो कोई इलाज कंपनीके पास नहीं था। अग्रेजोंका जहाज अच्छा है, इसलिए अपने जहाजको वह फेंक तो नहीं दे सकती।

अन्नाहारियोने जहाजमें कैसे काम चलाया, यह सवाल मौजू होगा।

अन्नाहारी तो मुझे मिलाकर सिफ दो ही थे। हम दोनो अगर कुछ बेहतर न मिले तो उबले हुए आलू, गोभी और मक्खनसे काम चला लेनेको तैयार थे। परन्तु हमें उस हदतक जानेकी जरूरत नहीं पडी। भला कारिन्दा (स्ट्यूअर्ड) हमें शाक-सब्जी, चावल, भापमें पकाये हुए और ताजे फल पहले दर्जेके भोजन-गृहसे लाकर दे देता था। और बडी बात तो यह है कि वह हमें चोकरदार आटेकी डबल रोटी (ब्राउन ब्रेड) भी दे देता था। इस तरह, जो भी जरूरी था, सब-कुछ हमें मिल जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि मुसाफिरोको भोजन देनेमें जहाजके लोग बडे उदार होते हैं। बात इतनी ही है कि वे बति कर देते हैं। कमसे कम मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है।

दूसरे दर्जेके भोजन-गृहकी खाद्य-सूचीमें क्या-क्या होता है, और यात्रियोंको कितनी बार भोजन दिया जाता है, इसका वणन कर देना अनुचित न होगा।

पहले तो, औसत दर्जेके यात्रीको एक-दो प्याले चाय और कुछ बिस्कुट दिये जाते हैं। यह विलकुल सुबहकी पहली चीज होती है। साढे आठ बजे सुबह नाश्तेकी घटी होती है और यात्री भोजनशालामें पहुँच जाते हैं। और कुछ हो-न-हो, भोजनके समय तो वे ठीक मिनट-मिनट समयका पालन करते ही हैं। नाश्तेकी सूचीमें आम तौरपर जईका दलिया, कुछ मछली, मास, सब्जी, मुरब्बा, डबल रोटी, मक्खन, चाय या काफी आदि होती है। प्रत्येक वस्तु इच्छानुसार ली जा सकती है।



मैंने अक्सर यात्रियोंको दलिया, मछली और 'करी' [मसालेदार मास] खाते और डबल रोटी तथा मक्खनको दो-तीन प्याले चायसे पेटमें उतारते देखा है।

हमें नाश्तेको हजम करनेका समय भी मुश्किलसे मिल पाता कि डेढ़ बजे दुपहरको फिरसे भोजनकी घटी बज जाती थी। दुपहरका भोजन भी उतना ही अच्छा होता था, जितना कि नाश्ता। उसमें यथेष्ट मास और शाक, चावल, सालन और रोटी आदि वस्तुएँ होती थी। किसी चीजकी बनी दिखलाई न पडती। हफ्तेमें दो दिन दूसरे दर्जेके यात्रियाको साधारण भोजनके अलावा फल आदि दिये जाते थे। परन्तु यह भी बस नहीं था। भोजनका माल-मसाला इतना सुपाच्य होता था कि चार बजे शामको हमें ताजगी देनेवाले चायके प्याले और कुछ बिस्कुटाकी जरूरत महसूस होती थी। परन्तु शामकी हवा चायके उस "छोटे-से प्याले"का सारा असर इतनी जल्दी हर लेती कि साढ़े छ बजे हमें अच्छे-खासे नाश्तेके साथ चाय दी जाती— जिसमें डबल रोटी, मक्खन, फलोके मुरब्बे, सलाद, मास, चाय, काफी आदि होती थी। समुद्रकी हवा इतनी स्वास्थ्यवधक मालूम होती थी कि यात्रीगण थोड़े-से, बिलकुल ही थोड़े (सिफ आठ या दस—ज्यादासे ज्यादा पढ़) बिस्कुट, थोड़ा-सा पनीर और थोड़ी-सी अगुरी शराब या वीयर लिये बिना सोने नहीं जा सकते थे। इस सबकी दृष्टिसे क्या निम्नलिखित पंक्तिर्ण बिलकुल सही नहीं है?

तुम्हारा जठर ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा उदर ही तुम्हारा मन्दिर है, तुम्हारी तोद ही तुम्हारी वेदी है, तुम्हारा रसोइया ही तुम्हारा पुरोहित है। तुम्हारा प्रेम पकानेके बर्तनोमें ही उद्दीप्त होता है, तुम्हारी थढ़ा रसोईघरमें ही तीव्र होती है, तुम्हारी सारी आशा मांसकी घालियोंमें ही छिपी रहती है। बार-बार दावतें देनेवालेके बराबर, उत्तम भोजन करानेवालेके बराबर, अम्यस्त स्वास्थ्य-पान करनेवालेके बराबर तुम्हारे आदरका पात्र कौन है?

दूसरे दर्जेका सलून सब तरहके यात्रियासे काफी भरा था। उसमें सनिक, घर्मोपदेशक, नाई, खलासी, विचार्या, सरकारी कमचारी और, हो सकता है छाहसिक भी थे। तीन या चार महिलाएँ थीं। हम अपना समय खाद्य तौरसे

साने-शीनेमें बिताने थे। चाकी समय या तो ऊँपनेमें बित्ताया जाता या या गणराजमें और कभी-कभी बहम करने, खेलने आदिमें। मगर दो या तीन दिनके बाद बहसा, पत्तो और दूसरोकी निन्दाके कायंत्रमोंके बावजूद नौजनाके बीचका समय बहुत भारी मालूम होने लगा।

हममें से कुछ लोगका कुछ करनेका उत्साह हुआ। उन्होंने गाने-बजाने, रस्ताबन्दी और शौबकी प्रतिपागिताआ और उनमें इनाम देनेका आयोजन किया। एक शाम व्याख्याना और गाने-बजानेके लिए रसी गई।

मैंने सोचा, मानें न मानें, अब मेरे हाथ डालनेका समय आ गया है। मैंने आयोजक समितिके मेन्ट्रीसे अन्नाहारके विषयमें एक छोटा-सा भाषण करनेके लिए पाव पटेका समय मांगा। मेन्ट्रीने बड़े अनुग्रहके भावसे सिर हिलाकर हामी भर दी।

तो, मैंने डटकर तयारी की। मुझे जो भाषण देना था उसे मैंने सोचा, लिखा और एक बार दुहराकर लिख डाला। मैं भली भाँति जानता था कि मुझे विरोधी श्रोताओंका सामना करना है और यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि मेरा भाषण सुनते-सुनते लाग ऊँपने न लगे। मेन्ट्रीने मुझसे कहा था कि मैं विनोदमय भाषण करूँ। मैंने उसे बताया कि मेरा घबरा जाना तो सम्भव है, परन्तु विनोदमय भाषण करना मुझे आता ही नहीं।

जरा सोचिए, उस भाषणका क्या हुआ होगा? गाने-बजानेका दूसरा कार्यक्रम हुआ ही नहीं और, इस तरह, वह भाषण भी कभी नहीं हुआ। इससे मुझे बहुत ध्यया हुई। मेरा खयाल है इसका कारण यह था कि पहली शामको कायंत्रममें कोई भी रस लेता दिखलाई नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे दूसरे दर्जमें पंटी जैसे गायक और स्ट्रैट्टन जैसे वक्ता तो थे ही नहीं।

फिर भी, मैं दो या तीन यात्रियोंके साथ अन्नाहार पर बातचीत करनेमें सफल हुआ। उन्होंने मेरी बात धान्तिसे सुनी और, साराशमें, यह जवाब दिया "हमने मान लिया कि आपकी दलील सही है। परन्तु जबतक हमें अपने वतमान आहारमें भजा मिलता है, तबतक हम आपके आहारका प्रयोग नहीं कर सकते (अपने आहारसे कभी-कभी हमें भन्दानि हो जाती हो तो भी कोई हज नहीं)।"

उनमें से एकने जब देखा कि मुझे और मेरे अन्नाहारी मित्रको रोम अच्छे-अच्छे फल मिलने हैं, तब उसने अन्नाहारका प्रयोग जरूर किया, परन्तु उसके लिए मासका प्रलाभन बहुत बड़ा था।

बेचारा!

[अंग्रेजीसे]

वेजिटेरियन, ९-६-१८९२

## २

इसके अलावा, यात्रियोंके बीच मेन्जोलका भाव रहता था और पहले दर्जेके यात्री सौजन्यका व्यवहार करते थे। उदाहरणके लिए, पहले दर्जेके यात्री समय-समय पर नाटक और नाच किया करते थे और उनमें अक्सर दूसरे दर्जेके यात्रियोंको आमन्त्रित किया जाता था।

पहले दर्जेमें कुछ बहुत भले स्त्री-युरूप थे। परन्तु, बिना किसी झगड़ेके, सिक खेल ही खेलमें मजा नहीं आता था, इसलिए एक शाम कुछ यात्रियोंने छटा पीकर मतवाले हो जाना पसंद किया (क्षमा कीजिए, सम्पादकजी, व शराब तो हर शाम ही पीन थे, मगर इस खास शामको वे पीकर आपसे बाहर हो गये थे)। मालूम होता है, वे विहस्कीकी चुसकियाँ लेते हुए आपसमें बहस कर रहे थे कि उनमें से कुछ लोगोंने अनुचित शब्दोंका प्रयोग कर दिया। इसपर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई, और बादमें लोग घूँसेबाजी पर उतर आये। आँकड़ कार कप्तानके पास शिकायत गई। उसने इन मुक्केबाज भद्र पुरुषोंको आगे हाथो लिया और उनके बाद फिर कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ।

इस तरह अपने समयको खाने-पीने और मनोरजनमें बाँटकर हम आगे बढ़ने रहे।

दो दिनकी यात्राके बाद जहाज जिब्राल्टरके पाससे निकला, मगर किनारे पर नहीं गया। हममें से कुछ लोगोंने आशा की थी कि वह वहाँ रुकेगा। परन्तु जब एका नहीं तो खास तौरसे तम्बाकू पीनेवाले बड़े हताश हुए। उन्होंने वहाँ बिना चुगीकी सस्ती तम्बाकू खरीदनेके मसूवे बाँध रखे थे।

इसके बाद हम माल्टा पहुँचे। वह बोलिया लेनेका स्थान है, इसलिए जहाज वहाँ कोई नौ घंटे तक ठहरता है। इस बीच लगभग सभी यात्री बस्ती देखने चले गये।

माल्टा एक सुन्दर द्वीप है, जहाँ लदनका जैसा धुआँ छाया नहीं रहता। घरोकी बनावट भी भिन्न है। हमने गवर्नरका महल देखा। शास्त्रागार तो देखने ही लायक है। वहाँ नेपोलियनकी गाडी प्रदर्शित की गई है। कुछ सुन्दर चित्र भी देखनेको मिलते हैं। बाजार बुरा नहीं है। फल सस्ते हैं। गिरजाघर बड़ा भव्य है।

हम एक सवारी पर छ मीलकी बड़ी आनन्ददायक सैर करते हुए सतरेके बाग पहुँचे। वहाँ सतरेके हजारो पेड़ थे और कुछ पानीके टाँके थे, जिनमें सुनहली मछलियाँ पली हुई थी। सवारी बड़ी सस्ती थी— सिफ़ ढाई शिलिंग।

मिखमगोके कारण माल्टा कितनी रद्दी जगह बन गई है! यह हो ही नहीं सकता कि आप गंदे दीखनेवाले मिखमगोकी मित्रतोकी झडियोसे बचकर सड़कसे शान्तिपूर्वक गुजर जायें। वे एकदम पीछे पड़ जाते हैं। उनमें से कुछ आपके माग-दशक बननेके लिए तैयार हो जायेंगे और दूसरे आपको चुस्ट या माल्टाकी प्रसिद्ध मिठाईकी दूकानोंमें ले जानेकी तत्परता दिखायेंगे।

माल्टासे हम ब्रिटिसी पहुँचे। वह सिफ़ एक अच्छा बन्दरगाह है। वहाँ आप एक दिन भी मनोरजनमें गुजार नहीं सकते। हमें ९ घंटे या इससे भी ज्यादाका समय था, मगर हम चार घंटाका भी सदुपयोग नहीं कर सके।

ब्रिटिसीके बाद हम पाट सर्ईद पहुँचे। वहा हमने यूरोप और भूमध्य सागरसे अन्तिम बिदाई ली। पोर्ट सर्ईदमें देखने लायक कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप समाजका तलछट देखना चाह तो बात दूसरी है। वह धूर्तों और छलियोसे भरा हुआ है।<sup>१</sup>

पोट सर्ईदसे आगे जहाज बहुत धीमे धीमे चलता है, क्योंकि हम एम० डी'लेसेप्सकी बनावट स्वेज नहरमें प्रविष्ट हो जाते हैं। नहर सतासी मील लम्बी है। जहाजको यह फासला तय करनेमें चौबीस घंटे लगे। हम दोनों ओर जमीनवे निकट थे। पानीका पाट इतना सँकरा है कि कुछ जगहोको छोड़कर कहीं भी दो जहाज साथ-साथ नहीं चल सकने। रातको दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। सब जहाजोको सामने बिजलीका प्रकाश रखना पड़ता है। और यह प्रकाश बहुत जोरदार होता है। जब दो जहाज एक-दूसरेको पार करते हैं तब दृश्य बड़ा सुहावना होता है। सामने वे जहाजसे आनेवाला बिजलीका प्रकाश बिलकुल चौधिया देनेवाला होता है।

१ स्पष्टत यह संकेत नगरवासियोंके एक षण विशेषकी ओर है।

रास्तेमें हमें गैजेट जहाज मिला। हमने उसपर हर्ष ध्वनि की, जिसका उसके यात्रियाने हृदयसे प्रत्युत्तर दिया। स्वेज शहर नहरके दूसरे सिरेपर है। जहाज वहाँ मुगिकलमे आध घंटा ठहरता है।

अब हम लाल मागरमें प्रविष्ट हुए। यह यात्रा तीन दिनकी थी, मगर अत्यन्त कष्टदायक थी। गर्मी असह्य थी। जहाजके अन्दर रहना तो असम्भव था ही, छत पर भी ब्रेहद गर्मी थी। यहाँ पहली बार हमने महसूस किया कि हम गम आबहवाका सामना करनेके लिए भारत जा रहे हैं।

अदन पहुँचने पर हमें हवाके कुछ प्रकारे मिले। हम (बम्बई जानवाले यात्रियो)को यहाँ जहाज बदलकर आसाम जहाजमें बैठना था। यह बसा ही था जैसा कि लदनको छोडकर किसी दीन-हीन गाँवमें जाना। आसाम जहाज आकार-प्रकारमें ओशियानाका शायद आधा भी न होगा।

मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती — आसाममें बैठनेके बाद समुद्रमें तूफानका भी सामना करना पडा, क्योंकि मौसम वर्षारम्भका था। हिन्द महासागर आम तौरपर शान्त रहता है, इसलिए वर्षाकालमें वह क्षुब्ध होकर सारी बसर निकाल लेता है। हमें बम्बई पहुँचनेमें समुद्रपर पाच दिन ज्यादा बिताने पडे। दूसरी रातको तूफान अपने सच्चे रूपमें प्रकट हुआ था। बहुत-से लोग बीमार हो गये थे। अगर कोई छतपर जानेका साहस करता तो उठलता हुआ पानी क्षपाटा मारता था। वही कुछ कडाका होता, वहा कुछ टूट कर गिरता। बोठरीमें शान्तिपूर्वक सोया नहीं जा सकता था। दरवाजा फटफटाना रहता। सामान नाचने लगता। बिस्तरपर पडे लोग बेलन जैसे लुडकते। कभी-कभी लगता कि जहाज डूब रहा है। भोजनकी मेजपर अब कोई आराम नहीं। जहाज आजू-बाजू लुडकता है। उसमे चाटे चम्मच, शोरबेनी रकाबिया और सिरका, तेल आदिकी शीशियोवे स्टैंड भी गोदमें आ गिले हैं। तौलिया पीला रंग जाता है। इसी तरह जाने क्या-क्या होता है।

एक सुबह मैंने कारिन्दा (स्ट्यूअड) से पूछा कि क्या इसे ही असल तूफान कहा जाता है? उसने जवाब दिया “जी नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है।” और उसने अपना हाथ डुलाकर बताया कि असली तूफानमें जहाज कसे लुडकता है।

इस तरह उछलते और गिरने हुए हम ५ जुलाईका बम्बई पहुँचे। उस समय बडे जोराकी वर्षा हो रही थी, इसलिए तटपर जाना कठिन था। फिर भी हम सकुशल तटपर पहुँच गये और हमने आसामसे विदा ली।

ओशियाना और आताममें क्या-खूब मनुष्य-रूपी असबाब भरा था। कुछ लोग बड़ी-बड़ी आशाएँ लेकर आस्ट्रेलियामें धन कमानेके लिए जा रहे थे, कुछ इंग्लैंडमें अपनी पढ़ाई समाप्त करके सम्यजनोचित जीविका उपाजित करनेके लिए भारत जा रहे थे। कुछ कतव्यकी पुकारसे आये थे, कुछ स्त्रियाँ भारत या आस्ट्रेलियामें अपने पतियोंसे मिलने जा रही थी और कुछ साहसिक थे, जो अपने घरसे निराश होकर अपने साहसके कार्योंकी आगे बढ़ानेके लिए भगवान जाने कहीं जा रहे थे!

क्या सबकी आशाएँ पूरा हुईं? यह सवाल है। मनुष्यका मन कितना आशालु होता है, और फिर भी कितनी बार वह निराशाका शिकार होता रहता है! हम आशाओं पर ही तो जीते हैं।

[अंग्रेजीसे]

वेजिटेरियन, १६-४-१८९२

## १५ पत्र पटवारी'को

बम्बई

सितम्बर ५, १८९२

प्रिय भाई पटवारी,

आपके कृपापत्र और मुझे दी हुई सलाहके लिए धन्यवाद।

मैंने अपने पिछले पोस्टकार्डमें आपको लिखा ही था कि मुझे वकालतके लिए विदेश जाना स्यगित कर देना पडा है। मेरे भाई उसके बहुत खिलाफ हैं। उनका खयाल है कि मैं काठियावाडमें खासी-अच्छी आजीविका कमा सकता हूँ—सो भी सीधे तिकडमवाजीमें पड़े बगैर, इसलिए इस विषयमें मुझे हताश नहीं होना चाहिए। कुछ हो, उन्हें आशा है और मेरी ओरसे हर तरहके लिहाजका हक है। इसलिए मैं उनकी सलाह मानूंगा। यहाँ भी मुझे कुछ कामका वादा मिला है। इसलिए मैंने कमसे कम दो महीने यहाँ रहनेका इरादा किया है।

१ राजकोटके रणछोड़लाल पटवारी।

२ सौराष्ट्र भी बड़लाता है।

कोई साहित्यिक नौबरी मजूर कर लेनेसे मेरे कानूनी अम्यासमें बाधा पगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। उल्टे, ऐसे कामसे मेरा ज्ञान बढ़ेगा। वह कालतमें अप्रत्यक्ष रूपसे सहायक हुए बिना नहीं रह सकता। फिर, उसने द्वारा मैं ज्यादा एवाग्र चिन्तसे, चिन्ता-भुक्त रहकर काम कर सकूंगा। परन्तु जगह है कहीं? कोई जगह पा लेना आसान थोड़े ही है।

वेशव, मैंने वज्र आपके राजकोटमें किये हुए वादेके बल पर ही मांगा था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आपके पिताजीको इसका पता नहीं चलना चाहिए। परन्तु अब उसकी चिन्ता न कीजिए। मैं किसी दूसरी जगह कोशिश करूंगा। मेरे लिए समझना कठिन नहीं है कि आपके पास एक बपकी कालतसे बहुत बड़ी बचत नहीं हो सकती।

मेरे भाई सचीनमें नवाबके सचिवके पद पर रख लिये गये हैं। वे राजकोट गये हैं और कुछ दिनोंमें लौटेंगे।

काशीदाससे यह जानकर खुशी हुई कि वे घणुकामें बसनेवाले हैं।

जाति-विरोध हमेशाके समान ही जोरदार है। सारी बात एक आदमी पर निभर है। वह मुझे जातिमें शामिल न होने देनेकी शक्ति भर कोशिश करेगा। मुझे अपने लिए इतना दुःख नहीं, जितना अपने जातिभाइयोंके लिए है। वे तो भेड़ोकी तरह एक आदमीके सकेतपर चलते हैं। कुछ निरपेक्ष प्रस्ताव पास करते रहते हैं और अपना हिस्सा अदा करनेमें अति करके अपनी ईर्ष्याका साफ-साफ परिचय दे रहे हैं। उनके तकोंमें घम तो है ही नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं भी उनमें से ही एक माना जाऊँ, उनके सामन गिडगिडाना और उनकी कीर्तिको बढ़ाना उचित है? उनसे अलग ही रहना ज्यादा अच्छा नहीं है? फिर भी, मुझे जमानेके साथ चलना होगा।

प्रजलालभाईके बारेमें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि वे गुजरातमें कहीं कारभारी बन गये हैं।

आप इतने अच्छे अक्षर लिखते हैं कि मुझे आपकी नकल करनेका लाम हो आया—हालाकि मैं बड़ी कच्ची नकल कर सका हूँ।

आपका हितैषी,

मो० क० गांधी

स्वयं गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिसे।

१ प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर।

## १६ शनास्तका सवाल

प्रिटोरिया

सितम्बर १६, १८९३

सेवामें

सम्पादक

नेटाल एडवर्टाइजर

महोदय,

मेरा ध्यान आपके पत्रमें उद्धृत और समीक्षित उस पत्र<sup>१</sup>की ओर आकर्षित किया गया है, जो श्री पिल्लैने ट्रान्सवाल एडवर्टाइजर को लिखा था। मैं ही वह कमानसीव भारतीय बैरिस्टर हूँ, जो डर्बनमें आया था और अब प्रिटोरियामें हूँ। परन्तु मैं "श्री पिल्लै" नहीं हूँ और न बी० ए० उपाधिधारी ही हूँ।

आपका, आदि,

मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल एडवर्टाइजर, १८-९-१८९३

१ इस शिकायतका पत्र कि उन्हें (श्री पिल्लैको) पैटल-पटरीसे धक्के देकर हटा दिया गया था।



## १७ भारतीय व्यापारी

त्रिगेरिया

सितम्बर १९, १९११

सेवामें

सम्पादक

नेटाल एडवर्टाइजर

महोदय,

यदि आप निम्नलिखित शब्दोंको अपने पत्रमें स्थान देनेकी कृपा करें तो मैं बहुत आभारी हूँगा।

श्री पिल्लैने ट्रान्सवाल एडवर्टाइजरको हाल ही में जो पत्र लिखा था, उसके बारेमें यहाँके कुछ सज्जनोने और वहाँके पत्रोने उन्हें 'गदा' कहकर उनकी छीछालेदर कर डाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या "मुए घूत एशियाई व्यापारियो — समाजका कलेजा ही खा जानेवाले सच्चे धुनो, अथवबर जीवन व्यतीत करनेवाले इन परोपजीवियो" के सम्बन्धमें आपका अग्रलेख कठोर शब्दोंकी प्रतिद्वन्द्वितामें श्री पिल्लैको मान नहीं दे देगा। तथापि, शरी सम्बन्धी रुचियाँ मित्त होती हैं और मैं किसीकी लेखन शैलीके गुण-अवगुणका निणय करने नहीं बैठूँगा।

परन्तु बेचारे एशियाई व्यापारियो पर यह क्रोध क्यों उगला गया? उपनिवेश पर अक्षरशः सत्यानाशका खतरा कैसे उत्पन्न हो गया है, यह समझना तो कठिन है। आपके १५ तारीखके अग्रलेखसे मैं जो कारण समझ सका है उसका सार इन शब्दोंमें बताया जा सकता है — "एक एशियाई दिवालिया हो गया है और उसने पाच पेंस फी-मौड भुगतान किया है। यह एशियाई व्यापारियोका एक वाफी सच्चा नमना है। उन्होने छोटे-छोटे यूरोपीय व्यापारियोको खदेड दिया है।"

अब, जरा मान लें कि एशियाई व्यापारियोमें से अधिकतर दिवाला निकाल देते हैं और अपने लेनदारोको बहुत कम पैसा चुकाते हैं (जो सत्य बिलकुल नहीं है), तो भी क्या उन्हें उपनिवेशसे या दक्षिण आफ्रिकासे खदेड देनेके लिए यह कारण काफी है? क्या इससे यह ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखलाई पडता कि

दिवाला-सम्वन्धी कानूनमें कुछ खाभी है, जिससे कि वे अपने लेनदारोको इस तरह बरबाद कर सकते हैं? अगर कानून इस तरहके कामोंके लिए जरा भी गुजाइश देगा तो लोग उसका फायदा लेने ही वाले हैं। क्या यूरोपीय लोग दिवाला-अदालतका सरक्षण नहीं माँगते? इसका यह अर्थ नहीं कि मैं "तु भी तो करता है" — इस तर्कका आश्रय लेकर भारतीयोंकी सफाई दे रहा हूँ। मुझे तो हार्दिक खेद है कि भारतीय ऐसे तरीकोका आश्रय जरा भी लेते ही क्यों हैं। यह उनके देशके लिए लज्जास्पद है। उनके देशको तो किसी समय अपनी प्रतिष्ठाका इतना अधिक खयाल था कि वह व्यापारमें बेईमानीसे सरोकार रख ही नहीं सकता था। फिर भी, यह तो मुझे दीखता ही है कि अगर भारतीय व्यापारी दिवाला-कानूनका लाभ उठाते हैं तो इससे उन्हें देशसे निकाल देनेका मामला नहीं बन पड़ता। दिवाला निकालनेकी घटनाओकी पुनरावृत्ति कानूनके द्वारा रोकी जा सकती है। इतना ही नहीं, थोक व्यापारी भी कुछ अधिक सावधानी बरतकर उन्हें रोक सकते हैं। और, बहरहाल, उन व्यापारियोंको यूरोपीय व्यापारियोंसे उधारी मिलती है, क्या यह हकीकत ही साबित नहीं कर देती कि, आखिरकार, वे उतने खराब नहीं हैं, जितना खराब आपने उन्हें चित्रित किया है?

अगर छोटे-छोटे यूरोपीय व्यापारी अपना व्यापार समेट लेनेको बाध्य हो गये हैं तो इसमें उनका क्या अपराध? इससे तो भारतीय व्यापारियोंकी अधिक वाणिज्य-कुशलताका ही परिचय मिलता है। और, आश्चर्य है कि उनकी यही बेहतर कुशलता उनके निकाले जानेका कारण बननेवाली है। मैं आपसे पूछता हूँ, महोदय, कि क्या यह यायसगत है? अगर कोई सम्पादक अपने पत्रका सम्पादन अपने प्रतिद्वन्दीकी अपेक्षा अधिक कुशलतासे करता है और इसके फलस्वरूप अपने प्रतिद्वन्दीको क्षेत्रसे भगा देता है तो पहले सम्पादकको यह कहना कैसा लगेगा कि वह अपने चारा खाने चित्त प्रतिद्वन्दीके लिए जगह खाली कर दे, क्योंकि वह (सफल सम्पादक) योग्य है? क्या अधिक योग्यता प्रोत्साहनका विशेष कारण नहीं होनी चाहिए, ताकि दूसरे भी उतने ही ऊँचे उठनेका प्रयत्न करें? क्या हितावह प्रतिद्वन्दिताका गला घोटना अच्छी नीति है? क्या यूरोपीय व्यापारियोंको, अगर उनकी शानमें बट्टा न लगता हो तो, भारतीय व्यापारियोंके जीवनसे सस्ता बेचना और सादगीसे रहना नहीं सीखना चाहिए? "दूसरोंके साथ वैसा ही बरताव करो, जैसा तुम चाहते हो, दूसरे तुम्हारे साथ करें।"

परन्तु आपका कहना है कि ये अभागे एशियाई अधबबर जीवन बिताते हैं। इसलिए अधबबर जीवनके बारेमें आपके विचार जानना बड़ा रोचक होगा। मुझे उनके जीवनके बारेमें कुछ कल्पना है। अगर कमरेमें खूबसूरत और मूल्यवान गलीचो तथा श्राद्ध फानूसका न होना, मेजका (शायद बिना यानिशाकी) बेशकीमती मेजपोश तथा फूलोंसे सजा हुआ और यथेष्ट शराब, सुअरके मांस तथा गोमांससे पूण न होना ही अधबबर जीवन है, अगर गर्म आवहवाके लिए खास तौरसे अनुबूल बनाये गये सफेद, आरामदेह कपड़े पहनना ही, जिनके कारण, मैंने सुना है, बहुत-से यूरोपीय भ्रोष्मकी बड़ी गर्मीमें उनसे ईर्ष्या करते हैं, अधबबर जीवन है, अगर बीयर व तमाबू न पीना, खूबसूरत छड़ी लेकर न चलना, घड़ीका सुनहला पट्टा न बाँधना, विलासके साधनोंसे सजा हुआ कमरा न होना अधबबर जीवन है, सरोपमें, अगर आम तौरपर सादा तथा मितव्ययी माना जानेवाला जीवन अधबबर जीवन है—तब तो, अवश्य ही, भारतीय व्यापारियोंको यह आरोप स्वीकार करना होगा, और जितनी जल्दी यह अधबबरता उच्चतम औपनिवेशिक सम्यतासे निशेष कर दी जाये उतना ही अच्छा।

सम्य राज्योसे लोगोंको निकालनेके लिए साधारणतः जो बातें कारणीभूत होती हैं, वे इन लोगोमें बिलकुल ही पाई नहीं जाती। मेरे इस कथनसे आप भी सहमत होंगे कि वे सरकारके लिए राजनीतिक दृष्टिसे खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि वे राजनीतिमें दखल देते ही नहीं, और अगर देते हैं तो बहुत थोड़ा। वे कोई कुख्यात डाकू नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय व्यापारियोंके बीच एक भी घटना ऐसी नहीं हुई, जिसमें किसी भारतीय व्यापारीको कैदकी सजा भोगनी पड़ी हो, या उसपर चोरी, डकैती अथवा अन्य अधम अपराधोमें से किसीका आरोप भी किया गया हो (इसमें अगर मेरी गलती हो तो मैं उसे सुधारनेके लिए तैयार हूँ)। उनकी शराबसे पूरे परहेजकी आदताने उन्हें विशेष शान्तिप्रिय नागरिक बना दिया है।

परन्तु प्रस्तुत अप्रलेखमें कहा गया है कि वे कुछ खच नहीं करते। खच करते ही नहीं? तब तो वे, मैं कहूँ, हवापर या भावनाआपर जीते होंगे। हम जानते हैं, वेनिटी फेअर नामक उपन्यासमें बेकी बिना किसी वार्षिक आयके गुजर-बसर करता था। परन्तु यहाँ तो एक वर्गका वग ही बैसा करता खोज निकाला गया है। इससे यह मानना होगा कि उन्हें दूकान भाड़ा, कर, मांस बेचनेवाले तथा किरानेवालेका पैसा, कारकुनोका वेतन आदि कुछ चुकाना

नही पढता। सचमुच, खास तौरपर आजकल, जब कि सारी दुनियाका ब्यापार सकटकी हालतसे गुजर रहा है, ऐसे भाग्यशाली ब्यापारियोकी जमातमें शामिल होना लोग कितना पसन्द करेंगे।

मालूम होता है कि बेचारे भारतीय ब्यापारियोकी सादगी, उनका शराबसे पूरा-भूरा परहेज, उनकी शान्तिमय और, सबसे अधिक, व्यवस्थित तथा मित-व्ययी आदतें, जो उनकी सिफारिशका काम करनेवाली होनी चाहिए थी, सचमुच उनके खिलाफ इस तमाम तिरस्कार और घृणाका मूल है। तिस पर वे ब्रिटिश प्रजा हैं। क्या यह ईसाइयतके अनुकूल है, क्या यह औचित्य है, क्या यह न्याय है, क्या यह सम्यता है? मुझे उत्तर ढूढे नहीं मिलता। आप इसे प्रकाशित करेंगे, इसके अनुमानमें सधन्यवाद—

आपका, आदि,  
मो० क० गाधी

[ अंग्रेजीसे ]

नेपाल एडवर्टाईज, २३-९-१८९३

## १८ नये गवर्नरका स्वागत

टाउन हाल  
दरबन  
सितम्बर २८, १८९३

सेवामें

परमग्रेष्ठ, सर वाल्टर हेली-हचिन्सन  
के० सी० एम० जी०, आदि

महानुभावसे निवेदन है कि,

सम्राज्जीके प्रतिनिधिकी हैसियतसे इस उपनिवेशमें आगमनके अवसरपर हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले मुसलमान और भारतीय समाजके सदस्य अत्यन्त आदरके साथ महानुभावका स्वागत करते हैं।

हमें विश्वास है कि महानुभाव इस उपनिवेशको तथा इसके सम्पन्नको अनुकूल पावेंगे। और यहाँ नये रूपका शासन जारी करनेका काम महानुभावके लिए उतना ही सरल होगा, जितना कि दिलचस्प।

नेटालमें भारतीय प्रभाव अधिकाधिक फैल रहा है। उसके कारण यहाँके भारतीयोंके विशेष मामलोपर महानुभावका ध्यान निरन्तर रहेगा ही। हम, महानुभावकी अनुमतिसे, पहलेसे ही महानुभावकी उदारताका आश्वासन प्रदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्राज्यीके प्रतिनिधिकी हैसियतसे महानुभाव हमारे साथ वह उदारता करते बिना न रहेंगे।

हम कामना करते हैं कि महानुभावके और बेगम हेली-हविन्सनके लिए इस उपनिवेशका वास्तु समस्त सुख और समृद्धि देनेवाला हो!

आपके अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक,

दादा अब्दुल्ला, एम० सी० कमरुद्दीन, अमोद टिल्ली,  
दाऊद मोहम्मद, अमोद जीवा, पारसी हस्तमजी,  
ए० सी० पिल्ले ।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्करी, ३०-९-१८९३

## १९ भारतीयोंके मत

प्रिटोरिया

सितम्बर २९, १८९३

सेवामें

सम्पादक

नेटाल एडवर्टाईजर

महोदय,

निवेदन है कि अपने पत्रमें निम्नलिखित शब्द प्रकाशित करनेकी कृपा करें। आपने अपने १९ तारीखके अकमें भावी एशियाई विरोधी सघ (लीग) के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसका व्यापक उत्तर देना बहुत बड़ा काम है और उसे सम्पादकके नाम पत्रकी मर्यादामें निभाया नहीं जा सकता। फिर भी, मैं चाहता हूँ कि आपकी अनुमतिसे केवल दो मुद्दोंका उत्तर दे दिया जाये। वे मुद्दे हैं—यह भय कि "कुलियोंके मत यूरोपीयोंके मतोंको निगल जायेंगे", और यह भावना कि भारतीयोंमें मत देनेकी योग्यता नहीं है।

आरममें, मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपनी सद्भावना और न्यायप्रियतासे जो द्विटिस राष्ट्रका लाक्षणिक गुण मानी जाती है, काम लें। अगर आप और आपके पाठक प्रश्नके एक ही पहलूको देखनेका सकल्प कर बैठे तो मैं कितने भी तप्य या तक पेश करूँ, आपको या उनका मेरी बातोंकी न्यायपूर्णताका विश्वास न होगा। सारे मामलेको सही रूपमें समझनेके लिए ठंडे दिलसे निणय करने और राग-द्वेषरहित तथा निष्पक्ष जाँच करनेकी अनिवार्य आवश्यकता है।

क्या यह सीच-तानकर बनाया हुआ खयाल नहीं मालूम होता कि किसी भी समय भारतीयोंके मत यूरोपीयोंके मतोंको निगल सकते हैं? सरसरी तौरपर देखनेवाला व्यक्ति भी जान सकता है कि यह कभी सम्भव नहीं है। मताधिकारके लिए आवश्यक सम्पत्तिकी योग्यता इतने भारतीयोंमें कभी भी नहीं हो सकती कि उनके मत यूरोपीयोंके मतोंसे अधिक हो जायें।

भारतीय लोग व्यापारियों और मजदूरोंके दो वर्गोंमें बँटे हुए हैं। मजदूरोंकी सख्या तुलनामें बहुत बड़ी है और साधारणतः उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है। वे दरिद्रताके मारे हैं और भुग्मरीकी मजदूरी पर नेटाल आये हैं। क्या वे मताधिकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त सम्पत्ति रखनेका कभी स्वप्न भी देख सकते हैं? और अगर यहाँ कुछ भी स्थायी रूपसे रहनेवाले कोई भारतीय हैं, तो वे यही हैं। किसान वर्गके केवल थोड़े-से लोगोंको सम्पत्ति-सुलभ योग्यता प्राप्त है। परन्तु वे स्थायी रूपसे नेटालमें रहते नहीं। और जो लोग कानूनन मत देनेके अधिकारी हैं, उनमें बहुत-से उसकी कभी परवाह नहीं करते। वगैरह रूपसे भारतीय अपने देशमें भी कभी अपने सब राजनीतिक अधिकारोंका लाभ नहीं उठाते। वे अपने आध्यात्मिक कल्याणके विचारोंमें इतने मग्न रहते हैं कि राजनीतिमें सक्रिय भाग लेनेका विचार ही नहीं कर सकते। उनमें कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं होती। वे यहाँ राजनीतिज्ञ बनने नहीं, ईमानदारीके साथ अपनी रोटि कमाने आते हैं और अगर उनमें से कुछ लोग पूरी ईमानदारीके साथ उसे नहीं कमाते तो यह खेदकी बात है। तो फिर, इससे स्पष्ट है कि भारतीयोंके मतोंके अशुभ परिमाण ग्रहण कर लेनेकी सारी आशकाका आधार गलत है।

और जिन थोड़े-से मतों पर भारतीयोंका अधिकार है वे नेटालकी राजनीतिको किसी भी रूपमें प्रभावित नहीं कर सकते। भारतीयोंके प्रतिनिधित्वकी चीख-मुकार करनेके लिए किसी एक भारतीय दलका सगठन करनेकी सारी चर्चा हवाई मालूम पड़ती है, क्योंकि चुनाव तो सदैव दो ग़ोरे लोगोंक

बीच ही होगा। तो फिर, क्या भारतीयों में कुछ मत होनेसे बहुत-कुछ बन-बिगड़ जायेगा? उन थोड़े-से मतोंसे ज्यादासे ज्यादा यह हो सकता है कि कोई पूण द्धैत व्यक्ति चुनकर आ जाये जो, अगर अपने धचनके प्रति सच्चा रहे तो, विधानसभामें उनकी अच्छी सेवा करे। और जरा कल्पना तो कीजिए, ऐसे एक-दो सदस्यके बने भारतीय दलकी।

वे, या यो कहिए कि, वह तो लोगका मत-परिवर्तन करनेकी विद्युत शक्ति या, शायद कहना अनुचित न होगा, दिव्य शक्तिसे रहित, अरुण्यरोदन करने वाला प्रत्यक्ष सत जान<sup>१</sup> ही होगा। शाही ससदमें विविध प्रकारके छोटे-छोटे हिलोका प्रतिनिधित्व करनेवाले छोटे-छाटे किन्तु प्रबल दल भी बहुत कम असर डाल पाते हैं। वे कुछ प्रश्नोंसे प्रधानमन्त्रीको परेशान करके अपने दिनके पत्रोंमें अपने नाम छपनेका सतोष भर जरूर मान सकते हैं।

फिर, आपका खयाल है कि भारतीय लोग मत देनेके लिए जितने चाहिए उतने सम्य नहीं हैं, वे आदिवासियोंसे शायद बेहतर नहीं होंगे और, निरक्षर ही, सम्यताके मापदंडमें वे यूरोपीयोंके बराबर नहीं हैं। हो भी सकता है। और यह सब "सम्यता" शब्दकी व्याख्यापर निर्भर करेगा। इस विषयकी जांच करनेसे जो प्रश्न उठ सकते हैं उन सबकी पूण चर्चा करना समभव नहीं है। फिर भी, मुझे यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि भारतमें वे इन विषयों धिकारोका उपभोग करते हैं। रानीकी १८५८ की घोषणा — जिसे ठीक ही "भारतीयोंका मैग्नाकार्टा" कहा जाता है, इस प्रकार है

हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कतव्यके उर्णों दायित्वोंसे बंधा हुआ समझते हैं, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजाओंके प्रति बंधे हैं। और सर्वशक्तिमान परमात्माकी कृपासे हम उन दायित्वोंका सबसब विवेक-बुद्धि और ध्दाके साथ निर्वाह करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारी यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारीसे हमारी जिन नौकरियोंके कर्तव्य पूण करनेके योग्य हों उनमें उन्हें जाति और धमके भेदभावके बिना मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया जाय।

मैं भारतीयोंसे सम्बध रखनेवाले इसी तरहके उद्धरण और भी पेश कर सकता हूँ। परन्तु मुझे लगता है कि मैं इतनेमें ही आपके सौजन्यका बहुत

अधिक उपयोग कर चुका है। फिर भी मैं इतना तो कह दूँ कि कलकत्ता उच्च न्यायालयका स्थानापन्न प्रधान न्यायाधीश एक भारतीय रहा है, एक भारतीय इलाहाबादके उच्च न्यायालयका न्यायाधीश है, और यहाँके भारतीय व्यापारी सामान्यतः उसके सहघर्मी हैं। और एक भारतीय ब्रिटिश ससदका सदस्य है। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार अनेक दृष्टियोंसे महान अकबरके कदमों पर चलती है। अकबर बादशाह तो सोलहवीं शताब्दीमें हुआ था। वह एक भारतीय था। आजकी भूमि-नीति महान वित्त विशारद टोडरमलकी नीतिका अनुकरण मात्र है। उसमें सिफ थोडा-सा फेरफार कर लिया गया है। वह टोडरमल भी भारतीय ही था। अगर यह सब सम्यताका नहीं, बल्कि अध-बबरताका परिणाम है, तो मुझे अभी जानना बाकी है कि सम्यताका अर्थ क्या है?

अगर उपर्युक्त सब तथ्योंके होते हुए भी आप वैमनस्यको उत्तेजना दे सकते हैं, और समाजके यूरोपीय अंगको भारतीय अंगके विरुद्ध बाम करनेके लिए भडका सकते हैं, तो आप महान हैं।

आपका, आदि,

मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल एडवर्टाइजर, ३-१०-१८९३

## २० अन्नाहार-सम्बन्धी प्रचार-कार्य

श्री मो० क० गाधी प्रिटोरियासे एक खानगी पत्रमें लिखते हैं

“दक्षिण आफ्रिकामें वनस्पति-आहार उत्पन्न करनेवाले बागवानोंके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँकी जमीन तो बहुत उपजाऊ है, मगर बागवानोंकी बहुत उपेक्षा की गई है।

“मुझे यह बतानेमें खुशी है कि मैंने अपनी घर-मालकिनको, जो एक अंग्रेज महिला हैं, स्वयं अन्नाहारी बनने और अपने बच्चोंका पोषण भी अन्नाहार पर ही करनेके लिए राजी कर लिया है। भय इतना ही है कि वे फिसल जायेंगी। यहाँ ठीक तरहके शाक नहीं मिलते। जो भी मिलते हैं, बहुत महँगे हैं। फल भी बहुत महँगे हैं। यही हाल दूधका है। इसलिए उन महिलाको



काफी विविध प्रकारकी चीजें देना बहुत कठिन हाता है। अगर ज्वाल खर्चीला मालूम हुआ तो वे इसे जरूर छोड़ देंगी।

“प्राणयुक्त [जीवन-मत्त्वयुक्त] आहार पर श्री हिल्सका लेख मैंने बहुत दिल-चस्पीसे पढा। मैं क्षीघ्र ही फिरसे उसका प्रयोग करनेका इरादा कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैंने बम्बईमें उसका प्रयोग किया था। परन्तु वह इतने लम्बे वक्त तक नहीं चला था कि मैं उसपर कोई अभिप्राय दे सकू।

“कृपया सब मित्रोंको मेरी याद दिलाएँ।”

[अंग्रेजीसे]

वेजिटेरियन, ३०-९-१८९३

## २१ प्राणयुक्त आहारका प्रयोग

इस प्रयोगका, अगर इसे प्रयोग कहा जा सके तो, वर्णन करनेके पहले मैं यह बता दू कि बम्बईमें भी मैंने एक सप्ताह तक प्राणयुक्त आहारका परीक्षण किया था। मैंने उसे सिर्फ इस कारणसे छोडा था कि उस समय मत्त अनेक मित्रोंका आतिथ्य करना पडता था। कुछ सामाजिक बातें भी थीं, जिनका खयाल करना जरूरी था। प्राणयुक्त आहार उस समय मुझे बहुत अनुकूल पडा था। अगर मैं उसे जारी रख सका होता तो बहुत संभव था कि वह आगे भी अनुकूल पडता।

जिस समय मैं यह दूसरा प्रयोग कर रहा था, मैंने कुछ टिप्पणियाँ लिख रखी थी। उन्हें मैं यहाँ देता हूँ।

अगस्त २२, १८९३ — प्राणयुक्त आहारका प्रयोग शुरू किया। पिछले दो दिनोंसे मुझे सर्दी थी। कानोंमें भी थोडा-सा सर्दिका असर था। दो भोजनके

१ प्राणयुक्त आहारके सिद्धान्तका प्रचार पहले-पहल अन्नाहारी मंडलके अध्यक्ष श्री ए० एफ० हिल्सने फरवरी ४, १८८९ को मंडलकी पहली त्रैमासिक बैठकमें किया था। उन्होंने प्राणशक्ति, शारीरिक रक्ति, सूर्यकी किरणों आदिके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका विस्तारके साथ प्रतिपादन किया। वे सब निम्नलिखित खाम पण्डितों उपलम्भ हैं पण्ड, अनाज, कवची मेने और दाहें — सब कच्चे। हिल्स “इ फूड डाएट आफ पैरेडाइज।” गांधीजीके “प्राणयुक्त आहार-सम्बन्धी प्रयोगों”के विवरण आगेना लेख पढ़िए।

चम्मच (टेबल स्पून) भर गेहूँ, एक चम्मच मटर, एक चम्मच चावल, दो चम्मच विशामिदा, बरीब बीस छोटे बबची भेवे, दो सतरे और एक प्याला कोकोका नास्ता किया। अनाजको रात भर भिगोकर रखा था। भोजन ४५ मिनटमें समाप्त किया। सुबह बहुत स्फूर्ति रही, शामको सुस्ती आ गई। सिरमें थोड़ा-सा दद भी हुआ। शामकी रोटी, चाब आदिका साधारण भोजन किया।

अगस्त २१ — भूख मालूम होती है। बल घामको कुछ मटर खाये थे। उससे कारण मैं अच्छी तरह सोया नहीं। सुबह जागने पर मुहका स्वाद खराब था। बलवे ही जैसा नास्ता और ब्यालू की। यद्यपि बदलीका उदासी भरा दिन था और कुछ पानी भी बरम गया था, मुझे जुवाम या सिर दद नहीं था। बेकरवे साय चाय पी थी। यह बिलकुल माफिक रही पड़ी। पेटमें दद मालूम हुआ।

अगस्त २४ — सुबह उठा तो पेट भारी था और बेचैनी महसूस होती थी। वही नास्ता किया। सिर्फ मटर एक चम्मचसे आधा चम्मच घटा दिये थे। ब्यालू साधारण। स्वस्थ नहीं रहा। सारे दिन बदहजमी महसूस करता रहा।

अगस्त २५ — उठने पर पेटमें भारीपन था। दिनमें भी अस्वस्थ रहा। ब्यालूके लिए भूख नहीं थी। फिर भी ब्यालू की। बल ब्यालूमें अघपके मटर खाये थे। हो सकता है भारीपन इसी कारण रहा हो। दुपहरके बाद सिरमें दद रहा। ब्यालूके बाद थोड़ी-सी कुर्न ली। नास्ता बलके ही समान।

अगस्त २६ — पेटमें भारीपनसे साय जागा। नास्तेमें मैंने आधा भोजनका चम्मच भर मटर, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच गेहूँ, ढाई चम्मच विशामिदा, १० अखरोट और एक सतरा लिया। सारे दिन मुहका स्वाद अच्छा नहीं रहा। स्वस्थ भी नहीं रहा। साधारण ब्यालू की। ७ बजे शामको एक सतरा और एक प्याला कोको ली। इस समय (८ बजे रातको) भूख मालूम हो रही है, फिर भी खानेकी इच्छा नहीं है। प्राणयुक्त आहार भली-भाँति अनुकूल पढता नहीं दिखता।

१ एक मित्र, श्री ५० डबल्यू० बेकर, अटनी तथा धर्मोपदेशक, जिन्होंने गांधीजीके साथ ईसाई धर्म पर विचार विमर्श किया था और उनका प्रियोरियाके ईसाई मित्राये परिचय कराया था।

अगस्त १७ — सुबह जब उठा तो भूख बहुत थी, मगर स्वस्थ नहीं महसूस करता था। नाश्तेमें भोजनके चम्मचसे डेढ़ चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, दस अखरोट, और एक सतरा लिया। (ध्यान रहे, चावल और मटर नहीं लिया)। दुपहरके बाद अच्छा लगा। कलके भारीपनका कारण शायद मटर और चावल था। १ वजे दुपहरको एक चायका चम्मच सूखे गेहूँ, एक भोजनका चम्मच किशमिश और १४ कवची मेवे लिये। (इस तरह साधारण ब्यालूमको प्राणयुक्त आहारमें बदल दिया)। कुमारी हैरिसके स्थानपर चाय (रोटी, मक्खन, मुरब्बा और कोको) पी। यह चाय मुझे बहुत अच्छी लगी, मानो मैं एक लम्बे उपवासके बाद रोटी और मक्खन खा रहा था। चायके बाद बहुत भूख और कमजोरी मालूम हुई। इसलिए घर लौटनेपर एक प्याला कोको और एक सतरा लिया।

अगस्त १८ — सुबह मुंहका स्वाद अच्छा नहीं था। डेढ़ भोजनके चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, बीस कवची मेवे, एक सतरा और एक प्याला कोको ली। कमजोरी और भूख तो महसूस होती रही, मगर इसके अलावा अच्छा लगता रहा। मुंहका स्वाद भी ठीक था।

अगस्त १९ — सुबह उठने पर ताजगी थी। नाश्तेमें डेढ़ भोजनके चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, एक सतरा और बीस कवची मेवे लिये। ब्यालूममें तीन भोजनके चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, २० कवची मेवे और दो सतरे लिये। शामको तैयबके यहाँ चावल, सेवई और आलू खाये थे। शामको कमजोरी मालूम हुई।

अगस्त २० — नाश्तेमें दो भोजनके चम्मच गेहूँ, दो चम्मच किशमिश, २० अखरोट और एक सतरा लिया। ब्यालूममें भी यही चीजें ली, सिफ एक सतरा ज्यादा था। बहुत कमजोरी महसूस हुई। बिना थके साधारण सैर नहीं कर सका।

अगस्त २१ — सुबह जब उठा तो मुंहका स्वाद बहुत मीठा था। बहुत कमजोरी मालूम होती थी। नाश्ते और ब्यालूममें भोजनकी वही मात्रा ली। शामको एक प्याला कोको और एक सतरा लिया था। सारे दिन बहुत कम जोरी महसूस होती रही। बहुत कठिनाईसे सैर कर सकता हूँ। दाँत भी कमजोर हो रहे हैं। मुंहका स्वाद बहुत ज्यादा मीठा है।

सितम्बर १ — सुबह उठा तो बिलकुल थका हुआ था। कलके ही समान नाश्ता और ब्यालूकी। बहुत कमजोरी मालूम होती है। दाँत दुखते हैं।

प्रयोग छोड़ देना होगा। बेकरका जमदिन था, इसलिए उसके साथ चाय पी। चायके बाद अच्छा लगा।

सितम्बर १ — सुबह ताजगी लिये उठा (कल शामकी चायका असर)। पुराना खाना खाया (दलिया, रोटी, मक्खन, मुरब्बा और कोको)। बहुत ही अच्छा महसूस किया।

इस तरह प्राणयुक्त आहारका प्रयोग समाप्त हुआ।

अधिक अनुकूल परिस्थितियोंमें शायद यह असफल न हुआ होता। किसी भोजनालयमें, जहाँ हर बात अपने वंशकी नहीं होती, जहाँ आहारमें बार-बार फक करना समभव नहीं होता, जाहार-सम्बन्धी प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं किये जा सकते। इसके अलावा, ताजे फलोंमें मैं सिर्फ मसुरे पा सकता था। उम समय ट्रान्सवालमें और कोई फल नहीं मिलते थे।

यह तो बड़े अफसोसकी बात है कि यद्यपि ट्रान्सवालकी भूमि बहुत उपजाऊ है, फिर भी उसमें फलोंकी उपजकी ओर बहुत उपेक्षा बरती गई है। फिर, मुझे दूध तो मिल ही नहीं सका। वह यहाँ बहुत महंगा है। दक्षिण आफ्रिकामें आम तौरपर लोग डब्लेके दूधका उपयोग करते हैं। इसलिए यह तो मानना ही होगा कि प्राणयुक्त आहारका महत्त्व सिद्ध करनेकी दृष्टिसे यह प्रयोग बिल्कुल निकम्मा है। प्रतिबूल परिस्थितियोंमें ११ दिनोंके प्रयोगके बाद प्राणयुक्त आहारके बारेमें कोई अभिप्राय देने बैठना दुराग्रहमात्र होगा। बीस वर्ष और उससे ज्यादासे पके हुए भाजनके अल्पस्त पेटसे यह अपेक्षा करना बहुत अधिक है कि वह एकाएक कच्चा भोजन हजम कर ले। और फिर भी, मैं समझता हूँ, इस प्रयोगका अपना महत्त्व तो है ही। यह उन लोगोंके लिए एक मार्गदर्शक जैसा हो सकता है, जो इन प्रयोगोंके कुछ आकर्षणोंमें आकर ऐसे प्रयोग करने बैठ जायें, परन्तु जिनके पास प्रयोगोंका सफल करनेके लिए न तो सामर्थ्य हो, न साधन, न अनुकूल परिस्थितियाँ, न धैर्य और न आवश्यक ज्ञान ही। मैं मजूर करता हूँ कि मुझमें उपर्युक्त योग्यताओंमें से कोई भी नहीं थी। स्पष्ट है कि नतीजे धीरे धीरे होते देखनेवा धैर्य न होनेके कारण मैंने अपना आहार बदल दिया। नाश्ता तो शुरूसे ही प्राणयुक्त पदार्थोंका था, और मुश्किलसे चार-पाँच दिन बीते होंगे कि ब्यालू भी उन्हीं वस्तुओंकी होने लगी। सचमुच प्राणयुक्त आहारके सिद्धान्तोंका मेरा ज्ञान बहुत छिछला था। श्री हिल्सकी एक छोटी-सी पुस्तक और वेजिटेरियनमें हालमें प्रकाशित उनके एक-दो लेख ही मेरे तत्सम्बन्धी ज्ञानका आधार थे। इसलिए, मेरा

विश्वास है, आवश्यक तैयारी और याग्यता न रखनेवाला कोई भी व्यक्ति अमफल होने ही वाला है। वह खुद नुकसान उठायेगा और जिस हेतुको परखने और आगे बढ़ानेका प्रयत्न कर रहा है, उसको भी नुकसान पहुँचायेगा।

और, आगिरवार, क्या एक साधारण अन्नाहारीवे — ऐसे अन्नाहारीके, जो अपने आहारसे सतुष्ट है — इस तरहके प्रयोगोंमें पड़नेसे कोई लाभ है? क्या यह अच्छा न होगा कि इसे उन विशेषज्ञोंके लिए छोड़ दिया जाये जो इस तरहकी गवेषणाओंमें अपना जीवन लगाते हैं? यह बात खास तौरसे उन अन्नाहारियां पर लागू होती है, जिनका अन्नाहार-धर्म भूतदयाके महान तत्त्व पर आधारित है — जो इसलिए अन्नाहारी हैं कि वे अपने भोजनके लिए प्राणियोंका वध करना गन्त ही नहीं, पापमय समझते हैं। साधारण अन्नाहार संभव है, स्वास्थ्यप्रद है — यह तो सरसरी तौरपर देखनेवाले भी जान सकते हैं। फिर, हम ज्यादा क्या चाहते हैं? प्राणयुक्त आहारमें भारी सामर्थ्य ही संभव है, परन्तु वह हमारे नाशवान शरीरोंको अमर तो नहीं बना देगा। यह संभव नहीं दीखता कि मनुष्य किसी बहुत बड़ी बहुसंख्यामें कभी भी भोजन पकानेकी क्रिया त्याग देंगे। केवल प्राणयुक्त आहार आत्माकी जरूरतोंको पूरा नहीं करेगा नहीं कर सकता। और अगर इस जीवनका सबसे ऊँचा उद्देश्य — सबमुक्त तो, एकमात्र उद्देश्य — आत्माको जानना हो, तो मेरा नम्र निवेदन है कि जिस बातसे हमारे आत्माको जाननेके अवसर कम होते हैं, वह उस हदतक हमारे जीवनके एकमात्र वाछनीय उद्देश्यके साथ खिलवाड़ है। इसलिए, प्राणयुक्त आहारोंके और वैसे ही दूसरे प्रयोगोंके साथ खिलवाड़ करना भी इसी तरहकी बात है।

अगर हमें इसलिए भोजन करना है कि हम जिस परमात्माके हैं उसकी शानके मुताबिक जी सकें, तो क्या यह काफी नहीं है कि हम ऐसी कोई वस्तु न खायें, जो प्रकृतिके प्रतिबूल है, और जिसके लिए अनावश्यक खून बहाना जरूरी होता है? परन्तु अभी मैं इस विषयके अध्ययनकी प्राथमिक अवस्थामें ही हूँ इसलिए अधिक नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इन विचारोंको, जो मेरे प्रयोगके समय मनमें उठा करते थे, सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि संयोगवश किसी प्यारे भाई या बहनको इनमें अपने निजी विचारोंकी गूँज मिल जाये।

जिस कारणसे मैं प्राणयुक्त आहारका प्रयोग करनेको आकृष्ट हुआ था, वह था — उसका परले दर्जेका सादापन। मैं खाना पकानेके कामको खत्म

कर सकता हूँ, मैं जहाँ-कहीं भी जाऊँ अपना भोजन अपने साथ ले जा सकता हूँ, मुझे घर-मालकिनकी या जा भी मुझे भोजन देते हैं, उनकी गन्दगी बरदाश्त नहीं करनी होगी, दक्षिण आफ्रिका-जैसे देशमें यात्रा करनेमें प्राणयुक्त आहार आदर्श आहार होगा—ये सब आकषण मेरे लिए इतने प्रबल थे कि मैं इनका प्रतिरोध नहीं कर सकता था। परन्तु, आखिरकार जो एक स्वाथ ही है और जो परम लक्ष्यसे ओछा है, उसे सिद्ध करनेके लिए समयका कितना बलिदान! और कितना कष्ट! इन सब चीजोंके लिए जीवन बहुत छोटा मालूम पड़ता है।

[ अंग्रेजीसे ]

वेजिटेरियन, २४-३-१८९४

## २२ इंग्लैंडवासी भारतीयोंके नाम

श्री मो० क० गांधीने इंग्लैंडके भारतीयोंको निम्नलिखित परिपत्र भेजा है। हम इसे यह बतानेके लिए उद्धृत कर रहे हैं कि श्री गांधी, एक लम्बे फासलेके बावजूद, जो उनको हमसे जुदा किये हुए है, हमारे बीच अब भी कौसी सर-गर्मीसे काम कर रहे हैं। तिसपर भी, हमारे विरोधियोंका कहना है कि अन्नाहारी भारतीयोंमें "ईमानदार ब्रिटिश राष्ट्र" के पुत्रोंके जैसा अपने लक्ष्यसे चिपटे रहनेका गुण नहीं होता। -सम्पादक, वेजिटेरियन।

[ प्रिटोरिया ]

सेवामें

सम्पादक

वेजिटेरियन

मेरे प्रिय भाई,

अगर आप अन्नाहारी हैं, तो मैं समझता हूँ कि लदन अन्नाहारी मडल (लदन वेजिटेरियन सोसाइटी) के सदस्य बन जाना आपका कतब्य है। और अगर आप अभी तक वेजिटेरियनके ग्राहक न बने हैं तो वह भी बन जाना चाहिए।

यह आपका कर्तव्य है, क्योंकि —

(१) आप जिस मतका पुरस्कार करते हैं उसे इसके द्वारा प्रोत्साहन और सहायता मिलेगी।

(२) एक ऐसे देशमें, जहाँ अन्नाहारियोंकी संख्या बहुत कम है, उनके बीच परस्पर सहानुभूतिका जो सम्बन्ध होना चाहिए, उसकी इससे अभिव्यक्ति होगी।

(३) अंग्रेज अन्नाहारी भारतीयाकी आकांक्षाओंके साथ सहानुभूति रखनेमें अधिक तत्पर रहेंगे (यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है)। इस प्रकार अन्नाहार आन्दोलनसे अप्रत्यक्ष रूपमें भारतको राजनीतिक सहायता मिलेगी।

(४) केवल शुद्ध स्वायत्तकी दृष्टिसे देखा जाये तो भी, इसके द्वारा आपको अन्नाहारी मित्रोंका एक भारी सघ मिल जायेगा। ये मित्र तो दूसरोंकी अपेक्षा अधिक अपनाये योग्य होने चाहिए।

(५) अन्नाहारी साहित्यके ज्ञानसे आप एक ऐसे देशमें अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रह सकेंगे, जहाँ प्रलोभन बहुत हैं और बहुत अधिक मामलोंमें दुर्निवार सिद्ध हो चुके हैं। बीमार होनेपर आपको निरामिष औषधियाँ और अन्नाहारी डाक्टरोंकी मदद भी मिल सकेगी। मडलके सदस्य और *वेजिटेरियन* पत्रके ग्राहक बननेसे आप इनकी जानकारी बहुत आसानीसे पा सकेंगे।

(६) भारतमें आपके भाइयोंको इससे बहुत सहायता मिलेगी। निरामिष भोजनसे निर्वाह हो सकता है, इस सम्बन्धमें हमारे माता-पिताओंकी शका मिटानेका भी यह एक साधन होगा। इस प्रकार दूसरे भारतीयोंके इर्लैड आनेका मार्ग बहुत सरल हो जायेगा।

(७) अगर भारतीय ग्राहकोंकी संख्या काफी हो तो *वेजिटेरियन*के सम्पादकको एक पृष्ठ या एक स्तम्भ भारतीय मामलोंके लिए सुरक्षित कर देनेको राजी किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, आप मातंगे, भारतको लाभ पहुँचे बिना नहीं रह सकता।

और भी अनेक कारण बताये जा सकते हैं कि क्यों आपको मडलके सदस्य और *वेजिटेरियन*के ग्राहक बनना चाहिए। परन्तु मेरा खयाल है कि मेरे प्रस्ताव पर आप अनुकूल विचार करें, इसके लिए इतने ही कारण काफी होंगे।

अगर आप अन्नाहारी न हो तो भी देखेंगे कि उपर्युक्त कारणोंमें से अनेक आप पर भी लागू होते हैं, और आप वेजिटेरियनके ग्राहक बन सकते हैं। और कौन जानता है कि आगे चलकर आप उन लोगोकी कतारमें शामिल होनेवो एक विशेषाधिकार न समझने लगेंगे, जो अपने अस्तित्वके लिए सहजीवी पशुओंके रक्त पर कभी अवलम्बित नहीं रहते ?

हाँ, मैचेस्टर वेजिटेरियन सोसाइटी और उसका मुखपत्र वेजिटेरियन मेसेंजर भी है ही। मैंने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी और उसके मुखपत्रकी हिमायत तो सिर्फ इसलिए की है कि वह लंदनमें होनेके कारण बहुत नजदीक पढता है। और इसलिए भी कि उसका पत्र साप्ताहिक है।

मुझे भरोसा है कि कमखर्चकी खयालको आप सोसाइटीके सदस्य होने और पत्रके ग्राहक बननेके आडे नहीं आने देंगे, क्योंकि ग्राहक-चन्दा बहुत कम है, और वह निश्चय ही आपका आपके रूपसे ज्यादाका लाभ पहुँचा देगा।

आशा है कि आप इसे मेरी धृष्टता नहीं समझेंगे।

आपका स्नेही भाइ,  
मो० क० गाधी

[ अंग्रेजीसे ]

वेजिटेरियन, २८-४-१८९४



## २३ अन्नाहार और बच्चे

श्री मो० व० गांधी एक खानगी पत्रमें लिखते हैं

“हालमें ही बेलगटनमें पादरी एट्रू मरेकी अध्यक्षतामें केमविक इताइमीका एक विराट सम्मेलन हुआ था। मैं कुछ प्यारे ईसाइयानों साथ उममें गया था। उनका ६-७ बपका एक लडका है। उस दौरानमें एक दिन वह मरे माय घूमनेके लिए गया। मैं उमसे सिर्फ प्राणियोंके प्रति दयाभावकी बात कर रहा था। बातचीतमें अन्नाहारकी भी बर्चा चली थी। मुझे मालूम हुआ कि उसने उस लडकेके मास नहीं खाया। यह बातचीत होनेके पहले उसने मुझे मासकी मेज पर बेवेल शानाहार करते जरूर दखा था और मुझसे पूछा था कि क्या मास क्या नहीं खाते। उसके माना पिता स्वयं तो अन्नाहारी नहीं हैं परन्तु अन्नाहारके गुणोंको माननेवाले हैं। उन्हें इसके सम्बन्धमें अपने लडकेके मास बातचीत करनेपर कोई आपत्ति नहीं थी।

“यह मैं आपका यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि हम कितनी आसानीसे बच्चोंको यह महान सत्य समझाकर उनसे मासाहार छुड़वा सकते हैं। हाँ, यह यह है कि माता पिता इस परिवर्तनके विरोधी न हों। वह बच्चा और माँ अब गहरे दास्त बन गये हैं। मालूम होता है कि वह मुझे बहुत चाहता है।

“लगभग पादरह बपकी उमके एक अन्य लडकेके साथ मैं बात कर रहा था। उसने कहा कि वह स्वयं तो भुर्गीका नहीं मार सकता, न उस माँको जात देख सकता है, परन्तु उसे जानेमें उसको कोई आपत्ति नहीं है।”

[ अंग्रेजीसे ]

वेजिटेरियन, ५-५-१८९४

## २४ धर्म-सम्बन्धी प्रश्नावली

[जून, १८९४के पूर्व]

गाधीजीके हृदयमें श्री राजचन्द्र रावजीभाई मेहता या रायचन्दभाईके लिए बहुत आदर था। श्री राजचन्द्र एक जैन विचारक थे। उनके विषयमें गाधीजीने अपनी आत्मकथामें एक पूरा अध्याय लिखा है (भाग दूसरा, अध्याय १)। उन्होंने प्रिटोरियासे जून, १८९४ के पहले राजचन्द्रजीको एक पत्र लिखकर कुछ प्रश्न पूछे थे। मूलपत्र हमें नहीं मिल सका। इसलिये राजचन्द्रजीके भाई श्री मनसुखलाल रावजीभाई मेहता द्वारा सम्पादित गुजराती पुस्तक श्रीमद् राजचन्द्र (संस्करण १९१४, पृ० २९२ और आगे) में प्रकाशित रायचन्द्रभाईके उत्तरोंसे उन प्रश्नोंका अनुवाद करके यहाँ दिया जा रहा है। मूल गुजरातीमें मालूम होता है कि गाधीजीने कुछ और प्रश्न भी पूछे थे। परन्तु उन्हें छोड़ दिया गया था। इसलिये उनकी प्रति उपलब्ध नहीं है।

आत्मा क्या है? वह कुछ करता है? उसपर कर्मका प्रभाव पड़ता है या नहीं?

ईश्वर क्या है? वह जगत्कर्ता है, यह सही है?

मोक्ष क्या है?

“मोक्ष मिलेगा या नहीं” — क्या यह इसी देहमें रहते हुए ठीक तरहसे जाना जा सकता है?

पढनेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद, कर्मके अनुसार जानवरोंमें अवतरित हो सकता है, पेड़ या पत्थर भी बन सकता है। यह सही है?

आयुधम क्या है? क्या सब भारतीय धर्मोंकी उत्पत्ति वेदोंसे ही हुई है?

वेद किसने रचे? वे अनादि हैं? यदि ऐसा हो तो अनादिका अर्थ क्या है?

गीता किसने रची? ईश्वरकृत तो नहीं है? यदि ऐसा हो तो इसका कोई प्रमाण?

पद्म आदिके यज्ञसे जरा भी पुण्य होता है?

कोई धर्म उत्तम है, ऐसा कहा जाये तो इसका प्रमाण माँगा जा सकता है?

ईसाई धर्मके विषयमें आप कुछ जानते हैं? यदि जानते हो तो अपने विचार बतायेंगे?

ईसाई कहते हैं, बाइबिल ईश्वर-प्रेरित है, ईसा ईश्वरका अवतार, उसका बेटा था। ऐसा था?

जूने करार (ओल्ड टेस्टामेंट) में जो भविष्य कहा गया है, वह सब ईशान सही उतरा है ?

आगे बौन-सा जन्म होगा, इसका ज्ञान हम जन्ममें हो सकता है ? अथवा पिछला जन्म क्या था, इसका ?

हो सकता है तो किसका ?

आपने मोक्ष पाये हुए लोगोंके नाम बताये हैं, सो किस आधार पर ?

आप किस आधार पर कहते हैं कि बुद्धदेव तकने मोक्ष नहीं पाया ?

अन्तमें दुनियाकी क्या स्थिति होगी ?

यह अनौत्ति भिद्वर सुनीति स्थापित होगी ?

दुनियाका प्रलय है ?

अपढको भक्तिसे ही मोक्ष मिल जाता है—सही है क्या ?

कृष्णावतार और रामावतार—यह सच बात है ? ऐसा हो तो इसका क्या अर्थ है ? वे साक्षात् ईश्वर थे या उससे अलग थे ? उनको माननेसे सब मुच मोक्ष मिल सकता है ?

ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन हैं ?

मुझे साप काटने आये तो उसे काटने दू या मार डालू ? उसे दूसरे तरीकेसे दूर करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है, ऐसा मान लेता हूँ।

## २५. प्रार्थनापत्र नेटाल विधानसभा'को

दर्शन

जून २८, १८९४

सेवामें

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण

विधानसभा, नेटाल उपनिवेश

नेटाल उपनिवेशवासी भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

(१) प्रार्थी ब्रिटिश प्रजा है, जो भारतसे आकर इस उपनिवेशमें बसे है।

(२) प्रार्थियोंमें से अनेकके नाम मतदाताओंके रूपमें दर्ज हैं। उह आपकी परिषद और सभाके चुनावोंमें मत देनेका बाकायदा हक है।

(३) मताधिकार कानून सशोधन विधेयकके दूसरे वाचनका जो विवरण अखबारोंमें प्रकाशित हुआ है उसे प्रार्थियोंने सच्चे खेद और भयके साथ पढ़ा है।

(४) आपके माननीय सदनके प्रति अधिकसे अधिक आदर रखते हुए भी प्रार्थी विभिन्न वक्तव्यों द्वारा प्रकट किये गये विचारोंसे पूण मतभेद व्यक्त करते हैं। प्रार्थी कहनेके लिए लाचार हैं कि जिन कारणोंसे इस दुर्भाग्यपूर्ण विधेयकको स्वीकार करना उचित बताया गया है, उनका सच्ची परिस्थितियोंसे समयन नहीं होता।

(५) समाचारपत्रोंके अनुसार, विधेयकके समयनमें जो कारण दिये गये हैं वे, प्रार्थियोंको मालूम हुआ है, ये हैं

(क) भारतीयोंने अपने देशमें मताधिकारका प्रयोग कभी नहीं किया।

(ख) वे मताधिकारके प्रयोगके लिए योग्य नहीं हैं।

(६) प्रार्थी आदरपूर्वक माननीय सदस्योंकी नजरमें ला देना चाहते हैं कि इतिहास और सारी वस्तुस्थितियाँ विपरीत दिशाकी ओर इंगित करनेवाली हैं।

१ पहले यह प्राधनापत्र विधानपरिषद और विधानसभा दोनोंके नाम लिखा गया था। बादमें सशोधन करके इसे केवल विधानसभाके नाम कर दिया गया। परिषदको एक अलग प्रार्थनापत्र दिया गया था, जो पृष्ठ १०४ पर दिया जा रहा है।

(७) ऍंग्लो-सैक्सन जातियोंको प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तोंका जब शतक उसके बहुत पहलेसे भारत-राष्ट्र चुनावके अधिकारोंसे परिचित रहा है<sup>१</sup> उनका प्रयोग करता आ रहा है।

(८) उपर्युक्त कथनके समर्थनमें प्रार्थी आपकी सम्माननीय परिषद में सभाका ध्यान सर हेनरी समर मेनकी पुस्तक विलेज कम्प्यूनिटीजमें दो आवर्षित करते हैं। उसमें अत्यन्त स्पष्टताके साथ बताया गया है कि भारतमें जातियाँ लगभग स्मरणातीत कालसे प्रातिनिधिक सस्थाओंके सिद्धान्तसे परिचित रही हैं। उस महान कानून-विशारद और लेखकने बताया है कि<sup>२</sup> मार्कंपर जबतक शुद्ध शास्त्रीय रोमन स्वरूपकी बलम नहीं लया वी पूर्व तक वह उतना सुसंगठित या तात्त्विक रूपमें उतना प्रातिनिधिक नहीं<sup>३</sup> जितनी कि भारतीय ग्राम-मचायतें थी।

(९) श्री चिजोम ऐन्स्टीने लदनमें ईस्ट इंडियन असोसिएशनके सान भाषण करते हुए कहा था

जब हम पूर्वके लोगोंको शिक्षा और इसी तरहकी तमाम चीजें सिद्ध सिपल शासन और ससदीय शासनके लिए तैयार करनेकी बातें करते हैं, तब कहीं हम भूल न जायें कि पूर्व ही म्यूनिसिपल प्रणालीका जनक है। स्थानिक स्वराज्य — शब्दके व्यापकतम अर्थमें — उतना ही पुराना है, जितना कि स्वयं पूर्व। जिसे हम पूर्व कहते हैं उसमें रहनेवाले लोगोंका घम कोई भी हो, उस देशमें उत्तरसे दक्षिण तक और पूर्वसे पश्चिम तक एक हिस्सा भी पूरा नहीं है, जो म्यूनिसिपललिटियोंसे छाया न हो। इतना ही नहीं, हमारी प्राचीन कालकी म्यूनिसिपललिटियोंके समान, वे सब आपसमें ऐसी प्रारब्ध हैं, मानो किसी जालमें गुंथी हुई हो। इस तरह, प्रतिनिधित्वकी उस महान प्रणालीका ढाँचा आपको तैयार मिला है।

प्रत्येक गाँव या कस्बेमें हर जातिके अपने नियम और व्यवस्थाएँ हैं। वे अपने-अपने प्रतिनिधियोंका चुनाव करती हैं। और वे ऍंग्लो-सैक्सनोंके

१ बहुत प्राचीन कालमें जमनीमें गाँवकी जमीनका मालिक उन गाँवका एक समाज होता था। उसकी व्यवस्था भी संयुक्त होती थी। यह प्रथा संयुक्त मध्यकाल तक जारी रही। शाब्दिक अर्थमें, गाँवके ऐसे क्षेत्रको "क्यूनिटि" कहा जाता था। स्पष्ट है कि उसमें प्रारंभिक रूपका प्रातिनिधिक तत्त्व सन्निहित था।

वाइटन'का, जिनसे वर्तमान सप्तदीय सस्याओका विकास हुआ है, हू-ब-हू नमूना है।

(१०) पचायत शब्द भारतके काने-कोनेमें प्रचलित सामान्य शब्द है। और, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते होंगे, उसका अर्थ है पाँच लोगोकी सभा, जिसका चुनाव इन पाँच व्यक्तियोकी जाति ही अपने सामाजिक कामकी व्यवस्था और नियंत्रणके लिए करनी है।

(११) मैसूर राज्यमें इस समय एक प्रातिनिधिक ससद मौजूद है। वह ठीक ब्रिटिश ससदके नमूनेकी है और उसे मैसूर विधानसभा कहा जाता है।

(१२) डबनमें इस समय जो व्यापार करनेवाले भारतीय हैं उनकी भी अपनी पचायत या पाँच लोगोकी सभा मौजूद है। बहुत बड़े महत्त्वकी बातोंमें सारा समाज उनके विचार-विमर्शका नियंत्रण करता है। सभाके सविधानके अनुसार, सारा समाज पर्याप्त बहुमतसे उसके निणयाको बदल सकता है। प्रार्थियोका निवेदन है कि प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमें उनकी योग्यताओका यह प्रमाण मौजूद है ही।

(१३) सच तो यह है कि सम्राज्ञीकी सरकारने प्रातिनिधिक सस्याओको समझनेकी भारतीयोकी योग्यता इस हद तक माय कर ली है कि भारत, शब्दके सच्चेसे सच्चे अर्थमें, म्यूनिसिपल स्थानिक स्वराज्यका उपभोग कर रहा है।

(१४) १८९१ में भारतमें ७५५ म्यूनिसिपल कमेटियाँ [नगरपालिकाएँ] और ८९२ लोकल बोर्ड [जनपद सभाएँ] थे। उनमें २०,००० भारतीय सदस्य थे। इससे म्यूनिसिपैलिटियो और उनके निर्वाचक-मंडलोके विस्तारकी कुछ कल्पना हो सकेगी।

(१५) अगर इस विषयमें अधिक प्रमाणकी जरूरत हो तो प्रार्थी माननीय सदस्याका ध्यान हालमें ही स्वीकृत हुए भारतीय परिषद विधेयक (इंडिया कौंसिल बिल) की ओर आकृष्ट करते हैं। उसके द्वारा भारतके विभिन्न प्रदेशोकी विधानपरिषदोंमें भी प्रतिनिधि प्रणाली दाखिल कर दी गई है।

(१६) इसलिए, प्रार्थियोको विश्वास है, उनका मताधिकारका प्रयोग करना किसी ऐसे नये विज्ञोपाधिकारका दिया जाना नहीं है, जिसे वे पहले कभी जानते ही न रहे हों, या जिसका उपभोग उन्होंने पहले कभी किया ही न

हो। इसके उलटे, उन्हें उसका प्रयोग करनेके अयोग्य ठहराना एक अत्यापन्न प्रतिबन्ध होगा, जो ऐसी ही परिस्थितियोंमें उनकी मातृभूमिमें कभी नहीं लाया जायेगा।

(१७) फरत प्राथियोका निवेदन है कि, यदि कमसे कम कहा जाये तो, यह भय भी निराधार है कि अगर भारतीयोंको भताधिकारका प्रयोग करने दिया गया तो वे "जिस महान देशसे आये हैं उसमें आन्दोलनके प्रचारक और राजद्रोहके उपकरण बन जायेंगे।"

(१८) छोटी-छोटी बातोंकी, और दूसरे वाचनकी बहसमें व्यय ही जो कहे आक्षेप किये गये उनकी, चर्चा करना प्रार्थी अनावश्यक समझते हैं। फिर भी प्रार्थी कुछ ऐसे अक्ष उद्धृत करनेकी इजाजत चाहते हैं, जिनका विचारार्थ विषयपर असर पड़ता है। प्रार्थी तो पसन्द करते कि उनके काममें उनके बारेमें मत निर्धारित किया जाता, न कि दूसरोंने उनकी जातिके बारेमें जो खयाल किया है उसे उद्धृत करके वे स्वयं अपने-आपको सही ठहराने। परन्तु वर्तमान परिस्थितियोंमें हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि मुक्त पारस्परिक व्यवहार न होनेके कारण हमारी क्षमताओंके बारेमें बहुत भ्रम फैला हुआ दिखलाई पड़ता है।

(१९) केनिंगटनके विधानसभा भवनमें भाषण करते हुए श्री एक पिनकाटने कहा था

भारतीयोंके अज्ञान और प्रातिनिधिक शासनके महान लाभोंको समझनही उनकी अयोग्यताके बारेमें हमने इस देशमें बहुत-कुछ सुना है। सचमुच यह सब बहुत मूल्यपूर्ण है, क्योंकि प्रातिनिधिक शासनका शिक्षाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका तो बहुत बड़ा वास्ता सामान्य बुद्धिसे है, और भारतके लोगोंकी सामान्य बुद्धि उतनी ही मात्रामें प्राप्त है, जितनी मात्रामें हमें। किसी भी प्रकारकी शिक्षा प्राप्त होनेके संकड़ों पक्ष पूर्व हम चुनावके अधिकारका उपभोग करते थे और हमारे पास प्रातिनिधिक सस्थाएँ थीं। इसलिए शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीका कोई मूल्य नहीं है। जो लोग हमारे देशके इतिहाससे परिचित ह, वे भली भाँति जानते ह कि वो सौ वर्ष पहले हमारे यहाँ घोरतम अंधविश्वास और अज्ञान फला हुआ था। फिर भी हमारे पास हमारी प्रातिनिधिक सस्थाएँ तो थीं ही।

(२०) सर जाज बर्डवुडने भारतके लोगोके चारिष्यके बारेमें लिखते हुए इस प्रकार उपसंहार किया है

भारतके लोग किसी भी सच्चे अर्थमें हमसे ओछे नहीं ह। कुछ झूठे — हमारे लिए ही झूठे — मापदण्डोंसे, जिनपर विश्वास करनेका हम ढोंग करते हैं, नापने पर वे हमसे ऊँचे हैं।

(२१) मद्रासके एक गवर्नर सर टामस मनरोका कथन है

मैं नहीं जानता कि भारतके लोगोंको सम्य बनानेका क्या अर्थ है। अच्छे शासनके सिद्धान्तों और व्यवहारमें वे ओछे उतर सकते हैं, परन्तु यदि अच्छी कृषि प्रणाली, उत्तम माल तयार करना लिखने-पढ़नेके लिए शालाओंकी स्थापना, दयालुता और आतिथ्यका सामान्य व्यवहार ये सब उन बातोंमें ह, जिनसे लोगोकी सम्यता जानी जाती है, तो वे सम्यतामें यूरोपके लोगोंसे ओछे नहीं ह।

(२२) जिन भारतीयोंको बहुत गालियाँ दी जाती हैं और, उससे भी ज्यादा, गलत समझा गया है उनके ही बारेमें प्रोफेसर मैक्समूलर कहते हैं

अगर मुझसे पूछा जाये कि किस देशके मनुष्योंके मानसने अपने कुछ सर्वोत्तम गुणोंका अधिकसे अधिक पूरे रूपमें विकास किया है, जीवनकी बडीसे बडी समस्याओं पर अत्यन्त गभीरताके साथ विचार किया है और उनके ऐसे हल प्राप्त किये हैं, जो प्लेटो और फाटके दर्शनोका अध्ययन किये हुए लोगोंके लिए भी बखूबी ध्यान देने योग्य है, तो मैं भारतको ओर इंगित करूँगा।

(२३) कोमलतर भावनाओंको प्रेरित करनेके इरादेसे प्रार्थी आदरके साथ बताना चाहते हैं कि अगर मताधिकार सशोधन विधेयक मजूर हो गया तो उससे एकीकरणके कायको वेग नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें बाधा पड़ेगी। और इस एकीकरणके लिए तो भारतीय और ब्रिटिश राष्ट्रोंके सबश्रेष्ठ व्यक्ति हार्दिक प्रयत्न कर रहे ह।

(२४) प्रार्थियाने अपने पक्षमें जान-बूझकर अग्रेज विद्वानोंके वचन इस तरह पेश किये हैं कि उनके ही मुखसे उनकी बात सुनी जा सके। उपर्युक्त उद्धरणोंको व्याख्या करके बढ़ाया नहीं गया। इस प्रकारके उद्धरणोंकी सख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। परन्तु प्रार्थियोका दृढ़ विश्वास है कि आपकी



सम्माननीय परिषद और समाजों हमारी प्रार्थनाएँ यामयुक्त होनेका विदवात दिला देनेके लिए उपर्युक्त उद्धरण वापी होंगे, और प्रार्थी आपकी सम्माननाय समासे याचना करते हैं कि वह आपसे निर्णय पर फिरसे विचार करे। या, विधेयवने सम्बन्धमें आगे कारवाई करनेके पहले वह इस प्रश्नकी जांच करनेके लिए कि उपनिवेशवासी भारतीय मताधिकारका प्रयोग करनेके योग्य हैं या नहीं, एक आयाग (कमिशन) की नियुक्ति करे।

और दया तथा न्यायके इस वाक्यके लिए प्रार्थी, कृतव्य समझकर, सग दुःखा करेंगे, आदि-आदि।

[ अंग्रेजीसे ]

फ्लोनिपल आफिस रेफर्ड्स, न० १७१, जिल्द १८१ ब्रोडम एण्ड मोसीडिग्न आफ पार्लेमेंट, नेटाल, १८९४।

२६ शिष्टमडलकी भेंट नेटालके प्रधानमन्त्रीसे

डवन

जून २९, १८९४

सेवामें

सर जान राविन्सन, के० सी० एम० जी०

प्रधानमन्त्री और उपनिवेश-सचिव

नेटाल उपनिवेश

निवेदन है कि,

श्रीमान्ने अपने बहुमूल्य समयका कुछ अंश इस शिष्टमडलसे मिलनके लिए दिया, इसके लिए हम श्रीमानका धन्यवाद करते हैं।

हम श्रीमान्को उपनिवेशवासी भारतीयोंका यह प्राथनापत्र अर्पित करते हैं और प्राथना करते हैं कि श्रीमान् इस पर ध्यानसे विचार करे।

हम श्रीमान्की शिष्टताका फायदा उतने ही समय तक उठावेंगे जितना बिल्कुल जरूरी है। परन्तु हमें इतना काफी समय नहीं मिला कि हम अपना

मामला जितना हो सकता है उतने विस्तारके साथ श्रीमान्के सामने पेश कर सकें। इसका हमें खेद है।

महानुभाव, हमें ताने दिये गये हैं कि हम इतनी देरमे जागे, जब कि कुछ होना प्राय असम्भव हो चुका था। इसलिए, आपको विश्वास दिलानेके लिए कि हम सदनके सामने सम्भवत इससे जल्द जा ही नहीं सकते थे, आपको अपनी खास परिस्थितियाँ बता देना जरूरी हो गया है। हमारे समाजके जो दो प्रमुख सदस्य हैं, वे जरूरी कामसे उपनिवेशके बाहर गये हुए थे। वे उपनिवेशके लोगोके साथ किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार करनेमें असमर्थ थे। इधर, हमारा अंग्रेजी भाषाका ज्ञान बहुत कच्चा है। इसलिए हम महत्वपूर्ण विषयोका यथेष्ट परिचय नहीं रख सकते।

श्रीमान्के प्रति अत्यन्त आदरके साथ हम बताना चाहते हैं कि एंग्लो मैक्सन और भारतीय — दोना जातियोका उद्भव एक ही मूलवशसे हुआ है। विधेयकके दूसरे वाचनके समय श्रीमान्ने जो धाराप्रवाह भाषण किया उसे हमने पूरे ध्यानसे पढा है। हमने यह जाननेके लिए बहुत परिश्रम किया कि आपने दोना जातियोके मूलवशके अन्तर पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनका समर्थन किसी अधिकारी लेखकने किया है या नहीं। परन्तु भक्कममूलर, भारिस, ग्रीन और अनेकानेक दूसरे लेखक एक स्वरसे बहुत स्पष्ट रूपमें मही बताते दीखते हैं कि दोना जातियोका उद्भव एक ही आय वगैरे था, जैसा कि बहुतसे लोग कहते हैं, इडो-आर्यन वशने हुआ है। फिर भी, जो राष्ट्र हमें स्वीकार करनेके लिए तैयार न हो उनके बंधु-राष्ट्रके सदस्यके नाते जबरन् उसके गले पड जानेकी इच्छा हमें जरा भी नहीं है। परन्तु अगर हम वे बातें सच-सच बताते हैं, जिनके कथित अभावको हमें मताधिकारके अयोग्य घोषित करनेके लिए दलीलके रूपमें पेश किया गया है, तो आशा है हमें क्षमा किया जायेगा।

इसके अलावा, बताया जाता है, श्रीमान्ने यह भी कहा है कि भारतीयोसे मताधिकारका प्रयोग करनेकी अपेक्षा करना श्रूता होगी। नम्र निवेदन है कि हमारा प्राथनापत्र इसका पर्याप्त उत्तर है।

आपका भाषण हमें अपने दृष्टिकोणसे कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों न मालूम हुआ हो, हमें यह जानकर बम सन्तोष नहीं हुआ कि वह न्याय, नीति और, इनके अलावा, ईसाइयतकी भावनाओंसे ओतप्रोत था। जबतक इस भूमिके

श्रेष्ठ पुरुषोंमें यह भावना दिखलाई पड़ती है, तबतक हम प्रत्येक मामलेमें न्याय किया जानेकी वास्तव हताशा नहीं होगी।

इसीलिए हमने पूरे विश्वासके साथ आपके सामने आनेका साहस किया है। हम मानते हैं कि हमारे नम्र प्रायनापत्रमें जो नई हकीकतें स्पष्ट की गई हैं, उनकी रोशनीमें उपर्युक्त भावनाओंके प्रदर्शित किये जानेका परिणाम उपनिवेशवासी भारतीयोंके प्रति ठोस न्याय ही होगा।

हमारा विश्वास है कि प्रायनापत्रमें की गई याचना बहुत विनम्र है। अगर अखबारोंके समाचार विश्वास-योग्य हों तो श्रीमान्ने स्वीकार करनेकी कृपा की थी कि कुछ प्रतिष्ठित भारतीय ऐसे हैं, जो इस विशेषाधिकारका प्रयोग करनेके लिए पर्याप्त बुद्धि रखते हैं। हमारी नम्र रायमें, केवल यह कारण ही इस अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नकी जाँचके लिए आयोग नियुक्त करनेमें काफी है। हम ऐसे आयोगके सामने उपस्थित होनेको तैयार ही नहीं हैं, सचमुच तो हम उसका स्वागत करते हैं। बादमें, अगर निष्पक्ष न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) नियुक्त कर दे कि भारतीय लोग मताधिकारका प्रयोग करनेके योग्य हैं, तो क्या हमारा यह माँग करना बहुत ज्यादा होगा कि उन्हें उसका प्रयोग करने दिया जाये? अगर हम विधेयकके सही मानी समझ सके हैं तो उनके कानूनमें परिणत हो जाने पर भारतीयोंका दर्जा निचलेसे निचल देगी लोगोंके दर्जेसे भी नीचा हो जायेगा। क्योंकि, जब देशी लोग शिक्षा प्राप्त करके मताधिकार पानेके योग्य बन सकेंगे, भारतीयोंको यह मौका कभी नहीं मिलेगा। विधेयक इतना सख्त है कि अगर ब्रिटिश लोकसभाका कोई भारतीय सदस्य भी यहाँ आये तो वह भी मतदाता बननेके योग्य न होगा।

हम जानते हैं कि इतने ही महत्त्वके दूसरे विषयोंपर भी आपकी गंभीरतापूर्वक ध्यान देना है। अगर हम यह जानते न होते तो विधेयककी व्याख्यासे निकलनेवाले हानिकारक परिणामोंका वर्णन और भी करते। ये परिणाम ऐसे हैं कि शायद विधेयकके यशस्वी निर्माताओंका मरना ऐसा कल्पना न रहा होगा। इसलिए अगर हमें एक सप्ताहका समय दे दिया जाये तो हम विधानसभाके सामने अपना पक्ष अधिक पूरा रूपसे रख सकते हैं। तब हम अपना मामला श्रीमान्के हाथोंमें सौंप देंगे, और अपनी सारी उत्कण्ठताके साथ श्रीमान्के प्राथना करेंगे कि श्रीमान् अपने प्रभावका उपयोग करके भारतीयोंके प्रति पूर्ण न्याय करावें। क्योंकि, हम न्याय और केवल न्याय ही चाहते हैं।

श्रीमान्ने हमारे शिष्टमडलको जो मुलाकात दी और हमारे प्रति जो शिष्टता प्रदर्शित की उसके लिए हम श्रीमान्को धन्यवाद देते हैं।

भारतीय समाजकी ओरसे,

श्रीमान्के आज्ञानुवर्ती सेवक,  
(ह०) मो० क० गाधी  
तथा तीन अन्य

[ अंग्रेजीमें ]

नेटाल विधानमभाके आदेशसे २१ अप्रैल, १८९६ को प्रकाशित पत्र-  
व्यवहारसूचीमें न० १ की मद ।

क्लोनियल आफिस रेकर्ड्स न० १८१, जिल्द ४१ ।

## २७ प्रश्नावली' ससद-सदस्योंके नाम ( एक परिपत्र )

डर्बन  
जुलाई १, १८९४

सेवामें

महोदय,

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवालोंने विधानपरिपत्र और विधानसभा दोनोंके माननीय सदस्योंके पास इस पत्रकी नकले रजिस्टर्ड डाकसे भेजी हैं और उनसे साथके प्रश्नोका उत्तर देनेका अनुरोध किया है। यदि आप सलग्न पत्रमें उत्तरके कालम भरकर और आप जो ठीक समझें वह मन्तव्य दर्ज करके अपने हस्ताक्षरोंके साथ उसे प्रथम हस्ताक्षरकर्तानि पास ऊपरके पतेपर वापस भेज दें तो हम अत्यन्त आभारी होंगे।

आपके आज्ञानुवर्ती सेवक,  
मो० क० गाधी  
तथा चार अन्य

१ इस पत्र और प्रश्नावलीका उल्लेख लाइव रिपनके नाम भेजे गये प्रार्थना पत्र (५० १२०)के आठवें अनुच्छेदमें किया गया है।

प्रश्न

उत्तर  
हाँ या नहीं

- (१) क्या आप शुद्ध अन्तःकरणसे कहते हैं कि मता-  
धिवार यानून सशोधन विधेयक बिलकुल  
न्याययुक्त है, जिगमें किसी सशोधन या परि-  
यतनकी जरूरत नहीं है?
- (२) क्या आप इसे न्याययुक्त समझते हैं कि जो  
भारतीय किसी कारणसे अपने नाम मतदाता-  
सूचीमें नहीं लिखा सवे उन्हें हमेशाके लिए  
संसदीय चुनावोंमें मत देनेके रोक् दिया जाना  
चाहिए — भले वे जितने ही योग्य क्यों न हो  
और उपनिवेशमें उनका कसा भी हित निविष्ट  
क्यों न हो ?
- (३) क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई  
भी भारतीय उपनिवेशका पूरा नागरिक बननेकी  
या मत देनेकी पर्याप्त योग्यता कभी भी कमा  
नहीं सकता ?
- (४) क्या आप इसे न्याय समझते हैं कि किसी  
आदमीको सिर्फ इसलिए मतदाता न बनने  
दिया जाये कि वह एशियाई वंशका है ?
- (५) क्या आप चाहते हैं कि जो गिरमिटिया  
भारतीय उपनिवेशमें आते हैं और यहा बस  
जाते हैं वे यदि स्थायी रूपसे भारत वापस चले  
जाना पसन्द न करें तो सदा अघ-दासता  
और अज्ञानकी अवस्थामें रहें ?

[अधेनीसे]

क्लोनियल आफिस रेकॉर्ड्स न० १७९, जिल्द १८९।

## २८ शिष्टमंडलकी भेंट नेटालके गवर्नरसे

डर्रन

जुलाई ३, १८९४

सेवामें

परमश्रेष्ठ माननीय सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन, के० सी० एम० जी, गवर्नर, नेटाल उपनिवेश, प्रधान सेनापति तथा वाइस-एडमिरल, नेटाल, और देशी आबादीके सर्वोच्च शासक

नम्रतापूर्वक निवेदन है कि,

जुलाई १, १८९४ को डर्रनमें प्रमुख भारतीयोंकी एक सभा हुई थी, जिसमें हमसे अनुरोध किया गया था कि हम मताधिकार सशोधन विधेयकके सम्बन्धमें महानुभावसे भेंट करें। इस विधेयकका तीसरा वाचन कल शामको नेटाल उपनिवेशकी विधानसभामें हो चुका है।

विधेयक अपने वर्तमान रूपमें प्रत्येक भारतीयको, जिसका नाम अभी मतदाता-सूचीमें दर्ज नहीं है, चाहे वह ब्रिटिश प्रजा हो चाहे न हो, मतदाता बननेके अयोग्य ठहराता है।

हम यह बहनेकी घृष्टता करते हैं कि यदि विधेयकमें कोई शर्तें या मर्यादाएँ शामिल न कर दी गईं तो वह स्पष्टतः अन्यायपूर्ण है और कमसे कम कुछ भारतीयों पर तो उसका असर बहुत बुरा होगा ही।

इंग्लैंडमें भी आवश्यक योग्यता रखनेवाले किसी भी ब्रिटिश प्रजाजनको जाति, रंग या धर्मके भेद बिना मत देनेका अधिकार प्राप्त है।

महानुभावके शिष्टाचारका अतिश्रमण होनेके खयालसे हम यहाँ इस प्रश्नकी विस्तारके साथ चर्चा नहीं करेंगे। परन्तु हम विधानसभाको दिये गये प्रायना पत्रकी एक छपी हुई नकल महानुभावके पास भेजनेकी इजाजत लेते हैं। निवेदन है कि महानुभाव उसे ध्यानसे पढ़ लें।

हमें हमारा लक्ष्य इतना व्यापक जँचता है कि उसके समयमें किसी दलीलकी आवश्यकता ही नहीं होगी।

हमें भरोसा है कि महाकृपालु महिभामयी सम्राज्ञीके प्रतिनिधिके रूपमें महानुभाव किसी ऐसे कानूनको अनुमति प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कोई ऐसी

व्यवस्था होती दीलती हो कि सम्राज्यीका कोई भारतीय प्रजाजन कमी भी मताधिकारका प्रयोग करनेके योग्य नहीं बन सकता।

इस विषयमें हम महानुभावनी सेवामें योग्य अधिकारियाकी माफत उर्विन प्राथनापत्र<sup>१</sup> भेजनेकी आशा करते हैं।

शिष्टमंडलको ध्वनमें मुलाकात देनेके लिए और महानुभावके सिष्टावार तथा धैयके लिए हम महानुभावको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

विनीत,  
(ह०) मो० क० गांधी  
और छ अन्य

[ अंग्रेजीसे ]

उपनिवेश-मंत्री लाड रिपनके नाम नेटालके गवर्नर सर वाल्टर हेले-हचिन्सनके खरीता न० ६२, ता० १६ जुलाई, १८९४ का सहपत्र न० २।

## २९ प्रार्थनापत्र . नेटाल विधानपरिषदको

द्विन  
जुलाई ४, १८९४

माननीय श्री कैम्पबेलने विधानपरिषदके अध्यक्ष जीर सदस्योंके नाम निम्न लिखित प्राथनापत्र पेश किया

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल निवासी भारतीयोंका प्राथनापत्र नम्र निवेदन है कि,

प्राथियोंको इस उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीय समाजने आपकी परिषदके सामने यह नम्र प्राथनापत्र पेश करनेके लिए नियुक्त किया है। इसका सम्बन्ध

१ इसके बाद नेटालके गवर्नरको बस्तुतः को२ प्रार्थनापत्र नहीं भेजा गया। स्पष्ट है कि गांधीजी और उनके साथी भेजना तो चाहते थे, परन्तु घटना चक्र गाने बन गया। यह प्रार्थनापत्र भी अस्वीकृत हो गया और विषयको जन्दी-जल्दी सब अवस्थाओंसे गुजारकर सम्राज्यीकी स्वीकृतिके लिए उपनिवेश-मंत्री लाड रिपनके पास भेजनेको तैयार कर लिया गया। इसलिये एक दूसरा प्रार्थनापत्र (देखिए पृष्ठ ११७) सर वाल्टर हेले-हचिन्सन द्वारा लाड रिपनके पास उनके निर्णयके लिए रुदन भेजना आवश्यक हुआ।

मताधिकार कानून सशोधन विधेयक (फ्रैंचाइज ला अमॅडमेंट बिल) से है, जिसका तीसरा वाचन विधानसभामें २ जुलाईको हुआ था। हम अपनी शिकायतोंका जिक्र विस्तारपूर्वक इस प्राथनापत्रमें नहीं करेंगे। उसके लिए हम आपका ध्यान भारतीयोंके उस प्राथनापत्रकी ओर सादर आकर्षित करते हैं, जो इस विधेयकके सम्बन्धमें विधानसभाको दिया गया था और जिसकी एक छपी हुई नकल सदस्योंके तत्काल देखनेके लिए इसके साथ नत्थी है। प्राथनापत्र पर लगभग ५०० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये हैं। ये हस्ताक्षर सिर्फ एक दिनके थोड़े-से समयमें किये गये थे। अगर प्राथियोंको अधिक समय दिया गया होता तो, विभिन्न जिलोंसे जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उनसे पूरा विश्वास होता है कि, कमसे कम दस हजार लोगाने हस्ताक्षर किये होते। प्राथियोंको आशा थी कि विधानसभा प्राथनाके न्यायको महसूस करके उसे स्वीकार कर लेगी। परन्तु उनकी आशाएँ भग्न हो गईं। इसलिए अब प्राथियोंने इस उद्देश्यसे आपकी सम्माननीय परिषदके सम्मुख उपस्थित होनेका साहस किया है कि माननीय सदस्यगण उपर्युक्त प्राथनापत्र पर बारीकीसे विचार करें और याय तथा औचित्यके अनुरूप अपने सशोधन करनेके अधिकारका प्रयोग करें। कुछ प्राथियोंने निम्न सदनके कुछ माननीय सदस्योंसे उपयुक्त प्राथनापत्रके सम्बन्धमें भेंट की थी। वे सब प्राथनापत्रमें कही गई बातोंको न्याययुक्त मानते दिखलाई पड़े थे। परन्तु आम भावना यह मालूम हुई थी कि वह प्राथनापत्र बहुत विलम्बसे दिया गया। इस बातकी बारीकियोंमें गये बिना, हम आदरके साथ निवेदन करते हैं कि अगर इसे सही मान लिया जाये तो भी विधेयकके कानूनके रूपमें परिणत हो जानेके परिणाम इतने गभीर होंगे, और हमारी प्राथना इतनी यायपूर्ण और सौम्य है कि प्राथनापत्र पर विचार करते समय विलम्बका महत्त्व सदस्योंके सामने विलकुल नहीं होना चाहिए था। सम्य देशोंकी ससदोंके ऐसे उदाहरण खोज निकालना बहुत कठिन न होगा, जिनमें कि इससे कम जोरदार परिस्थितियोंमें समिति द्वारा विचार हो जानेके बाद भी विधेयकोंको सशोधित या अस्वीकार कर दिया गया है। ब्रिटिश लाट्समाने आयरलैंडकी स्वतन्त्रताके विधेयकको नामजूर कर दिया था। उसका उदाहरण आपको बतानेकी जरूरत नहीं है। और न जिन परिस्थितियोंमें वह अस्वीकार किया गया था उनकी चर्चा करना ही जरूरी है। हमारा निवेदन है कि मताधिकार कानून सशोधन विधेयकका वर्तमान रूप इतना सवप्राही है कि उसके स्वीकार हो जाने पर कोई भी भारतीय, जिसका नाम इस



समय मताधिकार-सूचीमें नहीं है, मतदाता ही मन सचता, फिर वह किता ही योग्य क्यों न हो। प्राथमिकता विरवात है कि आपकी सम्माननपरिपद ऐसे विचारका समर्थन नहीं करेगी और, इसलिए, विधेयकको विवातसभारे पास पुनर्विचारके लिए भेज दगा।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे।

[ अंभोजी ]

नेटाल एडपर्टीजेंट, ५-७-१८९४

### ३०. पत्र दादाभाई नौरोजीको

मालूम होता है, गांधीजीने दादाभाई नौरोजीको जो अनेक पत्र लिखे थे उनमें यह पहला था। दादाभाई दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी समस्याके परिचित थे, क्योंकि वहाँके भारतीयोंने १८९१ में ही उनके पास ब्रिटिश सरकारके सामने पेश करनेके लिए प्रार्थनापत्र भेजे थे। पूरा पत्र उपर्युक्त नहीं है। उसके निम्नलिखित अंश श्री आर० पी० मसानीकृत *दादाभाई नौरोजी इ मैड ओल्ड मैन आफ इण्डिया* [ भारत राष्ट्र पितामह दादाभाई नौरोजी ] में उद्धृत किये गये हैं।

दरें

जुलार ५, १८९४

उत्तरदायी शासनमें नेटालकी पहली असद प्रमुखत एक भारतीय सदन ही रही है। वह अधिकांशत भारतीयों पर अमर डालनेवाले कानून बनानेमें व्यस्त रही। ये कानून किसी भी तरह प्रवासी भारतीयोंके अनुकूल नहीं हैं। गवर्नरने विधानपरिपद और विधानसभाका उद्घाटन करते हुए कहा था कि भारतमें कभी मताधिकार प्रयोग न करने पर भी नेटालमें भारतीय प्रवासी उसका प्रमाण कर रहे हैं, मेरे मन्त्री मताधिकारके इस विषयको सुलझायेंगे। भारतीयोंका मताधिकार छीननेके लिए सचप्राही कानून बनानेके कारण ये बताये गये थे कि उन्होंने पहले कभी मताधिकारका प्रयोग नहीं किया, और वे उसके लिए योग्य नहीं हैं।

भारतीयोंका प्राथमिकता इसका पर्याप्त उत्तर मावित होता दीख पडा। फलत अब उन्होंने पैतरा बल्लबर विधेयकका सच्चा ध्येय प्रकट कर दिया

है, जो महज यह है "हम नहीं चाहते कि भारतीय यहाँ और रहें। मजदूर हम जरूर चाहते हैं। परन्तु यहाँ वे गुलाम ही बन कर रहेंगे। जैसे ही वे आजाद हुए, फौरन भारत लौट जायेंगे।" मेरा हार्दिक अनुरोध है कि आप इसपर पूरा-पूरा ध्यान दें और आपका जो प्रभाव हमेशा भारतीयोंके पक्षमें काम आया है — भले वे कहीं भी क्यों न हो — उसका उपयोग करें। भारतीय आपकी ओर वैसे ही आशाकी दृष्टिसे देखते हैं, जैसे बच्चे पिताकी ओर देखते हैं। यहाँकी भावना यथाथमें ऐसी ही है।

दो शब्द अपने बारेमें भी लिखकर इसे खत्म करूँगा। अभी मैं नौजवान और अनुभवहीन हूँ। इसलिए बिलमुल सम्भव है कि मुझसे कहीं गलतियाँ हो जायें। मैंने जो जिम्मेदारी उठाई है वह मेरी योग्यतासे कहीं भारी है। यह भी बता दू कि मैं यह काय बिना मिहनतानेके कर रहा हूँ। इसलिए आप दरेंगे कि मैंने भारतीयोंके घनसे घनी बननेके लिए अपने सामर्थ्यसे बाहरका यह काम नहीं उठाया। यहाँके लोगोंमें मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो इस प्रश्नको निभा सकता हूँ। इसलिए अगर आप कृपाकर मेरा माग-दर्शन करते रहें और मुझे उचित सुझाव देते रहें तो मैं बहुत आभारी हूँगा। मैं आपके सुझावोंको वैसे ही स्वीकार करूँगा जैसे पिताके सुझाव पुत्रका हो।

[ अंग्रेजीसे ]

### ३१. दूसरा प्रार्थनापत्र नेटाल विधानपरिषदकी

द्वारा

जुला ६, १८९४

सेवामें

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण  
विधानपरिषद, नेटाल

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटालवासी भारतीयोंका प्रार्थनापत्र  
नम्रतापूर्वक निवेदन है कि,

(१) नेटालवासी भारतीयोंने प्रार्थियोंको आपकी माननीय परिषदकी सेवामें "भताधिकार कानून संशोधन विधेयक" के सम्बन्धमें निवेदन करनेके लिए नियुक्त किया है।

समय मताधिकार-सूचीमें नहीं है, मतदाता नहीं बन सकता, फिर वह कितना ही योग्य क्यों न हो। प्राधिकावा विद्वान्त है कि आपकी सम्माननीय परिपद ऐसे विचारका समयन नहीं करेगी और, इसलिए, विधेयकको विवात सभाके पास पुनर्विचारके लिए भेज देगी।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, उग दुआ करेगे।

[ अग्रेजीसे ]

नेटाल एडवर्टाईजर, ५-७-१८९४

### ३० पत्र दादाभाई नौरोजीको

माखम होता है, गांधीजीने दादाभाई नौरोजीका जो अनेक पत्र लिखे थे उनमें यह पहला था। दादाभाई दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी समस्याओंसे परिचित थे, क्योंकि वहाँके भारतीयोंने १८९१ में ही उनके पास ब्रिटिश सरकारके सामने पेश करनेके लिए प्रार्थनापत्र भेजे थे। पूरा पत्र उपलब्ध नहा है। उसके निम्नलिखित अंग श्री आर० पी० मसानीकृत *दादाभाई नौरोजी इ ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया* [ भारत राष्ट्र-पितामह दादाभाई नौरोजी ] में उद्धृत किये गये हैं।

दर्शन

जुलाई ५, १८९४

उत्तरदायी शासनमें नेटालकी पहली मसद प्रमुखत एक भारतीय सभ में ही रही है। वह अधिकांशत भारतीयों पर असर डालनेवाले कानून बनानेके व्यस्त रही। ये कानून किसी भी तरह प्रवासी भारतीयोंके अनुकूल नहीं हैं। गवर्नरने विधानपरिपद और विधानसभाका उद्घाटन करते हुए कहा था कि भारतमें कभी मताधिकार प्रयोग न करने पर भी नेटालमें भारतीय प्रवासी उसका प्रयोग कर रहे हैं, मेरे मंत्री मताधिकारके इस विषयको मुलजायेंगे। भारतीयोंका मताधिकार छीननेके लिए सबग्राही कानून बनानेके कारण ये बताये गये थे कि उन्होंने पहले कभी मताधिकारका प्रयोग नहीं किया, और वे उसके लिए योग्य नहीं हैं।

भारतीयोंका प्राथनापत्र इसका पर्याप्त उत्तर साधित हाता दीस पडा। फलत अब उन्होंने पैतरा बदलकर विधेयकका सच्चा ध्येय प्रकट कर दिया

है, जो महज यह है "हम नहीं चाहते कि भारतीय यहाँ और रहें। मजदूर हम जरूर चाहते हैं। परन्तु यहाँ वे गुलाम ही बन कर रहेंगे। जैसे ही वे आजाद हुए, फौरन भारत लौट जायेंगे।" मेरा हार्दिक अनुरोध है कि आप इसपर पूरा-पूरा ध्यान दें और आपका जो प्रभाव हमेशा भारतीयोंके पक्षमें काम आया है—भले वे कही नी क्या न हो—उसका उपयोग करें। भारतीय आपकी आर वैसे ही आगाकी दृष्टिसे देखते हैं, जैसे बच्चे पिताकी ओर देखते हैं। यहाँकी भावना यथाथमें ऐसी ही है।

दो शब्द अपने वारेमें भी लिखकर इसे खत्म करूँगा। अभी मैं नौजवान और अनुभवहीन हूँ। इसलिए बिगुल मन्भव है कि मुझसे वही गलतियाँ हो जायें। मैंने जो जिम्मेदारी उठाई है वह मेरी योग्यतासे कही भारी है। यह भी बता दू कि मैं यह काम बिना मिहनतानेके कर रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने भारतीयोंके धनसे धनी बननेके लिए अपने सामर्थ्यसे बाहरका यह काम नहीं उठाया। यहाँके लोगोंमें मैं बकेला ही ऐसा हूँ जो इस प्रश्नको निभा सकता हूँ। इसलिए अगर आप कृपाकर मेरा माग-दर्शन करते रहें और मुझे उचित सुझाव देते रहें तो मैं बहुत आभारी हूँगा। मैं आपके सुझावोंको वैसे ही स्वीकार करूँगा जैसे पिताके सुझाव पुत्रको हो।

[अंग्रेजीसे]

## ३१ दूसरा प्रार्थनापत्र नेटाल विधानपरिषदको

खबन

जुलाई ६, १८९४

सेवामें

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण  
विधानपरिषद, नेटाल

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटालवासी भारतीयोंका प्रार्थनापत्र  
नम्रतापूर्वक निवेदन है कि,

(१) नेटालवासी भारतीयोंने प्राथियोंको आपकी माननीय परिषदकी  
सवाम "मताधिकार कानून संशोधन विधेयक" के सम्बन्धमें निवेदन करनेके  
लिए नियुक्त किया है।

(२) प्राधियासो हादिस गेद है कि उन्होंने ४ जुलाई, १८९४ को माननीय श्री बंम्बेउरो द्वारा जो प्राध्यापन पत्र दिया था, वह नियमानुसंग नहीं था, इस कारण उन्हें फिरने यह प्राध्यापन पत्र परव आपकी परिपदका अमूल्य समय बिगाडना पड रहा है।

(३) प्राथी भारतीय समाजके विश्वासपात्र और जिम्मेदार सदस्य है। इस हैमियतके वे आपकी परिपदका ध्यान आवर्षित करते हैं कि विचारशील विधेयकने भारतीय समाजमें व्यापक असतोष और निराशाकी भावना पैदा कर दी है। जैसे-जैसे भारतीय समाजमें विधेयककी धाराओका पाल फूटा है, वैसे-वैसे प्राधियोकी लोगोकी ये भावनाएँ अधिकाधिक मात्रामें सुनाई पडती जाती हैं "सरकार नाँ-बाप हमें मार डालेगी, हम क्या करें?"

(४) प्राथी आपकी परिपदके प्रति अधिकसे अधिक आदरके साथ निवेदन करते हैं कि यह भावना सिर्फ तुच्छ गिनी जाने योग्य नहीं, बल्कि अन्नकरण निवली हुई है और परिपदके अत्यन्त गभीर विचारके योग्य है।

(५) आपकी परिपदमें विधेयकके दूसरे वाचनकी महसुके समय बताना प्रयत्न किया गया था कि मत देना क्या है, यह भारतीयोको मालूम ही नहीं है। प्राथी आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि यह सच नहीं है। वे भी भाँति समझते ह कि मत देनेके अधिकारसे क्या हक मिलता है और उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। प्राधियोकी केवल इतनी ही इच्छा है कि परिपद स्वयं देख सकती, विधेयककी प्रगतिकी प्रत्येक अवस्थाको भारतीय समाज किस चिन्ता और उत्तेजनाके साथ देखा करता है।

(६) प्राथी एक क्षणके लिए भी यह कहना नहीं चाहते कि भारतीय समाजके प्रत्येक व्यक्तिको ऐसा ज्ञान और, इसलिए ऐसी भावना है। परन्तु वे कहनेकी इजाजत चाहते हैं कि साधारण स्थिति यही है। वे यह भी कहना नहीं चाहते कि ऐसे भारतीय हैं ही नहीं जिन्हें मत देनेका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। परन्तु वे इतना जरूर कहेंगे कि यह तो कोई कारण नहीं, जिससे कि सारेके मारे भारतीयोको मताधिकारसे वंचित कर दिया जाय।

(७) विधेयकके अमलसे जो परिणाम होंगे उनमें से कुछका परिष्कारके विचाराय निवेदन करनेकी प्राथी अनुमति चाहते हैं

(क) जिन लोगोके नाम इस समय मतदाता-सूचीमें शामिल हैं, उन्हें विधेयक मनमाने ढंगसे उसमें कायम रखता है। परन्तु जिन लोगोके

अबतक उस अधिकारका प्रयोग करनेकी इच्छा नहीं थी उनको वह हमेशाके लिए उससे वंचित कर देता है।

(ख) जब कि कुछ भारतीय पिताआको मत देनेका हक होगा, उनके बच्चे कभी मत नहीं दे सकेंगे — भले ही बच्चे अपने पिताआसि हर तरह आगे बढ़े हुए क्यों न हों।

(ग) विधेयक गिरमिटिया आर स्वतंत्र भारतीयों — दानोंका एक ही तराजूसे तोलता है।

(घ) विधेयकका आधार राजनीति है। वह आधार हाल ही में विकसित हुआ दीखता है। उसे यदि थोड़ी देरके लिए छोड़ दिया जाये तो विधेयकसे ऐसा मालूम होगा कि इस समय भारतमें रहनेवाला एक भी भारतीय मताधिकारका प्रयोग करनेके योग्य नहीं है, और यूरोपीयों तथा भारतीयोंके बीच इतना अन्तर है कि भारतीय यूरोपीयोंके दोष सहवासके बाद भी उस मूल्यवान् अधिकारका प्रयोग करनेके योग्य नहीं बने।

(ङ) प्रार्थी नम्रतापूर्वक पूछते हैं एक पिता मतदाता है। वह अपने पुत्रकी शिक्षा पर इसलिए भारी मात्रामें धन खर्च करता है कि पुत्र लोक-परायण बने। फिर, यदि अन्तमें उसे देखना पड़े कि पुत्रको वह अधिकार भी नहीं मिलता जिसे प्रातिनिधिक सस्थाआवाले सब सभ्य देशोंमें पैदा हुए प्रत्येक सच्चे शिक्षित व्यक्तिवा जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, तो क्या यह उचित होगा ?

(९) प्रार्थी इस भयकी विवेचना करनेको बहुत इच्छुक हैं कि एशिया-इयोंको मताधिकार दे देनेसे देशीयोंका राज्य अन्तमें भारतीयोंके हाथमें चला जायेगा। परन्तु भय है कि, इस विषय पर आपकी परिषदके सामने अपने नम्र विचार रखनेका अवसर यह नहीं है। प्रार्थी इतना ही कहकर सतोष करेंगे कि उनके विचारसे ऐसा बनाव कभी बननेवाला ही नहीं है। और यदि दूर भविष्यमें कभी बन भी जाये तो भी उसके विरुद्ध कानून बनानेका समय अभी तो नहीं आया है।

(१०) प्रार्थी सादर निवेदन करते हैं कि विधेयक ब्रिटिश प्रजाके एक बग और दूसरे बगके बीच द्वेषजनक भेद-भाव उत्पन्न करनेवाला है। परन्तु कहा यह गया है कि यदि भारतीय ब्रिटिश प्रजाके साथ यूरोपीयोंकी बराबरीका बरताव किया जाता है तो वही बरताव दूसरी ब्रिटिश प्रजाओं — अर्थात् उपनिवेशके देशी लोगोंके साथ भी होना चाहिए। प्रार्थी अभिय तुलनामें उतरे

बिना सम्प्राप्तीकी १८५८ की घोषणाका एक अश उद्धृत करनेकी इजाजत लेते हैं। उससे मालूम होगा कि भारतीय ब्रिटिश प्रजाके साथ किन सिद्धान्तोके आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए

हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कतब्यके उहीं दायित्वोंसे बँधा हुआ समझते ह, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजाओंके प्रति बँधे ह। और सबशक्तिमान परमात्माकी कृपासे हम उन दायित्वोंका निष्ठापूर्वक और सदसद्विवेक-बुद्धिके साथ निर्वाह करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारी यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारीसे हमारी जिन नौकरियोंके कर्तव्य पूरा करनेके योग्य हों उनमें उहें जाति और धर्मके भेद भावके बिना मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया जाये। उनकी समृद्धिमें ही हमारी शक्ति होगी, उनके सतोपमें ही हमारी सुरक्षा होगी और उनकी कृतज्ञतामें ही हमारा सबथेष्ठ पुरस्कार होगा।

(११) उपर्युक्त उद्धरण और १८३३ के अधिकार-पत्र (चाटर)के अनुसार भारतीयोंको भारतमें मुख्य न्यायाधीशके जैसे अत्यन्त उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया जाता है। फिर भी, यहाँ, एक ब्रिटिश उपनिवेशमें, प्राथियोंको या उनके भाई-बन्धोको या उनके बच्चोको साधारण नागरिकोंके सामान्यतम अधिकारसे वंचित करनेका प्रयत्न किया जा रहा है।

(१२) अब कहा गया है कि भारतीय लोग म्यूनिसिपल स्वशासन तो जानते हैं, किन्तु राजनीतिक स्वशासनसे अनभिज्ञ हैं। प्राथियोंका निवेदन है कि यह भी बिलकुल सच नहीं है। परन्तु मान लिया जाये कि बात बराबर ऐसी ही है, तो क्या जिम देशमें ससदीय शासन प्रचलित हो उसमें भारतीयोंको राजनीतिक मताधिकारसे वंचित करनेका यह कोई कारण होना चाहिए? प्राथियोंका निवेदन है कि सच्ची और एकमात्र कसौटी यह हानी चाहिए कि आपके प्रार्थी और जिनकी वे पैरवी कर रहे हैं वे योग्य हैं अथवा नह। जिस देशमें राजाका राज्य है वहाँसे आया हुआ कोई व्यक्ति—उदाहरणार्थ, रूसी—भले ही प्रातिनिधिक शासनको समझने या सराहनेकी योग्यता न दिखा सका हो, फिर भी, प्रार्थी मानते हैं कि, यदि वह दूसरी दृष्टियोंके योग्य हो तो परिषद उसे अयोग्य ठहराकर मताधिकारसे वंचित न करेगी।

(१३) इसे पूरा करनेके पहले प्रार्थी आपकी परिषदका ध्यान लाठ मेकालेक निम्नलिखित स्मरणीय शब्दोंकी ओर आकर्षित करते हैं 'हम स्वतंत्र और

सम्य है, परन्तु यदि मानव-जातिके किसी भागको स्वतन्त्रता और सम्यताका समान अंश देनेमें हम आपत्ति करते हैं तो हमारी स्वतन्त्रता और सम्यता व्यय है।”

(१४) प्रायियोंको हार्दिक विश्वास है कि उपर्युक्त तथ्य तथा तक और कुछ भले ही सिद्ध न कर सकें, वे इतना तो सतोपप्रद रूपमें सिद्ध कर ही देंगे कि भारतीयोंकी मताधिकार प्राप्त करनेकी योग्यता-अयोग्यताकी जाँचके लिए एक आयोग नियुक्त करनेकी मञ्ची आवश्यकता है। यदि भारतीयोंको मताधिकार दे दिया गया तो उनके मत यूरोपीयोंके मताको निगल जायेंगे और शान्तकी बागडोर उनके हाथमें चली जायेगी — क्या इस भयका कोई आधार है? इसकी जाँचके लिए तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर रिपोर्ट देनेके लिए भी जाँच-आयोगकी नियुक्ति आवश्यक है — यह भी उपर्युक्त तर्कों तथा तथ्योंसे सिद्ध हो जायेगा।

(१५) इसलिए प्रार्थी विनती करते हैं कि आपकी परिषद जो सिफारिशें न्यायपूर्ण और उचित समझे उनके साथ विधेयकको विधानसभाके पास पुनर्विचारके लिए वापस भेज दे।

और इस न्याय तथा दयाके वाक्यके लिए प्रार्थी, कृतब्य समझकर, सदा दुआ करेंगे, आदि-आदि।

[ अग्रनासे ]

श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादा तथा अन्य सात व्यक्तियोंका प्रार्थनापत्र, जो ६ जुलाई, १८९४को माननीय श्री कैम्पबेलने नेटाल ससदकी विधान-परिषदके सामने पेश किया था।

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स, न० १८१, जिल्द १८।



## ३२. भारतीय और मताधिकार

मताधिकार कानून संशोधन विधेयक (फ्रिचार्ज एंड अमेन्डमेंट्स बिल) के समान भारतीय मनाजने नेटाल विधानपरिषद (रेजिस्ट्रैटिव कौन्सिल) को जो प्रारंभ दिया था उमर ७ जुलाई, १८९४ के नेटाल मर्करी में 'भारतीय ग्राम-समाज' शीर्षक से एक लम्बा अग्रक्रम प्रकाशित हुआ था। उसमें यह दलील दी गई थी कि विधेयक आज संसदीय शासन समझा जाता है वह भारतके ग्राम-समाजोंमें प्रचलित प्रातिनिधिक संस्थाओंके किमी भी स्वरूपमें भिन्न है। विधेयकमें भारतीयोंको इस प्रकार पर मताधिकारसे वंचित रखा गया था कि उन्होंने अपने देशमें कमी मताधिकार प्रयोग नहीं किया। भारतीयोंका कहना था कि वे अपने ग्राम-समाजोंमें प्राचीन काल ही मताधिकारका प्रयोग करते आ रहे हैं। परन्तु नेटाल मर्करीने भारतीयोंके इस दावेका प्रतिवाद किया था। सर हेनरी समर मेनने अपनी पुस्तक 'विश्व कम्प्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट [पूर्व और पश्चिमके ग्राम-समाज]' में जो यह व्यक्त किया है कि भारतीय लगभग स्मरणातीत कालमें प्रातिनिधिक संस्थाओंके प्रति हैं, उसका भी उसने प्रतिवाद किया था। उसका कथन था कि भारतीयोंका एक नीतिक प्रतिनिधित्वमें कोई सम्बन्ध नहीं रहा, जो-कुछ सम्बन्ध रहा है वह कानून पेट्टेके कानूनी पहलूके सिलसिलेमें था। उसरी दलील यह थी कि ग्राम्य सामाजिक जीवन तो सभी आदिम लोगोंमें समान रूपमें प्रचलित था और उसमें अगर कौन बात सिद्ध होती है तो वह है उन लोगोंका पिछड़ापन। उसने सर जार्ज वेल्सका नाइटीन्थ सेंच्युरीमें व्यक्त किया हुआ यह मत उद्धृत किया था कि भारतीय जन भी अपनी राजनीतिक बाल्यावस्थामें हैं। उत्तरमें गांधीजीने निम्न पत्र लिखा था

दर्शन

जुलाई ७, १८९४

सेवामें

सम्पादक

नेटाल मर्करी

महोदय,

आपका आजके अंकका विद्वत्तापूर्ण और समय अप्रलेख पढ़कर बड़ा मना आया। ऐसी तो आशा ही नहीं थी कि मताधिकार-सम्बन्धी प्रायनापत्रके विरुद्ध कुछ कहनेको होगा ही नहीं। इस आधुनिक कालमें जिस चीजके दो पहलू न हो वह तो आश्चर्यजनक—मैं कहने पर था, मानवात्तर—बलु होगी। इस सिद्धान्तके आधार पर, सर जाज चेजनी अकेले ही ऐसे पैत्रक

नहीं है, जो आपका उद्देश्य सिद्ध करेंगे। आखिरकार, सर हेनरी समर मेन भी तो मनुष्य ही थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उनके सिद्धान्तों और निष्कर्षोंका खडन किया जाये। किसी मृत्युका "विरोधी तत्त्वोंकी जोड़ी"से बचे रहना संभव नहीं दिखाई देता। फिर भी, मैं इस समय मामलेकी दूसरी बाजू पेश नहीं करूँगा, और कभी भविष्यमें उसपर लौटनेकी इजाजत चाहूँगा।

यह पत्र लिखनेवा उद्देश्य आपको अचानक एक खबर देकर "विस्मित करना" है। मुझे यह कहते हय है कि मैसूर राज्यने अपनी प्रजाको राजनीतिक मताधिकार दे दिया है। म समाचारपत्रोंकी रिपोर्टसे निम्नलिखित अंश उद्धृत कर रहा हूँ

दोबानने अब जिस प्रणालीकी ध्याख्या की है, उसके अनुसार १०० रुपये या इससे ज्यादा लगान या १३ रुपये और इससे ज्यादा *मोहातफ़ा* [घर-कर] देनेवाले सब जमीन-मालिकोंको प्रतिनिधि सभाके सदस्योंको मत देनेका या स्वयं सदस्य बननेका अधिकार है। इसके अलावा, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालयके ऐसे सब स्नातकोंको, जो साधारणतः राज्यके किसी ताल्लुकेमें रहते हों, और जो सरकारी नौकर न हों, निर्वाचन करने और निर्वाचित होनेका भी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार सम्पत्ति तथा बुद्धि दोनोंके प्रतिनिधि धारासभामें होंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सार्वजनिक सभ, म्यूनिसिपलिटियाँ और लोकल बोर्ड भी अपने सदस्योंका चुनाव कर सकते हें। सदस्योंकी कुल संख्या ३४७ निश्चित की गई है और इन सदस्योंका चुनाव लगभग ४,००० निर्वाचक करेंगे।

महोदय, मैं आपसे सद्भावनाका अनुरोध करता हूँ, और पूछता हूँ कि क्या दोनों समाजाक भेद-सूचक तत्त्वोंको, जो अक्सर बहुत बिचे-तने या निरे काल्पनिक होते हैं, जनताके सामने खोलकर दिखानेके बजाय आप उनके साम्य-सूचक मुद्दोंका एकत्र करके प्रदर्शित करें तो मानव-जातिकी अधिक सेवा नहीं होगी? विरोधी तत्त्व तो मनुष्यके बुरेसे बुरे भावोंको ही जगा सकते हैं न, जब कि किसीका सच्चा लाभ उनसे हो ही नहीं सकता? मैं नहीं समझता कि दोनों राष्ट्रोंके बीच ईर्ष्या और शत्रुताके बीज बोना आपके लिए लाभजनक हो सकता है। मुझे कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करनेकी

शक्ति आपमें है, जैगी कि वह हरएकमें कम या ज्यादा मात्रामें होती है। परन्तु इससे बहुत ऊँची और बहुत उदात्त एक चीज भी आना पहुँचके अन्दर है—वह एक ऐसी चीज है, जो न केवल आपको महत्ता प्रदान करेगी, बल्कि भला भी बनायेगी। इसके अलावा, आपको एक पूरे राष्ट्रपति, जो १,२०० रुपये दमन और अत्याचारोंसे भी कुचला नहीं जा सके, श्रुतगता प्राप्त होगी। उक्त राष्ट्रपति कुचला न जा सकना अपने-आपमें एक समत्वार्थ है। और वह चीज है—उपनिवेशके लोगोंको भारत और उसके लोगोंके बारेमें सही शिक्षा देना।

आपका, भाति,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्करी, ११-७-१८९४

### ३३ पत्र नेटालके गवर्नरको

दरन

जुलाई १०, १८९४

सेवामें

परमश्रेष्ठ माननीय सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन, के० सी० एम० जी०,  
गवर्नर, नेटाल उपनिवेश, प्रधान सेनापति तथा वाइस एडमिरल,  
नेटाल, और देशी आबादीके सर्वोच्च शासक

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

सादर निवेदन है कि,

(१) प्रार्थी नेटाल उपनिवेशवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे इस प्रार्थनापत्रके द्वारा मताधिकार कानून संशोधन विधेयकके सम्बन्धमें महानुभावकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं।

(२) प्रार्थियोंको मालूम हुआ है कि महानुभाव उपयुक्त विधेयकके सम्मतिके लिए ब्रिटिश सरकारके पास भेजेंगे।

(३) ऐसी स्थितिमें, विधेयवचने सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारके नाम एक प्रार्थनापत्र<sup>१</sup> तैयार किया जा रहा है।

(४) प्रार्थी वह प्रायनापत्र, जितनी जल्दी हो सकेगा, महानुभावके पास भेज देंगे।

(५) प्रायियोजका आदरपूर्वक निवेदन है कि महानुभाव ब्रिटिश सरकारको अपना इस विषय सम्बन्धी सखीता भेजना तबतक स्थगित रखें, जबतक कि उपर्युक्त प्रायनापत्र भी उसके पास भेजनेके लिए महानुभावकी सेवामें न पहुँच जाये।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी सदा दुआ करेंगे, आदि-आदि।

(ह०) मो० क० गांधी  
तथा सात अन्य

[ कैम्बेजोसे ]

उपनिवेशमन्त्री लाड रिपनके नाम नेटालके गवर्नर सर वाल्टर हेली-हचिन्सनके सखीता न० ६२, ता० १६ जुलाई, १८९४का सहपत्र न० ६।  
फ्लोनिपल आफिस रेकर्ड्स, न० १७१, जिल्द १८१।

१ देखिए, पृष्ठ ११७।

## ३४ पत्र दादाभाई नौरोजीको

मार्फत—दादा अब्दुल्ला एब कम्पनी  
डबलिन

जुलाई १४, १८९४

सेवामें

माननीय श्री दादाभाई नौरोजी, मसद-मदस्य

श्रीमन्,

अपने इसी माहकी ७ ता०के पत्र<sup>१</sup>के सिलसिलेमें मैं आपको मताधिकार कानून सशोधन विधेयक विरोधी आन्दोलनकी प्रगतिकी निम्नलिखित जान बारी दे रहा हूँ

ता० ७ को विधानपरिषदमें विधेयकका तीसरा वाचन मजूर हो गया। परिषदको दिया गया दूसरा प्राथनापत्र स्वीकार कर लिया गया था। एक माननीय सदस्यने प्रस्ताव किया था कि जबतक सदन प्राथनापत्रपर विचार न कर ले तबतक तीसरा वाचन स्थगित रखा जाये। वह प्रस्ताव नामजूर कर दिया गया।

गवर्नरने विधेयकको अपनी अनुमति दे दी है। शत यह है कि सम्राज्ञी उसका निषेध न कर दें। विधेयकमें एक व्यवस्था है कि वह तबतक कानूनका रूप न लेगा जबतक कि गवर्नर राजकीय घोषणा द्वारा या अन्यथा सूचित न कर दे कि सम्राज्ञीकी इच्छा विधेयकका निषेध करनेकी नहीं है।

मैं इसके साथ ब्रिटिश सरकारके नाम एक प्राथनापत्र<sup>२</sup>की नकल भेज रहा हूँ। प्राथनापत्र यहाँके गवर्नरको शायद १७ ता०को भेजा जायगा। इसपर लगभग १०,००० भारतीय हस्ताक्षर करेंगे। लगभग ५,००० हस्ताक्षर हा चुके हैं।

अफसोस है कि मैं आपको परिषद<sup>३</sup>के नाम भेजे गये प्राथनापत्रकी नकल नहीं भेज सकता। परन्तु एक अखबारकी कतरन भेज रहा हूँ। उसमें प्राथना पत्रकी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट दी गई है।

१ यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

२ देखिए, पृष्ठ ११७।

३ देखिए, पृष्ठ १०७।

और कुछ कहनेको है, ऐसा नहीं लगता। परिस्थिति इतनी नाजुक है कि अगर विधेयक कानून बन गया तो अबसे दस वष बाद उपनिवेशमें भारतीयोंकी स्थिति असह्य हो जायेगी।

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक,  
मो० क० गांधी

गांधीजीके अपने हस्ताक्षरोंमें लिखी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

### ३५ प्रार्थनापत्र लार्ड रिपनको

गांधीजीने अपनी आत्मकथामें कहा है कि उन्होंने भारतीयोंके मताधिकार सम्बन्धी इस प्रार्थनापत्रपर बहुत परिश्रम किया था और एक पत्रवारमें इसके लिए १०,००० से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये थे। नेटालके प्रधानमन्त्रीने इसे गवर्नरके पास भेजते हुए साथके पत्रमें वे कारण बताये थे जिनके आधारपर उन्होंने अपीलको नामंजूर करनेकी सिफारिश की थी।

[डब्लेन

जुलाई १७, १८९४]'

सेवामें

महामहिम, परममाननीय मार्क्विस् आफ रिपन  
मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, सम्राज्जी-सरकार

सम्प्रति नेटाल उपनिवेशवासी नीचे हस्ताक्षर  
करनेवाले भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन है कि,

(१) महानुभावके प्रार्थी भारतीय ब्रिटिश प्रजा है और नेटाल उपनिवेशके भिन्न भिन्न भागोंमें निवास करते हैं।

(२) महानुभावके कुछ प्रार्थी व्यापारी हैं, जो इस उपनिवेशमें आकर बस गये हैं। कुछ पहले-पहल इकरारनामोंमें बंधवर भारतसे आये थे और इधर कुछ समयसे (बीस-तीस वषसे भी) स्वतंत्र हो चुके हैं। कुछ लोग गिर-

मिटमें बंधे हुए भारतीय हैं, कुछ इसी उपनिवेशमें जन्मे और शिक्षा पाये हुए हैं और वर्षोंसे मुशी, बम्पाउटर, बम्पोजीटर, फोटोग्राफर, सिम्पक आदिके भिन्न भिन्न घघोमें लगे हैं। इससे अलावा, अनेक प्रार्थी उपनिवेशमें बड़ी-बड़ी जमीन-जायदादके मालिक हैं और माननीय विधानसभाके सदस्यके चुनावमें मत देनेका वाजिब अधिकार रखते हैं। छोटे लोग ऐसे हैं, जो जमीन-जायदाद होनेके कारण मत देनेका अधिकार तो रखते हैं, फिर भी किसी-न किसी कारणसे मतदाता-सूचीमें अपने नाम दाखिल नहीं करा सके।

(३) प्रार्थी मताधिकार कानून सशोधन विधेयकके सम्बन्धमें महानुभावका यह प्रार्थनापत्र दे रहे हैं। उक्त विधेयक उपनिवेशके प्रधानमंत्री माननीय सर जान राबिन्सनने गत अधिवेशनमें पेश किया था। विधानसभामें इसका तीसरा वाचन स्वीकार हो चुका है, और माननीय गवर्नर महोदय इस अपनी स्वीकृति इस बात पर दे चुके हैं कि सभ्राज्ञी इसे अब भी अस्वाकार कर सकती हैं।

(४) विधेयकका हेतु यह है कि एशियाई वशोंके जो भी लोग उपनिवेशमें बसे हैं उन सबको ससदीय चुनावोंमें मत देनेके अधिकारसे वंचित कर दिया जाये। परन्तु जिनके नाम इस मतदाता-सूचीमें वाजिब तौर से दर्ज हैं उनका विधेयकमें अपवादस्वरूप माना गया है।

(५) उपनिवेशके सत्ताधीशोंसे न्याय पानेके लिए जो आन्दोलन किया गया है, प्रार्थी उसका सक्रिय इतिहास पेश करनेकी अनुमति चाहते हैं।

(६) महानुभावके प्रार्थियोंने सबसे पहले उस समय विधानसभाके सामने फरियाद की थी, जब कि मताधिकार कानून सशोधन विधेयकका दूसरा वाचन स्वीकार हुआ था। जब प्रार्थियोंको मालूम हुआ कि दूसरे वाचनके बाद दो दिनमें ही समितिने विधेयकको पास कर दिया और एक दिन बाद उसका तीसरा वाचन भी समाप्त हो जायेगा, तब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि यदि तीसरा वाचन स्थगित न किया जाये तो प्रार्थनापत्र पेश करना असम्भव होगा। इसलिए आपके प्रार्थियाने तार द्वारा विधानसभासे प्रार्थना की कि तीसरा वाचन स्थगित किया जाये। विधानसभाने बड़ी कृपा करके एक दिनेके लिए वाचन स्थगित किया। उस एक दिनमें लगभग पाँच सौ भारतीयोंने एक प्रार्थनापत्र पर सही करके दूसरे दिन उसे विधानसभाके सामने पेश किया। मरित्त वगमें प्रार्थियोंका एक शिष्टमण्डल प्रधानमंत्री और महान्यायवादीके समेत विधानसभाके अनेक सदस्योंसे मिला। शिष्टमण्डलको बड़े सौजन्यके साथ

स्वीकार किया गया और उसकी बातें धैर्यके साथ सुनी गईं। अधिकतर सदस्योंने, जिनसे शिष्टमण्डलने भेंट की, स्वीकार किया कि प्रार्थियोंने विधान-सभासे जो प्रार्थना की थी वह उचित थी। परन्तु सभिका कहना यह रहा कि प्रार्थनापत्र देरीसे दिया गया। प्रार्थनापत्रपर विचार किया जा सके, इस उद्देश्यसे प्रधानमन्त्रीने चार दिनके लिए तीसरा वाचन स्थगित करा दिया। यह भी बता देना अनुचित न होगा कि वेरुलम, रिचमड-रोड तथा अन्य स्थानोंसे विधानपरिषदके नाम तार भेजकर प्रार्थनापत्रका समर्थन किया गया था। परन्तु उन तारोंको इस बिनापर अनियमित ठहरा दिया गया कि वे परिषदके किसी सदस्यकी भाफत पेश नहीं किये गये। प्रार्थी इसके साथ अपने विभिन्न प्रार्थनापत्र नत्थी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको तो निस्तान्देह सरकार आपके पास भेजेगी ही।

(७) प्रार्थनापत्र पेश करनेके चार दिन बाद, अर्थात् सोमवार, २ जुलाई, १८९४ को, प्रार्थियोंकी अपेक्षाके विरुद्ध, और उनके लिए अत्यन्त खेदजनक रूपमें, विधेयकका तीसरा वाचन स्वीकार हो गया।

(८) भगलवारको आपके प्रार्थियोंने माननीय विधानपरिषदको एक प्रार्थना-पत्र भेजा। उसे माननीय श्री कॅम्पबेलकी भाफत पेश किया गया था। परन्तु उसमें विधानसभा सम्बन्धी उल्लेख होनेके कारण उसे नियमब्राह्म ठहरा दिया गया, और विधेयकका दूसरा वाचन हो गया। जैसे ही आपके प्रार्थियोंको इसका पता चला, उन्होंने बिना समय खोये विधानपरिषदके नाम दूसरा प्रार्थनापत्र तैयार करके गुरुवारको भेज दिया। शुक्रवारका उन्ही माननीय सदस्यने उसे पेश किया। इसी बीच, अर्थात् दूसरे वाचनके बाद एक दिनके अन्दर ही, विधेयक समिति द्वारा स्वीकार हो गया था। माननीय श्री कॅम्पबेलने विधेयकके तीसरे वाचनको स्थगित करनेका प्रस्ताव किया, ताकि उपर्युक्त प्रार्थनापत्रपर विचार किया जा सके। परन्तु प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत हो गया कि प्रार्थनापत्र बहुत विलम्बसे पेश किया गया है। आप देखेंगे कि विधेयक मुश्किलसे चार दिन विधानपरिषदके सामने रहा था। प्रार्थी यह भी बता दें कि भारतीय समाजके प्रमुख सदस्योंने माननीय सर वाल्टर एफ० हेली-हचिन्सन [गवनर]से मिलनेके लिए एक शिष्टमण्डल नियुक्त किया था। सर वाल्टरने बड़ी सहृदयता और शिष्टताके साथ शिष्ट-मण्डलकी बातें सुनीं। माननीय सदस्योंके व्यक्तिगत मत जाननेके लिए



भारतीयोंकी एक समितिने उन्हें एक छपा हुआ परिपत्र<sup>१</sup> भेजा था और उनमें कुछ प्रश्नोंके उत्तर देनेका अनुरोध किया था। परिपत्र और प्रश्नावली दोनों इसके साथ नथी हैं। अबतक तो केवल एक सदस्यने ही उत्तर भेजा है परन्तु उसने भी प्रश्नोंके उत्तर नहीं दिये।

(९) मताधिकार विधेयककी आलोचना करनेके पहले एक दलीलको, जो प्राथियोंके विरुद्ध काममें लाई गई है, निवटा देनेकी प्रार्थी अनुमति चाहते हैं। दलील यह है कि प्राथियोंने विधानसभाको बहुत देरीसे अर्जा दी। इस विषयमें प्राथियोंका कहना इतना ही है कि कायदेके मुताबिक देरी नहीं हुई थी। इसके अलावा, प्रश्न इतने महत्त्वके थे, तथा हैं, और विधेयकका सम्राज्यकी भारतीय प्रजाके साथ इतना गहरा सम्बन्ध था तथा है, कि अर सरकारने या विधानसभा या विधानपरिषदने विधेयकका तीसरा वाचन स्वीकार होने देनेके पहले अपने निणयपर फिरसे विचार किया होता और प्राथियोंके मामलेकी भली-भांति जांच कराई होती तो अनुचित न होता।

(१०) बहस और विधेयककी प्रस्तावनामें कहा गया है कि एशियाई लोग कभी मताधिकारका उपभोग नहीं किया है। बहसमें तो यह भी कहा गया था कि एशियाई लोग मताधिकारका उपभोग करनेके योग्य ही नहीं हैं। उस समय भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित रखनेके लिए यही दो मुख्य कारण बताये गये थे। प्राथियोंका विश्वास है कि विधानसभाको दिये गये प्राथना पत्रसे इन दोनों आपत्तियोंका पूरी तरह निराकरण हो जाता है।

(११) यद्यपि खुले तौरसे यह स्वीकार नहीं किया गया कि एशियाईओंके मताधिकारके सम्बन्धमें दोनों आपत्तियाँ ढह गई हैं, फिर भी दिखाई तो यह पड़ता है कि गुप्तचुप तौरपर इस बातको मजूर कर लिया गया है। कारण, विधानसभामें विधेयकके दूसरे वाचनके समय तो कहा गया था कि भारतीयोंको मत देनेसे वंचित रखना नीति तथा न्यायके आधारपर उचित है, परन्तु तीसरे वाचनमें खुले तौरपर उसे शुद्ध राजनीतिक आधारपर उचित बताया गया। तीसरे वाचनके समय कहा गया कि अगर भारतीयोंको मत देनेका अधिकार दिया गया तो उनके मत यूरोपीयोंके मतोंकी निगल जायेंगे और यूरोपीयोंके राज्यके बदले भारतीयोंका राज्य स्थापित हो जायेगा।

१ बेखिए, संसद सदस्योंके नाम प्रश्नावली, जुलाई १, १८९४, पृष्ठ १०१।

(१२) प्रार्थी दोनो सदनोंके प्रति अधिकतम आदरके साथ निवेदन करते हैं कि उपर्युक्त भय बिलकुल निराधार है। आज भी यूरोपीय मतदाताओंकी तुलनामें भारतीय मतदाता बहुत कम हैं। जो भारतीय गिरमिटमें बंधकर आते हैं उनमें गिरमिटकी अवधिसे अन्दर और उसके बाद भी अनेक वर्षों तक मताधिकारके लिए काफी साम्प्रतिक योग्यता नहीं हो सकती। फिर, यह भी एक जानी हुई बात है कि जो लोग अपने खचसे आते हैं वे हमेशाके लिए उपनिवेशमें नहीं रहते। वे कुछ वर्षोंके बाद स्वदेश वापस चले जाते हैं और उनके बदले दूसरे भारतीय आते हैं। इस तरह, जहाँतक व्यापारी वर्गका सम्बन्ध है, उससे मतोंकी संख्या हमेशा जितनी-की-तितनी बनी रहेगी। इसके अलावा, यह बात भी भूली नहीं जा सकती कि यूरोपीय समाज उपनिवेशके राजनीतिक कामोंमें जितनी सक्रिय दिलचस्पी रखता है उतनी भारतीय समाज नहीं रखता। ऐसा मालूम होता है कि उपनिवेशमें ४५,००० यूरोपीय और उतने ही भारतीय हैं। यह हकीकत ही बता देती है कि यूरोपीय और भारतीय मतोंमें कितना बड़ा अन्तर है। प्रार्थी निवेदन करते हैं कि अभी अनेक पीढ़ियों तक किसी भारतीयका नेटालकी ससदमें प्रविष्ट होनेकी आशा करना असम्भवप्राय है। इसको सिद्ध करनेके लिए किसी प्रमाणकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं लगता।

(१३) और अगर महानुभावके प्रार्थी मताधिकारका प्रयोग करनेके लिए अयोग्य न हो और उन्हें उपनिवेशके शासनमें—और विशेषतः अपने ही ऊपर शासन करनेमें—बुछ भाग मिले तो क्या कोई हर्ज है?

(१४) प्रार्थियोंका निवेदन है कि विधेयकका स्वरूप प्रतिगामी है, और वह स्पष्टतः अयायपूर्ण है।

(१५) जिन लोगोंके नाम वाजिबी तौरसे मतदाता-सूचीमें दज हैं उन्हें रहने देनेकी बातसे ही, प्रार्थियोंकी नम्र रायमें, यह स्वीकार हो जाता है कि मताधिकारका उत्तरदायित्व और उसका हव समझनेकी योग्यता प्रार्थियोंमें मौजूद है। बहसके दौरानमें यह बतानेका प्रयत्न किया गया था कि प्रार्थी मत देनेके योग्य नहीं हैं, फिर भी उन्हें रहने दिया गया है। इस पर प्रार्थी विश्वास नहीं कर सकते।

(१६) यह भी कहा गया है कि विधेयककी दूसरी उपधारासे पूरा न्याय हो जाता है। प्रार्थियोंका निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है। इसके उलटे, वह उन दोनोंकी भावनाओंको दुखानेवाला है, जो सूचीमें हैं, और जो नहीं हैं।

(१७) जिन लोगोके नाम सूचीमें हैं उनके लिए यह बात तसल्ली देनेवाली नहीं है कि वे स्वयं तो मत दे सकते हैं, परन्तु उनके बच्चे, भले वे कितन ही शिक्षित और सुयोग्य क्यों न हों, मत नहीं दे सकते। और यदि विषयक कानूनमें परिणत हो गया तो वह उपनिवेशमें बसे भारतीय माता-पिताओंके अपने बच्चोंको ऊँची शिक्षा देनेके दृढ़से दृढ़ उत्साहको भी हर लेगा। वे अपने बच्चोंको समाजमें बिना आदर-मानके या बिना महत्त्वाकांक्षाके, अछूतोंके समान जीवन बिताते देखना पसन्द नहीं करेंगे। अगर मनुष्यको समाजमें आदर मान न मिले तो घन भी बेकार हो जाता है। इस तरह तो जिस बिनासे मनुष्य घन-शैलत इकट्ठी करता है, वह अकुरित होते ही मसल डाल जाता है।

(१८) फिर, जो लोग उपनिवेशमें आकर बसे हैं वे दूसरी उपधारासे रह जानकर चिढ़ते हैं कि जब उनके भाई उनसे किसी भी तरह बेहतर न होना भी दैवयोगसे मत देनेका अधिकार रखते हैं, तब वे शायद सिर्फ इसलिए मत देनेके अधिकारी नहीं हैं कि वे अपने बरासे बिल्कुल बाहरकी परिस्थितियोंके कारण मतदाता-सूचीमें अपने नाम नहीं लिखा सके। इस प्रकार एक ही बागी भारतीय ब्रिटिश प्रजाके बीच संयोगसे बनी परिस्थितियोंके आधारपर विवेक ईर्ष्याजनक भेद भाव पैदा करता है।

(१९) यह सकेत भी किया गया है कि दूसरी उपधारा द्वारा जो न्याय हुआ है उसका प्रार्थियोंने उपकार नहीं माना। परन्तु दूसरी उपधारा दक्षिण करनेमें सरकारके न्यायके इरादेका अधिकतम आदर करते हुए भी कहता पड़ता है कि प्रार्थी उसमें न्याय देख नहीं सके। इसे स्वयं कुछ मानने-सहनेके भी स्वीकार किया था, क्योंकि उन्होंने दूसरी उपधाराके रहने-रहनेके बारेमें इसलिए कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की कि वे मत तो छोटे घनमें उड़ जानेवाले हैं। यह तो स्वयं स्पष्ट दिखलाई पड़ता है।

(२०) दक्षिण आफ्रिकाने देशियोंके साथ महानुभावके प्रार्थियोंकी बराबरी करनेका जो उत्साहपूर्ण प्रयत्न किया गया है, उसे प्रार्थियाने राम और दुःखे साथ देता है। बारबार कहा गया है कि अगर भारतीयोंको सिर्फ इच्छा मत देनेका कोई हक है कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं तो दक्षिणोंका यह ज्ञान है। प्रार्थी इस तुलनाकी कोई विवेचना करना नहीं चाहते, परन्तु सम्राज्यीकी ही १८५८ की घोषणा और महानुभावके भारतीय प्रजा-सम्बन्धी अनुभवकी ओर

महानुभावका ध्यान अवश्य खींचते हैं। भारतीय और देशी ब्रिटिश प्रजाकी शासन-व्यवस्थामें जो स्पष्ट अन्तर है वह बताना शायद जरूरी नहीं है।

(२१) अगर यह विधेयक कानून बन गया तो इस समय जो सैकड़ों शिक्षित भारतीय हैं, जिनके हस्ताक्षर इस प्रायनापत्रमें पाये जाते हैं, वे ससदीय चुनावोंमें मत नहीं दे सकेंगे। प्रायियाको पूरा विश्वास है कि जिस विधेयकसे ब्रिटिश प्रजाके किसी भी वर्गके प्रति इतना गभीर अन्याय होता हो, उसे मजूर करनेकी सलाह महानुभाव सम्राज्ञी-सरकारको नहीं देंगे।

(२२) मार्च २७, १८९४ के नेटाल गवर्नमेंट गजटमें प्रकाशित १८९३ की प्रवासी भारतीय स्कूल बोर्ड रिपोर्टसे मालूम होता है कि उस वर्ष २६ स्कूल थे, जिनमें २,५८९ विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रायियोंका आदरपूर्वक निवेदन है कि ये बच्चे, जिनमें से अनेक इसी उपनिवेशमें जमे हैं, पूरी तरह यूरोपीय ढंगसे पाले-पोसे जाने हैं। आगेके जीवनमें इनका सम्बन्ध मुख्यतः यूरोपीयोंके साथ होता है। इसलिए वे मताधिकारके लिए हर तरहसे उतने ही योग्य बन जाते हैं, जितना कि कोई यूरोपीय होता है। हा, उनमें भूलत ही कोई कमो हो, जिससे वे शिक्षा-योग्यतामें यूरोपीयोंकी बराबरी न कर सकें, तो बात अलग है। परन्तु वे अयोग्य नहीं हैं, यह तो ऐसे विषयोंके बड़ेसे बड़े पण्डितों द्वारा असदिग्ध रूपमें सिद्ध किया जा चुका है। इंग्लैंड और भारत दोनोंमें ही अग्नेज तथा भारतीय विद्यार्थियोंकी प्रतिद्वन्द्विताके परिणामसे पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है कि भारतीयोंमें यूरोपीयोंके साथ सफलतापूर्वक होठ करनेका सामर्थ्य मौजूद है। ससदीय समितिचे सामने जो गवाहियां दी गई थी उनके या इस विषयके महान लेखिकाकी रचनाअकि उद्धरण प्रार्थी जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वैसा करना भरी धालीमें थी परसेने जैसा व्यर्थ होगा। फिर अगर प्रार्थी मांग करते हैं कि इन लड़कोंको सयाने होनेपर मताधिकार दिया जाये, तो क्या वह एक ऐसी मांग नहीं होती, जिसे किसी भी सम्य देशमें कोई भी आदमी अपना जम सिद्ध हक मानेगा, और जिसमें जरा भी हस्तक्षेप होनेपर उचित रीतिसे उसका मुकाबला करेगा? प्रायियोंका दृढ़ विश्वास है कि महानुभाव एक ससदीय सस्थाओं द्वारा शासित देशमें इन बच्चोंको साधारणमें साधारण नागरिक अधिकारोंसे वंचित किये जानेके अपमानका भाजन न होने देंगे।

(२३) प्रार्थी माननीय श्री कैम्पबेल और माननीय श्री डोनवे कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने खचसे आये हुए भारतीयोंका मताधिकार छीननेके अन्यायको

(१७) जिन लोगोंके नाम सूचीमें हैं उनके लिए यह नहीं है कि वे स्वयं तो मत दे सकने हैं, परन्तु उन ही शिक्षित और सुयोग्य क्यों न हों, मत नहीं दे सकना नूनमें परिणत हो गया तो वह उपनिवेशमें बसे भ अपने बच्चोंको ऊँची शिक्षा देनेके दृढ़से दृढ़ उत्साहको बच्चोंको समाजमें बिना आदर-मानके या बिना महत्त्वा जीवन बिताते देखना पसन्द नहीं करेंगे। अगर ममान न मिले तो धन भी बेकार हो जाता है। इस मनुष्य धन-झीलत इकट्ठी करता है, वह अकुरित जाता है।

(१८) फिर, जो लोग उपनिवेशमें आकर बसे हैं जानकर चिढ़ते हैं कि जब उनके भाई उनसे किसी भी दैवयोगमें मत देनेका अधिकार रखते हैं, तब वे देनेके अधिकारी नहीं हैं कि वे अपने वशसे बिलकुल कारण मतदाता-सूचीमें अपने नाम नहीं लिखा सके। भारतीय ब्रिटिश प्रजाके बीच संयोगसे बनी परिस्थिति ईर्ष्याजनक भेद भाव पैदा करता है।

(१९) यह संकेत भी किया गया है कि दूसरी हुआ है उसका प्रार्थियोने उपकार नहीं माना। परन्तु करनेमें सरकारके न्यायके इरादेका अधिकतम आदर पडता है कि प्रार्थी उसमें न्याय देख नहीं सके। इसे सदस्योने भी स्वीकार किया था, क्योंकि उन्होंने दूसरी रहनेके बारेमें इसलिए कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की कि वे म उड जानेवाले हैं। यह तो स्वयं स्पष्ट दिखलाई पडता है।

(२०) दक्षिण आफ्रिकाके देशियोंके साथ महानुभावके प्रा करनेका जो उत्साहपूर्ण प्रयत्न किया गया है, उसे प्रार्थियोने साथ देखा है। बारबार कहा गया है कि अगर भारतीयोंको मत देनेका कोई हक है कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं, तो देशियोंको म प्रार्थी इस तुलनाकी कोई विवेचा करना नहीं चाहते, परन्तु १८५८ की घोषणा और महानुभावके भारतीय प्रजा-सम्बन्धी अनुम



समझा और उमकी आलोचना की। परन्तु वे भी दूसरे माननीय सदस्योंके ममान यह मानते दीखते हैं कि जो लोग गिरमिटिया बनकर आये हैं उन्हें तो मताधिकार फ़र्दापि नहीं मिलना चाहिए। प्रार्थी स्वीकार करते हैं (यद्यपि वे यह वहे बिना नहीं रह सकते कि अगर कोई मनुष्य अपना योग्य हो तो उसकी दृष्टिताका अपराध नहीं माना जाना चाहिए) कि गिरमिटिया बन तीयोको गिरमिटकी अवधिमें भले ही मताधिकार न दिया जाये, परन्तु, अगर वादमें वे पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर लें तो, हमारा नम्र निवेदन है कि, उन्हें भी मत देनेके अधिकारसे सदैव वंचित नहीं रना जाना चाहिए। ऐसे जो लोग यहाँ आते हैं वे साधारणतः हृष्ट-मृष्ट और नौजवान होते हैं। वे यूरोपीयक प्रभावमें आ जाते हैं और गिरमिटकी अवधि पूरी करते समय तथा, सान तौरसे, स्वतंत्र हो जानेके बाद, वे शीघ्रनामे यूरोपीय सम्यताको बनाने लगते हैं और पूरे उपनिवेशी बन जाते हैं। यह स्वीकार किया जा चुका है कि वे बहुत उपयोगी हैं — सचमुच ता अमूल्य हैं, जो सुलह-शांतिसे रहते हैं। यह बताना अनुचित न होगा कि इस समय जा शिक्षित भारतीय युवक सरकारी नौकरियोंमें मुहरिरो या दुभाषियाका या सरकारी नौकरियोंके बाहर शिक्षकों और बकीलोके मुशियो आदिका काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर गिरमिटिया मजदूर बनकर उपनिवेशमें आये थे। प्रार्थियोंका निवेदन है कि उनको या उनके बच्चोको मत देनेसे या अपने ही शासनमें किसी प्रकारका प्रभाव रखनेसे वंचित करना एक क्रूर काय होगा। अगर कोई आदमी दूसरे स्थानमें नियमानुसार योग्य है या योग्य बन जाता है, तो सिर्फ इतनी बात ही उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारोकी प्राप्तिमें बाधक नहीं होनी चाहिए कि वह एशियाई वशका है, या गिरमिटिया बनकर उपनिवेशमें आया था।

(२४) महानुभावका ध्यान प्रार्थी इस उलझनकी ओर भी आइए कर है कि यह विषयक भारतीयोको असम्यसे असम्य देशी लोकाकी अपना भी नीची कोटिमें रख देगा। कारण, असम्यसे असम्य देशीयोको ता उचित योग्यता प्राप्त करनेपर मताधिकार प्राप्त हो सकता है, परन्तु आज मताधिकार रखनेवाले भारतीय ब्रिटिश प्रजाजन मताधिकारसे ऐसे वंचित हैं जैसी कि फिर कभी उन्हें वह अधिकार न मिलेगा, भले ही वे मताधिकार छिनके समय कितने ही योग्य क्या न हो, या अपने आगेके जीवनमें कितने भी योग्यो न बन जायें।

(२५) प्रार्थी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि यह विधेयक इतना सर्वग्राही और इतना बेरहम है कि इससे सारे भारतीय राष्ट्रका अपमान होता है, क्योंकि अगर भारतका कोई बड़ेसे बड़ा संप्रदाय भी नेटालमें आकर बसे तो उसे मत देनेका अधिकार नहीं होगा। कदाचित् औपनिवेशिक दृष्टिसे वह इस अधिकारके लिए अयोग्य टहरेगा। यह अडचन दोना सदनोंके माननीय सदस्योंने स्वीकार का था और माननीय कोषाध्यक्ष महोदयने तो यहाँतक कहा था कि अडचनके खास-खास मामला पर मसद भविष्यमें विचार कर सकती है।

(२६) ऊपरकी दलीलको और अधिक स्पष्ट करनेके लिए प्रार्थी महानुभावका ध्यान भूतपूर्व नेटाल विधानपरिषदमें भारतीयोंके मताधिकार-सम्बन्धी प्रश्नपर हुई बहुसंख्ये कागजात और सरकारी गजटोकी ओर आर्कषित करते हैं। नेटाल-सम्बन्धी एक "ब्लू बुक" - सरकारी रिपोर्ट (सी - ३७९६, १८८३) में पृष्ठ ३ पर औपनिवेशिक कार्यालयके नाम श्री साडसका एक पत्र प्रकाशित किया गया है। प्रार्थी उसका निम्नलिखित अंश उद्धृत करते हैं

यह व्याख्या ही कि ये हस्ताक्षर पूरे हो, निर्वाचकके अपने ही अक्षरोंमें हों और यूरोपीय लिपिमें हों, इस आत्यन्तिक जोखिमको रोकनेमें बहुत दूर तक सहायक होगी कि एशियाईयोंके मत अंग्रेजोंके मतोंको दबा देंगे।

इस प्रकार, एशियाई-विरोधी नीतिके उत्साही समर्थक होते हुए भी, श्री साडस इससे आगे नहीं जा सके। उसी पत्रमें वे माननीय महाशय आगे कहते हैं

ऊँची श्रेणीके भारतीय देखते और महसूस करते हैं कि नये कुलियो और उनके बीच एक फर्क है।

इसलिए, ऐसा मालूम होता है कि उस समयकी सरकार भारतीय भारतीयोंके बीच फर्क करनेको बिलकुल राजी थी। दुर्भाग्यवश अब, अधिक स्वतंत्र राज्यमें, गिरमिटिया, गिरमिट-मुक्त और स्वतंत्र, सभी भारतीयोंका एक ही तराजूसे तोलनेकी कोशिश की जा रही है। प्रार्थी विनम्रतापूर्वक कहे बिना नहीं रह सकते कि श्री साडसका विधेयक वर्तमान विधेयककी तुलनामें बहुत सौम्य था। परन्तु उस विधेयकका भी सम्राज्ञीकी प्रजावत्सल सरकारने समर्थन नहीं किया था। इसलिए, प्रार्थियोंका निवेदन है कि मताधिकार कानून संशोधन विधेयकका समर्थन ता और भी नहीं होना चाहिए। उपयुक्त पुस्तकमें ही पृष्ठ ७ पर तत्कालीन प्रवासी-संरक्षक श्री ग्रेन्जका यह कथन दिया गया है



मेरा मत है कि केवल वे भारतीय ही न्यायपूर्वक मताधिकारके हकदार हैं जिन्होंने अपना और अपने परिवारोका भारत जानेके भाडेका सारा हक छोड़ दिया है।

उन्होंने यह भी ठीक ही बताया कि श्री साडर्सकी सुझाई हुई हस्ताक्षरकी कसौटी व्यवहारमें यूरोपीय निर्वाचको पर लागू नहीं की जाती। उसी पृष्ठपर तत्कालीन महान्यायवादीने अपनी रिपोर्टमें कहा है

दीख पडेगा कि मेरे बनाये हुए विधेयकके मसविदेमें कुछ उपधाराए प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की सिफारिशोंसे ली गईं ह। उनमें श्री साडर्सके पत्रकी वकल्पिक योजनाको कार्यान्वित करनेका रास्ता बताया गया है। परन्तु परदेशियोंको किसी खास रूपमें मताधिकारके अयोग्य ठहरानेका सुझाव स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया।

महानुभावका ध्यान प्रार्थी उसी पुस्तकके पृष्ठ ९१ पर उन्ही विद्वान सज्जनकी रिपोर्टकी ओर भी आकृष्ट करते हैं। विद्वान् महान्यायवादीकी ही एक वक्तव्य रिपोर्टका अश उद्धृत करनेका लोभ सवरण नहीं किया जा सकता। पृष्ठ १५ पर उन्होंने कहा है

जहाँतक उपनिवेशके साधारण कानूनके अन्दर पूरी तरहसे न आनेवाले हरएक राष्ट्र या जातिके सब लोगोंको मताधिकारसे वंचित कर देनेका सुझाव है, उसका लक्ष्य साफ तौरसे उपनिवेशवासी भारतीयों और क्रियोलोंका मताधिकार है, जिसका उपभोग वे आज कर रहे ह। जसा कि मैं बाह्रवें विधेयक-सम्बन्धी अपनी रिपोर्टमें पहले ही कह चुका हूँ, मैं इस तरहके विधेयकको 'न्यायपूर्ण' या जहरी नहीं मान सकता।

(२७) इस तरह स्थिति यह है कि जब उपनिवेशका शासन एक अधिक स्वतंत्र सविधानके अनुसार होने लगा है, और जब इस स्वतंत्रताका साथ प्रायियोंको भी मिलना चाहिए था, तब प्रथम उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलने हुनको कम स्वतंत्र करनेका, हम तमाम लोगोंका मताधिकार छीन लेनेका प्रयत्न किया है। यह बड़े दुःखकी बात है। यह देखते हुए कि पहलेने शासनमें प्रायियोंके अधिकार छीननेके इससे बहुत कम जोरदार प्रयत्नको सम्प्राप्ति-कारण प्रथम नहीं दिया, प्रायियोंका प्रत्येक आशा है कि वर्तमान प्रयत्नकी भी वही गति हागी और प्रायियोंके प्रति न्याय किया जायेगा।

(२८) मताधिकार विधेयकसे अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे दु तदायी परिणाम इतने हैं कि उन सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। फिर भी, प्रार्थी उनमें से कुछका विवेचन करनेकी इजाजत चाहते हैं।

(२९) यह तो जानी हुई बात है कि उपनिवेशके यूरोपीयो और भारतीयोंके बीच एक चौड़ी दरार है। भारतीयोंसे यूरोपीय द्वेष करते हैं और उन्हें दुतकारते हैं। उन्हें अक्सर परेशान किया जाता और सताया जाता है। प्रार्थियोंका निवेदन है कि मताधिकार विधेयकसे इस तरहकी भावना अधिक तीव्र होगी। इसके लक्षण तो अभी ही दिखाई पड़ने लगे हैं। इसकी सचाई साबित करनेके लिए प्रार्थी चालू तारीखोंके समाचारपत्रोंकी ओर, और दोनों सदनाकी बहसोंकी ओर भी, महानुभावका ध्यान खींचते हैं।

(३०) दूसरे वाचनकी बहसके दौरानमें कहा गया था कि भारतीयो पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उससे उपनिवेशके कानून बनानेवालो पर अधिक जिम्मेदारी आ पड़ेगी और भारतीयोपर कोई प्रतिबन्ध न होते हुए उनके हितोका जितना सरक्षण हा सकता है उससे अब ज्यादा होगा। प्रार्थियोंका निवेदन है कि यह अब तकके सारे अनुभवके प्रतिबूल है।

(३१) कुछ माननीय सदस्याका खयाल था कि भारतीयोको म्यूनिसिपल चुनावोमें भी मत प्रदान करने नहीं देना चाहिए। बहसके समय उत्तरदायी क्षेत्रामें यह व्यापक रूपसे मशहूर था कि इस प्रश्नपर भविष्यमें, किन्तु शीघ्र ही, ध्यान दिया जायेगा। भावना ऐसी दिखलाई पडती है कि मताधिकार-विधेयक तो अंगुली है, जिसे पकड लेनेपर पहुँचा पकडनेमें देर नहीं लगेगी।

(३२) महानुभावको मालूम है कि गिरमिटमें बँधकर आये हुए भारतीय अगर उपनिवेशमें बसना चाहें तो उनपर कर लगानेका इरादा किया गया है। कहा गया है कि कर इतना भारी होना चाहिए कि उनका उपनिवेशमें रहना व्यय हो जाये—वे रुक ही न सकें, और उनका उपनिवेशियोंके साथ प्रतिद्वन्द्विता करना सम्भव ही न रहे। प्रार्थियोंका मताधिकार छीन लेने पर उनके हितोका बेहतर सरक्षण कैसे होगा, इसका यह दूसरा उदाहरण है।

(३३) सरकारी नौकरी (सिविल सर्विस) विधेयकपर बहसके समय कुछ माननीय सदस्योने कहा था कि चूकि भारतीयोंसे मताधिकार छीन लिया जाने-वाला है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियोंमें भरती होनेसे भी रोक देना उचित ही होगा। इस आशयका एक सशोधन भी पेश किया गया था। सरकारने चतुराई और दूरदर्शितासे काम लेकर माँग की कि उसपर मत लिये जायें और

वह सशोधन केवल अध्यक्षके निर्णायक मतसे रद्द हुआ। प्रार्थी पूरी तरहसे स्वीकार करते हैं कि इस मामलेमें सरकारने बहुत सहानुभूतिका रुत अन्तिमकार किया। फिर भी इन घटनाओका रुत और अपशकुन स्पष्ट है। इस सशोधनका अवसर मताधिकार-विधेयकने ही प्रदान किया था।

(३४) प्रार्थियोंको मालूम हुआ है कि वेप उपनिवेशमें रग या जाति-सम्बन्धी ऐसा कोई भेद-भाव नहीं है।

(३५) प्रार्थी आदरपूर्वक बतानेकी इजाजत चाहते हैं कि अगर यह विषयक यानूनके रूपमें परिणत हो गया तो दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोपर इसका असर एकदम विनाशकारक होगा। ट्रान्सवालमें वे कुचले हुए और द्वेषके शिकार तो हैं ही, बादमें तो उनका स्थिति एकदम असह्य हो उठेगी। अगर एक ब्रिटिश उपनिवेशमें भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोके साथ जरा भी भेद भावका व्यवहार होने दिया गया तो, प्रार्थियोंका नम्र निवेदन है, शीघ्र ही एक समय ऐसा आयेगा जब कि लोग भी स्वाभिमान रखनेवाले भारतीयका उपनिवेशमें रहना असम्भव हो जायेगा। ऐसी स्थितिसे उनके रोजगार घघेमें बहुत बाधा पडेगी, और सम्राज्योके सफुहों प्रजाजन बेरोजगार हा जायेंगे।

(३६) अन्तमें प्रार्थी आशा करते हैं कि उपर्युक्त तथ्यो और दलीलसे महानुभावको विश्वास हो जायेगा कि मताधिकार कानून सशोधन विषयक अन्यायपूर्ण है। और, महानुभाव सम्राज्योकी प्रजाके एक वगको दूसरे वगके अधिकारोंमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने देंगे।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, फज समझकर, सन्ब दुया करेंगे, इत्यादि।

हाजी मुहम्मद हाजी दादा  
और सोलह अन्य

[ अग्रेगीसे ]

उपनिवेश-मन्त्री लाड रिपनके नाम नेटालवे गवर्नर सर वाल्टर हेली हचिन्सनके ३१ जुलाई, १८९४ के खरोता नम्बर ६६ का सहपत्र नम्बर १।

फ्लोनीयल आफिस रेकॉर्ड्स न० १७९, जिल्द १८९।

## ३६ पत्र दादाभाई नौरोजीको

पो० आ० बाकम २१३

एफ़न्त विज्ञासका

द्वन

जुलाई २७, १८९४

सवामें

माननीय श्री दादाभाई नौरोजी, ससद-मदस्य

श्रीमन्,

अपने इसी माहकी १४ ता०के पत्रके सिलसिलेमें आपको नीचे लिखी जानकारी दे रहा हूँ

ब्रिटिश सरकारके नाम जिस प्राथनापत्रको एक नकल आपको भेजी जा चुकी है वह, मैं सुनता हूँ, पिछले सप्ताह भेज दिया गया था।

अगर खबर देनेवालेकी बात सही है, तो महायायवादी श्री एस्कम्बने इस आशयकी रिपोर्ट दी है कि विधेयक स्वीकार करनेका एकमात्र उद्देश्य एशियाइयोको देशी लोगोंने शासनका नियंत्रण करनेसे रोकना है। परन्तु सच्चा कारण महज यह है—वे भारतीया पर ऐसी बाधाएँ और निषेध लादना चाहते हैं और उनकी स्थिति ऐसी अपमानास्पद बना देना चाहते हैं कि उपनिवेशमें रुकना उनके लिए फायदेमन्द न रह जाये। फिर भी वे सब भारतीयाको हटाना नहीं चाहते। जो भारतीय अपने साधनोंसे आते हैं उन्हें तो वे निश्चय ही नहीं चाहते, और गिरमिटिया भारतीयोंकी जरूरत बुरी तरहसे महसूस करते हैं। परन्तु उनके वशमें हा तो वे गिरमिटिया मजदूरोंको अवधि समाप्त होने पर भारत लौट जानेके लिए बाध्य करेंगे। पक्की शेर-बकरीकी साझेदारी। वे खूब जानते हैं कि एकदम ऐसा करना उनके वशकी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने मताधिकार विधेयकसे इसका सूत्रपात किया है। वे इस प्रश्न पर ब्रिटिश सरकारका रस परखना चाहते हैं। विधानसभाके एक सदस्यने मुझे लिखा है कि उसे विश्वास नहीं है, ब्रिटिश सरकार विधेयकको मजूर करेगी। कहना न होगा, भारतीय समाजके लिए यह कितना जरूरी है कि विधेयकको स्वीकृति न दी जाये।

भारतीयोंके लिए नेटाल बुरी जगह नहीं है। बहुत-से भारतीय व्यापारी यहाँ इज्जतके साथ जीविका-उपाजन करते हैं। अगर विधेयक कानून बन

गया तो यह भारतीयोंकी आगेकी प्रवृत्तियों पर जबरदस्त वार करनेवाला होगा।

मैं एक बार कह ही चुका हूँ और, बेशक, फिरसे कह दू कि देशी लोगोंके शासनके यूरोपीयोंके हाथोंसे भारतीयोंके हाथोंमें चले जानेकी सम्भावना जरा भी नहीं है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकारको डराना मात्र है। यहाँ रहनेवाले लोग — सरकार-सहित — खूब जानते हैं कि ऐसी बात कभी होनेवाला नहीं है। ससदमें अपने हितोपी हिफाजत करनेके लिए भारतीय दो या तीन गारे लोगोंको भी चुनें, यह वे नहीं चाहते, ताकि सरकार बिना किसी विघ्न बाधाके भारतीयोंके सवनाशकी तैयारी कर सके।

मैंने सर डबल्यू० वेडरबन और वहाँके कुछ अन्य सज्जनाको प्राथनापत्रकी नकलें भेजी हैं। कुछ नकलें भारतीय पत्रोंको भी भेज दी ह।

मेरे पत्रोंकी लम्बाईके लिए कृपा कर क्षमा करें। आप मुझे काम करनेके तरीकेके सुझाव देंगे तो मैं बहुत ही आभारी हूँगा।

आपका विश्वस्त सेवक,

मो० क० गांधी

गांधीजीके अपने हस्ताक्षरोंमें लिखी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

३७ नेटाल भारतीय कांग्रेस  
(स्थापित २२ अगस्त, १८९४)

अगस्त, १८९४

अध्यक्ष

श्री अब्दुल्ला हाजी आदम

उपाध्यक्ष

सचिव श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादा, अब्दुल वादिर, हाजी दादा हाजी हबाब, मूसा हाजी आदम, पी० दावजी मुहम्मद, पीरन मुहम्मद, मुस्सोग पिल्ल, रामस्वामी नाइडू, हुसेन मीरन, आदमजी मियाँ खाँ के० आर० नायना, आदम भायात (पीटरमैरिक्सबग), मूसा हाजी कासिम, मुहम्मद कासिम जीवा, पारमी

रुस्तमजी, दाउद मुहम्मद, हुसेन कासिम, आमद टिल्ली, दोरास्वामी पिल्ले, उमर हाजी अब्रा, उस्मानख़ाँ रहमतख़ाँ, रगस्वामी पदयाची, हाजी मुहम्मद (पीटरमैरित्सबग), कमरुद्दीन (पीटरमैरित्सबग) ।

अधैतनिक मन्त्री

श्री मो० क० गाधी

कांग्रेस कमेटी

अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला हाजी आदम । अधैतनिक मन्त्री श्री मो० क० गाधी ।  
कमेटीके सदस्य सब उपाध्यक्ष और सवथ्री एम० डी० जोशी, नरसीराम, माणेकजी, दावजी मामूजी मुतालह, मुतुष्टृष्ण, बिसेसर, गुत्तम हुसेन रादेरी, शमसुद्दीन, जी० ए० बासा, सरबजीत, एल० ग्रैब्रिएल, जेम्स क्रिस्टोफर, सूबू नाइडू, जान ग्रैब्रिएल, सुलेमान वोरजी, कासमजी आमूजी, आर० कुन्दास्वामी नाइडू, एम० ई० कथराडा, इब्राहीम एम० खत्री, शेख फरीद, वरिन्द इस्माइल रनजीत, पेरूमल नाइडू, पारसी धनजी शा, रायपन, जूसुब अब्दुल करीम, अर्जुनसिंह, इस्माइल कादर, ईसप कडवा, मुहम्मद ईसाव, मुहम्मद हाफिजजी, एम० फाख़ल, सुलेमान दावजी, वी० नारायण पाथेर, लछमन पाण्डे, उस्मान अहमद, मुहम्मद तय्यब ।

सदस्यताकी शर्तें

कोई भी व्यक्ति, जो कांग्रेसके कामको पसन्द करता है, सदस्यताके फार्म पर दस्तख़त करके और चन्दा अदा करके कांग्रेसका सदस्य बन सकता है । कमसे कम भासिक चन्दा ५ शिलिंग और सालाना चन्दा ३ पौड है ।

नेटाल भारतीय कांग्रेसके ध्येय

(१) उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच मेलजोल और एकता बढ़ाना ।

(२) समाचारपत्रोंमें लिखकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करने और भाषण देकर भारतकी जनताको जानकारी देना ।

(३) भारतीयोंको — खास तौरसे उपनिवेशमें पैदा हुए भारतीयोंको — भारतीय इतिहास और भारत-सम्बन्धी साहित्य पढनेके लिए समझाना ।

(४) भारतीयोंकी हालतकी जाच करना और उनकी कठिनाइयोंको दूर करनेके लिए उचित कारबाइयाँ करना ।

गया तो वह भारतीयोंकी आगेकी प्रवृत्तियों पर जवदस्त वार करनेवाला होगा।

मैं एक बार कह ही चुका हूँ और, बेशक, फिरसे कह दू कि देशी लोपके शासनके यूरोपीयोंके हाथोंसे भारतीयोंके हाथोंमें चले जानेकी सम्भावना जरा भी नहीं है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकारको डराना मात्र है। यहाँ रहनेवाले लोग — सरकार-सहित — खूब जानते हैं कि ऐसी बात कभी होनेवाली नहीं है। ससदमें अपने हितोंकी हिफाजत करनेके लिए भारतीय दो या तीन गोरों लोगोंको भी चुनें, यह वे नहीं चाहते, ताकि सरकार बिना किसी बिज्ज बाधाके भारतीयोंके सबनाशकी तैयारी कर सके।

मैंने सर डबल्यू० वेडरवून और वहाँके कुछ अन्य सज्जनोंको प्रायनापत्रकी नकलें भेजी हैं। कुछ नकलें भारतीय पत्रोंको भी भेज दी हैं।

मेरे पत्रोंकी लम्बाईके लिए कृपा कर क्षमा करें। आप मुझे काम करनेके तरीकेके सुझाव देंगे तो मैं बहुत ही आभारी हूँगा।

आपका विश्वस्त सेवक,

मो० क० गांधी

गांधीजीके अपने हस्ताक्षरोंमें लिखी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलमें।

३७ नेटाल भारतीय कांग्रेस  
(स्थापित २२ अगस्त, १८९४)

अगस्त, १८९४

अध्यक्ष

श्री अब्दुल्ला हाजी आदम

उपाध्यक्ष

सचिव श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादा, अब्दुल कादिर, हाजी दादा हाजी हबाब मूसा हाजी आदम, पी० दावजी मुहम्मद, पीरन मुहम्मद, मुहम्मद गिल्ल, रामस्वामी ताड्डू, हुमेन मीरन, आदमजी मियाँ खाँ, के० आर० नायना, आनन भायात (पीटरमैरित्सबग), मूसा हाजी कासिम, मुहम्मद कासिम जीवा, पारली

रुस्तमजी, दाउद मुहम्मद, हुसेन यासिम, आमद टिल्ली, दोरास्वामी पिल्ले, उमर हाजी अबा, उस्मानख़ाँ रहमतग़र्वा, रगस्वामी पदयाची, हाजी मुहम्मद (पीटरमैरित्सबग), कमरुद्दीन (पीटरमैरित्सबग) ।

अध्वेत्तनिक मन्त्री

श्री मो० क० गांधी

कमरेट्टी

अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला हाजी आदम । अध्वेत्तनिक मन्त्री श्री मो० क० गांधी । कमरेट्टीके सदस्य सब उपाध्यक्ष और सवथ्री एम० डी० जोशी, नरसीराम, माणेकजी, दावजी मामूजी मुतालह, मुतुवृष्ण, वित्सेसर, गुलाम हुसेन रादेरी, शमसुद्दीन, जी० ए० बासा, सरवजीत, एल० ग्रैन्निएल, जेम्स क्रिस्टोफर, मूबू नाइडू, जान ग्रैन्निएल, सुलेमान वीराजी, कासमजी आमूजी, आर० कुन्दास्वामी नाइडू, एम० ई० कधराडा, इब्राहीम एम० खत्री, शेख फरीद, वरिन्द इस्माइल रनजीत, पेरूमल नाइडू, पारसी धनजी शा, रायपन, जूसुब अब्दुल करीम, अर्जुनसिंह, इस्माइल कादर, ईसप कडवा, मुहम्मद ईसाक, मुहम्मद हाफिजजी, एम० फाख्त, सुलेमान दावजी, वी० नारायण पायेर, लछमन पाण्डे, उस्मान अहमद, मुहम्मद तय्यब ।

सदस्यताकी शर्तें

काई भी व्यक्ति, जो कांग्रेसके कामको पसन्द करता है, सदस्यताके फाम पर दस्तापत करवे और चन्दा अदा करके कांग्रेसका सदस्य बन सकता है । कमसे कम मासिक चन्दा ५ शिलिंग और सालाना चन्दा ३ पौंड है ।

नेटाल भारतीय कांग्रेसके ध्येय

(१) उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच मेलजोल और एकता बढाना ।

(२) समाचारपत्रोंमें लिखकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करवे और भाषण देकर भारतकी जनताको जानकारी देना ।

(३) भारतीयोंको — खास तौरसे उपनिवेशमें पैदा हुए भारतीयोंको — भारतीय इतिहास और भारत-सम्बन्धी साहित्य पढनेके लिए समझाना ।

(४) भारतीयोंकी हालताकी जाँच करना और उनकी कठिनाइयाँको दूर करनेके लिए उचित बार्वाइयाँ करना ।



(५) गिरमिटिया भारतीयोंकी हालतोंकी जाँच करना और उनके कष्टोंको दूर करनेके लिए उचित कदम उठाना।

(६) गरीबों और अमहायोंको हर युक्तिसंगत तरीकेसे मदद करना।

(७) ऐसे सब काम करना, जिनसे भारतीयोंकी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक हालतोंमें सुधार हो।

*कमेटी द्वारा रद्द अथवा संशोधित और कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नियम*

(१) बैठकोंके लिए एक भवन किराये पर ले लेनेका अधिकार दिया जाता है। उसका किराया १० पौंड मासिकसे अधिक न हो।

(२) कमेटीकी बैठक महीनेमें कमसे कम एक बार अवश्य होगी।

(३) कांग्रेसका आम अधिवेशन वषर्में कमसे कम एक बार अवश्य होगा। यह जरूरी नहीं है कि यह डबनमें ही किया जाये।

(४) अवैतनिक मन्त्री उपनिवेशके दूसरे भागके सदस्योंको आमंत्रित करेंगे।

(५) कमेटीको नियम बनाने और पास करनेका अधिकार होगा। उसे अय साधारण काम-काज करनेके सब दूसरे अधिकार भी होंगे।

(६) कमेटीको उचित वेतन पर एक वैतनिक मन्त्री नियुक्त करनेका अधिकार होगा।

(७) अगर अवैतनिक मन्त्री उचित समझें तो वे कांग्रेसके हितमें दिलचस्पी रखनेवाले किसी यूरोपीयको उपाध्यक्ष बननेके लिए आमंत्रित करेंगे।

(८) अगर अवैतनिक मन्त्री उचित समझें तो वे कांग्रेसके कोषसे कांग्रेसके पुस्तकालयके लिए अखबार भंगा सकते हैं।

(९) अवैतनिक मन्त्री हिसाबकी किताबमें यह दर्ज करेंगे कि कोई बैंक उन्हें अपने दस्तखतोंसे दी है या किसी दूसरेके साथ अपने समुक्त हस्ताक्षरसे।

*कमेटीके पास किये नियम*

(१) प्रत्येक बैठकका सभापति अध्यक्ष होगा। उसकी अनुपस्थितिमें कमेटीका प्रथम सदस्य और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो दूसरा सभ्य सभापति होगा। इसी क्रमसे सभापतित्व किया जायेगा।

(२) बैठकके आरंभमें अवैतनिक मन्त्री पिछली बैठककी कारवाई पढ़गा और इसके बाद सभापति उसपर हस्ताक्षर करेगा।

(३) यदि मन्त्रीको कोई प्रस्ताव पत्र करनेकी सूचना पहलेसे न दी जाये तो कमेटीको उसे अमान्य करनेका अधिकार होगा।

(४) कमेटी या कांग्रेस जो द्रव्य पाये या खर्च करे उसका विस्तृत व्यापार अवैतनिक मन्त्री पत्रकर सुनायेगा।

(५) अगर कोई प्रस्ताव कमेटीके किसी सदस्य द्वारा पेश न किया जाये और कोई दूसरा सदस्य उसका समर्थन न करे तो कमेटीको उसपर विचार न करनेका अधिकार होगा।

(६) सभापति और मन्त्रीको पदेन कमेटीके सदस्य माना जायेगा। दोनों पक्षोंमें बराबर मत होनेपर सभापतिको निर्णायक मत देनेका अधिकार होगा।

(७) बैठकमें भाषण करते समय प्रत्येक सदस्य सभापतिकी ओर अभिमुख रहेगा।

(८) प्रत्येक सदस्य कमेटीकी बैठकमें किसी दूसरे सदस्यको सवाधित करनेमें श्री (मिस्टर) का उपयोग करेगा।

(९) कमेटीकी बैठककी कारवाही इन भाषाओंमें से किसी एक या सबमें की जायेगी — गुजराती, तमिल, हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी।

(१०) अगर जरूरत समझी जाये तो सभापति किसी एक सदस्यको दूसरे सदस्यके भाषणका अनुवाद कर देनेका आदेश देगा।

(११) प्रत्येक प्रस्ताव या मुद्दाव बहुमतसे स्वीकार किया जायेगा।

(१२) कांग्रेसके पास कमसे कम ५० पाँडकी रकम होने पर अवैतनिक मन्त्री उसे अपनी पसन्दगीके किसी बैंकमें नेटाल भारतीय कांग्रेसके नाम जमा कर देगा।

(१३) अवैतनिक मन्त्री जो द्रव्य बैंकमें जमा न करे उसके लिए उसे जिम्मेदार समझा जायेगा।

(१४) ५ पाँडसे अधिक अनियमित खर्च करनेके लिए कमेटीसे पहले अधिकार प्राप्त करना जरूरी होगा। अगर अध्यक्ष या मन्त्री कमेटीकी पूर्व-स्वीकृतिके बिना उपर्युक्त रकमसे अधिक खर्च करे तो यह माना जायेगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा किया है। अवैतनिक मन्त्री ५ पाँड तककी चेक पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इससे अधिक रकमकी चेक पर इन सदस्योंमें से

किसीके साथ सयुक्त हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा — सचची अब्दुल्ला हाबा आदम, मूसा हाजी पासिम, अब्दुल कादर, फोलदावेलु पिल्ले, पी० दावजी मुहम्मद, हुसेन कासिम ।

(१५) बैठकका वाम चलानेके लिए कोरम १० सदस्यका होगा । सभापति और मंत्री इसके अतिरिक्त होंगे ।

(१६) बैठककी सूचना सदस्योंको कमसे कम दो दिन पहले दी जायगी । यह सूचना अवैतनिक मंत्री देंगे ।

(१७) अगर डाक अथवा किसी सदेशवाहक द्वारा लिखित सूचना दी जाये तो सोलहवाँ नियम पूरा हुआ माना जायेगा ।

(१८) यदि कमेटीका कोई सदस्य लगातार ६ बैठकोंमें अनुपस्थित रहे तो उसका नाम सदस्य-सूचीसे खारिज किया जा सकेगा (कमेटी उसे अपने इश इरादेकी सूचना पहले दे देगी) । बैठकमें अनुपस्थित रहनेवाले सदस्योंके अगली बैठकमें अपनी अनुपस्थितिका कारण बताना होगा ।

(१९) जो सदस्य बिना कोई उचित कारण बताये लगातार तीन महीन तक अपना चन्दा नहीं देगा, उसकी सदस्यता मारी जायेगी ।

(२०) कमेटीकी किसी भी बैठकमें धूम्रपानकी इजाजत नहीं होगी ।

(२१) अगर दो सदस्य एक साथ भाषण देनेके लिए खड़े हो जायें, तो पहले कौन बोले इसका निणय सभापति करेगा ।

(२२) अगर सदस्य काफी सख्यामें उपस्थित हो तो कमेटीकी बैठक निश्चित समय पर शुरू हो जायेगी । परन्तु यदि निश्चित समय पर या उसके आधे घंटे बाद तक उपस्थित सदस्योंकी सख्या काफी न हो तो बैठक बिना कोई वारंवाई किये खत्म हो जायेगी ।

(२३) नेटाल इंडियन असोसिएशनको सभा भवन और पुस्तकालयका उपयोग मुफ्त करनेकी इजाजत होगी । इसके बदलेमें वह लेखनवाय आदि जैसी उचित सेवाएँ प्रदान करेगा ।

(२४) कांग्रेसके सब सदस्योंको कांग्रेस पुस्तकालयका उपयोग करना अधिकार होगा ।

(२५) कमेटीके सदस्य एक घेरेमें और दशकगण उसके बाहर बठेंगे । दशक बैठककी कारवाइयोंमें कोई हिस्सा नहीं ले सकते । अगर वे शोर-मुल

आदि करके कोई गडबडी मचायें तो उन्हें सभा भवनसे निकाला जा सकता है।

(२६) कमेटीको भविष्यमें इन नियमोंमें संशोधन करनेका अधिकार होगा।

एक टाइप फ्री हुई अंग्रेजी प्रतियत्री फोटो-नफलसे।

गार्धीजीके हस्ताक्षरमें लिखी हुई एक अंग्रेजी और एक गुजराती प्रति भी उपलब्ध हैं। अंग्रेजीकी हस्तालिखित प्रतिमें दी हुई नेटाल भारतीय कांग्रेसके ध्येयोंकी शब्दावली “भारतीय कांग्रेस” (पृष्ठ २५०) और “प्राथनापत्र ओ चेम्बरलेनको” (पृष्ठ ३३७ ३८) में उद्धृत की हुई शब्दावलीसे मिलती है। उद्धृत शब्दावली भागेको तारीखोंकी है, इस लिए स्पष्ट है कि वह बादमें संशोधित की गई है। तीनों प्रतियांमें थोड़ा बहुत और भी शाब्दिक भन्तर है। परन्तु, वह गण स्वरूपका है। ये तीनों प्रतियाँ साबरमती संग्रहालयमें सुरक्षित हैं।

## ३८ “रामीसामी”

द्वयं

अक्तूबर २५, १८९४

सेवामें

सम्पादक

टाइम्स आफ नेटाल

महोदय,

आपकी अनुमतिसे मैं आपके २२ तारीखके अंकमें प्रकाशित “रामीसामी” शीपक अप्रलेख पर कुछ राय व्यक्त करनेकी घृष्टता करता हूँ।

टाइम्स आफ इंडियाके जिस लेखका आपने उल्लेख किया है, उसकी सफाई देनेका मेरा इरादा नहीं है। परन्तु क्या आपका अप्रलेख ही उसकी सफाई नहीं दे देता? क्या “रामीसामी” शीपक ही गरीब भारतीयकी प्रति स्वाहमस्वाह तिरस्कार उगलनेवाला नहीं है? क्या साराका सारा लेख ही उनका व्यय अपमान करनेवाला नहीं है? आपने कृपा कर स्वीकार किया है कि “भारतमें उच्च सस्कारोके लोग मौजूद हैं,” आदि। और फिर भी, अगर आपके वक्ताकी बात हो तो, आप उनको गोरोंके बराबर राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे। क्या इस प्रकार आप अपमानको दुहरा अपमानजनक नहीं बना रहे हैं? अगर आप मानते होते कि भारतीय सुसंस्कृत नहीं हैं, बल्कि बबर,

ज्ञानहीन प्राणी है, और अगर आपने उनको राजनीतिक समानता देनेसे इसी आधार पर इनकार किया होता, तो आपके मन्तव्य कुछ सकारण हात। परन्तु, आपको तो निरपराध लोगोंके अपमानसे प्राप्त आनन्दका अधिकसे अधिक उपभोग करनेके लिए यह बताना जरूरी है कि आप उन्हें बुद्धिमान मानते हैं, और फिर भी उन्हें पैरोंके नीचे कुचले रहेंगे।

फिर, आपने कहा है कि उपनिवेशवासी भारतीय वैसे ही नहीं हैं, जैसे भारतमें रहनेवाले भारतीय हैं। परन्तु, महोदय, आप सुभीतेसे भूल जाते हैं कि वे उसी जातिके लोगोंके भाई-बन्द और वंशज हैं, जिसकी आपने बुद्धि मानीका श्रेय प्रदान किया है। इसलिए उनके अन्दर वह शक्ति छिपी हुई है जिससे, मौवा पाने पर, वे अपने अधिक भाग्यवान भारतवासी भाइयोंके समान योग्य बन सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है, जैसे कि लन्दनके ईस्ट एण्ड [मजदूर हलके] में रहनेवाले, अज्ञान और दुर्गुणोंके गहरे गतमें डूबे हुए व्यक्तिमें भी स्वतंत्र इंग्लैंडका प्रधानमंत्री बन जानकी शक्ति छिपी होती है।

लाड रिपनको जो मताधिकार प्रायनापत्र भेजा गया है उसका आपने एसा अर्थ लगाया है, जिसको उससे व्यक्त करनेका कभी इरादा ही नहीं था। भारतीयोंको इसका कोई अफसोस नहीं है कि योग्य देशी लोगोंको मताधिकार दिया गया है। उन्हें तो अफसोस तब होता जब इसका उलटा होता। तथापि, उनका यह दावा है कि उन्हें भी, अगर वे योग्य हो तो, वह अधिकार मिलना चाहिए। आप तो बुद्धिमत्ता इसमें समझते हैं कि वह मूल्यवान विरोधाधिकार भारतीय या आदिवासी किसीको भी किसी भी अवस्थामें न दिया जाये, क्योंकि उनकी चमड़ी वाली है। आप केवल बाहरी रूप रण देखते हैं। जबतक चमड़ी गोरी है, आपको कोई परवाह नहीं कि उसके अन्दर विप छिपा हुआ है या अमृत। आपको तो पब्लिकन<sup>१</sup>के सच्चे प्रायश्चित्तने फेरिसी<sup>२</sup>की — क्योंकि वह फेरिसी है — कोरी मौखिक प्रायना ज्यादा स्वीकार्य है। और मेरा खयाल है कि इसीका आप ईसाइयत बहेंगे। आप भले हा बहें, मगर यह ईसाकी ईसाइयत ता नहीं है।

१, २ फेरिसी — यहूदी पुरोहित — जो धमने बाहरी दिखावेमें विरहास बना था। परन्तु पब्लिकन पापी होता हुआ भी अपने पापोंके लिए दिलने परवाह न करनेवाला था।



पाषीजी लदन अन्नाहारी मण्डलके अय सदस्योके साथ, १८९०



नेटाल भारतीय कायेसके सत्यापक, १८९५

अपनी इस तरहकी रायके बावजूद भी आप, जो उपनिवेशके एक सम्मानित पत्रके सम्पादक हैं, टाइम्स आफ इंडियापर झूठा आरोप लगाते हैं। अमियोग लगा देना एक बात है, मगर उसे साबित करना दूसरी ही बात है।

आपने अपने लेखका अन्त यह कहकर किया है कि नागरिक जिस किसी भी अधिकारकी कामना कर सकत है, वे सब “रामीसामी” को दिये जा सकने हैं, केवल “राजनीतिक सत्ता” नहीं दी जा सकती। क्या आपके अप्रलेखका शोषक और उसकी विचारधारा, दोनों उपर्युक्त मतके अनुकूल है? या सुसगत रहना ईसाइयत और अश्रेजियतके अनुकूल नहीं है? प्रभुने कहा था—“छोटे बच्चोंको मेरे पास आने दो।” इस उपनिवेशमें रहनेवाले उनके शिष्य (?) तो “छोटे”के बाद “गोरे” जोड़कर इसमें सुधार कर देना चाहेंगे। मुझे मालूम हुआ कि डबनके भेयरने बच्चोंका जो मेला आयोजित किया था, उसके जुलूममें एक भी अश्वेत बच्चा दिखलाई नहीं पड़ता था। क्या यह अश्वेत माता-पितामें पैदा होनेके पापका दण्ड था? क्या यह उस विशेष प्रकारकी नागरिकताकी तैयारी है, जो आप अपने द्वेष भाजन “रामीसामी” को देनेवाले हैं?

अगर प्रभु ईसा हमारे बीच आये तो क्या वे हममें से अनेकने बारेमें यह नहीं कहेंगे कि “मैं तुम्हें पहचानता नहीं”? महोदय, क्या मैं एक मुझाव देनेकी घृष्टता कर सकता हूँ? क्या आप अपना “नया करार” (न्यू टेस्टामेंट) फिरसे पढ़ेंगे? क्या आप उपनिवेशके अश्वेत निवासियोंके बारेमें अपने लेख पर विचार करेंगे? और तब क्या आप कह सकेंगे कि वह लेख बाइबलकी शिक्षा या श्रेष्ठतम ब्रिटिश परम्पराओंके अनुकूल है? अगर आपने ईसा और ब्रिटिश परम्पराका दोनसे विलकुल जाना ही तोड़ लिया है तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, म खुशीसे अपनी लिखी हुई सब बातोंको वापस लेता हूँ। सिर्फ इतना कह दूँ कि, अगर कभी आपके बहुत-से अनुयायी हो गये तो वह ब्रिटेन और भारतके लिए एक अफसोसका दिन होगा।

आपका, आदि,

मो० क० गाधी

[ अश्रेजीमें ]

टाइम्स आफ नेटाल, २६-१०-१८९४



प्रिय श्री नाज़र,

आपका ४ ता०का पत्र मिला। आपको कल शाम मेरा तार मिला हा होगा। इसके साथ सरकार और मेरे बीच आये-गये तारोकी नकलें भेज रहा हूँ। सरकार और एजेंटके बीच हुए पत्र-व्यवहारकी नकल मैं देखना चाहता हूँ।

स्टारका लेख बुरा है—बहुत बुरा है। अच्छा हो, आप भी सम्पादक को इस आशयका पत्र लिख दें कि भारतोयोको सावजनिक चर्चेकी जरूरत नहीं है। वे दुनिया भरमें अपनी दानशीलताका डिनोट पीटते नहीं फिरते। अगर १०,००० भारतीय भी ट्रान्सवाल से नेटाल चले जायें तो वे भूखो नहीं मरेंगे आर न, इतने पर भी, कोई व्यय आडम्बर किया जायेगा। भारतीय नेटालमें सरकार पर भार बनकर कभी नहीं रहे। भागत दुनियाका सबसे गरीब देश ह। वहा गरीबोकी सहायताका कोई कानून नहीं है। वहाँकी मूक और, इसलिए, ईसाई दानशीलताको सभी जानते हैं। स्टार जैसे प्रतिष्ठित पत्रसे, जो ब्रिटिश सिद्धान्तोंकी सेली मारता है और दीन-दुबलाका पक्षपाती होके दम भरता है, यह अपवा प्रसारित होना असोभीय है। आप सम्पादकका यह भी बता सकते हैं कि १००—करीब १००—भारतीय अभी कल ही जोहानिसबगते आये हैं, और उनमें से एकका भी भूखा रहना या मददकी खोजमें घूमते फिरना नहीं पडा। इसके विपरीत गोरे गरीबोके लिए सरकारी अधिकारियोंको सास प्रबध करना पडता है। और अन्तमें उसे यह भी बनाइये कि, नेटाल सरकार सोच विचार करने भले निणय पर आई और उमने १० पौंड जमा करानेका नियम, देरीसे ही क्यों न हो, एक्सूस्तीके साथ स्पति

१ मूल अंग्रेजी प्रतिमें यहाँका शब्द पडा नहीं जाता।

कर दिया है। लीडरको भी लिखकर सरकारके निणयकी सूचना दे देना और घन्यवाद तथा सन्तोष व्यक्त कर देना ठीक ही होगा।

आपका द्वितैपी,  
मो० क० गाधी

आशा है, आपने लीडरकी गलती ठीक करा दी होगी। 'डी-आर' शब्दने भ्रम पैदा कर दिया है।

मो० क० गा०

गाधीजीके अपने हस्ताक्षरोमें लिखी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ४० एसॉटरिक क्रिश्चियन यूनियन

द्वेन

नवम्बर २६, १८९४

सेवामें  
सम्पादक  
नेटाल मर्केरी  
महोदय,

आपके विज्ञापन-स्तम्भोंमें एसॉटरिक क्रिश्चियन यूनियनके बारेमें जो विज्ञापन छपा है, उसकी ओर अगर आप अपने पाठकोंका ध्यान आकर्षित करनेकी इजाजत दें तो मैं बहुत आभारी हूँगा। विज्ञापित पुस्तकोंमें जिस विचारधाराका प्रतिपादन किया गया है वह किसी भी तरह देखने पर कोई नई धारा नहीं है, बल्कि पुरानी विचारधाराका ही आधुनिक मानसकी स्वीकार होने योग्य रूपान्तर है। इसके अतिरिक्त, वह धर्मकी एक विचार-धारा है, जो विश्वात्मैक्यकी शिक्षा देती है और सनातन विविधतापर आधारित है केवल परिस्थिति विशेष अथवा ऐतिहासिक तथ्योपर आधारित नहीं है। उस विचारधारामें ईसाका बडा बतानेके लिए मोहम्मद या बुद्धको गाली नहीं दी जाती। उलटे वह ईसाई धर्मके साथ अये धर्मोंका

१ अंग्रेजीमें 'Dr' (दाक्टर ?)

समन्वय करती है। ग्रथकारोंके मतसे, ईसाई धर्म उसी सनातन सत्यको प्रस्तुत करनेकी (अनेक प्रणालियोंसे) एक प्रणाली है। "पुराने करार" (ओल्ड टेस्टामेंट) की अनेक उलझनोंका इन ग्रथामें बिल्कुल पूरा और सन्तोषजनक हल मिल जाता है।

अगर आपके पाठकोंमें कोई उच्चतर जीवनकी साधनाका आकांक्षी है और उसे वर्तमान भौतिकवाद तथा उसकी तमाम चमक-दमक अपनी आत्माका भूख मिटानेके लिए अपर्याप्त मालूम हुई है, और अगर वह देखता है कि आधुनिक सभ्यताकी चमक-दमकके पीछे जो-कुछ छिपा है, उसमेंसे बहुत-कुछ मनुष्यकी अपेक्षाके प्रतिकूल पड़ता है, और, सबसे ऊपर, अगर आधुनिक भोग विलासके साधन और लगातार होनेवाली सरगम प्रवृत्तियां उसे कोई राहत नहीं पहुँचाती, तो, ऐसे व्यक्तिसे मैं ये पुस्तकें पढ़नेकी सिफारिश करता हूँ। और मैं आश्वासन देता हूँ कि इन्हे पढ़कर, इनके विचाराको पूरी तरह अगीकार न करने पर भी, वह ज्यादा भला आदमी बन जायेगा।

अगर कोई इस विषयमें मेरे साथ बातचीत करना चाहे तो मुझ इतमीनानके साथ विचार विनिमय करनेमें बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसे जो लोग मेरे साथ व्यक्तिगत रूपसे पत्र-व्यवहार करेंगे उन्हें मैं धन्यवाद ही दूंगा। यह कहना जरूरी नहीं है कि पुस्तकोंकी बित्री आर्थिक लाभके लिए नहीं का जा रही है। यदि यूनियनके अध्यक्ष श्री मेटलैंड या यूनियनके स्पानिक एजेंटके लिए ये पुस्तकें मुफ्त बाँट देना सम्भव होता, तो वे खुशीसे ऐसा ही करते। कई लोगोंको ये लागत-मूल्यसे भी कम पर दी गई है। कुछ लोगोंको मुफ्त भी दे दी गई है। बिना मूल्यके व्यवस्थित रूपसे वितरण करना सम्भव नहीं पाया गया। कुछ लोगोंको पढ़नेके लिए ये खुशीसे मांगे दी जायेंगी।

मैं ग्रथकर्ताओंके नाम स्वर्गीय एबे कान्स्टेंटके पत्रसे एक उद्धरणके साथ इसे समाप्त करूँगा— "मानव-जाति हमेशासे और हर जगह अपने-आपसे ये परम महत्त्वपूर्ण तीन प्रश्न पूछती आई है हम कहाँसे आये हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जायेंगे? अब परफेक्ट वेमें इन प्रश्नोंका विस्तृत उत्तर प्राप्त हो गया है, जो पूरा, सन्तोषजनक और मानवना देनेवाला है।"

आपका, आर्चि,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीमें ]

नेटाल मर्फी, ३-१२-१८९४

## ४१ पुस्तकों बिकाऊ

डबन, नेटाल

स्वर्गीया श्रीमती ऐना किंगजफर्ड और श्री एडवड मेटलैडकृत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित मूल्य पर बिकाऊ हैं। ये दक्षिण आफ्रिकामें पहली ही बार लाई गई हैं

परफेक्ट वे	शि० ७/६
क्लोड्ड विद द सन	शि० ७/६
द स्पोर्टी आफ द न्यू गॉस्पेल आफ इटरप्रिटेशन	शि० २/६
द न्यू गॉस्पेल आफ इटरप्रिटेशन	शि० १/-
द चाइबिलिस ओन एकाउट आफ इटसेल्फ	शि० १/-

इन पुस्तकोंके सम्बन्धमें कुछ सम्मतियाँ निम्नलिखित हैं

“ज्ञानका स्रोत (परफेक्ट वे) । भाष्यात्मक और समन्वयात्मक ।

पारमार्थिक विषयोका वाई विद्यार्थी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता ।”

लाइट, एदन ।

“दैवी अनुग्रहके साधनके रूपमें शताब्दीकी तमाम पुस्तकामें अद्वितीय ।”

—आक्ट वल्ड ।

इस विषयकी कुछ पुस्तिकाएँ बिना मूल्य मेरे दफ्तरसे मिल सकती हैं ।

मो० क० गाधी

एजें, एसॉटरिक क्रिश्चियन यूनियन अर  
एदन वेजिटेरियन सोसाइटी

[ अघेनीसे ]

नेटाल मर्केरी, २८-११-१८०४

सेवामें  
माननीय सदस्यगण  
विधानपरिषद व विधानसभा  
महोदयों,

अगर आपको गुमनाम खत लिखना सम्भव होता, तो मुझे उससे ज्यादा खुश और किसी बातसे न होती। मगर मुझे इस पत्रमें जो बातें कहनी हैं व इतनी महत्वपूर्ण और गम्भीर हैं कि मेरा अपना नाम प्रकट न करना बिल्बुल कामरतावा वाम माना जायेगा। फिर भी, मैं आपको नम्रतापूर्वक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं न तो स्वाय भावसे लिख रहा हूँ, न अपना महत्व बढ़ाने या नाम फैलानेके लिए ही। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस उपनिवेशके यूरोपीयों तथा भारतीयोंके बीच अधिक मेलजोल पैदा करना और भारतीयोंके सेवा करना है, जो जम-मयोगके कारण मेरा स्वदेश कहलाता है।

यह एक ही तरीकेसे किया जा सकता है। वह तरीका है, लोकमतका प्रतिनिधित्व और निर्माण करनेवाले व्यक्तिगणोंसे अपील करनेका। अत यदि यूरोपीय और भारतीय निरन्तर झगडते रहें तो दोष आपके मतमें होगा। अगर दोनों बिना सघषके, शान्तिसे, मिलजुलकर चलें और रहें तो सारा श्रेय भी आपको ही मिलेगा।

सबूत देनेकी जरूरत नहीं कि सारी दुनियाकी सामान्य जनता बहुत बड़ी हदतक अपने नेताओंके मतोंका अनुसरण करती है। ग्लैंडस्टनका मत आप इंग्लैंडका मत है, और सेलिसबरीका मत शेष आधेका। जहाज-बादके मजदूरोकी हडतालके समय उनके निमित्त विचार वरनेवाला घन्स था। पार्नेलने लगभग पूरे आयरलैंडके निमित्त विचार किया। घमग्रय—मरा मतलब सारी दुनियाके घमग्रयोंसे है—यही कहते हैं। एडविन आर्नोडके

१ यह चिट्ठी दिसम्बर १९, १९५४ को नेटालके यूरोपीयोंको भेजी गई थी (के-ए, पृष्ठ १६७), इसलिए उस तारीखके पहले तैयार हुई होगी।

“साग सेलेस्टियल” में कहा गया है—“बुद्धिमान लोग जो पसन्द करते हैं, दूसरे लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं।”

इसलिए इस पत्रके लिए क्षमा-याचनाकी जरूरत नहीं है। इसे घुप्टतापूर्ण नहीं माना जायेगा।

क्याकि, ऐसी अपील और किससे करना ज्यादा ठीक हो सकता है? या, इस पर आपकी अपेक्षा और किसे ज्यादा गम्भीरताके साथ विचार करना चाहिए?

इंग्लैंडमें आन्दोलन चलानेसे तो उपनिवेशके दोनो समाजमें सघपकी वृद्धि हो सपती है। ऐसी हालतमें उससे मिलनेवाली राहत निकम्मी होगी। वह राहत ज्यादासे ज्यादा सिफ अस्थायी हो सकती है। जबतक उपनिवेशके यूरोपीयोंके भारतीयोंके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करनेके लिए राजी नहीं किया जा सकता तबतक, ब्रिटिश सरकारकी सतकताके बावजूद, उत्तर-दायी शासनके अधीन भारतीयोंका जीवन बडा कष्टमय है।

विस्तारमें न जाकर, मैं समग्र रूपमें भारतीय प्रश्न की ही चर्चा करूँगा।

मैं मानता हूँ, इसमें कोई सदेह नहीं हो सकता कि उपनिवेशमें भारतीयोंको तुच्छ प्राणी माना जाता है, आर उनका जो विरोध किया जाता है उस सबका सीधा कारण उनके प्रति यह द्वेष ही है।

अगर हम द्वेषका आधार सिफ उनका रंग है तो, बेशक, उनको छुटकारे की कोई आशा नहीं है। ऐसी हालतमें तो वे जितनी जल्दी उपनिवेश छोड दें उतना ही अच्छा। वे कुछ भी करें, उनकी चमडीका रंग तो गोरा हानेवाला नहीं है। परन्तु, अगर उसका आधार कुछ और है— उनके सामान्य चरित्र और उनकी दक्षताके सम्बन्धमें अज्ञान है— तब तो वे उपनिवेशके यूरोपीयोंके हाया अपने उचित अधिकार प्राप्त करनेकी आशा जरूर कर सकते हैं।

यह प्रश्न कि उपनिवेश इन ४०,००० भारतीयोंसे क्या काम लेगा, मेरा निवेदन है, उपनिवेशियोंके अत्यन्त गम्भीर विचारके योग्य है। और जिन लोगोंके हायमें शासनकी बागडोर है, जिन्हें जनताने कानून बनानेके अधिकार साप रहे हैं, उनके लिए तो यह विशेष रूपसे विचारणीय है। इन ४०,०००

सेवामें  
माननीय सदस्यगण  
विधानपरिषद् व विधानमन्त्र  
महादयो,

अगर आपको गुमनाम पत्र लिखना सम्भव होता, तो मुझे उससे ज्यादा खुश और किसी बातसे न होती। मगर मुझे इस पत्रमें जो बातें कहनी हैं वे इतनी महत्वपूर्ण और गम्भीर हैं कि मेरा अपना नाम प्रकट न करना बिल्कुल फायरतावा वाम माना जायेगा। फिर भी, मैं आपको नम्रतापूर्वक विदबास दिलाता हूँ कि मैं न तो स्वाय भावसे लिख रहा हूँ, न अपना महत्त्व बढ़ाने या नाम फैलानेके लिए ही। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस उपनिवेशके यूरोपीयो तथा भारतीयोंके बीच अधिक मेलजोल पदा करना और भारतकी सेवा करना है, जो जम-सयोगके कारण मेरा स्वदेश कहलाता है।

यह एक ही तरीकेसे किया जा सकता है। वह तरीका है, लोकमतका प्रतिनिधित्व और निर्माण करनेवाले व्यक्तियोंसे अपील करनेका। अत यदि यूरोपीय और भारतीय निरन्तर झगडते रहें तो दोष आपक मत्ये होगा। अगर दोनो बिना सघपके, शान्तिसे, मिलजुलकर चलें और रहें तो सारा श्रेय भी आपको ही मिलेगा।

मबूत देनेकी जरूरत नहीं कि सारी दुनियाकी सामान्य जनता बहुत बड़ी हदतक अपने नेताओंके मतोंका अनुसरण करती है। ग्लेडस्टनका मत आपके इंग्लैंडका मत है, और सेलिसबरीका मत शेष आधेका। जहाज घाटके मजदूरोंकी हडतालके समय उनके निमित्त विचार बरनेवाला बन्त था। पार्नेलने लगभग पूरे आयरलैंडके निमित्त विचार किया। घमप्रथ — मरा मतलब सारी दुनियाके घमप्रथोंसे है — यही कहते हैं। एड्विन आर्नोडके

१ यह चिट्ठी दिसम्बर १९, १९५४ को नेताके यूरोपीयोंको भेजी गई थी (देखिए, पृष्ठ १६७), इसलिए उस तारीखके पहले तैयार हुई होगी।

“माग मेलेस्टियल” में कहा गया है—“बुद्धिमान लोग जो पसन्द करते हैं, दूसरे लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं।”

इसलिए इस पत्रके लिए क्षमा-याचनाकी जरूरत नहीं है। इसे धुष्टतापूर्ण नहीं माना जायेगा।

क्योंकि, ऐसी अपील और किससे करना ज्यादा ठीक हो सकता है? या, इस पर आपकी अपेक्षा और कितने ज्यादा गम्भीरताके साथ विचार करना चाहिए?

इंग्लैंडमें आन्दोलन चलानेस तो उपनिवेशके दोना समाजोंमें सघपकी वृद्धि हो सकती है। ऐसी हालतमें उससे मिलनेवाली राहत निक्म्मी होगी। वह राहत ज्यादासे ज्यादा सिफ अस्थायी हो सकती है। जबतक उपनिवेशके यूरोपीयाको भारतीयोंके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करनेके लिए राजी नहीं किया जा सकता तबतक, ब्रिटिश सरकारकी सतवताके बावजूद, उत्तरदायी शासनके अधीन भारतीयोंका जीवन बड़ा कष्टमय है।

विस्तारमें न जाकर, मैं समग्र रूपमें भारतीय प्रश्न की ही चर्चा करूँगा।

मैं मानता हूँ, इसमें कोई सदेह नहीं हो सकता कि उपनिवेशमें भारतीयोंको तुच्छ प्राणी माना जाता है, और उनका जो विरोध किया जाता है उस सबका सीधा कारण उनके प्रति यह द्वेष ही है।

अगर इस द्वेषका आधार सिफ उनका रंग है तो, बेशक, उनको छुटकारे की कोई आशा नहीं है। ऐसी हालतमें ता वे जितनी जल्दी उपनिवेश छोड़ दें उतना ही अच्छा। वे कुछ भी करें, उनकी चमड़ीका रंग ता गोरा हानेवाला नहीं है। परन्तु, अगर उसका आधार कुछ और है— उनके सामान्य चरित्र और उनकी दक्षताके सम्बन्धमें अज्ञान है— तब तो वे उपनिवेशके यूरोपीयोंके हाथों अपने उचित अधिकार प्राप्त करनेकी आशा जरूर कर सकते हैं।

यह प्रश्न कि उपनिवेश इन ४०,००० भारतीयोंसे क्या काम लेगा, मेरा निवेदन है, उपनिवेशियोंके अत्यन्त गम्भीर विचारके योग्य है। और जिन लोगोंके हाथमें शासनकी बागडोर है, जिन्हें जनताने कानून बनानेके अधिकार सौंप रखे हैं, उनके लिए तो यह विशेष रूपसे विचारणीय है। इन ४०,०००



भारतीयोंको उपनिवेशसे निवाल देना ता, निस्सदेह, एक असम्भव काय है। इनमें से अधिकतर अपने परिवारोंके साथ यहाँ बस गये ह। एक ब्रिटिश उपनिवेशमें जा कानून बनाये जा सकते हैं उनमें से कोई भी कानून बनानेवालाका यह अधिकार नहीं दे सकता कि व उन लोगोंको उपनिवेशसे खदेड़ दें। हाँ, शायद यह हो सकता है कि आगे आनेवाले प्रवासियोंको रोकनेका कोई उपाय निकाला जा सके। परन्तु, इसके अलावा भी, मेरा सुझाया हुआ प्रश्न आपका ध्यान खींचनेके लिए और आपसे इस पत्रको निष्पक्ष भावम पढ़नेका अनुरोध करनेके लिए काफी गम्भीर है।

यह तो आपको ही कहना है कि आप उन्हें सम्यताके पैमाने पर नीचे झुकायेंगे या ऊपर उठायेंगे। क्या आप उन्हें उस स्तरसे नीचे गिरा देंगे जिसपर उन्हें अपनी बस-भरम्पराके कारण होना चाहिए? आप उनके दिलोको अपनेसे दूर कर देंगे या अपने ज्यादा नजदीक खींचेंगे? सारास यह कि आप उनपर अत्याचारपूर्वक शासन करेंगे या सहानुभूतिके साथ?

आप लोकमतको ऐसा बना सकते हैं कि द्वेप दिन दिन बढ़ता जाये। और अगर आप चाहे तो उसे ऐसा भी बना सकते हैं कि द्वेप ठंडा पड़ने लगे।

अब मैं प्रश्नको निम्नलिखित शीपकामें बाट कर उसकी चर्चा करूँगा

(१) क्या भारतीयोंका नागरिक बनकर उपनिवेशमें रहना वाछनीय है?

(२) भारतीयोंकी हस्ती क्या है?

(३) क्या उनके साथ इस समय किया जानेवाला व्यवहार सर्वोत्तम ब्रिटिश परम्पराअवि, या न्याय तथा नीतिके सिद्धान्ता, या ईसाइयतके सिद्धान्तोंके अनुरूप है?

(४) शुद्ध भौतिक और स्वाथमय दृष्टिसे, क्या उनके एकाएक या धीरे धीरे उपनिवेशस चले जानेसे उपनिवेशका ठोस, चिरस्थायी लाभ होगा?

## १

पहले प्रश्नपर विचार करते हुए, सबसे पहले मैं भारतीय मजदूरोंका चर्चा करूँगा। उनमें से अधिकतर गिरमिटिया बनकर उपनिवेशमें आये हैं।

जो लोग जानकार समझे जाते हैं उन्होंने, जान पड़ता है, मजूर कर लिया है कि गिरमिटिया भारतीय उपनिवेशकी भलाईके लिए बिल्कुल अपरिहाय हैं। छोटे-छोटे काम करनेवाले नौकरोंके रूपमें हो या हजूरिया

(बटर)के, रेलवे कमचारियोंके रूपमें हो या बागबागके — उनका आना उपनिवेशके लिए लाभदायी ही हुआ है। देशी लोग जो काम नहीं कर सकत, या नहीं करते, उसे गिरमिटिया भारतीय खुशीसे और अच्छी तरह करते हैं। यह तो स्पष्ट है कि इस उपनिवेशके दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान-उपनिवेश बनानेमें भारतीयोंकी सहायता काम आई है। उ-हे चीनीकी जायदादसे हटा लिया जाये तो उपनिवेशके इस मुख्य उद्योगकी हालत क्या होगी? यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि निक्ट भविष्यमें देशी लोग वह काम संभाल सकेंगे। दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य इसका एक उदाहरण है। देशी लोगोंके सम्बन्धमें अपनी तयाकथित जोरदार नीतिके बावजूद, वह धूलभरा रेगिस्तान-सा ही बना हुआ है, हालांकि जमीन बहुत उपजाऊ है। वहाँ सस्ते मजदूर कैसे प्राप्त किये जायें, यह समस्या हर दिन ज्यादा गम्भीर होती जा रही है। नामलायक सिर्फ एक नेलमेपियस-जायदादका बाग है। और क्या उसकी भी सफलताका सारा श्रेय भारतीयोंको ही नहीं है? चुनाव सम्बन्धी एक भाषणमें कहा गया है

और आखिर, एकमात्र उपाय समझकर, भारतीयोंको लाकर बसानेकी योजना शुरू की गई। विधानमण्डलने बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक इस सबका महत्त्वपूर्ण योजनाका समयन किया और इसमें मदद की। जब इस योजनाको शुरू किया गया था उस समय उपनिवेशकी उन्नति और करीब-करीब उसका अस्तित्व ही डंकाबोल था। और अब इस प्रवासी-योजनाका परिणाम क्या हुआ? यितकी दृष्टिसे, उपनिवेशके खजानेसे प्रति वर्ष दस हजार पाँड विये गये ह। परिणाम क्या? यह कि, उद्योगोंके विकास अथवा इस उपनिवेशके हिताका किसी भी दृष्टिसे बढ़ानेके लिए स्वीकार को गई किसी भी रकमका इतना आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला, जितना कि कुलियोंको मजदूरोंके तौरपर यहा लानेसे मिललाई पडा है। मेरा विश्वास है कि उपनिवेशके उद्योगोंके लिए जैसे मजदूरोंकी जरूरत है, ये घसे ही ह। इनको लाया न गया होता, तो डबनके यूरोपीयोंकी आबादी आजकी अपेक्षा आधीसे भी कम होती, और आज जहाँ घीस मजदूर काम करते ह वहाँ सिर्फ पाँचकी ही जरूरत रहती। यहाँकी जमीन-जायदादका मूल्य आजकी अपेक्षा तीन-चार सौ फी-सदी कम होता। उपनिवेशके अथ न्यातों और नगरोंमें भी जमीनका

मूल्य इसी अनुपातमें कम होता। तदवर्ती भूमि आज जिस भाव पर बिकती है, यह भाव कभी भी सम्भव न होता।

ये सज्जन [जिनका उद्धरण ऊपर दिया गया है] और कोई नहा, श्री गार्लण्ड है। बेचारे भारतीयोंको वे लोग भी तिरस्कारके साथ "कुली" कहकर पुकारते हैं, जिन्हें ज्यादा अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन "कुलियों" से प्राप्त होनेवाली ऐसी अमूल्य सहायताके बावजूद उक्त माननीय सज्जन भारतीयोंकी उपनिवेशमें बसनेकी वृत्तिपर दृढघ्नताके साथ खेद प्रकट करते जाते हैं।

नेटाल मर्करीने अपने ११ अगस्त, १८९४ के अकमें न्यू रिब्यूते श्री जान्स्टनका एक लेख उद्धृत किया है। उसका निम्नलिखित अंश म यहाँ देता हूँ

लोग समस्याका हल पीली जातिको लानेमें देखते ह। यह जाति गरम आबहवा बरदास्त करनेमें समर्थ है, और उन कामोंको करनेकी काफी ब्रिडि रखती है, जिन्हें सम-शीतोष्ण जलवायुमें यूरोपीय करते ह। यह पीली जाति पूर्वी आफ्रिकामें अत्यन्त सफल रही है। यह हिन्दुस्तानकी निवासी है। भिन्न भिन्न किस्मों और भिन्न-भिन्न धर्मोंवाली इस जातिने, ब्रिटिश या पोर्तुगीज शासनमें, पूव आफ्रिकी तदवर्ती प्रदेशके व्यापारको शुरू किया और बढ़ाया है। मध्य आफ्रिकामें इन सीधे-साधे, परोपकारी, कमलख, मिहनती, अंगुलियाके बक्ष और कुशाग्र बुद्धिके भारतीयोंको लानेसे हमें उस क्षेत्रमें अपनी सगल सेनाओंके लिए ठोस बल मिल जायेगा। हमें तार-बाबू, छोटे छोटे दूकानदार, कुशल कारीगर, बाबरची, छोटे-छोटे कर्मचारी, मुहूर्तर, और रेलवे कर्मचारी भी मिलेंगे, जो गरम आबहवावाले आफ्रिकाके सभ्य शासनके लिए जरूरी हैं। काले और गोरे दोनों ही भारतीयोंको चाहते ह, इसलिए वे इन दोनों परस्पर-विरोधी जातियोंके बीच सम्बन्ध जोडनेवाली कडीका काम करेंगे।

जहातक भारतीय व्यापारियोंका सम्बन्ध है, जिहे गलत नाम — "अरब" — से पुकारा जाता है, सबसे अच्छा यह होगा कि उनके उपनिवेशमें आने पर जो आपत्तियाँ की जाती हैं, उनपर विचार किया जाये।

समाचारपत्रोंसे — खासकर ६-७-९४ के नेटाल मर्करी और १५-९-९३ के नेटाल एडवर्टाइजरसे — आपत्तियाँ ये मालूम होती ह कि वे सभ्य

व्यापारी हैं और, रहन-सहन बहुत सादा होनेके कारण, छोटे छोटे रोजगारोंमें यूरोपीय व्यापारियोंसे बाजी मार ले जाते हैं। इक्के-दुक्के व्यक्तिगत उदाहरणोंको लेकर जो यह साधारण निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारतीय रोजगारमें बेईमानी करते हैं, उसे मैं विचार करनेके अयोग्य मानकर रद्द करता हूँ। और दिवालियापनके खास उदाहरणके बारेमें तो, उनकी सफाई देनेका कोई खयाल न रखते हुए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि "जो निष्पाप हो वह पहला पत्थर फेंके।" कृपा कर दिवाला-अदालतके कागज-पत्रोंकी जाँच कीजिए।

अब उनकी सफल होड-सम्बन्धी गम्भीर आपत्तिको लें। मैं मानता हूँ कि यह सच है। परन्तु, क्या यह कोई कारण है, जिससे उन्हें उपनिवेशसे खदेड़ दिया जाये? क्या सम्य लोकाका समाज ऐसा तरीका पसन्द करेगा? कौन-सा कारण है, जिससे वे इतने सफल प्रतिद्वन्द्वी बने? सरसरी तौरपर देखनेवाला भी जान सकता है कि कारण उनकी आदतें हैं, जो बहुत सीधी-सादी होती हुई बबर नहीं हैं, जैसा कि नेटाल एडवर्टाइजरने बताना पसन्द किया है। मर खयालसे उनकी सफलताका सबसे मुख्य कारण शराब और उसके साथकी बुराइयोंसे पूर्ण आत्मनिग्रह है। इसमें एकदम भारी परिमाणमें धनकी बचत ही जाती है। इसके अलावा, उनकी रुचिया सादी हैं, और वे अपेक्षाकृत कम मुनाफेसे सन्तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे व्यय बहुत बड़ा ठाट-बाट नहीं जमाते। साराश यह कि वे अपने ही खरे पसीनेकी रोटी कमाते हैं। ये सब बातें उनके उपनिवेशमें रहनेपर आपत्तिके रूपमें कैसे पेश की जा सकती हैं, समझना कठिन है। बेशक, वे जुआ नहीं खेलते, साधारणत तमाखू नहीं पीते, छोटी-छोटी असुविधाओंको बरदाश्त कर सकते हैं और रोजाना आठ घंटेसे ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर उनसे अपेक्षा की जाये तो, क्या यह वाछनीय होगा कि वे इन सद्गुणोंको तिलाजलि दे दें और जिन दुर्गुणोंसे भ्रस्त होकर पश्चिमी राष्ट्र कराह रहे हैं, उन्हें पकड़ लें, ताकि उन्हें बिना छेड़छाड़के उपनिवेशमें रहने दिया जाये?

भारतीय व्यापारियों और मजदूरों, दोनोंके बारेमें जो सामान्य आपत्ति की जाती है उसपर भी विचार कर लेना बहुत अच्छा होगा। आपत्ति है, उनकी अस्वच्छ आदतोंके सम्बन्धमें। मुझे भारी ममवेदनाके साथ यह आरोप आशिव रूपमें मजूर करना ही होगा। बेशक, उनकी अस्वच्छ आदतोंके खिलाफ जो-कुछ कहा जाता है उसके बहुत-से अशवा आधार तो सिर्फ ईर्ष्या-द्वेष है,

फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विषयमें वे पूरे-पूरे बने नहीं हैं, जैसे होनेकी उनमें अपेक्षा की जा सकती है। परन्तु उन्हें उपनिवेशों के विनाश देनेका कारण तो इसी कदापि नहीं बनाया जा सकता। इस विषयमें उनसे मुधारकी आशा ही न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि सफाई-कानूनके दृढ़ फिर भी 'याप और दयापूर्ण प्रयोगसे' इस बुराईका सफल मुकाबला और मूलोच्छेद भी हो सकता है। बुराई इतनी बड़ी भी तो नहीं है कि उसके खिलाफ बठोर कारवाहीकी जरूरत हो। आप देखेंगे कि अगर गिरमिटिया भारतीयोंको छोड़ दिया जाये तो शायद भारतीयोंकी व्यक्तिगत आदतें गन्दी नहीं हैं। गिरमिटिया तो इतने गरीब हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान दे ही नहीं सकते। मैं अपने अनुभवसे यह कहनेकी इजाजत चाहता हूँ कि व्यापारी सम्प्रदायके लोग हफ्तेमें कमसे कम एक बार स्नान करने के लिए, और जब-जब नमाज पढ़ें, कुहनिया तक हाथ, मुंह और पैर धोनेके लिए धमके द्वारा बाध्य हैं। उनके लिए दिनमें चार बार नमाज पढ़नेका नियम है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दिनमें कमसे कम दो बार नमाज नहीं पढ़ते।

मुझे आशा है, यह तो फौरन मान लिया जायेगा कि जो दुगुण किन्हीं सम्प्रदायका पूरे समाजके लिए खतरनाक बना देते हैं उनसे वे गर-भामूली तौरपर बरी हैं। मर्यादात्मक सत्ताको शिरोधार्य करनेमें वे किसीसे पीछे नहीं हैं। राजनीतिक दृष्टिसे वे कदापि खतरनाक नहीं हैं। और कलकत्ता तथा मद्रासमें अरकाटियाने बिना जाने कभी-कभी जिन गुण्डाको भरती कर लिया है उन्हें छोड़कर बाकी लोग भयानक अपराधोंसे मुक्त हैं। खर है कि मैं फौजदारी अदालतके आकडोकी तुलना करनेमें समय नहीं हूँ, इसलिए इस विषयमें अधिक नहीं कह सकता। परन्तु मैं नेटाल आलमैनेकसे यह उद्घरण देनेकी इजाजत चाहता हूँ "भारतीय आवादीके बारेमें कहना ही होगा कि समग्रत वह व्यवस्थाप्रिय और कानूनका पालन करनेवाली है।"

मैं निवेदन करता हूँ, उपर्युक्त तथ्य बताते हैं कि भारतीय मजदूर न सिर्फ वाछनीय हैं, बल्कि उपनिवेशके उपयोगी नागरिक हैं। वे उपनिवेशके पल्याणके लिए बिलकुल अनिवाय हैं। और जहाँतक व्यापारियोंका सम्बन्ध

है, उनमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो उन्हें उपनिवेशके लिए अवाञ्छनीय बना दे।

इस विषयको समाप्त करनेके पहले मैं यह भी कह देना चाहूँगा कि भारतीय व्यापारी, जहाँतक वे अपनी जोरदार प्रतिद्वन्द्विताके द्वारा जीवनकी आवश्यक वस्तुओंके भाव मदे रखते हैं, यूरोपीय समाजके गरीब तबकेके लिए सचमुच बरदान-स्वरूप हैं। और भारतीय मजदूरोंके लिए तो वे अपरिहाय ही हैं। उनकी जरूरताकी वे जानकारी रखते हैं और उनकी पूर्ति करते हैं। उनके साथ वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक अपनेपनके साथ व्यवहार कर सकते हैं।

२

हमारी छानबीनका दूसरा शीपक, अर्थात् “भारतीयोंकी हस्ती क्या है”, सबसे महत्त्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि आप इसे ध्यानसे पढ़ें। अगर इससे भारत और भारतीयोंके बारेमें अध्ययनको उत्तेजन ही मिल जाये, तो मेरा इसे लिखनेका उद्देश्य पूरा हो जायेगा, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके मागमें जो कठिनाइयाँ पेश की जाती हैं उनमें से आधी, या तीन-चौथाई भी, भारत-सम्बन्धी जानकारीके अभावसे पैदा हुई हैं।

मैं यह पत्र जिनके नाम लिख रहा हूँ उनका मुझे खूब ध्यान है। मुझसे ज्यादा ध्यान किसे हो सकता है? कुछ माननीय सदस्य मेरे पत्रके इस अंशका अपमानजनक समझकर नाराज हो सकते हैं। ऐसे सज्जनोंसे मैं अत्यन्त आदर-पूर्वक निवेदन करता हूँ कि “मुझे मालूम है आपको भारतके बारेमें बहुत-कुछ ज्ञान है। परन्तु क्या यह एक निष्ठुर सत्य नहीं है कि उपनिवेशको आपके ज्ञानका लाभ नहीं मिला? भारतीयोंको तो निश्चय ही नहीं मिला। हाँ, यह बात अलग है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह उसी क्षेत्रमें काम किये हुए दूसरे लोगों द्वारा प्राप्त ज्ञानमें भिन्न हो या उसके विपरीत हो। फिर यद्यपि यह विनम्र पत्र प्रत्यक्षत आपके नाम लिखा जा रहा है, तो भी मान्यता यह है कि यह अनेक लोगोंके पास, सचमुच तो उन सबके पास पहुँचेगा, जिनकी वर्तमान निवासियोंसे आबाद इस उपनिवेशके भविष्यमें दिलचस्पी है।”

मताधिकार विधेयकके दूसरे वाचनके समय अपने भाषणमें प्रधानमंत्रीने जो विपरीत अभिप्राय व्यक्त किया है, उसके बावजूद, उनके प्रति अधिकतम आदर रखते हुए भी मैं बतानेकी घृष्टता करता हूँ कि अंग्रेज और भारतीय

एक ही इण्डो-आर्यन मूलवशकी सन्तान हैं। इसके समयमें बहुत-से प्रय लेखकोके उदाहरण तो नहीं दे सकूंगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश मेरे पास सदन-प्रय बहुत कम हैं, फिर भी, सर विलियम विल्सन हटरकी पुस्तक इण्डियन एम्पायर [भारतीय साम्राज्य]से मैं निम्नलिखित अंश उद्धृत करता हूँ

यह उदात्तर जाति (अर्थात्, प्राचीन आर्य) आय या इण्डो-जर्मनिक मूल वशकी थी, जिससे कि ब्राह्मण, राजपूत और अग्नेज एक समान पदा हुए हैं। इतिहास इसका प्राचीनतम निवासस्थान मध्य एशिया बताता है। उस साम्राज्य शिविर-स्थलसे कुछ शाखाएँ पूर्वकी ओर चलीं, कुछ पश्चिमकी ओर। एक पश्चिमी शाखाने पर्शियाका साम्राज्य स्थापित किया, दूसरी एग्नेस और लेसीडोमोनका साम्राज्य स्थापित करके हेलेनिक राष्ट्रके रूपमें परिणत हो गईं। तीसरी इटली पहुँची और उसने "सात पहाड़ोंका नगर" बनाया, जिसने बढ़कर रोम-साम्राज्यका रूप धारण किया। उसी जातिके एक सुदूर उपनिवेशने स्पेनकी प्रागतिहासिक चाँबीकी खानोंका खनन किया। और अब हम प्राचीन इंग्लडकी पहली झलक पाते हैं तो हमें एक आय उपनिवेशके बसाने होते हैं, और हम उसके निवासियोंको नरकुलकी डॉमियोपर मछलियाँ पकड़ते और कानवालकी टोनकी खानोंका खनन करते हुए देखते हैं।

यूनानियों और रोमनोंके, अग्नेज और हिबुओंके पूजक एक साथ एगिप्टमें रहते थे, एक ही भाषा बोलते थे और एक ही देवताओंकी पूजा करते थे।

यूरोप और भारतके प्राचीन धर्मोंका मूल एक-जंसा ही था।

इस प्रकार आप देखेंगे कि इस विद्वान इतिहासज्ञने बिना किसी शका अपवाद किन्तु-परन्तुके उपर्युक्त मन्तव्य व्यक्त किया है। उसने तमाम प्रामाणिक प्रयोग अध्ययन किया ही होगा। इसलिए अगर मैं कोई भूल भी कर रहा हूँ तो वह भूल अधिक अच्छे व्यक्तियोंने भी की है। और यह विश्वास, गलत हो या सही, उन लोगोंकी प्रवृत्तियोंके आधारका नाम करता है, जो दानो जातियोंके हृदयोंको जोड़नेका प्रयत्न कर रहे हैं। ये जातियाँ कानूनी और बाह्य रूपसे तो एक शब्देने नीचे परस्पर एक-दूसरेसे बँधी हुई हैं ही।

उपनिवेशमें नामान्वयत यह विश्वास फैला हुआ दीगता है कि अगर भारतीय बेहतर लोग हों भी तो ये बचरो या आफ्रिकाके देशी लोगोंसे बेहतर नहीं

हैं। बच्चो तकवो ऐसा ही विस्वास करना सिखाया जाता है। परिणाम यह है कि भारतीयोंको निरे बाफ़िरोकी हैसियतमें नीचे ढकेला जा रहा है।

मेरा पक्का विस्वास है कि उपनिवेशका ईसाई विधानमण्डल जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा होने और कायम रहने नहीं देगा। इसी भरोसेपर मैं निम्नलिखित विपुल उद्धरण दे रहा हूँ। इनसे एकदम मालूम हो जायेगा कि हम औद्योगिक, बौद्धिक, भाष्यात्मक आदि जीवनके विभिन्न अगामें उनके ऐंग्लो-मैक्सन भाइयोंसे — अगर मैं इस शब्दका उपयोग कर सकूँ तो — किसी बदर ओछे नहीं हैं।

जहाँतक भारतीय दर्शन और धर्मका सम्बन्ध है “इण्डियन एम्पायर” के विद्वान लेखकने सार-रूपमें यह कहा है

ध्यावहारिक धर्मके जो हल ब्राह्मणोंने निकाले थे हैं — तप, दान, यज्ञ और ईश्वरका ध्यान। परन्तु आध्यात्मिक जीवनके ध्यावहारिक प्रदर्शनोंके अलावा धर्मकी बौद्धिक समस्याएँ भी हैं, जैसे कि बुनियाकी बुराईके साथ ईश्वरकी अच्छाईका समन्वय और जीवनमें सुख और दुःखका असम विभाजन। ब्राह्मणोंके दानने इन समस्याओंके, और अधिकतर भारी समस्याओंके, हल खोज निकाले हैं, जब कि यूनानी और रोमन श्रद्धिपों, मध्यकालीन आचार्यों और आधुनिक धर्मशास्त्रियोंको (टाइपमें फव मने किया है) इन्होंने उलझनमें डाले रखा है। उन्होंने सृष्टि, व्यवस्था और विश्वासकी विभिन्न कल्पनाओंमें से प्रत्येकका विस्तार किया है, और आधुनिक शरीर-शास्त्रियोंके विचार नई सूझबूझके साथ हमें कपिलके विकास-सिद्धान्तकी ही ओर वापस ले जानेवाले हैं। (यहाँ भी टाइपका फव मेरा ही है)। १८७७ में भारतकी विविध भाषाओंमें १,१९२ धार्मिक ग्रन्थ और, उनके अलावा, ५६ ग्रन्थ तत्त्वज्ञान पर प्रकाशित हुए। १८८२ में धार्मिक ग्रन्थोंकी कुल संख्या १,५४५ और तत्त्वज्ञानके ग्रन्थोंकी १५३ तक बढ़ गई।

भारतीय दर्शनके बारेमें मैक्समूलरने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं। (यह अर्थ और कुछ दूसरे अर्थ भी मताधिकार-प्राथम्यत्वमें अशत या पूर्णतः उद्धृत किये गये हैं)

अगर मुझसे पूछा जाये कि किस देशके मनुष्योंके मानसने अपने कुछ सर्वोत्तम गुणोंका अधिकसे अधिक पूर्ण विकास किया है, जीवनकी बड़ीसे



बड़ी समस्याओं पर अत्यन्त गभीरताके साथ विचार किया है और उनके ऐसे हल प्राप्त किये हैं, जो प्लेटो और फाटके दशकोंका अध्ययन किये हुए लोगोंके लिए बखूबी विचार करने योग्य हैं, तो मैं भारतकी ओर इति कहेगा। और अगर मुझे अपने-आपसे पूछना हो कि यूरोपके हम लोग, जो लगभग यूनानों, रोमन और एक सेमिटिक जाति — यहूदी — के विचारों मात्र पर ही पालित-पोषित हुए हैं, वह सशोधन कहींके साहित्यसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे जीवनकी अधिक परिपक्व, अधिक व्यापक, अधिक सार्वभौमिक, वरसल अधिक सच्चे रूपमें मानवीय — न केवल इस जन्मके लिए जीवन, बल्कि तमाम जन्मोंके लिए रूपान्तरित व सनातन जीवन — बनानेके लिए नितांत आवश्यक है, तो फिर भी मैं भारतकी ही ओर सकेत करूँगा।

जर्मन दार्शनिक शोपेनहारने उपनिषदोंमें निहित भारतीय दर्शनकी भव्यता पर यह साक्षी दी है

एक-एक वाक्यसे मौलिक और उदात्त विचार उदित होते हैं और सम्पूर्ण वस्तु एक उच्च, पवित्र तथा उत्कट भावनासे व्याप्त है। हम भारतीय वातावरण और सगोत्र आत्माओंके मौलिक विचारोंमें निमज्जन करन लगते हैं। सारे ससारमें मूल तत्त्वोंको छोड़कर और किसी वस्तुका अध्ययन इतना लाभदायक और इतना उन्नयनकारी नहीं है, जितना कि उपनिषदोंका। उससे मुझे जीवनमें समाधान मिला है और मृत्युमें भी समाधान मिलेगा।

विज्ञानके विषयमें सर विलियमका कथन है

पश्चिमके घटाकरण जब भाषा विज्ञानका विवेचन आकस्मिक समानताओंके आधार पर कर रहे थे, उस समय भारतमें उसे मूलभूत सिद्धांतोंका रूप मिल चुका था। आधुनिक भाषा विज्ञानका आरंभ तो तब हुआ जब यूरोपीय विद्वानोंने सस्कृतका अध्ययन किया। पाणिनिके व्याकरणका स्थान ससारके व्याकरणोंमें सर्वोच्च है। सम्पूर्ण सस्कृत भाषाको उसका द्वारा एक त्वसगत और व्यवस्थित रूपमें प्रस्तुत कर दिया गया है। और

वह मानवीय आविष्कार और उद्योगकी एक शानदार सिद्धिके रूपमें देवीप्यमान है।

सर एच० एस० मेन अपने रीड-व्याख्यानमें, जो विलेज कम्युनिटीजके नवीनतम सस्करणमें प्रकाशित हुआ है, विज्ञानके उसी अग पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं

भारतने दुनियाको तुलनात्मक भाषाशास्त्र दिया है और ऐसी पौराणिक कथा-सामग्री भी प्रदान की है, जिससे पुराणोका तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हुआ है। वह अभी एक और नया शास्त्र दे सकता है। उसका महत्व भाषाशास्त्र और लोककथाशास्त्रसे कम न होगा। मुझे उसको तुलनात्मक न्यायशास्त्र कहनेमें सकोच है, क्योंकि यदि कभी उसका आविर्भाव हुआ तो उसका क्षेत्र कानूनके क्षेत्रसे बहुत विस्तृत होगा। कारण यह है कि, भारतमें एक ऐसी आर्य भाषा मौजूद है (या, अधिक सही, मौजूद रही है), जो उसी सबसामान्य मातृभाषासे निकली अथ सब भाषाओसे पुरानी है। उसके पास प्राकृतिक पदार्थोंके ऐसे अनेकानेक नाम भी ह, जो काल्पनिक व्यक्तियोंके अर्थमें उतने रूढ़ नहीं हुए, जितने कि अथ स्यानाके नाम हो गये ह। इसके अलावा, असह्य आय सत्याएँ, आय प्रथाएँ, आय कानून, आय विचार और आर्य विश्वास उसके पास सुरक्षित ह। उसकी सीमाके बाहर इनमें से जो वस्तुएँ अब भी अवशिष्ट रह गई ह, उन सबकी अपेक्षा ये विकास तथा वृद्धिकी अधिक प्राचीन अवस्थामें ह।

भारतीय ज्योतिषके बारेमें वही इतिहासकार [हटर] कहता है

ब्राह्मणोंके ज्योतिषकी कभी बहुत अधिक सराहना हुई है, कभी अनुचित तिरस्कार हुआ है। कुछ बातोंमें ब्राह्मण यूनानी ज्योतिषसे आगे बढ़ गये थे। उनकी कीर्ति सारे पश्चिममें फली और उसे 'क्रानिकन पास्केल' में स्थान मिला। आठवीं और नौवीं शताब्दीमें अरब लोग उनके शिष्य बन गये।

१ इसाईयांकी पौराणिक पुस्तक, जिसमें आदमसे लेकर सन् ६२९ ई० तक की सृष्टि-कथाका काल क्रम दिया गया है। माना जाता है कि यह सन् ६१० से ६४१ के बीच लिखी गई थी।

बीजगणित और अकगणितमें (मैं फिर सर विलियमका ही उद्धरण दे रहा हूँ) ब्राह्मणोंने पश्चिमी सहायताके बिना स्वतंत्र रूपसे जैव द्रव्यकी दक्षता प्राप्त कर ली थी। दशमलय प्रणालीके आविष्कारका उनका हम पर श्रेष्ठ है। अरबोंने ये अंक हिन्दुओंसे प्राप्त करके यूरोपमें फलाये।

गणित और यंत्रशास्त्र पर भारतीय भाषाओंमें प्रकाशित प्रयोगोंकी सख्या १८७७ में ८९ और १८८२ में १६६ थी।

वही प्रतिष्ठित इतिहासकार आगे लिखता है

ब्राह्मणोंने चिकित्साशास्त्रका विकास भी स्वतंत्र रूपसे किया। पाणिनिके व्याकरणमें विशेष रोगोंके जो नाम पाये जाते हैं, उनसे मालूम होता है कि चिकित्साशास्त्रका विकास उसके काल (सन् ३५० ईसापूर्व) के पहले हो चुका था। अरब चिकित्सा प्रणालीकी आधारशिला संस्कृत प्रयोगोंके अनुवादों पर रखी गई। यूरोपीय चिकित्साशास्त्रका आधार १७वीं शताब्दी तक अरब चिकित्साशास्त्र ही था। १८७७ में भारतीय भाषाओंमें चिकित्साशास्त्र पर १३० और १८८२ में २१२ ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे। प्राकृतिक विज्ञान पर जो ८७ ग्रन्थ प्रकाशित हुए वे इनमें शामिल नहीं हैं।

युद्ध-कला पर लिखते हुए लेखक कहता है

ब्राह्मण लोग केवल चिकित्साशास्त्रकी ही नहीं, बल्कि युद्धकला, संगीत और शिल्पकलाके भी अपने देव प्रेरित ज्ञानके पूरक अंग समझते थे। संस्कृत महाकाव्योंसे सिद्ध होता है कि युद्धकलाकी ईसाके जन्मके पूर्व ही एक सर्वमाय विज्ञानकी अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। बादमें लिखे गये अग्नि पुराण में लम्बे-लम्बे परिच्छेदोंमें उसका व्यवस्थित वर्णन किया गया है।

भारतीय संगीतकलाका प्रभाव अधिक व्यापक हुए बिना रह नहीं सकता था। यह स्वरलिपि ब्राह्मणोंके पाससे ईरानियोंके द्वारा अरब पद्यकी वृत्तिसिद्धि माइबो व आरेजोने ११वीं शताब्दीके आरम्भमें इसे यूरोपीय संगीतमें दाखिल किया।

स्यापत्य-कला पर वही लेखक कहता है

भारतके बौद्ध लोग पत्थरकी भवन निर्माण कलामें अत्यन्त कुशल थे। उनके विहार और मठ बाईस शताब्दियोंके कला-इतिहासका परिचय देनेवाले हैं, जो पयतगिलाओकी काट कर बनाये गये प्राचीनतम गुहा-मंदिरोंसे लेकर ईट-चूनेके घने, झलमलाते हुए और अलकारोंसे अति-सज्जित आधुनिकतम जन मंदिरों तकमें सुव्यक्त है। असम्भव नहीं कि यूरोपके गिरजाघरोंकी मोनारें बौद्ध स्तूपोंसे ही विकसित हुई हो। हिन्दू कलाकारोंने ऐसे स्मारक बना रखे हैं, जो इस युगमें बरबस हमें कौतूहल और आश्चर्यमें डाल देते हैं।

दक्षिण भारतके अनेक हिन्दू मंदिरोंके साथ साथ, ग्वालियरके राजमहलकी हिन्दू स्यापत्य-कला, भारतीय मुसलमानोंकी मसजिदें और दिल्ली तथा आगराके मकबरे अपने सौन्दर्य, स्तूपरेखा और प्रचुर अलकार-सम्पत्तिमें कोई सानी नहीं रखते।

हमारे युगकी ब्रिटिश अलकरण-कलाने भारतीय आकृतियों और नमूनोंसे बहुत-कुछ ग्रहण किया है। सच्चे स्वदेशी नमूनोंकी भारतीय कलाकृतियोंका अब भी यूरोपकी अन्तर्राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनियांमें अधिकतम सम्मान होता है। एडू वार्नोर्गीने अपनी पुस्तक राउड द वर्ल्ड [ससार-भ्रमण] में आगराके राजमहलके बारेमें लिखा है

कुछ विषय इतने पवित्र होते हैं कि उनका विश्लेषण तो क्या, वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और अब मैं मनुष्यकी बनाई एक ऐसी इमारतकी जानता हूँ, जिसकी उत्कृष्टता या अलौकिकताने उसे ऐसे ही पवित्र क्षेत्रमें उठा दिया है। ताजमहल हलके मखनिया सगममरका बना है, जिससे वह दशककी ठिठुरा नहीं देता, जसा कि शुद्ध ठंडा सफेद सगममर करता है। वह स्त्रीके समान गरमाहट देनेवाला और हमदब है। एक महान समालोचकने ताजमहलको मुक्त भावसे स्त्रीत्वमय कहा है। वह कहता है कि उसमें पौरुषेय कुछ नहीं है, उसकी सम्पूर्ण रम्यता स्त्री तुलभ है। इस मखनिया सगममरमें सगमूसाकी धारीक काली रेखाओंकी पच्चीकारी की गई है और, कहा जाता है, इस प्रकार अरबी लिपिमें पूरीकी पूरी कुरानशरीफ

अकित कर दी गई है। चाहे पहाड़ी झरनोके बीच हो, चाहे छिटकी हुई चाँदनीमें और चाहे जगलमें सँर करते हुए हो, जबतक म भरता नहीं, जहा-कहीं भी और जब-कभी भी ऐसा मनोभाव पदा होगा, जिसमें अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त उन्नत, अत्यन्त शुद्ध सब-कुछ शान्त स्थिर मानस पर अपना तेज धरसानेके लिए लौटता है, तब और तहा ही मेरी सचित निधियोंमें उस सुकुमार भोहिनी — उस ताजमहलकी स्मृति पाई जायेगी।

और ऐसा भी नहीं कि भारतमें उसके-अपने सहित या असहित कानून न हो। मनुकी व्यवस्थाएँ सदासे अपने 'याय और अचूकताके लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी न्याय भावनासे सर एच० एस० मेन इतने प्रभावित दिखलाई पडते हैं कि उन्होंन उनका बखान इन शब्दोंमें किया है — "ब्राह्मणोंके मतानुसार, कानून क्या होना चाहिए इसका आदर्श चित्र।" श्री पिनकाटने १८९१ में नेशनल रिव्यूमें लेख लिखकर उनको "मनुके दार्शनिक उपदेश" कहा है।

नाट्यकालमें भी भारतीय ओछे नहीं रहे। सबसे प्रसिद्ध भारतीय नाटक "शाकुन्तल"का वणन गेटेने इस प्रकार किया है

यदि तुम नववसंतके पुष्प और प्रौढ़  
मधुऋतुकी फलराशि  
और हृदयको आनंदविभोर, मृग, पुष्ट  
और तुष्ट करनेवाले सर्वस्वको  
देखना चाहते हो,  
यदि तुम स्वर्लोक और भूलोकको  
एक ही नाममें एकीभूत हुआ  
देखना चाहते हो,  
तो, हे शकुन्तला! मैं तेरा नाम लेता हूँ —  
और इतना ही कहना सब-कुछ कह देना है।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> Wouldst thou the young year's blossoms  
and the fruits of its decline  
And all by which the soul is charmed  
enraptured feasted fed  
Wouldst thou the earth  
and heaven in itself in one sole name combine?  
I name thee O Shakuntala! and all at once is said

भारतीय चारित्र्य और सामाजिक जीवनके बारेमें तो राशि-के-राशि प्रमाण मौजूद हैं। म सक्षिप्त उद्धरण-मात्र द मक्ता हैं।

हटरकी इण्डियन एम्पायर नामक पुस्तकसे ही मैं निम्नलिखित अंग उद्धृत करना हूँ

यूनानका प्रतिनिधित्व करनेवाले यात्री (मगेस्थनीज) ने भारतमें गुलामीके अभाव और स्त्रियोंके सतीत्य तथा पुरुषोंकी घोरताको कौतूहलमय सराहनाके साथ देखा। पराक्रममें वे एशियाके शीव सब लोगोंसे बड़े-बड़े थे, उन्हें अपने दरवाजोंमें ताले लगानेकी जरूरत नहीं होती थी, सबसे ऊपर, कोई भारतीय कभी झूठ बोलता नहीं पाया जाता था। वे सपनी और उद्योगी थे, अच्छे किसान और कुशल कारीगर थे। वे शायद ही कभी मुकदमे-बाजीका आशय लेते थे और अपने स्वयंके मुत्तियोंके अधीन शान्तिपूषक जीवन-निर्वाह करते थे। राजाके शासनका चित्र मगेस्थनीजने लगभग वसा ही खींचा है, जसा कि मनुने बताया है — पारिपदो और सनिकोकी वंशपरम्परागत जातियोंके साथ। ग्राम-व्यवस्थाका वर्णन बड़ी भली भाँति किया गया है। प्रत्येक छोटा-छोटा गाँव उस यूनानीको एक स्वतन्त्र गणराज्य दीखता था। (टाइपका अन्तर मैंने किया है)।

विशप हेबर भारतीय जनताके बारेमें कहते हैं

जहाँतक उनके स्वाभाविक चारित्र्यका सम्बन्ध है, समग्रत मेरा बहुत अनुकूल अभिप्राय बना है। वे बड़े ऊँचे और बहादुराना साहसवाले पुरुष ह — शिष्ट, बुद्धिमान, और ज्ञान तथा सुधारके लिए अत्यन्त उत्सुक। वे सपनी ह, उद्योगी ह, अपने माता पिताके प्रति कृतव्यनिष्ठ और अपने बच्चोंके प्रति स्नेहशील ह। स्वभावमें वे लगभग एक जैसे राज्जन और धर्मवान ह। उनके प्रति यदि कोई कृपा दिखाता है और उनकी जरूरतों या भावनाओंका खयाल करता देखता है तो वे, जिन दूसरे लोगोंसे भी म मिला हूँ, लगभग उन सभीकी अपेक्षा ज्यादा आसानीसे प्रभावित हो जाते ह।

मद्रासवे एकवालीन गवनर सर टामग मनरोका वयन है

में ठीक-ठीक समझता नहीं कि भारतके लोगोंको सम्य बनानेका क्या क्या है। अच्छे शासनके सिद्धान्त और व्यवहारमें सम्भव है वे कम उतरें, परन्तु यदि एक अच्छी कृषि प्रणाली, अद्वितीय मान्य तयार करना, सुविधा और विलासकी सामग्री उत्पन्न करनेकी शक्ति, लिखने-पढ़नेके लिए पाठ शालाओकी स्थापना, व्यालुता तथा आतिथ्यके साम्राय व्यवहार और, सयते ऊपर, स्थिरपैकि प्रति विवेकपूर्ण सम्मान और कोमलताकी गिनती उन विषयोंमें हैं, जिनसे लोगोंकी सम्यता जानी जानी है, तो हिन्दू लोग यूरोपके लोगोंसे सम्यतामें ओछे नहीं ह।

भारतीयोंने साधारण चारित्र्य पर सर जाज बटवुडने निम्नलिखित यन व्यक्त किया है

वे लम्बे समय तक कष्ट सहनेवाले और धमवान, मजबूत और डट रहनेवाले, कममें गुजारा करनेवाले और उद्योगी, कानूनका पालन करनेवाले और शान्तिप्रिय ह। शिक्षित और उच्चतर व्यापारी वर्गके लोग ईमानदार और सच्चे ह। जितने निरपेक्ष अयमें मैं शब्दोंका उपयोग कर सकता हूँ उतने अयमें वे ब्रिटिश सरकारके प्रति कफादार और भास्या रहनेवाले ह। और इन शब्दोंको आप समझते ह। नैतिक सत्यनिष्ठा बम्बईके (इंवे) सेठिया वर्गका उतना ही बडा गुण है, जितना कि स्वयं ट्यूटानिक जातिका। सशोपमें, भारतके लोग किसी असली अयमें हमसे ओछे नहीं ह। कुछ झूठे — हमारे लिए ही झूठे — भाषणोंसे, जिन पर विश्वास करना हम ढोंग करते ह, नापी जानेवाली बातोंमें तो वे हमसे आगे ही ह।

सर सी० ट्रेवेलियनका वयन है

वे बहुत बडी शासनिक योग्यता, महान धर्म, महान उद्योगशीलता और महान कुशाग्रता तथा बुद्धिके धनी हैं।

कौटुम्बिक सम्बन्धोंके बारेमें सर डब्ल्यू० डब्ल्यू० हटर यह कहते हैं

अंग्रेजों और हिन्दुओंके मनमें कौटुम्बिक हितो और कौटुम्बिक प्रेमका जो स्थान है उसकी दृष्टिसे उन दोनोंके बीच कोई तुलना हो ही नहीं

१. जयन्त, स्कैंडिनेवियन और ऐंग्लो सैक्सन ।

सकती। बच्चोंके प्रति माता पिताके, और माता पिताके प्रति बच्चोंके उस प्रेमका कोई प्रतिरूप इग्लैंडमें शायद ही मिलेगा। हमारे पुर्याय नागरिक बच्चुओंमें मातृ-पितृ प्रेम और अपत्य प्रेमका यह स्थान है जो इस देशमें स्त्री-पुरुषके बीचकी घासनाने ले रखा है।

और श्री पिनकाटका खयाल है कि

तमाम सामाजिक घातोंमें अप्रेज लोग हिन्दुओंके गुह बननेके प्रयत्न करनेकी अपेक्षा उनके घरणोंके पास बंठने और शिष्य बनकर उनसे शिक्षा लेनेके ही बहुत अधिक योग्य ह।

एम० लुई जेवोलियट कहता है

प्राचीन भारतकी भूमि, मानव जातिका पालना, तेरी जय हो! जय हो, अयि कुशल घात्री, तेरी, जिसे शताब्दियोंके श्रूर आक्रमण अबतक विस्मृतिकी धूलमें दबा नहीं सके। अयि श्रद्धा, प्रेम, काव्य और विज्ञानकी मानुभूमि, तेरी जय हो! हम अपने पश्चिमके नवियुगमें तेरे अतीतके पुनजन्मका स्वागत करें!

विक्टर ह्यूगा कहता है

इन राष्ट्रों — फ्रांस और जर्मनीने यूरोपका निर्माण किया है। पश्चिमके लिए जमनी जो-कुछ है, वही पूर्वके लिए भारत है।

इसमें ये तथ्य भी जोड़ लीजिए कि भारतने बुद्धका जन्म दिया है, जिनके जीवनकी कुछ लोग तमाम मनुष्योंके जीवनमें श्रेष्ठ और पवित्रतम मानते हैं, और कुछ केवल ईसाके जीवनसे दायम बताते हैं, कि भारतने ऐसे अकबरको जन्म दिया है, जिसकी नीतिका ब्रिटिश सरकारने इनेगिने सशोधनोंके साथ अनुसरण किया है, कि अभी थोड़े ही वष पहले भारतने एक ऐसे पारसी बैरोनेट को खोया है, जिसने अपनी दानशीलतासे न केवल भारतको, बरन् इग्लैंडको भी आश्चर्य-चकित कर दिया था, कि भारतने पत्रकार क्रिस्टोदास पालको जन्म दिया है, जिनकी वर्तमान वाइसराय लाड एलगिनने यूरोपके सर्व-श्रेष्ठ पत्रकारोंसे तुलना की है, कि भारतने 'यायमूर्ति मोहम्मद और न्यायमूर्ति



मद्रासके एककालीन गवर्नर सर टामस मनरोका कथन है

मैं ठीक-ठीक समझता नहीं कि भारतके लोगोंको सम्य बनानेका अर्थ क्या है। अच्छे शासनके सिद्धान्त और व्यवहारमें सम्भव है वे कम उतरें, परन्तु यदि एक अच्छी कृषि-प्रणाली, अद्वितीय माल तयार करना, सुविधा और विलासकी सामग्री उत्पन्न करनेकी शक्ति, लिखने-पढ़नेके लिए पाठशालाओकी स्थापना, वधालुता तथा आत्मिकताके सामान्य व्यवहार और सबसे ऊपर, सित्रयोंके प्रति विवेकपूर्ण सम्मान और कोमलताकी गिनती उन विषयोंमें है, जिनसे लोगोंकी सम्यता जानी जाती है, तो हिन्दू लोग यूरोपके लोगोंसे सम्यतामें ओछे नहीं हैं।

भारतीयोंके साधारण चरित्र पर सर जार्ज ब्रडबुडने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है

वे लम्बे समय तक कष्ट सहनेवाले और धैर्यवान, मजबूत और इडे रहनेवाले, कममें गुजारा करनेवाले और उद्योगी, कानूनका पालन करनेवाले और शान्तिप्रिय ह। शिक्षित और उच्चतर व्यापारी वर्गके लोग ईमानदार और सच्चे हैं। जितने निरपेक्ष अर्थमें वे शब्दोंका उपयोग कर सकते हैं उतने अर्थमें वे ब्रिटिश सरकारके प्रति वफादार और आस्था रखनेवाले हैं। और इन शब्दोंको आप समझते ह। नतिक सरयनिष्ठा बम्बईके (ऊँचे) सेठिया वर्गका उतना ही बड़ा गुण है, जितना कि स्वयं टिपूटानिक' जातिवा। संक्षेपमें, भारतके लोग किसी असली अर्थमें हमसे ओछे नहीं हैं। कुछ झूठे — हमारे लिए ही झूठे — भाषणोंसे, जिन पर विश्वास करनेका हम डोंग करते हैं, नापी जानेवाली बातोंमें तो वे हमसे आगे ही हैं।

सर सी० ट्रेवेलियनका कथन है

वे बहुत बड़ी शासनिक योग्यता, महान धैर्य, महान उद्योगशीलता और महान कुशाग्रता तथा वृद्धिके धनी हैं।

कौटुम्बिक सम्बन्धोंके बारेमें सर डब्ल्यू० डब्ल्यू० हटर यह कहते हैं

अंग्रेजों और हिन्दुओंके मनमें कौटुम्बिक हितों और कौटुम्बिक प्रेमका जो स्थान है उसकी दृष्टिसे उन दोनोंके बीच कोई तुलना हो ही नहीं

सकती। बच्चोंके प्रति माता-पिताके, और माता पिताके प्रति बच्चोंके उस प्रेमका कोई प्रतिरूप इंग्लैंडमें शायद ही मिलेगा। हमारे पूर्वाप नागरिक बंधुओंमें मातृ-पितृ प्रेम और अपत्य प्रेमका वह स्यान् है जो इस देशमें स्त्री-पुरुषके बीचकी यातनाने ले रखा है।

और श्री पिनकाटका खयाल है कि

तमाम सामाजिक यातामें अंग्रेज लोग हिन्दुओंके गुरु बननेके प्रयत्न करनेकी अपेक्षा उनके घरणाके पास बैठने और शिष्य बनकर उनसे शिक्षा लेनेके ही बहुत अधिक योग्य हैं।

एम० लुई जेकोलियट कहता है

प्राचीन भारतकी भूमि, मानव जातिका पालना, तेरी जय हो! जय हो, अथि कुशल धात्री, तेरी, जिसे शताब्दियोंके क्रूर आक्रमण अबतक विस्मृतिकी धूलमें दबा नहीं सके। अथि श्रद्धा, प्रेम, काव्य और विज्ञानकी मातृभूमि, तेरी जय हो! हम अपने पश्चिमके भविष्यमें तेरे अतीतके पुनर्जन्मका स्वागत करें!

विक्टर ह्यूगो कहता है

इन राष्ट्रों — फ्रांस और जर्मनीने यूरोपका निर्माण किया है। पश्चिमके लिए जमनी जो-कुछ है, वही पूवके लिए भारत है।

इसमें ये तथ्य भी जोड़ लीजिए कि भारतने बुद्धका जन्म दिया है, जिनके जीवनको कुछ लोग तमाम मनुष्योंके जीवनमें श्रेष्ठ और पवित्रतम मानते हैं, और कुछ केवल ईसाके जीवनसे दोगुना बताते हैं, कि भारतने ऐसे अक्षरका जन्म दिया है, जिसकी नीतिका ब्रिटिश सरकारने इनेगिने सशोधनोंके साथ अनुसरण किया है, कि अभी थोड़े ही वष पहले भारतने एक ऐसे पारसी बैरोनेट'को खोया है, जिनने अपनी दानशीलतासे न केवल भारतको, वरन् इंग्लैंडको भी आश्चर्य-चकित कर दिया था, कि भारतने पत्रकार फिस्टोदास पालको जन्म दिया है, जिसकी वर्तमान बाइसराय लाड एलगिनने यूरोपके सर्वश्रेष्ठ पत्रकारास तुलना की है, कि भारतने न्यायमूर्ति मोहम्मद और न्यायमूर्ति

मुमुक्षुष्ण ऐयर'को जन्म दिया है, जो दोना भारतके उच्च न्यायालयके न्यायाधीश हैं और जिनके फैसले भारतके उच्च न्यायालयमें न्यायाधीशके आसनको सुशोभित करनेवाले भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशोंके नियुक्तिमें सबसे योग्य माने गये हैं, और, आखिरमें, भारतमें बंदरूद्दीन [तियबजी], [मुन्देन्द्रनाथ] बनर्जी और [फोराजशाह] मेहता जैसे वक्ता हैं, जिन्होंने अनेक अवसर पर इंग्लिस्तानके श्रोताओंको मंत्रमुग्ध किया है।

ऐसा है भारत। अगर यह चित्र आपका कुछ अतिरिजित अथवा लहरी मालूम होता हो, तो भी यह सच्चा है। अवश्य ही इसका दूसरा पहलू भी है। अगर उस पहलूका चित्रण वह करे, जिसे दोना राष्ट्रोंको मिलानेकी अपेक्षा अल्प करनेमें आनन्द मिलता हो। वादमें आप डैनिएलकी निष्पक्षतासे दानाका परखें। मेरा दावा है कि तब भी ऊपर कही हुई बातोंका भारी अंश अधुणा रहेगा और वह आपको विश्वास दिला देगा कि भारत आफ्रिका नहीं है, वह सम्यता शब्दके शुद्धतम अर्थमें एक सम्य देश है।

तथापि, इस विषयको समाप्त करनेके पहले मैं एक सम्भव आपत्तिको ताड़ लेनेकी इजाजत मांगता हूँ। वह होगी "आप जो कह रहे हैं वह अगर सत्य है, तो इस उपनिवेशके जिन लोगोंका आप भारतीय कहते हैं वे भारतीय नहीं हैं। कारण यह है कि उनके आचार-व्यवहारसे आपके मन्तव्यको पुष्टि नहीं होती। देखिए, कैसे ठेठ झूठे हैं वे।" इस उपनिवेशमें मैं जिससे भी मिला हूँ, हरएकने भारतीयोंकी असत्यवादिताकी बात कही है। कुछ हदतक मैं इस आरोपको स्वीकार भी करता हूँ। परन्तु अगर मैं इस आपत्तिका उत्तर यह कहकर दू कि दूसरे वग भी, खास तौरसे इन अभागे भारतीयोंकी हालतमें रख जानेपर, ज्यादा अच्छे नहीं ठहरते, तो यह मेरे लिए बड़े अल्प सतोषकी बात होगी। फिर भी, अदेशा है कि मुझे उम तरहके तकका सहारा लेना ही होगा। मैं चाहूँ तो बहुत कि वे ऐसे न हों, परन्तु यह सिद्ध करनेमें अपनी पूरी लगन तथा कबूल करता हूँ कि वे मनुष्य नहीं, मनुष्यसे कुछ ज्यादा हैं। वे भुखमरीकी मजदूरी पर नेटाल आये हैं (मेरा मतलब सिर्फ गिरनिग्ना भारतीयोंसे है)। वे अपने-आपको एक विचित्र स्थिति और प्रतिबन्ध बना करणमें पाते हैं। जिस क्षण वे भारतसे खाना होते हैं, उसी क्षणसे, अगर वे उपनिवेशमें बस जाते हैं तो, सारे जीवन उन्हें बिना किसी नतिक सिपाके

रहना पडता है। हिन्दू हो या मुसलमान, उन्हें नाम-लायक कोई नैतिक या धार्मिक शिक्षा बिलकुल ही नहीं दी जाती। और वे खुद इतने पढे लिखे हाते नहीं कि दूसरोंकी सहायताके बिना स्वयं शिक्षा प्राप्त कर लें। ऐसी हालतमें वे झूठ बोलनेके छोटेसे छोटे प्रलोभनके भी शिकार हो सकने हैं। होते-हाते उन्हें झूठ बोलनेकी लत पड जाती है, बीमारी हो जाती है। वे बिना किसी कारणके, बिना किसी फायदेकी आशाके, झूठ बोलने लगते हैं। सचमुच तो वे जानते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वे जिन्दगीकी एक ऐसी भजिल पर पहुँच जाते हैं, जहाँ कि उनकी नैतिक शक्तियाँ उपेक्षाके कारण बिलकुल मद पड जाती हैं। झूठ बोलनेका दूसरा एक बहुत दुःखद रूप भी है। अपने मालिक द्वारा सताये जानेके डरसे वे अपने उन भाइयोंके लिए भी सच बोलनेका साहस नहीं करते, जिन्हें दुराग्रहपूर्वक सताया जाता है। अपने मालिकोंने खिलाफ गवाही देनेका साहस करनेपर उनकी रूबी-सूखी खुराकमें कटौती कर दी जाये और उन्हें कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाये तो उसे समचित्तसे सहन करने योग्य तत्त्वज्ञानी वृत्तिवाले तो वे नहीं हैं। तब क्या उन लोगो पर दया करनेकी अपेक्षा उनका तिरस्कार करना उचित है? क्या उनके साथ दयाके अयोग्य बदमाशो जैसा बरताव किया जायेगा, या उन्हें ऐसे असहाय प्राणी माना जायेगा, जिन्हें हमदर्दीकी बुरी तरहसे जरूरत है? क्या कोई ऐसा बग देखनेमें आता है, जो इसी तरहकी परिस्थितियोंमें उनके समान ही व्यवहार नहीं करेगा?

परन्तु मुझसे पूछा जायेगा कि व्यापारी भी उतने ही झूठे हैं, उनके पक्षमें आप क्या कह सकते हैं? इस विषयमें मेरा निवेदन है कि यह आरोप निराधार है। व्यापार अथवा कानूनका निर्वाह करनेके लिए दूसर बग जितना झूठ बोलते हैं उससे ज्यादा झूठ वे नहीं बोलते। उन्हें बहुत ज्यादा गलत समझा जाता है। पहले तो इसलिए कि वे अग्रेजी भाषा नहीं बोल सकते, दूसरे, उनकी बातोका भाषान्तर बहुत त्रुटिपूर्ण होता है, जिसमें स्वयं दुभाषियोका कोई शेष नहीं है। दुभाषियनि चार भाषाओंमें सफलतापूर्वक उलथा करनेकी कठिन जिम्मेदारी अदा करनेकी अपेक्षा की जाती है। ये भाषाएँ हैं — तमिल, तेलुगु, हिन्दुस्तानी और गुजराती। व्यापारी भारतीय अनिवायत हिन्दुस्तानी या गुजराती बोलते हैं। जो लोग सिर्फ हिन्दुस्तानी बोलते हैं वे ऊँचे दर्जेकी हिन्दुस्तानी बोलते हैं। दुभाषियोमें से एकको छोडकर शेष सब स्थानीय हिन्दुस्तानी बोलते हैं। यह भाषा तमिल, गुजराती और दूसरी भारतीय भाषाओंका एक नहा मिश्रण है, जिसे बहुत गलत हिन्दुस्तानी व्याकरणका जामा पहना दिया

गमा है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि दुभाषियेका गवाहका आशय समझनेके लिए उससे तब-वितक करना पड़ता है। ऐसा होते समय न्यायाधीश अधीर हो उठता है और सोचता है कि गवाह चालबाजी कर रहा है। बेचारे दुभाषिये जब सवाल किया जाता है तो वह, मनुष्य स्वभावके अनुसार ही, अपने सदेव माया-ज्ञानको छिपानेके लिए कह देता है कि गवाह सीधा जवाब नहीं देता। बेचारे गवाहको अपनी स्थिति साफ करकेका कोई मौका नहीं होता। गुजराती बोलनेवालोंके बारेमें तो बात और भी गभीर है। अदालतमें गुजरातीका दुभाषिया एक भी नहीं है। दुभाषिया, बहुत सिगपच्ची करनेके बाद, गवाह जो कुछ कहता है उसका सारमात्र निकाल पाता है। गुजराती बोलनेवाल गवाहको अपनी बात समझानेके लिए और दुभाषियोको उनकी गुजराती हिन्दुस्तानी समझनेके लिए मगजमारी करते हुए मँने खुद देखा है। दुभाषियोंके लिए तो यह भारी श्रेयकी बात है कि वे अनजान शब्दोंके जालसे आशयमात्र भी निकाल लेते हैं। परन्तु जितने समय यह सघप होता है, उतनेमें न्यायाधीश अपने मनमें गवाहके एक शब्द पर भी विश्वास न करनेका फैसला कर लेता है और उस सूझ करार दे देता है।

## ३

अब यह तीसरा प्रश्न — “क्या उनके साथ किया जानेवाला वर्तमान व्यवहार सर्वोत्तम ब्रिटिश परम्पराओ, या न्याय और नीतिके सिद्धान्तों या ईसाई धर्मके सिद्धान्तोंके अनुरूप है?” इसका उत्तर देनेके लिए यह जांच लेना आवश्यक होगा कि उनके साथ किया जानेवाला व्यवहार है कैसा? मैं समझता हूँ कि यह तो फौरन मजूर कर लिया जायेगा कि भारतीयोंके प्रति इस उपनिवेशमें बरा तीव्र द्वेष है। साधारण लोग भी उनसे द्वेष करते हैं, उन्हें कोसते हैं, ऊपर थूकते हैं और अक्सर उन्हें पैदल-मटरियोंसे बाहर ढकेल देते हैं। अखबारोंको तो मानो उनकी निन्दा करनेके लिए अच्छेसे अच्छे अंग्रेजी कोशमें भी काफी जोरदार शब्द ढूँढे नहीं मिलते। कुछ उदाहरण लीजिए — “सच्चा पुन जो समाजका कलेजा ही खाये जा रहा है”, “वे परोपजीवी”, “मक्कार, मुए अर्ध-बरा एशियाटिक”, “दुबली और काली, कोई चीज निराली, सफाई न निकली छू, वहाते मुए हिन्दू”, “मरा नाक तक बुराइयोंसे, जीता सा तन्दूल, बोनू दिल भर कर उसको, वह हिन्दू चण्डूल”, “गदे कुलीकी झूठी जवान और घुई आचार। अखबार उन्हें सही नामोंसे पुकारनेसे लगभग एव स्वस्ती इतर

करते हैं। उन्हें "रामीसामी" कहा जाता है, "मिस्टर सामी" कहा जाता है, "मिस्टर कुली" और "ब्लैक मैन" [ काला आदमी ] कह कर पुकारा जाता है। और ये सन्तापवारक उपाधिया इतनी आम बन गई हैं कि इनका प्रयोग (कमसे कम इनमें से एक — "कुली" — का तो अवश्य ही) अशरतकी पवित्र सीमामें भी किया जाता है — मानो, "कुली" कोई बानूनी और व्यक्तिवाचक नाम है, जो किसी भी भारतीयको दिया जा सकता है। लोकपरायण व्यक्ति भी इस शब्दका स्वच्छन्दतासे उपयोग करते दिखाई पड़ते हैं। मैंने ऐसे लोगोंका भी इन दुःखदायी शब्दों — "कुली बलाक" — का प्रयोग करते सुना है, जिनको वस्तुस्थितिका ज्यादा अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये शब्द अपने-आपमें परस्पर-विरोधी हैं और जिसके लिए काममें लाये जाते हैं उसे सन्तापवारक होते हैं। परन्तु इस उपनिवेशमें तो भारतीय ऐसे जानवर हैं, जिन्हें कोई भावनाएँ होती ही नहीं।

द्रामगाडियाँ भारतीयोंके लिए नहीं हैं। रेलवे-कर्मचारी भारतीयोंके साथ जानवरोंके जैसा व्यवहार कर सकते हैं। भारतीय चाहे कितने भी स्वच्छ क्या न हो, उपनिवेशके प्रत्येक गोरे व्यक्तिको उन्हें देखकर ही सन्ताप हो आता है। और वह सन्ताप इतना होता है कि वे छोड़ी देरके लिए भी भारतीयोंके साथ रेलगाडीके एक ही डिब्बेमें बैठना पसन्द नहीं करते। होटलके दरवाजे उनके लिए बन्द हैं। मुझे सम्माननीय भारतीयोंके ऐसे उदाहरण मालूम हैं, जिन्हें रात भरके लिए होटलमें स्थान नहीं मिला। सावजनिक स्नानगृह भी भारतीयोंको उपलब्ध नहीं होते, फिर वे भारतीय कोई भी क्यों न हो।

विभिन्न जायदादोंमें गिरमिटिया भारतीयोंके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहारकी जो रिपोर्टें मुझे मिली हैं उनके दसवें हिस्स पर भी अगर मैं विश्वास करूँ, तो वे उन जायदादोंके मालिकोंकी मनुष्यता और गिरमिटियाके सरक्षक द्वारा की जानेवाली उनकी परवाहके खिलाफ भयानक आरोप-स्वरूप होगी। परन्तु इस विषयका मुझे बहुत सीमित अनुभव है, इसलिए इसपर मैं अधिक विचार व्यक्त नहीं करूँगा।

आवारा-आनून गैरजरूरी तौरपर उत्पीडक है। अक्सर वह प्रतिष्ठित भारतीयोंका बड़ी अडचनमें डाल देता है।

इस सबमें उन अफवाहोंको जोड़ लीजिए जो हवामें फैली हुई हैं। अफवाहोंका सार यह है कि भारतीयोंको पृथक् बस्तियोंमें रहनेके लिए समझाया या बाध्य किया जाये। हो सकता है कि यह सिर्फ इरादा ही हो। फिर भी,

भारतीयोंके खिलाफ यूरोपीयोंकी भावनाआका परिचय ता इससे मिलता ही है। मेरी प्रार्थना है, आप बल्पना करके देखें कि अगर ऐसे सब इरादोंकी पूरा करना सम्भव हो ता नेटालमें भारतीयानी हालत क्या होगी। अब, क्या यह व्यवहार ब्रिटिश न्याय-परम्परा, या नीति या ईसाइयनके अनुरूप है ?

आपकी इजाजतसे मैं मेवालेके विचारका एक अर्थ पेश करता हूँ और इसका निणय आप पर छोडता हूँ कि क्या भारतीयोंके प्रति आज जो व्यवहार हो रहा है, उसे वह पसन्द करता। भारतीयोंके प्रति व्यवहारके विषयमें भाषण करते हुए उसने निम्नलिखित भावनाएँ व्यक्त की थी

म एक सम्पूर्ण समाजको अफीम खिलानेकी, अपने हाथोंमें ईश्वर द्वारा सौंपे हुए एक महान राष्ट्रको सिर्फ इसलिए मदहोश और पगु बना देनेकी सम्मति कभी न दूंगा कि वह हमारे नियंत्रणमें रहनेके अधिक उपयुक्त बन जाये। उस सत्ताका क्या मूल्य, जिसकी नाँव दुर्गुणों पर, अज्ञान पर और दुःख-वेद पर रखी गई हो, जिसका संरक्षण हम उन अत्यन्त पवित्र कृतव्योंको भंग करके ही कर सकते हो, जिनके लिए हम शासकोंकी हैसियतसे शासितोंके प्रति जिम्मेदार ह, और जिन कृतव्योंके रूपमें साथी रणसे अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता और बौद्धिक प्रकाशके घनीके नाते हमें उस जातिका ऋण चुकाना है, जो तीन हजार वर्षके निरंकुश शासन और पुरोहितोंकी घृततासे अघ-पतित हो गई है ? अगर हम मानव-जातिके किसी अंगको अपने ही बराबर स्वतंत्रता और सम्यता प्रदान करनेको तयार नहीं ह, तो हम व्यर्थ ही स्वतंत्र ह, व्यर्थ ही सम्य ह। इसके अलावा, मिल, बक, ग्राइड और फासेट जैसे लेखक भी भारतीयोंके प्रति इस उपनिवेशमें होनेवाले व्यवहारको बरदाश्त नहीं कर सकते थे। यह बतानेके लिए इनकी ओर सकेत कर देना भर काफी होगा।

किसी आदमीको भुखमरीकी मजदूरी पर यहाँ लाना, उसे गुलामीमें जकड़ कर रखना, और जब वह स्वतंत्रताका जरा-सा भी चिह्न दिखाये, या कप दुःख-वेदकी हालतमें रहनेके योग्य हो, तब उसे उसके घर वापस भेज देनी इच्छा करना — जब कि वहाँ जाकर वह अपेक्षाकृत एक अजनबी होगा और शायद अपनी जीविका भी कमा न सकेगा — ब्रिटिश राष्ट्रके स्वामाधिक न्याय या निष्पक्ष व्यवहारका सूचक नहीं है।

भारतीयोंके प्रति किया जानेवाला व्यवहार ईसाइयतके प्रतिकूल है, यह साबित करनेके लिए तबकी आवश्यकता नहीं है। जिस विभूतिने हमें अपने शत्रुओंसे प्रेम करनेकी, और जिसे हमारे षोडकी जरूरत हा उसे अपना चोगा दे देनेकी, और जब बायें गाल पर तमाचा मारा जाये, तब दाहिना गाल सामने कर देनेकी शिक्षा दी, और जिसने यहूदी और गैर-यहूदीके भेदको उखाड़ फेंका, वह ऐसी वृत्तिको कभी बरदास्त नहीं करेगा जा आदमीको इतना अहकारी बनाती है कि वह अपने सहजीवीके स्पर्शसे भी अपने-आपका नापाक हुआ माने।

४

आखिरी प्रश्नकी चर्चा, मैं मानता हूँ पहले प्रश्नकी चर्चामें काफी हो गई है। और अगर प्रत्येक भारतीयको उपनिवेशसे खदेड़ देनेका प्रयोग किया जाये तो व्यक्तिगत रूपसे मुझे बहुत दुःख न होगा। वैसा करने पर, मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि उपनिवेशी लोग शीघ्र ही उम दिनपर मातम मनाने लगेंगे, जब कि उन्होंने यह कदम उठाया होगा। और वे सोचने लगेंगे, कि वैसा न किया जाता तो अच्छा होता। उन्हें खदेड़ देनेपर छोटे-छोटे घरे और जिन्दगीके छोटे-छोटे काम पड़े रहेंगे। जिस कामके लिए वे स्वास तौरसे उपयुक्त हैं, उसे यूरोपीय नहीं करेंगे। और आज भारतीयोंसे उपनिवेशको राजस्वके रूपमें जो भारी रकम प्राप्त होती है, वह खो जायेगी। दक्षिण आफ्रिकाकी आवहवा ऐसी नहीं है, कि उसमें यूरोपीय लोग वे सब काम कर सकें जा यूरोपमें वे सरलतासे कर लेते हैं। तथापि, मैं तो अत्यन्त आदरके साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर भारतीयोंका उपनिवेशमें रखा जाता लाजिमी ही है, तो फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिसके, अपनी योग्यता और ईमानदारीके आधार पर, वे योग्य हों। अर्थात्, वे जिसके अधिकारी हो वह उन्हें दीजिए, आपकी निष्पक्ष और भेद-भावरहित मायबुद्धि जो कमसे कम देनेकी प्रेरणा करे वह उन्हें दीजिये।

अब मुझे आपसे सिर्फ यह प्रार्थना करनी है कि आप इस विषय पर सच्चे दिलसे विचार करें। और मुझे आपको (यहाँ मेरा मतलब सिर्फ अंग्रेजोंसे है) याद दिलाना है कि विधिने अंग्रेजों और भारतीयोंको एक साथ रखा है, और भारतीयोंका भाग्य-सूत्र अंग्रेजोंके हाथमें सापा है। प्रत्येक अंग्रेज भारतीयोंके साथ जैसा बरताव करेगा उस पर ही निर्भर करेगा कि इस एक साथ रखे जानेका परिणाम उदार सहानुभूति, प्रेम, मुक्त पारस्परिक व्यवहार और भारतीय स्वभावके सही जानसे उत्पन्न चिरन्तन ऐक्य हाना ह, या इस एक साथ रखे



जानेको सिर्फ उतने ही समय टिकना है, जबतक कि अंग्रेजोंके पास भारतीयोंके विरुद्ध सशस्त्र विरोध आरम्भ नहीं कर देते। मैं यह याद भी दिलाता हूँ कि इंग्लैंडके अंग्रेजोंने अपने लेग्ना, व्याख्याता और कृतियों द्वारा दिखा दिया है कि उनका आशय दोनों राष्ट्रोंके हृदयोंको एक करनेका है और वे रणभेदमें विश्वास नहीं करते। वे भारतके विनाश पर अपनी उन्नति साधना नहीं, बल्कि उसे अपने साथ-साथ ऊपर उठाना पसन्द करेंगे। इसके समयमें मैं आपको ब्राइट, फोसेट, ग्लैडस्टन, वेडरबन, पिनकाट, रिपन, रे, नाथब्रुक, डफरिन और लोकमतका प्रतिनिधित्व करनेवाले अनेकानेक अन्य अंग्रेजोंके नामोंका हवाला देता हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्रीके विरोध व्यक्त करने पर भी, एक अग्रज मत दाता-क्षेत्रने एक भारतीयको ब्रिटिश लोकसभाका सदस्य चुन दिया है। सारे उदार और अनुदार ब्रिटिश पत्रोंने उस भारतीय सदस्यको उसकी सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने इस अनोखी घटनाकी सराहना भी की है। और, फिर, उदार और अनुदार दोनों दलोंके पूरे सदनने उसका हार्दिक स्वागत किया है। सिर्फ एक इस वस्तुस्थितिको ही ले लिया जाये तो, मेरा निवेदन है, मेरे कथनकी पुष्टि हो जाती है। यह सब देखते हुए आप उनका अनुसरण करेंगे या अपने लिए एक अलग रास्ता बनायेंगे? आप एकताको बढ़ायेंगे, "जो प्रगतिका निमित्त होती है," या वैमनस्यको बढ़ायेंगे, "जो अधःपतनका निमित्त हाता है।"

अन्तमें मेरी प्रार्थना है कि आप इस पत्रको उसी भावनासे ग्रहण करें, जिनसे यह लिखा गया है।

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक,  
मो० क० गांधी

नेटाल मकगे स्टोम प्रिंटिंग प्रेस डबनमें छपी अंग्रेजी पुस्तिकासे।

१ यह उल्लेख १८९३ में मेंटून फिन्सवरी क्षेत्रमें दादाभाई नौरोजीके चुनावका है।

## ४३ पत्र यूरोपीयोंके नाम<sup>१</sup>

धीन प्रोव

डब्लिन

दिसम्बर १९, १८९४

महाशय,

मैं सलमन "खुली चिट्ठी" आपके अवलोकनात्थ भेज रहा हूँ और इसकी विषय-सामग्री पर आपके अभिप्रायकी याचना करता हूँ।

आप घर्मोपदेशक, सम्पादक, लोकसेवक, व्यापारी या वकील, कोई भी हो, यह विषय आपके ध्यानका अपेक्षी है ही। अगर आप घर्मोपदेशक हैं तो, जहाँतक आप ईसाके उपदेशोका निरूपण करते हैं, आपका कतव्य होना चाहिए कि आप अपने सहजीवी भाइयोंके साथ किये जानेवाले किसी भी ऐसे व्यवहारके प्रति, जो ईसाको खुश करनेवाला न हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रकारकी कोई अनुकूलता न दिखायें। अगर आप पत्र-सम्पादक हैं तो भी जिम्मदारी उतनी ही बड़ी है। पत्रकारकी हैसियतसे आप अपने प्रभावका उपयोग मानव-जातिके विकासके लिए कर रहे ह या ह्रासके लिए — यह इम बात पर निभर करेगा कि आप विभिन्न वर्गोंके बीच फूटको उत्तेजना देते हैं, या एकता स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे ह। यही विचार लोकसेवककी स्थितिमें भी आप पर लागू हाने। अगर आप व्यापारी या वकील हैं तो भी आपका अपने ग्राहको या मुक्किलोंके प्रति कुछ कतव्य है, क्योंकि उनसे आप बड़ी मात्रामें आर्थिक लाभ कमाते हैं। यह आपके हाथ है कि आप उनके साथ कुत्तो-जैसा व्यवहार करें या उन्हें अपने सहजीवी भाई मानें, जो उपनिवेशमें भारतीयोंके सम्बन्धमें फले हुए अज्ञानके कारण क्रूरतापूर्ण अत्याचारोंके शिकार बने हुए हैं और इसमें आपकी सहानुभूतिकी अपेक्षा करते हैं। आपका उनके साथ अपेक्षाकृत अधिक निवट सम्पक होता है। इसलिए अवश्य ही आपको उन्हें समझनेका मौका और प्रयोजन भी है। सहानुभूतिकी दृष्टिसे देखने पर शायद वे आपको उस रूपमें देख पड़ेंगे, जिस रूपमें मौका पानेवाले और मौकेका ठीक उपयोग करनेवाले बौसिया और सैकडो यूरोपीयोंने उन्हें देखा है।

१ एक छपा हुआ परिपत्र, जो गांधीजीने नेटालके यूरोपीयोंको भेजा था।

अगर मान लिया जाये कि उपनिवेशवादी भारतीयोंके साथ जैसी इच्छा का जा सकती है, ठीक वैसा व्यवहार नहीं होता, तो क्या यहाँ कोई ऐसे यूरोपीय हैं जो उनके साथ मन्त्रिय सहायुभूति रखें और उन पर दया करें? "सला चिट्ठी" की विषय-सामग्री पर आपके अभिप्रायकी याचना यही तय करतक लिए की गई है।

आपका बकाशर सर,  
मो० क० गांधी

साबरमती-ग्रहालयमें सुरक्षित एवं अप्रोजी नकलसे।

## ४४ भौतिकवादकी अपर्याप्ति

मो० क० गांधी  
एजेंट

द्वितीय  
जनवरी २१, १८९५

एसाॅटरिक क्रिश्चियन यूनियन  
तथा लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी

सेवामें

सम्पादक

नेटाल एडवर्टाइजर

महोदय,

आपके विज्ञापन-स्तम्भोंमें एसाॅटरिक क्रिश्चियन यूनियन और लन्दन वेजिटेरियन सोसाइटी सम्बन्धी जो सूचना छपी है उसकी ओर अगर आप मूर्ख अपने पाठकाका ध्यान आकर्षित करनेका अवसर दें तो मैं आपका आभारी हूँगा।

यूनियन जिस विचारधाराका प्रतिनिधित्व करती है वह दुनियाके सब महान धर्मोंमें एकता और उन सबका एक ही स्रोत बतानेवाली है। जसा कि विभिन्न पुस्तकोंसे भली भाँति ज्ञात हो जायेगा, वह भौतिकवादकी पूर्ण अपर्याप्ति दिखाती है। और भौतिकवादकी तो शैली है कि उसने ससारको एक अनूठे सम्पत्ता प्रदान की है। कहा जाता है उगने मानव-जातिका सबसे बड़ा कल्याण किया है। परन्तु कहनेवाले लोग सुभीतेसे भूल जाते हैं कि उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है — बिनागले भयानकतम अस्त्रोंका आविष्कार, अराजकताकी आरंभ

जनक वृद्धि, पूजापतिया और श्रमिकोंके बीच भयावह झगडे और "नामधारी" विज्ञानके नाम पर निर्दोष, निवाक् प्राणियापर स्वच्छन्द और पैशाचिक क्रूरता।

तथापि अब प्रतिक्रियाके लक्षण भी दिखलाई पडने लगे हैं। थियोसाफिकल सोसाइटी [ब्रह्मविद्या-समाज] की प्रायः अनुपम सफलता और ईसाई धर्मगुरुओं द्वारा मनुष्यके अन्दर निहित पवित्रता या ईश्वरीय अशक्त शक्तें स्वीकार उस प्रतिक्रियाका परिचायक है। प्रोफेसर मैक्समूलरका अवतारवादको स्वीकार करना, जो इतने निर्णायक तरीकेसे परफेक्ट वेमें स्पष्ट किया गया है, उनका यह कथन कि यह विचारधारा इंग्लैंड तथा अन्य देशोंके विचारशील लोगोंके मनमें जड़ें पकड रही है और *द अननोन लाइफ आफ जीजज क्राइस्ट* का प्रकाशन—ये सब तो उस प्रतिक्रियाके और भी बड़े उदाहरण हैं। दक्षिण आफ्रिकामें ये पुस्तकें पाना सम्भव नहीं है, इसलिए इनके बारेमें मेरा नान इनकी समालोचनाएँ पडने तक ही सीमित हैं। मेरा निवेदन है कि ये सब और ऐसे ही दूसरे भी बहुत-से तथ्य अचूक रूपसे बताते हैं कि जिन भौतिक बतियोंने हमें इतनी क्रूरताकी हद तक स्वार्थी बना दिया है उनसे हटकर हम केवल ईसाकी ही नहीं, बल्कि बुद्ध, जगतेश्वर और मोहम्मदकी भी शुद्ध शिक्षाओंकी ओर मुड़ रहे हैं। सम्य जगत अब इनको झूठे पैगम्बर या अवतार कहकर नहीं पुकारता, बल्कि इनकी और ईसाकी शिक्षाओंको एक-दूसरेकी पूरक मानने लगा है।

खेद है कि मैं अभी अन्नाहार-सम्बन्धी पुस्तकोंका विज्ञापन नहीं कर सकता। गलतीसे वे पुस्तकें भारतको भेज दी गई हैं और उनके डबन पहुँचनेमें कुछ समय लगेगा। फिर भी मैं अन्नाहारके गुणोंके बारेमें एक महत्त्वकी बात बता दूँ। बुराईका साधन शराबखोरीसे ज्यादा जोरदार दूसरा नहीं है। मैं यह कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि जो लोग शराबकी तलबसे पीडित रहते हैं, परन्तु उससे छुटकारा पानेके इच्छुक हैं, वे कमसे कम एक मास तक मुख्यतः ब्राउन ब्रेड [बे-छने आटेकी भूरे रंगकी डबल रोटी], सतरो या अगूरके आहार पर रहकर देखें। इससे उनकी शराबकी तलब पूरी तरह मिट जायेगी। मने स्वयं अनेक प्रयोग किये हैं और मैं साक्षी दे सकता हूँ कि मैं बिना मसालेके अन्नाहारपर, जिसमें बड़ी मात्रामें रसीले ताजे फल शामिल थे, अनेक-अनेक दिनों तक रहा

हैं और मुझे पाप, बाफी, षोको और, यहाँतक कि, पानीकी भी जबरत महसूस नहीं हुई। इसी कारण इंग्लैंडमें सैम्ब्रॉ लोण अन्नाहारी बन गये ह और जा कनी पक्के पियकवट थे उन्हें अब शराबकी बू भी नहीं रुचती। डाक्टर वी० डब्ल्यू० रिचाडसनने अपनी पुस्तक फूड फ़र मेनमें शुद्ध शाकाहारको शराबसोरोषा इलाज बताया है। नेटाल-जैसे अपेक्षाकृत गरम देशमें, जहाँ फला और शाकाकी बहुतायत है, खतरहित आहार हर प्रकारसे बहुत लाभदायक होना चाहिए। वैज्ञानिक, स्वच्छता-सम्बन्धी, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे वह मासाहारकी अपेक्षा बेहद बेहतर तो है ही।

कदाचित् यह कहना आवश्यक न होगा कि एसॉटरिक त्रिदिचयन यूनियनका पुस्तकोंकी विप्री आर्थिक लाभके लिए नहीं की जाती। कुछ लागाना तो पुस्तकों मुफ्त बाँट दी गई है। कुछ लोगोको वे पढनेके लिए खुशीसे उबार दी जायेंगा। अगर आपके कोई पाठक एसॉटरिक त्रिदिचयन यूनियन अथवा लंडन वैजिटेरियन सोसाइटीके बारेमें अधिक जानकारी चाहते हों तो मैं खुशीसे उनके साथ पत्र व्यवहार करूँगा। या, अगर कोई मुझसे इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोपर (जा कमत कम मेरे लिए तो बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ही) मुझसे इतमीतानके साथ चर्चा करना चाहे तो भी मुझे खुशी होगी।

एसॉटरिक त्रिदिचयन यूनियनकी शिक्षाओंके बारेमें पादरी जान पुल्लफ़ड, डी० डी० ने जा-कुछ कहा है, उसके साथ मैं अपना यह वक्तव्य समाप्त करूँगा। उन्होंने कहा है

आध्यात्मिक प्रतिभा रखनेवाले पाठकोंके लिए इस बातमें शका करना असम्भव है कि ये शिक्षाएँ दिव्य आवरणके अदरसे प्राप्त हुई हैं। इनमें दिव्य धाम और परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञानका सार लबालब भरा हुआ है। अगर ईसाई लोग अपना धम जानते हों तो उन्हें इन अमूल्य लेखोंमें प्रभु ईसा और उनकी पद्धतिका परिपूर्ण चित्रण और परिपुष्टि देख पडेगी। इस प्रकारके संदेश समभव हैं और ससारको दिये जा सकते ह, यह हमारे मुग़ना एक चिह्न और बहुत आशाप्रद चिह्न है।

आपका, बापि,  
मो० क० गांधी

[ अमेजीमे ]

नेटाल एडवर्टाइजर, १-२-१८९५

## ४५. पत्र दादाभाई नौरोजीको

३२८, रिमथ स्ट्रीट

टउन, नेदाल

जनवरी २१, १८९५

सेवामें

श्रीमान् दादाभाई नौरोजी, सदसद-सदस्य

लदन

श्रीमन्,

यद्यपि सरकार चुप है अखबार जातावो बता रहे ह नि सम्राणीने मता-  
धिकार विधेयकका निषेध कर दिया है। क्या जाए इस विषयमें हमें कोई  
जानबारी दे सकते हैं ?

आपने प्रवासी भारतीयोंकी ओरसे जो कष्ट उठाया उनके लिए वे जायका  
और कांग्रेस कमेटीको जितना भी धन्यवाद दें, थोडा हो गेगा।

आपका बफादार मेवक,

मो० क० गांधी

मैं आपने देखनेके लिए सामने कागजात भेजनेकी कष्टता कर रहा हू।

मो० क० गा०

गांधीजीके अपने हस्ताक्षरोंमें लिखी हुई अंग्रेजी प्रतिनी फोटो-नकलसे।

## ४६ पुस्तकें बिकाऊ

स्वर्गीय डाक्टर एना किंगडफड और श्री एडवड मेटलडवृत निम्नलिखित  
पुस्तके प्रकाशित मूल्य पर बिकाऊ हैं। दक्षिण आफ्रिकामें ये पहली ही बार  
लाई गई है

द परफेक्ट वे	शि० ७/६
क्लोड्ड विद द सन	शि० ७/६
द स्टोरी आफ द न्यू गास्पेल आफ इटरनिटेशन	शि० ३/६
बाइबिल्स ओन एकाउट आफ इटसेल्फ	शि० १/-
द न्यू गास्पेल आफ इटरनिटेशन	शि० १/-

“पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है मानो देव या प्रधान देवदूतकी वाणी सुन रहे हो। साहित्यमें इससे बराबरकी कोई दूसरी कृति मुझे ज्ञात नहीं है (इ परफेक्ट बे)।” — स्वर्गीय सर एफ० एच० डॉइल।

“उन्नीसवीं शताब्दीमें प्रकाशित पुस्तकामें इ परफेक्ट बेका हम सब्ब अधिक ज्ञानपूर्ण और उपयोगी पुस्तक मानते हैं।” — नास्टिक (सयुक्त राज्य अमेरिका)

मो० क० गांधी

एजेंट, एसोसिएट बिशियन यूनिवर्सिटी  
लंदन वेजिग्रियन सोसायटी

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल एडवर्टाइजर, २-२-१८९५

## ४७ मुस्लिम कानून

नेटाल विटनेसने २२-३-१८९५के अरुमें निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी

श्री टैथमने कल सर्वोच्च न्यायालयमें अर्जी दी थी कि इसन दावजीरी बिग बसीयत जायदादके बारेमें अधिकारी (सर्वोच्च न्यायालयके 'मास्टर')की रिपोर्टकी पुष्टि कर दी जाये। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गांधीकी बनाई हुई बैरिवारेकी टर्माज रिपोर्टमें शामिल कर ली गई है। यह तजवीज मुस्लिम कानूनके अनुसार की गई है।

सर वान्दर रैग' इसमें बात सिर्फ इतनी ही है कि श्री गांधी मुस्लिम कानूनके बारेमें कुछ नहीं जानते। वे मुस्लिम कानूनसे उतने ही अपरिचित हैं, बिटन कि कोई भासीनी। उन्होंने जो-कुछ कहा है, उसके लिए उन्हें किताबोंका सारा लेना पना होगा, जैसा कि आप भी कर सकते हैं। उनकी अपनी विशेष जानकारी कुछ नहीं है।

श्री टैथमने कहा कि बैरिवारेकी एक एक तजवीज काजियों और श्री स्पूड हासिल की गई है। इनके अलावा यह और किसके बनवाई जाती, मैं नहीं जानता। विशेषज्ञोंके जो भी प्रमाण उपलब्ध थे उन सबकी ध्यानहीन हमने कर ली है।

१ सर्वोच्च न्यायालयके एक न्यायाधीश ।

सर वाल्टर रैग जो हिस्सा श्री गांधीके कथनानुसार मृत व्यक्तिके भाईको मिल्ना चाहिए वह, मुस्लिम कानूनके अनुसार गरीबोंके हिस्सेमें जाना चाहिए। श्री गांधी एक हिन्दू हैं और वे बेसक अपना धम जानते हैं, मगर मुस्लिम कानूनके बारेमें वे कुछ नहीं जानते।

श्री टैथम सवाल यह है कि हम श्री गांधीका मत माते या काजियोंका ?

सर वाल्टर रैग आपको काजियोंका मत मानना चाहिए। जब भाई साबित कर सकें कि वह गरीबोंका प्रतिनिधित्व करता है सब उसे श्री गांधीके कथनानुसार चँबीसमें से पाँच हिस्सेका हक मिलेगा।

इसकी मालोमता करने हुए गांधीजीने निम्नलिखित लेख लिखा था

दर्शन

माच २३, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल विटनेस

महोदय,

आपके २२ तारीखके अकमें मुस्लिम कानूनके एक मुद्देके सम्बन्धमें सर वाल्टर रैग और श्री टैथमके बीचका वार्तालाप प्रकाशित हुआ है। उसपर, मुझे भरोसा है, न्यायके हितमें आप मुझे कुछ विचार व्यक्त करनेका अवसर देंगे।

मैंने आपके सौजन्यका लाभ उठानेका साहस अपनी सफाई देनेके मशारे नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालयके उस निणयके कारण किया है जो सर वाल्टर रैगके प्रति उचित सम्मान रखते हुए भी, मेरा विश्वास है, मुस्लिम कानूनकी गलत धारणा पर आधारित है और भारतीय बागिन्दोंकी भारी सख्यापर गहरा आघात करनेवाला होगा।

अगर मैं मुसलमान होता और मेरा निर्णय कोई ऐसा मुसलमान करता जिसकी एकमात्र योग्यता यह होती कि वह जन्मे मुसलमान है, तो मुझे बहुत खेद होता। यह तो एक नई बात मालूम हुई कि मुसलमान तो सहज ज्ञानसे ही कानून जानते हैं और कोई गैर-मुसलमान मुस्लिम कानूनके किसी मुद्दे पर कोई मत दे ही नहीं सकता।

अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो, मुझे आश्चर्य है, यह निणय कि भाईको सम्पत्तिके चौबीसमें से पाँच भागोंका हक तभी होगा जब वह "साबित कर सके कि वह गरीबोंका प्रतिनिधि है," भारतमें प्रचलित और कुरानमें बताया गये



मुस्लिम दाननवो उल्ट देवाला होगा। मैंने मैकनाटनकी मोडगमडन का नामव पुस्तकवे चगीयन-सम्बन्धी अध्यायोको ध्यानपूर्वक पढा है। (यह पुस्तक, प्रसंगवश मैं कह दू, एक गर-मुसलमान भारतीयने सम्पादित की है, और श्री विन्स तथा मेसनने भारतसे लौटनेवे बाद इसे मुस्लिम कानून पर एक सबप्रक पुस्तक बताया है।) मैंने कुरानका वह अश भी पढा है, जो इस विषयसे सबब रखता है। इन दोनोंमें मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं पाया, जिससे कि किसी मृत मुसलमानकी सम्पत्तिका कोई भाग पानेका हक गरीबोको मिलता हो। अगर कुरान शरीफ और उपर्युक्त पुस्तक उस कानूनकी जरा भी अधिकारी पुस्तकें हैं, तो विचाराधीन सम्पत्तिके किसी अश पर गरीबोका हक नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी हालतमें, किसी भी बिला-बसीयत जायदादके अपार गरीबोका कोई अधिकार नहीं है। मैं यह सावित कर सकनेकी आशा रखता हूँ कि जब भाई (सचमुच तो सौतेला भाई होना चाहिए) उस कानूनके अनुसार कुछ प्राप्त करता है, तब वह उसे अपने ही हकसे प्राप्त करता है और इसलिए प्राप्त करता है कि वह भाई है।

सम्भवत यायाधीश महोदय उत्तराधिकारके बारेमें बातें करते समय सब मुच परन्तु अनजाने खैरातके बारेमें सोच रहे थे, जो प्रत्येक मुसलमानके लिए लाजिमी है। खैरात मुसलमानोकी ईश्वर-निष्ठाका एक अंग है। परन्तु जो सिद्धान्त जीवित अवस्थामें खैरातका निर्देश करता है, वह विरासतके बटवारे पर लागू नहीं होता। जीवनकालमें खैरात वांटकर मुसलमान जन्तववा, या जन्तवमें आदरके योग्य स्थानका हक कमा लेता है। उसकी मौतके बाद सरकार द्वारा उसकी जायदादसे वांटी गई खैरात उसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि यह काम तो उसका नहीं होता। किसी मुसलमानकी मृत्युके बाद उसकी जायदादपर तो उसके रिश्तेदारोका पहला — नहा, एकनात्र उनका ही — हक होता है।

कुरानका वचन है

हमने मुकरर किया है कि माँ-बाप और रिश्तेदार अपनी मौतके बाद जो जायदाद छोड़ जायें उसका हिस्सा हर रिश्तेदारको मिले। कानून कहता है

“मरनेवाले आदमीकी जायदाद पर चार क्रमिक जिम्मेदारियाँ होती हैं — पहली, बिना फिजूल खचके, फिर भी बिना किसी हमीके, उस आदमीकी दफन क्रिया चगरह, दूसरी, उसकी बची हुई जायदादसे जत्ते

कजंका भुगतान, फिर जो-कुछ बचे उसके एक तिहाई हिस्सेसे उसकी वसीयतका भुगतान, और आखिरी, उसके बचे हुए धनका वारिसोंके बीच बंटवारा।”

वारिसोंका वणन इस प्रकार किया गया है

(१) कानूनी हिस्सेदार, (२) शेषके हिस्सेदार, (३) दूरके रिश्तेदार, (४) इफरारनामेकी बदीलत वारिस, (५) माने हुए रिश्तेदार, (६) सावजनीन धिरासतदार, (७) सरकार या राजा।

“कानूनी हिस्सेदारों” की व्याख्या इस प्रकार की गई है “वे सब लोग, जिनका कुरानपाकके मुताबिक, परम्पराओसे या आम रायमे निश्चित हिस्सेका अधिकारी माना गया हो।” और हिस्सेदारके वारह वर्गोंके बयानमें सौतेले भाई भी शामिल किये गये हैं। “शेषके हिस्सेदार” वे “सब लोग हैं, जिनके लिए कोई हिस्सा निश्चित नहीं किया गया और जो हिस्सेदारोंमें बंटवारा हो जानेके बाद बचा हुआ हिस्सा प्राप्त करत हैं, या अगर हिस्सेदार न हो तो सारी जायदादके अधिकारी होते हैं।” यहा यह बता देना होगा कि कुछ कानूनी हिस्सेदार कुछ खास परिस्थितियोंमें वारिस नहीं रहते और उस हालतमें वे शेषके हिस्सेदारोंमें शामिल हो जाते ह। “दूरके रिश्तेदार” वे “सब रिश्तेदार हैं, जो न तो कानूनी हिस्सेदार हैं न शेषके हिस्सेदार हैं।” “हिस्सेदारोंका हिस्सा बंट जानेके बाद अगर मरे हुए व्यक्तिकी जायदादका कुछ हिस्सा बच जाये तो वह शेषके अधिकारी फहलानेवाले दूसरे वर्गके लोगोंमें बाँटा जायेगा। अगर ऐसे शेषके अधिकारी न हों तो शेष जायदाद कानूनी हिस्सेदारोंमें उनके हिस्सोंके हिसाबसे बाँट दी जायेगी।”

मैं दूसरे वारिसोंकी परिभाषाएँ देकर आपके मूल्यवान स्थानको नहीं भूलूँगा। इतना कहना काफी है कि उनमें गरीबोंका कोई समावेश नहीं है। गरीब केवल तभी कोई हिस्सा “ले” सकते हैं जब कि पहले तीन वर्गोंका निबटारा हो जाये।

शेषके अधिकारियोंमें दूसरे लोगोंके साथ “मृत व्यक्तिके पिताकी ‘सन्तान’ — अर्थात् भाई, सगेभाई, और उनके पुत्र भी शामिल हैं, वे कितने भी नीचे दर्जेके क्या न हों।” धारा १ का नियम १२ कहता है “यह आम बायदा है कि बहनकी अपेक्षा भाई दूना हिस्सा पायेगा। इसमें अपवाद सिफ उन भाई-बहनोंके बारेमें है, जिनकी माता एक ही होनेपर भी पिता भिन्न हो।” और धारा ११ के नियम २५ में कहा गया है “जहा केवल लड़किया और

लडकेकी लडकियाँ ही हो और भाई न हो, वहा लडकियो और लडकेका लडकियोके अपना हिस्सा पा लेनेपर जा-कुछ बचे वह वहनें पायेंगी। अगर लडकी या लडकेकी लडकी एक ही हो तो यह शेष भाग बाधा रहेगा, परन्तु उनकी सख्या दो या दासे ज्यादा हो तो यह शेष एक तिहाई रहेगा।" दानों नियमोको मिलाकर पढनेसे हमें यह निश्चय करनेमें बहुत मदद मिलती है कि प्रस्तुत विवादग्रस्त मामलेमें भाईका हिस्सा क्या है।

जिस पुस्तकसे मैंने ये उद्धरण दिये हैं उसमें नमूनोके तौरपर ऐसे मामल्लके उदाहरण दिये गये हैं। निम्नलिखित उदाहरण अपने हलके साथ मिलता है "उदाहरण ७ — पति, पुत्र, भाई और तीन बहनें।" हलको पूरे विस्तारके साथ उद्धृत करनेकी जरूरत नहीं है। शेषका अधिकारी होनेके कारण भाईकी अपने हकतें बीसमें से दो हिस्से मिलते हैं।

उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट हो जायेगा कि भाई, और उनक न होन पर सौतेले भाई अपने ही अधिकारमे या तो हिस्सेदार होते हैं, या शेषके अधिकारी। इसलिए प्रस्तुत विवादग्रस्त मामलेमें सर वाल्टरके मतके प्रति अधिकतम आदरके बावजूद मुझे कहना होगा कि, अगर भाई कुछ "लेता" ही है, तो वह अपने अधिकारसे "लेता" है, न कि गरीबोंके प्रतिनिधिक रूपमें। और अगर वह नहीं "लेता" (जो, अगर कानूनका पालन करना है ता ऐसे मामल्लमें हो नहीं सकता), तो बची हुई जायदाद हिस्सेदारोंके बीच "फिरसे बँट जानी" है।

परन्तु रिपोर्टमें कहा गया है कि मैं और काजी लोग भिन्न मतके हैं। अगर आप "मैं" तो निकाल दें और उसके स्थान पर "कानून"को रख दें (यथाकि मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि कानून क्या है), तो मैं कहूँगा कि काजियाने मत और कानूनमें फर्क होना ही नहीं चाहिए। और अगर फर्क होता है, तो कानूनको नहीं, काजीको मुँहकी खानी पड़ेगी। तथापि, अगर काजीने बसा ही बन्बा मजूर किया है, जैसा कि श्री टैयमके पाससे मेरे पास आई हुई रिपोर्टमें बताया गया है, तो इस मामलेमें मेरे और काजीके बीच कोई मतभेद नहीं है। और श्री टैयमने रिपोर्टके साथ मुझे जो पत्र भेजा है उसमे तो मालूम होता है कि काजीकी मजूर की हुई बँटवारेकी याजना यही है। काजीने इस बारेमें एक शर्त भी नहीं कहा कि सौतेले भाईको गरीबोंके प्रतिनिधिक रूपमें जायदादका हिस्सा मिलना चाहिए।

आखिरी बात — रिपोर्ट देखनेके बाद, मैं खास तौरसे कुछ मुसलमान निम्नने मिला। सर वाल्टरके बयानानुसार उन्हें तो मुस्लिम कानूनका पान होना चाहिए।

और जब मैंने उन्हें निर्णयके बारेमें बताया तो वे आश्चर्यमें पड़ गये। बात उन्हें इतनी भाफ़ दिलाई पड़ती थी कि उन्हें सोचनेमें कोई समय नहीं लगा। उन्होंने कहा, "गरीबोंको बिला-बसीयत जायदादका वभी कोई हिस्सा नहीं मिलता। सौतले भाईको अपने ही हक्से हिस्सा मिलना चाहिए।"

इसलिए मेरा निवेदन है कि न्यायाधीशका निणय मुस्लिम कानून, काजीके मत और दूसरे मुस्लिम सज्जनोकी रायके प्रतिकूल है। अगर किसी मृत मुसलमानकी सम्पत्तिके हिस्से, जिनपर उसके रिस्तेदाराका अधिकार है, तबतक अटकाये रखे जायें, जबतक कि रिस्तेदार यह साबित न कर दें कि वे "गरीबोंके प्रतिनिधि" हैं, तो यह सरासर एक बठिनाई हो जायेगी। यह शत लगानेका मद्या तो कानूनमें कभी था ही नहीं, और न मुसलमानी रिवाजोंमें ही यह मजूर-शूदा है।

भापका, भाए,  
मो० क० गाधी

[ अंग्रेजीमें ]

नेटाल विटनेस, २८-३-१८९५

## ४८ स्मरणपत्र प्रिटोरिया-स्थित एजेंटको

प्रिटोरिया  
अप्रैल १६, १८९५

सेवामें

श्रीमान् सर जेकब्ज डीविट, वे० सी० एम० जी०  
एजेंट, सम्राज्ञी-सरकार, प्रिटारिया

गणराज्यके ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंकी ओरसे समितिके रूपमें काम करनेवाले प्रिटोरिया-निवासी तैयबखान तथा अब्दुल गनी और जोहानिस-वग-निवासी हाजी हबीब हाजी दादाका स्मरणपत्र

हम श्रीमान्से सादर निवेदन करते हैं कि सम्राज्ञी-सरकार और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य सरकारके बीच भारतीय प्रश्नका जो पच-फैसला हाल ही ब्लूमफाटीन — आरेज फ्री स्टेट — में किया गया है उसके बारेमें यह तय करनेके लिए परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) महोदयसे लिखा-पढ़ी की जाये कि क्या सम्राज्ञी-सरकार उससे सतोप मान लेगी। श्रीमान् जानते ही हैं, पचने

फैसला किया है कि १८८५ का कानून ३ जिस रूपमें फोक्सराट [लोकसभा]के १८८६ के अधिनियमसे संशोधित हुआ है, इस सरकार द्वारा कानूनीत किया ही जाना चाहिए। उसने यह फैसला भी किया है कि जब-कभी उक्त कानूनमें आशयके बारेमें कोई क्षमता उठे तो मतभेदका निणय गणराज्यका उच्च न्यायालय करे।

गणराज्य सरकारने पचके सामने जो विवरण-पुस्तिकाएँ (ग्रीन बुक्स) पेश की थी उनमें से पुस्तक न० २१८९४ के पृष्ठ ३१ और ३५ पर कुछ वक्तव्य दिये गये हैं। उनका आशय यह है कि उच्च न्यायालयके सामने पत इस्माइल सुतेमान एड कंपनीकी कुछ अजियो पर निणय देते हुए मुख्य न्यायाधीशने कहा है कि जिन जगहोंमें व्यापार किया जाता है और जहाँ भारतीय निवास करते हैं उनमें कोई एक नहीं माना जा सकता। इन तथ्योंको दृष्टि में हम, उच्च न्यायालयकी मानहानि किये बिना, सादर निवेदन करते हैं कि यदि मुख्य न्यायाधीशके निणयसे सम्बन्ध रखनेवाला उपर्युक्त कथन सही है, तो तब ही कि उपर्युक्त कानूनके मातहत जो भी मामला अदालतमें जायेगा उसका फल सभ्राज्ञीकी गणराज्यवासी भारतीय प्रजाके विरुद्ध होगा। इस तरह, जो मामला समपण-पत्रके निर्देशानुसार पचको सौंपा गया था उसका निणय उसने नहीं किया, बल्कि अमली तौरपर उसे गणराज्यके उच्च न्यायालयके निणयके लिए छोड़ दिया है। इसलिए हम आदरपूर्वक कहेंगे कि जहाँतक पचको दिये गये निर्देशोंका सम्बन्ध है, उसने मामलेका निणय किया ही नहीं। अतएव श्रीमान्से हमारा सादर निवेदन है कि सभ्राज्ञी-सरकारसे पत्र-व्यवहार करके जाना जाये कि क्या वह उपर्युक्त निणयसे सतोष मानेगी और उसे स्वीकार कर लेगी।

(ह०) तैयब हाजी खान मुहम्मद  
अब्दुल गनी  
हाजी हबीब हाजी दादा

[अंग्रेजीसे]

मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-स्मित ब्रिटिश उच्च-न्यायालयके ता० २९ अप्रैल, १८९५ के खरीता न० २०४ का सहपत्र।

कलोनियल आफिस रेकॉर्ड्स नं० ४१०, जिस्ट १४८।

## ४९. प्रार्थनापत्र<sup>१</sup> . नेटाल विधानसभाको

[ इवन,  
मई ५, १८९५ के पूव ]

सेवामें

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण  
विधानसभा, नेटाल

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, नेटालवासी भारतीयोंका प्रार्थनापत्र  
नम्र निवेदन है कि,

हम इस उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयोंके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे भारतीय  
प्रवासी कानून सशोधन विधेयकके सम्बन्धमें आपकी माननीय विधानसभाकी  
सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। उक्त विधेयक इस समय आपके विचाराधीन है।

प्रार्थियोंका सादर निवेदन है कि विधेयकके जिस अंशमें गिरमिटको फिरसे  
नया करने और उसे मजूर न करनेवालोपर कर लगानेकी व्यवस्था है, वह  
स्पष्टतः अन्यायपूर्ण, बिल्कुल अनावश्यक और ब्रिटिश संविधानके मूलभूत  
सिद्धान्तोंका सीधा विरोधी है।

विधेयक अन्यायपूर्ण है, इसको सिद्ध करनेके लिए, प्रार्थियोंका निवेदन है,  
बहुत कहनेकी जरूरत नहीं है। गिरमिटकी अधिकतम अवधिको पांच बर्षसे  
अनिश्चित काल तकके लिए बढ़ा देना अपने-आपमें ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि  
इससे गिरमिटिया भारतीयोंके मालिकोंके सामने बठोर व्यवहार करने अथवा  
अत्याचार करनेका ज्यादा प्रलोभन पैदा होता है। उपनिवेशवासी मालिक लोग  
कितने भी दयालु क्यों न हों, वे रहेंगे तो हमेशा मनुष्य ही। और प्रार्थियोंके  
लिए यह बताना जरूरी नहीं कि जब मनुष्य स्वायत्ती प्रेरणासे काम करने लगता  
है तो उसका स्वभाव कैसा बन जाता है। इसके अलावा, प्रार्थी यह भी कहनेकी  
इजाजत चाहते हैं कि उपर्युक्त विधेयक बिल्कुल एकतरफा है। उससे मालिकोंको  
तो प्रत्येक रियायत मिलती है, मगर मजदूरको बदलेमें लगभग कुछ भी नहीं  
मिलता।

<sup>१</sup> यह प्रार्थनापत्र नेटाल एडवर्टाइजरके मई ५, १८९५ के अंकमें प्रकाशित  
हुआ था।

प्राथमोभा निवेदन है कि विधेयक अनावश्यक है, क्योंकि उसके पेश किए जानेवाले कोई कारण मौजूद नहीं है। उतका उद्देश्य उपनिवेशको किसी आर्थिक विनाशसे बचाना नहीं, और न किसी उद्योगकी उन्नतियों में मदद करना ही है। उलटे, जिन उद्योगोंके लिए भारतीय मजदूरोकी विशेष आवश्यकता थी, उन्हें अब किसी असाधारण सहायताकी आवश्यकता नहीं रही। इस बातको मंजूर किया जा चुका है और १०,००० पाँड सहायताकी व्यवस्था अभी गत बप ही रद्द की गई है। इससे साफ है कि ऐसे कानूनकी कोई सच्ची जरूरत नहीं है।

यह बतानेके लिए कि विधेयक ब्रिटिश सविधानके मूलभूत सिद्धान्तोंका प्रत्यक्ष विरोधी है प्राचीं आपकी माननीय सभावा ध्यान गत एक शताब्दीकी उन बड़ी बड़ी घटनाओंकी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें ब्रिटेनने प्रमुख भाग लिया है। जबरिया मजदूरी ब्रिटिश परम्पराओंके सर्वप्रतिकूल रही है—भले ही वह गुलामीके भयानकतम रूपसे लेकर सौम्यतम ढंगकी बेगार तक कँसी भा कया न रही हो। और जहाँतक सम्भव हो सका है, हर जगह उसका उच्छेद कर दिया गया है। गिरमिटिया प्रथा इस उपनिवेशके जैसी आसाममें भी है। अभी छोटे ही समय पहले सम्राज्ञीकी सरकारने स्वीकार किया था कि गिरमिटिया प्रथा एक बुरी चीज है, और उसे तभीतक बरदाश्त किया जाना चाहिए जबतक कि वह किसी महत्त्वपूर्ण उद्योगको शुरू करने या संभालनेके लिए आवश्यक हो, और पहला अनुकूल अवसर आते ही उसको मिटा देना चाहिए। प्राथमोभा आदरपूर्वक निवेदन है कि विचाराधीन विधेयक उपर्युक्त सिद्धान्तोंको भंग करने वाला है।

यदि गिरमिटकी अवधि बढ़ानेका प्रस्ताव अन्यायपूर्ण, अनावश्यक और ब्रिटिश सविधानके मूलभूत सिद्धान्तोंका विरोधी है (जैसा कि, आपके प्राथमोभा आशा है, उन्होंने आपकी सम्माननीय सभाके सामने सतोषजनक रूपमें सिद्ध कर दिया है) तो कर लगानेका प्रस्ताव और भी ज्यादा बसा है। यह तो दीर्घ कालसे स्वयंसिद्ध सत्य माना जा चुका है कि करका प्रयोजन सिर्फ सरकारी आय है। प्राथमोभाके मन्त्र विचारसे, यह तो एक क्षणके लिए भी नहीं बहा जा सकता कि प्रस्तावित करका लक्ष्य कोई ऐसा प्रयोजन सिद्ध करना है। प्रस्तावित करका संकल्पित अभिप्राय भारतीयोंको अपने गिरमिटकी अवधि पूरी कर लेने पर उपनिवेशसे खदड देना है। इसलिए यह कर बजनात्मक होगा और मुक्त व्यापारके सिद्धान्तोंके विरुद्ध बैठेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रार्थियोंको अदेगा है कि गिरमिटिया भारतीयोंको इससे अनुचित कष्ट पहुँचेगा, क्योंकि भारतमे सारा नाता तोडकर सपरिवार यहाँ आये हुए भारतीयोंके लिए फिरसे भारत जाकर वहाँ जीविकोपाजन करनेकी आशा करना बिलबुल अमभव है। प्रार्थी अपने अनुभवसे यह कहनेकी आज्ञा चाहते हैं कि साधारणत वे भारतीय ही गिरमिट-प्रथाके मातहत इस उपनिवेशमें आते हैं जो भारतमें काम करके अपना उदर-पोषण नहीं कर सकते। भारतीय समाजका ताना-बाना ही ऐसा है कि भारतीय अपना घर छोडते ही नहीं। जब वे एक बार घर छोडनेको बाध्य हो जाते हैं, तो वे भारत लौटकर धन कमानेकी तो बात दूर, अपनी रोटी बना लेनेकी भी आशा नहीं कर सकते।

यह तो माना हुआ सत्य है कि भारतीय मजदूर उपनिवेशकी समृद्धिके लिए अनिवाद्य है। अगर ऐसा है, तो प्रार्थियोंका निवेदन है कि जो भारतीय उपनिवेशकी समृद्धि बढानेमें इतनी ठोस सहायता पहुँचाने हैं व बेहतर रियायतके हकदार हैं।

कहना न होगा कि यह विधेयक एक वर्ग विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाला है। भारतीयोंके विरुद्ध उपनिवेशमें मौजूद द्वेषको यह उत्तेजन देता और बढ़ाता है। इस तरह यह ब्रिटिश प्रजाके दो वर्गोंके बीचकी खाईको चौडा करेगा। इसलिए प्रार्थी विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आपकी सम्माननीय विधानसभा यह फैसला करे कि विधेयकका गिरमिटको पुन नया करने और कर लगानेसे सम्बन्ध रखनेवाला अद्य ऐसा नहीं है, जिस पर आपकी सम्माननीय विधानसभा अनुकूल विचार कर सके। और याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि-आदि।

(ह०) अब्दुल्ला हाजी आदम  
और अन्य अनेक

छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।



पोस्ट बाक्स ६६  
दरबन, नेगल  
मई ५, १८९५

प्रिय श्री मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन,

आपके पाससे भारतीयोंकी सहिया मिली। डचोंकी सहिया लेकर तुर्क प्रिटोरिया भिजवा दी होगी। यह काम बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें ढीक नही होनी चाहिए। मैंने प्रिटोरियाको तार भी किया है, कि डचोंकी अर्जोंकी नकल वहाँ भेजें। यह सब काम बुधवार तक समाप्त हो जाना चाहिए। क्या किया है, सो समाचार विस्तारसे लिखें।

सब हिन्दुस्तानियाके इसमें मिहनत करनेकी पूरी जरूरत है। नही तो पीछे पछताना होगा।

आपका द्वितीय,  
मोहनदास गांधी

गांधीजीने अपने हस्ताक्षरोंमें लिखे गुजराती पत्रकी फोटो-नकलसे।

## ५१ अन्नाहारी मिशनरियोंकी टोली

इंग्लैंडमें मैंने श्रीमती एना किम्बफडकी पुस्तक परफेक्ट वे इन डाय [ उत्तम आहार-वृद्धि ] में पढ़ा था कि दक्षिण आफ्रिकामें ट्रैपिस्ट<sup>१</sup> लोगोंकी एक बस्ती है और वे लोग अन्नाहारी हैं। तबसे ही मैं इन अन्नाहारियोंसे मिलनका इच्छुक था। आखिर वह इच्छा पूरी हो गई है।

पहले मैं यह कहूँ कि दक्षिण आफ्रिका, और खास तौरसे नेटाल, अन्नाहारियोंके लिए विशेष अनुकूल बना लिया गया है। भारतीयाने नेटालको दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान-उपनिवेश बना दिया है। दक्षिण आफ्रिकाकी भूमिमें सामान

१ देखिए, पृष्ठ २००।

२ सित्तलूनी ईसाई साधुओंका एक पंथ, जो मैन तथा अन्य साधुओंके लिए प्रसिद्ध है।

वाई नी चीज पैदा की जा सकती है, और सो भी भारी मात्रामें। येल, सतरा और अनन्नासकी उपज तो लगभग अक्षय है, और मांगसे बहुत ज्यादा है। फिर क्या ताज्जुब कि अन्नाहारी लोग नेटालमें खूब भले-धगे रह सचने हैं? ताज्जुब तो निफें इम बातका है कि इस तरहकी सुविधाआ और गर्म आबहवाने बावजूद उनकी सख्या इतनी कम है। परिणाम यह है कि बड़ी-बड़ी जमीनें अब भी उपेक्षित और बजर पड़ी हैं। मुख्य भोजन-सामग्री आयात की जाती है, जबकि सारीकी सारी चीजाको दक्षिण आफ्रिकामें ही पैदा कर लेना बिलकुल सम्भव है, और जबकि विशाल नेटाल प्रदेशमें ४०,००० गोरोकी छोटी-सी आबादी भारी मसौबतमें जकड़ी हुई है। इस सबका कारण यही है कि वे कृषिसे काममें नहीं लगते।

जीवनकी अप्रावृत्तिक रीतिवा एक विलक्षण विन्तु दु राद परिणाम यह भी है कि भारतीय आबादीके प्रति, जिसकी सख्या भी ४०,००० है, जोरदार द्वेष-भाव फैला हुआ है। भारतीय, अन्नाहारी होनेके कारण, बिना किसी कठिनाईके कृषि-काममें लग जाने हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि सारे उपनिवेशमें छोटे-छोटे खेत उनके ही हैं, और उनकी जोरदार होडसे गोरी आबादीको चिढ़ होती है। ऐसा बरताव करके वे 'खाय न खाने दे' की और आत्मघाती नीतिवा अवलम्बन कर रहे हैं। वे देशके विशाल कृषि-साधनोंको अविक्सित छोड़ रखना पसन्द करेंगे, परन्तु यह पसन्द नहीं करेंगे कि भारतीय उनका विकास करें। ऐसी मन्द बुद्धि और अदूरदर्शिताके परिणामस्वरूप जो उपनिवेश यूरोपीय तथा भारतीय निवासियोंकी दूनी या तिगुनी सख्याका भरण-पोषण करनेमें समर्थ है, वह कठिनाईसे केवल ८०,००० यूरोपीयों और भारतीयोंका भरण-पोषण करता है। ट्रान्सवालकी सरकार तो अपने द्वेष-भावमें यहाँतक बड़ी-बड़ी है कि, जमीन बहुत उपजाऊ होनेपर भी, साराका सारा गणराज्य घुलवा एक रेगिस्तान बना हुआ है। अगर किसी कारणसे वहाँकी सोनेकी खानें न चल सकें तो हजारों लोग बेकार हो जायेंगे और, अक्षरशः, भूखी मर जायेंगे। क्या यहाँ एग भारी सबक सीखनेको नहीं है? मास खानेकी आदत वास्तवमें समाजकी प्रगतिमें बाधक हुई है। इसके अलावा, जिन दो महान समाजोंको एकनाके साथ कधेसे क्या मिलाकर काम करना चाहिए उनके बीच उसने अप्रत्यक्ष रूपमें फूट पैदा कर दी है। यह महत्वपूर्ण घस्तुस्मिति भी देपने योग्य है कि उपनिवेशके भारतीयोंका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा है जितना कि यूरोपीयोंका। मैं जानता हूँ कि यदि यूरोपीय या उनकी मासकी बटलोइयाँ न

होती तो बहुत-से डाक्टर भूखो मरते होते। भारतीय अपनी कमखर्चीनी और शराबसे परहेजकी आदतोंके कारण सफलताके साथ यूरोपीयोंकी बराबरी कर सकते हैं। इन दोनों आदतोंका मूल अन्नाहार ही है। अल्पता, इतना तो समझ रखना चाहिए कि उपनिवेशके भारतीय शुद्ध अन्नाहारी नहीं हैं, वे तिरफ व्यवहारमें अन्नाहारी हैं।

अब हम देखेंगे कि पाइनटाउनके निकटवर्ती मेरियन हिलके ट्रैपिस्ट लोग उपयुक्त सत्यके कैसे स्थायी साक्षी हैं।

पाइनटाउन एक छोटा-सा गांव है। वह डबनसे १६ मील, रेलमार्ग पर है। वह समुद्रके स्तरसे लगभग १,१०० फुटकी ऊँचाई पर है और उसकी आबहुता बहुत अच्छी है।

ट्रैपिस्ट मठ पाइनटाउनसे लगभग तीन मील पर है। वह एक पहाड़ी पर, या यो कहिये कि, पहाड़ियोंके एक समूह पर बना हुआ है। उस पहाड़ीको मेरियन हिल कहा जाता है। मैं अपने एक साथीके साथ वहाँ पैदल गया। छोटी छोटी पहाड़ियोंके बीचसे, जो सब हरी घाससे छाई हुई हैं, यह यात्रा बड़ी ही आनन्दप्रद रही।

बस्तीमें पहुँचने पर हमने एक सज्जनको देखा, जो मुहमें विलायती बिलन (पाइप) दबाये हुए था। हमने एकदम ताड़ लिया कि यह उस भ्रातृमण्डलका नहीं है। तथापि, वह हमें प्रेक्षकोंके कमरेमें ले गया। वहाँ प्रेक्षकोंके लिए एक रजिस्टर रखा हुआ था, जिसमें वे अपनी सम्मतियाँ दर्ज करते हैं। रजिस्टरमें मालूम हुआ कि वह १८९४ में शुरू किया गया था, परन्तु तबतक मुक्तिने उसके बीस पृष्ठ भरे थे। सचमुच, मिशनकी जानकारी लोगोंको जितनी होती चाहिए उतनी है ही नहीं।

इस समय भ्रातृमण्डलका एक सदस्य आया और उसने बहुत मुक्कर नमस्कार किया। हमें इमलीका पानी और अनन्नास दिये गये। ताने हो जाने पर हम मागदशकोंके साथ, जहाँ-जहाँ वह हमें ले गया वहाँ-वहाँ, विभिन्न प्राई देखनेके लिए गये। जो भिन्न भिन्न इमारतें दिखाई देती थी वे सब ठोस सान ईंटोंकी थी। सब जगह शान्ति थी। यह शान्ति सिर्फ कारखानेके औद्योगिक देशी बच्चोंकी आवाजसे ही भंग होती थी।

बस्ती एक छोटा-सा, शान्त, आदर्श गांव है। वह किसी व्यक्ति-विरोधी सम्पत्ति नहीं, सच्चेसे सच्चे गणतन्त्रीय सिद्धान्तोंके आधार पर सबकी सम्पत्ति है। वहाँ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वके सिद्धान्तका पूरी-पूरी तरह

पालन किया जाता है। प्रत्येक पुरुष भाई है, प्रत्येक स्त्री बहन है। पुरुष-व्रतियों (माक्स) की संख्या आश्रममें १२० है, और स्त्री-व्रतियोंकी लगभग ६० है। स्त्री-व्रतियोंको बहन (सिस्टर) कहा जाता है। बहनाका विहार [ निवास-स्थान ] भाइयोके विहारसे लगभग आधा मील है। भाई और बहन दोनों ही कड़े मौन-व्रत और ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। मठाधीश (ऐबट) जिन लोगोको इजाजत देता है उनके सिवा कोई दूसरे भाई या बहन बोल नहीं सकते। मठाधीश नेटालके ट्रैपिस्ट लोगोका प्रमुख है। बोलनेकी इजाजत सिफ उन लोगोको दी जाती है, जिन्हें खरीदी करने या देखने आनेवालोकी व्यवस्था करनेके लिए शहर जाना पडता है।

भाई लोग लम्बा झब्बा पहनते हैं। छाती और पीठ पर एक काला कपडा होता है। बहनें सादेसे सादे लाल कपडे पहनती हैं। कोई भी मोजे पहनता दिखाई नहीं पडा।

भ्रातृमण्डलमें शामिल होनेके उम्मीदवारोको पहले दो वर्षका व्रत लेना पडता है। इस बीच उन्हें नौसिखिया माना जाता है। दो वर्षके बाद या तो उन्हें आश्रम छोड देना पडता है या जीवन भरके लिए व्रत ले लेना पडता है। आदश ट्रैपिस्ट २ बजे रातको उठता है और चार घटे प्रायना तथा ध्यानमें लगाता है। ६ बजे सुबह वह नाश्ता करता है, जिसमें डबल रोटी और काफी या इसी तरहका कुछ सादा भोजन होता है। बारह बजे दिनको वह डबल रोटी तथा शोरबा और फलोका भोजन करता है। ६ बजे शामको ब्यालू करता है और ७ या ८ बजे सोने चला जाता है। ये भाई लोग जानबरोका मास, मछली या पक्षियोंका मास — कुछ नहीं खाते। अडे खाना तक छोड देते हैं। दूध लेते हैं, परन्तु उन्होंने बताया कि नेटालमें दूध मस्ता नहीं मिलता। बहनोको हफ्तेमें चार दिन मास खानेकी अनुमति है। यह पूछने पर कि इस तरहका फक क्यों पाया जाता है, उपकारशील मागदशकने कहा "क्योंकि बहनें भाइयोसे ज्यादा सुकुमार होती हैं।" इस तक्का बल मेरी समझमें नहीं आया। मेरा साथी करीब-करीब अन्नाहारी है, परन्तु उसकी समझमें भी नहीं आया। यह समाचार हमारे लिए आश्चर्यजनक था। इससे हमें बहुत दुःख भी हुआ, क्योंकि हमने तो अपेक्षा की थी कि भाई और बहन दोनों ही अन्नाहारी होंगे।

बे डाक्टरकी सलाहसे अलावा शराब नहीं पीते। खानगी उपयोगके लिए कोई अपने पास पैसा नहीं रखता। सब एक-समान धनी या एक-समान गरीब हैं।

होती तो बहुत-से डाक्टर भूखो मरते होते। भारतीय शराबसे परहेजकी आदतके कारण सफलताके साथ सकते हैं। इन दोनों आदतका मूल अन्नाहार ही समझ रखना चाहिए कि उपनिवेशके भारतीय शुद्ध व्यवहारमे अन्नाहारी है।

अब हम देखेंगे कि पाइनटाउनके निकटवर्ती मेरिय सत्यके कैसे स्थायी साक्षी हैं।

पाइनटाउन एक छोटा-सा गाँव है। वह डर्बनसे वह समुद्रके स्तरसे लगभग १,१०० फुटकी ऊँचाई बहुत अच्छी है।

ट्रैपिस्ट मठ पाइनटाउनसे लगभग तीन मील। या यो कहिये कि, पहाडियोंके एक समूह पर मेरियन हिल कहा जाता है। मैं अपने एक साथी छोटी पहाडियोंके बीचसे, जो सब हरी घासमे ही आनन्दप्रद रही।

बस्तीमें पहुँचने पर हमने एक सज्जनको दे (पाइप) दवाये हुए था। हमने एकदम ताड। नहीं है। तथापि, वह हमें प्रेक्षकोंके कमरेमें रे रजिस्टर रखा हुआ था, जिसमें वे अपनी सग मालूम हुआ कि वह १८९४ में शुरू किया ग उसवे बीस पृष्ठ भरे थे। सचमुच, मिशनवी चाहिए उतनी है ही नहीं।

इस समय भ्रातृमण्डलका एक सदस्य नमस्कार किया। हमें झमलीका पानी और पर हम मागदागवे साथ, जहाँ-जहाँ वह हमें देखनेके लिए गये। जो मित्र भिन्न इमारतें दि ईंटोंकी थी। सब जगह शान्ति थी। यह शान्ति देगी बच्चाकी आवाजसे ही भंग होती थी।

बस्ती एक छोटा-सा, शान्त, आराम गाँव है। गम्भीर नहीं, सच्चे मन्त्रे गणतन्त्रीय सिद्धान्तों आ है। वहाँ स्वतन्त्रता ममाना और भ्रातृत्वके सिद्धान्त

वे रंग-भेदमें विश्वास नहीं करते। देशी लोगोके साथ वँसा ही बरताव किया जाता है, जैसा कि गोरोकें साथ। देशी लोग अधिकतर बच्चे हैं। उन्हें बड़ी भोजन दिया जाता है, जो कि "भाइयो" को मिलता है। कपड़े भी उतने ही अच्छे होते हैं। आम तौरपर बड़ा जाता है कि काफ़िरोको ईसाई बनाना व्यथ हुआ है। और इसमें कुछ सत्य न हो मो बात भी नहीं। परन्तु यह तो हर व्यक्ति — बड़ेसे बड़ा अविश्वासी भी मानता है कि ट्रैपिस्ट लोगोकी मिशन, सचमुच, अच्छे देशी ईसाई बनानेमें अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है। जब दूसरे पथाके मिशन स्कूल देशी लोगोको पश्चिमी सम्यनाके तमाम भयानक दुर्गुण ग्रहण कर लेनेका अवसर देते हैं और उनपर नैतिक असर कभी-कभी ही डाल पाते हैं, तब ट्रैपिस्ट मिशनके देशी लोग सादगी, सद्गुण और शिष्टताके नमूने हैं। उन्हें राहगीरोको नम्रतापूर्वक, फिर भी गौरवपूर्ण ढंगसे, अभिवादन करते देखना एक आनन्दकी बात थी।

मिशनमें लगभग १,२०० देशी लोग हैं। इनमें बच्चे और वयस्क सब शामिल हैं। उन सबने आलस्य, अवमध्यता और अधविश्वासका जीवन छोड़कर उद्यम, उपयोगिता और एक परमात्माकी भक्तिका जीवन ग्रहण कर लिया है।

आश्रममें लाहारी, टीनसाजी, बढईगीरो, जूते बनाने, चमडा पकाने, आदिके तरह तरहके काम घर या कारखाने हैं। उनमें देशी लोगोको ये सब उपयोगी उद्योग सिखाये जाते हैं। इनके अलावा अग्रेजी और जूलू भाषाएँ भी पढाई जाती हैं। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि यद्यपि इन प्रवासियोमें करीब-करीब सभी जमन हैं वे देशी लोगोको जमन भाषा सिखानेका प्रयत्न कभी नहीं करते। यह उन उदात्त प्रवासियोकी उच्चाशयताका परिचायक है। ये सब देशी लोग गोरोकें साथ कबसे क्या मिलाकर काम करते हैं।

बहनाके विहारमें अस्तरी करने, सिलाई, बुनाई और तिनकोके टोप बनानेके विभाग हैं। वहाँ देशी बालिकाओको स्वच्छ वस्त्र पहने परिश्रमके साथ काम करते देखा जा सकता है।

मठसे लगभग दो मील पर छपाईका विभाग और एक जल प्रपातसे चलने-वाली आटा-चक्की है। इमारत बहुत बड़ी है। वहाँ एक तेल निकालनेकी मशीन — घानी भी है, जिसमें भूगफलीका तेल निकाला जाता है। कहना आवश्यक नहीं कि उपर्युक्त कारखानासे आश्रमवासियोकी अधिकतर जरूरतें पूरी हो जानी हैं।

हमें एक-एक इंच जगह देखने दी गई, परन्तु हमने कही भी कपडे रखने वाला मारियाँ या सन्दूकें नहीं देखी। आश्रमवासियोंको जबतक कामके बिना बाहर जानेकी इजाजत नहीं दी जाती, वे आश्रमकी सीमाके बाहर नहीं जाते। समाचारपत्र और गैर-धार्मिक पुस्तकें वे नहीं पढ़ते। जिन धार्मिक पुस्तकोंको पढ़नेकी अनुमति होती है उन्हें छोड़कर व अन्य धार्मिक पुस्तकें भी नहीं पढ़ सकते। जिस चिन्तन लिये हुए व्यक्तिसे हम पहले-पहल मिले थे उससे हमने पूछा था कि क्या आप ट्रैपिस्ट हैं? उसने इस कठोर, तपोमय जीवनके कारण ही उत्तर दिया था “डरो मत, मैं कोई भी होऊँ, मगर ट्रैपिस्ट नहीं हूँ।” और फिर भी वे भले भाई-बहन मह मानते नहीं दीख पड़े कि उनका जीवन दुस्तह परिस्थितियोंमें पड़ गया है।

एक प्रोटेस्टेंट धर्मगुरुने अपने श्रोतावास कहा था कि रोमन कैथलिक लोग दुबल, रोगी और दुखी हैं। परन्तु, कैथलिक लोग कैसे हैं, यह निर्णय करनेके लिए अगर ट्रैपिस्ट लोगोंको कोई कसौटी माना जा सक तो, उल्टे, वे स्वस्थ और प्रसन्न हैं। हम जहाँ भी गये, प्रफुल्ल मुसकान और विनम्र नमस्कारसे हमारा अभिनन्दन हुआ — भले ही हम किसी भाईसे मिले हा या बहने। मागदशक भी जब हमें उस जीवन प्रणालीका वणन सुनाता था, जिसकी वह इतनी कद्र करता था, तब उस स्वयंवृत अनुशासनको दुसह मानता हुआ दिख लाई नहीं पड़ता था। अमर श्रद्धा और पूर्ण, बेशत आज्ञापालनका इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण अन्यत्र ढूँढे नहीं मिल सकता।

अगर उनका भोजन यथासम्भव सादेसे सादा है तो उनकी भोजनकी मेड और उनके शयनके कमरे भी कम सादे नहीं हैं।

मेजें आश्रममें ही बनी हुई हैं और उनमें कोई वार्निश नहीं है। मेजपोंकोंका उपयोग नहीं किया जाता। छुरियाँ और चम्मच डबनके बाजारमें उपलब्ध सस्तेसे सस्ते हैं। काँचके बतनोंके स्थान पर वे तामचीनीके बतन काममें लाते हैं।

शयनके लिए एक लम्बा-चौड़ा कमरा है (परन्तु वह आश्रमवासियोंकी सख्याकी दृष्टिसे बड़ा नहीं है)। उसमें ८० बिस्तर हैं। सारी उपलब्ध जगहका बिस्तरोंके लिए उपयोग किया जाता है।

देशी लोगोंके हिस्सेमें, मालूम हाता था, उन्होंने बिस्तरोंकी अति कर दी है। मैंने ही हम उनके सोनेके कमरेमें घुसे हमने वहाँ बन्द और दम घोंटनेवाली या महसूस की। तमाम बिस्तर एक-दूसरेसे सटे हुए थे। उन्हें पृथक् करनेके लिए सिर्फ एक-एक तस्ता लगा था। चलनेके लिए भी जगह मुश्किलसे थी।

वे रग-भेदमें विश्वास नहीं करते। देशी लोगोके साथ वैसा ही बरताव किया जाता है, जैसा कि गोरोके साथ। देशी लोग अधिकतर बच्चे हैं। उन्हें वही भोजन दिया जाता है, जो कि "भाइयो" को मिलता है। कपड़े भी उतने ही अच्छे होते हैं। आम तौरपर कहा जाता है कि काफ़िरोको ईसाई बनाना व्यर्थ हुआ है। और इसमें कुछ सत्य न हो तो बात भी नहीं। परन्तु यह तो हर व्यक्ति—बड़ेसे बड़ा अविश्वासी भी मानता है कि ट्रैपिस्ट लोगोकी मिशन, सबमुच, अच्छे देशी ईसाई बनानेमें अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है। जब दूसरे पथोके मिशन स्कूल देशी लोगोको पश्चिमी सभ्यताके तमाम भयानक दुर्गुण ग्रहण कर लेनेका अवसर देते हैं और उनपर नैतिक असर कभी-कभी ही डाल पाते हैं, तब ट्रैपिस्ट मिशनके देशी लोग भादगी, सद्गुण और शिष्टताके नमूने हैं। उन्हें राहगीरोको नम्रतापूर्वक, फिर भी गौरवपूर्ण ढंगसे, अभिवादन करते देखना एक आनन्दकी बात थी।

मिशनमें लगभग १,२०० देशी लोग हैं। इनमें बच्चे और वयस्क सब शामिल हैं। उन सबने आलस्य, अकम्प्यता और अधविश्वासका जीवन छोड़कर उद्यम, उपयोगिता और एक परमात्माकी भक्तिका जीवन ग्रहण कर लिया है।

आश्रममें लोहारी, टीनसाजी, बडईगीरी, जूते बनाने, चमड़ा पकाने, आदिके तरह तरहके काम घर या कारखाने हैं। उनमें देशी लोगोको ये सब उपयोगी उद्योग सिखाये जाते हैं। इनके अलावा अग्रेजी और जूलू भापाएँ भी पढाई जाती हैं। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि यद्यपि इन प्रवासियोमें करीब-करीब सभी जमन हैं, वे देशी लोगोको जमन भापा सिखानेका प्रयत्न कभी नहीं करते। यह उन उदात्त प्रवासियोकी उच्चाशयताका परिचायक है। ये सब देशी लोग गारोंके साथ कबसे कथा मिलाकर काम करते हैं।

बहनोके विहारमें अस्नरी करने, सिलाई, चुनाई और तिनकोके टीप बनानेके विभाग हैं। वहाँ देशी बालिकाओको स्वच्छ वस्त्र पहने परिश्रमके साथ काम करते देखा जा सकता है।

मठसे लगभग दो मील पर छपाईका विभाग और एक जल प्रपातसे चलने-वाली आटा-चक्की है। इमारत बहुत बड़ी है। वहाँ एक तेल निकालनेकी मशीन—घानी भी है जिसमें भूंगफलीका तेल निकाला जाता है। कहना आवश्यक नहीं कि उपर्युक्त कारखानोंसे आश्रमवासियोकी अधिकतर जरूरतें पूरी हो जाती हैं।





गरीरका दमन करनेमें सहायता मिलती है। शायद वे अन्नाहार-मण्डलोके अस्तित्वसे भी अभिन्न नहीं हैं और अन्नाहार सम्बन्धी किमी साहित्यको पढ़नेकी परवाह भी न करेंगे। फिर भी, इस टोली के साथ एक सामोर्गिक समागमसे मनुष्यका हृदय प्रेम, उदारता और आत्म-त्यागकी भावनासे ओतप्रोत हो जाता है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे अन्नाहारकी विजयका सजीव प्रमाण है। ऐसी हालतमें, वह कौन-सा अन्नाहारी है, जो इस उदात्त टोली पर अभिमानसे सिर ऊचा न कर लेगा? म व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि आश्रमकी यात्रा करनेके लिए लदनसे नेटाल तककी यात्रा भी ज्यादा न होगी। आश्रम-यात्रा मत्र पर चिरस्थायी पवित्र प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती। भले ही कोई प्रोटेस्टेंट, ईसाई, बौद्ध, या कुछ भी क्या न हो, आश्रमको देखनेके बाद यह उदगार निकाले बिना नहीं रह सकता कि "अगर रोमन कैथलिक पथ यही है, तो इसके विरुद्ध कही गई प्रत्येक बात झूठ है।" मेरा खयाल है, इमने निर्णायक रूपमें सिद्ध हो जाता है कि किसी भी धमको उसके पालनेवाले अपने आचरणमें जसा दिखाते हैं, वैसा ही वह दैवी अथवा शैतानी होता है।

[ अग्रेजीसे ]

वेजिटेरियन, १८-५-१८९५

## ५२ प्रार्थनापत्र लार्ड रिपनको

प्रिटोरिया, २० आ० ग०

[ म०, १८९५ ]<sup>१</sup>

सवामें

श्रीमान् परमश्रेष्ठ मार्क्विस् ऑफ रिपन

सम्राज्यके मुख्य उपनिवेशमंत्री, लदन

दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीयोका प्रायनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें प्रार्थियोकी जो स्थिति है और खास तौरसे भारतीयोके मामलेमें आरज फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाधीशके पच-फैमलेका उस पर

१ यह प्रार्थनापत्र १४ मईके बाद किसी समय भेजा गया था। सर जेफ्रिस हाथेने इमे ३० म०, १८९५को वेमटाउन स्थित उच्चायुक्त ( हाई कमिश्नर ) के पास भेजा था।

जो असर पडा है, उसके सम्बन्धमें प्रार्थी महानुभावके सामने आदरपूर्वक वह प्रायनापत्र पेश करनेकी इजाजत लेते हैं।

(२) आपने प्रार्थी चाहे व्यापारी हों, चाहे दूकानदारोंके सहायक, फरीवार, रसोइये, हजूरिये (वेटर), या मजदूर, सारे ट्रान्सवालमें बिखरे हुए हैं। फिर भी, जोहानिसबर्ग और प्रिटोरियामें वे सबसे बड़ी सख्यामें बसे हैं। व्यापारी लगभग २०० हैं। उनकी चुकता पूजी १,००,००० पाँड होगी। उनकी करव तीन पेढियाँ इंग्लैंड, डवन, पोट एलिजाबेथ, भारत तथा अन्य स्थानसे सीव माल आयात करती हैं। इस तरह दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें उनकी छाछार है, जिनका अस्तित्व मुख्यत उनके ट्रांसवालके व्यापार पर निर्भर करता है। शेष लोग छोटे-छोटे विक्रेता हैं। उनकी दूकानें विभिन्न स्थानोंमें हैं। गणराज्यमें लगभग २,००० फेरीवाले हैं। वे माल खरीदकर, घर घर धूमकर बवन हैं। जो लोग मजदूर हैं वे यूरोपीयोंके घरों या होटलमें साधारण नौकरोंके काम पर लगे हुए हैं। उनकी सख्या लगभग १,५०० है। उनमेंसे लगभग १,००० जोहानिसबर्गमें रहते हैं।

(३) राज्यमें अपनी चिन्ताजनक स्थितिकी विवेचनामें उतरनेके पहले प्रार्थी अत्यन्त आदरपूर्वक महानुभावको बताना चाहते हैं कि यद्यपि हमारा हिताहित दाँव पर चढा था, हमसे पच-फैसलेके बारेमें कभी एक बार भी सलाह नहीं की गई। हम यह भी बताना चाहते हैं कि जिस क्षण पच-फैसलेका विषय छेडा गया था, उसी क्षण हमने पच-फैसलेके सिद्धान्त और पचके चुनाव दादा पर आपत्ति प्रकट की थी। आपत्ति जवानी तौर पर प्रिटोरिया स्थित ब्रिटिश एजेंटको सूचित कर दी गई थी। हम यह कहनेके लिए इस अवसरका उपयोग कर लेना चाहते हैं कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें जिन प्रार्थियोंको समय-समय पर ब्रिटिश एजेंट महोदयकी सेवामें उपस्थित होनेका मौका पडा है, उनसे वे सदैव अत्यन्त शिष्टतासे मिले हैं और उनकी बातें उन्होंने उतने ही ध्यानसे सुनी हैं। प्रार्थी महानुभावका ध्यान इस बातकी ओर भी आकर्षित करते हैं कि सम्राज्यके उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) के पास वेपटाउनको एक लिखित विरोध-पत्र भी भेजा गया था। तथापि, इस विषयकी चर्चा करनेमें प्रार्थियोंकी इच्छा आरेज परी स्टेटके विधान मन्त्र न्यायाधीशकी उच्चायुक्तता अथवा ईमानदारी पर आक्षेप करनेकी जग भी नहीं है। वे सम्राज्यके अफसरोंकी बुद्धिमत्ता पर भी कोई आशेप करना नहीं चाहते। विधान मन्त्र न्यायाधीशके भारतीय-विरोधी रखसे प्रार्थी परिचित

थे। अतएव उन्होंने सोचा, और अब भी उनका नम्र खयाल यही है कि, न्यायाधीश महोदय जोरदार प्रयत्न करनेपर भी प्रश्न पर सतुलित विचार नहीं कर सकते थे। और ऐसा करना तो किसी भी मामलेको सही और उचित रूपसे समझनेके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पहलेमे मामलोका परिचय रखनेवाले न्यायाधीशोने उनके फैसले करनेसे अपने हाथ खींच लिए हैं। उन्होंने सोचा है कि वही वे पहलेमे जमी हुई धारणाओ अपवा पूर्वग्रहोंके कारण गलत निणय न कर डालें।

(४) सम्राज्ञी-सरकारकी ओरसे विद्वान पचको मामलेके सम्बन्धमें निम्न-लिखित निर्देश दिया गया था

“पचको स्वतन्त्रता होगी कि वह सम्राज्ञी-सरकार और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य-सरकारकी ओरसे पेश किये गये दावामें से किसी एकके पक्षमें फैसला दे दे। वह उक्त अध्यादेशों (आर्डिनेन्सेज) को विचाराधीन विषय सम्बन्धी खरीताके साथ पढकर उनपर भी अपनी समझके अनुसार उचित निणय देनेको स्वतन्त्र है।”

(५) पच-फैसला, पत्रोंमें जैसा प्रकाशित हुआ है, यो है

(क) सम्राज्ञी-सरकार और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके दावे खारिज किये जाते हैं। वे सिर्फ निम्नलिखित हद और अंश तक स्वीकार्य हैं

(ख) दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यको अधिकार है और वह बाध्य है कि भारतीय व्यापारियोंके प्रति व्यवहार करनेमें फोक्सराट [लोकसभा] द्वारा १८८६ में सशोधित कानून न० ३ (१८८५)को पूरा-पूरा अमलमें लाये। जो अथ एशियाई व्यापारी ब्रिटिश प्रजा-जन हो उनके साथ भी ऐसा ही किया जाये। शत यह है कि (किसी व्यक्तिके द्वारा या उसकी ओरसे आपत्ति उठाई जाने पर कि उसके साथ किया जानेवाला व्यवहार सशोधित कानूनके अनुकूल नहीं है) देशके साधारण व्यापारिकरणो [ट्रिब्यूनल्स]का निणय अन्तिम होगा।

(६) अब, प्राथियोका नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त निणय विचारणीय विषयके अनुकूल न होनेके कारण नि सत्त्व है। इसलिए सम्राज्ञी-सरकार उसे माननेके लिए बाध्य नहीं है। जिस उद्देश्यको लेकर पच-फैसला करानेका निश्चय किया गया था वह स्वयं ही विफल हो गया है। आदेश-पत्र पचको यह विकल्प देता है कि वह या तो किसी एक सरकारके दावेको सही करार

दे दे, या अध्यादेशाकी ऐसी व्याख्या कर दे, जो प्रस्तुत विषय मन्त्री खरीतोका ध्यान रखते हुए, उसे सही जँचे। विद्वान पचने स्वयं व्याख्या करनेके बजाय उसकी जिम्मेदारी दूसरोका सौंप दी है। फिर, यह जिम्मेदारी ऐसे लागा तक सीमित रखी गई है, जिनका पद ही उन्हें उन समाप्त प्रमाणा और प्रक्रियाओका उपयोग करने नहीं दे सकता, जिनका उपयोग इस कायके लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिनका उपयोग करनेका पचने खास निर्देश भी किया है और, जिनसे वे शायद ठीक कानूनी तो नहीं, मगर न्यायपूर्ण और उचित व्याख्या कर सकेंगे।

(७) हमारा निवेदन है कि निणय दो आधारों पर अवय है। पहले तो इसलिए कि पचने अपना अधिकार दूसरोको सौंप दिया है। यह दुनियाका कोई पच नहीं कर सकता। दूसरे, पचने निर्देशोका पालन नहीं किया, क्योंकि उसे जिस प्रश्नका निर्णय करनेका विशेष आदेश दिया गया था उसे उसने अनिर्णीत छोड़ दिया है।

(८) स्पष्ट है कि उद्देश्य यह नहीं था कि व्याख्याके प्रश्नका निश्चय अदालतमें कराया जाये, बल्कि यह था कि उसे हमेशाके लिए समाप्त कर दिया जाये। अगर ऐसा न होता तो सम्राज्जी-सरकार व्याख्याके प्रश्नको लेकर इतना पत्र-व्यवहार कदापि न करती, जा ट्रान्सवाल प्रीन बुक्स [हरी किताब], न० १ और २ — सन् १८९४, में पाया जाता है। हमारा निवेदन है कि जिस प्रश्नका निर्णय सिर्फ कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके पर होना था, और हो सकता है, उसका निणय, अगर पच फसलेको बच माना जाये तो, सिर्फ अदालती तरीकेके लिए छोड़ दिया गया है। और, जसा कि सरकारकी ओरसे पेश किये गये मामलेमें खाम तोरसे कहा गया है ट्रान्सवालके मुख्य न्यायाधीशने इस्माइल सुलेमानके मामलेमें इस विषयपर अपना मत पहले ही व्यक्त कर दिया है। अगर यह सच है तो इस प्रश्नका फसला क्या होगा, यह तय-ना ही है। इसके प्रमाणके लिए प्रार्थी महानुभावका ध्यान उन दिनोंके समाचारपत्रों, खास तोरसे जोहानिसमर्ग टाइम्स (साप्ताहिक संस्करण) के २७ अप्रैल, १८९५ के अक्की ओर आकर्षित करते हैं।

(९) परन्तु महानुभावक प्रति प्रार्थियोंके निवेदनका आधार ज्यादा ठीक और ज्यादा व्यापक है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रश्नका अंतर सम्राज्जीके हजारों प्रजाजनोंपर पड़ता है, वत हल्पर सकड़ों त्रिनि

प्रजाजनोक्ती रोटीका सवाल निभर है और जिसवे बानूनी हलसे सैकड़ो कुटुम्ब बरबाद तथा पैसे-पैसेके मुहताज हो सवते हैं, उमे महज अदालतके फँगलेके लिए न छोडा जायेगा। अदालतमें हर आदमीवे हाय बँधे होने हैं और इस तरहके विचारोंकी गुजाइश नही होती। अगर आखिरबार ट्रान्सवाल सरकारका ही पक्ष बहाल रखा गया तो, जहाँतक व्यापारियोका सम्बन्ध है, उसका अर्थ होगा न सिर्फ उनका पूण व्यक्तिगत विनाश, बल्कि ट्रान्सवाल और भारत दोनोमें रहने-वाले और उनपर निभर करनेवाले उनके रिश्तेदारो और नौकरोका भी सर्वनाश। महानुभाव देखेंगे कि प्रार्थियोके खिलाफ कुछ स्वार्थी लोगाने गलत प्रचार किया है। अगर प्रार्थियोको बिना किसी अपराधवे, बेचल उस प्रचारवे ही कारण उनकी वर्तमान जगहोंसे खदेड दिया गया तो उनमें से कुछन लिए, जा लम्बे समयसे ट्रान्सवालमें व्यापार कर रहे हैं, उदर-शोषणके नये स्थान शोजना और जीवन-निर्वाह करना बिलकुल असम्भव हा जायेगा।

(१०) प्रश्न बहुत गभीर है, और बहुत अधिक हित दाँवपर हैं। इसलिए हम महानुभावके विचारवे लिए अपनी स्थितिका थोडा विस्तृत विवरण नीचे दे रहे हैं। हमारा नम्र अनुरोध है कि महानुभाव उसपर पूरा-पूरा ध्यान दें।

(११) १८८१ के समझौतेकी उपधारा १४वीं देशी लोगोंको छोडकर शेष सबके हितोंका समान रूपसे सरक्षण करती है। उसका उल्लघन दुर्भाग्यपूर्ण है। वह इस धारणासे किया गया है कि भारतीय आवश्यक स्वच्छताका पालन नही करते। यह धारणा गिने-चुने स्वार्थी लोगोंके गलत प्रचारवे कारण बँधी है। १८८५ के तीसरे बानून सम्बन्धी सारे पत्र-व्यवहारमें सम्राज्ञी-सरकारने जोरोंके साथ कहा है कि जनताके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भारतीयोंके लिए पूयक् गलियाँ भले ही निश्चित कर दी जायें, परन्तु उन्हें शहरोंवे कुछ निश्चित भागोमें ही व्यापार करनेवे लिए बाध्य नही किया जा सकता। १८८५ के तीसरे बानूनका कुछ दिना जोरोंसे विरोध करनेवे बाद तत्कालीन उच्चायुक्त (हार्डि कभिन्सन) सर एच० राबिन्सनने १८८६ के सलाघनका विरोध समेटते हुए अपने २६ सितम्बर, १८८६ के पत्र (ग्रीन बुक न० १, १८९४, प० ४६) में कहा "यद्यपि नशोधित कानून अब भी लदन-समझौतेकी १४वीं धाराका भंग करनेवाला है, महानुभावके इस मतवे कारण कि वह जनताके स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए आवश्यक है, मैं सम्राज्ञी-सरकारको उसका और विरोध करनेकी सलाह नही दूगा।" पत्र के हाथो मामनेके सँपि जाने तथा १८८५ के तीसरे कानून-सम्बन्धी उल्लेखसे भी

साफ यही मालूम होता है कि समझौतेसे हटनेकी अनुमति केवल स्वच्छताके कारणोंसे दी गई थी।

(१२) प्राचीं अत्यन्त आदरके साथ विन्तु जोरदार शब्दोंमें इस मान्यताका विरोध करते हैं कि ऐसे समझौता-न्यायके लिए स्वच्छता-सम्बन्धी कारण मौजूद है। प्राथियोंको आता है कि वे सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे कोई कारण मौजूद नहीं है।

(१३) प्राचीं इसके साथ डाक्टरोंके तीन प्रमाणपत्र नत्वी कर रहे हैं। ये प्रमाणपत्र स्वयस्पष्ट हैं। इनमें मालूम होता है कि भारतीयोंके मकान स्वच्छताका दृष्टिसे यूरोपीयोंके मकानोंसे किसी तरह ओछे नहीं पडते (परिगिष्ट क, स, ग)। प्रिटोरियामें प्राथियोंके मकानों और वस्तु भंडारोंके अगल-बगल यूरोपीयोंके मकान और वस्तु भंडार भी मौजूद हैं। अतएव हम चुनौती देते हैं कि हमारे मकानोंकी हमारे पड़ोसमें रहनेवाले यूरोपीयोंके मकानोंसे तुलना की जाए।

(१४) निम्नलिखित बेमांगा प्रमाणपत्र अपनी बात आप ही कहेगा। १६ अक्टूबर, १८८५ को स्टैंडर्ड बैंकके तत्कालीन सयुक्त प्रबंधक श्री मिचेलने उच्चायुक्त सर एच० राबिन्सनको लिखा था

अगर मैं यह कहूँ तो अनुचित न माना जायेगा कि जहाँतक मैं जानता हूँ, वे (भारतीय ध्यापारी) सबके सब हर तरहसे व्यवस्थित, उद्योगी और इज्जतदार हैं। उनमें से कुछ ऊँची स्थितिके और धनवान ध्यापारी हैं। मारोशस, बम्बई तथा दूसरे स्थानोंमें उनकी बड़ी-बड़ी पेड़ियाँ हैं— (प्रीत बुक १, पृ० ३७)।

(१५) लगभग ३५ सुविस्मात यूरोपीय पेड़ियाँ

स्पष्ट घोषणा करनी है कि उपर्युक्त भारतीय ध्यापारी, जिनमें से अधिकांश बम्बईसे आये हैं, अपने ध्यापार और रहनेके स्थानोंको स्वच्छ तथा स्वास्थ्य-नियमोंके अनुकूल रखते हैं। वास्तवमें वे उन्हें अपनी ही अच्छी हालतमें रखते हैं, जितनी अच्छी हालतमें यूरोपीय रखते हैं— (परिगिष्ट घ)।

(१६) फिर भी यह सही है कि ये बातें समाचारपत्रोंमें प्रकाशित नहीं होतीं। पत्र मानते हैं कि आपने प्राचीं "गन्दे कीड़े" हैं। फोक्सराट [लोक समाज]को जो अजियाँ भेजी जाती हैं उनमें भी यही कहा जाता है। कारण स्पष्ट है। इन सब बहसामें भाग लेने या अपने बारेमें की जानेवाली तमान

गलतबयानियासे परिचित रहने योग्य अंग्रेजी न जाननेके कारण, प्रार्थी हमेशा ऐसे प्रचारका खडन करनेकी स्थितिमें नहीं होते। वे तभी यूरोपीय पेढियो और डाक्टरोके पाम अपनी स्वच्छता-सम्बन्धी आदताके बारेमें उनका अभिप्राय मांगने गये, जबकि उन्होने देखा कि उनका अस्तित्व ही सतरमें है।

(१७) परन्तु प्रार्थियाको भी अपने बारेमें स्वयं निवेदन करनेका अधिकार तो है ही। वे समय-बूझकर और निस्सकाच कह सकत हैं कि सामूहिक रूपमें उनसे भवान भले ही भदे हो, और निस्सदेह वे सजे-घजे तो हैं ही नहीं, फिर भी सफाईकी दृष्टिसे वे यूरोपीयाने मकानोकी अपेक्षा किसी तरह ओछे नहीं हैं। और जहाँतक उनकी व्यक्तिगत आदताका सम्बन्ध है, वे पूरे विश्वासके साथ यह सक्ते हैं कि वे ट्रान्सवालवासी यूरोपीयोकी अपेक्षा, जिनके साथ उनका बार-बार सम्बन्ध आता है, ज्यादा पानी काममें लाने ह, और ज्यादा बार स्नान करते हैं। परन्तु, प्रार्थियोकी यह इच्छा जरा भी नहीं कि वे तुलना करके अपने-आपको अपने यूरोपीय भाइयाम धेष्ठ सिद्ध करनेका प्रयत्न करें। यहाँ उन्हें जो यह तुलनाका माग अगीकार करना पडा है उसका एकमात्र कारण परिस्थितियोकी प्रवृत्ता है।

(१८) ग्रीन बुकके पृष्ठ १९-२१ पर दी हुई दो अचड़ी-खासी अजियामें सब एशियाइयोको पृथक् कर देनेकी प्रायना की गई है। उनमें तमाम एशियाइयो, चीनियो आदिको समग्र रूपमें धिक्कारा गया है। उनके कारण उपर्युक्त बातें कहना विष्कुल जरूरी हो गया। पहली अर्जीमें उन भयानक दुर्गुणाका गिनाया गया है जो, उसमें कहे अनुसार, चीनियोमें विशेष रूपसे है। दूसरी अर्जीमें पहलीका उल्लेख करते हुए तमाम एशियाइयोको शामिल कर लिया गया है, और उन्हें धिक्कारा गया है। इसमें चीनियो, कुलियो और अन्य एशियाइयोकी खास तौरसे चर्चा करते हुए "इन लोगोकी गन्दी आदता और अनैतिक चरित्रसे उत्पन्न कोड, उपद्रव तथा इसी तरहके अय घृणित रोगोके कारण समाजके समक्ष सपस्थित खतर"का उल्लेख किया गया है।

(१९) अधिक तुलनामें न उतरकर, और चीनियास सम्बन्ध रखनेवाले प्रदत्तमें न जाकर, प्रार्थी अत्यन्त बलपूर्वक निवेदन करते हैं कि जहाँतक प्रार्थियोका सम्बन्ध है, उपर्युक्त आरोप पूणत निराधार है।

(२०) स्वार्थी आन्दोलनकारी कहाँतक गये हैं, यह बतानेके लिए प्रार्थी नीचे एक प्रायनापत्रका अर्थ उद्धृत करत हैं। यह प्रायनापत्र आरेंज फ्री स्टेटकी



संसद को दिया गया था। इसकी एक नकल प्रिटोरिया व्यापार-मण्डली सम्मतिवे ट्रान्सवाल सरकारको भेजी गई थी

ये लोग पत्नियों या स्त्री-सम्बन्धियोंके बिना राज्यमें आते हैं, इसलिए परिणाम स्पष्ट है। इनका घमं इन्हें सब स्त्रियोंको आत्मारहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक शिकार मानना सिखाता है— (ग्रीन बुक न० १, १८९४, प० ३०)।

(२१) प्रार्थी पूछते हैं कि क्या भारतके महान घमोंपर इससे भी ज्यादा निरकुश कोई लाइन, या भारत-राष्ट्रका इससे भी बड़ा कोई अपमान हो सकता है?

(२२) उल्लिखित 'हरी कितावा' (ग्रीन बुक्स) से दीख पड़ेगा कि भारतीयोंके खिलाफ मामला तैयार करनेमें इसी तरहके कथनोंका उपयोग किया गया है।

(२३) सच्चा और एकमात्र कारण हमेशा छिपाया गया है। प्रार्थियोंको लाचार करनेका या उनके सम्मानके साथ जीविका उपाजित करनेके मागमें प्रत्येक प्रकारकी बाधा डालनेका एकमात्र कारण व्यापारिक ईर्ष्या है। सारीकी सारी जेहाद प्रायः उन्हीं प्रार्थियोंके विरुद्ध है जो व्यापारी हैं। वे अपनी होइसे और अपनी मितव्ययी आदतोंके कारण जीवनकी आवश्यक वस्तुओंके भाव धारणमें समय हुए हैं। यह यूरोपीय व्यापारियोंके अनुकूल नहीं पड़ता। वे तो भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं। भारतीयोंकी आदतें सीधी-सादी हैं। इसलिए वे थोड़े-से लाभसे सन्तुष्ट रहते हैं। उनके विरुद्ध आन्दोलनका एकमात्र कारण यही है। दक्षिण आफ्रिकामें हर कोई इसे भली भाँति जानता है। दक्षिण आफ्रिकाके पत्रोंसे भी जाना जा सकता है कि बात ऐसी ही है। वे कभी-कभी स्पष्ट कह कर द्वेषभावको सच्चे रूपमें प्रकट कर देते हैं। भारतीयोंके प्रश्नको तिरस्कारके साथ "कुलियोंका प्रश्न" कहा जाता है। उसकी चर्चा करते हुए यह बनावट का वाद कि सच्चा 'कुली' दक्षिण आफ्रिकाके लिए अनिवाय है, नेगल एडवर्म्स इजने १५ सितम्बर, १८९३ के अक्षरों में ये उद्गार व्यक्त किये थे

भारतीय व्यापारियोंका दमन करनेके और सम्भव हो तो उन्हें बाध करनेके कदम जितनी जल्दी उठाये जायें उतना ही अच्छा। ये लोग अपनी धुन हैं, जो समाजका कलेजा खायें जा रहे हैं।

(२४) और भी, ट्रान्सवाल-मरकारके मुखपत्र मेंसने इस प्रश्नकी विवेचना करते हुए लिखा है "अगर एशियाई आक्रमण समयपर न रोका गया तो यूरोपीय दूकानदारोको गरदनियाँ दे दी जायेगी, जैसा कि नेटालमें और वेप बालोनीके अनेक भागोमें हुआ है।" यह पूराका पूरा लेख बड़ा मनारजक है। दक्षिण आफ्रिकामें गैर-भारे लोगोके प्रति यूरोपीयोकी भावनाओका यह एक अच्छा नमूना है। यद्यपि इसका साराका मारा रख ही होइसे पैदा हुए भयका सूचक है, फिर भी यह हिस्सा विशेष लाक्षणिक है

अगर ये लोग हमारे ऊपर छा ही जानेवाले ह, तो यूरोपीयोका व्यापार करना असम्भव हो जायेगा। और, जिन लोगोमें उपद्रव तथा कौड सामान्य रोग है, घृणित अनैतिकता जीवनकी साधारण चर्या है, उनके विशाल समुदायके निकट सम्पर्कसे अनिवाय भयानक एतरा हममें से प्रत्येक व्यक्ति पर आ दूटेगा।

(२५) और फिर भी, इसके साथ सलग्न प्रमाणपत्रमें डा० वोलने अपना समझा-बूझा अभिप्राय यह दिया है कि "निम्नतम श्रेणीके भारतीय निम्नतम श्रेणीके यूरोपीयोकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीकेसे, ज्यादा अच्छे मकानोमें और सफाईके नियमोका ज्यादा खयाल करके रहते हैं।" (परिशिष्ट क)।

(२६) इसके अलावा, उक्त डाक्टरने लिखा है कि "किसी न किसी समय प्रत्येक राष्ट्रीयताके एक या अधिक लाग कांड आदि बीमारियोके अस्पतालमें रहे हैं, परन्तु भारतीय एक भी नहीं रहा।" जोहानिसबगवे दो डाक्टरके प्रमाणपत्र इस आशयके भी है कि, "भारतीय अपनी ही स्थितिके यूरोपीयाकी अपेक्षा किसी कदर ओछे नहीं हैं।" (परिशिष्ट ख और ग)।

(२७) अपने पक्षका और भी प्रमाण देनेके लिए प्रार्थी १३ अप्रैल, १८८९ के फ्रेम टाइम्सके एक अग्रलेखका अंश उद्धृत कर रहे हैं। उसमें भारतीयोंके पक्षको यथेष्ट न्यायके साथ पैदा किया गया है

भारतीय और अरब व्यापारियोंके कार्योंके बारेमें सुबहके अखबारोंमें जब-तब कुछ लेखाशय पढ़नेसे उस घोर-युक्कारकी याद आ जाती है जो थोड़े ही दिन पहले ट्रान्सवालकी राजधानीमें 'कुली व्यापारिया'के सम्बन्धमें मची थी।

भारतीयोंके बारेमें एक अन्य पत्रके प्रकाशायुक्त बणनका उद्धरण देनेके बाद लेखमें कहा गया है

उन आदरास्पद और कठोर परिश्रम करनेवाले लोगोकी स्थितिको इतना गलत समझा गया है कि उनकी राष्ट्रीयताकी ही उपेक्षा हो गई है। उनपर एक ऐसा थुरा नाम जड़ दिया गया है, जो उन्हें उनके सहजीवियोंकी दृष्टिमें नितान्त निम्न स्तरपर रखनेवाला है। फिर, यदि उपर्युक्त पादवेहानियोंके होते हुए कोई क्षणभरके लिए उनकी चर्चा छेड़ दे तो शामद यह क्षमा किया जानैकी 'यायपूवक अपेक्षा कर सकता है। उनकी आर्थिक प्रवृत्तियोंकी दृष्टिसे भी, जिनकी सफलतापर उनका बढनाम करनेवाले अनेक लोग ईर्ष्या करेंगे, वह आन्दोलन समझमें नहीं आता। यह तो प्रवृत्तियाँ चलानेवालोको अधसम्य धर्मावलम्बी देशी लोगारो कोटिमें ढपेल देगा, उन्हें पुषक बस्तियोंमें ही रहनेके लिए बाध्य कर देगा और काफिरोंपर लागू किये गये कानूनोंसे भी सख्त कानूनोंके प्रति-बन्धमें रखेगा। ट्रांसवाल और इस उपनिवेशमें यह धारणा फली हुई है कि शात और नितान्त निर्दोष 'अरब' दूकानदार और उतने ही निर्दोष वे भारतीय, जो अपने बड़िया भालके गदुर पीठपर लादे घर घर घूमने हैं, 'कुली' ह। इसका कारण जिस जातिमें वे उत्पन्न हुए ह उसके धारेमें हमारा आलस्यमय अज्ञान है। अगर कोई सोचे कि काव्यमय तथा रहस्यपूर्ण पुराणोवाले ब्राह्मणधर्मकी कल्पनाने 'कुली व्यापारियों' की भूमिमें ही जन्म पाया था, चौबीस शताब्दियोंके पूर्व उसी भूमिमें देवतुल्य बुद्धने आत्मत्यागके महान सिद्धान्तका प्रचार और पालन किया था और हम जो भाषा बोलते ह उसके मौलिक तत्त्वोंकी खोजें उसी प्राचीन देशके पर्वतों और मदानोंमें हुई थीं, तो वह अफसोस किये बिना नहीं रह सकता कि उस जातिके वंशजोंके साथ तत्त्वशून्य चर्चरो और बाह्य जगनके अज्ञानमें डूबे हुए लोगोकी सतानोंके तुल्य बरताव किया जाता है। जिन लोगोने भारतीय व्यापारियोंके साथ धातघीत करनेमें कुछ मिनट भी बिताय ह, वे यह देखकर शायद आश्चर्यमें पडे होंगे कि वे तो विद्वानों और सज्जनोंसे बातें कर रहे ह। और उसी ज्ञानभूमिके बच्चोंको मात्र 'कुली' कहकर अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ काफिरोंका-सा व्यवहार हो रहा है।

अब तो ऐसा समय आ गया है कि जो लोग भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध घोल-भुकार मचाते हैं, वे उन्हें बतायें कि वे कौन हैं और क्या ह। उनके घोरतम निन्दकोंमें अनेक ब्रिटिश प्रजाजन ह, जो एक शानदार समाजकी सदस्यताके अधिकारो तथा विशेषाधिकारोका उपभोग कर रहे ह। अयायसे घृणा और औचित्यसे प्रेम उनका जन्मसिद्ध गुण है और जब उनका मामला होता है तब चाहे अपनी सरकारके प्रति हो, चाहे विदेशी सरकारके, वे अपने ही एक विशेष तरीकेसे अपने अधिकारो और स्वतंत्रताओंका आग्रह भी रखते ह। शायद यह उन्हें कभी सूझा ही नहीं कि भारतीय व्यापारी भी ब्रिटिश प्रजाजन ह और वे उतने ही व्यापारके साथ उहीं स्वतंत्रताओ और अधिकारोका दावा करते हैं। अगर पामस्टनके जमानेके एक वाक्यांशका प्रयोग किया जा सके, तो कमसे कम यह कहना होगा कि, जो अधिकार कोई दूसरेको देनेके लिए तैयार न हो, उनपर अपना दावा जताना ब्रिटिश स्वभावके बहुत विपरीत है। एलिजाबेथ-कालीन एकाधिकार जबसे मिटे तबसे सबको व्यापारका समान अधिकार प्राप्त हो गया है और यह ब्रिटिश संविधानका एक अंग-सा बन गया है। अगर कोई इस अधिकारमें हस्तक्षेप करे तो ब्रिटिश नागरिकताके विशेषाधिकार एकाएक उसके आड़े आ जायेंगे। भारतीय व्यापारी स्पर्धामें अधिक सफल ह और वे अंग्रेज व्यापारियोंकी अपेक्षा कममें गुजारा कर लेते ह — यह तक सबसे कमजोर और सबसे अयाय-पूण है। ब्रिटिश वाणिज्यकी नींव ही दूसरे देशोके साथ अधिक सफलतापूर्वक स्पर्धा करनेकी शक्तिपर रखी गई है। जब अंग्रेज व्यापारी चाहते ह कि सरकार उनके प्रतिद्वन्द्वियोंके अधिक सफल व्यापारके खिलाफ हस्तक्षेप करके उन्हें संरक्षण प्रदान करे, तब तो सबमुच संरक्षण पागलपनकी हदतक पहुँच जाता है। भारतीयोंके प्रति अयाय इतना स्पष्ट है कि अपने ही देशभाइयोको इन लोगोंके साथ सिर्फ इसलिए आदिवासियोंके जसा व्यवहार करनेकी कामना करते देखकर कि ये सफल व्यापारी ह, शर्म आती है। वे प्रबल जातिवे मुकाबलेमें इतने सफल हुए हैं, केवल यह कारण ही उहे उस अपमानजनक स्तरसे ऊपर उठा देनेके लिए पर्याप्त है।

जिन लोगोंको समाचारपत्र, डच और हताश

दूकानदार 'कुली' कहकर पुकारते ह उनसे भारतीय व्यापारी कोई बा  
चीज ह— यह बतानेके लिए इतना ही कहना काफी होगा।

(२८) उपर्युक्त उद्धरणस यह भी दीख पड़ेगा कि यूरोपीयोंकी भावना स्वयमे  
अधी न होनेपर भारतीयोंके विरुद्ध नहीं होती। परन्तु चूकि उपयुक्त 'हर  
किताबो' (ग्रीन बुक्स) में सबत्र जोर दिया गया है कि राज्यके बगर और  
यूरोपीय निवासी दोनों ही भारतीयोंके विरोधी हैं, इसलिए प्राचीं दक्षिण आफ्रिका  
गणराज्यके माननीय अध्यक्षके पास दो प्रायनापत्र भेज रहे हैं। एक प्रायना  
पत्रमें बताया गया है कि बगराकी एक बहुत बडी सख्या न केवल भारतीयोंके  
ट्रान्सवालमें स्वतन्त्रतापूर्वक निवास तथा व्यापार करनेकी विरोधी नहीं है, बल्कि  
यदि इन त्रासदायक कानूनाका आखिरी परिणाम उनका राज्य छोडकर चले जाता  
हुआ तो व लोग इसे एक सकट मानेंगे (परिशिष्ट ड)। दूसरे प्रायनापत्र  
यूरोपीयोंके हस्ताक्षर किये हैं। उसमें बताया गया है कि हस्ताक्षर-वर्ताओंके मउ  
भारतीयोंकी स्वच्छता-सम्बन्धी आदतें यूरोपीयोंकी आदतोंसे किसी बडर ही  
नहीं हैं और भारतीयोंके विरुद्ध आन्दोलनका कारण व्यापारिक ईर्ष्या-द्वेष है  
(परिशिष्ट च)। परन्तु यदि बात उलटी होती — अगर राज्यका प्रत्येक बार  
और प्रत्येक यूरोपीय भारतीयोंका धार विरोधी होता तो उसका भी, हमारा  
निवेदन है मुख्य मुद्देपर कोई असर न पडता। हाँ, अगर इस विरोधके कारण  
कुछ ऐस होते कि उनसे भारतीय समाजपर, जिसके खिलाफ ये भावनाएँ छनी  
हैं, बलक लगता होता, तो बात दूसरी होती। छपनेको अने समय (१४५९९)  
तब डच प्रायनापत्रपर ४८४ बगरावे और यूरोपीय प्रायनापत्रपर ११४  
यूरोपीयोंके हस्ताक्षर हो चुके हैं।

(२९) आरेंज फ्री स्टेटके मुख्य 'यायाधीश'का नियम प्रदत्तको जरा भी ता  
नहीं करता। उससे प्रदत्तका हल जरा भी आमान नहीं हाता। नीचे लिख  
यातासे यह स्पष्ट हो जायेगा।  
नियमके बाद भी सत्ताधीशके मरदानका सक्रिय प्रयोग ठीक उनका ही रहने  
रहगा जैसे कि नियम दिया ही न गया हो। अगर दलीलके लिए — और  
बयल दलीलके लिए ही — माता लिया जाये कि नियम उचित और अल्प है  
और ट्रान्स्वाल्क मुख्य 'यायाधीश'ने फगला कर लिया है कि भारतीयोंको मरदान  
द्वारा निदिबन जगहामें ही रहना तथा व्यापार करना हागा तो एकरा बर  
उठगा है कि उन्हें कहाँ रखा जायगा ? क्या उन्हें लिफ्टी जमीनपर रखा  
जायेगा, जहाँ मरदानि नियमाका पालन अगम्भय है और जो मरदाने इन्हीं

दूर है कि भारतीयोंके लिए व्यापार करना और सम्यतासे रहना बिलकुल असम्भव हो जायेगा ? यह बिलकुल सम्भव है। मलायी लोगोंके असनेके लिए १८९३ में रहनेके अयोग्य स्थान निश्चित करनेके विरुद्ध श्रीमान ब्रिटिश एजेंटने ट्रान्सवाल सरकारको जो निम्नलिखित जोरदार विरोधपत्र भेजा था (ग्रीन बुक न० २, पृ० ७२) उससे यह सम्भावना स्पष्ट दीख पड़ेगी

जिस स्थानका उपयोग शहरका फूडा-करफट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर और बस्तीके बीचके नालेमें गिरझिरकर जानेवाले पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं, उसपर बसी हुई छोटी-सी बस्तीमें लोगोंको ठूस देनेका अनिवाय परिणाम यह होगा कि उनके बीच भयानक किस्मके बुखार और दूसरे रोग फैल जायेंगे। इससे उनके प्राण और शहरमें रहनेवाले लोगोंका स्वास्थ्य भी खतरेमें पड़ जायेगा। परन्तु इन गम्भीर आपत्तियोंके अलावा, इन लोगोंमें से कुछके पास बताई गई जमीनपर (या और कहीं) बसे मकान बना लेनेके साधन भी नहीं है, जसेमें रहनेकी इनकी आदत है। इसलिए इन्हें इनके वर्तमान मकानोंसे निकालनेका परिणाम इन सबका प्रिटोरिया छोड़कर घले जाना होगा। इससे इन्हें जो कठिनाइयाँ होगी उनका तो कहना ही क्या, जो गोरे लोग इनसे भजदूरी कराते हैं उन्हें भी भारी असुविधा और हानिका सामना करना पड़ेगा।

(३०) उसी किताबके आखिरी पृष्ठपर अपने २१ माच, १८९४ के खरीतेमें उच्चायुक्तने कहा है

सम्राज्यी-सरकार मानती है कि पच-फसला एशियाकी उन सब आदिमजातियोंपर लागू होगा, जो ब्रिटिश प्रजा हो।

(३१) अगर इस खरीतेकी दृष्टिसे पच-फसला एशियाकी आदिमजातियोंपर लागू होना है, तो प्रश्न यह उठता है कि यदि तमाम एशियाइयोंको ही आदिमजातिके लोग न मान लिया जाये तो क्या ट्रान्सवालमें कोई भी एशियाई आदिमजातिके है ? और, हमारा विश्वास है, सारेके सारे एशियाइयोंकी आदिमजातिके मान लेनेकी घुष्टता तो क्षण भरके लिए भी नहीं की जायेगी। इसलिए, निश्चय ही प्रार्थी आदिमजातिके लागाकी श्रेणीमें नहीं आयेंगे।

(३२) अगर भारतीयोंके प्रति सारे विरोधका मूल सफाई ही है, तब तो निम्नलिखित प्रतिबंध बिलकुल समझमें आने योग्य नहीं है

(१) काफ़िरोकी तरह भारतीय भी अचल सम्पत्तिके मालिक नहीं हो सकते ।

(२) भारतीयोंके लिए अपने नाम पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कराना अनिवार्य है, जिसका शुल्क ३ पाँड १० शिलिंग होगा ।

(३) जबतक भारतीयोंके पास पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के टिकट न हों तबतक गणराज्यसे गुजरनेमें उन्हें, देशी लागूके समान, परवाना दिखा सक्ना चाहिए ।

(४) रेलगाड़ियोंमें वे पहले या दूसरे दर्जमें यात्रा नहीं कर सकते । वे देशी लोगोंके साथ उसी डिब्बेमें घोंघ दिये जाते हैं ।

(३३) इन तथ्या अपमानाका इक तब और भी पीडाजनक हो उठता है जब यह स्मरण आता है कि अनेक प्रार्थी डेलागोआ-बेमें बड़ी-बड़ी जायदादोंके मालिक हैं । वहाँ उनका इतना आदर है कि उन्हें रेलगाड़ीका तीसरे दर्जेका टिकट लेने ही नहीं दिया जाता । वहाँ यूरोपीय खुसीके साथ उनका स्वागत करते हैं । उन्हें परवाने नहीं रखने पड़ते । फिर, ट्रान्सवालमें, प्रार्थी पछते हैं, उनके साथ भिन्न व्यवहार क्यों होना चाहिए ' क्या उनकी सफाईकी आदतें ट्रान्सवालमें प्रवेश करते ही गन्दी हो जाती हैं ? अन्सर देखा जाता है कि वही यूरोपीय उसी भारतीयके साथ डेलागोआ-बे और ट्रान्सवालमें भिन्न व्यवहार करता है ।

(३४) परवानेका कानून कितना धामदायक है, यह बतानेके लिए प्रार्थी इसके साथ श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादाका हलफनामा नत्थी कर रहे हैं, जो स्वयस्पष्ट है (परिशिष्ट छ) । हलफनामके साथ एक पत्रकी नकल है (परिशिष्ट ज) । उससे मालूम हा जायगा कि श्री हाजी मुहम्मद कौन हैं । दक्षिण आफ्रिकाके व एक अग्रगण्य भारतीय हैं । प्रार्थियाने सिर्फ उदाहरणके तौरपर और यह बतानेके लिए हलफनामा नत्थी किया है कि जब एक अग्रगण्य भारतीय अपमान और प्रत्यक्ष कठिनाइया सहे बिना यात्रा नहीं कर सकता, तब दूसरे भारतीयोंका भाग्य क्या होगा । अगर जरूरी हो तो दुब्यवहारके ऐसे सँवडा मामलाको पूरी-पूरी तरह साबित किया जा सकता है ।

(३५) यह भी कहा गया है कि भारतीय परोपजीवी बनकर रहने हैं और खच कुछ नहीं करते । जहाँतक भारतीय मजदूरों और उनके बच्चाका सम्बन्ध है, यह आरोप जरा भी ठहर नहीं सकता । उन्हें तो उनके प्रति सबसे ज्यादा मनोमालिय रखनेवाले यूरोपीय भी परोपजीवी नहीं मानते । प्रार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवसे कहनेकी इजाजत चाहते हैं कि जहाँतक बहुसंख्य मजदूरोंका

सम्बन्ध है, वे अपने रहन-सहनपर वित्तसे ज्यादा खच करते हैं, और अपने परिवारोंके साथ बने हुए हैं। व्यापारी भारतीयोंके बारेमें, जो सारे राग-द्वेषके लक्ष्य हैं, थोडा-सा स्पष्टीकरण आवश्यक हो सकता है। प्रार्थियामें जो व्यापारी हैं वे इस बातसे इनकार नहीं करते कि वे भारतमें अपने अवलम्बिताको रूपा भेजते हैं। उलटे, वे इसे स्वीकार करनेमें गौरव मानते हैं। परन्तु ये रकमें उनके खचवे अनुपातमें कुछ भी नहीं हैं। वे मफत्तापूर्वक प्रतिद्वन्द्विता सिफ इस कारणसे कर पाते हैं कि वे यूरोपीय व्यापारियोंकी अपेक्षा बिलासबी वस्तुओं पर खच कम करते हैं। फिर भी उन्हें यूरोपीय मकान-मालिकोंकी किराया, देशी नौकरोंकी मजदूरी और डच पशु-मालकोंकी मासके लिए जानवरोंका मूल्य तो चुकाना ही पडता है। अय सामग्रियाँ, जैसे, चाय, काफी आदि भी उपनिवेशमें ही खरीदनी पडती हैं।

(३६) तो फिर, सच्चा सवाल यह नहीं है कि भारतीयोंको इस गलीमें रहना है या उसमें। वह तो बल्कि यह है कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें उनकी क्या हैसियत रहनी है। क्योंकि, ट्रान्सवालमें जो कुछ किया जाता है उसका असर अय दो उपनिवेशोंकी कारवाइयोंपर भी पडेगा। साधारण रूपसे इस विषयमें सब लोगोंका एक ही मत दिखाई पडता है कि, इस सवालका निबटारा सबकी दृष्टिसे एक सवमान्य आधारपर करना होगा। स्थानिक परिस्थितियोंके अनुकूल उसमें आवश्यक सशोधन किये जा सकते हैं।

(३७) जहाँतक भावना व्यक्त की गई है, वह भारतीयोंको आफ्रिकी स्थितिमें गिरा देनेकी है। परन्तु यूरोपीय समाजके एक बड़े हिस्सेकी भावना इसकी बिल्कुल उलटी है। वह जोरोंसे व्यक्त ता नहीं की गई, फिर भी जहा-तहा समाचारोंमें ध्वनित हाती रहती है।

(३८) नैटाल उपनिवेश दूसरे दक्षिण आफ्रिकी राज्योंको एक 'कुली' सम्मेलनके लिए आमन्त्रित कर रहा है। इस प्रकार 'कुली' शब्दका सरकारी तौरपर काममें लाया गया है। इससे मालूम होता है कि भारतीयोंके खिलाफ व्यक्त भावना कितनी उग्र है और अगर सम्मेलन कर सका तो वह इस प्रश्नके बारेमें क्या करेगा। पचके सामने पेश किये हुए मामलेमें ट्रान्सवाल-सरकारने कहा है कि 'कुली' शब्द एशियासे आये हुए किसी भी व्यक्तिपर लागू हाता है।

(३९) जब दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके विरुद्ध इतनी उग्र भावना फैली हुई है, जब उस भावनाका मूल स्वायमय आन्दोलन है (जैसा कि, आशा है,



ऊपर पर्याप्त रूपसे दर्शा दिया गया है), जब यह बात है कि वह भावना सब यूरोपीयाकी नहीं है, जब दक्षिण आफ्रिकामें धनके लिए आम तौरपर छीना-झपटी मर्ची हुई है, जब लोगोंकी नैतिक अवस्था विशेष ऊँची नहीं है, जब भारतीयाकी आदताये खिलाफ बड़ीस दडी गलतवयानिया की जा रही हैं, जिनसे विशेष कानूनका आविर्भाव हुआ है, तब, प्राथियोका निवेदन है, महानुभावसे यह प्रार्थना करना बहुत ज्यादा न होगा कि प्राथियोंके विरुद्ध जो वक्तव्य प्राप्त हुए हो और भारतीय समस्याके जो हल मुझाये गये हो, उन्हें ग्रहण करनेमें महानुभाव अधिकसे अधिक सावधानी बरतें।

(४०) प्रार्थी महानुभावके विचारके लिए यह निवेदन भी करना चाहते हैं कि उन्हें न केवल १८५८ की घोषणासे ही सम्राज्ञीकी अथ प्रजाओंके बराबर अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है, बल्कि स्वयं महानुभावने अपने खरीतेके द्वारा इस प्रकारके व्यवहारका विशेष आश्वासन दिया है। खरीतेमें कहा गया है

सम्राज्ञी-सरकारकी इच्छा है कि सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाओंके साथ उनकी अथ प्रजाओंकी बराबरीका व्यवहार किया जाये।

(४१) यह स्थानिक नहीं, मुख्यतः साम्राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न है। इस प्रश्नके निवटारेका असर उन दूसरे उपनिवेशों और देशोंपर पड़े बिना नहीं रह सकता, जहां पारस्परिक संधिके द्वारा सम्राज्ञीकी प्रजाओंको व्यापार आदिकी स्वतंत्रता है, और जहां जाकर सम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजन भी बस सकते हैं। फिर, इस प्रश्नका असर दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयाकी बहुत बड़ी आवादी पर पड़ता है। जो लोग दक्षिण आफ्रिकामें बसे हैं उनके लिए यह लगभग जीवन और मरणका प्रश्न है। लगातार दुर्व्यवहारसे उनका ह्रास हुए बिना नहीं रह सकता। यहातक कि वे अपनी सम्य आदतासे गिरकर आदिवासी देशों लागोंके स्तरपर पहुँच जायेंगे। और फिर, अबसे एक पीढ़ी बाद, इस प्रकार अब पतनके मागपर चलते हुए भारतीयोंकी सन्तान और देशी लोगोंकी आदतो, रीति-नीति और विचारोंमें बहुत कम अन्तर रह जायेगा। इस तरह देशान्तर प्रवासका उद्देश्य ही विफल हो जायेगा और सम्राज्ञीकी प्रजाका एक भारी भाग सम्यताके पैमानेमें ऊपर चढ़नेके बदले नीचे गिर जायेगा। ऐसी स्थितिका परिणाम बिनाशकारी हुए बिना नहीं रह सकता। किसी आत्मसम्मानी भारतीयको दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा करनेका साहस तक न होगा। भारतीयोंके सारेके सारे उद्योगका गला घुट जायेगा। प्राथियोंको कोई मन्दह नहीं है कि जिन

म्यानमें सर्वोच्च सत्ता सम्राज्ञीकी है, या जहाँ ब्रिटिश पडा फहरता है, वहाँ महानुभाव इस तरहकी दुःगद घटना बदापि न होने देंगे।

(४२) प्रार्थी आदरके साथ बताना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय विरोधी भावनाआती बतमान हालतके रहते हुए यदि सम्राज्ञी-सरकार प्राथियाने विरुद्ध की जाववाली स्वाधपूण चीर-मुकारके सामने झुब गई तो यह प्राथियाने प्रति गम्भीर अयायका बाब होगा।

(४३) अगर यह सच है कि प्राथियोकी सफाई-सम्बधी आदतें यूरोपीय समाजके स्वास्थ्यको खतरमें डालने योग्य नहीं हैं, और अगर यह भी सच है कि उनके विरुद्ध आन्दोलनका कारण व्यापारिक ईर्ष्या है, तो आरेंज फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाधीशका निणय आदेशके बिलकुल अनुबूल हो तो भी बचनवारक नहीं हो सकता। क्योंकि, उम हालतमें तो जिनलिए सम्राज्ञी-सरकारने समझौतेसे हटकर बाब करने की अनुमति दी है, उस कारणका अस्तित्व ही नहीं रह जाता।

(४४) फिर भी, अगर महानुभावको प्राथियाकी स्वच्छता-सम्बधी आदताके बारेमें यहाँ बही गई बातापर मन्देह हा तो, निवेदन है कि, प्राथियाने बहुत बडे हित दावपर चडे हैं और उनकी सफाई-सम्बधी आदताके बारेमें परस्पर विरोधी बयान दिये गये हैं। दक्षिण आफ्रिकामें उनके विरुद्ध भावनाएँ भी बहुत उग्र हैं। इन सब दृष्टियोंसे, प्राथियोका बिनम्र अनुरोध है, विचार बिया जाये और समझौतेका उल्लघन करनेकी अन्तिम अनुमति देनेके पहले परस्पर विरोधी बकनब्योके सत्यासत्यकी निष्पक्ष जाँच और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मान-सर्पादाके सारे प्रश्नकी छानबीन करा ली जाये।

अन्तमें प्रार्थी अपना मामला महानुभावके हाथोंमें छोडते हैं। वे सच्चे दिलसे प्राथना और धूरी आशा करते हैं कि उन्हें रग भेदका शिकार न होने दिया जायेगा। उनकी यह भी प्राथना और आगा है कि सम्राज्ञी-सरकार दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें भारतीयोंके साथ ऐसा व्यवहार करनेकी अनुमति नहीं देगी, जा उन्हें पतित और अस्वाभाविक स्थितिमें डाल दे और ईमानदारीके साथ जीविकोपाजन करनेके माधनोंसे बचित कर दे।

और 'याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कतब्य समझकर, सदैव दुआ करेंगे, आवि।'।

[ अग्नेजीवे ]

१ छपी दुः गूल अग्नेजी नकलमें हस्ताक्षर नहीं हैं।

## परिशिष्ट क

मैं इस पत्रके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं गन पाँच वर्षोंसे प्रिटोरिया नगरमें साधारण चिकित्सकका धंधा कर रहा हूँ ।

इस अवधिमें, और खास तौरसे तीन वष पहले, जब भारतीयोंकी संख्या अबसे ज्यादा थी, उनके बीच मेरा धंधा खासा अच्छा रहा है ।

मैंने उनके शरीरोंको आम तारसे स्वच्छ और उन लोगोंको मंदगी तथा लापरवाहीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है । उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और सफाईका काम वे राजी खुशीसे करते हैं । दगरी दृष्टिसे विचार किया जाये तो मेरा यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत अच्छे उतरते हैं । अर्थात्, निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते हैं ।

मैंने यह भी देखा है कि जिस समय शहर और जिलेमें चेचकका प्रकोप था — और जिलेमें अब भी है — तब प्रत्येक राष्ट्रके एक या अधिक रोगी तो कमी-न-कमी सक्रामक रोगोंके चिकित्सालयमें रहे, परन्तु भारतीय कभी एक भी नहीं रहा ।

मेरे खयालसे, आम तौरपर भारतीयोंके विरुद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना असम्भव है शत हमेशा यह है कि, सफाई अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहां उतना ही सख्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है ।

एच० प्रायरवील

बी० ए०, एम० बी०, बी० सी एच० (कैम्ब्र)

२७ अप्रैल, १८९५,

प्रिटोरिया, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य

## परिशिष्ट ख

जोहानिम्बग

१८९५

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पत्र-वाहकोंके मकानोंका निराक्षण किया है । वे स्वच्छ तथा आरोग्यजनक हालतमें हैं । वास्तवमें तो वे ऐसे हैं कि उनमें कोई भी यूरोपीय रह सकता है । मैं भारतमें रहा हूँ । मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें उनके मकान उनके भारतके मकानोंसे कहीं बेहतर हैं ।

सी० पी० स्विंक

एम० आर० सी० पी० और एल० आर० सी० एस० (लंडन)

## परिशिष्ट ग

जोहानिसबर्ग

१४ मार्च, १८९५

मुझे अपने धवेके सिलसिलेमें जोहानिसबर्गके उच्चतर भारतीय वर्ग (बम्बईसे आये हुए व्यापारियों आदि)के घरोंमें जानेके माके अवसर मिलते हैं। इस आभारपर मैं यह मत देता हूँ कि वे अपनी आदतों और घरेलू जीवनमें अपने समकक्ष यूरोपीयोंके बराबर ही स्वच्छ हैं।

डा० नामेचर, एम० डी०, आदि

## परिशिष्ट घ

जोहानिसबर्ग

१४ मार्च, १८९५

हम नीचे इस्ताक्षर करनेवालाको सूचना भिन्नी है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके भारतीय व्यापारियोंके प्रश्नपर पंच पैसला आयोग (आर्बिट्रेशन कमिशन) इस समय च्लमफाटीनमें अपनी बैठकें कर रहा है। हमें यह भी बताया गया है कि उक्त व्यापारियोंके विरुद्ध यह आरोप है कि उनकी गरी आदतोंके कारण उनका यूरोपीय आबादीके बीच रहना खतरनाक है। इसलिए हम इस बतव्यके द्वारा स्पष्ट रूपसे धोपणा करते हैं कि

**प्रथम** — उक्त भारतीय व्यापारी, जिनमें से अधिकतर बम्बईमें आये हैं, अपने व्यापारके स्थानों और भकानोंको स्वच्छ आर समुचित आरोग्यजनक हालतमें — वास्तवमें, ठीक यूरोपीयोंके बराबर ही अच्छी हालतमें — रखते हैं।

**द्वितीय** — उन्हें 'कुली' या 'नीची जाति'के ब्रिटिश भारतवासी कहना सरासर गलत है, क्योंकि वे निश्चयपूर्वक भारतकी अच्छी और केंची जातियोंके हैं।

हेमान गॉर्डन एंड को०

ब्रैड एंड मायर्स

लिट्लसे एंड इस

गस्टाव शनाइडर

सी० लीवे

क्रिस्टोफर पी० रिंपक

ए० वेंडवर्थ बाल

पी० पी०, जे० गार्लिक

एच० शुडक्राफ्ट

पी० पी०, गाडन मिचेल एंड को०,

जोहानिसबर्ग, द० आ० ग०

भार० कोटर

पी० बार्नेट्ट एंड को०	पी० पी०, लीबरमान वेस्टेड एंड को०,
पी० पी०, इस्टाएल ब्रदर्स	जे० एच० हापकिन्स
एच० क्लैपहर्न	जे० एच० हापकिन्स
पी० पी०, पेन ब्रदर्स	इलोम एंड थाम्मबग
एच० एफ० बेयर्ड	पी० पी०, ब्लूगो विनेन
जॉसेफ़ हार्लम एंड को०	जाम० डबल्यू० सी०
जिम्बो० वास० केल् एंड को०	पी० पी०, एच० हनबग एंड को०,
बार्नस ब्रदर्स	जनरल मर्चेंट्स एंड इम्पोर्टर्स,
पी० पी०, जे० डबल्यू० जैगर एंड को०,	जोहानिसबर्ग
टी० चार्ली	ई० नील
आर० जी० क्रैमर एंड को०	जे० कुरिंग
पी० पी०, होल्ड एंड होल्ड वी० इमैयुएल	एन० डबल्यू० लिबिस
एडम एक्लेक्सेडर	स्पेन्स एंड हरी
वी० एक्लेक्सेडर	फ्राइजमैन एंड शैपिनो
ए० वेहरेस	जे० फ्राजेमैन
एम० कोल्मैन	टी० रेन्स एंड को०
एक्लेक्सेडर पी० के	पी० पी०, वी० गंडेलफिंगर
पी० पी०, जी० कोएनिग्मबग	जे० गंडेलफिंगर
जे० एच० हापकिन्स	

### परिशिष्ट ड

( सही अनुवाद )

मवारम

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य, प्रिटोरिया

मन्त्र निवेदन है कि,

गणराज्यवासी कतिपय स्वार्थी यूरोपीयाने इस आशयकी ठेठ गलतबयानियों की हैं कि इस राज्यके बगर भारतीयोंने इस राज्यमें रहने और व्यापार करनेके विरोधी हैं। वे भारतीयोंके खिलाफ आन्दोलन भी कर रहे हैं। इस मन्त्री दृष्टिमें हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले बगर आदरपूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि भारतीयोंके इस राज्यमें रहने और व्यापार करनेका विरोध करना तो बहुत दूर, उल्टे हम उन्हें शान्तिप्रिय और कानूनका पालन करनेवाले, अथवा वाछनीय मानने हैं। गरीबोंके वि

तो वे वरदान जैमे ही है, क्योंकि वे अपनी जोरदार होड़के द्वारा जीवनकी आवश्यक वस्तुओंके भाव सस्ते रखते हैं। उनके लिये ऐसा करना उनकी कमखर्च और संयमी आन्तोंके कारण सम्भव है।

हम विवेदन करनेकी इजाजत चाहते हैं कि उनका राज्यसे चले जाना हमारे लिये बोर संकटका कारण बन जायेगा। हममें से जो लोग व्यापारिक केन्द्रोंसे बहुत दूर रहते हैं और अपनी रोममार्गी जरूरतें पूरी करनेके लिए भारतीयोंपर निर्भर करते हैं, वे तो खास तौरसे संकटमें पड़ेंगे। इसलिए उनकी स्वतन्त्रताको मयादित करनेवाला और अन्नत उनकी, खास तौरसे व्यापारियों और पेरिवाल्कों, निकाल देनेके लक्ष्यवाला कोई भी कानून हमारे आराम चैनमें बाधक हुए बिना न रहेगा। इसलिए हम नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि सरकार ऐसे कोई कदम न उठाये जिनसे भारतीय सरकार टून्सवाल्से चले जायें।

[ अनेक नगरोंके इस्ताधुर ]

## परिशिष्ट च

सेवानें

श्रीमान् अध्यक्ष, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य

प्रिटोरिया

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, गणराज्यके यूरोपीय निवासी भारतीय विरोधी आन्दोलनका विरोध करते हैं। यह आन्दोलन भारतीयोंको इस देशमें स्वतन्त्रतापूर्वक रहने और व्यापार करने न देनेके उद्देश्यसे कुछ स्वार्थी लोगोंने छेड़ा है।

जहाँतक हमारे अनुभवका सम्बन्ध है, हम विश्वास हैं कि भारतीयोंकी स्वच्छता सम्बन्धी आदतें यूरोपीयोंकी आदतोंसे किसी प्रकार हीन नहीं हैं। और उनके बीच—खास तौरसे भारतीय व्यापारियोंके बीच—छुतहे रोगोंके प्रसारके बारेमें कही गई बातें निश्चय ही बेबुनियाद हैं।

हमारा दृढ विश्वास है कि आन्दोलनका मूल उनकी स्वच्छता-सम्बन्धी आदतें नहा, बल्कि व्यापार-सम्बन्धी है। कारण यह है कि अपने कमखर्च रहन रहन और संयमी आदतोंके कारण वे जीवनकी आवश्यक वस्तुओंके भाव सस्ते रखते हैं। इस तरह वे राज्यके गरीब लोगोंके लिये अतुल्य वरदानरूप सिद्ध हुए हैं।

हम नहीं मानते कि उन्हें पृथक् क्षेत्रोंमें रहने या वही व्यापार करनेके लिए बाध्य करनेका कोई भी मजबूत कारण मौजूद है।

इसलिए हम नम्रतापूर्वक श्रीमान्से अनुरोध करते हैं कि ऐसा कोई कानून न तो मंजूर किया जाये न बरदास्त ही किया जाये, जिसका मंशा उनकी स्वतन्त्रतापर

प्रतिबन्ध लगाना हो, अरु जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः वे गणराज्य छोड़कर चले जायें। यह परिणाम उनकी जीविकाके साधनापर ही आपात करनेवाला होगा और, इसलिए, हमारा नम्र निवेदन है, एक हजार दशमें भात्मन्तोपके साथ इसका खयाल नहीं लिया जा सकता।

[उपयुक्त प्राथनापत्र अंग्रेजी और आंग्रिकल—दोनों भाषाभारम छपा है। फारस की दुर्लभ प्रतिमें प्राथिवकि हस्ताक्षर नहीं हैं।]

### परिशिष्ट छ

मेरा नाम हाजी मुहम्मद हाजी दादा है। मैं हाजी मुहम्मद हाजी दादा पंड कम्पनी, मन्सूर, डबन, प्रिटोरिया, डेलगोबा वे आदिका प्रबन्धक और बड़ा साथेदार हूँ। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि

(१) सन् १८९४ में किसी समय मैं घोडागाडी द्वारा जोहानिसबर्गसे चाल्म्सटाउन जा रहा था।

(२) जब मैं ट्रांसवालकी सीमापर पहुँचा तब एक बड़ीभारी यूरोपीय मेरे पास आया। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। उसने मुझसे परवाना दिखानेको कहा। मैंने जवाब दिया कि मेरे पास परवाना नहीं है। इसके पढ़के मुझसे कभी माँगा भी नहीं गया।

(३) इसपर उसने अशिष्टताके साथ मुझसे कहा कि तुम्हें परवाना लेना होगा।

(४) मैंने उससे ले भानेको कहा और उसका पैसा देनेकी तैयारी दिखाई।

(५) तब उसने बहुत अशिष्टतामें मुझे अपने साथ परवाना अधिकारीके पास चलनेको कहा। मुझे धमकी भी दी कि मानोगे नहीं तो गाड़ीसे बाहर घसीट देंगा।

(६) अधिक संकटको टालनेके लिए मैं उतर पड़ा। उसने मुझे दो मील पैदल चलाया और खुद घोड़े पर गया।

(७) दफ्तर पहुँचनेपर मुझे परवाना लेनेके लिए बाध्य नहीं किया गया। निरुदतना पूछा गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर मुझसे चले जानेको वह दिया गया।

(८) जो आदमी घोड़ेपर सवार था और जो मेरे साथ गया था वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे दो मील वापस पैदल जाना पड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि घोडागाडी चली गई है।

(९) यद्यपि मैंने चाल्म्सटाउन तकका किराया दे दिया था, मुझे दो मीलसे ज्यादा पैदल चलकर नहीं जाना पड़ा।

(१०) मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि ऐसी ही हालतमें अन्य अनेक भारतीयोंको पैसा ही कष्ट और अपमान सहना पड़ा है।

(११) कुछ दिन पूर्व, मुझे डेलगोआ मे से दो मित्रकि साथ प्रिटोरिया जाना पका था ।

(१२) ट्रान्सवालमें यात्रा कर सकें, इसके लिए हम सबको, ठीक देशी लोगोंके समान, परवानासे लैस हो जानेके लिए बाध्य किया गया ।

हाजी मुहम्मद हाजी दादा

आज २४ अप्रैल, १८९५ को प्रिटोरियामें मेरे सामने हलफपर बयान दिया गया ।

धनवारागोहेरी

बी० रासक

## परिशिष्ट ज

पास्ट, पोट नेटाल

२ मार्च, १८९५

तार और केबल्का पता " बोटिंग "

पाससे

दी आफ्रिकन बोटिंग कम्पनी लिमिटेड

सेवामें

श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादा ( हाजी मुहम्मद हाजी दादा एंड को० )

प्रिय महोदय,

आप भारतकी यात्रापर जानेवाले हैं । यह जानकर हम आपकी व्यापारिक योग्यताके बारेमें अपना बहुत ऊँचा सराहना मात्र अकित करने हैं । सराहनाके इस भावको हम आपके साथ अपने व्यापारिक सम्बन्धके गत पन्द्रह वर्षोंमें साबित कर चुके हैं । हमें यह कहते हुए बहुत आनन्द है कि यहाँ आपके निवासकालमें व्यापारिक समाजके किसी व्यक्तिने कभी आपकी ईमानदारीपर सन्देह नहीं किया । हमें विश्वास है कि आप फिर नेटाल आवेंगे और तब, हमें आशा है, हम आपके साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध फिरसे स्थापित करेंगे । आशा है, आपकी यात्रा आनन्दमय होगी ।

आपके विश्वासपात्र

आफ्रिकन बोटिंग कम्पनीके लिए

( ए० ) चार्ल्स टी० हिचिन्स

यह प्राथनापत्र, परिशिष्टो-सहित, एक छपी हुई अग्रेजी प्रतिके फोटोसे लिया गया है ।



## ५३ प्रार्थनापत्र' लार्ड एलगिनको

[ म३, १८९५ ]

सेवामें

परमश्रेष्ठ, परम माननीय लार्ड एलगिन, पी०सी०, जी० एम० एस०  
आई०, जी० एम० आई० ई०, आदि-आदि  
वाइसराय और गवर्नर-जनरल, भारत  
कलकत्ता

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी  
भारतीयोका प्रार्थनापत्र

बम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोकी हैमियतसे इस प्रार्थनापत्र द्वारा सम्राज्ञीके दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोके सम्बन्धमें निवेदन करनेकी इजाजत लेते हैं।

प्रार्थी यहाँ उन तथ्यों और तर्कोंकी दुहराना नहीं चाहते जो उन्होंने परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके नाम एक हजारमें अधिक व्यक्तियोके हस्ताक्षरसे भेजे गये इसी प्रकारके एक प्रार्थनापत्रमें दिये हैं। बदलेमें, उस प्रार्थनापत्रकी और उसके सहपत्रोकी एक नकल इसके साथ नत्थी करके प्रार्थी अनुरोध करते हैं कि महानुभाव उसे देख लें।

एक्के विचार विमर्शके बाद हम प्रार्थी इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि महानुभाव भारतमें सम्राज्ञीके प्रतिनिधि और समस्त भारतके वास्तविक शासक हैं, अतएव यदि हम महानुभावके सीधे सरक्षणकी याचना न करें और यदि महानुभाव ऐसा सरक्षण देनेकी कृपा न करें तो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके ही नहीं, समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी स्थिति जल्पन्त नि सहाय हो जायेगी। और, दक्षिण आफ्रिकाके उच्चमी भारतीयोको, बिना किसी अपराधके, जबरन दक्षिण आफ्रिकाके देशी लोगोके स्तरपर गिरा दिया जायेगा।

१ यह प्रार्थनापत्र जेकम्स डी'वेग्ने मई ३०, १८९५ को लार्ड रिपनके नाम प्रार्थनापत्रके साथ कैम्पटन स्थित उच्चायुक्तके पास भेजा था।

२ लार्ड रिपनकी प्रार्थनापत्र— देखिए, पृष्ठ १८९।

मान लीजिए, कोई बुद्धिमान अजनबी दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें आता है। उसे बताया जाता है कि इस राज्यमें एक बग गेमे लोगावा है जो अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते, बिना परवानोंके राज्यमें घूम फिर नहीं सकते, व्यापारके लिए राज्यमें प्रवेश करते ही सिर्फ उनका साठे तीन पौंडका एक विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-शुल्क देना पड़ता है, वे व्यापार करनेके परवाने नहीं पा सकते, उन्हें शीघ्र ही शहरोंसे बहुत दूरक स्थानोंमें हट जानेका आदेश दे दिया जायेगा, व यैबल उन्हीं म्यानोंमें निवास तथा व्यापार कर सकेंगे, और, वे ९ बजे रातके बाद अपने घरसे निकल नहीं सकते। इतना बनानेके बाद उस अजनबीसे कहा जाये कि अनुमान लगाओ, इन सास नियोग्यताआवा कारण क्या होगा। तो, क्या वह ऐसा निष्कर्ष न निकालेगा कि वे लोग बिल्कुल गुंडे, अराजक और राज्य तथा समाजके लिए गंजीतिक दृष्टिसे खतरनाक होंगे? इसपर भी प्राचीं महानुभावका विश्वास लिलाते हैं कि जा भारतीय उपयुक्त सब नियोग्यताआके अधीन जीवन-यापन कर रहे ह वे न तो गुंडे ह और न अराजक हैं। उल्टे, वे दक्षिण आफ्रिकाके और मामुकर दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके सबसे ज्यादा शान्तिप्रिय और कानूनका पालन करनेवाले लोगोंमें हैं।

प्रमाण यह है कि, जोहानिसबर्गमें यूरोपीय समाजके ऐसे लोग हैं, जो राज्यके लिए सच्चे मारेके हेतु बने हुए ह। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रवृत्तियोंसे पुलिस-बलमें वृद्धि करना जरूरी कर दिया है और सुफिया विभागपर बहुत भार लाद दिया है। परन्तु भारतीय समाजने इन विषयोंमें राज्यको चिन्ताका कोई कारण नहीं दिया।

इसके समयनमें प्राचीं आपका ध्यान सारे दक्षिण आफ्रिकाके अलबारोंकी ओर आवर्षित करते हैं।

जिस सक्रिय आन्दोलनसे भारतीयोंकी वर्तमान हालत हुई है उसमें भी भारतीयोंपर इस प्रकारके आरोप मढ़नेकी इच्छा नहीं की गई।

भारतीयोंपर केवल एक आरोप लगाया गया है कि वे समुचित स्वच्छताका पालन नहीं करते। प्राथमिकी विश्वास है कि परमश्रेष्ठ, परम माननीय लाड रिपनकी भेजे गये निवेदनमें इस आरोपका पूणत निराधार सिद्ध किया जा चुका है। फिर भी यदि मान लिया जाये कि आरोपमें कुछ आधार है ही, तो स्पष्ट है कि वह भारतीयोंको अचल सम्पत्ति रखने, या देशमें स्वेच्छा तथा स्वतंत्रताके साथ घूमने फिरनेके रोकनेका कारण नहीं हो सकता। वह भारतीयोंपर साठे तीन पौंडका विशेष भुगतान लादनेका कारण भी नहीं हो सकता।

यह कहा जा सकता है कि अब तो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारने कतिपय कानून मजूर कर लिये हैं। आरेंज फ्री स्टेटके मुख्य यायाधीशने अपना निणय भी दे दिया है। और, उम निणयसे सम्राज्ञी-सरकार बँधी हुई है।

प्रार्थियोंकी नम्र मायता है कि सायबे कागजातमें इन आपत्तियाका जवाब दिया जा चुका है। लदन-समझौता सम्राज्ञीकी सब प्रजावाके अधिकाराका विशेष रूपसे सरक्षण करता है। यह एक माना हुआ सत्य है। सम्राज्ञी-सरकारने समझौतेसे विलग होने और पच फैसला करानेकी अनुमति स्वच्छताके आधारपर दी थी। और प्रार्थियोंको बताया गया है कि समझौतेकी इस प्रकार अवहेलना करनेकी अनुमति महानुभावके पूर्वाधिकारीसे परामश किये बिना ही दी गई थी। इस तरह, जहातक भारत-सरकारका सम्बन्ध है, प्रार्थियोंका निवेदन है, वह अनुमति बघनकारक नहीं है। यह तो स्वयस्पष्ट है कि भारत-सरकारसे परामश किया जाना चाहिए था। और अगर महानुभावका इरादा वतमान अवस्थामें और केवल इसी आधारपर प्रार्थियोंकी ओरसे हस्तक्षेप करनेका न हो तो प्रार्थियोंका निवेदन है कि जिन कारणोंसे यह अनुमति दी गई वे न तो तब मौजूद थे, न अब मौजूद हैं। वास्तवमें सम्राज्ञी-सरकारको गलतबयानी द्वारा गलत माग दिखाया गया है, इसलिए ये बातें महानुभावसे हस्तक्षेपकी प्रार्थना करनेके लिए और महानुभावके उस प्रार्थनाको माय करनेके लिए काफी औचित्य रखती ह।

और इसमें निहित समस्याएँ इतनी महत्त्वपूर्ण और इतनी साम्राज्यव्यापी हैं कि प्रार्थियोंने स्वच्छता-सम्बन्धी आरोपका जो बडा किन्तु आदरपूर्ण विरोध किया है उसकी दृष्टिसे पूरी जाबके बिना इस प्रश्नका ऐसा निबटारा नहीं किया जा सकता, जिससे दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोपर अन्याय न हो।

महानुभावका मूल्यवान समय और अधिक लिये बिना प्रार्थी फिरसे अनुरोध करते हैं कि महानुभाव इसके सायके कागजातपर पूरा ध्यान दें। अन्तमें, प्रार्थी सच्चे दिलसे आशा करते हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोकी महानुभावका सरक्षण उदारतापूर्वक प्रदान किया जायेगा।

और माय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि।

छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ५४ प्रार्थनापत्र' नेटाल विधानपरिषदको

द्वर्न

[ जून, १८९५ के पूर्व ]

सेवामें

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण  
विधानपरिषद

नेटाल उपनिवेशमें व्यापारियाकी हैसियतसे रहनेवाले  
निम्न हस्ताक्षरकर्ता भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी उपनिवेशवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे भारतीय प्रवासी कानून सशोधन विधेयकके सम्बन्धमें आपकी सम्माननीय परिषदके सामने यह प्रार्थनापत्र पेश कर रहे हैं। इसका सम्बन्ध विधेयकके उस अंशसे है, जिसका असर गिरमिटकी वर्तमान अवधिपर पड़ता है और जिसके द्वारा गिरमिटकी अवधि पूरी कर लेनेके बाद उपनिवेशमें ठहरनेके इच्छुक भारतीयोंको तीन पाँच सालाना देकर परवाना लेनेके लिए बाध्य करनेकी व्यवस्था की गई है।

प्रार्थियोंका सादर निवेदन है कि उपर्युक्त दोनों उपधाराएँ विलकुल अयाय-पूण और अनावश्यक हैं।

प्रार्थी इस सम्माननीय सदनका ध्यान इस विषयमें भारत भेजे गये प्रतिनिधियों — श्री विन्स और श्री मेसनकी रिपोर्टके इस अंशकी ओर आकर्षित करते हैं

यद्यपि भारत-सरकारसे बार-बार अनुरोध किया गया, अबतक किसी देशको — जिसमें भी कुली गये हैं — न तो गिरमिटकी अवधि फिर नई करनेकी मजूरी दी गई है और न गिरमिटकी अवधि पूरी होनेके बाद उनका लाजिमी तौरपर लौटा दिया जाना ही मजूर किया गया है।

इस तरह तमाम ब्रिटिश उपनिवेशोंमें इस समय जो व्यवहार होता है उससे विधेयककी उपधाराएँ विलकुल अलग और बिगाडकी ओर ले जानेवाली हैं।

अगर मान लिया जाये कि गिरमिटमें बँधनेके समय गिरमिटिया भारतीयोंकी औसत उम्र २५ वर्ष होती है, तो दस वर्ष तक काम करानेकी अपेक्षा

१ यह प्रार्थनापत्र जून २६, १८९५ के नेटाल मक्कीमें प्रकाशित हुआ था।

रखनेवाले विधेयबन्धे अधीन उनकी उन्नता सर्वोत्तम भाग सिफ गुलामीमें बीत जायेगा ।

एक भारतीयके लिए लगातार दस वष तक उपनिवेशमें रहकर भारत लौटना मूखता मात्र होगा । उसके तमाम आत्मीयताके सम्बन्ध तबतक बट जायेंगे, और ऐसा भारतीय अपनी ही मातभूमिमें अपेक्षाकृत पराया बन जायेगा । भारतमें काम पाना करीब-करीब असम्भव होगा । व्यापारके क्षेत्रमें पहलेसे ही बहुत भीड़ है और उसके पाम इतनी सम्पत्ति भी नहीं होगी कि वह अपनी पूजीपर गुजर कर सके ।

दस वषकी कुल कमाई ८७ पाँड होती है । अगर गिरमिटिया इन तमाम दस वर्षोंमें ५० पाँड बचा ले और अपने वषडो तथा दूसरी आवश्यकताओपर सिफ ३७ पाँड खच करे, तो भी उस पूजीका ब्याज इतना काफी न होगा कि वह भारत-जैसे गरीब देशमें भी अपना जीवन निर्वाह कर सके । इसलिए, अगर ऐसा भारतीय वापस जानेका साहस करे भी तो वह गिरमिट प्रथामें बँधकर फिर लौट आनेके लिए बाध्य हो जायेगा और उसकी सारीकी सारी जिन्दगी गुलामीमें ही कटेगी । इसके अलावा, अगर किसी गिरमिटिया भारतीयका कुटुम्ब हो तो इन दस वर्षों तक वह उसकी बिलकुल परवाह न कर सकेगा । और बुटुम्ब वाला तो ५० पाँडकी बचत भी नहीं कर पायेगा । प्रार्थियाको परिवारवाले गिरमिटिया भारतीयोंके अनेक उदाहरण मालूम हैं । वे कोई बचत नहीं कर पाये ।

जहाँतक तीन पाँडी परवानेकी दूसरी उपधाराका सम्बन्ध है, प्रार्थियोंका निवेदन है कि यह व्यापक असन्तोष और अत्याचारको जन्म देनेवाली होगी । प्रार्थियोंके नम्र खयालसे, यह समझना कठिन है कि सम्राज्यकी प्रजाके एक ही बगको, और सो भी उपनिवेशके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बगको, यह कर मढ़नेके लिए क्या चुना जाये ।

हम आदरके साथ निवेदन करते हैं कि जो आदमी दस वष तक गुलामीकी हालतमें उपनिवेशमें रह चुका हो उसे, बादमें, स्वतंत्र नागरिककी हैसियतसे रहनेके लिए, भारी कर चुकानेको बाध्य करना सामान्य न्याय और औचित्यके सिद्धान्तोंके अनुरूप नहीं है ।

माना कि ये धाराएँ सिफ उन लोगपर लागू होंगी, जो कानून बन जानेके बाद उपनिवेशमें आयेंगे और वे अपने आनेकी शर्तोंको पहलेसे जानते होंगे । परन्तु इससे उक्त उपधाराएँ आपत्तिरहित नहीं बन जाती । कारण यह है कि इकरार करनेवाले दोनो पक्षोंकी कारवाई करनेकी बराबर स्वतन्त्रता

नहीं होगी। गरीबीकी मारसे व्याकुल होकर और अपने परिवारका पालन-पोषण करना असम्भव देखकर जब कोई भारतीय गिरमिटपर हस्ताक्षर करता है, तब उसे स्वतंत्रतासे हस्ताक्षर करनेवाला नहीं कहा जा सकता। ऐसे आदमी देखे गये हैं जिन्होंने तात्कालिक कष्टसे छूटनेके लिए इसमें भी ज्यादा सख्त बातोंको मजूर किया है।

इसलिए, प्रार्थी नम्रतापूर्वक आशा और प्रार्थना करते हैं कि उपर्युक्त उप-भाराओंको यह सम्माननीय सदन स्वीकार न करे। और 'याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि।

(ह०) अब्दुल्ला हाजी आदम  
और अन्य अनेक भारतीय

छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ५५ प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको

[डबन

अगस्त ११, १८९५]

सेवामें

परम माननीय जोसेफ चेम्बरलेन  
मुख्य उपनिवेश मंत्री  
सम्राज्यी-सरकार, लन्दन

नेटाल उपनिवेशवासी नीचे हस्ताक्षर करनेवाले भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

नम्रतापूर्वक निवेदन है कि,

नेटालकी विधानसभा और विधानपरिषदने हालमें ही भारतीय प्रवासी कानून सशोधन विधेयक (इंडियन इमिग्रेशन ला अमेंडमेंट बिल) मजूर किया है। उसके सम्बन्धमें अज करनेके लिए प्रार्थी नेटाल उपनिवेशवासी भारतीयोंके प्रतिनिधियोंकी हैसियतमें आदरपूर्वक महानुभावकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। हम प्रार्थी विधेयकके बारेमें उस हदतक अज करना चाहते हैं, जहाँतक उसका असर गिरमिटियोंकी वर्तमान स्थितिपर पड़ता है और जहाँतक वह कानून अपने दायरेमें आनेवाले तथा उपनिवेशमें स्वतंत्र नागरिकोंके रूपमें रहनेके

इच्छुन भारतीयोंको प्रतिवच ३ पाँट गुल्फवा विशेष परवाना निकालनेके लिए थाव्य करता है।

(२) प्रार्थियाने ऊपरके विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली उपधाराआको निकलवा देनेक उद्देश्यसे दोना सदनको आदरयुक्त प्रायनापत्र भेजे थे। परन्तु यह बताते हुए खेद होता है कि उनका वाई लाभ नहीं हुआ। प्रार्थनापत्रोंकी नकलें इसके साथ सलगन हैं और उनपर क्रमशः क तथा ख चिह्न लगा दिये गये हैं।

(३) उपयुक्त विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली उपधाराएँ निम्नलिखित हैं

उपधारा (क्लाज) २— जिस तारीखसे यह कानून अमलमें आयेगा उससे और उसके बाद, १८९१ के भारतीय प्रवासी कानून (इंडियन इमिग्रेशन ला) की अनुसूची ख तथा गके अनुसार, जिाका उल्लेख उस कानूनके खड (सेषशन) ११ में हुआ है, भारतीय प्रवासी जिन इकरारनामोपर हस्ताक्षर करेंगे उनमें गिरमिटिया भारतीयाकी ओरसे निम्नलिखित शब्दोंमें एक प्रतिज्ञा होगी

हम यह भी मजूर करते ह कि अवधि समाप्त होने या अन्य तरीकेसे इकरारनामा खत्म होनेके बाद हम या तो भारत लौटेंगे या समय-समय-पर किये जानेवाले इकरारनामेके अनुसार नेटालमें रहेंगे। शर्तें ये ह कि नई प्रतिज्ञाबद्ध सेवाकी हरएक अवधि दो वषकी होगी और इस इकरारनामेमें वेतनकी जो व्यवस्था की गई है उसके बाद प्रत्येक वषका मासिक वेतन इस प्रकार होगा— पहले वष १६ शिलिंग, दूसरे वष १७ शिलिंग, तीसरे वष १८ शिलिंग, चौथे वष १९ शिलिंग और पाचवें तथा बादके हर वष २० शिलिंग मासिक।

उपधारा ६ इस प्रकार है

इस कानूनके खड २ में दी हुई प्रतिज्ञा करनेवाले प्रत्येक गिरमिटिया भारतीयको, जो नेटालमें फिरसे मजदूरीका इकरारनामा लिखने या भारत लौटनेसे इनकार करे, या उसकी उपेक्षा करे, या उसमें चूक जाये, हर वष उपनिवेशमें रहनेके लिए एक परवाना निकालना होगा। वह उसके

जिल्लेके मजिस्ट्रेटसे प्राप्त होगा। उस परवानेके लिए उसे तीन पौंड वार्षिक शुल्क देना होगा। यह शुल्क कोई भी 'क्लार्क आफ पीस' या तदर्थ नियुक्त अधिकारी सरसरी कार्रवाई द्वारा थसूल कर सकता है।

ऊपर उद्धृत उपधारा २ में उल्लिखित अनुसूची १३ का मजदूरीकी अवधि-सम्बन्धी अंश यह है

हम से नेटाल जानेवाले निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रवासी प्रतिज्ञा करते हैं कि नेटाल स्थित भारतीय प्रवासी-सरक्षक हमें जिस मालिकके पास भेजेगा उसका काम हम करेंगे। शर्त यह है कि हमें नीचे अपने-अपने नामके सामने लिखी हुई मजदूरी और दूसरा अतिरिक्त खर्च हर माह नकद दिया जायेगा।

(४) ऊपर दिये अंशसे मालूम होगा कि यदि विचाराधीन विधेयक कानून बन गया तो अगर कोई गिरमिटिया भारतीय अपनी गिरमिटिया सेवाके पहले पांच वर्षोंके बाद उपनिवेशमें बसना चाहेगा तो उसे सदा गिरमिटिया बनकर रहना होगा, या तीन पौंड वार्षिक कर देना होगा। प्राथियोने 'कर' शब्दका उपयोग जानबूझकर किया है, क्योंकि मूल विधेयकमें कमेटीके पाससे गुजरनेके पहले इसी शब्दका उपयोग किया गया था। प्राथियोका निवेदन है सिफ नाम बदल देनेसे — करके बदले परवाना कहनेसे — विधेयक कम आघातकारी नहीं हो जाता, बल्कि उससे विधेयक बनानेवालोके इस ज्ञानका परिचय मिलता है कि उपनिवेशमें रहनेवाले एक खास वर्गके लोगोपर एक खास व्यक्ति-कर लगाना ब्रिटिश न्याय भावनाके बिलकुल विपरीत है।

(५) अब, प्राथी नम्यतापूर्वक किन्तु दृढताके साथ निवेदन करते हैं कि गिरमिटवी अवधिको पांच वर्षसे बढ़ाकर लगभग अनिश्चित कालतक की कर देना अत्यन्त अन्यायपूर्ण है। वह इसलिए खास तौरसे अत्यायपूर्ण है कि जहाँतक गिरमिटिया भारतीयों द्वारा सरक्षित या प्रभावित उद्योगोका सम्बन्ध है, इस प्रकारका कानून नितान्त अनावश्यक है।

(६) इन उपधाराका आविर्भाव १८९४ में नेटाल-सरकार द्वारा भारत भेजे गये आयोग और श्री बिन्स तथा श्री मेसनकी रिपोर्टके कारण हुआ है। वह आयोग इन दो प्रतिनिधियोका बना था। रिपोर्टमें इस प्रकारका कानून बनानेके लिए जो कारण बताये गये हैं वे "प्रवासी-सरक्षककी वार्षिक रिपोर्ट



१८९४'के पृष्ठ २० और २१ पर दिये हैं। प्रार्थी आयुक्तोंकी रिपोर्टका निम्नलिखित अंश उद्धृत करनेकी इजाजत लेते हैं

एक ऐसे देशमें, जहाँ देशी लोगोंकी आबादी यूरोपीयोंकी आबादीसे सख्यामें इतनी अधिक है, भारतीयोंका अमर्यादित सख्यामें बसना वाछनीय नहीं माना जाता। और सामान्य लोगोंकी इच्छा यह है कि जब वे अपने गिरमिटकी अन्तिम अवधि समाप्त कर लें तब भारतको लौट जायें। २५,००० के लगभग स्वतंत्र भारतीय तो उपनिवेशमें बसे हुए हैं ही। इनमें से अनेकने अपने मुफ्त धापसी टिकट रद्द हो जाने दिये हैं। यह सख्या व्यापार करनेवाले बनियोंकी भारी आबादीके अलावा है।

(७) इस प्रकार, इस विशेष व्यवस्थाके कारण सिर्फ राजनीतिक है। सही बात तो यह है कि बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो जानेका कोई प्रश्न ही नहीं है। एक नये बसे हुए देशमें, जहाँ विशाल भूमिक्षेत्र अमी जनहीन और बजर पड़े हैं, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं सक्ता।

(८) उसी रिपोर्टमें आयुक्तोंने आगे कहा है

अरबोंके बारेमें व्यापारियों और दूकानदारोंमें बड़ी उग्र भावना फली हुई है। ये अरब सबके सब व्यापारी हैं, मजदूर नहीं। परंतु चूंकि इनमें से अधिकतर ब्रिटिश प्रजा हैं और किसी प्रकारके इकरारनामेके अधीन उपनिवेशमें नहीं आते, इसलिए मजूर कर लिया गया है कि उनके मामलेमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

\* \* \*

कुली लोग किसी बड़ी मात्रामें यूरोपीयोंके प्रतिद्वन्द्वी नहीं हैं। समुद्र तटपर यूरोपीयोंका खेती-बाड़ी करना असंभव है। परंतु बाग सारेके सारे वहीं हैं। वहाँ कुलिया तथा देशी लोगोंकी छोड़कर दूसरे नौकरोंकी सख्या हमेशा ही बहुत कम रही है।

\* \* \*

यद्यपि हमारा निश्चित मत है कि अबतक जो भारतीय मजदूर यहाँ बसे हैं, (अक्षराका फर प्रार्थियोंने किया है), उनसे उपनिवेशको भारी लाभ पहुँचा है, फिर भी हम भविष्यका खयाल टाल नहीं सकते। दक्षिण आफ्रिकामें अबतक देशी लोगोंकी भारी समस्या हल करनेकी बाकी है।

उसके होते हुए हम उस चिन्तासे भी मुक्त नहीं हो सकते, जो अब महसूस की जा रही है। अगर बुली-जनसभ्याने एक भारी भागने यापसी टिकटका फायदा उठा लिया होता तो भयका कारण कम रहता।

(९) उपयुक्त उद्धरण, गिरमिट-मुक्त भारतीयोंके उपनिवेशमें बसनेसे गोरुनेवाले कानूनके लिए बताये गये कारणोंके अन्तर्गत है। परन्तु, प्रायियाका अत्यन्त आदरके माय निवेदन है कि इनमें बिलकुल उलटी ही बात सिद्ध होगी है। क्याकि, आपने अधिकतर प्रार्थी जिन भारतीय व्यापारियोंसे हैं, वे "निम्न प्रकारके इतरारनामके अधीन उपनिवेशमें नहीं आते"। यदि उनके मामलेमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तो गिरमितिया भारतीयोंके मामलेमें तो और भी नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि वे भी समान रूपमें ब्रिटिश प्रजा हैं और या कहना चाहिए कि उन्हें इन उपनिवेशमें नियन्त्रण देकर बुलाया गया है। इससे अलावा उनका वास (आयुक्तोंके अपने ही शर्तोंमें) "उपनिवेशके लिए बहुत लाभप्रद हुआ है।" इसलिए उपनिवेशियोंकी शुभेच्छा और उनके द्वारा हिफाजतके ये विशेष अधिकारी हैं।

(१०) और, अगर 'बुली' लोग "किसी बड़ी हदतक यूरोपीयोंके प्रति ईर्ष्या नहीं है" तो फिर, प्रार्थी नम्रतापूर्वक पूछना चाहते हैं कि ऐसे कानूनके बनानेमें औचित्य क्या है, जिससे गिरमितिया भारतीयोंका शान्तिपूर्वक और ईमानदारीसे अपनी रोटी कमाना कठिन हो जाये? गिरमितिया भारतीयोंमें कोई ऐसे खास दोष है, जो उन्हें समाजके सतरनाक सदस्य बना देते हैं और, इसलिए ऐसे कानून बनाना उचित है, सो बात तो निश्चय ही सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रका शान्तिप्रिय स्वभाव और उसकी सौम्यता लोकप्रसिद्ध है। अपने अधिकारियोंके प्रति आनाकारिता भी उसके चरित्रकी कम प्रमुख विशेषता नहीं है। आयुक्त इसके विरुद्ध बात नहीं कह सकेंगे, क्योंकि प्रवासी-सरसकने, जो आयुक्तोंमें से ही एक था, अपनी रिपोर्टमें उसी पुस्तकके पृ० १५ पर कहा है

मैं जानता हूँ कि बहुत-से लोग भारतीयोंकी जातिगत रूपमें निन्दा करते हैं। फिर भी, यदि ये लोग अपने चारों ओर नजर बौझाये तो यह देखें बिना न रह सकेंगे कि उहाँमें से सफ़ेद भारतीय ईमानदारी और शान्तिके साथ अपने अनेकानेक उपयोगी तथा वाछनीय घघोमें लगे हैं।

\*

\*

\*

मुझे यह बह सपनेमें सुशी है कि उपनिवेशवासी भारतीय आम तौर-पर समाजके समृद्धिशाली और उद्यमी अंग हं। ये कानूनका पालन करनेवाले भी हं, और उनकी ये सब वृत्तियां जारी हं।

(११) बताया गया है कि माननीय महा-यायवादीने विधेयकका दूसरा वाचा पत्र करते हुए कहा था कि

हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मजदूरोंके आनेमें बाधा डालकर किसी उद्योगको हानि पहुँचाई जाये। परंतु ये भारतीय स्थानिक उद्योगोंके विकासके लिए मजदूर बनाकर लाये गये हं, इस मशाले नहीं कि विभिन्न राज्योंमें जिस दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रका निर्माण हो रहा है उसके ये अंग बन जायें।

(१२) विद्वान महा-यायवादीके प्रति अधिकसे अधिक सम्मानके साथ प्रार्थी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि उपयुक्त आक्षेपसे विचाराधीन उपघाराएँ एकदम निन्दनीय प्रमाणित हो जाती हैं। हमें विश्वास है कि सम्राज्यकी सरकार विधेयकको अनुमति देकर ऐसे आक्षेपका समयन नहीं करेगी।

(१३) प्रार्थी मानते हैं कि जिन कानूनोंका रूप मनुष्याका सदा गुलामीमें जकड़े रहनेका हो उहे बरदाश्त करना ब्रिटिश संविधानकी भावनाके प्रतिकूल है। कहनेकी जरूरत नहीं कि अगर यह विधेयक मजूर हो गया तो यह बही करनेवाला है।

(१४) सरकारी मुखपत्र *नेटल मर्करीने* ११ मई, १८९५ के अंकमें उक्त विधेयकको इस प्रकार 'यायसगत ठहराया है

तथापि, इतना तो सरकार मजूर नहीं कर सकती कि जिन लोगोंने उचित मजदूरीपर उपनिवेशियोंको मदद करनेका इकरार किया है, उन्हें अपना इकरार तोड़ने और उपनिवेशियोंके प्रतिस्पर्धी बनकर रहने दिया जाये — उन उपनिवेशियोंके प्रतिस्पर्धी बनकर, जिनकी केवल सेवा करनेके लिए वे यहाँ आये हं, किसी दूसरे हेतुके लिए नहीं, किसी दूसरी शतके लिए नहीं। अयथा करनेका अर्थ सही और गलतके बीचका सारा भेद मिटा देना और कानून तथा औचित्यके अस्तित्वको उपेक्षा करना होगा। इसमें किसी प्रकारकी सख्ती नहीं, न उसकी कोई इच्छा ही है, न कुछ और ही ऐसा है, जो निष्पक्ष विचार करनेपर आपत्तिजनक ठहर सके।

(१५) उपर्युक्त उद्धरण प्रार्थियोने यह बतानेके लिए दिया है कि भारतीयोंके विरुद्ध उत्तरदायी क्षेत्रोंमें भी वंती भावना फैली हुई है। और, इस भावनाका कारण सिर्फ यही है कि कुछ—बहुत थोड़े—लोग न केवल गिरमिटके मातहत और उसकी अवधिमें, बल्कि अवधि समाप्त हो जानेके बाद भी लम्बे समय तक मजदूरोकी हैसियतसे सेवा करनेके पश्चात्, उपनिवेशमें व्यापार करनेका साहस करते हैं।

(१६) प्रार्थियोको दृढ़ विश्वास है, सम्राज्यकी सरकार इस बयानको मजूर नहीं करेगी कि उपनिवेशके कल्याणके लिए अनिवाय माने गये लोगोसे उपनिवेशमें निरन्तर गुलामीमें रहने या ३ पौंड वार्षिक कर देकर, नेटाल एडवर्टाइजर (१-५-१५) के शब्दोंमें, 'स्वतंत्रता खरीदने' की माग करना "न तो सस्ती है न अयाय है।"

(१७) उपधाराओंमें अयाय इतना स्पष्ट और प्रबल दिखाई पड़ता है कि नेटाल एडवर्टाइजरने भी उसे महसूस किया है। यह पत्र भारतीयोंका पक्षपाती बिलकुल ही नहीं है। उसने १६ मई, १८९५ को निम्नलिखित शब्दोंमें अपना विचार व्यक्त किया है

विधेयक (बिल) की दण्ड-सम्बन्धी उपधारा मूलतः इस आशयकी थी कि जो भारतीय भारत न लौटे, उसे "सरकारको एक वार्षिक कर देना चाहिए।" मंगलवारको महाधायवादीने प्रस्ताव किया कि इसे इन शब्दोंमें बदल दिया जाये "उपनिवेशमें रहनेके लिए एक परधाना निकालना चाहिए", जिसके लिए तीन पौंडकी रकम देनी होगी। निश्चय ही यह एक बेहतर परिवर्तन है। इससे वही उद्देश्य कम अप्रिय तरीकेसे पूरा हो जाता है। फिर भी, कुली प्रवासियापर एक विशेष कर लगानेके इस प्रस्तावसे एक भोटा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। यदि साम्राज्यके ही एक अथ भागसे आनेवाले कुलियोंपर यह नियोग्यता लादी जाती है, तो निश्चय ही इसका क्षेत्र अथ गर-यूरोपीय जातियो तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरणके लिए, वह चीनियो, अरबो, राज्यके बाहरसे आनेवाले काफिरो और इस तरहके सभी यात्रियोपर लागू होना चाहिए। कुलियोंको खास तौरसे चुनकर उनपर ही इस प्रकारकी शकावटें लगाना और दूसरे सब विदेशियोंको बिना किसी विघ्न-बाधा और नियोग्यताके

बसाने देना 'याप नहीं है। अगर विदेशियोंपर धर लगानेकी प्रया शुरू करती ही है, तो उसका आरम्भ उन जातिपोंसे होना चाहिए जो अपने देशमें ब्रिटिश झंडेके अधीन नहीं है। उन जातिपोंसे नहीं जो, हम पसन्द करें या न करें, उसी सम्राज्यीकी प्रजा हं, जिसकी हम ह। हमें असाधारण रुकावटें लावना है तो उसके लिए ये लोग पहले नहीं, अन्तिम होने चाहिए।

(१८) प्रार्थी निवेदन करते हैं कि यह व्यवस्था किसी भी यापशील व्यक्तिवा जरा भी पसन्द नहीं आई। भारत सरकारको, वह कितनी ही अनिच्छुक क्यों न रही हो, गिरमिटकी अवधि असीमित रूपमें बढ़ा देनेके लिए नेटालके प्रतिनिधियाने किस तरह राजी किया, यह जाननेका दावा प्रार्थी नहीं करते। परन्तु हम मह आशा अवश्य करते हैं कि गिरमिटिया भारतीयकी मामलेपर, जिस रूपमें उसे यहाँ पदा किया गया है, भारत तथा ब्रिटेन दोनोकी सरकारें पूरा ध्यान देंगी। और, एकतरफा आयोगकी दलीलोपर दी गई किसी भी मजूरीके कारण गिरमिटिया भारतीयकी मामलेको बिगडने न दिया जायेगा।

(१९) तात्कालिक सन्दभके लिए, प्रार्थी नेटालके गवर्नरके नाम वाइसराय महोदयके १७ सितम्बर, १८९४ के खरीतेके निम्नलिखित अश यहा उद्धृत करते हैं

मैंने खुद वर्तमान व्यवस्थाका जारी रहना पसन्द किया होता, जिसके अधीन गिरमिटियोंके लिए अवधि पूरी हो जानेके बाद स्वतंत्र रूपसे उपनिवेशमें बस जानेका माग खुला रहता है। जिन विचारोंके अनुसार ब्रिटिश झंडेके अधीन किसी भी उपनिवेशमें सम्राज्यीके कितो भी प्रजाजनके बसनेमें रुकावट आती है, उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। परन्तु नेटालमें भारतीय प्रवासियोंके प्रति इस समय जो भावनाएँ प्रकट की जा रही है उनका खयाल धरके म आयुक्तोंके पिछले अनुच्छेदमें उल्लिखित २० जनवरी, १८९४ के स्मरणपत्रके मुझाव (कसे चतक) निम्नलिखित शर्तोंपर स्वीकार करनेको तयार हूँ

(क) किसी भी कुलीको शुद्धमें ही इस इकरार पर भरती किया जायगा कि अगर उसने गिरमिटकी अवधिके बाद उहीं शर्तोंपर फिरसे

इकरार करना पसंद न किया तो उसे अवधिके अंदर या उसके समाप्त होनेपर तत्काल भारत लौटना होगा।

(ख) जो फुली लौटनेसे इनकार करें उन्हें किसी भी हालतमें फौजदारी कानूनके अनुसार दण्ड नहीं दिया जायेगा, और

(ग) प्रत्येक नया इकरारनामा दो वर्षके लिए होगा। पहली अवधिके और बादकी प्रत्येक अवधिके अन्तमें मुफ्त वापसी टिकटकी व्यवस्था की जायेगी।

वर्तमान व्यवस्थामें म सम्राज्ञी-सरकारकी अनुमति प्राप्त होनेपर जो परिवर्तन मजूर करनेको राजी हूँ, वे संक्षेपमें इस प्रकार हूँ<sup>१</sup>

(२०) प्रार्थी राहत महसूस करते हैं कि सम्राज्ञी-सरकारने अबतक आयुक्तोंके सुझावोंको मजूर नहीं किया है।

(२१) अनिवाय वापसी या फिरसे इकरार करनेकी कल्पना जबसे शुरू हुई तभीसे वह कितनी अधिक अयायपूर्ण मालूम होती रही है, इसे और भी स्पष्ट करनेके लिए प्रार्थी नेटालमें १८८५ में बैठे प्रवासी-आयोग (इमिग्रेशन कमिशन) की रिपोर्ट और उसके सामने ली गई गवाहियोंके उद्धरण देने की इजाजत चाहते हैं।

(२२) आयुक्तोंमें से एक श्री जे० आर० साडसने अतिरिक्त रिपोर्टमें जोरोंके साथ अपने निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं

यद्यपि आमोगने ऐसा कानून बनानेकी कोई सिफारिश नहीं की कि अगर भारतीय अपने गिरमिटकी अवधि पूरी होनेके बाद नया इकरार करनेको तयार न हों तो उन्हें भारत लौटनेके लिए बाध्य किया जाये, फिर भी मैं ऐसे किसी भी विचारकी जोरोंसे निन्दा करता हूँ। मेरा पक्का विश्वास है कि आज जो अनेक लोग इस योजनाकी हिमायत कर रहे हैं वे जब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है तब वे भी मेरे समान ही जोरोंसे इसे ठुकरा देंगे। भले ही भारतीयोंका आना रोक बीजिए और उसका फल भोगिए, परंतु ऐसा कुछ करनेकी कोशिश मत कीजिए जो, मैं साबित कर सकता हूँ, भारी अयाय है।

१ प्राप्त अंग्रेजी प्रतिमें यह संक्षेप नहीं दिया गया।

यह इसके सिवा क्या है कि हम अपने अच्छे और बुरे दोनों तरहके नौकरोका ज्यादासे ज्यादा लाभ उठा लें और जब उनकी अच्छीसे अच्छी उम्र हमें फायदा पहुँचानेमें कट जाये तब (अगर हम कर सकें तो, मगर कर नहीं सकते) उन्हें अपने देश लौट जानेके लिए बाध्य करें और इस प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका मुख भोगने देनेसे इनकार कर दें? और आप उन्हें भेजेंगे वहाँ? उन्हें उसी भूलमरीकी परिस्थितिको झेलनेके लिए फिर क्यों घापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके दिनोंमें भागकर वे यहाँ आये थे? अगर हम शाइलाक'के समान एक पौंड मांस ही चाहते ह तो, विश्वास रखिए, शाइलाक'का ही प्रतिफल भी हमें भोगना होगा।

आप चाहें तो भारतीयोंका आगमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान काफी न हों तो अरबों या भारतीयोंको, जो आधेसे कम आबाद देशको उपज व क्षपतकी शक्ति बढ़ाते ह, निकालकर और खाली करा लें। परन्तु इस एक विषयको उदाहरणके तौरपर उठाकर जात्रिए, और इसके परिणामोंका पता लगाइए। पता लगाइए कि, किस तरह मकानोंके खाली पड़े रहनेसे जायदाद और सेक्स्युरिटीजकी कीमत घटती है और कसे, इसके बाद, इमारतोंके व्यापारमें और उसपर निर्भर करनेवाले दूसरे व्यापारों तथा दूकानोंमें गतिरोध आना अनिवाय हो जाता है। देखिए कि, इससे गोरे मिस्त्रियोंकी माँग कसे कम होती है, और इतने लोगोंकी खच करनेकी शक्ति कम हो जानेसे कसे राजस्वमें कमीकी अपेक्षा करनी होगी। फिर, छोटनीकी या कर बढ़ानेकी या दोनोंकी जरूरत! इस परिणामका और दूसरे परिणामोंका, जो इतने अधिक ह कि उनका विस्तारपूर्वक वणन नहीं किया जा सकता, मुकाबला फीजिए, और फिर अगर अभी जाति भावना या ईर्ष्या ही प्रबल होती है, तो वही हो! उप-निवेश भारतीयोंके आगमनको जरूर रोक सकता है, और 'लोक प्रियताके

१ शेक्सपियरके नाटक "मचैट आफ़ वैनिस" का खलनायक। वह, शर्तके अनुसार, कानके बदले अपने कजदार मित्रके शरीरसे एक पौंड मांस काट लेनेपर भड़ गया था। आखिर अदालतमें उसमें कहा गया कि वह एक पौंड मांस काट ले, न कम हो न ज्यादा, और न एक बूँद भी खून ही निकले। इस तरह उसे धन और मांस दोनोंसे हाथ धोना पड़ा।

दीवाने' जितना चाहेंगे उससे कहीं अधिक सरलताके साथ और स्थायी रूपमें रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जबरन निकाल देना उसके बशकी बात नहीं है। और मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि इसकी कोशिश करके वह एक अच्छे नामको कलङ्कित न करे।

(२३) भूतपूर्व विधानपरिषदके भूतपूर्व सदस्य और वर्तमान महान्यायवादी (माननीय श्री एस्क्म्व)ने आयोगके सामने गवाही देते हुए कहा था (पृ० १७७)

जहातक अवधि पूरी कर लेनेवाले भारतीयोका सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधी न हो और उस अपराधके लिए उसे देशनिकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी भागमें जानेके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मैंने इस प्रश्नके बारेमें बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दृष्टिकोण बदलनेको कहा गया है, परन्तु मैं बँसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्तत रजामदीसे, व्यवहारत बहुधा विना रजामदीके (अक्षरोंमें अन्तर प्रार्थियाने किया है) लाया जाता है। वह अपने जीवनके सबश्रेष्ठ पाँच वर्ष दे देता है। नये सम्बन्ध स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धको भुला देता है। यहाँ अपना घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें मेरे 'याय और अयायके विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो कुछ काम आप ले सकते हैं वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना ही बिलकुल बन्द कर दें। ऐसा दोषता है कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग भारतीयोको बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोसे बचना चाहता है। जहातक मैं जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हैं। कुछ बायतोंमें तो वे बहुत परोपकारी हैं। फिर, ऐसा कोई कारण तो मेरे सुननेमें कभी नहीं आया, जिससे किसी व्यक्तिको पाँच वर्ष तक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी देशनिकाला दे दिया जाये, और इस फायको उचित ठहराया जा सके। मैं नहीं समझता कि किसी भारतीयको, उसकी पाँच वर्षकी सेवा समाप्त



होनेपर पुलिसकी निगरानीमें रखना चाहिए। हाँ, अगर वह अपराधी वृत्तिका ही तो बात दूसरी है। मैं नहीं जानता कि अरबोंको क्या पुलिसकी निगरानीमें यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक रखा जाना चाहिए। कुछ अरबोंके सम्बन्धमें तो यह बात बिल्कुल हास्यास्पद है। वे बहुत साधन-सम्पन्न हैं। उनके सम्बन्ध भी बहुत फले हुए हैं। अगर उनके साथ कारोबार करना ज्यादा फायदेमन्द हो, तो व्यापारमें उनका उपयोग हमेशा किया जाता है।

(२४) प्रार्थी आपका ध्यान उपर्युक्त उद्धरणकी ओर आकर्षित करते हुए खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकने कि जिन महाशयने दस वष पूर्व उपर्युक्त विचार व्यक्त किये थे, वही अब इस विधेयकको पेश करनेवाले सदस्य हैं।

(२५) श्री एच० विन्सने, जो श्री मेसनके साथ प्रतिनिधिके रूपमें भारत-सरकारको भारतीय मजदूरोकी अनिवाय वापसी या फिरसे प्रतिशाब्द करनेकी योजनापर राजी करने गये थे, आयोगके सामने अपनी गवाहीमें यह कहा था

मैं समझता हूँ कि गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर तमाम भारतीय मजदूरोको भारत लौटनेके लिए बाध्य करनेका जो विचार पेश किया गया है, वह भारतीयोंके लिए नितान्त अयायपूर्ण है। भारत सरकार उसे कभी मजूर नहीं करेगी। मेरे खयालसे स्वतंत्र भारतीय आबादी समाजका सबसे उपयोगी अंग है। ये भारतीय एक बहुत बड़े अनुपातमें — साधारणतः जो माना जाता है उससे कहीं बड़े अनुपातमें — उपनिवेशकी नौकरियोंमें लगे हुए हैं। खास तौरसे वे शहरो और गावोंमें घरेलू नौकरोका काम कर रहे हैं। स्वतंत्र भारतीयोंकी आबादी होनेके पहले पीटरमरित्स

बग और डबन नगरोंमें फल, शाक-सब्जी और मछली बिल्कुल नहीं मिलती थी। यूरोपसे कभी कोई ऐसे प्रवासी यहाँ नहीं आये, जिन्होंने बड़े पमानेपर बागवानी या मछलीके धंधेमें रुचि दिखाई हो। और, मेरा खयाल है कि अगर स्वतंत्र भारतीय न हों तो पीटरमरित्सबर्ग और डबनके बाजार उतने ही अभावग्रस्त रहेंगे, जितने कि दस वष पूर्व थे। (५० १५५-१५६)

(२६) वतमान मुख्य न्यायाधीश, और तत्कालीन महान्यायवादीने यह मत व्यक्त किया था

भारतीय जिन कानूनोंके अनुसार उपनिवेशमें लाये जाते ह उनकी शतामें कोई भी परिवर्तन करनेपर मुझे आपत्ति है। मेरे खयालसे, जो भारतीय नारी सख्यामें तटवर्ती प्रदेशमें जाकर बसे, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रामें यह कमी पूरी की है, जो यूरोपीयोसे पूरी नहीं हो सकी थी। जो जमीन उनके न होनेपर बजर पडी रहती उसे उन्होंने जोता है और ऐसी फसलें पैदा की ह, जो उपनिवेशवासियोंके सच्चे लाभकी ह। जो बहुत-से लोग मुफ्त वापसी टिकटका फायदा उठाकर भारत वापस नहीं गये वे विद्रवस्त और अच्छे घरेलू नौकर साबित हुए ह। (पृ० ३२७)

(२७) उस बृहद् रिपोर्टसे और भी अनेक उद्धरण देकर बताया जा सकता है कि इस व्यवस्थाके बारेमें उपनिवेशके सबसे बड़े लोगोके विचार क्या थे।

(२८) प्रार्थी श्री बिन्स और मेसनकी रिपोर्टके निम्नलिखित अंशपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं

यद्यपि अनुमति बार-बार मांगी गई है, फिर भी जहाँ-कहाँ भी कुली गये ह, भारत सरकारने अबतक इकरारनामा दुहरानेकी अनुमति किसी देशको नहीं दी है। गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर अनिवाय वापसी की शर्त भी किसी मामलेमें मजूर नहीं की गई।

(२९) कानूनका समर्थन करते हुए उपनिवेशमें कहा गया है कि जहाँ दोनो पक्ष स्वेच्छासे किसी बातको मजूर करते हैं वहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता। और भारतीयोको नेटाल आनेके पहले मालूम ही रहेगा कि उन्हें किन शर्तोंपर यहाँ आना है। विधानपरिषद और विधानसभाको भेजे गये प्रार्थनापत्रमें इस विषयकी विवेचना की गई है। प्रार्थी फिरसे यह देनेकी इजाजत लेते हैं कि जब इक्कार करनेवाले पक्षाकी स्थिति बराबर नहीं है, तब यह तक बिलकुल लागू नहीं होता। जो भारतीय, श्री साडसके शब्दोंमें, "मुखमरोसे भाग निकलनेके लिए" इकरारमें बंधता है, उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता।

(३०) अभी, १८९४ में ही, सरसावकी रिपोर्टमें भारतीयोंके उपनिवेशके लिए अनिवाय होनेकी बात कही गई है। इस विषयके प्रमाणोंकी चर्चा करत हुए सरसाकने पृष्ठ १५ पर कहा है

अगर थोड़े-से समयके लिए भी इस उपनिवेशसे सारेके सारे भारतीयोंको हटा लेना सम्भव हो तो, मेरा पक्का विश्वास है, केवल कुछ अपवादोंको छोड़कर, तमाम वर्तमान उद्योग बंठ जायेंगे। और इसका एकमात्र कारण विश्वस्त मजदूरोंका अभाव होगा। इस वस्तुस्थितिकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि देशी लोग आम तौरपर काम करनेको तयार नहीं ह। इसलिए सारे उपनिवेशमें मजूर किया जाता है कि भारतीय मजदूरोंके बिना महत्त्वके किसी भी उद्योगको—चाहे वह कृषि हो या कोई अन्य—सफलतापूर्वक चलाना असम्भव है। इतना ही नहीं, नेटालका प्रत्येक घर बिना नौकरोंका हो जायेगा।

(३१) अगर जिसे तज्ज्ञ मत कहा जा सकता है, उसकी सारीकी सारी धारा धुरूसे आखिरतक भारतीयोंकी उपयोगिता ही सिद्ध करनेवाली है तो, प्राथियोंका निवेदन है, यह कहना ज्यादाती न होगी कि ऐसे लोगोंको निरन्तर गुलामीमें रखना या उन्हें तीन पौंड वार्षिक कर देनेके लिए—चाहे वे दे सकते हो या नहीं—बाध्य करना, कमसे कम कहा जाये तो, बिल्कुल एकपक्षीय और स्वायत्तय कारवाई है।

(३२) प्रार्थी आदरपूर्वक आपका ध्यान इस वस्तुस्थितिकी आर आकर्षित करते हैं कि यदि विधेयक कानूनमें परिणत हो गया तो भारतीयोंके देशान्तर-वासका मूल उद्देश्य ही हर तरहसे निष्फल हो जायेगा। अगर देशान्तर-वासका उद्देश्य यह है कि उममे अन्तत भारतीय अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनेमें समर्थ हो, तो वह उद्देश्य उन्हें निरन्तर इकरारमें बांधे रहनेसे निश्चय ही पूरा न होगा। अगर उद्देश्य भारतके घने भागोंकी भीड़ कम करना हो तो वह भी विफल ही होगा। क्योंकि, कानूनका ध्येय उपनिवेशमें भारतीयोंकी संख्या बढ़ने न देना है। उसके पीछे मशा यह है कि जा लोग गिरमिटकी जुआड़ीका भार वहन करने योग्य नहीं रहे उन्हें जबरन भारत वापस कर दिया जाये और उनके बदले नये आदमी ले आये जायें। इसलिए, प्राथियोंका नम्र निवेदन है कि पहलेकी स्थितिसे बादकी स्थिति ज्यादा खराब होगी। क्योंकि, जहातक नेटालमें निवासका सम्बन्ध है, घनी आबादीके हलकामें भारतीयोंकी

मरना तो वही रहेगी, और जो लोग अपनी इच्छावे विरुद्ध नेटालमें वापस आयेंगे वे अतिरिक्त चिन्ता तथा कष्टके कारण घन जायेंगे। क्योंकि, उन्हें न तो काम पानेकी आशा होगी और न अपने जीवन निर्वाहके लिए उनके पान कोई पूजी ही होगी। फलतः उनका पालन शायद सरकारी खर्चसे करना पड़ेगा। इन आपत्तियोंके जवाबमें कहा जा सकता है कि इससे पीछे एक ऐसी मायता है, जो कभी सच न उतरेगी। जहाँ भारतीय खुशीसे वार्षिक कर चुका देंगे। इसपर प्रार्थी कहनेकी इजाजत चाहते हैं कि अगर ऐसा तब किया जाये तो उससे वास्तवमें यही सिद्ध होगा कि इकरारका दुहरानेकी और कर-सम्बन्धी उपधाराएँ विलकुल बेकार हैं, क्योंकि उनसे वाछित परिणाम नहीं होगा। और, यह तो कभी कहा ही नहीं गया कि उसका उद्देश्य आमदनी बढ़ाना है।

(३३) इसलिए प्रार्थी निवेदन करते हैं कि यदि ये उपनिवेश भारतीयोंको बरदाश्त नहीं कर सकते तो, हमारी रायसे, उसका एकमात्र उपाय यह है कि भविष्यमें नेटालका मजदूर भोजना विलकुल बंद कर दिया जाये। कमसे कम हालमें तो यही हो सकता है। प्रार्थी ऐसी व्यवस्थाका नम्रतापूर्वक परन्तु जोरके साथ विरोध करते हैं, जिससे साराका सारा लाभ एक पक्षको और तो भी उस पक्षको मिलता है, जिसे उसकी सबसे कम जरूरत है। इस प्रकार गिरमिटिया भारतीयोंका आना रोक देनेमें भारतके घनी आबादीके हलकोंपर बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा।

(३४) अबतक प्राथियाने गिरमिट और परवाना दोनोंकी धाराओंकी एक साथ विवेचना की है। जहाँतक परवानेका सम्बन्ध है, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ट्रान्सवालमें भी — जो एक पराया राज्य है — सरकारने अपनी इच्छा और अपने खर्चसे आनेवाले भारतीयों पर वार्षिक कर नहीं लगाया। वहाँ सिर्फ एक बार ३ पौंड १० शिल्लिंगका परवाना ही लेना जरूरी है। इस पर भी, हमें मालूम हुआ है, सम्राज्ञी-सरकारको प्राथनापत्र तो भेजा ही गया है। इसके अलावा, यहाँका परवाना अत्यन्त अनिष्टकारी ढंगका वार्षिक कर है। इसका अमागा शिकार इसे देनेका सामर्थ्य रखता हो या न रखता हो, उसे देना तो पड़ेगा ही। बहसके समय एक सदस्यने पूछा कि अगर कोई भारतीय इस करपर आपत्ति करे या इसे न चुकाये तो यह वसूल कैसे किया जायेगा? इसपर माननीय महायायवादीने उत्तर दिया कि न देनेवाले भारतीयोंके घरमें सरसरी कारवाइसे बुरक कर लेनेके लिए हमेशा ही काफी माल मिल जायेगा।

अन्तमें, प्रार्थियाका निवेदन है कि परवाना-सम्बन्धी धाराको पेश करनेसे वाइसरायके उपर्युक्त खरीतेमें निर्धारित मर्यादाका अतिक्रमण होता है।

अतएव, हम व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना और दृढ आशा करते हैं कि जिन धाराओकी यहाँ विवेचना की गई है उन्हें सम्मन्त्री-सरकार स्पष्टतः अन्याययुक्त मानेगी और, इसलिए, उपर्युक्त भारतीय प्रवासी कानून सशोधन विधेयकको अनुमति नहीं देगी। अथवा, वह ऐसी अय राहतें प्रदान करेगी, जिनसे न्यायका उद्देश्य पूरा हो।

और न्याय तथा दयाके इस कामके लिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, सदैव दुआ करेंगे, आदि-आदि।

छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ५६ प्रार्थनापत्र लार्ड एलगिनकी

[डबन

अगस्त ११, १८९५]

सेवामें

महामहिम, परम माननीय लार्ड एलगिन  
वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल (सपरिपद), भारत  
कलकत्ता

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल निवासी भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

नम्रतापूर्वक निवेदन है कि,

प्रार्थी सम्मन्त्रीके भारतीय प्रजाजन हैं और महानुभावका ध्यान अपने उम विनम्र प्रार्थनापत्रकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो उन्होंने भारतीय प्रवासी कानून सशोधन विधेयक (इटियन इमिग्रेशन ला अमेंडमेंट बिल) के बारेमें सम्मन्त्री-सरकारको भेजा है। यह विधेयक हालमें ही नेटालकी विधानसभा और विधानपरिषदने मंजूर किया है। इसका आशिक आधार नेटालके गवर्नर महोदयके नाम महानुभावका तत्सम्बन्धी खरीता है, जिसकी एक नकल इसके साथ नयी की जा रही है।

उपर्युक्त प्रार्थनापत्रकी ओर महानुभावका ध्यान आकर्षित करनेके अलावा, प्रार्थी विधेयकके सम्बन्धमें आदरके साथ निम्नलिखित निवेदन करना चाहते हैं।

प्रार्थियोंको यह देखकर खेद हुआ है कि महानुभाव मजदूरोंके अनिवाय रूपसे पुनः प्रतिज्ञाबद्ध किये जाने अथवा अनिवाय रूपसे भारत लौटा दिये जानेके सिद्धान्तको स्वीकार करनेके लिए राजामन्द है।

प्रार्थियानो इम बातका भी खेद है कि जब नेटालके प्रतिनिधि<sup>१</sup> भारतके लिए खाना हुए थे उस समय प्रार्थियानो महानुभावको अपनी अर्जी नहीं भेजी। ऐसी कारवाईकी राहमें किन कारणोंसे रुकावट पड़ी, इसकी चर्चा करना व्यर्थ होगा। फिर भी, यदि विधेयकने कानूनका रूप ले लिया तो उससे होने-वाला अयाय बहुत बड़ा होगा। इसलिए प्रार्थियाको आशा है कि उसे टालनेमें प्रार्थियोंके अर्जी न देनेका वाघव न माना जायेगा।

प्रार्थी अधिकतम आदरके साथ बतानेकी इजाजत लेते हैं कि यदि अनिवाय वापसीकी शर्तका पालन करनेपर फौजदारी कानूनका प्रयोग न किया जा सके तो इकरारनामोंमें इस तरहकी उपधाराका समावेश करना सरासर हानिकारक नहीं तो बिल्कुल व्यर्थ जरूर होगा। क्योंकि, उससे इकरारी पक्षको अपना इकरार तोड़नेका प्रोत्साहन मिल सकता है, और कानून ऐसी अवहेलनाकी उपेक्षा करेगा। ऐसी उग्र एहतियाती कारवाईमें पहलेसे ही यह मान्यता है कि इकरारनामा अन्यायपूर्ण है। इसलिए प्रार्थियोंका निवेदन है कि उसकी मजूरी प्राप्त करनेके लिए जो कारण दिये गये हैं वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं। और क्या कोई कारण ऐसे भी हैं, जिनसे उसे यायसगत ठहराया जा सके?

जैसा कि साथ नत्थी किये गये पत्रमें इशारा है, प्रार्थी महानुभावसे विनती करते हैं कि जिन उपधाराआपर आपत्ति की गई है, उनमें से किसीके लिए अनुमति न दी जाये। बल्कि, इसके साथ नत्थी पत्र<sup>२</sup>में श्री जे० आर० साडर्स और माननीय श्री एस्कम्बका जो जोरदार मत उद्धृत किया गया है उसके अनुसार नेटालको प्रवासी भेजना बंद कर दिया जाये।

सम्राज्जीकी प्रजाके किसी भी अंगको, भले ही वह गरीबसे गरीब क्या न हो, व्यापहारिक रूपमें गुलाम बना लिया जाये, या उसपर कोई विशेष,

१ देखिए, पृष्ठ २१९।

२ देखिए, पृष्ठ २२५-२८।

हानिपारक व्यक्ति-चर ादा जाये, ताकि उपनिवेशी जि लोगनि पहले हा अधिक्से अधिक् लाभ उठा रहे है उनमे किसी प्रचारका बदला चुनाये बिना, और भी अधिक् लाभ उठानेकी अपनी गनव या इच्छा पूरी कर सर्वे — इसका प्रार्थी आदरके माय विरोध करत है। अनिवाय रूपसे पुन इचरार कराने या उसके बदलेमें व्यक्ति-चर यमूल करनेके विचारको प्रार्थियाने सनक् कहा है। उनका विश्वास है कि उन्हाने सही ाब्दका प्रयोग किया है। क्योंकि, प्रार्थियाका दृढ विश्वास है, अगर उपनिवेशमें भारतीयाकी सस्या तिगुनी भी हो जाये ता भी खतरका कोई कारण उपस्थित न होगा।

परन्तु प्रार्थियाका नम्र निवेदन है कि ऊपर-जसे विषयका निणय करतेमें उपनिवेशकी इच्छा ही महानुभावकी भागदर्शिका नही हो सकती। उपचारावसि प्रभावित होनेवाले भारतीयोके हिताका भी खयाल करना जरूरी है। और हमें उचित आदरपूर्वक यह कहनेमें बाई परतोपेश नही है कि यदि कभी उन उपचाराओको स्वीकार कर लिया गया तो सम्राज्ञीकी अत्यन्त निस्सहाय भारतीय प्रजाके प्रति एक गम्भीर अयाय होगा।

हमारा निवेदन है कि पाँच बपका इकरारनामा काफी लम्बा हाता है। उसे अमित समय तक बढा देनेका अर्थ हागा कि जो भारतीय व्यक्ति-कर देने या भारत लौटनेमें असमथ हो, उसे हमेशा बिना स्वतंत्रताके, बिना कभी अपनी स्थिति सुधरनेकी आशाके रहना होगा। यहाँतक कि, वह अपनी झोपडी, अपनी तुच्छ आमदनी और अपने फटे-पुराने कपडे बदलकर ज्यादा अच्छे मकान, सुप्तिकारक भोजन और आदरके योग्य कपडोका विचार भी नही कर सकेगा। उसे अपने बच्चाको अपनी रुचिके अनुसार शिक्षा देने या अपनी पत्नीको आनंद अथवा मनोरजनके द्वारा सात्वना प्रदान करनेका भी विचार नही करना होगा। प्रार्थियोका निवेदन है कि इस जीवनसे भारतमें स्वतंत्रताके साथ और अपनी ही हालतके मित्रा तथा सम्बन्धियोके बीच आधी भुखमरीका जीवन ही ज्यादा अच्छा और ज्यादा इष्ट होगा। ऐसी हालतमें रहते हुए भारतीय अपना जीवन सुधारनेकी आशा कर सकने है, और उन्हें उसका मौका भी मिल सकता है। परन्तु यहाकी हालतोमें बैसा कभी नही हो सकता। हमारा विश्वास है कि मजदूरोंके प्रवासको प्रोत्साहित करनेका उद्देश्य यह कभी नही था।

इसलिए, आखिरमें प्रार्थी उत्कटतामे निवेदन तथा दृढ आशा करते है कि यदि उपनिवेश उपयुक्त आपत्तिजनक व्यवस्थाके स्वीकार हुए बिना भारतीय

मजदूरोंको नहीं चाहता, तो महानुभाव भविष्यमें नेटालका मजदूर भेजना बंद कर देंगे, या दूसरी ऐसी राहें देंगे, जो चायापूर्ण मालूम हो।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए आपके प्रार्थी, कतव्य ममज्ञकर, सर्वद्व दुआ करेंगे, आदि-आदि।

(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम  
तथा अन्य

छपी हुई अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकलमे।

## ५७ नेटाल भारतीय कांग्रेसकी पहली कार्यवाही

अगस्त, १८९५

### स्थापना

१८९४ के जुलाई महीनेमें नेटाल-सरकारने विधानसभामें एक विधेयक पेश किया था। उमे मताधिकार कानून सशोधन विधेयक कहा जाता है। ऐमा माना गया कि उस विधेयकसे उपनिवेशवासी भारतीयोंका अस्तित्व खतरेमें पड़ता है। इसलिए उसे मजूर न होने देनेके लिए क्या कारवाई की जाये, इस विषयपर विचार करनेके लिए दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनीके मकानमें सभाएँ की गईं। दोना सदनोंको प्राथनापत्र भेजे गये और प्रतिनिधियोंने डबनस पीटरमैरिक्सबग जाकर दोनो सदनोंके मदस्योसे मुलाकातें कीं। तथापि विधेयक दोना सदनोंमें स्वीकार हो गया। इस सम्बन्धमें जो आन्दोलन हुआ, उसके परिणामस्वरूप सब भारतीयोंको एक स्थायी सस्था बनानेकी आवश्यकता महसूस हुई, जो भारतीयोंके सम्बन्धमें उपनिवेशकी पहली उत्तरदायी सरकारकी प्रतिगामी वैधानिक प्रवृत्तियोंका मुकाबला और भारतीयोंके हिताका संरक्षण करे।

दादा अब्दुल्लाके मकानमें कुछ आरम्भिक बैठकें होनेके बाद २२ अगस्तको भारी उत्साहके बीच नेटाल भारतीय कांग्रेसकी रस्मी तौरपर स्थापना हुई। भारतीय समाजके सब प्रमुख सदस्य कांग्रेसमें शामिल हो गये। पहली क्षामका ७६ सदस्योंने अपने नाम लिखाये। धीरे धीरे सूची २२८ तक बढ गई। श्री अब्दुल्ला हाजी आदम अध्यक्ष चुने गये। अन्य प्रमुख सदस्योंको उपाध्यक्ष



बनाया गया। श्री मो० व० गांधी अवैतनिक मंत्री चुने गये। एक छोटी-सी कमेटी भी बग़ाई गई। परन्तु चूंकि कांग्रेसके शुरू-शुरूके दिनोंमें अथ सदस्योंने भी कमेटीकी बैठकोंमें शामिल होनेकी इच्छा प्रकट की, इसलिए कमेटीको आप ही आप भग हो जाने दिया गया और सब सदस्योंको बैठकोंमें आनेके लिए आमन्त्रित किया जाता रहा।

### वित्तीय स्थिति

कमसे कम मासिक चन्दा ५ शिलिंग रखा गया था। अधिकसे अधिक रकम वांधी नहीं गई थी। दो सदस्योंने दो-दो पाँड मासिक चन्दा दिया। एकने २५ शिलिंग, १० ने २० २० शिलिंग, २५ ने १०-१० शिलिंग, ३ ने ७ शि० ६ पें० व ३ ने ५ शि० ३ पेंस प्रत्येक, २ ने ५ शि० १ पेंस प्रत्येक, और ८७ ने ५-५ शिलिंग मासिक चन्दा देना स्वीकार किया। नीचे दी हुई तालिकासे विभिन्न वर्गोंके चन्दादाताओंकी संख्या उनके दिये हुए चन्दे और बकाया चन्देका विवरण मिल जायेगा।

वय पाँ० शि० पें०	संख्या	वापिक पाँ० शि० पें०	वसूली पाँ० शि० पें०	बकाया पाँ० शि० पें०
०-४०-०	२	४८-०-०	४८-०-०	कुछ नहीं
०-२५-०	१	१५-०-०	१५-०-०	कुछ नहीं
०-२०-०	१०	१२०-०-०	९३-०-०	२७-०-०
०-१०-०	२२	१३२-०-०	८८-५-०	४३ १५ ०
०-७-६	३	१३ १०-०	८-१२ ६	४-१७ ६
०-५-३	२	६-६-०	३-८-३	२-१७-९
०-५-१	२	६-२-०	५-६-९	० १५-३
०-५-०	१८७	५५० १० ०	२७३-५-०	२८६-१५ ०
	२२८	९००-८-०	५३५ १७-६	३६६-०-६

ऊपरके हिसाबसे मालूम होगा कि ००० पाँड ६ शिलिंगकी सम्भव आयमें से कांग्रेस अबतक सिर्फ ५०० पाँड १७ शि० ६ पें० या ५९% रकम वसूल कर सकी है। ५ शिलिंग देनेवालोंमें बकाया सबसे ज्यादा है। इसके कारण कई

१ इस हिसाबके योगमें, शायद भूलसे, गलतियाँ रह गई हैं।

हैं। यह याद रखना चाहिए कि कुछ लोग बहुत देरसे सदस्य बने थे और स्वाभाविक है कि उन्होंने सारे वपवा चन्दा नहीं दिया। कई लोग भारत चले गये हैं। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वे दे ही नहीं सकते। परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि सबसे बड़ा कारण देनेकी अनिच्छा है। फिर भी अगर कुछ कायकर्ता आगे बढ़कर मिहनत करें तो ३०% बकाया रकम वसूल हो जाना सम्भव है। बेनेट-मामलेके लिए माधारण तथा विशेष दान और 'यूकैसल तथा चात्सटाउनसे प्राप्त चन्देका ब्योरा' इस प्रकार है

यह ब्योरा पूरा-पूरा दिया गया है, क्योंकि छपे हुए ब्योरेमें ये नाम नहीं है। इस तरह कुल आम निम्नलिखित है

चंदा	पौंड ५३५-१७-६
दान	पौंड ८०-१७-०
	<hr/> पौंड ६१६-१४-६

उपर्युक्त हिसाब छपे हुए ब्योरेके आधारपर लगाया गया है।

बैंकमें जमा रकम ५९८ पौंड १९ शि० ११ पेंस है। ऊपर दी हुई रकम पूरी करनेके लिए इस रकममें नकद खच और खातेमें तबादलेकी रकम जोड़नी होगी।

नकद खच ७ पौंड ५ शि० १ पेंसका हुआ है। तबादलेकी रकम १० पौंड १० शि० है। इसमें श्री नायडूके १० पौंड, श्री अब्दुल कादिरके २ पौंड और श्री भूसा एच० आदमके १० शि० शामिल हैं, जो उन्हें भाड़ेके रूपमें पाने थे। तीनोंने ये रकमें वसूल न करके चंदेमें कटा दी है।

इस तरह	पौंड ५९८-१०-११
	७-५-१
	१०-१०-०
	<hr/> पौंड ६१६-१५-०

छपी हुई सूचीसे जमा रकमकी तुलना करनेपर ६ पेंसका फक दीख पड़ता है। ये ६ पेंस पाये तो गये हैं, परन्तु सूचीमें दिखाये नहीं गये। यह इसलिए

१ यह ब्योरा छोड़ दिया गया है।

हुआ कि एक सदस्यने एक बार २ सि० ६ पैसे दिये और दूसरी बार ३ सि० दिये थे। ३ सालिगको सूचीमें ठीक तरहसे दिखाया नहीं जा सका।

आजतक चेक द्वारा १५१ पौंड ११ सि० १३ पैसे खर्च हुए हैं। पूरा विवरण इसके साथ सलग्न है। इसके बाद बैंकमें पौंड ४४७-८-९३ गेप रहे हैं। देनदारी अभी चुनता नहीं हुई और प्रवासिमा-सम्बन्धी प्राथनापत्र तथा टिक्टाका खर्च नीचे बताया गया है।

चेक देनेके नियमोंका पूरी तरहसे पालन किया गया है। यद्यपि अवैतनिक मन्त्रीका केवल अपने हस्ताक्षरोंसे ५ पौंड तककी चेक देनेका अधिकार है, फिर भी इस अधिकारका उपयोग कभी नहीं किया गया। बैंकापर अवैतनिक मन्त्री और श्री अब्दुल करीमने हस्ताक्षर किये हैं। श्री अब्दुल करीमकी गैरहाजिरीमें श्री दोरास्वामी पिल्ले तथा श्री पी० दावजी और उनकी भी गैरहाजिरीमें श्री हुसेन कासिमके हस्ताक्षर करा लिये गये हैं।

### काग्रेसकी प्रवृत्ति उसका काम, उसके कार्यकर्ता और उसकी कठिनाइयाँ

वाग्विरी बातकी चर्चा पहले करें, तो कांग्रेसका काफी मुसीबतोसे गुजरना पडा है। यह अनुभव जल्दी ही हो गया था कि चर्चा उगाहनेका काम बड़ा कठिन है। अनक सुझाव पेश किये गये थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह सफल सिद्ध नहीं हुआ। आखिरकार कुछ कार्यकर्ताओंने स्वेच्छासे काम किया और साथ परिश्रमके फलस्वरूप ४४८ पौंडकी भी जमा दिवाना सम्भव हो सका है। सब्शा पारसी रस्नमजी, अब्दुल कादिर, अब्दुल करीम, दोगस्वामी, दावजी कचराडा, रदेरी, हुसेन कासिम, पीरल मुहम्मद जी० एच० मियालौ और अमोद जीवान किसी-न किसी समयपर चन्दा उगाहनेका प्रयत्न किया है। इनमें स सब या अधिकतर एकसे ज्यादा बार चर्चेके लिए धूमे हैं। श्री अब्दुल कादिर अकेलेने ही अपने खर्चसे पीटरमैरिस्मबग जाकर लगभग ५० पौंडकी रकम वसूल की। अगर वे ऐसा न करते तो इसमें स अधिकांश रकम कांग्रेसको न मिलती। श्री अब्दुल करीम अपने खर्चसे बेरुलम गये और उन्होंने लगभग २५ पौंड वसूल किये।

चेक पर हस्ताक्षर करनेके बारेमें प्रमुख सदस्योंके बीच मतभेद भी था। मूल नियम यह था कि उनपर अवैतनिक मन्त्रीके हस्ताक्षर और इन सदस्योंमें से किसी एकके प्रति-हस्ताक्षर हा श्री अब्दुल्ला एच० आदम, श्री

मूसा हाजी कासिम, श्री पी० दायजी मुहम्मद, श्री हुसेन कासिम, श्री अब्दुल कादिर और श्री दोरास्वामी पिल्ले। एक् मुसाव यह था कि अधिक सदस्य हस्ताक्षर करें। एक् समय तो इस मतभेदने काग्रेसकी हस्तीपर ही खतरा आ गया था। परन्तु सदस्यावी सद्युद्धि और उनकी ऐसे सवटको टालनेकी चिन्तामे घटाएँ छिन्न भिन्न हो गई। और उपर्युक्त परिवतन सर्वानुमतिसे स्वीकृत हो गया।

जसे ही डवनमें काग्रेसका काम कुछ ठीक तरहसे चलने लगा, सवथी दाऊद मुहम्मद, मूसा हाजी आदम, मुहम्मद कासिम जीवा, पारसी रस्तमजी, पीरान मुहम्मद और अवैतनिक मन्त्री सदस्य बनानेके लिए अपने खचसे पीटर-मैरित्सावग गये। वहाँ एक् सभा हुई और लगभग ४८ सदस्य बने। इसी तरहकी एक् दूसरी सभा वेरुलममें हुई। वहाँ करीब ३७ सदस्य बने। सवथी हुसेन कासिम, हाजी, दाऊद, मूसा हाजी कासिम, पारसी रस्तमजी और अवैतनिक मन्त्री वहाँ गये थे। श्री अमद भायात, श्री हाजी मुहम्मद और श्री कमरुद्दीनने पीटरमरित्सावगमें तथा श्री इब्राहीम मूसाजी अमद, श्री अमद मेतर और श्री पी० नायडूने वेरुलममें सक्रिय सहायता दी।

श्री अभीरुद्दीनने काग्रेसके सदस्य न होते हुए भी उमवे लिए बहुत जरूरी काम किया। श्री एन० डी० जारोने गुजरातीमें कायवाहीकी पक्की नकल करनेकी कृपा की है।

काग्रेसके इस पहले बपके प्रारम्भिक कालमें श्री सोमसुन्दरमूने सभाआमें दुभापियेका काम करके और परिपत्राका वितरण करके सहायता पहुँचाई। 'यूकैसिल' और 'चाल्सटाउन'में भी काम किया गया। वहाँ सदस्योने दूसरे बपके लिए नाम लिखा दिये हैं।

श्री मुहम्मद सीदत, श्री सुलेमान इब्राहीम और श्री मुहम्मद मीरने न्यूकैसिलमें अथक काय किया है। वे और श्री दाऊद आमल अपने खचसे चाल्सटाउन भी गये। चाल्सटाउनके लोगाने बड़ा शानदार परिणाम दिखाया। एक घटेके अन्दर तमाम हाजिर लोग सदस्य बन गये। श्री दीनदार, श्री गुलाम रसूल और वाडाने बहुत सहायता की। ब्रिटिश सरकारको भेजे गये मताधिकार प्राथनापत्र, ट्रान्सवाल प्राथनापत्र और प्रवामी प्राथनापत्रके सम्बन्धमें इग्लैंड तथा भारतमें रहनेवाले प्रवासी भारतीयोंने मित्रोको लगभग १,००० पत्र भेजे गये।

प्रवासी बानूनका मशा उन लोगोपर नीन पौडका कर लगानेका है, जो गिरमिटवा नया करानेस इनवार करें। उसका जोरोगे विरोध किया गया। ससदवे दोना मदनाको प्राथनापत्र दिये गये।

ट्रान्सवाल प्राथनापत्र सीधे कांग्रेसवे तत्त्वावधानसे ता नहा भेजा गया, फिर भी कांग्रेसवे मामवे सिंहावलोकनमें उसका उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता।

कांग्रेसवे भावना या उसके ध्येयने अनुसार दोनो सदनवे सदस्योंके नाम एक सुली चिटठी लिखी गई थी, जिसका वितरण इस उपनिवेश तथा दक्षिण आफ्रिकामें किया गया। अतवारोने ध्यापक रूपसे उसकी चर्चा की और उससे भारी मात्रामें सहानुभूतिपूण खानगी पत्र-व्यवहारको प्रेरणा मिली। नेटालके भारतीयोंके स्थितिसे सम्बन्धमें समय-समयपर पत्र भी प्रकाशित हुए। भूतपूर्व अध्यक्षने डाकघरमें एक ओर यूरोपीयोंके लिए और दूसरी ओर देशी लोगो तथा भारतीयोंके लिए निदिष्ट पुथक प्रवेश-द्वारोंके सम्बन्धमें सरकारके साथ पत्र-व्यवहार भी किया।

परिणाम बिल्कुल ही असन्तोषजनक नहीं हुआ। अब तीना समाजोंके लिए पुथक प्रवेश-द्वारोंकी व्यवस्था की जायेगी। गिरमिटिया भारतीयोंके बीच भी काम किया गया है। बालसुन्दरमके साथ उसके मालिकने बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसका तबादला श्री ऐस्क्यूके पास कर दिया गया है।

मोहरमके त्योहार तथा कोयलेके बदले लकड़ियां दी जानेके मामलेमें रेलवे विभागके गिरमिटिया भारतीयोंकी ओरसे भी कांग्रेसने हस्तक्षेप किया। इस विषयमें मजिस्ट्रेटने बहुत सहानुभूति प्रदर्शित की।

तुओहीका मामला भी उल्लेखनीय है। फसला इन्माइल जमोदके पक्षमें दिया गया, जिनकी टोपी एवं सावजनिक स्थानपर जबरदस्ती उतार ली गई थी और जिनके साथ दूसरा दुब्यवहार भी किया गया था।

विस्थात वेनेट मुकदमेमें कांग्रेसका बहुत खर्च हुआ। परन्तु हमारा विश्वास है कि वह धन पानीमें नहीं गया। मजिस्ट्रेटके विरुद्ध हम फैमला नहीं करा सकेगे यह तो पहले ही से तय बात थी। हम श्रा म्योरकामके प्रतिकूल परामश देनेके बावजूद अदालतमें गये थे। उससे स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है और अब हम जानते हैं कि अगर भविष्यमें इसी तरहका कोई मामला खडा हो जाये तो हमें ठीक क्या करना होगा।

भारतीय पक्षकी उपनिवेगके यूरोपीयाकी तो बहुत सक्रिय सहायता नहीं मिली, फिर भी भारत तथा इंग्लैंडमें बहुत सहानुभूति जाग्रत हो गई है। लन्दन टाइम्स और टाइम्स आफ इण्डियाने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंका सक्रिय समर्थन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी बहुत सावधान हो गई है। सर डबल्यू० डबल्यू० हटर, श्री एम० ए० बेव, माननीय फीरोजशाह मेहता, माननीय फजलभाई विसराम तथा अय व्यक्तिगणोंके पासस सहानुभूतिके पत्र प्राप्त हुए हैं। अय भारतीय और ब्रिटिश पत्राने भी हमारी शिकायतोंको अनुकूल दृष्टिसे देखा है।

श्री ऐस्क्वू कांग्रेसकी बैठकोंमें शामिल होनेवाले एकमात्र यूरोपीय रह ह। जनताके सामने कांग्रेसकी स्थापनाकी अवतक अधिकारी रूपसे घोषणा नहीं की गई, क्योंकि जबतक उसके स्थायी रूपसे चलनेका विश्वास न हो जाये तबतक घोषणा न करना ही उचित समझा गया था। उसने बहुत सामोशीसे काम किया है।

भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला हाजी आदमकी भारत विदाईपर उन्हें एक मानपत्र दिया गया था। यह उचित ही होगा कि कांग्रेसके कार्यके इस सिंहावलोकनकी परिमत्तापति उसके उत्लेखके साथ की जाये।

### कांग्रेसको भेटे

भेंटें नाना प्रकारकी और बहुत-सी प्राप्त हुईं। भेंटें देनेवालोंमें श्री पारसी रुस्तमजी अग्रगण्य ह। उन्होंने कांग्रेसको तीन बत्तियाँ, मेजपाश, एक घडी, एक पर्दा, कलमदान, कलमें, स्थाहीमोस तथा फूलदान प्रदान किये। वे सार वष तेल भी पुराते रहे। हर बठके दिन वे मन्ना-मवनको षाडने-बुहारने और उसमें दिया-बत्ती करनेके लिए अपने आदमियोंको भेजते रहे, और यह काम समयकी असाधारण पाबन्दीके माय किया गया। उन्होंने कांग्रेसको ४,००० परिपत्र भी दिये। श्री अब्दुल्ला कादिरने सन्स्य-सूची मुफ्त छपा दी।

श्री सी० एम० जीवाने २,००० परिपत्र मुफ्त छपवा कर दिये। इनका वागज कुछ तो श्री हाजी मुहम्मदने और कुछ श्री हुसेन कासिमने दिया।

श्री अब्दुल्ला हाजी आदमने एक शतरजी और श्री मानेकजीने एक मेज भेंट की।

श्री प्रागजी भीमभाईने १,००० लिफाफे दिये।

अर्बतनिव मन्त्रीने नियामावलीका अंग्रेजी और गुजरातीमें भारतसे छत्रवा मंगाया और साधारण पाशिक परिपत्राने लिए वागज, टिकट आदि दिये।

श्री लारेन्स, जो कांग्रेससे सदस्य नहीं हैं, सामोश उत्साहके साथ परिपत्र बाँटनेका काम करत रह।

### विविध

सभाजामें उपस्थिति बहुत ही कम रही और समयकी पाबन्दीकी दुःख उपशा की गई। तमिल सदस्योंने कांग्रेसके वायमें ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। कुछ भी होता, वे चन्दा देनेकी शिथिलताका बदला ठीक समयपर और नियमित रूपसे सभाओंमें उपस्थित होकर तो चुका ही सकते थे। छोटी छोटी खमोका दान प्राप्त करनेके लिए श्री अब्दुल्ला हाजी आदम, श्री अब्दुल्ला कादिर, श्री दौरास्वामी पिल्ले और अर्बतनिव मन्त्रीने एक, दो और ढाई शिल्लिंगके टिकट जारी किये हैं। परन्तु इस योजनाके परिणामोंके बारेमें अभी कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

एक प्रस्ताव इस आशयका स्वीकार किया गया है कि कपठ कायकर्ताओंको प्रोत्साहित करनेके लिए तमगे दिये जायें। परन्तु तमगे अबतक बनवाये नहीं गये हैं।

### मृत्यु और विदाई

दुःखके साथ अकित करना पडता है कि कुछ मास पूर्व श्री दिनशाका देहान्त हो गया।

लगभग १० सदस्य भारत चले गये हैं। उनमें भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हाजी आदमके अलावा श्री हाजी सुलेमान, श्री हाजी दादा, श्री मानेकजी, श्री मुतुकृष्ण और श्री रणजीतसिंह शामिल ह। इन्होंने कांग्रेसकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया है।

लगभग २० सदस्योंने अपना चन्दा कभी दिया ही नहीं। उह भी कांग्रेसमें कभी शामिल न होनेवाले ही मानना चाहिए।

### सुझाव

सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव यह होना चाहिए कि चन्दा जो कुछ भी हो, पूरे वर्षके लिए पेशगी देनेका नियम बना दिया जाये।

## अन्य सूचनाएँ

यह स्मरण रखना चाहिए कि कुछ खच ऐसा है जो यद्यपि कांग्रेसने मजूर कर दिया था, फिर भी वही किया नहीं गया। कमलर्चीका सस्तीके साथ पालन किया गया है। कांग्रेसकी नींव दृढ करनेके लिए कमसे कम २,००० पाँडकी आवश्यकता है।

सावरमती सभ्रहालयमें सुरक्षित एक अंग्रेजी नक्लसे।

## ५८ भारतीयोंका मताधिकार

डबन

सितम्बर २, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल मर्करी

महोदय,

दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके बारेमें हालके तारोपर आपने जो टीका-टिप्पणी की है उसपर मैं कुछ विचार व्यक्त करनेकी घृष्टता करता हूँ। आपने पहली ही बार यह नहीं कहा है कि दक्षिण आफ्रिकाके लोग भारतीयोंको अपने बराबर ही राजनीतिक अधिकार देनेपर आपत्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें भारतमें वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसी तरह, आप यह भी कहते आये है कि आपको उन्हें वे अधिकार देनेमें कोई आपत्ति नहीं होगी, जिनका उपभोग वे भारतमें करत हैं। जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है, मैं यहाँ भी दुहराता हूँ कि, कमसे कम सैद्धान्तिक दृष्टिमें तो भारतमें भारतीयोंको यूरोपीयोंके बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं ही। १८३३ के अधिकार-पत्र (चाटर) और १८५८ की घोषणामें भारतीयोंको उन्ही अधिकारों और विशेषाधिकारोंका आश्वासन दिया गया है, जिनका उपभोग सम्राज्यकी दूसरी प्रजाएँ करती हैं। और इस उपनिवेश तथा दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंके भारतीयोंको अगर सिर्फ वही अधिकार प्राप्त हो जायें, जिनका



उपभोग ऐसी ही परिस्थितियोंमें वे भारतमें कर सकते हैं, तो उन्हें पूरा सन्तोष हो जायेगा।

भारतमें जहाँ भी यूरोपीयाका मत देनेका अधिकार है, वहाँ भारतीय उससे वंचित नहीं है। अगर म्यूनिसिपल चुनावोंमें यूरोपीय मत दे सकते हैं, तो भारतीय भी द सकते हैं। अगर यूरोपीय लोग विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के निर्वाचित सदस्य बन सकते हैं, या उनके सदस्योका चुनाव कर सकते हैं, तो भारतीय भी वह कर सकते हैं। अगर यूरोपीय ९ बजे रातके बाद आजादीसे घूम फिर सकते हैं, तो भारतीय भी घूम-फिर सकते हैं। हा, भारतीयाको यूरोपीयोके बराबर शस्त्रास्त्र रखनेकी स्वतन्त्रता जरूर नहीं है। तो, दक्षिण आफ्रिकावे भारतीयोको भी शस्त्रास्त्र-सज्जित होनेकी कार्रवाई बड़ी उत्कण्ठा नहीं है। भारतमें व्यक्ति-कर (पोल टैक्स) देना नहीं पडता। इसलिए क्या आप हालके प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) का विरोध करनेका सौजन्य दिखाएँगे और इस प्रकार असहाय गिरमिटिया भारतीयोकी कृतज्ञता अर्जित करोगे? यह राजनीतिक समानताका वही माय सिद्धान्त है, जिसके कारण श्री नौरोजी ब्रिटिश लोकसभाके सदस्य हो सके हैं।

अगर भारतीयोको सबके बराबर अधिकार देनेमें आपको यह आपत्ति है कि इस उपनिवेशका निर्माण ब्रिटिश धन और शक्तिसे किया गया है तो जर्मनो और फ्रांसीसियोके बारेमें भी आपको स्पष्टतः आपत्ति करनी चाहिए। इस सिद्धान्तके अनुसार तो, पहले-पहल यहाँ आकर अपना खून बहानेवाले अगुओवे वशज इंग्लडसे आकर उह खदेडनेवाले लोगोके बारेमें भी आपत्ति उठा सकते हैं। क्या यह एक सकीण और स्वायत्त दृष्टि नहीं है? कभी कभी आपके अप्रलेखोंमें बहुत ऊँची और भतदयामुक्त भावनाओकी अभिव्यक्ति मिलती है। दुर्भाग्यवश, जब आप भारतीयोके प्रश्नपर लिखते हैं तब ये भावनाएँ एक ओर रख दी जाती हैं। और फिर भी, आप पसन्द करे या न करे, भारतीय आपके वधु-प्रजाजन तो हैं ही। इंग्लड नहीं चाहता कि भारतपर से उसका अधिकार चला जाये। और साथ ही वह उसपर कठोरताके साथ शासन भी करना नहीं चाहता। उमके राजनीतिज्ञोका कहना है कि वे ब्रिटिश शासनको भारतमें इतना अधिक लाक-प्रिय बना देना चाहते हैं कि फिर भारतीय किसी दूसरे शासनको पसन्द

ही न करे। तब क्या जैसे विचार आपने व्यक्त किये हैं उनसे उन इच्छाआकी पूर्तिमें बाधा नहीं पड़ेगी?

मैं ऐसे बहुत कम भारतीयोंका जानता हूँ जा चाहे कमाते एक हजार पौंड हो, परन्तु रहते ऐसे हैं, माना सिर्फ पचास पौंड ही कमाते हैं। सच बात ता यह है कि उपनिवेशमें कोई भारतीय ऐसा है ही नहीं जो अवेला एक हजार पौंड वापिस कमाता हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके व्यापारको देखकर कल्पना की जा सकती है कि वे "छिरपा ढेर घन कमाते होंगे।" कुछका व्यापार सचमुच बहुत बड़ा है, परन्तु मुनाफा वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें हिस्सेदारी कई लागोकी है। भारतीयोंको व्यापार पसन्द है, और जबतक वे भली भाँति जीवन व्यतीत करनेके लिए काफी कमाई करते हैं तबतक उन्हें अपने मुनाफेमें दूसरोंने बड़े-बड़े हिस्से रखनेमें बुरा नहीं मालूम होता। वे सिंह-भाग पानेका आग्रह नहीं रखते। ठीक मुरापीयाने समान ही उनको भी अपना पैसा राख करनेका शौक होता है। बेचल उतनी अंधाधुंधीसे वे खच नहीं करते। बम्बईमें जिन व्यापारियोंने भी भारी सम्पत्ति इकट्ठी की है, उन्होंने अपने महल बनाये हैं। मोम्बासाकी एकमात्र विशाल इमारत एक भारतीयकी बनाई हुई है। झशीवारमें भारतीय व्यापारियोंने मूब घन कमाया है, फलत उन्होंने मट्टल खडे किये हैं। और कुछने तो रग-महल भी बनाये हैं। अगर डबन या दक्षिण आफ्रिकामें किसी भारतीयने ऐसा नहीं किया तो इसका कारण यह है कि उन्होंने ऐसा करनेके लिए काफी धन नहीं कमाया। महोदय, मुझे क्षमा कीजिएगा, परन्तु आप घोड़ी और वारीकीसे इस प्रश्नका अध्ययन करें तो आपको मालूम हो जायेगा कि भारतीय इस उपनिवेशमें भरसक खच करत हैं—वे सिर्फ इतनी सावधानी रखते हैं कि कहीं सक्टमें न पड जायें। यह बहना कि जो लोग अच्छी कमाई करते हैं वे अपनी दूमरानकी फसपर सोने हैं, मैं कहूँगा, गलत है। अगर आप घोखेमें रहना न चाहते हा और कुछ घटोके लिए अपनी सम्पादकीय कुर्सी छोडनेके लिए तैयार हों तो मैं आपको कुछ भारतीय दूकानोंमें ले चलूँगा। तब शायद आप अभीकी अपेक्षा उनके बारेमें कम बठोरताके साथ विचार करेंगे।

मेरा नम्र विश्वास है कि भारतीय प्रश्न कमसे कम ब्रिटिश उपनिवेशाके लिए तो स्थानिक और साम्राज्य-व्यापी दोनों महत्त्व रखता है। और मैं निवेदन करता हूँ कि उनपर विचार करनेमें आवेशसे काम लेना, या पहलेसे स्थिर

की हुई धारणाआको मूल रूप देनेके लिए तम्याकी ओरसे आंखे मूंद लेना उस प्रश्नको हल करनेका सही तरीका नहीं है। उपनिवेशके जिम्मेदार लोगोका बतव्य है कि वे दोना समाजके बीचकी खाई चौड़ी न कर, बल्कि सम्भव हो तो उसे पूर्ण। भारतीयोंका इन उपनिवेशमें आमन्त्रित करके जिम्मेदार उपनिवेशी उन्हें कौस कैसे सकते हैं? भारतीय मजदूरोंको लानेके प्रावृत्तिक परिणामसे वे भाग कैसे सकते हैं?

भाषका, आदि,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल मर्करी, ५-९-१८९५

## ५९ भारतीयोंका मताधिकार

दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंको मताधिकार देनेके बारेमें गांधीजीकी दलीलोंका प्रतिवाद करते हुए श्री टी० मास्टन फ्रांसिसने, जो अनेक वर्षोंतक भारतमें रह चुके थे, सितम्बर ६, १८९५ को नेटाल मर्करीको एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि यद्यपि भारतमें भारतीयोंको म्यूनिसिपल चुनावोंमें मत देने और विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल)के सदस्य बननेका अधिकार प्राप्त है, फिर भी नियम इस तरहके बने हैं कि उनका पक्ष कभी यूरोपीय सदस्योंके पक्षमें प्रबल नहीं हो सकता, और न कभी वे यह अहंकारपूर्ण दावा ही कर सकते हैं कि उन्हें सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। म्यूनिसिपैलिटियोंका अध्यक्ष सदैव एक आर्द० सी० एस० अधिकारी होता है और कमिश्नर, गवर्नर, वाइसरॉय, भारत-मन्त्री और अन्ततः ब्रिटिश संसद भारतकी म्यूनिसिपैलिटियां तथा विधान-मन्त्र्याओंपर रोक लगा सकती है। इसका उत्तर गांधीजीने निम्नलिखित दिया था

उदन

सितम्बर १५, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल मर्करी

महोदय,

भारतीयोंके प्रश्नपर श्री मास्टन फ्रांसिसके पत्रके उत्तरमें मैं कुछ विचार व्यक्त करनेकी ढिठाई कर रहा हूँ।

मैं मानता हूँ कि भारतीय म्यूनिसिपैलिटियो और, वैसे ही, विधान-परिपदेके बारेमें भी आपके पत्र-लेखकका कथन पूणत सही नहीं है। केवल एक उदाहरण ले लीजिए। मैं नहीं समझता कि भारतीय म्यूनिसिपैलिटियाके अध्यक्ष आई० सी० एस० अफमर ही हाते हैं। बम्बई कारपोरेशनके बतमान अध्यक्ष एक सालिसिटर हैं।

मैंने यह दावा कभी नहीं किया — और न अब करता हूँ — कि मताधिकार भारतमें उतना ही व्यापक है जितना यहाँ है। यह कहना भी व्यय होगा कि भारतकी विधानपरिपदे उतनी ही प्रातिनिधिक है, जितनी कि यहाँकी है। तथापि, जिस बातका मैं निश्चयपूर्वक दावा करता हूँ वह यह है कि भारतमें मताधिकारकी मर्यादाएँ कुछ भी हो वह बिना रग-भेदके सबको प्राप्त है। इस बातका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता कि प्रातिनिधिक शासनको समझनेकी भारतीयोंकी योग्यता मान्य की जा चुकी है। श्री फ्रांसिसका जो यह कथन है कि मताधिकारकी योग्यता भारतमें वही नहीं मानी जाती जो नेटालमें मानी जाती है उससे तो कभी इनकार किया ही नहीं गया। इस तरहकी कसौटीके अनुसार तो यूरोपसे आनेवाले लोगोंको भी मताधिकार नहीं मिल सकेगा, क्योंकि विभिन्न यूरोपीय राज्योंमें मताधिकारकी योग्यता ठीक वही नहीं है जो यहाँ है।

इस सप्ताहकी डाकसे ताजेसे ताजा प्रमाण प्राप्त हुआ है कि भारतीय इस विषयकी एकमात्र सच्ची कसौटीपर, जो यह है कि वे प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त समझते हैं या नहीं, कभी ओछे नहीं उतरे। मैं दृष्टमें प्रकाशित "भारतीय मामलात"-सम्बन्धी लेखसे निम्नलिखित उद्धरण दे रहा हूँ

परंतु जिन भारतीय सनिकोंने मायता कमाई है, उनकी बीरता अगर हनारे अदर अभिमान जगाती है कि हमारे बंधु प्रजाजन ऐसे हैं सबमुच उस भयानक घाटीमें उहोने अपने साथियोंके प्रति जिस भय आत्म-त्यागका परिचय दिया था, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता सच बात तो यह है कि भारतीय योग्य सह प्रजाजन माने जानेका अधिकार अनेक तरीकोंसे कमा रहे ह। समर भूमि सदा ही विभिन्न जातियोंके बीच सम्मानयुक्त समानता स्थापित करनेका सरल साधन रही है, परन्तु भारतीय तो नागरिक-जीवनके मद्दत और कठिनतर तरीकोंसे भी हमारा

सम्मान प्राप्त करनेका अधिकार सिद्ध कर रहे हैं। तीन वष पूरे भारतीय विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल)को आंशिक निर्वाचनका आधारपर बढ़ानेका जो प्रयोग किया गया था, उससे बड़ा प्रयोग अगले राज्योंके विधानपरिषद शासनमें पहले कभी नहीं हुआ था। अनेक बहसों बहुत मददगार रहीं। और जहाँतक बंगालका — उस प्रान्तका सम्बन्ध है, जहाँ निर्वाचन-पद्धति बड़ीसे बड़ी कठिनाइयोंसे व्याप्त मालूम होती थी, वहाँ भी एक कड़ी कसौटीके बाद प्रयोग सफल सिद्ध हो गया है।

जैसा कि सभी को मालूम है, यह लेख भारतके एक ऐसे इतिहासज्ञ<sup>१</sup> और भारतीय अफसरकी कलमसे निकला है, जिमने भारतमें तीस वषसे अधिक सेवा की है। कुछ लोगोंको मताधिकारका अपहरण अपने आपमें बड़ी निरर्थक चीज मालूम हो सकती है। परन्तु भारतीय समाजपर उसका जो परिणाम होगा उसकी कल्पना करना भी बहुत नयानक है। दूसरी ओर, यूरोपीय उप-निवेशियोंको, मेरा विश्वास है, उससे बिलकुल ही लाभ नहीं है। हाँ, अगर किसी जाति या राष्ट्रका नीचे गिरानमें, या उसे अधःपतनकी अवस्थामें रखनेमें ही कोई मुक्त मिलाता हो तो बात अलग है। “गोरे लोगों या पीले लोगोंके शासन करने”का तो मवाल ही नहीं है, और मुझे आशा है कि मैं कभी भविष्यमें बता सकूंगा कि इस विषयमें जो भय पोस रखा गया है वह बिलकुल निराधार है।

शायद श्री फ्रांसिसके पत्रके कुछ अंगसे मालूम होगा कि उन्हें भारत छोड़े बहुत लम्बा समय हो गया है। वहाँ नागरिक कमिश्नर के पदसे अधिक जिम्मेदार पद बहुत कम होते हैं। फिर भी हाल ही में भारत-मन्त्रीने उस पदपर एक भारतीयको नियुक्त करनेमें बुद्धिमत्ता समझी है। श्री फ्रांसिस जानते हैं कि भारतमें प्रधान न्यायाधीशका अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा होता है। और बंगाल तथा मद्रास दानामें उस पदका भारतीयोंने सुशोभित किया है। जो लोग दोनों जातियों — ब्रिटिश और भारतीयों — को “प्रेमकी रेशमी डोरीसे” बाधना चाहते हैं उनके लिए दानोंके बीच अगणित सम्पत्क-स्थल खोज लेना कठिन न होगा। दोनोंके तीन घर्मोंमें भी, दिखाऊ विरोधने

बावजूद, बटुत-सी बातें एक-सी हैं, और इन तीनोंकी एक त्रिमूर्ति बना देना बुरा न होगा ।

आपका, आदि,  
मो० क० गांधी

[ अग्रजोंसे ]

नेटाल मर्करी, २३-९-१८९५

## ६० भारतीय कांग्रेस

एवन

सितम्बर २३, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल एडवर्टाइजर

महोदय,

अपने शनिवारके अकमें आपने “भारतीय कांग्रेस” या, अधिक ठीक, “नेटाल भारतीय कांग्रेस” पर जो आक्षेप किये हैं वे असामयिक हैं। कारण यह है कि जिस मामलेमें कांग्रेसका नाम आया है उसका फैसला अबतक नहीं हुआ है। जिन परिस्थितियोंमें कांग्रेसका इस मामलेमें शामिल किया गया है उनपर अगर मैं कुछ कहूँ तो अदालतकी मानहानि करनेकी जोखिम उठानेका

१ नेटाल भारतीय कांग्रेसके नेताओंपर आरोप लगाया गया था कि मार पीटके एक मुकदमेमें एक भारतीयको गवाही न देनेके लिए धमकानेमें उनका हाथ था। प्रत्यक्ष अभियोग पदयाची नामक व्यक्तिपर था जो कांग्रेसका सदस्य था। परन्तु कहा यह गया कि उसने कांग्रेसके नेताओंकी प्रेरणासे ऐसा किया। यह भी कहा गया था कि कांग्रेस गांधीजीके नेतृत्वमें सरकारसे छद्मके षड्यंत्र रच रही है, उसने भारतीय मन्तूरोंको अपने कष्टोंके विरुद्ध आन्दोलन करनेके लिए उभाड़ा है, गांधीजी उनमें और भारतीय व्यापारियोंसे राहत दिलानेके वादे करके रुपया पेंठने हैं और उसका उपयोग अपने मतलबके लिए करते हैं। उपनिवेश-सचिवके नाम गांधीजीका २१ अक्तूबर, १८९५ का पत्र भी देखिए, जो पृष्ठ २५५ २५८ पर दिया जा रहा है।

र है। इसलिए जबतक मामलेका फसला नहीं हाता, तबतक मैं अपने विचार प्रवृत्त न करनेके लिए विवश हूँ।

इसी बीच, आपने आशेषोंसे लगेवाँ मनमें जा भी गलत छाप पड सकती हो, उसे मिटानेके लिए, आपकी अनुमतिसे, मैं कांग्रेसके ध्येय स्पष्ट कर दूँ। उसके ध्येय ये हैं

“(१) उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझनेका माद्दा पैदा करना और मन्त्रीभाव बढ़ाना।

“(२) समाचारपत्रोंमें लिपिकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करके और व्याख्यानों आदिके द्वारा भारत और भारतीयोंके बारेमें जानकारी फैलाना।

“(३) भारतीयोंको, खासकर उपनिवेशमें जमे भारतीयोंको, भारतीय इतिहासकी शिक्षा और भारतीय विषयोंका अध्ययन करनेकी प्रेरणा देना।

“(४) भारतीयोंके विभिन्न दुलडाकी जाँच-पढताल करना और उन्हें दूर करनेके लिए तमाम बंध उपायोंसे आदोलन करना।

“(५) गिरमिटिया भारतीयोंकी हालतकी जाँच करना और उनको विशेष कठिनाइयोंसे निकलनेमें मदद करना।

“(६) गरीबों और जरूरतमन्दाको सब उचित तरीकोंसे मदद करना।

“(७) और आम तौरपर वे सब प्रयत्न करना, जिनसे भारतीयोंकी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक स्थितिमें सुधार हो।”

कांग्रेसका विधान स्वतः तबतक कांग्रेसको व्यक्तिगत शिक्षायत्तोंमें हस्तक्षेप करनेसे रोकता है, जबतक कि उनका महत्व सावजनिक न हो।

“भारतीय कांग्रेसके अस्तित्वका पता चला, तो केवल एक आकस्मिक संयोग ही था” — यह कहना ज्ञात तथ्योंके अनुकूल नहीं है। जबकि कांग्रेस सगठित हो रही थी, नेटाल विटनेसने उस हकीकतकी घोषणा कर दी थी और, अगर मैं गलती नहीं करता तो, कांग्रेस-स्थापना सम्बन्धी अगकी नकल आपने भी छापी थी। सच है कि दफ्तरी तौरपर इसकी घोषणा पहले नहीं की गई थी। इसका कारण यह था कि सगठनकर्ताओंको उसके स्थायित्वका विश्वास नहीं था, और न अभी है। उन्होंने इसमें बुद्धि मत्ता समझी कि समयको ही उसे जनताकी निगाहमें लाने दिया जाये। उसे गुप्त रखनेके कोई प्रयत्न नहीं किये गये। उलटे, उसके सगठनकर्ताओंने उन यूरोपीयोंको भी, जिन्हें कांग्रेसके प्रति सहानुभूति रखनेवाले समझा जाता था, उसमें शामिल होने या उसकी पाक्षिक बैठकोंमें हिस्सा लेनेके लिए

आमन्त्रित किया। अब जो सावजनिक रूपसे कंफियत देना आवश्यक समझा गया है उसका कारण यह है कि व्यक्तिगत बातचीतमें कांग्रेसका मशा गलत बताया जाने लगा था, और अब आपने (बेशक अनजाने) सावजनिक रूपसे उसके बारेमें गलतफहमी फला दी है।

आपका, आदि,

मो० क० गांधी

अवतनिक मंत्री, नेटाल भारतीय कांग्रेस

पुनरुच आपकी जानकारीके लिए मैं इसके साथ नियमावलीकी नकलें, पहले वपवे सदस्योकी सूची और पहली वार्षिक रिपोर्ट भेज रहा हूँ।

मो० क० गा०

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल एडवर्टाइजर, २५-९-१८९५

## ६१ भारतीय कांग्रेस

एच नामसे किसी पत्र-लेखकने नेटाल मर्करीमें सितम्बर २१, १८९५ को एक पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि खबर है, काँग्रेस और उनके कामके पीछे एक मककारी कमचारी — एक मजिस्ट्रेटरी अदालतके भारतीय दुभाषियेका हाथ है, उमे इस तरहकी शरारत करनेमे रोक जाये। गांधीजीने इसका निम्नलिखित उत्तर दिया था

एचन

सितम्बर २५, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल मर्करी

महोदय,

आपके पत्र-लेखक एचको, मालूम होता है, नेटाल भारतीय कांग्रेसकी स्थापना और अय विषयानी भी गलत जानकारी मिली है। कांग्रेसकी स्थापना मुख्यत श्री अब्दुल्ला हाजी आदमवे प्रयत्नोंसे हुई है। मैं कांग्रेसकी सब बैठकोंमें



हाजिर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि किसी सरकारी कर्मचारीने उसकी किसी बैठकमें हिस्सा नहीं लिया। नियमावली और अनेकानेक प्रायनापत्रोंका मसविदा बनानेकी जिम्मेदारी पूरी-पूरी मुझपर है। प्रायनापत्रोंको, जबतक वे छपकर कांग्रेस-सदस्यों और अय लोगोमें वितरित करनेके लिए तैयार नहीं हो गये, किसी सरकारी कर्मचारीने देखा भी नहीं।

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीमें ]

अद्वैतनिक मंत्री, ने० भा० का०

नेटाल मक़री, २७-९-१८९५

## ६२ भारतीय कांग्रेस

एचने नेटाल मक़रीमें नितम्बर २८, १८९५ को फिरसे एक पत्र छपवाया था। उसमें कहा गया था कि कांग्रेसका सगठन गुप्त रूपसे एक सरकारी कर्मचारीने किया है और गांधीजीको उसके मन्त्रीका काम करनेके लिए ३०० पाँड वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। गांधीजीने उसका निम्नलिखित उत्तर दिया

डबन

सितम्बर ३०, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल मक़री

महादय,

आपके शनिवारके अंकमें प्रकाशित एचका पत्र अगर केवल मुझसे सम्बन्ध रखता होता तो मैंने उसकी कोई परवाह न की होती। परन्तु उसका पत्र सरकारी कर्मचारियोंपर आक्षेप करनेवाला है, इसलिए मैं फिरसे आपके सौजन्यका अतिश्रमण करनेको विवश हुआ हूँ। मैं कांग्रेसका वेतन भोगी मंत्री नहीं हूँ। उलटे, दूसरे सदस्योंके साथ-साथ मैं भी अपना विनम्र भाग उसकी शोलीमें अर्पित करता हूँ। कांग्रेसकी ज़ारस मुझे वार्ड कुछ नहीं देता। कुछ

भारतीय मेरी सेवाओका बांधे रखनेके लिए मुझे वार्षिक शुल्क अवश्य देते हैं। यह शुल्क मुझे प्रत्यक्ष रूपमें दिया जाता है। कांग्रेसके पास छिपानेके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यह अपना गुणगान करती नहीं फिरती। उसके बारेमें जो भी पूछताछ की जाये, चाहे वह खानगी हो या सार्वजनिक, उसका उत्तर ययासम्भव तत्परताके साथ दिया जायेगा। मैं इसके साथ कांग्रेस-सम्बन्धी कुछ कागजात भेज रहा हूँ। उनसे उमके कायपर कुछ प्रकाश पड़ेगा।

आपका, आदि,

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीमें ]

अर्धतन्त्रिक मन्त्री, नं० भा० का०

नेटाल मर्करी, ४-१०-१८९५

## ६३ नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें भाषण

रविवार, अक्टूबर १, १८९५ को नेटाल भारतीय कांग्रेसके तत्त्वावधानमें कन्तमजी भवन, हर्बनमें भारतीयोंकी एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें गांधीजीने भाषण किया था। उपस्थिति आठ सौ और हजारके बीच थी।

श्री गांधी उपस्थित जनताके सामने देरतक भाषण देते रहे। उन्होंने कहा कि अब तो भारतीय कांग्रेसकी स्थापनाका सबको पता हो गया है। अब सदस्योंको अपना-अपना चन्दा समयपर दे देना चाहिए। श्री गांधीने कहा कि इस समय कांग्रेसके कोषमें ७०० पाँड है। पिछली बार मैं हाजिर हुआ था तबसे यह रकम १०० पांड अधिक है। किन्तु कांग्रेसकी वर्तमान जरूरतें पूरी करनेके लिए ४,००० पाँडकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीयका एक निश्चित समयके अन्दर अपना चन्दा देनेका वचन लिखकर दे देना चाहिए। और प्रत्येक व्यापारीको १०० पाँडकी बिनीपर कांग्रेसको दो शिल्लिंग देनेका यत्न करना चाहिए।

श्री गांधीने कहा कि इंग्लडमें ता कांग्रेसको अभीतक अच्छी सफलता मिली है। किन्तु अब हम भारतसे-सफलताके समाचारोंकी प्रतीक्षामें हैं। बहुत सम्भव है कि मैं खुद आगामी जनवरीमें भारत जाऊँ। उन्होंने यह भी

कहा कि वहाँ पहुँचनेपर मैं कई अच्छे वैरिस्टरोंको नेटाल आनेके लिए राजी करनेका प्रयत्न करूँगा।

[ अग्रेजीमें ]

नेटाल एडवर्टाइजर, २-१०-१८९५

## ६४ भारतीयोका सवाल

डर्वन

अक्टूबर ९, १८९५

सेवामें

सम्पादक

नेटाल एडवर्टाइजर

महोदय,

अपने कलके अकमें आपने जो अग्रलेख प्रकाशित किया है उसकी सामान्य विचार-धारापर कोई भारतीय आपत्ति नहीं कर सकता।

अगर कांग्रेसने अप्रत्यक्ष तरीकेसे भी किसी गवाहका भडकानेका काम किया हो तो नि सन्देह वह दमनकी पात्र होगी। मैं तो हालमें अपना यह दावा दुहराकर ही सन्तोष करूँगा कि उसने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। जिन मामलेमें कांग्रेसकी निन्दा की गई है उसका फ़ैमला अभी पुनर्विचाराधीन है, इसलिए मैं गवाहियोंकी विस्तृत विवेचना करनेकी स्वतंत्रता महसूस नहीं करता। कांग्रेसके बारेमें सिर्फ एक गवाहसे सवाल पूछे गये थे, और उसने इस आरोपका खण्डन किया है कि कांग्रेसका इस मामलेमें कुछ भी हाथ था। अगर लोगोंके अपनी निजी हैसियतसे किये गये कामोंकी जिम्मेदारी उनकी सस्थाओपर थोपी जाने लगे तब तो मैं समझता हूँ, किमी भी सस्थाके विरुद्ध लगभग कोई भी आरोप सिद्ध किया जा सकता है।

भारतीयोका दावा प्रत्येक भारतीयके लिए मताधिकार प्राप्त करनेका नहीं है। न वे शुद्ध "कुलियो"के लिए ही मताधिकारकी माँग करते हैं। और फिर, शुद्ध "कुली" ता, जबतक वह कुली बना हुआ है, तबतमा कानूनके अनुसार भी मताधिकार नहीं पा सकता। विरोध तो केवल रग भेद या

जाति-भेदका है। अगर सारे प्रश्नपर ठंडे दिमागसे विचार किया जाये तो किसीको दुर्भावनाएँ या गर्मी जाहिर करनेका कोई मौका ही नहीं रहेगा।

भारतीयाने दुनियाके किसी भागमें राज्यसत्ता प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं किया। मारीशसमें उनकी बहुत बड़ी सख्या है, परन्तु वहाँ भी उन्होंने कोई राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नहीं दिखाई। और नेटालमें भी चाहे उनकी सख्या ६०,००० के बदले चार लाख क्या न हो जाये, उनके वह महत्त्वाकांक्षा दिखानेकी सम्भावना नहीं है।

आपका,

मो० क० गांधी

[ अग्रेजीसे ]

नेटाल एडवर्टाइजर, १०-१०-१८९५

## ६५ नेटाल भारतीय काँग्रेस

डबल

अक्टूबर २१, १८९५

सेवामें

माननीय उपनिवेश-सचिव

पीटरमरित्सबर्ग

महोदय,

समाचारपत्रोंमें कुछ आक्षेपों और सम्राज्ञी बनाम रगम्बामी पदयाचीव हालके भुवदमेमें डबनके आवासी न्यायाधीश (रेजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट) के निर्णयके कारण काँग्रेसके अवैतनिक मन्त्रीकी हैसियतसे इन विपर्याय वाक्यों लिखना मेरे लिए जरूरी हो गया है।

फैसलेमें कहा गया है कि अगस्तमें किंगी एक न्ति काँग्रेसके अग्रगण्य नामके एक भारतीयको अपने सामने बुलाया और उस थमकी स्तर एक भुवदमेमें गवाही देनेसे रोकनेका प्रयत्न किया। उसमें यह भी कहा गया है कि काँग्रेस पडयत्रकारी सप है, आदि।

मेरा निवेदन है कि कांग्रेसने उपर्युक्त व्यक्ति या किसी भी दूसरे व्यक्ति को गवाही देनेसे रोकनेके लिए कभी अपने सामने नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, मेरा निवेदन यह भी है कि मजिस्ट्रेटके पास ऐसे आक्षेप करनेका कोई आधार नहीं था। जिस फैसलेमें ये आक्षेप किये गये हैं वह ऊँची अदालतके पुनर्विचाराधीन है। इस स्थितिके कारण मुझे अखबारोंमें इसकी विस्तृत चर्चा करनेसे रोक जाना पडा है। दुर्भाग्यवश मजिस्ट्रेटने ये आक्षेप गैररन्मी तौरपर किये हैं। इसलिए हो सकता है कि इनपर न्यायाधीश पूरी तरह विचार न करें। गवाह असगरने बयान, उससे जिरह और दुबारा जिरहके दौरानमें कांग्रेसका कही जिक्र भी नहीं आया था। दुबारा जिरह हो जानेपर मजिस्ट्रेटने उससे कांग्रेसके बारेमें सवाल पूछे। सवाल-जवाबसे साफ हो गया था कि जिम सप्ताहमें घमकी दी गई ऐसा माना जाता है, उसमें कांग्रेसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। मुकदमे में दो छपे हुए परिपत्र पेश किये गये थे। एकपर १४ अगस्त और दूसरे पर १२ सितम्बरकी तारीख थी। इन दोनों परिपत्रों द्वारा कांग्रेस-सदस्याको इन तारीखोंके वादके मंगलवारोकी, अर्थात् २० अगस्त और १७ सितम्बरकी

कहा गया है, घमकी १२ अगस्तको दी गई थी। क्याने अनुसार, उस दिन गवाहको कमरुद्दीनने मूसाके दफ्तरमें बुलवाया था, जहाँ एम० सी० कमरुद्दीन, दादा अब्दुल्ला, दाऊद मुहम्मद और दो-तीन अजनबी हाजिर थे। वहाँ उससे मुकदमेके बारेमें कुछ सवाल पूछे गये थे। और गवाहके इस बयानकी गवाही देनेपर भी कि कांग्रेसकी बैठकें मूसाके दफ्तरमें होती, उसे मूसाके दफ्तरमें बैठकें आनेका परिपत्र नहीं मिला, यह परिपत्रके अनुसार हुई बैठकोंमें शामिल नहीं हुआ, कांग्रेसकी बैठकें कांग्रेस भवनमें होती हैं, मुकदमेके साथ परिपत्रका कोई मन्वच नहीं था और वह कांग्रेसकी ऐन सभामें हाजिर नहीं था, मजिस्ट्रेटने इन बातको कांग्रेसके साथ जोड़ दिया है। मजिस्ट्रेटके निष्पत्तिका पोषण सिर्फ एक ही मुद्देसे हो सकता था। और वह मुद्दा यह है कि जिन छ या सात व्यक्तिपोंको मूसाने दफ्तरमें हाजिर बताया गया था उनमें से तीन कांग्रेसके सदस्य हैं। गवाहीके इस विषयसे मन्वच रखनेवाले अतकि उद्धरण में इससे साथ नली कर रहा है। मैं निवेदन करता हूँ कि मजिस्ट्रेटके मनमें किमी-न किसी प्रकारका विपरीत प्रभाव मौजूद था। पुनूस्वामी पापेर तथा तीन अयोग्य मुकदमेमें अनुमान

साक्षी न होनेपर भी उसने अपने निष्पत्तियों में कहा है कि प्रतिवादी कांग्रेसके सदस्य हैं और कांग्रेस उन्हें बल देती है। सच बात यह है कि वे सब कांग्रेसके सदस्य नहीं हैं और न कांग्रेसका इस मामलेसे कोई सरोकार ही है। रगस्वामीके मामलेमें मैंने श्री मिलरका हिदायतें दीं, इसका बड़ा तूल बाँधा गया है। मैं बता दूँ कि पुन्नुस्वामी तथा अन्योके मामलेसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। जबतक यह मामला बहुत बड़ नहीं गया तबतक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई मामला है भी। मेरे हस्तक्षेपकी माँग तब की गई थी जब कि रगस्वामीपर दूसरी बार वही अभियोग लगाया गया। और तब भी मुझे कांग्रेसके अवैतनिक मन्त्रीकी हैसियतसे नहीं, बैरिस्टरकी हमियतसे याद किया गया था।

मैं सरकारको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेसके सगठनकर्ताओका इरादा कांग्रेसको उपनिवेशके दोनो समाजोके लिए उपयोगी और भारतीयोसे सम्बन्ध रखनेवाले मामलोमें उनकी भावनाओके भाष्यका माध्यम और, इस प्रकार, वर्तमान सरकारको मदद करनेवाली सस्था बनाना है, उससे हो सके तो भी सरकारको परेशानीमें डालनेवाली सस्था बनाना नहीं।

ऐसे विचार रखनेके कारण स्वाभाविक ही है कि वे कांग्रेसपर किये गये ऐसे आक्षेपोसे चिढ़ते हैं जिनसे कि उसकी उपयागिता कम होती है। इसलिए, अगर सरकार मजिस्ट्रेटके आक्षेपको जरा भी महत्त्व देनेकी वृत्ति रखती है तो कांग्रेस-सदस्य सबसे अधिक स्वागत इस बातका करेंगे कि सस्थाके सविधान और कायदा पूरी जाँच कराई जाये।

मैं यह भी कह दूँ कि कांग्रेसने अबतक भारतीयोंके किसी आपसी अदालती मामलेमें हस्तक्षेप नहीं किया और वह खानगी झगडाका सबतक हाथमें लेनेस अनकार करती रही है, जबतक कि उनका कोई सावजनिक महत्त्व न रहा हो। कांग्रेसका कोई सदस्य व्यक्तिगत रूपसे कांग्रेसकी ओरसे या उसके नामपर तबतक कोई कारवाई नहीं कर सकता, जबतक कि कांग्रेसके नियमोके अनुसार एक्त्रित सदस्योंकी बहुमतसे स्वीकृति प्राप्त न की गई हो। और कांग्रेसकी बैठक तो अवैतनिक मन्त्रीकी लिखित सूचनासे ही हो सकती है।

अगर सरकारको सन्तोष हो कि विवादप्रस्त प्रश्नसे कांग्रेसका कोई सम्बन्ध नहीं है, तो मैं कांग्रेसकी ओरसे नम्रतापूर्वक माँग करता हूँ कि इस हकीमतकी

कुछ सावजनिक सूचना प्रकाशित कर दी जायें। दूसरी ओर, यदि उसके बारेमें जरा भी धका हो तो मैं जांचकी मांग करता हूँ।

मैं कांग्रेसके नियमों, २२ अगस्त, १८९५ का समाप्त होनेवाले पहले वर्षके सदस्योंकी सूची और पहली वार्षिक कारवाईकी एक-एक नकल इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ।

अगर और किसी जानकारीकी आवश्यकता हो तो वह देनेमें मुझे बहुत प्रमत्तता होगी।

आपका आज्ञाकारी सेवक,  
(ह०) मो० क० गांधी  
अ० मन्त्री, ने० भा० वा०

[ अंग्रेजसे ]

सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश मन्त्रीके नाम नेटालके गवर्नरके ३० नवम्बर, १८९५ के खरीता न० १२८ का सहपत्र न० १।

क्लोनियल आफिस रिकॉर्ड्स, न० १७१, जिल्ड ११२।

## ६६ प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको

जोहानिसका  
द० आ० ग०  
नवम्बर २६, १८९५

सेवामें

परम माननीय जोसेफ चेम्बरलेन  
मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, सम्राज्ञी-सरकार  
लंदन

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी  
भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोका प्रायनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैमियतसे इस प्रायनापत्रके द्वारा आदरके साथ सम्राज्ञी-सरकारके सामने परिवादके लिए उपस्थित हो रहे हैं। प्रार्थियोंका निवेदन दक्षिण आफ्रिकी

गणराज्यकी ससद द्वारा ७ अक्टूबर, १८९५ को स्वीकृत प्रस्तावके बारेमें है। प्रस्ताव सभ्राजी-सरकार और गणराज्य-सरकारके बीच हुई संधिकी पुष्टि करके गणराज्यवासी तमाम ब्रिटिश प्रजाजनोको वैयक्तिक सैनिक सेवासे मुक्त करता है। अपवाद यह रखा गया है कि "ब्रिटिश प्रजाजन"का अर्थ "गोरे लोग" माना जायेगा।

प्रस्ताव पढनेपर प्रार्थियाने २२ अक्टूबर, १८९५ का आपका एक तार भेजा था। उसमें उन्होंने गोरे और काले ब्रिटिश प्रजाजनोके बीच बरते गये भेद-भाव पर विरोध प्रकट किया था।

स्पष्ट है कि इस अपवादका लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें रहनेवाले भारतीयोको ही बनाया गया है।

प्रार्थी आपका ध्यान इस वस्तुस्थितिकी ओर आर्क्षित करते हैं कि स्वयं संधिमें "ब्रिटिश प्रजाजन" शब्दोका कोई विशेष अर्थ नहीं किया गया है। और हमारा निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव द्वारा संधिको पूण रूपमें स्वीकार करनेके बजाय उसमें सशोधन कर दिया गया है। यह एक कारण ही ऐसा है, जिसस प्रार्थी निश्चय महसूस करते हैं कि सभ्राजी-सरकार इस सशोधित पुष्टीकरणको मजूर नहीं करेगी।

प्रस्तावके द्वारा भारतीयोको अनावश्यक रूपमें जिस अपमानका पात्र बनाया गया है, उसकी चर्चा प्रार्थी नहीं करेंगे।

ब्रिटिश प्रजाजनोको सैनिक सेवासे मुक्त करनेका जो कारण बताया गया था वह मुख्य रूपसे यह था कि ब्रिटिश प्रजाजनाको पूरे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं और गणराज्यमें वे बाधाओ और निषेधोके पात्र ह, इसलिए उन्हें नागरिक (बगरो)के साथ सैनिक सेवा करनेके लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। जिस समय हलचल हा रही थी उस समय खुल्लमखुल्ला कहा गया था कि अगर विदेशियो (एटर्लंडस)को सिर्फ नागरिक मान लिया जाये और मताधिकार दे दिया जाये तो वे हपके साथ मालोबोच-युद्धमें मदद करेंगे।

इसलिए, अगर यूरोपीय या, जैसा कि प्रस्तावमें कहा गया है, "गोरे" ब्रिटिश प्रजाजनोको उनकी राजनीतिक बाधाओ और निषेधोके कारण मुक्त किया जाता है, तो नादर निवेदन है, भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोको तो और भी ज्यादा मुक्त किया जाना चाहिए। कारण, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमें भारतीय न सिर्फ राजनीतिक अधिकारोसे वंचित हैं, बल्कि उन्हें माल-असवावसे ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता। प्रस्ताव इस वस्तुस्थितिका एक और संकेत है।



अन्तर्में, निवेदन ह कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयाको निरन्तर उत्पीडित किया जा रहा है। उपनिवेश, स्वतंत्र राज्य तथा, यहाँतक कि, बलावायो व अयश्वे नये प्रदेश भी इससे मुक्त नहीं हैं। भारतीयोपर पहले ही आम तौर-पर भारी प्रतिबन्ध लदे हुए हैं और प्रार्थी तथा उनके देशमाई सम्राज्ञी सरकारके हस्तक्षेप द्वारा उन्हें दूर करानेके प्रयत्न कर ही रहे हैं। इन सब दृष्टियोंसे हम हार्दिक प्रार्थना और दृढ़ आशा करते हैं कि दक्षिण आफ्रिकी सरकारके भारतीयाकी स्वतंत्रतापर और भी अधिक प्रतिबन्ध लगानेके इस नये प्रयत्नको बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, वतव्य समझकर, मदा हुआ करेगे आदि।

एम० सी० कमरुद्दीन  
अब्दुल गनी  
मुहम्मद इस्माइल  
आदि-आदि

[ अग्नेजीसे ]

सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम दक्षिण आफ्रिका स्थित उच्चायुक्तके १० दिसम्बर, १८९५ के खरोता न० ६९२ का सहपत्र।

कॉलोनिअल आफिस रेकॉर्ड्स, न० ४१७, जिल्ड १५२।

## ६७ भारतीयोका मताधिकार

दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक अग्नेजके नाम अपील

बीचप्रोव, डर्वेन  
दिसम्बर १६, १८९५

भारतीयोके मताधिकारके प्रश्नने, जहातक ममाचारपत्रोका सम्बन्ध है, इस उपनिवेशको—नहीं, सारे दक्षिण आफ्रिकाको विधुब्ध कर दिया है। इसलिए इस अपीलके सम्बन्धमें कोई कैफियत देनेकी जरूरत नहीं है। इसके द्वारा दक्षिण आफ्रिकावासी प्रत्येक अग्नेजके सामने, यथासम्भव सक्षेपमें, भारतीय मताधिकारकी बावत भारतीयाका एक दृष्टिकोण पेश करनेका प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीयोंका मताधिकार छीननेके पक्षमें कुछ दलीलें ये हैं

- (१) भारतीय भारतमें मताधिकारका उपभोग नहीं करते।
- (२) दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीय सबसे निचले दर्जेके भारतीयोंके प्रतिनिधि हैं। वास्तवमें वे भारतका तलछट हैं।
- (३) भारतीय समझते ही नहीं कि मताधिकार है क्या।
- (४) भारतीयोंको मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देशी लोगोको भारतीयोंके बराबर ही ब्रिटिश प्रजा होनेपर भी कोई मताधिकार प्राप्त नहीं है।
- (५) भारतीयोंका मताधिकार दशी लगाके हितार्थ छीन लेना चाहिए।
- (६) यह उपनिवेश गोरोंका देश होगा और रहेगा, बाले लोगोका नहीं। और भारतीयोंका मताधिकार तो यूरोपीय मतोंको सबधा निगल जायेगा, और भारतीयोंका राजनीतिक प्रभुता प्रदान कर देगा।

मैं इन आपत्तियोंकी त्रमसे विवेचना करूँगा।

१

बारबार कहा गया है कि भारतीय जिन विशेषाधिकारोंका उपभोग भारतमें करते हैं उनसे ऊँचे विशेषाधिकारोंका दावा न तो वे कर सकते हैं और न उन्हें करना चाहिए। और यह कि, भारतमें उन्हें किसी भी प्रकारका मताधिकार प्राप्त नहीं है।

अब, पहली बात तो यह है कि भारतीय जिन विशेषाधिकारोंका उपभोग भारतमें करते हैं उनसे ऊँचे विशेषाधिकारोंका दावा वे नहीं कर रहे हैं। यह याद रखना चाहिए, भारतमें वैसे ही डगका शासन नहीं है, जैसा कि यह है। इसलिए साफ है कि इन दोनों शासनोंके बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। इसके जवाबमें कहा जा सकता है कि भारतीयोंको भारतमें उसी तरहका शासन प्राप्त करनेतक ठहरना चाहिए। परन्तु इस जवाबसे काम नहीं चलेगा। इस सिद्धान्तके अनुसार तो यह तक भी किया जा सकता है कि नेटाल आनेवाले किसी व्यक्तिको तबतक मताधिकार नहीं मिल सकता जबतक कि वह अपने देशमें उसी तरह और उन्हीं परिस्थितियोंमें मताधिकारका उपभोग न करता रहा हो — अर्थात् जबतक उस देशका मताधिकार कानून वही न हो जा कि नेटालमें है। यदि ऐसा सिद्धान्त सब लोगोपर लागू किया जाये तो सरलतासे देखा जा सकता है कि इंग्लैंडसे आनेवाले किसी व्यक्तिको भी

नेटालमें मताधिकार नहीं मिल सकता। वारण, वहाँका मताधिकार कानून वही नहीं है, जो नेटालमें है। जमनी और रूससे आनेवाले लोगोंको तो वह और भी नहीं मिल सकता। वहा तो कमोबेश निरकुश शासनका बोलबाला है। इसलिए सच्ची और एकमात्र कसौटी यह नहीं कि भारतीयोंको भारतमें मताधिकार प्राप्त है या नहीं, बल्कि यह है कि वे प्रातिनिधिक शासनका तत्त्व समझते ह या नहीं।

परन्तु भारतमें उन्हें मताधिकार प्राप्त है। सच है कि वह अत्यन्त सीमित है, फिर भी है तो सही। भारतीयोंकी प्रातिनिधिक शासनको समझने और सराहनेकी योग्यताको विधानपरिषदें माय करती हैं। वे प्रातिनिधिक सस्थाअबि बारेमें भारतीयोंकी योग्यताकी स्थायी साक्षी हैं। भारतीय विधानपरिषदोंके कुछ सदस्य नामजद और कुछ निर्वाचित होते हैं। भारतमें विधानपरिषदोंकी स्थिति नेटालकी पिछली विधानपरिषदकी स्थितिसे बहुत भिन्न नहीं है। और भारतीयोंपर इन परिषदोंमें प्रवेश करनेपर कोई प्रतिषेध नहीं है। वे यूरोपीयोंके साथ बराबरीकी शर्तोंपर चुनाव लड़ते हैं।

बम्बईकी विधानपरिषदके सदस्योंके पिछले चुनावमें एक चुनावक्षेत्रसे एक उम्मीदवार यूरोपीय था और एक भारतीय था।

भारतकी सब विधानपरिषदोंमें भारतीय सदस्य मौजूद हैं। चुनावोंमें भारतीय उसी तरह मतदान करने हैं, जैसे कि यूरोपीय। वेशक मताधिकार सीमित है। वह घुमावदार भी है। उदाहरणके लिए, बम्बई निगम (कारपोरेशन) विधानपरिषदके लिए एक सदस्यका चुनाव करता है और निगमके सदस्याका चुनाव करदाता करते ह, जो अधिकतर भारतीय ह।

बम्बई म्यूनिसिपल चुनावोंमें भारतीय मतदाताओंकी संख्या हजारों है। उपनिवेशवासी भारतीय व्यापारी उनके ही बगसे या उनके जैसे किसी दूसरे बगसे आये हैं।

फिर, बड़ेसे बड़े महत्त्वकी नौकरिया भारतीयोंके लिए खुली हैं। क्या इससे यह मालूम होता है कि उह प्रातिनिधिक शासनको समझनेके अयोग्य माना गया है? एक भारतीय मुख्य न्यायाधीश हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जिसका वेतन ६०,००० रुपये या ६,००० पाँड सालाना होता है। अभी हालमें ही यहाँके अधिवक्तर व्यापारियोंके ही बगके एक भारतीयको बम्बई उच्च न्यायालयका उपन्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

एक तमिल सज्जन मद्रास उच्च न्यायालयके उप-न्यायाधीश हैं। यहाँके कुछ गिरमिटिया भारतीय उनकी ही जातिके हैं। बंगालमें एक भारतीय सज्जनको सिविल कमिश्नरका अत्यन्त उत्तरदायी काय सौंपा गया है।

भारतीयोंने कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालयमें उपकुलपतिके आसनाको भी शोभित किया है।

सिविल सर्विस [ऊँचे हाकिमोंकी नौकरियाँ]की प्रतियोगिताओंमें भारतीय यूरोपीयोंके साथ बराबरीकी शर्तोंपर शामिल होते हैं।

बम्बई निगम (कारपोरेशन) के वर्तमान अध्यक्ष एक भारतीय हैं। उनका चुनाव निगमके सदस्योंके द्वारा हुआ है।

मन्य जातियोंके बराबर होनेकी भारतीयोंकी योग्यताका ताजेसे ताजा प्रमाण लन्दन टाइम्सके २३ अगस्त, १८६५ के अंकसे प्राप्त होता है

सभी जानते हैं, टाइम्सके "भारतीय मामलात"के लेखक और कोई नहीं, सर विलियम विल्सन हटर ही हैं। शायद वे भारतीय इतिहासके सबसे बड़े लेखक हैं। उनका कथन है

यह सम्मान साहसके जिन कार्यों और, उनसे भी अधिक उज्ज्वल सहनशीलताके जिन उदाहरणोंसे कमाया गया, उनका वर्णन आश्चर्यमय आनन्दसे पुलकित हुए बिना पढ़ा नहीं जा सकता। 'आर्डर आफ मेरिट' [वीरताका पदक] पानेवाले एक सिपाहीके शरीरपर कमसे कम इकतीस घाव थे। इंडियन डेली न्यूज का कथन है कि "शायद घावोंकी यह संख्या अपूर्व थी।" दूसरे एक सिपाहीको उस दरमें गोली लगी थी, जिसमें गेंसकी टुकड़ी तहस-नहस हुई थी। उसने चुपकेसे शरीरको टटोल-टटोल कर गोलीको ढूँढा और फिर बढ़की बिना परवाह किये दोनों हाथोंसे दवा-दबाकर उसे ऊपर तक सरकाया। आखिर जब वह अँगुलियोंकी पकड़में आई तो उसे बाहर निकाल लिया। खूनकी धारा बह चली। परन्तु उसने फिरसे कंधेपर राइफल रखी और इक्कीस मीलका कूच पूरा किया।

परन्तु जिन भारतीय सैनिकोंने मायता कमाई है, उनकी वीरता अगर हमारे अदर अभिमान जगाती है कि हमारे बच्चे प्रजाजन ऐसे ह, तो उतने ही साहस और बूढ़ताके दूसरे मामलोंमें भिक्षाके बतौर दिये जानेवाले

तुच्छ पारितोषिक बहुत अलग तरहकी भावनाओंको जाग्रत करते हैं। "कुरापकी लडाईमें धीरता और धोरता दिखानेका श्रेय" चौथी बगाल इन्फैंट्री [पदल सेना]के दो भिक्षित्योंको मिला था। युद्ध-खरीतोमें विनोय सम्मानके साथ केवल उनके ही नामोंका उल्लेख किया गया था। सचमुच उस भयानक घाटीमें उन्होंने अपने साथियोंके प्रति जिस भव्य आत्मत्यागका परिचय दिया था, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। स्वर्गीय फ़्तान बेंयटको चितरालके किलेमें ले जानेवाली टुकड़ीके साथ रहते समय "विशिष्ट धीरता और निष्ठा दिखानेके कारण" उसी टुकड़ीके एक अन्य आदमीका भी उल्लेख किया गया था। सच बात तो यह है कि भारतीय श्रेष्ठ सह-प्रजाजन माने जानेका अधिकार अनेक तरीकोंसे कमा रहे हैं। समर-भूमि हमेशासे विभिन्न जातियोंके बीच सम्मानपूर्ण समानता स्थापित करनेका सरल साधन रही है। परन्तु भारतीय ता नागरिक-जीवनके भदतर और कठिनतर तरीकोंसे भी हमारा सम्मान प्राप्त करनेका अधिकार सिद्ध कर रहे हैं। *तीन वर्ष पूर्व भारतीय विधानपरिषद्की आशिक चुनावके आधारपर बढ़ानेका जो प्रयोग किया गया था, उससे बड़ा प्रयोग अधीन राज्योंके वैधानिक शासनमें पहले कभी नहीं हुआ था।* (अक्षर-भेद मैंने किया है)। बगालमें वह प्रयोग जितना शाकाजनक मालूम होता था उतना भारतके किसी दूसरे भागमें नहीं था। बगालके लेफ्टिनेंट गवर्नरके क्षेत्रकी आबादी मद्रास और बम्बई प्रदेशोंकी सम्मिलित आबादीके बराबर थी। शासनकी दृष्टिसे उसकी व्यवस्था करना भी बहुत कठिन था।

सर चार्ल्स इलियटने लार्ड सैलिसबरीके कानून द्वारा बढ़ाये गये विधान मण्डलसे इस उलझनपूर्ण कानून (बगाल सैमीटरी ड्रेनेज एक्ट)को स्वीकार करानेमें न केवल दल्बद विरोधके अभावकी, बल्कि मूल्यवान सहायता प्राप्त होनेकी खुले दिलसे साक्षी बी है। बहुत-सी बहुत मददगार रहें। और जहाँतक बगालका—उस प्रान्तका सम्बन्ध है, जहाँ निर्वाचन-पद्धति बड़ी बड़ी कठिनाइयोंसे व्याप्त मालूम होती थी, वहाँ भी एक फ़डी फ़सोटीके वाद प्रयोग सफल सिद्ध हो गया है। (अक्षर भेद मैंने किया है)।

दूसरी आपत्ति यह है कि दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय सबसे निचले दर्जेके भारतीयों से हैं। यह बयन सही हो नहीं सकता। व्यापारी समाजके वारमें ता सही है ही नहीं, यदि सारेके सारे गिरमिटिया भारतीयोंके वारमें कहा जाये तो भी वैसा ही है। गिरमिटिया भारतीयों से कुछ तो भारतकी सबसे ऊँची जातियाँके लोग हैं। बेशक वे सभी बहुत गरीब हैं। उनमें से कुछ भारतमें आकाराये। बहुतसे लोग सबसे निचले दर्जेके भी हैं। परन्तु मैं, किसीको चोट पहुँचानेकी इच्छा बिना, कहनेकी इजाजत लूँगा कि अगर नेटालक भारतीय उच्चतम श्रेणीके नहीं हैं तो यूरोपीय भी तो वैसे नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इस बातका अनुचित महत्त्व द दिया गया है। अगर भारतीय लोग आदश भारतीय नहीं हैं तो सरकारका कतव्य है कि वह उन्हें वैसे बनाये। और अगर पाठक जानना चाहते हैं कि आदश भारतीय कैसे होते हैं तो मैं उनसे प्रायतः कहूँगा कि वे मेरी "खुली चिट्ठी" पढ़ें। उसमें यह बतानेके लिए अनेक अधिकारी व्यक्तियोंके बयन संकलित कर दिये गये हैं कि भारतीय "आदश" यूरोपीयोंके बराबर ही सम्यक् हैं। और जैसे यूरोपमें निचलेसे निचले दर्जेके यूरोपीयोंके लिए ऊँचेसे ऊँचे दर्जेतक उठ सकना सम्भव है, ठीक वैसे ही भारतमें निचलेसे निचले दर्जेके भारतीयोंके लिए भी सम्भव है। दुराग्रहपूण उपेक्षा या प्रतिगामी कानूनोंसे उपनिवेशके भारतीय और भी अधिक नीचे गिरते जायेंगे और इस तरह, हो सकता है, वे सब कुछ खतरनाक बन जायें, जो वे पहलेसे नहीं हैं। दुरियाये जानेसे, तिरस्कृत किये जानेसे, बोसे जानेसे वे निस्सन्देह वैसा ही करेगे और वैसे ही बन जायेंगे, जैसा कि वैसी ही परिस्थितियोंमें दूसरोंने किया है। प्रेम और सद्व्यवहारमें किसी भी राष्ट्रके किसी भी अल्प व्यक्तिके समान ही ऊँचे उठनेका सामर्थ्य उनमें है। जबतक उन्हें वे अधिकार भी नहीं दिये जाते जो भारतमें उन्हें प्राप्त हैं, या ऐसी ही परिस्थितियोंमें प्राप्त हाँगे, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है।

यह कहना कि भारतीय मताधिकारको समझते ही नहीं, भारतके पूरे इतिहासकी उपेक्षा करना है। भारतीय प्राचीनतम कालसे सच्चे अर्थके प्रतिनिधित्वको समझते और उसकी कद्र करते आये हैं। उसी सिद्धान्त — पचायतके

सिद्धान्त — के अनुसार भारतीयों के सब कामकाज चलते हैं। वे अपने-आपको पचायतके सदस्य मानते हैं। और यह पचायत सचमुचमें वह सारा समाज होता है, जिसमें वे उस समय रहते हैं। ऐसा करनेकी उस शक्तिने — लाक-सत्ताके तत्त्वकी पूरी तरह समझनेकी उस शक्तिने — उह दुनियामें सबसे द्रोह रहित और सबसे सीधे लोग बना दिया है। शताब्दियोंका विदेशी शासन और अत्याचार उहे समाजके खतरनाक सदस्य बनानेमें असफल रहा है। वे जहाँ भी जात हैं और जैसी भी हालतामें होते हैं, अपने अविकारिया द्वारा कार्यान्वित बहुमतके निणयके सामने सिर झुका लेते हैं। कारण यह है कि वे जानते हैं, उनके ऊपर तबतक कोई अपनी सत्ता नहीं चला सकता, जबतक कि समाजके बहुसंख्य लोग उसे उस स्थानपर बरदाश्त न करते हों। यह तत्त्व भारतीयोंके हृदयमें इतना गहरा अंकित है कि भारतीय देशी राज्योंके अत्यन्त स्वेच्छाचारी राजा भी महसूस करते हैं कि उन्हें प्रजाके लिए शासन करना है। हा, यह सही है कि सभी राजा इस सिद्धान्तके अनुसार नहीं चलते। इसने कारणाकी चर्चा यहां करनेकी जरूरत नहीं है। और सबसे अधिक आश्चर्यचकित करनेवाली बात तो यह है कि जब प्रत्यक्षत राजतंत्र होता है तब भी पचायत सबसे ऊँची सत्ता मानी जाती है। उसके सदस्योंके कार्योंका बहुमतकी इच्छाके अनुसार नियमन किया जाता है। इस दावेके प्रमाणोंके लिए मैं पाठकोंसे निवेदन करूँगा कि वे विधानसभाको दिया गया मताधिकार-प्रायनापत्र पढ़ लें।

## ४

“भारतीयोंका मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देशी लोगोंको भारतीयोंके बराबर ही ब्रिटिश प्रजा होनेपर भी कोई मताधिकार प्राप्त नहीं है।”

यह आपत्ति जिस रूपमें मने अखबारोंमें देखी है, उसी रूपमें यहाँ पेश कर दी है। नेटालमें तो भारतीय पहलेसे ही मताधिकारका उपभोग कर रहे हैं। इसलिए यह आपत्ति सत्यके विपरीत है। वास्तवमें अब जो प्रयत्न किया जा रहा है वह तो उनसे मताधिकार छीननेका है।

मैं सुलना नहीं करूँगा। केवल ठोस वास्तविकताओंका निवेदन कर दूँगा। देशी लोगोंके मताधिकारका नियंत्रण एक विशेष कानूनके आधारपर हाता है जो कुछ वर्षोंसे अमलमें लाया जा रहा है। वह कानून भारतीयोंपर

लागू नहीं है। हमारा यह झगडा भी नहीं है कि वह भारतीयोंपर लागू किया जाये। भारतमें भारतीयोंका मताधिकार (वह जो कुछ भी हो) किसी विशेष कानून द्वारा नियन्त्रित नहीं है। वह कानून सबपर एक-जैसा लागू है। भारतीयोंको उनकी स्वतन्त्रताका अधिकारपत्र प्राप्त है, जो १८५८ का घोषणापत्र है।

५

मताधिकार छीननेके पक्षमें ताजीसे ताजी दलील यह दी गई है कि भारतीयोंके मताधिकारसे उपनिवेशके देशी लोगोंका हानि पहुँचेगी। ऐसा कैसे होगा, सो बिलकुल बताया नहीं गया। परन्तु मैं मानता हूँ कि भारतीय-मताधिकारके विरोधी लोग भारतीयोंके खिलाफ़ इस पिटी पिटाई आपत्तिका आश्रय इस कथित आधारपर लेते हैं कि भारतीय देगी लागोंको शराब मुहैया कराते हैं और इससे देशी लोग विगडते हैं। अब मेरा निवेदन है कि भारतीय-मताधिकारसे इसमें कोई फ़क नहीं पड सकता। अगर भारतीय शराब मुहैया कराते हैं तो वे मताधिकारके कारण ज्यादा शराब मुहैया न कराने लगेगे। भारतीयोंके मत इतने प्रबल तो कभी हो ही नहीं सकते कि वे उपनिवेशकी देशी लोगों-सम्बन्धी नीतिको प्रभावित कर दें। इस नीतिपर तो १० डाउनिंग स्ट्रीट स्थित ब्रिटिश सरकार डाहके साथ चौकसी रखती है, और बहुत हदतक इसका नियन्त्रण भी उसके ही द्वारा होता है। सच तो यह है कि इस मामलेमें डाउनिंग स्ट्रीटकी सरकारके आगे यूरोपीय उपनिवेशियोंकी भी कुछ नहीं चलती। परन्तु हम जरा तथ्याको देखें। वर्तमान भारतीय मतदाताओंकी स्थिति बतानेवाली जो विश्लेषणात्मक तालिका नीचे दी गई है, उससे मालूम होता है कि उनमें सबसे बडी और बहुत बडी सख्या व्यापारियोंकी है। सभी जानते हैं कि ये व्यापारी खुद शराब बिलकुल नहीं पीते। इतना ही नहीं, ये तो चाहेंगे कि उपनिवेशसे पूरी तरह शराब निकल ही जाये। और अगर मतदाता-सूची ऐसी ही रहे तो यदि देगी लोगों-सम्बन्धी नीतिपर उनके मतका कोई असर हो सकता है, तो वह अच्छा ही होगा। परन्तु भारतीय प्रवास आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमिशन), १८८५-१८८७ की रिपोर्टके निम्नलिखित उद्धरणोंसे मालूम होता है कि इस विषयमें भारतीय यूरोपीयोंकी अपेक्षा बुरे नहीं हैं। ये उद्धरण देनेमें मेरा तुलना करनेका कोई इरादा नहीं है।



उसको मैंने, जहाँतक हो सकता है, टालनेका प्रयत्न किया है। इनके द्वारा मैं अपने देशवासियोंकी सफाई देना भी नहीं चाहता। अगर कोई भारतीय शराब पिये या देशी लोगोंको शराब देता पाया जाये तो मुझसे ज्यादा दुःख किसीका न होगा। मैं पाठकोंको नम्रतापूर्वक आश्वासन देता हूँ कि मेरी एकमात्र इच्छा यह दिखानेकी है कि इन विशेष आधारपर भारतीयोंके मताधिकारके सम्बन्धमें आपत्ति बरना केवल एक छिछली बात है, और यह जाचपर खरी नहीं उतरती।

आयुक्तोंको दूसरी बातके साथ भारतीयोंके मद्यपान और उससे हाने वाले अपराधोंपर खास तौरसे रिपोर्ट देनेका काम सौंपा गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ ४२ और ४३ पर कहा है

इस विषयपर हमने बहुत-से लोगोंकी गवाही ली है। उनकी गवाही और हमारे सामने आनेवाले अपराधोंके आँकोंसे हमें यह विश्वास नहीं हुआ कि मद्यपान और उससे होनेवाले अपराधोंका अनुपात समाजके दूसरे लोगोंकी अपेक्षा, जिनके खिलाफ ऐसा कोई प्रतिबंधक कानून बनानेका प्रस्ताव नहीं किया गया, प्रवासी भारतीयोंमें अधिक है।

हमें कोई शका नहीं, इस आरोपमें बहुत-कुछ सत्य है कि देशियोंको भारतीयोंके द्वारा आसानीसे ठर्रा शराब मिल जाती है। परन्तु वे शराब बेचनेवाले गोरे लोगोंसे इस विषयमें ज्यादा अपराधी हैं— इसमें हमें शका अवश्य है।

सावधानीसे देखनेपर पता चला है कि जो लोग भारतीय प्रवासियोंके खिलाफ देशी लोगोंको शराब बेचनेकी शिकायतें सबसे ज्यादा जोरोंसे करते हैं, वे वही लोग हैं, जो खुद देशियोंको शराब बेचते हैं, शराब बेचनेवाले भारतीयोंकी प्रतिद्वन्द्विताके कारण उनके व्यापारमें बाधा पड़ती है और उनका मुनाफा कम होता है।

उपर्युक्त कथनके बाद जो कुछ लिखा गया है उसकी पढ़ना ज्ञानवधक है। वह बताता है कि, आयुक्तोंके मतसे, भारतमें भारतीय मद्यपानकी रतसे मुक्त हैं, यहाँ आकर ही वे उसे सीखते हैं। वे कौन और क्यों नेटालमें शराब पीने लगते हैं, इस प्रश्नका उत्तर मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ।

आयुक्तोंने पृष्ठ ८३ पर कहा है

हमें विश्वास हो गया है कि नेटालके भारतीय, और खास तौरसे स्वतंत्र भारतीय, अपने देशकी अपेक्षा यहाँ गराबके शिकार ज्यादा होते ह। फिर भी हमारे सामने ऐसा कोई सतोयजनक प्रमाण नहीं है कि उपनिवेशवासी दूसरी जातियोंकी अपेक्षा भारतीयोंमें बहुत गराबिया और उपद्रवियोंका गतमान अधिक है। यह अक्ति कर देनेको हम याध्य ह।

मुपरिस्टैंडेंट अक्वेडरने आयागवे सामने गवाही दत हुए कहा है (पृ० १४६)

भारतीयोंको इस समय एक अपरिहाय बुराई मानना होगा। मजदूरोंके रूपमें उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हाँ, ये दूकानदार न हों तो काम चल सकता है। गुण-अयगुणमें ये देशी लोगोंके बराबर ही हैं, परन्तु उन्होंने अपना बहुत सुधार किया है, जब कि देशी लोग बहुत ज्यादा नीचे गिर गये ह। अब करीब-करीब सभी चोरियाँ देशी लोग करते ह। जहाँतक मेरा अनुभव है, देशी लोग भारतीयोंसे, और दूसरे जो भी लोग उन्हें बँ उन सबसे, शराब लेते हैं। इस बारेमें मने कुछ गोरे लोगोंको भारतीयोंके बराबर ही बुरा पाया है। ये बेकार, आदारा लोग सिर्फ ६ पेन्स पानेके लिए देशी लोगोंको शराबकी घोटल धमा देते ह।

मैं नहीं समझता कि नेटालकी घतमान हालतमें भारतीय आबादीको निकालकर उसके स्थानकी पूर्ति यूरोपीयोंसे कर लेना सम्भव है। मैं नहीं मानता कि हम यह कर सकते ह। मेरे पास जो कमचारी ह उनसे म ३,००० भारतीयोंको संभाल सकता हूँ। परन्तु अगर उनकी जगह ३,००० गोरे मजदूर होते तो मेरे लिए उन्हें संभालना अशक्य होता ।

पृष्ठ १४९ पर ये कहते हैं

मं देखता हूँ कि आम तौरपर लोग हरएक बुराई करने, मुर्गियाँ चुराने आदिका शक कुलियोपर ही करते ह। मगर सच बात यह नहीं है। मुर्गियाँ चुरानेके पिछले नौ मामलोंमें से सबका आरोप मेरे कार-पोरेगनके कुली भगियोंपर भड़ा गया था। मंने देखा कि उन मुर्गियोंको चुरानेके अपराधमें दो देशी लोगों और तीन यूरोपीयोंको सजा दी गई।

मैं पाठकोका ध्यान हालमें प्रकाशित देशी लोगो-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्टकी ओर भी आवर्षित करूँगा। उसमें पाठक देखेंगे कि लगभग सभी मजिस्ट्रेट इस मतके हैं कि यूरोपीयोंके प्रभावसे देशी लोगोंके नैतिक चरित्रमें बुरा फव पडा है।

इन अकाट्य तथ्याके होते हुए देशी लोगोंके हासका मारा दोष भारतीयोंपर मढ देना क्या अन्याय नहीं है? १८९३ में शराव मुहैया करनेके अपराधमें बरोमें २८ यूरोपीयोंका सजा हुई थी। सजा पानेवाले भारतीयोंकी सख्या केवल तीन थी।

## ६

“यह देश गोरोका देश होगा और रहेगा, काले लागाका नहीं। और भारतीयोंका मताधिकार तो यूरोपीयोंके मतोको सबथा निगल जायेगा और भारतीयोंको नेटालमें राजनीतिक प्रभुता प्रदान कर देगा।”

इस कथनके पहले अशकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं मजूर करता हूँ कि मैं उसे पूर्ण तरह समझता भी नहीं। तथापि, बादके अशकी तहमें जो गलतफहमी है उसे मैं दूर करनेका प्रयत्न करूँगा। मैं कहनेका साहस करता हूँ कि भारतीयोंके मत यूरोपीयोंके मताको कभी भी निगल नहान सकते। और यह कल्पना कि भारतीय राजनीतिक प्रभुताका हक माँगनेकी कोशिश कर रहे हैं, पिछले सारे अनुभवके विरुद्ध है। मुझे अनेक यूरोपीयोंसे साय इस प्रश्नपर बातचीत करनेका सौभाग्य मिला है। और लगभग सभीने इस मायतापर बहस की है कि उपनिवेशमें प्रत्येक व्यक्तिको एक मत देनेका अधिकार प्राप्त है। मताधिकारके लिए सम्पत्तिकी योग्यता आवश्यक है, यह उनके लिए नई जानकारी थी। इसलिए मताधिकार कानूनका योग्यता-सम्बन्धी अश यहाँ उद्धृत करनेके लिए मुझे क्षमा मिलनी ही चाहिए।

जिन पुरुषोंको आगे बाद किया गया है उनको छोडकर २१ वषकी आयुसे ऊपरका प्रत्येक पुरुष, जिसके पास ५० पाँड मूल्यकी अचल सम्पत्ति हो, या जो किसी भी निर्वाचन-क्षेत्रमें १० पाँड सालानाकी सम्पत्ति किराये पर लिये हो, और जो आगे बताये हुए तरीके पर बाकायदा पजीकृत (रजिस्टर्ड) हो, ऐसे जिलेके सदस्यके चुनावमें मत देनेका अधिकारी होगा। जब ऐसी किसी सम्पत्तिपर, जसी कि ऊपर बताई गई है, एकसे अधिक लोग मालिक या किरायेदारके तौरपर बाबिज हो और प्रत्येक कब्जेदारका नाम बाकायदा पजीकृत हो, तो ऐसी सम्पत्तिकी बिनापर प्रत्येक

,

मत भारतीयोंके मतासे ३८ गुने हैं। भारतीय प्रवासियोंके सरक्षककी १८९५ की रिपोर्टके अनुसार, भारतीयोंकी कुल ४६,३४३ जनसख्यामें से स्वतंत्र भारतीयाकी सख्या सिर्फ ३०,३०३ है। इसमें अगर व्यापारी भारतीयाकी सख्या — लगभग ५,००० — और जोड़ दी जाये तो स्वतंत्र और गिरमिट-मुक्त भारतीयोकी कुल सख्या मोटे तौरपर ३५,००० है। इसलिए, भारतीयोंकी जा आवादी मत देनेमें यूरोपीय आवादीसे होट कर सकती है वह यूरोपीयोंके बराबर बड़ी नहीं है। परन्तु इन ३५,००० लोगोंमें आधेसे ज्यादा लोगोंकी आर्थिक स्थिति गिरमिटिया भारतीयोंकी आर्थिक स्थितिसे केवल एक अश ऊँची है और यह कहनेमें, मेरा विश्वास है, मैं सचाईमें दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं आस पासके जिलामें और डबनसे ५० मीलके घेरेमें यात्राएँ करता आ रहा हूँ। और मैं जोखिमके बिना कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारतीयोंमें मे अधिकतर रोज कुआँ खोदते और रोज पानी निकालते हैं, और निश्चय ही उनके पास ५० पौंड मूल्यकी जायदाद नहीं है। वयस्क स्वतंत्र भारतीयोंकी सख्या उपनिवेशमें केवल १२,३६० है। इस तरह, मेरा निवेदन है कि निकट भविष्यमें भारतीयोंके मतों द्वारा यूरोपीय मतोंके निगल लिये जानेका भय बिलकुल बेबुनियाद है।

भारतीय मतदाताओंकी सूचीके नीचे दिये हुए विश्लेषणसे यह भी मालूम होता है कि अधिकतर भारतीय मतदाता वे लोग ह जो बहुत लम्बे समयसे उपनिवेशमें बसे हुए हैं। मैं २५० भारतीय मतदाताओंकी शनास्त करा सका हूँ। उनमें से सभी १५ वषसे अधिकसे उपनिवेशमें रह रहे हैं और केवल ३५ व्यक्ति किसी समय गिरमिटिया रहे थे।

भारतीय मतदाताओंके निवासकी अवधि और किसी समय गिरमिटिया रहे भारतीयोंकी सख्या बतानेवाली तालिका

	४ वषका वास	१३
५ से ९	"	५०
१० से १३	"	३५
१४ से १५	"	५९
स्वतंत्र भारतीय, जो किसी समय गिरमिटिया थे, परन्तु जो १५		
वषसे और कई २० वषसे अधिकसे उपनिवेशमें बसे हुए हैं		३५
उपनिवेशमें जन्मे		९
दुर्भाग्ये		४
अ-वर्गीकृत		४६
		<u>२५१</u>

बेशक, इस तालिकाको पूरा-पूरा सही बिलकुल नहीं कहा जा सकता। फिर भी मेरा खयाल है कि हमारे हालके कामके लिए यह काफी सही है। इस तरह, जहाँतक इन अफोका दायरा है, गिरमिटिया बनकर आनेवाले भारतीयोंको मतदाता-सूचीमें शामिल होनेके लिए धनकी पर्याप्त योग्यता कमानेमें १५ वष या इससे ज्यादाका समय लगता है। और अगर गिरमिट-मुक्त भारतीयोंकी सख्या छोड दी जाये तो यह तो कोई नहीं कह सकता कि केवल व्यापारियोंकी आवादी कभी भी मतदाता-सूचीपर छा सकती है। इसके अलावा, इन ३५ गिरमिट-मुक्त भारतीयोंमें से अधिकतर व्यापारियोंके दर्जेपर चढ गये हैं। जो लोग शुरू-शुरूमें अपने खचसे आये थे उनकी भारी बहुसख्याको मतदाता-सूचीमें शामिल होनेमें लम्बा समय लगा है। जिन ४६ को शनास्त में नहीं करा सका उनमें बहुत-से अपने नामोंसे व्यापारी वषके मालूम होते हैं। उपनिवेशमें यहीके जमे बहुत-से भारतीय हैं। वे शिक्षित भी हैं, फिर भी मतदाता-सूचीमें सिफ ९ के नाम दज है। इससे मालूम होगा कि वे इतने गरीब हैं कि उन्हें सम्पत्तिकी बिनापर मिलनेवाला मताधिकार नहीं मिला। इसलिए, समग्र रूपमें ऐसा मालूम होगा कि मौजूदा सूचीके आधारपर यह डर काल्पनिक है कि भारतीयोंके मत खतरनाक अनुपात तक पहुँच जायेंगे। २०५ में से ४० या तो मर चुके हैं, या उपनिवेश छोडकर चले गये हैं।

निम्नलिखित तालिकामें भारतीय मतदाताओंकी सूचीका घघेके अनुसार विश्लेषण किया गया है

व्यापारी	दूकानदार (वस्तु भंडार मालिक)	९२
	व्यापारी	३२
	सुनार	४
	जीहरी	३
	हल्वाई	१
	फल बेचनेवाले	४
	छोटे व्यापारी	११
	टीनसाड	१
	तम्बाकूके व्यापारी	२
	भोजनालय चालक	१
		<hr/>
		१५१

मुहरि और सहायक	मुहरि	२१
	मुनीम	६
	हिस्साब-रख्तक	१
	विश्रेता	६
	शिदाक	१
	फोटोग्राफर	१
	दुभापिये	४
	दुकान-नौकर	५
	नाई	२
	शराबकी दुकानके नौकर	१
प्रबन्धक	२	
	<hr/>	५०
बागवान और अन्य	शाक व्यापारी	१
	किसान	६
	घरेलू नौकर	५
	मछुए	१
	बागवान	२६
	दिये जलानेवाले	३
	गाढीवान	२
	मिपाही	२
	मजदूर	२
	हजूरिए (वेटर)	१
बाबचीं	३	
	<hr/>	५०
	<hr/>	२५१

मेरा खयाल है कि मतदाता-सूचीके अयोग्य या निम्नतम दर्जेके भारतीयोंसे छा जानेके भयको दूर करनेमें निष्पक्ष लोगोंको इस विश्लेषणसे भी मदद मिलनी चाहिए। कारण, इसमें सबसे बड़ी—बहुत बड़ी सख्या व्यापारी वर्गकी या तथाकथित “अरब” वर्गकी है। इन्हें तो मत देनेके बिलकुल अयोग्य नहीं माना जाता।

दूसरे शीपकबे नीचे जिनका वर्गीकरण किया गया है, वे या तो व्यापारी बगबे हैं या उस बगबे हैं, जिसने काम चलानेके लिए अच्छी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है।

तीसरे विभागके लोगको ऊँचे दर्जेके मजदूर कहा जा सकता है। वे औसत दर्जेके गिरमिटिया भारतीयोंसे बहुत ऊँचे हैं। ये लग २० बर्षसे अधिकसे सह-कुटुम्ब उपनिवेशमें बसे हुए हैं। और या तो जमीन-जायदादके मालिक हैं या अच्छा किराया चुकाते हैं। मैं यह भी कह दूँ कि अगर मेरी जानकारी सही है तो इन मतदाताओंमें से ज्यादातर अपनी मातृभाषा लिख-पढ सकते हैं। इस प्रकार, अगर भारतीयोंकी वर्तमान मतदाता-सूची भविष्यके लिए मागदर्शिकाका काम दे और मान लिया जाये कि मताधिकार-योग्यता जैसी-की-तैसी रहती है, तो यूरोपीय दृष्टिकोणसे यह सूची बहुत सन्तोषप्रद है। पहले तो इसलिए कि सख्याकी दृष्टिसे भारतीयोंका मत-बल बहुत कम है और दूसरे, अधिकतर (३ स ज्यादा) भारतीय मतदाता व्यापारी बगबे हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि उपनिवेशमें व्यापार करनेवाले भारतीयोंकी सख्या लम्बे समयतक बरीब-बरीब यही रहेगी। क्योंकि अनेक लोग हर महीने यहाँ आते हैं, उतने ही भारतको लौट भी जाते हैं। साधारणत आनेवाले लोग जाने-धालाकी जगहोंपर रहते हैं।

अबतक मैंने दोनों समाजोंकी स्वाभाविक रुचियोंके दलीलमें बिलकुल दाखिल नहीं किया, सिफ़ यकीनी चर्चा की है। फिर भी स्वाभाविक रुचिका दोनोंकी राजनीतिक प्रवृत्तियोंसे कम सम्बन्ध नहीं होगा। इस विषयमें कोई मत-भेद नहीं हो सकता कि भारतीय साधारणत राजनीतिमें सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने कभी किसी स्थानपर राजनीतिक सत्ता हड़पनेका प्रयत्न नहीं किया। उनका घम (चाहे वे मुस्लिम हों चाहे हिन्दू, युग-युगकी शिक्षा सिफ़ नाम बदल जानेसे मिट नहीं जाती) उनको नैतिक प्रवृत्तियोंने प्रति उदासीन रहना सिखाता है। स्वाभाविक है कि जबतक वे इज्जतके साथ आजीविका कमा सकते हैं तबतक उन्हें सन्तोष रहता है। मैं यह कहनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ कि अगर उनके व्यापार-धंधेका बुचलनेका प्रयत्न न किया गया होता, अगर उन्हें समाजमें अछतोंके दर्जोंपर गिरानेके प्रयत्न न किये गये होते और उन प्रयत्नोंको बार-बार दुहराया न गया होता, अगर सबमुच उन्हें सदाके लिए "लकड़हारे और पत्निहारे" बनाकर अर्थात् सदाके लिए गिरमिटियाकी या उससे बहुत ज्यादा मिलती-जुलती हालतमें रखनेका प्रयत्न न किया गया होता,



तो मताधिकार-सम्बन्धी आन्दोलन हाता ही नहीं। मैं तो हमसे भी आगे जाऊंगा। मुझे यह कहनेमें बाई हिचकिचाहट नहीं कि इस समय भी शब्दके सच्चे मानीमें किसी राजनीतिक आन्दोलनका अस्तित्व नहीं है। परन्तु अत्यन्त दुर्भाग्यवती बात है कि अखबार भारतीयोंका इस प्रकारके आन्दोलनके जाफ बतानेका प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें अपने बंध धंधे करनेका स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको नीचे गिरानेके प्रयत्न मन कीजिए, उनके साथ साधारण दयालुताका बरताव कीजिए, तो मताधिकारका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। कारण सीधा-सादा यह है कि वे अपने नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज करानेका कष्ट ही नहीं उठावेंगे।

परन्तु यहाँ यह गया है, और सो भी जिम्मेदार लोग द्वारा, कि कुछ गिने-चुने भारतीय राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, ये लोग मुसलमान आन्दोलनकारी हैं, जिनकी सख्या थोड़ी-सी है, और हिन्दुओंकी पिछले अनुभववत्ति सीखना चाहिए कि मुसलमानोंका राज्य उनका नाश कर देनेवाला होगा। पहला कथन बेवुनियाद है और आखिरी कथन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखदायी है। अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनेका अथ विधानसभामें पठना ही, तो उसे प्राप्त करना पूर्णतः असम्भव है। ऐसे कथनमें यह मानकर चला गया है कि उपनिवेशमें बहुत धनी भारतीय मौजूद हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषाका अच्छा ज्ञान है। अब, खुदाहाल और धनीका फर्क देखते हुए उपनिवेशमें तो बहुत ही कम धनी लोग हैं और शायद, उनमें कोई भी कानून बनानेवालेका काम करने योग्य नहीं है। इसलिए नहीं कि राजनीतिको समझनेकी योग्यता रखनेवाला कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि कानून बनानेवालोंमें अंग्रेजी भाषाके जैसे ज्ञानकी अपेक्षा की जाती है, उसका वैसा ज्ञान रखनेवाला कोई नहीं है। दूसरे कथनके द्वारा उपनिवेशके हिन्दुओंको मुसलमानोंसे भिडा देनेका प्रयत्न किया गया है। उपनिवेशका कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरहके सकटकी कामना कर ही कैसे सकता है—यह बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसे प्रयत्नोंका परिणाम भारतमें अत्यन्त दुःखद हुआ है और उनसे ब्रिटिश शासनके स्थायित्व तकको सतरा पहुँचा है। इस उपनिवेशमें, जहाँ दोनों सम्प्रदाय ज्यादासे ज्यादा मैत्रीभावसे रहते हैं, वैसा प्रयत्न करना, मैं कहूँगा, बड़ीसे बड़ी शरारतसे भरा है।

अब जो यह स्वीकार कर लिया गया है कि सब भारतीयोंपर मताधिकार पानेके सम्बन्धमें प्रतिबंध लगा देना एक दुःखद अयाय है, सा एक

सेहतमद लक्षण है। कुछ लोगोका खयाल है कि तथाकथित अरबोको मताधिकार देना चाहिए। कुछका खयाल है कि उनमें से चुने हुए लोगोको देना चाहिए। और कुछ सोचते हैं कि गिरमिटिया भारतीयोको कभी भी मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। ताजेसे ताजा सुझाव स्टैंगरका है और वह अधिकसे अधिक विनोदपूर्ण है। अगर उस सुझावका अनुसरण किया जाये तो सिर्फ वे लोग नेटालमें मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे, जो यह साबित कर सकें कि वे भारतमें मतदाता थे। ऐसा नियम बेचारे भारतीयोके ही लिए क्यों ? अगर यह सबपर लागू हो तो मैं नहीं समझता कि भारतीयोको इसपर कोई आपत्ति होगी। और अगर ऐसी परिस्थितियोमें यूरोपीयोको भी अपने नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज कराना कठिन गुजरे तो मुझे कोई आश्चय न होगा। क्योंकि, उपनिवेशमें ऐसे यूरोपीय वितने हैं, जो अपने राज्यामें मतदाता थे ? तथापि, यदि यह बयान यूरोपीयोके सम्बन्धमें दिया गया होता तो उसपर उग्रतम रोप प्रकट किया गया होता। भारतीयोके बारेमें इसका गम्भीरताके साथ स्वागत किया गया है।

यह भी कहा गया है कि भारतीय "एक भारतीयको एक मत"के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह कथन बिल्कुल निराधार है। इसका मन्सा भारतीय समाजके प्रति अनावश्यक कुभावना पैदा करना है। मैं मानता हूँ कि वर्तमान साम्प्रतिक योग्यता अगर हमेशा नहीं तो हालमें तो जरूर ही यूरोपीय मतोकी सख्या अधिक बनाये रखनेके लिए काफी है। फिर भी अगर यूरोपीय उपनिवेशियोका खयाल भिन्न हो ता, मेरे खयालसे, उचित और सच्ची शिक्षा-योग्यता और वर्तमानसे अधिक साम्प्रतिक योग्यता निर्धारित कर देनेपर कोई भारतीय आपत्ति नहीं करेगा। भारतीय जिस बातका विरोध करते हैं और करेगे, वह है रंग-भेद—जातीय भेदके आधारपर अयोग्य ठहराया जाना। सम्राज्जीकी भारतीय प्रजाको अत्यन्त गम्भीरताके साथ बारबार आश्वासन दिया गया है कि उनकी राष्ट्रीयता और धर्मके कारण उनपर कोई अयोग्यताएँ अथवा प्रतिबन्ध नहीं मढ़े जायेंगे। और यह आश्वासन किन्ही भावनात्मक आधारोपर नहीं, बल्कि योग्यताके प्रमाणपर दिया और दुहराया गया है। पहला आश्वासन तब दिया गया था, जब कि सन्देहके परे यह स्थिर कर लिया गया कि भारतीयोंके साथ बिना किसी क्षत्रके बराबरीका बरताव किया जा सकता है, वे अत्यन्त वफादार और कानूनका पालन करनेवाले हैं और भारतपर

ब्रिटिशोका कब्जा इन्हीं शर्तोंपर कायम रखा जा सकता है, दूसरी शर्तोंपर नहीं। उपर्युक्त आश्वासनमें गम्भीर व्यतिश्रम हुए हैं यह, मेरा निवेदन है, उसके अस्तित्वकी ठोस सच्चाईका कोई जवाब नहीं है। मेरा खयाल है कि वे व्यतिश्रम नियमको सिद्ध करनेवाले अपवाद हैं, उसका अतिक्रमण करनेवाले नहीं। क्योंकि, अगर मेरे पास समय और स्थान होता, और अगर मुझे पाठकोको उबा देनेका डर न होता, तो मैं ऐसे असह्य उदाहरण दे सकता, जिनमें १८५८ की घोषणाका अचूक रूपसे पालन किया गया है, और आज भी भारतमें तथा अन्यत्र किया जा रहा है। और यह अवसर तो निश्चय ही उसकी अवहेलना करनेका नहीं है। इसलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि भारतीयोका जातीय आधारपर अयोग्य ठहराये जानेका विरोध करना और उस विरोधके माने जानेकी अपेक्षा करना पूर्णत उचित है। इतना कहनेके बाद मैं अपने भाइयोकी ओरसे आश्वासन देता हूँ कि मतदाता-सूचीको आपत्तिजनक लोगोसे मुक्त रखनेके लिए, या भविष्यमें भारतीयोंके मत-बलको सबसे प्रबल न होने देनेके लिए, अगर कोई कानून बनाये जायेंगे तो मेरे देशवासी उनका विरोध करनेका विचार नहीं करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि, जिनसे मतका मूल्य समझनेकी सम्भवत आशा ही न की जा सकती हो, ऐसे अज्ञान भारतीयोको मतदाता-सूचीमें स्थान दिलानेकी भारतीयोकी कोई इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि सब भारतीय ऐसे नहीं हैं और ऐसे लोग कम-ज्यादा सभी समाजोंमें पाये जाते हैं। प्रत्येक सही विचारवाले भारतीयका लक्ष्य, जहाँतक हा सके, यूरोपीय उपनिवेशियोकी उच्छाओके अनुकूल रहना है। वे यूरोपीय और ब्रिटिश उपनिवेशियोसे लडकर पूरी रीटी लेनेके बजाय शान्तिसे रहकर आधी ही ले लेना पसन्द करेंगे। इस अपीलका उद्देश्य कानून बनानेवालो और यूरोपीय उपनिवेशियोमें प्रायना करना है कि अगर कोई कानून बनाना जरूरी हो तो वे सिफ ऐसा कानून बनायें या सिफ ऐसे कानूनका समर्थन करें, जो उससे प्रभावित होनेवाले लोगोको मजूर हो। स्थितिको अधिक साफ करनेके लिए मैं एक सरकारी रिपोर्टके कुछ अंशमें यह बतानेकी स्वतंत्रता लूंगा कि इस प्रश्नपर सबसे प्रमुख उपनिवेशियोके विचार क्या हैं।

पिछली विधानसभाके सदस्य श्री साइस केवल इस हदतक गये

यह व्याख्या ही कि ये हस्ताक्षर पूरे हों, निर्वाचकके अपने ही अक्षरोंमें हो और यूरोपीय लिपिमें हों, इस आत्यंतिक जोखिमको

रोकनेमें बहुत दूर तक सहायक होगी कि एशियाइयोंके मत अप्रेंजोंके मतोंका दबा देंगे। (अफेयर्स आफ नेटाल, सी ३७९६-१८८३)।

उसी पुस्तकके पृष्ठ ७ पर भूतपूर्व प्रवासी-संरक्षक कप्तान ग्रेञ्जका यह कथन दिया गया है

मेरा मत है कि सिर्फ वे भारतीय 'यायपूर्वक' मताधिकार पानेके हकदार हैं, जिन्होंने अपने और अपने परिवारोंके भारत लौटनेके मुफ्त टिकटका पूरा दावा छोड़ दिया है।

ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द कप्तान ग्रेञ्जने अपने विभाग द्वारा मान्य किये गये भारतीयों—यानी गिरमिटिया भारतीयोंके बारेमें कहे थे। तत्कालीन महान्यायवादी और वतमान मुख्य न्यायधीशका कथन है

यह देखा जायेगा कि मैंने जिस कानूनका मसविदा बनाया है उसमें प्रचुर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की सिफारिशोंसे ली हुई वे उपघाराएँ शामिल ह, जिनमें श्री साडसके पत्रमें बताई गई वैकल्पिक योजनाको कार्यान्वित करनेकी व्यवस्था की गई है। परन्तु विदेशियोंको विशेष रूपसे मताधिकारके अयोग्य ठहरानेके सुझाव मानने योग्य नहीं समझे गये।

उसी पुस्तकके पृष्ठ १४ पर फिर उनका यह कथन है

जहाँतक उपनिवेशके सामान्य कानूनके अन्तर्गत पूरी तरहसे न आनेवाले प्रत्येक राष्ट्र या जातिके सब लोगोंको मताधिकार-प्रयोगसे वंचित रखनेका सम्बन्ध है, वहाँतक स्पष्ट है कि इस कानूनका लक्ष्य उपनिवेशवासी भारतीयों और क्रियोलोंका मताधिकार है, जिसका उपभोग वे हालमें कर रहे ह। जैसा कि मैं पहले ही अपनी रिपोर्ट, क्रम संख्या १२, में कह चुका हूँ, मैं ऐसे कानूनका 'याय या आवश्यकता' स्वीकार नहीं कर सकता।

इस सरकारी रिपोर्टमें मताधिकारके प्रश्नपर बहुत-सी रोचक सामग्री है। उससे साफ मालूम होता है कि विशेष नियोग्यताका विषय उस समय उपनिवेशियोंको अप्रिय था।

मताधिकारके सम्बन्धमें हुई विविध समाजकी कारवाइयांसे मालूम होता है कि वक्ताओंने सदा यह कहा है कि भारतीयोंको इस दशपर वज्रा नहीं

करने दिया जाएगा। इसे यूरोपीयोंने खूनसे जीता गया है और, यह जो कुछ भा है, यूरोपीयोंने हाथोंसे बना है। उन बारवाइयोंसे यह भी मालूम होता है कि भारतीयोंको इस उपनिवेशमें बिना ह्व धंस पटनेवाले माना जाता है। पहले बयनके बारेमें मुझे दाना ही कहना है कि अगर भारतीयोंको इसलिए कोई अधिकार नहीं दिये जायेंगे कि उन्होंने इस देशके लिए अपना खून नहीं बहाया, तो यूरोपके दूसरे राज्योंके यूरोपीयोंको भी वे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि इंग्लैंडके बादमें आये हुए प्रवासियोंको भी प्रथम गोरे निवासियोंके विशेष सुरक्षित अधिकारोंमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और, निश्चय ही, अगर खून बहाना ही ह्वदार होनेका कोई मापदण्ड है और अगर ब्रिटिश उपनिवेशी ब्रिटिशोंके अन्य देशोंको ब्रिटिश साम्राज्यके अंग मानते हैं, तो भारतीयोंके अनेक अवसरोंपर ब्रिटेनके लिए अपना खून बहाया है। चित्तारंगकी लड़ाई सबसे ताजा उदाहरण है।

जहाँतक यह बात है कि उपनिवेशका निर्माण यूरोपीय हाथोंसे हुआ है और भारतीय बिना ह्व यहाँ धंस आये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी हकीकतें बिलगुल उलटी बात सिद्ध करती हैं।

अब मैं, अपनी टीका टिप्पणीके बिना, ऊपर बताये हुए भारतीय प्रवासी व्यापोगकी रिपोर्टके अन्त उद्धृत करूँगा। यह रिपोर्ट मुझे प्रवासी-सरसकने उपार मिली है, जिसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ।

एक साम्प्रत, श्री साइस पृष्ठ ९८ पर कहते हैं

भारतीय प्रवासियोंके मानसे समृद्धि आई। भाव बढ़ गये। लोपाको अब न-कुछ भावों पर फसलें बोने या बेचनेसे सन्तोष नहीं रहने लगा। वे अब ज्यादा कमा सकते थे। मुद्र और ऊन, चीनी आदिके ऊँचे भावोंसे समृद्धि कायम रही। भारतीय जिन स्थानिक पदावारोंका व्यापार करते हैं उनके भाव भी ऊँचे बने रहे।

पृष्ठ ९९ पर वे कहते हैं

मैं ध्यायक लोकहितकी दृष्टिसे फिर उस प्रश्नपर विचार करूँगा। एक बात निश्चित है— गोरे लोग सिर्फ 'लकड़हारे और पत्तिहारे' बननेके लिए नैटालमें या दक्षिण अफ्रिकाके किसी दूसरे भागमें नहीं बसोंगे। इसके बजाय वे हमें छोड़कर या तो विस्तीर्ण भौतरो चले जाना या

समुद्रका रास्ता पकड़ना पसन्द करेंगे। जब कि यह सच है तब हमारे और दूसरे उपनिवेशोंके कागज-पत्र साबित करते ह कि भारतीय मजदूरोंके आनेसे भूमिही और उसके खाली क्षेत्रोंकी छिपी हुई शक्ति प्रकट और विकसित होती है और गोरे प्रवासियोंके लिए लाभप्रद रोजगार-धंधेके अनेक नये क्षेत्र खुलते हैं।

हमारे निजी अनुभव इसे सबसे ज्यादा स्पष्ट रूपमें साबित करनेवाले हैं। अगर हम १८५९ के सालपर गौर करें तो हम देखेंगे कि भारतीय मजदूरोंका हमें जो आश्वासन मिला था उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई, और कुछ ही वर्षोंमें राजस्व चौगुना बढ़ गया। जिन मिस्त्रियोंको काम नहीं मिलता था और जो रोजाना ५ शिल्लिंग या इससे कम कमाते थे, उनकी मजदूरी दूनीसे ज्यादा बढ़ गई। उम्रतिसे शहरसे समुद्रतक सब लोगोंको प्रोत्साहन मिला। परन्तु कुछ वर्ष बाद एक आतक फैला (जिसका आधार वृद्ध था) कि भारतीय मजदूरोंका आना सब जगह एकसाय स्थगित कर दिया जायेगा (अगर मेरा कथन गलत हो तो कागज-पत्र मौजूद ह, उसे ठीक किया जा सकता है)। बस, राजस्व और मजदूरोंमें गिरावट हो गई, प्रवासियोंका आना रोक दिया गया, भरोसा गायब हो गया और मुख्य बात जो सोची गई वह थी—छँटनी तथा वेतनोंमें कटौती की। और कुछ वर्ष बाद १८७३ में (१८६८ में हीरेकी खानका पता चलनेके बहुत बाद) फिरसे भारतीयोंके आनेका वचन मिला और उसने अपना काम किया—राजस्व, मजदूरी और वेतनोंमें फिर तरक्की हो गई और जल्दी ही छँटनीको भूतकालकी धीज बताया जाने लगा (फास! अब भी ऐसा ही होता!)।

इस तरहके प्रलेख स्वयं स्पष्ट हैं, उन्हें समझानेके लिए भाष्यकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और उनसे छुकरपनकी जाति भावनाओं और कमौनी ईर्ष्याओंको शान्त हो जाना चाहिए।

गर-गोरे मजदूरोंके आनेसे गोरे प्रवासियोंका जो हित हुआ उसका और भी अधिक प्रमाण देनेके लिए मैं मचेस्टरके ड्यूकके एक भाषणका हवाला दे दूँ। ड्यूकने अपने आपको औपनिवेशिक हितोंके साथ बहुत मिला-जुला

लिया है। ये अभी-अभी बचीन्सलडसे लीटे ह और उन्होंने अपने श्रोताओंको बताया है कि वहाँ गंद-गोरे मजदूरोंके आगमनके विरुद्ध आबोलनका परिणाम स्वयं उन गारे प्रयासियाके लिए ही अत्यन्त विनाशकारी हुआ है, जिन्हाने आशा की थी कि बाहरसे गंद-गोरे मजदूरोंका आना रोककर वे प्रतिद्वन्द्विताको नष्ट कर देंगे। उनकी गलत कल्पना हो गई है कि गंद-गोरोकी प्रतिद्वन्द्वितासे उनका काम थथा छिनता है।

पृष्ठ १०० पर वही सज्जन आगे कहते हैं

जहाँतक स्वतंत्र भारतीय व्यापारियों, उनकी प्रतिद्वन्द्विता और उसके फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुअधि भावोंमें कमीका सम्बन्ध है, जिससे जनताको लाभ होता है (और फिर भी विचित्र बात यह है कि उसकी यह गिकायत करती है), वहाँतक साफ-साफ बता दिया गया है कि इन भारतीय दूकानोंको गोरे व्यापारियोंकी बड़ी-बड़ी पेड़ियोंने ही पूरी तरह पोसा है, और वे ही अब भी पोस रही हैं। इस तरह ये पेड़ियाँ अपना माल बेचनेके लिए इन लोगोंको लगभग अपने नौकर बनाकर रखती ह।

आप चाहें तो भारतीयोंका आगमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान काफी न हो तो अरबो या भारतीयोंको, जो आपसे कम आबाद देशकी उपज व क्षमताकी शक्ति बढ़ाते ह, निकालकर और खाली करा दें। परन्तु इस एक विषयको उदाहरणके तौरपर उठाकर जाँचिए, और इसके परिणामोंका पता लगाइए। पता लगाइए कि, किस तरह मकानोंके खाली पड़े रहनेसे जायदाद और सेक्युरिटीजकी कीमत घटती है और कसे, इसके बाद, इमारतोंके व्यापारमें और उसपर निर्भर करनेवाले दूसरे व्यापारों तथा दूकानोंमें गतिरोध आना अनिवार्य हो जाता है। देखिए कि, इससे गारे मिस्त्रियोंकी माँग कसे कम होती है, और इतने लोगोंको खच करनेकी शक्ति कम हो जानेसे कसे राजस्वमें कमीकी अपेक्षा करनी होगी। फिर, छँदनी की या फर बढ़ानेकी या बोनाकी जरूरत। परिणामका और दूसरे परिणामोंका, जो इतने अधिक ह वपन

नहीं किया जा सकता, जाति भावना

या ईर्ष्या ही प्रबल हो।

आयोगके सामने श्री बिन्सने इस आशयकी गवाही दी थी (पृष्ठ १५६)

मेरे खयालसे स्वतंत्र भारतीय आयादी समाजका सबसे उपयोगी अंग है। उसका एक बड़ा हिस्सा — जितना सामान्यतः माना जाता है उससे बहुत बड़ा — उपनिवेशमें नौकरियाँ करता है। ये लोग खास तौरसे गाँवों और शहरोंमें घरेलू नौकरोंके काम पर लगे हैं। वे बहुत बड़े उत्पादक भी हैं। मने जो जानकारी प्रयत्नपूर्वक इकट्ठी की है उसके अनुसार स्वतंत्र भारतीय पिछले दो-तीन वर्षोंसे लगभग एक लाख मन मकई सालाना पैदा करते हैं। भारी मात्रामें तम्बाकू और दूसरी चीजोंकी पैदावार इससे अलग है। स्वतंत्र भारतीयोंकी आयादी होनेके पहले पीटरमरित्सबर्ग और डबनमें फल, सब्जियाँ और मछलियाँ नहीं मिलती थीं। इस समय ये सब चीजें पूरी-पूरी उपलब्ध हैं।

यूरोपसे कभी कोई ऐसे प्रवासी नहीं आये, जिनका बागवानी या मछलीका रोजगार करनेका इरादा रहा हो। और मेरा खयाल है कि अगर भारतीय न हों तो मरित्सबर्ग और डबनके बाजारोंमें आज भी इन चीजोंकी कमी ही बनी रहेगी, जसी दस वर्ष पूर्व रहती थी।

अगर कुलियोंका आगमन पहले रूपसे बढ़ कर दिया जाये तो शायद यूरोपीय मिस्त्रियोंकी मजदूरीकी दरोंमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परन्तु थोड़े ही दिन बाद उनके लिए उतना काम नहीं रहेगा, जितना अभी है। गरम देशकी खेती भारतीय मजदूरोंके बिना न कभी हुई, न होगी।

तत्कालीन महान्यायवादी और वर्तमान मुख्य न्यायाधीशने आयोगके सामने यह गवाही दी थी (पृष्ठ ३२७)

मेरे खयालसे, भारतीय प्रवासियोंके बड़ी संख्यामें लाये जानेसे ही बहुत हदतक सड़वर्ती प्रदेशमें गोरे प्रवासियोंको मात मिली है। उन्होंने वह जमीन जोती, जो उनके न जोतने पर बजर बनी रहती, और उसमें ऐसी फसलें थोड़ी जो उपनिवेशवासियोंके सच्चे लाभकी हैं। भारत लौटनेके मुफ्त टिकटका फायदा न उठानेवाले बहुत से लोग विद्वस्त और उपयोगी घरेलू नौकर साबित हुए हैं।



गिरमिट-मुक्त और स्वतंत्र दोनों वर्गोंके भारतीय सामान्यतः उपनिवेशके लिए बहुत फायदेमन्द सिद्ध हुए हैं—यह और भी जोरदार प्रमाणसिद्ध सिद्ध किया जा सकता है। आयुक्त अपनी रिपोर्टके पृष्ठ ८२ पर कहते हैं

१९ वे मछलियाँ पकड़ने और उनको हिफाजत करनेमें प्रशसनाय परिश्रम करते हैं। डर्बन-वेवे सलिसबरी द्वीपमें भारतीय मछुओंकी बस्ती न सिर्फ भारतीयोंके लिए, बल्कि उपनिवेशके गोरे निवासियोंके लिए भी बहुत लाभदायक हुई है।

२० अन्तर्वर्ती और तटवर्ती दोनों प्रकारके जिलोंके बहुत-से क्षेत्रोंमें उन्होंने ऊजड़ और बजर जमीनको बागोंमें बदल दिया है, जिनकी हिफाजत अच्छी तरह की जाती है। उनमें साग-सब्जियों, तम्बाकू, मकई और फलोंकी उपज की जाती है। जो लोग डर्बन और पीटरमरित्सबर्गके आसपास रहते हैं उहोंने स्थानीय बाजारोंको साग-सब्जी देनेका पूराका पूरा व्यापार अपने अधीन कर लिया है। स्वतंत्र भारतीयोंकी इस प्रतिद्वन्द्विताका यह परिणाम तो हुआ ही होगा कि जिन यूरोपीयोंके हाथमें अबतक इस रोजगारका एकाधिकार था उनको नुकसान पहुँचा हो।

स्वतंत्र भारतीयोंके प्रति 'यापकी दृष्टिसे हमें कहना ही होगा कि प्रतिद्वन्द्विताका स्वरूप 'यापपूर्ण है और, अवश्य ही, साधारण समाजने उसका स्वागत किया है। भारतीय फेरीवाले—पुरुष और स्त्री, बड़े और छोटे, रोज तड़के उठकर, अपने सिरोपर भारी भारी टोकरियाँ रखकर, घर घर जाते हैं, और इस तरह अब नागरिकोंको गुणकारी साग-सब्जी और फल अपने दरवाजेपर ही सस्ते दामों मिल जाते हैं। ज्यादा घरस नहीं हुए हैं जबकि शहरके और बहुत महँगे भाव घुसानेपर भरोसा ।

७४ पर

जहातक  
कहा गया है

हमें

खासकर उनके साथ प्रतिद्वन्द्विता करनेकी असदिग्ध योग्यतासे पदा हुआ है, जो अबतक वे वस्तुएँ— विशेषत चावल— बेचनेकी ओर ही मुख्य ध्यान रखते थे, जिनकी भारतीय आबादीमें बहुत खपत होती है।

हमारा खयाल है कि ये अरब व्यापारी प्रवासी कानूनके अनुसार लाये गये भारतीयोंके आकषणसे नेटालमें आये ह। इस समय जो ३०,००० भारतीय प्रवासी उपनिवेशमें हैं, उनका मुख्य भोजन चावल है। और इन कुशल व्यापारियोंने चावल मुहैया करनेके व्यापारमें अपनी चतुराई और मिहनतका प्रयोग इतनी सफलताके साथ किया कि पहलेके बरसामें जो चावल २१ शि० फी बोरा बिकता था, उसका भाव १८८४ में १४ शिलिंग फी बोरे तक गिर गया।

कहा जाता है कि काफिर लोगोंको ६-७ बरस पहलेकी अपेक्षा अब २५-३० फी सदी कम भावों पर अरबोंसे माल मिल जाता है।

कुछ लोग एशियाई या 'अरब' व्यापारियोंपर जो प्रतिबन्ध लगानेके इच्छुक हैं, उनपर विस्तारके साथ विचार करना कमिशनके कायक्षेत्रके बाहर है। अत हम व्यापक निरीक्षणके आधारपर अपना यह दृढ़ अभिप्राय अंकित करके ही सन्तोष मानते ह कि इन व्यापारियोंका यहाँ रहना सारे उपनिवेशके लिए हितकारी हुआ है। और उनके खिलाफ कानून बनाना अगर अन्यायपूर्ण न हुआ, तो भी अबुद्धिमत्तापूर्ण तो होगा ही। (अक्षरोंमें फक मैंने किया है)।

\*

\*

\*

८ उनमें लगभग सभी मुसलमान ह। शराय या तो वे पीते ही नहीं, या संभलकर पीते ह। वे स्वभावसे कमखच और कानूनको माननेवाले ह।

आयोगके सामने गयाही देनेवाले ७२ यूरोपीय गवाहोंमें से उपनिवेशमें भारतीयोंकी उपस्थितिके परिणामोंकी चर्चा करनेवाले प्रत्येकने कहा है कि उपनिवेशकी भलाईके लिए वे अनिवाय ह।

मैंने जरा विस्तृत उद्धरण दिये हैं। इससे मेरा यह तक करनेका इरादा नहीं है कि भारतीयोंको मताधिकार दिया जाये (वह तो उन्हें है ही)।

इसका मसाला इस आरोपका कि वे जबरन उपनिवेशमें घँस आये हैं, और इस वक्तव्यका कि उपनिवेशकी समृद्धिसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, खण्डन करना है। हाथ कगनकी आरसी क्या? सबसे अच्छा प्रमाण तो यह है कि भारतीयकी वारेमें कुछ भी क्यों न कहा जा रहा हो, उनकी मांग फिर भी जाती है। सरक्षकका विभाग भारतीय मजदूरोंकी मांग पूरी करनेमें समय नहीं हो रहा है।

१८९५ की वार्षिक रिपोर्टके पृष्ठ ५ पर सरक्षकने कहा है

गत वर्ष जितने आदमियोंकी मांग की गई थी, उनमें से, सालके आखिरमें, १,३३० आदमी देनेको बच गये थे। १८९५ में इस सख्याके अलावा २,७६० आदमियोंकी मांग और की गई। इस प्रकार कुल सख्या ४,०९० हो गई। इनमें से रिपोर्टके वर्षमें २,०३२ आदमी आये (१,०४९ मद्राससे और ९८३ कलकत्तेसे)। इस तरह पिछले वर्षकी मांग पूरी करनेके लिए २,०५८ (श्रृंखला १२, जिनकी मांग रद्द हो गई) आदमी आने बाकी रहे।

अगर भारतीय सचमुच ही उपनिवेशको हानि पहुँचानेवाले ह, तो सबसे अच्छा और सबसे न्यायपूर्ण तरीका यह होगा कि भविष्यमें भारतीय मजदूरोंका लाना बन्द कर दिया जाये। इससे, उचित समय आनेपर, वर्तमान भारतीय आबादी भी उपनिवेशको ज्यादा कष्ट पहुँचाना बन्द कर देगी। जिन हालतोंका मतलब गुलामी होता हो उनमें उन्हें लाना न्यायसंगत नहीं है। तो फिर, अगर इस अपीलसे भारतीय मताधिकारके खिलाफ उठाई गई विभिन्न आपत्तियोंका जरा भी सन्तोषजनक उत्तर मिला हो, अगर पाठकोंको यह दावा स्वीकार हो कि भारतीयोंका मताधिकार-सम्बन्धी आन्दोलन उस अधःपतनका विरोध मात्र है, जिसमें प्रति-आन्दोलन उह डुबाना चाहता है, और उसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता अथवा प्रभाव प्राप्त करना नहीं है तो मेरा नम्र खयाल है कि मैं पाठकोंको भारतीयोंके मताधिकारका घोर विरोध करनेका निश्चय करनेके पहले रकने और सोचनेको कहूँ तो उचित ही होगा। यद्यपि अखबारोंने “ब्रिटिश प्रजा” की दुहाईकी दीवानापन और खन्त कहकर रद्द कर दिया है मुझे उसी कल्पनाका सहारा लेना होगा। उसके बिना मताधिकारका कोई आन्दोलन होता ही नहीं। उसके बिना शायद सरकारसे सहायता प्राप्त कोई प्रवास भा नहीं होता। यदि भारतीय ब्रिटिश

प्रजा न होते तो, बहुत सम्भव है, वे नेटालमें होते ही नहीं। इसलिए मैं दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक अंग्रेजसे अनुरोध करता हूँ कि "ब्रिटिश प्रजा के विचारको तुच्छ चीज समझकर कोई यो ही रद न कर दे। १८५८ की घोषणा सम्राज्ञीका एक कानून है, जिसे सम्भवतः सम्राज्ञीकी प्रजाने स्वीकार किया है। क्योंकि, वह घोषणा मनमाने तौरसे नहीं कर दी गई थी, बल्कि उनके तत्कालीन सलाहकाराकी सलाहसे अनुमति की गई थी। और उन सलाहकारोंमें मतदाताआने अपने मतोंके द्वारा अपना पूरा विश्वास स्थापित किया था। भारत इंग्लैंडसे अधीन है, और इंग्लैंड उसे खोना नहीं चाहता। भारतीयोंके साथ अंग्रेजाका एक-एक व्यवहार भारतीयों तथा अंग्रेजोंके बीच आखिरी रिश्ता गठनेमें कुछ-न-कुछ असर किये बिना नहीं रह सकता। कुछ हाँ, यह तो सत्य है ही कि भारतीय दक्षिण आफ्रिकामें इसलिए हैं कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं। कोई चाह या न चाहे, भारतीयोंकी उपस्थिति तो बरदास्त करनी ही है। फिर क्या ज्यादा अच्छा यह न होगा कि दोनों समाजोंके बीच बड़वाहट पैदा करनेवाला कोई काम न किया जाये? जल्दबाजीमें निष्कप निकालनेसे, या निराधार मायनाआकी बिनापर निष्कपपर पहुँचनेसे यह विलकुल अशक्य नहीं कि भारतीयोंके प्रति बिना इरादेके अत्याय हो जाये।

मेरा निवेदन है कि सभी विचारशील लोगोंके मनमें प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि भारतीयोंको उपनिवेशसे बँधे खदेड़ दिया जाये, बल्कि यह होना चाहिए कि दोनों समाजोंके बीच सन्तोषजनक सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जाये। भारतीयोंके विरुद्ध अमैत्री और द्वेषका रख रखनेका परिणाम, मेरा निवेदन है, अत्यन्त स्वार्थी दृष्टिकोणसे भी भला नहीं हो सकता। हाँ, अगर अपने पड़ोसीके प्रति अपने मनमें अमैत्रीका भाव पैदा करनेमें ही कोई सुख हो तो बात दूसरी है। ऐसी नीति ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिशोंकी न्याय तथा औचित्य-बुद्धिके प्रतिकूल है। सबके ऊपर, भारतीय मताधिकारके विरोधी जिस ईसाइयतकी भावनाका दावा करते हैं, उसकी वह द्रोही है।

असलबारी, मारे दक्षिण आफ्रिकाके लोकपरायण व्यक्तियों और धर्मगुरुओंसे मैं विशेष रूपसे अपील करता हूँ। लोकमत आपके हाथोंमें है। आप ही उसको ढालते और उसका मागदशन करते हैं। यह आपके सोचनेकी बात है कि क्या जिस नीतिवा अवतक पालन किया गया है उसे आगे जारी रखना सही और योग्य है? अंग्रेजाकी हैसियतसे आपका कतव्य दोनों समाजोंमें फट डालना नहीं, उन्हें मिलाकर एक करना ही हो सकता है।

भारतीयोंमें अनेक दोष हैं। दोना समाजोंके बीच वर्तमान असन्तोषजनक भावनाओंकी जिम्मेदारी कुछ हदतक निःसन्देह स्वयं उनपर ही है। मेरा उद्देश्य आपको यह विश्वास कराना है कि साराका सारा दोष एक ओर नहीं है।

मैंने अक्सर अखबारोंमें पढ़ा है और सुना है कि भारतीयोंके लिए शिकायतकी कोई बात ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि न तो आप और न यहांके भारतीय ही निष्पक्ष निगम करनेमें समर्थ हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान बिल्कुल बाहरी लोकमत — इंग्लैंड और भारतके पत्रोंकी ओर आकृष्ट करता हूँ। वे लगभग एकमतसे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि भारतीयोंके पास शिकायत करनेके उचित कारण हैं। और इस सम्बन्धमें, मैं अक्सर दुहराये जानेवाले इस कथनको माननेसे इनकार करता हूँ कि बाहरी देशोंके मतका आधार दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयों द्वारा भेजी जानेवाली अतिरिक्त रिपोर्टें हैं। इंग्लैंड और भारतको भेजी जानेवाली रिपोर्टोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखनेका दावा मुझे है। और मुझे कहनेमें कोई सकोच नहीं कि उन रिपोर्टोंमें करीब-करीब हमेशा ही कम बतानेकी भूल की गई है। ऐसा एक भी वक्तव्य नहीं दिया गया, जिसे अकाट्य प्रमाणोंसे साबित न किया जा सकता हो। परन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि जिन तथ्योंको स्वीकार कर लिया गया है, उनके बारेमें कोई झगडा है ही नहीं। उन्हीं तथ्योंके आधारपर बना बाहरी मत यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। मैं एक उग्र विचारोंके पत्र स्थारसे केवल एक उद्धरण दूंगा। दुनियाके सबसे गम्भीर पत्र टाइम्सका मत तो दक्षिण आफ्रिकाके हर व्यक्तिको मालूम है।

अक्तूबर २१, १८९५ के स्थारने श्री चेम्बरलेनसे मिलनेवाले शिष्ट मण्डलके सम्बन्धमें विचार प्रकट करते हुए कहा है

ब्रिटिश भारतीय प्रजाजन जिस घृणित उत्पीड़नके शिकार बनावे जा रहे हैं उसपर प्रकाश डालनेके लिए ये विवरण काफी हैं। नया भारतीय प्रवासी कानून सशोषण विधेयक, जिसका मशा भारतीयोंको करीब करीब गुलामीकी हालतमें गिरा देना है, इसका एक और उदाहरण है। यह चीज एक भयानक अपमान, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने रक्षयिताओंके लिए शर्मका विषय और हमपर एक कलक है। प्रत्येक अप्रेजका काम है कि वह दक्षिण आफ्रिकी ध्यापारियोंके लोभको ऐसे

लोगों पर सीला अत्याय बरपा करने न दे, जिनको घोषणा और सविधि (स्ट्रिक्ट) शोनाके द्वारा समान रूपसे कानूनके सामने हमारी बराबरीका दर्जा दिया गया है।

अगर मैं आपको सिर्फ यह विश्वास दिला सऊँ कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रति 'बढीमे बढी दयालुना' नही दिखाई गई और वर्तमान हालतोंका दोष यूरोपीयोंपर भी है, ता पूरे भारतीय प्रश्नपर ठडे दिलसे विचार करनेका माग प्रसस्त हो जायेगा। और शायद यह प्रश्न ब्रिटिश सरकारके हस्तक्षेपके बिना ही ऐसे ढगसे तय हा जायेगा जो दोनों पक्षोंके लिए सन्तोषजनक हा। धर्मगुरुओंका इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर चुप क्यों रहना चाहिए? यह महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि सारे दक्षिण आफ्रिकाके भविष्यपर इसका असर होनेवाला है। वे शुद्ध राजनीतिमें तो भाग लेते ही हैं। भारतीयोंका मताधिकार छीननेकी मांग करनेके लिए जा सभाएँ होती ह उनमें भी वे जाते ही हैं। फिर यह प्रश्न ता केवल-मात्र राजनीतिक नही है। क्या वे एक सारीकी सारी जातियां सबहीन द्वेषभावके कारण नीचे गिराये जाते तथा अपमानित किये जाते क्षुपचाप देखते बैठे रहेंगे? क्या ईसाका ईसाई धर्म उन्हें इस तरहकी उपेक्षाकी अनुमति देता है?

मैं फिर दुहराता हूँ कि भारतीय राजनीतिक सत्ताकी इच्छा नही करते। वे नीचे ढकेले जानेसे और उन अनेक अय नतीजा और कानूनोसे डरते और उनका विरोध करते हैं, जा मताधिकारके छीने जानेसे निकलेंगे, और उसपर आधारित किये जायेंगे।

अन्तमें, मैं उन लोगोंका हृदयसे श्रेण मानूंगा, जो इसे पढ़ेंगे और इसकी विषय-सामग्रीपर अपने विचार व्यक्त करेगे। अनेक यूरोपीयोंने खानगी तौर-पर भारतीयोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। भारतीय-मताधिकारके सम्बन्धमें उपनिवेशमें की गई विभिन्न सभाओंमें जो सबश्रासी प्रस्ताव पास किये गये हैं और जो मापण दिये गये हैं उनकी बटु ध्वनिको भी उन्होंने जोरासे नापसन्द किया है। अगर ये सज्जन सामने आकर अपने विश्वास व्यक्त करनेका साहम दिखायें तो उन्हें चौहरा पुरस्कार मिलेगा। वे उपनिवेशके ५०,००० भारतीयोंकी — सचमुच तो सारे भारतकी — कृतज्ञता अर्जित कर लेंगे, यूरोपीयोंके दिलसे यह क्षयाल निकालकर कि, भारतीय लाग उपनिवेशके लिए अभिशाप-स्वरूप हैं, उपनिवेशकी सच्ची सेवा करेगे, वे अना-वश्यक उत्पीडनसे, जो वे जानते हैं कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें फैला हुआ

है, एक प्राचीन जातिवे एक भागकी रक्षा करके, या रक्षामें मदद करके, मानव-जातिकी सेवा करेगे, और अन्तमें, किन्तु महत्त्वमें कम नहीं, उदात्ततम अप्रेजोंके साथ मिलकर ऐसी कड़ियां गढ़नेवाले बनेंगे, जो इग्लैंड तथा भारतको प्रेम तथा शान्तिवे बंधनमें बांधेंगी। मेरा नम्र निवेदन है कि इसके लिए अप्रणियावा जो थोड़ा-बहुत उपहास किया जायेगा, वह इसके महत्त्वकी दृष्टिसे सहने योग्य है। दो समाजाको परस्पर फोड़ देना सरल है, परन्तु उन्हें प्रेमके "रेशमी धागे" से बांधकर एक करना उतना ही कठिन है। परन्तु प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त करने योग्य होती है, वह भारी मात्रामें कष्ट और परेशानी सहने योग्य भी होती है।

इस विषयमें नेटाल भारतीय कांग्रेसका नाम लिया जाता है और उसकी बहुत गलत तसवीर खींची गई है। एक पुस्तिका<sup>१</sup>में उसके ध्येय और काय-पद्धतिका पूरी तरह विवेचन किया जायेगा।

जब यह पत्र लिखा जा रहा था, श्री मेडनने बेल्लेयरमें एक भाषण दिया। और उस सभामें एक विलक्षण प्रस्ताव पास किया गया। उक्त माननीय सज्जनके प्रति अधिकसे अधिक सम्मान रखते हुए, मैं उनके इस कथनपर आपत्ति करता हूँ कि भारतीय सदा गुलामीकी हालतमें रहे है, और इसलिए स्वशासनके लिए अयोग्य है। यद्यपि उन्होंने अपने कथनके समर्थनमें इतिहासकी सहायता ली है, मेरा दावा है कि इतिहास उसे साबित करनेमें असमर्थ है। पहली बात तो यह है कि भारतीय इतिहास सिक्न्दर महानके आक्रमणकी तारीखोंसे शुरू नहीं होता। फिर भी, मैं यह कहनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ कि, उस समयका भारत आजके यूरोपकी तुलनामें बहुत अच्छा उतरेगा। मैं उन्हें हटर-कृत इडिपन एम्पायर, पृष्ठ १६९-७० पर यूनानियों द्वारा किया हुआ भारतका वपन पढ़नेकी सलाह देता हूँ। उसका कुछ अंश मेरी 'बुली चिट्ठी' में उद्धृत किया गया है। और फिर, उस तारीखके पहलेके भारतका क्या? इतिहास बताता है कि आर्योंका घर भारत नहीं था, वे मध्य एशियासे आये थे और उनकी एक छात्रा भारतमें आकर बस गई, दूसरी छात्राएँ यूरोपकी चली गईं। और उस समयका शासन शब्दके सच्चेसे सच्चे अर्थमें सम्य शासन था। सम्पूर्ण आय साहित्य उसी समय निर्मित हुआ था। सिक्न्दरके समयका भारत तो पतनाभिमुख था। जब दूसरे राष्ट्रोंका निर्माण भी शायद

ही हुआ था, उस समय भारत उन्नतिवे सिखरपर था। और वतमान युगके भारतीय उसी जातिके बराबर हैं। इसलिए यह कहना कि भारतीय तो सदा गुलामीमें रहे हैं, सही नहीं है। बेदाक, भारत अजेय नहीं रहा और भारतीयोंके मताधिकारको छीननेका यही कारण हो तो मुझे इसवे अलावा कुछ नहीं कहना कि दुर्भाग्यवश प्रत्येक राष्ट्र इस विषयमें ओछा पाया जायेगा। यह सच है कि इंग्लैंड भारतपर अपना "राजदण्ड चलाता" है। भारतीय उसके लिए लज्जित नहीं हैं। वे ब्रिटिश ताजके अधीन रहनेमें गौरव अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका खयाल है कि इंग्लैंड भारतका बचन-मोचक सिद्ध होगा। सब आदमियोंका आश्चर्य तो यह दिखाई देता है कि भारतीय जनता, बाइबिलके कृपापात्र राष्ट्रके समान, शताब्दियोंके अत्याचारा और पराधीनताके भावजूद, अब भी अदमनीय बनी है। और अनेक ब्रिटिश लेखकाका खयाल है कि भारत अपनी राजमन्दीसे इंग्लैंडकी अधीनतामें है।

प्रोफेसर सीली कहते हैं

भारतके राष्ट्रको एक ऐसी सेनासे जीता गया है, जिसका औसतन पांचवाँ भाग ही अंग्रेजोंका था। कम्पनीके शुरू-शुरूके युद्धोंमें, जिनसे उसकी सत्ता निर्णायक रूपमें स्थापित हुई — अरकाटके घेरेमें, प्लासीमें, बक्सरमें — कम्पनीकी ओरसे लड़नेवाले यूरोपीयोंकी अपेक्षा 'सिपाही' ही ज्यादा थे। और इसके आगे भी हम देख लें कि भारतीयोंके अच्छा युद्ध न करने या यूरोपीयोंके सारा युद्ध भार अपने ऊपर ले लेनेकी बातें भी हमें सुनाई नहीं पड़तीं। परन्तु, अगर एक बार यह मान लिया जाये कि 'सिपाहियों'की सख्या अंग्रेजोंकी सख्यासे हमेशा ज्यादा रही और सैनिक दक्षतामें भी वे अंग्रेजोंके बराबर रहे, तो फिर यह साराका सारा सिद्धांत ढह जाता है कि हमारी सफलताका कारण हमारी स्वाभाविक वीरता है, जो तुलनामें बहुत अधिक है। — *डिग्वी इंडिया फार द इंडियन्स एंड फार इंग्लैंड*।

रिपोर्टके अनुसार, उस माननीय सज्जनने यह भी कहा है

हम (उपनिवेशवासियों)को नेटालमें कुछ निश्चित परिस्थितियोंमें उत्तर-दायी शासनका अधिकार दिया गया था। आपने हमारे विधेयकोंको अनुमति देनेसे इनकार कर दिया। इससे वे परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गईं



है। आपने एक ऐसी उत्तरदाय स्थिति पैदा कर दी है कि जो अधिका-  
र हमें सौंपा गया था वह आपको वापस कर देना हमारा स्पष्ट कर्तव्य  
हो गया है।

मत्पने यह सब बिना प्रतिकूल है। इनके पीछे यह मान्यता है कि ब्रिटिश  
सरकार अब उपनिवेशों भारतीयों को जबरन मताधिकार दिला देने का प्रयत्न  
कर रही है। परन्तु मत्पने यह है कि उत्तरदायी सरकार स्वयं उन परि-  
स्थितियों में भारी परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रही है, जो सत्ता हस्तान्तरित  
होने के समय थी। फिर अगर आर्जिंग स्ट्रीट स्थित सरकार यह कहे तो क्या  
न्याय में होगा कि “हमने आपको कुछ निश्चित परिस्थितियों में उत्तरदायी  
शासन सौंपा था। ये परिस्थितियाँ अब बिलकुल बदल गई हैं। यह आपके  
गत कथने विधेयक से हुआ है। आपने सारे ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश न्याय  
भावना के लिए इतनी खतरनाक हालत पैदा कर दी है कि हमारा साफ कर्तव्य  
हो गया है कि, हम आपको उन मूल तत्वों के साथ सिलवाड न करने दें, जिन  
पर ब्रिटिश संविधान की नींव रखी गई है” ?

जब उत्तरदायी शासन मजूर किया गया उस समय, मेरा निवेदन है,  
श्री मेहनकी आपत्ति सही हो सकती थी। यह प्रश्न दूसरा है कि अगर यूरो-  
पीय उपनिवेशियों ने भारतीयों को मताधिकार छीनने की जिद की होती तो उत्तर-  
दायी शासन कभी दिया भी जाता या नहीं।

मो० क० गांधी

एक अंग्रेजी पुस्तिका से, जो टी० एल० कॉलिगवय, मुद्रक, ४०, फील्ड  
स्ट्रीट, डबलिन १८९५ में छपी थी।

## ६८ नेटालमें अन्नाहार

नेटालमें, या यो कहिए कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें, इस कायके लिए बड़े कठिन प्रयत्नकी जरूरत है। फिर भी, ऐसे स्थान बहुत नहीं हैं, जहाँ अन्नाहारका अवलम्बन नेटालकी अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यकारी, मितव्ययी या ध्यावहारिक हो। बेशक, हालमें यह यहाँ मितव्ययी नहीं है। और, निश्चय ही अन्नाहारी बने रहनेके लिए भारी आत्मनिग्रहकी आवश्यकता होती है। फिर, नया अन्नाहारी बनना तो लगभग असम्भव ही मालूम होता है। मैंने इस प्रश्नपर बीसियों लोगोंसे चर्चा की है और सबने मुझसे यही प्रश्न किया है कि "लदनमें तो सब ठीक है, वहाँ बीसियों अन्नाहारी जलपान-गृह मौजूद हैं। परन्तु दक्षिण आफ्रिकामें बहुत कम पोष्टिक अन्नाहार प्राप्त होता है। यहाँ आप कैसे अन्नाहारी बन सकते या रह सकते हैं?" दक्षिण आफ्रिकाकी आवहवा समशीतोष्ण है और यहाँ फल-शाकादिके साधन अक्षय हैं। इसलिए खयाल यह हो सकता है कि यहाँ ऐसा उत्तर पाना असम्भव है। फिर भी यह उत्तर पूणत उचित है। यहाँ अच्छेमे अच्छे होटलोंमें भी दुपहरके भोजनके समय मामूली तौरपर सिर्फ आलूका शाक मिलता है, सो भी बुरी तरहसे पका हुआ। ब्यालूके समय शायद दो दाव मिल जाते हैं और उनमें मुश्किलसे कभी बदला-बदली होती है। दक्षिण आफ्रिकाके इस उद्यान-उपनिवेशमें तो मौसममें फल बौडी-भोल मिल सकते हैं। इसलिए होटलोंमें बहुत कम फल मिलना बलकवी बातसे जरा भी कम नहीं है। दालें तो अपने अभावके कारण ही जानी जाती ह। एक सज्जनने मुझे लिखकर पूछा था कि क्या डबनमें दालें मिल सकती हैं? चाल्सटाउन और आसपासके कस्बोंमें उन्हें नहीं मिल सकी। कबची मेवे तो सिर्फ क्रिसमसके दिनोमें मिल सकते हैं।

यह है वर्तमान परिस्थिति। इसलिए, अगर मैं लगभग ९ महीनोंके विज्ञापन और गुपचुप समझाने-बुझानेके बावजूद बहुत कम प्रत्यक्ष प्रगतिका विवरण दूँ तो अन्नाहारी मित्रोंको आश्चय नहीं होना चाहिए। अन्नाहारके प्रचारमें सिर्फ ऊपर बताई हुई कठिनाइयाँ ही नहीं हैं। यहाके लोग स्वर्णके अलावा दूसरी बातोंके बारेमें बहुत कम सोचते हैं। यह स्वर्ण-ज्वर इस प्रदेशमें इतना सक्तामक है कि इसने आध्यात्मिक गुणओ-सहित छोटे और बड़े सभी

लोगोंको प्रस लिया है। जीवनके उच्चतर कार्योंके लिए उनके पास समय नहीं है। जीवनके परेकी सोचनेके लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता।

वेजिटेरियनकी प्रतियाँ हर सप्ताह नियमपूर्वक अधिकतर पुस्तकालयाको भेज दी जाती हैं। कभी-कभी समाचारपत्रोंमें विज्ञापन भी दिये जाते हैं। अन्नाहारके तत्त्वोका परिचय देनेके प्रत्येक अवसरका उपयोग किया जाता है। अबतक इससे कुछ सहानुभूतिपूर्ण पत्र-व्यवहार और प्रश्नोंको ही प्रेरणा मिली है। कुछ पुस्तकें भी विकी हैं। उनके अलावा बहुत-सी मुफ्त बाटी गई हैं। पत्र-व्यवहार और बातचीतमें विनोदकी कमी नहीं रही है। एक महिलाने 'एसॉर्टरिव फिशियानिटी' [ईसाइयोंके उपनयन-मय]के विषयमें मेरे साथ पत्र-व्यवहार किया था। जब उसे मालूम हुआ कि इस पथका अन्नाहारके तत्त्वोंसे कुछ सम्बन्ध है तो वह नाराज हो गई। उसकी चिढ़ इस हदतक पहुँची कि उसे जो पुस्तकें पढनेको दी गई थी उन्हें उसने बिना पढे ही वापस कर दिया। एक सज्जन मानते हैं कि आदमीका किसी प्राणीको मारना या बल करना लज्जाकी बात है। वे "अपनी जान बचानेके लिए भी बसा करनेको तैयार नहीं" हैं। परन्तु अपने लिए पकाया गया मास खानेमें उन्हें कोई रहम नहीं आता।

दक्षिण आफ्रिकामें और खासकर नेटालमें अन्नाहारकी दृष्टिसे इतनी सम्भावनाएँ हैं कि उनका वणन नहीं किया जा सकता। कमी सिर्फ अन्नाहार प्रचारकोकी है। यहाकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि उसमें लगभग सभा कुछ पैदा हो सकता है। बड़े-बड़े भूखण्ड पड़े हुए सिर्फ कुछल हाथोंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि वे उन्हें सोनेकी सच्ची खानोंमें बदल दें। अगर थोड़े-से लोगोंको जोहानिसबगके सोनेकी ओरसे ध्यान हटाकर कृषिके अधिक शान्तिपूर्ण तरीकेसे धन कमानेकी ओर ध्यान देनेके लिए और अपने रा-द्वेषसे ऊपर उठनेके लिए राजी किया जा सके, तो नेटालमें निस्सन्देह हर प्रकारके शाक और फल उपजाये जा सकते हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी आबहवा ऐसी है कि यूरोपीय अकेले कभी भी उतनी अच्छी तरह जमीन नहीं कमा सकेंगे, जितनी अच्छी तरहसे उसे कमाना सम्भव है। भारतीय उनकी मददके लिए मौजूद हैं, परन्तु रग-द्वेषके कारण यूरोपीय उनसे लाभ उठाना नहीं चाहते। और यह रग भेद दक्षिण आफ्रिकामें बहुत प्रबल है। नेटालकी समृद्धि भारतीय मज दूगेपर निर्भर करती है, यह बात मानी हुई है। परन्तु यहाँ भी रग-द्वेष बहुत प्रबल है। मेरे पास एक बाग-मालिकका पत्र आया है। वह बहुत

चाहता है कि भारतीय मजदूरोंको लगा ले, परन्तु इस भेदभावके कारण लाचार है। इसलिए अन्नाहारियोंको तो देशसेवाके कामका अवसर है। दक्षिण आफ्रिकामें दिन प्रतिदिन गोरे ब्रिटिश प्रजाजनो और भारतीयोंका सम्पर्क बढ़ता जा रहा है। उच्चतम अंग्रेज और भारतीय राजनीतिज्ञोंका मत है कि ब्रिटेन और भारतको प्रेमकी जजीरसे ऐसा बाँधा जा सकता है कि फिर वे कभी अलग न हों। अध्यात्मवादियोंको ऐसी एकतासे अच्छे परिणामोंकी आशा है। परन्तु दक्षिण आफ्रिकी गोरे ब्रिटिश प्रजाजन ऐसी एकतामें बाधा डालने और सम्भव हो तो उसे रोकनेका शक्तिभर प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी हालतमें, अगर कुछ अन्नाहारी आगे बढ़ें तो वे ऐसे सक्ड़को गिरफ्तमें ले सकते हैं।

मैं एक सुझाव देकर नेटालके कामका यह क्षीघ्रतासे लिखा सिंहावलोकन समाप्त कर दूँगा। अगर कुछ साधन-सम्पन्न और अन्नाहारी साहित्यसे सुपरिचित लोग ससारके भिन्न भिन्न भागोंकी यात्रा करें, विभिन्न देशोंके साधनोंकी जाँच-पड़ताल करें, अन्नाहारके दृष्टिकोणसे उनकी सम्भावनाओंका लेखा-जोखा लें और जिन देशोंको अन्नाहार प्रचारके लिए तथा आर्थिक दृष्टिसे बसनेके लिए उपयुक्त समझें, उनमें निवास करनेके लिए अन्नाहारियोंको आमन्त्रित करें, तो अन्नाहारके प्रचारका बहुत ज्यादा बाय किया जा सकता है। गरीब अन्नाहारियोंके लिए उन्नतिके नये स्थान पाये जा सकते हैं और ससारके विभिन्न भागोंमें अन्नाहारियोंके सच्चे चेद्र स्थापित किये जा सकते हैं।

परन्तु, यह सब करनेके लिए अन्नाहारके तत्त्वको घम मानना होगा, केवल आरोग्यकी सुविधा नहीं। उसके मचको बहुत ऊँचा उठाना होगा।

[ अंग्रेजीसे ]

वेजिटेरियन, २१-१२-१८९५

## ६९ अन्नाहारका सिद्धान्त

द्वयन

फरवरी ३, १८९६

सेवामें

सम्पादक

नेटाल मर्केरी

महोदय,

मैं आहार-सुधारमें दिलचस्पी रखता हूँ। इस हैसियतसे मैं आपको आपके शनिवारके "चिकित्साका नया विज्ञान" शीपक अग्रलेखपर बधाई देना चाहता हूँ। उसमें आपने प्राकृतिक आहार, अर्थात् अन्नाहारपर खूब ही जोर दिया है। इस "विलासप्रिय" युगमें कोई भी आदमी खडा होकर किसी भी सिद्धान्तका बौद्धिक तरीकेसे समयन करने लगता है, परन्तु उसके अनुसार काम करनेका तो उसका कोई इरादा नहीं होता। अगर इस युगकी यह दुर्भाग्य पूरा खासियत न होती तो हर आदमी अन्नाहारी बन जाता। क्योंकि, जब सर हेनरी टामसन कहते हैं कि मासाहारको जीवन-पोषणके लिए आवश्यक समझना एक गंवारू भूल है, और जब चोटीके शरीरशास्त्रवेत्ता घोषित करते हैं कि मनुष्यका प्राकृतिक आहार फल है, और जब हमारे सामने बुद्ध, पाइयागोरस, प्लेटो, रे, डैनियल, बेज्जे, होवाड, शेली, सर आइजक पिटमैन, एडीसन, सर डब्ल्यू० बी० रिचाडसन, आदि अनेकानेक महान व्यक्तियोंके अन्नाहारी होनेके उदाहरण मौजूद हैं, तब स्थिति उलटी क्यों होनी चाहिए? ईसाई अन्नाहारियोंका दावा है कि ईसा भी अन्नाहारी थे और इस विचारका खण्डन करनेवाली कोई बात दिखलाई नहीं पडती। सिर्फ इतना उल्लेख मिलता है कि पुनरुत्थानके बाद उन्होंने भुनी हुई मछली खाई थी। दक्षिण आफ्रिकाके सबसे सफल मिशनरी (ट्रैपिस्ट्स) अन्नाहारी हैं। प्रत्येक दृष्टिसे देखनेपर अन्नाहारको मासाहारकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ साबित किया जा चुका है। अध्यात्मवादियोंका मत है, और शायद आम प्रोटेस्टेंट धर्म शिक्षकोंको छोड़कर शेष सारे धर्मोंके आचार्योंके व्यवहारसे मालूम होता है कि, मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्तको जितनी हानि अविवेकमय मासाहारसे पहुँचती है उतनी किसी दूसरी चीजसे नहीं पहुँचती। अत्यन्त निष्ठावान

अन्नाहारियोका कहना है कि आधुनिक युगकी ईश्वर-विषयक सशयशीलता, भौतिकवाद, और धार्मिक उदासीनताका कारण बहुत ज्यादा मासाहार तथा मद्यपान है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्ति अशत या पूणत नष्ट हो गई है। मनुष्यकी बौद्धिक शक्तिके प्रशसक अन्नाहारी लोग ससारके तमाम बडेसे बडे बुद्धिशालियोके उदाहरण देकर बताते हैं कि बौद्धिक जीवनके लिए यदि अन्नाहार मासाहारकी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं तो पर्याप्त अवश्य है। उनका कहना है कि दुनियाके सभी बडेसे बडे प्रतिभाशाली लोग खास तौरसे अपनी श्रेष्ठ पुस्तकें लिखते समय तो मास-मदिराका सयम करते ही रहे हैं। अन्नाहारियोकी पत्र-पत्रिकाओसे मालूम होता है कि जहाँ तमाम दवाइयाँ तथा गोमास और उसके काडे बिलकुल व्यथ हो गये, वहाँ अन्नाहार शानके साथ सफल हुआ है। हृष्ट-मुष्ट अन्नाहारी यह बताकर अपने आहारकी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं कि दुनियाके किसान करीब-करीब अन्नाहारी हैं, और सबसे मजबूत और उपयोगी जानवर — घोडा शाकाहारी है, जब कि सबसे हिंस्र और बिलकुल निरूपयोगी जानवर — सिंह मासाहारी है। अन्नाहारी नीतिवादी इस बातपर अफसोस करते हैं कि स्वार्थी मनुष्य अपनी अति प्रबल और विकारी भूल मिटानेके लिए मनुष्य जातिके एक समुदाय पर कसाईका पेशा लादते हैं, जब कि वे स्वयं ऐसा पेशा करनेसे सिहर उठेंगे। इसके अलावा, अन्नाहारी नीतिवादी हमसे यह याद रखनेकी प्रेमके साथ विनय करते हैं कि मासाहार और शराबके बिना ही मनोविकारोको रोकना और शैतानके पजेसे बचे रहना हमारे लिए काफी कठिन है इसलिए हम मास और मदिराका आश्रय लेकर अपनी इस कठिनाईको बढा न लें। साधारणतः मास और मदिरा तो साथ-साथ ही चलते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि अन्नाहार, जिसमें रसीले फलोका सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, शराबखोरीका सबसे सफल इलाज है, मासाहारसे तो शराबकी आदत पडती या बढती है। उनका तर्क यह भी है कि मासाहार न केवल अनावश्यक है, बल्कि शरीरके लिए हानिकर भी है। इसलिए उसकी लत अनैतिक और पापमय भी है। उसके कारण निर्दोष पशुओपर अनावश्यक क्रूरता बरतना और उन्हें पीडा पहुँचाना आवश्यक होता है। अन्तमें अन्नाहारी अथशास्त्री प्रतिवादकी आशकाके बिना दावा करते हैं कि अन्नाहार सबसे सस्ता आहार है और उसे आम तौरपर अस्तित्वार कर लिया जाये तो आज भौतिकवादकी द्रुत प्रगति और थोडे-से लोगोंके पास भारी सम्पत्तिके सग्रहके साथ-

साथ सामान्य लोगोमें दरिद्रताकी जा द्रुत गतिसे वृद्धि हो रही है, उसका अन्त करनेमें नहीं तो उसे घटा देनेमें निश्चय ही बहुत मदद मिलेगी। जहाँ तक मुझे याद है, डाक्टर लुई ब्रूनेने अन्नाहारकी आवश्यकतापर केवल शरीर-विज्ञानकी दृष्टिसे जोर दिया है। उन्होंने उन नौसिखियाको कोई ताकीद नहीं की, जिन्हें तरह-तरहके अन्नाहारमें से अपने उपयुक्त वस्तुएँ चुन लेना और उन्हें ठीक ढंगसे पकाना हमेशा बहुत कठिन मालूम होता है। मेरे पास अन्नाहार पाक-विज्ञान-सम्बन्धी चुनी हुई पुस्तकें हैं, जिनकी कीमत एक पैसेसे लेकर एक शिलिंग तक है। कुछ पुस्तकें इस विषयके विभिन्न पहलुओंकी विवेचना करेवाली भी हैं।

सबसे सस्ती पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती हैं। परन्तु अगर आपने कोई पाठक चिकित्साकी इस नई प्रणालीका दूरसे कौतुक करना नहीं, बल्कि उसका अमल करना चाहते हो तो, जहाँतक उसका सम्बन्ध अन्नाहारसे है, जा पुस्तकें मेरे पास हैं वे मैं खुशीसे उन्हें दे सकूँगा। जो लोग बाइबिलमें विश्वास रखते हैं उनके विचारके लिए मैं निम्नलिखित उद्धरण पेश करता हूँ। “पतन”के पहले हम अन्नाहारी थे

परमात्माने कहा — सुनो, जिनने बीजवाले छोटे-छोटे पेड़ सारी पृथ्वीके अन्दर ह, और जितने वृक्षोंमें बीजवाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिये हैं। वे तुम्हारे भोजनके लिए हैं। और जितने पृथ्वीके पशु और आकाशके पक्षी और पृथ्वी पर रेंगनेवाले जन्तु ह, उन सबके खानेके लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिये ह। और घसा ही हो गया।

जिसको बाकायदा ईसाई धर्मकी दीक्षा नहीं दी गई उसके मास खानेका कोई बहाना हो सकता है, मगर जो कहते हैं, हम “द्विज” हैं उनके लिए, अन्नाहारी ईसाइयोंके कथनानुसार, कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उनकी हालत “पतन”के पहलेके लोगोकी हालतसे बेहतर नहीं तो उसके बराबर अवश्य होनी चाहिए। और फिर, पुनरुद्धार (रेस्टिट्यूशन)के समय

भेड़िया भी भेड़के साथ रहेगा, और चोता बकरीके साथ छेड़ेगा, और बछड़ा और सिंहका बच्चा और बल्लके लिए भोटा किया जाने वाला पशु — सब एक साथ घूमेंगे, और छोटा सा बच्चा उनको ले जायेगा। और सिंह बल्लके समान घास खायेगा। मेरे सारे पाक पहाड़ोंपर कोई

किसीको चोट नहीं पहुँचायेगा, क्योंकि जैसे समुद्र पानीसे भरा रहता है, वैसे ही धरती परमात्माके ज्ञानसे परिपूर्ण होगी।

यह समय अभी सारी दुनियाके लिए बहुत दूर हो सकता है। परन्तु ईसाई लोग — जो जानते हैं और कर सकते हैं — इसे चरिताय क्यों न करें? इसके आनेकी अपेक्षा पहलेसे ही इसके अनुसार काम करनेमें कोई हानि नहीं होगी। और हो सकता है, ऐसा करनेसे वह समय बहुत जल्द आ जाये।

आपका, आदि,  
मो० क० गाधी

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल मर्करी, ४-२-१८९६

## ७० प्रार्थनापत्र नेटालके गवर्नरको

द्वर्न

फरवरी २६, १८९६

सेवानें

परमश्रेष्ठ माननीय सर वाल्टर फ्रांसिस हली हचिन्सन, नाइट कमांडर, गवर्नर तथा प्रधान सेनापति, तथा उप-नौसेनापति, नेटाल, देशी आवादीके परमोच्च अधिकारी, गवर्नर, जूलूलैंड, आदि-आदि, पोटरमैरित्सबग, नेटाल

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटालवासी भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

फरवरी २५, १८९६ को नेटाल गवर्नमेंट गजटमें नोंदवेनी, जूलूलैंडके जमीन-बिक्री-सम्बन्धी नियमोंके जो अश प्रकाशित हुए हैं, उनके सम्बन्धमें नेटालवासी भारतीयोंके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे प्रार्थी महानुभावके सामने उपस्थित हो रहे हैं। उक्त अश ये हैं

धारा ४ का अण — यूरोपीय जन्म या वंशके जो व्यक्ति ऐसे किसी नीलाममें बोली बोलनेके दृच्छुक हो वे नीलामकी तारीखसे कमसे कम



बीस दिन पहले मरिस्सवगमें जूलूड-सम्बन्धी कामकाजके सेक्रेटरीको, या सरकारके सेक्रेटरी, एशोवे, जूलूडको, लिखित सूचना दे दें। वे जो जमीनें खरीदना चाहते हैं, उनका, जहाँतक हो सके, नम्बरोंके जरिये या दूसरे तरीकोंसे विवरण भी दें।

धारा १८ का अर्थ — सिर्फ यूरोपीय जन्म या वंशके व्यक्तियोंको ही मकानोंकी जमीनके कब्जेदार भजूर किया जायेगा। यह शत पूरी न की जानेपर ऐसी कोई भी जमीन फिरसे सरकारके कब्जेमें लौट जायेगी, जसा कि इसके पहलेकी धारामें बताया गया है।

नियम २० — नोंदवेनी बस्तीमें इस नीलामके जरिये खरीदी हुई जमीनके मालिकोंको ये जमीनें या इनके हिस्से गर-यूरोपीय जन्म या वंशके लोगोंको बेचने या किरायेपर देनेका हक भी न होगा। गर-यूरोपीय लोगोंको इन पर या इनके हिस्सोंपर बिना किराया काबिज होनेकी इजाजत भी न दे सकेंगे। अगर कोई खरीदार इन शर्तोंको तोड़ेगा तो ऐसी कोई भी जमीन इन नियमोंकी धारा १७ के अनुसार सरकारके अधिकारमें वापस चली जायेगी। ये जमीनें इन्हीं स्पष्ट शर्तोंके साथ बेची जायेंगी। इन नियमोंकी धारा १०, ११ और १२ के अनुसार जो अधिकार-पत्र मागा था दिया जायेगा उसमें ये शर्तें साफ तौरसे दर्ज कर दी जायेंगी।

प्रार्थी इन नियमोंका अर्थ यह समझते हैं कि सम्राज्यकी भारतीय प्रजाको नोंदवेनी बस्तीमें जमीन खरीदने या प्राप्त करनेसे वंचित किया जा रहा है।

यूरोपीय और भारतीय ब्रिटिश प्रजाके बीच इस प्रकार जो द्वेषजनक भेदभाव किया जा रहा है उसका आपके प्रार्थी आदरके साथ किन्तु जोरदार शब्दोंमें विरोध करते हैं।

इस प्रकार वंचित किये जानेका कोई कारण भी हम देख नहीं सकते। यह बात अलग है कि दक्षिण आफ्रिकामें रंग-द्वेषके कारण जिन अनेक मुद्दोंको मान लिया गया है, उनमें ही यह भी एक हो।

प्रार्थी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि सम्राज्यकी प्रजाके किसी एक भाग पर दूसरे भागको इस तरहकी तरजीह देना न सिर्फ ब्रिटिश नीति और न्यायके प्रतिकूल है, बल्कि भारतीय समाजके मामलेमें तो १८५८ की घोषणाका उल्लंघन भी है। वह घोषणा भारतीयोंको यूरोपीयोंकी बराबरीके व्यवहारका अधिकार देती है।

प्रार्थी यह भी निवेदन करते हैं कि ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयोंकी ओरसे सम्राज्ञी-सरकारके प्रयत्नको देखते हुए जमीनकी मिलकियत-सम्बन्धी अधिकारोंके बारेमें विचाराधीन नियमोंमें किया गया भेद कुछ विचित्र और असंगत है।

प्रार्थी यह उल्लेख करनेकी भी इजाजत चाहते हैं कि जूलूलडके दूसरे भागोंमें बहूतसे भारतीयोंके पास जमीन है।

इसलिए प्रार्थी सविनय प्रार्थना करते हैं कि नियमोंकी धारा २३ के अन्तर्गत सुरक्षित अधिकारोंके बलपर महानुभाव इन नियमोंमें ऐसे परिवर्तनो या संशोधनाका आदेश दें, जिनसे उपर्युक्त भेदभाव दूर हो जाये।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कृतव्य समझकर, सदैव दुआ करेंगे, आदि।

(ह०) अब्दुल करीम हाजी

और आय ३९ व्यक्ति

एक हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ७१ भारतीय और परवान

दर्शन

माच २, १८९६

सेवामें

सपादक

नेटाल मर्करी

महोदय,

आपके २९ फरवरीके अंकमें राबट्स और रिचर्ड्स नामक दो व्यक्तियों पर "आवारा वानून"के अनुसार चलाये गये मुकदमेकी अधूरी रिपोर्ट और उसके सम्बन्धमें पुलिस सुपरिंटेंडेंटका मन्तव्य प्रकाशित हुआ है। सुपरिंटेंडेंटने इन दोनों व्यक्तियोंको "उचक्के" तथा अन्य अपशब्दोंसे याद करना पसन्द किया है। इन दोनों व्यक्तियों और भारतीय समाजके प्रति भी न्यायकी दृष्टिसे मैं आपके पत्रका कुछ स्थान लेना चाहता हूँ। रिपोर्ट और मन्तव्यसे ऐसा

मालूम होता है मानो श्री वालरवा निष्णय<sup>१</sup> अयायपूर्ण हो। इस विचारको यह रंग देनेके लिए सुपरिटेण्डेंटेने गवाहीका वह अश सामने रखा है, जिसका मैं न केवल दोनो व्यक्तियोंके प्रति, बल्कि ऐसी स्थितिमें पढे हुए अन्य लोगोंके प्रति जनताकी सहानुभूति जगानेके लिए उपयोग करना चाहता था, और अब भी करना चाहता हूँ।

मेरे नम्र विचारसे इन दोनो व्यक्तियोंका मामला बहुत कठिन था और पुलिसने उन्हें गिरफ्तार करके और बादमें उन्हें सताकर गलती की। मैं अदालतमें कहा था, और मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर पुलिस भारतीयोंके प्रति षोडी-सी उदारता बरते और उन्हें गिरफ्तार करनेमें विवेकसे काम ले तो "आवारा कानून" अत्याचारपूर्ण नहीं रहेगा। उपर्युक्त दोनो व्यक्ति गिरमिटिया मजदूरोंके पुत्र हैं यह हकीकत उनके खिलाफ नहीं पडनी चाहिए। खास तौरसे अंग्रेज समाजमें तो, जहां जन्मके आधारपर नहीं, बल्कि गुणोंके आधारपर लोगोंके बारेमें विचार किया जाता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उस समाजमें अगर ऐसा न होता तो एक कसाईके लडकेको बड़ेसे बड़े कविका मान न दिया जाता। इसके अलावा, सुपरिटेण्डेंटेने इस बातको बहुत महत्त्व दिया है कि दूसरे अभियुक्तने लगभग दो वर्ष पूर्व अपना नाम बदल लिया था। गिरफ्तार करनेवाले पुलिस सिपाहीने जान बूझकर उसका जो अपमान<sup>२</sup> किया था उसको इसीके बहाने क्षमा कर देनेका सुपरिटेण्डेंटेने प्रयत्न किया है। याद रखना चाहिए कि उक्त सिपाहीको कोई जानकारी नहीं थी कि नाम कब बदला गया था और सुपरिटेण्डेंटेका जो यह खयाल है कि उसने आवारा कानूनकी पकडसे भाग निकलनेके लिए अपनी राष्ट्रीयताको छिपानेका प्रयत्न किया, सो अगर ऐसा होता तो क्या

१ पुलिस मजिस्ट्रेट श्री वालेसने यह कारण बनाकर मामलेको खारिज कर दिया था कि अगर कोई गैर-गोरा व्यक्ति ९ बजे रातके बाद बिना परवानेके घरके बाहर पाया जाये और वह कहे कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो उसका यह उत्तर उसके बरी हो जानेके लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि कानून यह है कि अगर कोई गैर-गोरा व्यक्ति ९ बजे रात और ५ बजे सुबहके बीच घूमता फिरता पाया जाये और उसके पास न तो उसके मालिकका परवाना हो, न वह अपने घूमने-फिरनेके बारेमें सन्तोषजनक उत्तर ही दे सके, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाये।

२ जब अभियुक्तने अपना नाम सैमुएल रिचर्ड्स बनाया तब पुलिसका सिपाही उसपर हँसा था।

उसका रूप ही उसको असली राष्ट्रीयता प्रकट कर देनेके लिए काफी नहीं था? उसे अपने नाम और जन्मके बारेमें भी कोई धाम नहीं थी, क्योंकि उससे नाम और जन्मके बारेमें जो प्रश्न पूछे गये उनका उत्तरन उत्तर दिया था। उसके उत्तरोंमें सुशमिजाज सुपरिटेण्डेंट ऐसा सुझाव दिया कि उससे मुहसे बरबस उद्गार निकल पड़ा — “ठीक है, मेरे बेटे, अगर सब लोग तुम्हारे जैसे हाने तो पुलिसवा बोंई यठिनाई न होती।”

अगर अपना धर्म बदलना गलती नहीं है, तो अपना नाम बदलनेमें भी कोई साफ गलती नहीं हो सकती। छोटी-छोटी बातोंकी बडी बातोंके साथ तुलना की जाये तो श्री क्विलियम अब हाजी अब्दुल्ला बन गये हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। मनिषायें भूतपूर्व महावाणिज्य-दूत (कॉन्सल जनरल) श्री वेबने भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर, मुस्लिम नाम ग्रहण कर लिया है। सिपाहियोंने विचारने ता भारतीयोंका ईसाई नाम ही नहीं, ईसाई पोशाक भी धारण करना अपराध है। और अब, सुपरिटेण्डेंट के मतानुसार, धर्म-परिवर्तन भारतीयोंको मदहका पात्र बना देगा। परन्तु मान लें कि धर्म-परिवर्तन अच्छे विद्वानोंके कारण किया गया है, धानूनको बदलिया देनेकी चालके तौरपर नहीं, तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए? प्रस्तुत मामलेमें मैं मानता हूँ कि ये दोना व्यक्ति ईमानदार ईसाई हैं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि डाक्टर वृषा दोनाका आदर करते हैं। वेसाक, सुपरिटेण्डेंट कहेंगे — “मगर यह कैसे जाना जाये कि कोई आदमी सच्चा ईसाई है, या ईसाईके बेशमें शीतान है?” इस सवालका जबाब देना कठिन है। मैंने अदालतसे निवेदन किया था कि हर मामलेका निणय उससे अपने ही गुण-दोषके आधारपर किया जाये और याम करनेमें जिन बातोंको पहलेसे मानकर चला जाता है, उनका लाभ जिस तरह दूसरे वर्गोंको दिया जाता है उसी तरह भारतीयोंको भी दिया जाये।

मैंने निवेदन किया कि अगर दो आदमी मद्र पोशाक पहने हुए साडे नौ बजे रातको शान्तिके साथ मुख्य मागस जा रहे हैं, टोके जानेपर ख जाते हैं और दावा करते हैं कि वे वागसे लौटकर घर जा रहे हैं, और उनका घर राके जानेके म्यानसे केवल सात मिनटके रास्तेपर है, उनमें से एक मुहर्निर और दूसरा शिदाक है (जैसा कि इन दोनों अभागों लोकाके बारेमें था),

तो उन्हें साधारण न्याय-युद्धिका लाभ मिलना चाहिए। मने यह भी निवेदन किया कि इस प्रवारके मामलामें अगर पुलिसको शक ही हो तो वह पकड़े गये लौगावो हिफाजतके साथ उनके घर पहुँचा सकती है। परन्तु यदि यह भा न हो सके तो उन्हें भद्र व्यक्तियोंके तौरपर हिरासतमें रखा जाये और पहलेसे ही चोर या डाकू न मान लिया जाये। उनकी पोशाक, धम और नामक सम्बन्धमें आक्षेप करना तबतक सुभीतेके साथ स्थगित रखा जा सकता है, जब तक कि वे छली साबित न हो जायें।

लगभग एक घण्टा पूर्व मैं स्टैंडटनसे डबन जा रहा था। मेरे दो साथी यात्रिया पर चोर होनेका सन्देह किया गया। फाक्सस्टमें उनके सामानकी और उसके साथ मेरे सामानकी भी—क्योंकि मैं भी उसी डिब्बेमें था—तलाशी ली गई और एक खुफियाको डिब्बेमें बैठा दिया गया। जो मजिस्ट्रेट तलाशी लेने आया था उसे वे बिल्हस्कीका प्याला दे सकते थे और खुफियाके साथ भद्र लोगोंके तौरपर बराबरीके दावेसे बातचीत कर सकते थे। यह शायद इसलिए सम्भव था कि वे इज्जतदारोकी पाशाक पहने थे और पहले दर्जेमें यात्रा कर रहे थे। खुफियाने पहलेसे ही उनके बारेमें फसला नहीं कर लिया। परन्तु मुझे यह बता देना चाहिए कि वे यूरोपीय थे। सारे रास्ते खुफिया खिन्न रहा कि उसे इस अप्रिय कतव्यका पालन करना पड़ रहा था। क्या मैं अनुरोध करूँ कि इन अभागे युवकोंके जैसे मामलोमें भी इसी प्रकारका व्यवहार किया जाये? उनको कालकोठरीके बदले किसी दूसरी जगहमें रखा जा सकता था। अगर कालकोठरीमें रखना अनिवाय ही था तो उन्हें सोनके लिए साफ कम्बल दिये जा सकते थे। सिपाही उनके साथ शिष्टतासे बातचीत कर सकता था। अगर ऐसा किया गया होता तो मामला मजिस्ट्रेटके पास जाता ही नहीं।

मैं सुपरिटेण्डेंटके इस बयानपर आपत्ति करता हूँ कि “इन नौजवान उच्चकोने जमानतपर छूटनेके बजाय रातभर हवालातमें बंद रहना पसन्द किया।” सच बात इसकी उल्टी है। वे जमानत दे रहे थे, मगर रातको उसे लेनेसे इनकार कर दिया गया। मजिस्ट्रेटने इस व्यवहारको पसन्द नहीं किया। सुबह उन्होंने फिरसे जमानतपर छोड़े जानेका अनुरोध किया। दूसरे अभियुक्तका अनुरोध मान लिया गया, परन्तु पहलेको जमानतपर छोड़नेसे पुलिसने इनकार कर दिया। उसके नामके आगे लिख रखा गया—“रिहा न किया जाये”। ऐसा लिखा हुआ रजिस्टर अदालतमें पेश किया गया था।

बादमें इन्स्पेक्टर बेनीचे कहनेसे उसे रिहा किया गया। इन्स्पेक्टर बेनीने, जैसे ही गलतीका पता चला, उसका उपाय कर दिया।

सुपरिटेण्डेंटके प्रति आदरके साथ मेरा निवेदन है कि पहले अभियुक्तने कानूनका भंग नहीं किया। मजिस्ट्रेटने कोई आदेश तो नहीं दिया, परन्तु अपने पितृवत् और दयालु तरीकेसे सुझाव दिया कि मैं उसे मेयरसे परवाना<sup>१</sup> ले लेनेकी सलाह दूँ। मैंने निवेदन किया कि वैसा करना जरूरी तो नहीं है, किन्तु उनकी सलाहका सम्मान करनेके लिए मैं वैसा करूँगा। अब प्रतिवादीको टाउन-क्लाकके पाससे जवाब मिला है कि उसे पास नहीं दिया जायेगा, क्योंकि किसी क्लब और रविवासरी स्कूलके अध्यापकपर कभी किसी अधम अपराधका आरोप नहीं किया गया। अगर वह ९ बजे रातके बाद बाहर निकलनेके लायक नहीं है तो वह रविवासरी स्कूलका शिक्षक होने लायक भी नहीं है। लाग तो ऐसा मानेंगे कि उसके रविवासरी स्कूलका शिक्षक होनेसे, जहाँ कि वह सुकुमार बच्चोंके चारित्र्यका गठन करनेवाला है, उसका ९ बजे रातके बाद बाहर रहना कम खतरनाक है। सुपरिटेण्डेंटका कथन है कि उनके दलने “अरब व्यापारियों या दूसरे इज्जतदार गैर-भोरोको रातमें कभी नहीं छोड़ा।” क्या ये दोनो युवक “दूसरे इज्जतदार गैर-भोरो” में शामिल किये जाने लायक नहीं थे? मैं उनसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि वे भली-भाँति विचार करें, क्या उन्होंने स्वयं इन दोनो युवकोको गिरफ्तार किया होता? मैं उनके ही शब्दोंमें कहता हूँ कि “अगर उनका पूरा दल उनके समान ही विवेकी और खुशमिजाज होता, तो कोई कठिनाई होती ही नहीं।”

मेरा खयाल है, मेरी “खुली चिटठी” प्रकाशित करते हुए आपने कृपा पूर्वक कहा था कि सच्ची शिकायतोंके मामले आपकी सहानुभूति तुरन्त प्राप्त करेंगे। क्या आप इस मामलेको सच्ची शिकायत मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो मैं आपकी सहानुभूतिकी माँग करता हूँ, ताकि इस तरहके मामले फिरसे न हो। जो इज्जतदार भारतीय युवक मेरी सलाह लेना पसन्द करते हैं उह यह सलाह देना मुझे कठिन मालूम हुआ है कि वे अपने मालिकोंसे परवाने ले लें। मैंने उन्हें मेयरके पाससे परवाने लेनेकी सलाह दी है। परन्तु पहली ही अर्जाके नामजूर हो जानेसे दूसरोका उत्साह ठंडा

१. रातको बाहर निकलनेकी स्वतन्त्रताका।

पड गया है। और जनता ऐसी गिरफ्तारियोंको पसन्द करेगी तो मजिस्ट्रेटके विपरीत मन्तव्यके बावजूद पुलिसका उन्हें दुहरानेकी प्रेरणा हो सकती है। इसलिए, समाचारपत्र अपने विचारोंसे या तो स्पष्टत इज्जतदार भारतीयोंके लिए मेयरका परवाना पाना सरल कर सकते हैं, या फिर पुलिसके लिए भविष्यमें ऐसी गिरफ्तारियाँ करना लगभग असम्भव बना सकते हैं। इसके अलावा, कारपोरेशन पर मुकदमा चलानेका भी एक तरीका है सही, परन्तु वह आखिरी तरीका है।

आपका, आदि,  
मो० क० गांधी

[ अग्रेनीसे ]

नेटाल मर्केरी, ६-३-१८९६

## ७२ जूलूलैड-सम्बन्धी कार्योंके स्थानापन्न सचिवको

डर्बन  
मार्च ४, १८९६

श्री सी० वाल्वा

जूलूलैड-सम्बन्धी कार्योंके स्थानापन्न सचिव  
पीटरमैरित्सवग

महोदय,

नोदवेनी बस्तीके नियमोंके सम्बन्धमें मैंने जूलूलैडके परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयको जो स्मरणपत्र भेजा था उसके उत्तरमें आपका पिछली २७ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र द्वारा आपने सूचित किया है कि उपयुक्त नियम एशोवे बस्तीके उन नियमोंकी नकल मात्र हैं, जो गवर्नर महोदयके पूर्वाधिकारोंके समय प्रकाशित किये गये थे।

ऐसी स्थितिमें, मैं स्मरणपत्र-दाताओंकी ओरसे गवर्नर महोदयसे अनुरोध करूँगा कि वे दोनों ही बस्तियोंके नियमोंमें ऐसा फेरफार या संशोधन करनेका आदेश दें जिससे उनमें दाखिल रग-भेद दूर हो जाये। किसी भी हालतमें, मैं

निवेदन करनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामे दूसरे हिस्सोमें भारतीयोंके साम्प्रतिक अधिकारोंके बारेमें अनेक घटनाएँ इस समय घटित हो रही हैं, उनका विशेष रूपसे खयाल करते हुए नोदवेनीमें इन नियमोंको जारी करना इस आधारपर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि ऐसे ही नियम एशोवेमें भी जारी हैं।

मैं मानता हूँ कि मेलमॉय बस्तीके बारेमें ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

आपका, आदि,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीमें ]

फ्लोनियल आफिस रेकॉर्ड्स, नं० ४२७, जिल्द २४।

### ७३ जूलैड-सम्बन्धी कार्योंके सचिवको

सेंट्रल वेस्ट स्ट्रीट  
डबल, नेटाल  
मार्च ६, १८९६

जूलैड-सम्बन्धी कार्योंके सचिव  
पीटरमैरिट्सबग

महोदय,

यह देखते हुए कि मेलमॉय बस्तीके नियमोंमें कोई भेद-भाव नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ कि एशोवे बस्तीके नियमोंमें रंग-भेद दाखिल करनेका कारण क्या हुआ है? मैं मेलमॉय बस्तीके नियमोंके प्रकाशनकी तारीख भी जानना चाहता हूँ।

आपका, आदि,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीमें ]

फ्लोनियल आफिस रेकॉर्ड्स, नं० ४२७, जिल्द २४।



## ७४ पत्र . दादाभाई नौरोजीको

मो० क० गांधी

एडवोकेट

जर्ज एसांटरिक त्रिडिचियन यूनियन  
और लदन वेजिटेरियन सोसाइटी

पोस्ट बाक्स १६

सेंट्रल वेल् स्ट्रीट

डबल, नेगल

मार्च ७, १८९६

माननीय श्री दादाभाई नौरोजी

नेशनल लिबरल क्लब

लदन

श्रीमन्,

मैं इसके साथ एक कतरन भेज रहा हूँ। इसमें भ्रताधिकार विधेयक दिया गया है। मन्त्रिमण्डल इस विधेयकको आगामी अधिवेशनमें पेश करना चाहता है। ब्रिटिश समितिके अध्यक्षके नाम मेरे पत्रकी एक प्रेस-नकल भी साथ है।

बुल्लैडके गवर्नरने नौदवेनीके सम्बन्धमें प्रार्थनापत्र भेजनेवालोंकी वितर्ती मान्य करनेसे इनकार कर दिया है। अब मैं इस विषयपर ब्रिटिश सरकारके नाम एक प्रार्थनापत्र तैयार कर रहा हूँ।

सैनिको-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रके बारेमें आपके पत्रके लिए मैं नम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ।

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक,

मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ७५ पत्र वेडरबर्नकी

मो० क० गाधी

एडवोकेट

एजेंट एसॉट्रिक् त्रिदिचयन यूनियन  
और लदन वेजिटेरियन सोसाइटी

पोस्ट बाक्स ६६

सेंट्रल वेस्ट स्ट्रीट

एबेन, नेटाल

मार्च ७, १८०६

मर विलियम वेडरबर्न, वैरानेट, ससद-सदस्य, आदि  
अध्यक्ष, ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  
लदन

श्रीमन्,

मैं इसने साथ एक कतरन भेजनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। इसमें मताधिकार-विधेयक दिया गया है। इस विधेयकको सरकार नेटाल विधानसभाके आगामी अप्रैल-अधिवेशनमें पेश करना चाहती है। १८९४ के जिस कानूनके खिलाफ सरकारको प्राथेनापत्र<sup>१</sup> भेजा गया था, यह विधेयक उसका ही स्थान ग्रहण करता है। कहा जाता है कि इसे श्री चेम्बरलेनने मजूर कर लिया है। अगर ऐसा हो तो इससे भारतीय समाज बड़ी अडचनमें पड़ जायेगा। समाचारपत्रोका यह खयाल दिखलाई पड़ता है कि भारतमें प्रातिनिधिक सस्थाएँ है, इसलिए विधेयकका असर भारतीयोंपर नहीं पड़ेगा। साथ ही, विधेयकका उद्देश्य भारतीयोंपर वार करना है, इसमें भी कोई शका नहीं। हमारा इरादा उसका विरोध करनेका है। परन्तु इसी बीच, मेरा नम्र खयाल है, लोकसभामें एक प्रश्न कर देना बहुत अच्छा हो सकता है। सम्भव है उससे श्री चेम्बरलेनके विचारोकी झलक मिल जाये। भारतीय समाजको शीघ्र ही अन्य महत्वपूर्ण विषयोके सम्बन्धमें भी आपका समय और ध्यान बँटाना होगा।

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक,

मो० क० गाधी

मूल हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-कॉपीसे।

## ७६ प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको

बदन, नेगल  
मार्च ११, १८९६

सेवामें

परम माननीय जोसेफ चेम्बरलेन

मुख्य उपनिवेश-मन्त्री

लंदन

नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधि, नीचे  
हस्ताक्षर करनेवाले भारतीयोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

ता० २५ फरवरी, १८९६ के नेटाल गवर्नमेंट गजटमें जूलूडकी नोदवेनी बस्तीके सम्बन्धमें कुछ नियम प्रकाशित हुए हैं। वे वहाँ सम्राज्ञी सरकारके भारतीय प्रजाजनोके जमीन प्राप्त करनेके अधिकारोंमें बाधक हैं। जहाँतक ऐसी बात है, हम उन नियमोंके बारेमें सम्राज्ञी-सरकारके सामने अज करनेको इजाजत लेने हैं। हमारी अज जूलूडकी एशोवे बस्तीके उसी तरहके नियमोंके सम्बन्धमें भी है।

नियमोंका जो अंश ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंमें बाधक होता है, वह निम्नलिखित है

धारा ४ का अंश यूरोपीय जन्म या वंशके जो व्यक्ति ऐसे किसी (अर्थात् मकानाकी जमीनके) नीलाममें बोली बोलनेके इच्छुक हों वे नीलामकी तारीखसे कमसे कम बीस दिन पहले जूलूड-सम्बन्धी कार्याधि सचिवको लिखित सूचना दे दें, आदि।

धारा १८ का अंश सिर्फ यूरोपीय जन्म या वंशके व्यक्तियोंको ही मकानोंकी जमीनके कब्जेदार मजूर किया जायेगा। यह शर्त पूरी न की जानेपर ऐसी कोई भी जमीन फिरसे सरकारके कब्जेमें लौट जायेगी, जसा कि इसके पहलेकी धारामें बताया गया है।

धारा २० का अंश नोदवेनी बस्तीमें इस नीलामके जरिये सरोही हुई जमीनके भालिकोंको ये जमीनें या इनके हिस्से गर-यूरोपीय जन्म या वंशके

लोगोंको बेचने या किरायेपर देनेका हक कभी न होगा। गैर-यूरोपीय लोगोंको इनपर या इनके हिस्सोपर बिना किराया काबिज होनेकी इजाजत भी वे न दे सकेंगे। अगर कोई खरीददार इन शर्तोंको तोड़ेगा तो ऐसी कोई भी जमीन इन नियमोंकी धारा १७ के अनुसार सरकारके कब्जेमें वापस चली जायेगी। ये जमीनें इहाँ स्पष्ट शर्तोंके साथ बेची जायेंगी। इन नियमोंकी धारा १०, ११ और १२ के अनुसार जो अधिकार-पत्र मांगा या दिया जायेगा उसमें ये शर्तें साफ तौरसे दर्ज कर दी जायेंगी।

जिम गज़टमें नोदवेनी-सम्बन्धी नियम थे, उसके प्रकाशित होनेके दूसरे ही दिन, प्रार्थियोने जूलूलैडके गवर्नर महोदयको एक प्रार्थनापत्र भेजा था। उसमें उनसे प्रार्थना की गई थी कि नियमोंमें ऐसा परिवर्तन या सशोधन कर दिया जाये, जिससे उनमें निहित रंग-भेद दूर हो जाये।

उपर्युक्त प्रायनापत्रके उत्तरमें, जिसकी नकल इसके साथ नत्थी है, प्रार्थियोको सूचित किया गया कि वे नियम "वही हैं, जो कि पूवगामी गवर्नर महोदयने २८ सितम्बर, १८९१ को घोषित एशोवे बस्तीमें लागू किये थे।" इसपर ४ माच, १८९६ को इस आशयका निवेदन किया गया कि ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें दोनों स्थानोंके नियमोंमें परिवर्तन या सशोधन किया जाये।

माच ५, १८९६ को इसका उत्तर मिला। आशय यह था कि गवर्नर महोदय इस सुझावके अनुसार कारवाई करना उचित नहीं समझते। प्रार्थियोका दृढ विश्वास है कि भारतीय समाजपर बरपा किया गया अत्याय इतना स्पष्ट है कि उससे निवारणके लिए उसे सम्राज्ञी-सरकारकी दृष्टिमें ला देना ही काफी होगा। ऐसा द्वेषजनक और, हम आदरपूर्वक कहते हैं, अनावश्यक भेद-भाव तो स्वशासित उपनिवेशोंमें भी होने नहीं दिया जाता। फिर, सम्राज्ञीके शासनाधीन एक उपनिवेशमें तो इसकी और भी इजाजत नहीं होनी चाहिए।

जूलूलैडमें आपके अनेक प्रार्थियोंकी जमीन-आयदाद है। १८८९ में, जब मेल्भॉय नामकी बस्तीकी जमीन बेची गई थी तब भारतीय समाजने वहाँ लगभग २,००० पाँडकी जमीन खरीदी थी।

हम आदरके साथ निवेदन करते हैं कि जूलूलैंडमें भारतीयोंको स्वतंत्रतापूर्वक जमीन खरीदने देना विलकुल जरूरी है। भले इसका मशा सिफ इतना ही क्यों न हो कि उनकी जो २,००० पौंडकी रकम वहाँ लगी है, उसका वे फायदा उठा सकें।

नेटालका सरकारी मुखपत्र साधारणतः भारतीयोंकी महत्वाकांक्षाओंका विरोधी रहता है। परन्तु इस अन्यायको उसने भी इतना गम्भीर समझा है कि वह जूलूलैंडके गवर्नरको भेजे गये प्राथनापत्रपर बहुत अनुकूल विचार व्यक्त किये बिना नहीं रह सका। वे विचार इतने उपयुक्त हैं कि प्रायः उन्हें नीचे उद्धृत करनेकी अनुमति लेते हैं

जूलूलैंडमें शीघ्र ही एक स्वतंत्र भारतीय प्रश्न खड़ा हो जानेकी सम्भावना है। हालमें ही नॉर्वेनी बस्ती बसानेकी घोषणा की गई है। उसमें भकानोकी जमीन बेचनेके नियम गत मंगलवारके सरकारी गजटमें प्रकाशित हुए हैं। उनकी अनेक धाराएँ गर-यूरोपीय जन्म अथवा वंशके लोगोंको उस बस्तीमें जमीन खरीदने और, यहातक कि, किसी जमीन-जायदादपर काबिज होनेसे भी रोकनेवाली हैं। भारतीयोंने, जो ऐसी बातमें हमें आगे रहते ह, ऐसे नियमोंके जारी किये जानेपर तत्परताके साथ गवर्नरको विरोधका पत्र भेजा है। जूलूलैंड अबतक सम्राज्यीके शासनाधीन है। इसलिए, उसपर सम्राज्यीके अधिकारियोंकी सीधी नजर ज्यादा है। इन बातोंको देखते हुए हम ठीक तरहसे समझ नहीं सकते कि वहाँ ऐसे नियमोंका अमल कैसे कराया जा सकता है। हम देखते ही हैं कि नेटालमें जो मताधिकार कानून संशोधन विधेयक पास किया गया है, उसे रोकनेके लिए सम्राज्यी-सरकारका रुख कितना डढ़ है। भारतीयोंने जो विरोधपत्र भेजा है उससे मालूम होता है कि उनमें से कुछकी जमीन-जायदाद वहाँ पहलेसे ही मौजूद है। और अगर ऐसा है तो, हम समझते ह, दूसरे समान कारणोंको छोड़ देने पर भी, प्राथमिकीका मामला विचारके योग्य है। जो जूलू-देश भारतीयोंको अपने यहाँ जमीन-जायदादकी मिलकियत रखनेसे रोक्ता है, उसमें जमीनपर काबिज होनेके कुछ खास कानून हो सकते हैं। परन्तु फिर भी यह हकीकत तो बनी ही है कि वह प्रदेश सम्राज्यीके शासनाधीन है। ऐसी स्थितिमें यह बात अजीब मालूम होती है कि

जो नियम उत्तरदायी शासनवाले उपनिवेश नेटालमें नहीं बनाये जा सकते, वे वहाँ बनाये जा सकते हैं।

दक्षिण आफ्रिकाके विभिन्न भागोंमें प्रकाशित होनेवाले नियमों और कानूनोंमें रंग-भेद नित्यप्रति ही दाखिल होता रहता है। यह इतनी आगे दिनकी बात हो गई है कि भारतीयोंके लिए अपने अधिकारोंपर प्रहार करनेवाले तमाम कानूनोंसे परिचित रहना और उन्हें समझाओ-सरकारकी दृष्टिमें लाना असम्भव है। फिर, भारतीय तो मुख्यतः व्यापारी और कारीगर हैं। वे सिर्फ अपने व्यापारके योग्य ही ज्ञान रखते हैं। और बहुतोंको तो उतना भी नहीं है।

और स्थिति यहाँतक पहुँच गई है कि प्रार्थी स्थानिक अधिकारियोंसे ऐसा अन्याय भी दूर करा सकनेकी आशा नहीं रखते, जो प्रस्तुत मामलेके समान, ब्रिटिश संविधानके मूलभूत सिद्धान्तोंकी भूलसे हो गया हो।

प्रार्थियोंका भय है कि यदि एक सम्राज्ञी-शासनाधीन उपनिवेश सम्राज्ञीकी प्रजाके एक अंशको जमीन-जायदादके अधिकार देनेसे इनकार कर सकता है तो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य और आरेंज फ्री स्टेटकी सरकारोंका भी वसा ही करना या उससे आगे बढ़ जाना बहुत हदतक उचित ठहरेगा।

प्रार्थियोंका निवेदन है कि एशोवेके नियमोंमें रंग-भेदका अस्तित्व है, इस आधारपर नोदवेनीमें भी उसी तरहके नियम बनाना उचित नहीं होना चाहिए। अगर एशोवेके नियम बुरे हैं तो अच्छा यह होगा कि दोनोंमें ही ऐसा परिवर्तन या संशोधन कर दिया जाये, जिससे कि ब्रिटिश भारतीय प्रजाके न्यायपूर्ण अधिकारोंपर प्रहार न हो।

प्रार्थी आपका ध्यान एक और वस्तुस्थितिकी ओर भी आकर्षित करनेकी इजाजत लेते हैं। सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाके अधिकारोंपर प्रहार करनेवाले कानूनोंसे न केवल दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय भारी परेशानीमें पड़ते हैं, बल्कि ऐसे कानूनोंको बदलानेके लिए उन्हें बार-बार जो प्रार्थनापत्र देने पड़ते हैं, उनमें बहुत खर्च भी होता है। भारतीय समाज अति-समुद्ध तो है ही नहीं, इसलिए उसे यह खर्च परदास्त करना बहुत कठिन गुजरता है। फिर, लगातार अशान्ति और क्षोभकी हालतसे सारे भारतीय समाजके व्यापारमें जो बाधा पड़ती है, सो अलग है।

प्रार्थियोंका निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी स्थिति और हैसियतकी जाँच कराना आवश्यक है। साथ ही, दक्षिण आफ्रिकी अधिकारियोंको

यह आदेश देना भी आवश्यक है कि वे सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाके प्रति अत्यंत सब ब्रिटिश प्रजाओकी बराबरीका व्यवहार सुनिश्चित करें। हमारे नम्र मतसे, इससे कम कोई भी कारवाई वफादार और कानूनका पालन करनेवाली भारतीय प्रजाको सामाजिक तथा नागरिक विनाशसे बचा नहीं सकेगी।

इसलिए प्रार्थी नम्रतापूर्वक विनती करते हैं कि सम्राज्ञी-सरकार एशोवे और नोदवेनी वस्तियोंके नियमोंमें परिवर्तन या संशोधन करनेका आदेश दे, जिससे सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाके मार्गमें उन नियमोंके वर्तमान स्वरूपसे आनेवाली बाधाएं मिट जायें। हमारा यह नम्र सुझाव भी है कि भविष्यमें भारतीयोंके अधिकारोपर प्रहार करनेवाले वग-सबद्ध कानून न बनानेका आदेश दिया जाये।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कृतव्य समझकर, सदैव दुआ करेंगे, आदि-आदि।

(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम  
और अय

एक हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ७७ भारतीयोंका मताधिकार

हरन

अप्रैल ४, १८९६

सेवामें

सपादक

नेटाल विटनेस

महोदय,

जी० डबल्यू० डबल्यू० ने गत ११ मार्चको आपको पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने भारतीयोंके मताधिकारके सम्बन्धमें मेरी पुस्तिकाकी प्रशंसा की है। उसके प्रकाशित कर दें तो मैं

जी० डबल्यू० डबल्यू० ने पुस्तिकावी आलोचना करते हुए मेरे प्रति व्यक्तिगत रूपमें जो न्याय दिखाया है उसके लिए मैं उह धन्यवाद देता हूँ। कारा! उन्होंने उस "अपील"की विषय-सामग्रीके बारेमें भी वैसा ही न्याय किया होता। मेरा खयाल है कि अगर उन्होंने उसे निष्पक्ष भावसे पढा होता तो उन्हें उसमें प्रकट किये गये विचारोंसे मत भेदका कोई कारण न मिलता। मैंने उस विषयकी विवेचना एक ऐसे दृष्टिकोणसे की है जिससे यूरोपीय उपनिवेशियोंको भारतीयोंके सामने निःसकोच मैत्रीका हाथ बढानेकी प्रेरणा मिलेगी और ऐसा करनेमें उह अपनी वर्तमान स्थितिसे बगली खाकर हटना भी नहीं पड़ेगा। मैं अब भी कहता हूँ कि भयका जरा भी कारण नहीं है। और अगर यूरोपीय उपनिवेशी सिर्फ इतना ही करें कि आन्दोलन घटम हो जाये और पहलेकी स्थितिको फिरसे कायम करना मजूर कर लिया जाये, तो वे देखेंगे कि भारतीयोंके मत उनके मतोंको निगलते नहीं। मेरा यह भी निवेदन है कि अगर कभी ऐसा संयोग आ ही जाये तो उसकी व्यवस्था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें रंग भेदको दाखिल किये बिना ही पहलेसे की जा सकती है। मताधिकारके लिए शिक्षाकी एक सच्ची और उचित कसौटीसे भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका खतरा (अगर वह जरा भी हो तो) शायद हमेशाके लिए निर्मूल हो जायेगा। अगर कोई यूरोपीय मतदाता नितान्त अवाञ्छनीय हो तो उनसे भी इस उपाय द्वारा मतदाता-सूचीको साफ रखा जा सकता है।

जी० डबल्यू० डबल्यू० प्रत्यक्ष मतोंकी तुलनात्मक सख्याके आधारपर पेश की गई दलीलोपर आपत्ति करते हैं और इस ओर ध्यान खींचते हैं कि "अगले वर्षकी मतदाता-सूचीमें क्या हो सकता है।" मैं नम्रतापूर्वक उनका ध्यान इस वस्तुस्थितिकी ओर आकर्षित करता हूँ कि यद्यपि पिछले वर्ष और उसके भी पिछले वर्ष भारतीयोंको मतदाता-सूचीपर छा जानेका मौका हर तरहसे हासिल था और अब जो मताधिकार-कानून रद किया जानेवाला है उसके नतीजेकी आशकासे उहे हर तरहका प्रलोभन भी था, फिर भी भारतीय मतदाताआकी सख्यामें बढती नहीं हुई। इसका कारण या तो उनकी असाधारण उदासीनता हो सकती है, या यह कि उनमें मतदाता बननेकी योग्यताओंका अभाव था। परन्तु ऐसी कोई उदासीनता सम्भव नहीं थी, क्योंकि "आन्दोलन" तो गत दो वर्षोंसे चल रहा है।



तथापि, समय और स्थानकी कमीके कारण मैं जी इवल्सू० इवल्सू० के पत्रकी विस्तारके साथ मीमांसा करना नहीं चाहता। मैं उतनी जानकारी भर दे दूंगा, जो उन्होंने मांगी है और फिर आगामी अधिवेशनमें पेश किये जानेवाले विधेयकपर उसकी दृष्टिसे विचार कहेगा।

श्री वज्रनने, जो उस समय उप भारतमन्त्री थे, "भारतीय विधानपरिषद् कानून (१८६१) सशोधन विधेयक" (इंडिया कौन्सिल्स एक्ट-१८६१-अमेन्डमेंट बिल)का दूसरा वाचन पेश करते हुए दूसरी बातोंके साथ-साथ कहा था

मेरा कतव्य है कि मैं विधेयकके उद्देश्यको सदनके सामने स्पष्ट कर दूँ। उद्देश्य यह है कि भारतीय शासनके आधार और भारत-सरकारके काय क्षेत्रको अधिक विस्तृत बना दिया जाये, भारतके गर-सरकारी व्यक्तियों और भारतीय जनताको शासनके कार्योंमें भाग लेनेका अधिक अवसर दिया जाये और, इस प्रकार, जब १८५८ में ब्रिटिश महारानीने भारतका शासन अपने हाथोंमें लिया तबसे भारतीय समाजके ऊँचे वर्गोंमें राज नीतिक उद्योग तथा राजनीतिक क्षमता दोनोंका जो उल्लेखनीय विकास होख पडा है, उसे सरकारी भाग्यता दी जाये। यह विधेयक १८६१ के भारतीय विधानपरिषद् कानूनमें सशोधन करनेके लिए पेश किया गया है। भारतमें बहुत लम्बे समयसे कानून बनानेके किसी-न किसी प्रकारके अधिकारोंका अस्तित्व रहा है। परन्तु उनका स्वरूप कुछ उलना हुआ था और वे कभी बंध और कभी अवध माने जाते थे। वे भूतपूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासनके साथ टपूडर और स्टुअर्ट राजाओंके अधिकार पत्रोंकी तारीखोंसे शुरू हुए थे। परन्तु भारतकी वर्तमान विधानमण्डल-प्रणालीका आरम्भ उस समय हुआ था, जब लाड कनिंग वाइसराय थे, और सर सी० वुड, जिन्हें बादमें लाडकी पदवी दे दी गई थी, भारतमन्त्री थे। सर सी० वुडने १८६१ का भारतीय विधानपरिषद् कानून पास कराया था। १८६१ के कानूनसे भारतमें वाइसरायकी सर्वोच्च परिषद् और बम्बई तथा मद्रासकी प्रान्तीय परिषदें — इस तरह तीन विधानपरिषदोंका निर्माण हुआ था। वाइसरायकी सर्वोच्च परिषदमें केवल गवर्नर-जनरल और उनकी काय-परिषद् तथा कमसे कम छ और अधिकसे अधिक बारह अतिरिक्त

सदस्य होते हैं। इन अतिरिक्त सदस्योंकी नामजदगी पाइसराय करता है और इनमें से कमसे कम आधे सदस्योंका गर-सरकारी व्यक्ति होना आवश्यक है। ये गर-सरकारी व्यक्ति यूरोपीय या भारतीय कोई भी हो सकते हैं। मद्रास और बम्बईकी विधानपरिषदोंमें भी कमसे कम चार और ज्यादासे ज्यादा आठ अतिरिक्त सदस्य होते हैं। उनकी नामजदगी प्रादेशिक गवर्नर करते हैं और उनमें भी आधे सदस्योंका गर-सरकारी व्यक्ति होना जरूरी है। उस कानूनके पास होनेके बादसे बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रदेसमें नी विधानपरिषदें बन चुकी हैं। बंगालकी परिषदमें लेफ्टिनेंट-गवर्नर तथा बारह नामजद सदस्य और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी परिषदमें लेफ्टिनेंट-गवर्नर तथा ९ नामजद सदस्य होते हैं। प्रत्येकके नामजद सदस्योंमें एकतिहाईका गर-सरकारी होना जरूरी है। लोकसेवाकी भावनावाले अनेक प्रतिभाशाली और समय भारतीय सज्जनको सरकारको अपनी सेवाएँ प्रदान करनेके लिए आगे बढ़नेको राजी कर लिया गया है। और इन विधानपरिषदोंका योग्यता-मान निस्सन्देह ऊँचा रहा है।

संसाधन-कानून विधानपरिषदोंको बजटपर चर्चा करने और प्रश्न पूछनेका अधिकार प्रदान करता है (यह अधिकार परिषदोंको अबतक नहीं था)। परिषदोंके सदस्योंकी संख्या बढ़ाने और एक मरसरी चुनाव-पद्धति जारी करनेकी व्यवस्था भी उसमें की गई है। बेशक, यह कानून सिर्फ अनुज्ञात्मक है।

उपर्युक्त कानूनके मातहत जो नियम जारी किये गये हैं, उनके अनुसार बम्बई परिषदमें अतिरिक्त सदस्योंके अठारह स्थानोंमें से ८ चुनावके द्वारा भरे जाने हैं। और बम्बई निगम (बारपोरेशन)को (जो स्वयं एक प्रातिनिधिक संस्था है), ऐसे ही अन्य म्यूनिसिपल बारपोरेशना या उनके एक या एकसे अधिक समूहोंको जिन्हें स-परिषद गवर्नर समय-समयपर बनाये, जिला और लोकल बोर्डों या उनके एक या एकसे अधिक समूहोंको, दक्षिणके सरदारोंको या ऊपर बताया हुए जैसे बड़े-बड़े क्षेत्र मालिकोंके वर्गों, व्यापारियोंके सभा और बम्बई विश्वविद्यालयकी सेनेटको बहुमतसे इन सदस्योंका चुनाव करनेका अधिकार है। जिन विभिन्न प्रदेशोंमें विधानपरिषदें मौजूद हैं, उनकी विभिन्न प्रातिनिधिक संस्थाओंके द्वारा या उनकी सिफारिशपर सदस्योंका चुनाव करनेके लिए भी ऐसे ही नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं।

मताधिकारके या चुने जानेवाले सदस्योंने सम्बन्धमें रम भेद अपना वग भेदसे काम नहीं लिया गया। सर्वोच्च विधानपरिषदके एक भारतीय सन्त्यने, जिन्हें बम्बई विधानपरिषदने चुनकर भेजा था, इस्तीफा दे दिया है। उस स्थानके लिए अब जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें एक यूरोपीय और दो-दो भारतीय हैं। अगले सप्ताहकी टाक आनेपर चुनावका नतीजा मालूम हो जायेगा।

जो बड़े लोग हम विषयपर अधिकारपूर्वक बोलनेके योग्य हैं वे इस और म्युनिसिपल प्रतिनिधित्वको विस दृष्टिसे देखते हैं, यह बतानेके लिए मैं केवल एक उद्धरण यहाँ दे रहा हूँ। सोसाइटी आफ् बाट्स [क्ला-मण्डल]के सामने भाषण करते हुए सर विल्सन हटरने १५ फरवरी, १८९३ को कहा था

हमारे अप्यक्ष लाइ रिपनने जिन भारतीय म्युनिसिपलिटियोंको इतनी स्मरणीय प्रेरणा प्रदान की है, उनके प्रशासन क्षेत्रमें सन् १८९१ में डेढ़ करोड़की आबादी थी। उनके १०,५८५ सदस्योंमें से आधेसे ज्यादाका चुनाव कर दाताओंने किया था। अब, लाइ फासके १८९२ के कानूनके अनुसार, प्रतिनिधित्वके इस सिद्धान्तका दायरा, सँभाल-सँभालकर, सर्वोच्च तथा प्रान्तीय विधानपरिषदों तक बढ़ाया जा रहा है।

१८५८ की घोषणाका एक अंश इस प्रकार है

हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कृतव्यके उन्हीं दायित्वोंसे बंधा हुआ समझते हैं, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजाओंके प्रति बंधे हैं। और हमारी यह इच्छा भी है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारीसे हमारी जिन नौकरियोंके कृतव्य पूरा करनेके योग्य हो उनमें उन्हें, जहातक हो सके, जाति धर्मके भेद भावके बिना, मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया जाये।

इन तथ्याकी दृष्टिसे नये मताधिकार विधेयकको देखा जाये तो उसे समझना बहुत कठिन होगा। उपनिवेशियोंके सामने सवाल बहुत आसान है। क्या भारतीय समाजका मताधिकार छीन लेना आवश्यक है? अगर है तो मेरा निवेदन है कि इसका प्रमाण देनेसे कि भारतमें उन्हीं प्रातिनिधिक सस्थाओंकी सुविधा उपलब्ध है, वह आवश्यकता कम नहीं होगी। अगर जरूरत

नहीं है तो भारतीयोंपर द्विविधाजनक कानून क्यों लादा जाये? अगर मताधिकारके प्रश्नका फैसला इस सवालके जवाबसे किया जाना हो कि भारतमें प्रातिनिधिक सस्थाएँ हैं या नहीं, तो मेरा निवेदन है कि इस विषयकी सामग्री इतनी कम नहीं है कि उपनिवेशी तत्काल और सदाके लिए इसका फैसला न कर सकें। फिर एक ऐसे कानूनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है जो इस विषयको अनिर्णीत छोड़ दे और वह बादमें अदालत द्वारा तय होता रहे, जिसमें बेकार धनकी बरवादी होती है।

आपका, आदि,

मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीमें ]

नेटाल विटनेस, १७-४-१८९६

## ७८ प्रार्थनापत्र नेटाल विधानसभाको

द्विन

अप्रैल २७, १८९६

सेवामें

माननीय अध्यक्ष और नेटाल-संसदके विधानसभा-सदस्यगण  
पीटरमैरिट्सबग

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटालवासी भारतीयोंका प्राथनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

इस समय जो मताधिकार कानून संशोधन विधेयक आपके विचाराधीन है उसके सम्बन्धमें नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे, और उनकी ओरसे, प्रार्थी इस सम्माननीय सदनके सामने निवेदनके लिए उपस्थित हो रहे हैं।

प्रार्थी यह मानकर चलते हैं कि विधेयकका मंशा अगर एकमात्र नहीं तो मुख्यतः भारतीय समाजपर प्रहार करनेका है। कारण यह है कि १८९४ के जिस २५वें कानूनका उद्देश्य भारतीयोंका मताधिकार छीनना था, उसे यह विधेयक रद्द करता है, और उसकी एवज भरता है।

जब १८९४ का २५वाँ कानून विचाराधीन था उस समय इसी विषय पर भारतीय समाजकी ओरसे सदनके मामने एक प्रार्थनापत्र<sup>१</sup> पेश किया गया था। उसमें दावा किया गया था कि भारतमें भारतीयोंकी चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ अवश्य हैं।

प्रस्तुत विधेयक उन सब लोगोंको मताधिकारसे वंचित करता है जो मूलतः यूरोपीय वंशके नहीं हैं और ऐसे देशसे आये हैं, जहाँ चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ नहीं हैं।

इसलिए, विधेयकका विरोध करनेमें प्रार्थियाकी स्थिति कष्टमय अडचनकी हो गई है।

फिर भी यह देगवर कि विधेयकका छिपा हुआ मशा भारतीय मताधिकारके प्रश्नको निपटाके ही है, प्रार्थी उसके बारेमें अपने विचार व्यक्त करना कतव्य समझते हैं। प्रार्थी जो यह मानते हैं कि भारतमें चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ हैं, उसका आधार क्या है—यह भी बता देना उनका कतव्य है।

माच २८, १८९२ को ब्रिटिश लोकसभामें भारतीय विधानपरिषद कानून (१८९१)का दूसरा वाचन प्रारम्भ करते हुए तत्कालीन उप भारतमंत्रीने कहा था

मेरा कतव्य है कि मैं विधेयकके उद्देश्यको सदनके सामने स्पष्ट कर दूँ। उद्देश्य यह है कि भारतीय शासनके आधार और भारत-सरकारके काय क्षेत्रको अधिक विस्तृत बना दिया जाये, भारतके गर-सरकारी व्यक्तियों और भारतीय जनताको शासनके काममें भाग लेनेका अधिक अवसर दिया जाये और, इस प्रकार, जब १८५८ में ब्रिटिश महारानीने भारतका शासन अपने हाथोंमें लिया तबसे भारतीय समाजके ऊँचे वर्गोंमें राजनीतिक उद्योग तथा राजनीतिक क्षमता दोनोंका जो उल्लेखनीय विकास होख पडा है, उसे सरकारी मायता दी जाये। यह विधेयक १८६१ के भारतीय विधान परिषद कानूनमें सशोधन करनेके लिए पेश किया गया है। भारतमें बहुत लम्बे समयसे कानून बनानेके किसी-न किसी प्रकारके अधिकारोंका अस्तित्व रहा है। परन्तु उनका स्वरूप कुछ उलझा हुआ था और वे कभी कभी

और कभी अवय माने जाते थे। वे भूतपूर्व ईस्ट इंडिया कंपनीके शासनके साथ टपडर और स्टुअर्ट राजाओंके अधिकार-पत्रोंकी तारीखोंसे शुरू हुए थे। परन्तु भारतकी वर्तमान विधानमण्डल-प्रणालीका आरम्भ उस समय हुआ था, जब लार्ड कनिंग वाइसराय थे, और सर सी० वुड, जिन्हें बादमें लार्डकी पदवी दे दी गई थी, भारत मंत्री थे। सर सी० वुडने १८६१ का भारतीय विधानपरिषद कानून पास कराया था। १८६१ के कानूनसे भारतमें वाइसरायकी सर्वोच्च परिषद और बम्बई तथा मद्रासकी प्रांतीय परिषदें— इस तरह तीन विधानपरिषदोंका निर्माण हुआ था। वाइसरायकी सर्वोच्च परिषदमें केवल गवर्नर-जनरल और उनकी कार्य-परिषद तथा कमसे कम छ और अधिकसे अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इन अतिरिक्त सदस्योंकी नामजदगी वाइसराय करता है और इनमें से कमसे कम आधे सदस्योंका गर-सरकारी व्यक्ति होना आवश्यक है। ये गर-सरकारी व्यक्ति यूरोपीय या भारतीय कोई भी हो सकते हैं। मद्रास और बम्बईकी विधानपरिषदोंमें भी कमसे कम चार और ज्यादासे ज्यादा आठ अतिरिक्त सदस्य होते हैं। उनकी नामजदगी प्रादेशिक गवर्नर करते हैं और उनमें भी आधे सदस्योंका गर-सरकारी व्यक्ति होना जरूरी है। उस कानूनके पास होनेके बादसे बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भी विधानपरिषदें बन चुकी हैं। बंगालकी परिषदमें लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा बारह नामजद सदस्य और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी परिषदमें लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा ९ नामजद सदस्य होते हैं। प्रत्येकके नामजद सदस्योंमें एक-तिहाईका गर-सरकारी होना जरूरी है। लोकसेवाकी भावनावाले अनेक प्रतिभाशाली और समय भारतीय सज्जनोंको सरकारको अपनी सेवाएँ प्रदान करनेके लिए आगे बढ़नेको राजी कर लिया गया है। और इन विधानपरिषदोंका योग्यता-मान निस्सन्देह ऊँचा रहा है।

सशोधन कानून प्रत्येक विधानपरिषदमें नामजद सदस्योंकी सख्या तो बढ़ाता ही है, साथ ही हर वष वित्तीय विवरणपर बहस करने और "प्रश्न करने" का भी अधिकार देता है। वह चुनावके सिद्धान्तोंपर बना है। विधान-परिषदोंका स्वरूप शुरूसे ही प्रातिनिधिक रहा है। दूसरा वाचन पेश करनेवाले माननीय उपमन्त्रीने नामजद सदस्योंकी सख्या बढ़ानेके बारेमें कहा था

इस परिचयनका उद्देश्य बताना बहुत सरल है। आगा है सदन भी उसे बहुत सरलतासे समझ लेगा। इससे द्वारा सिर्फ सदस्योंके प्रचरण (सिलेक्शन) का क्षेत्र विस्तृत किया जा रहा है। ऐसा करके आप परिषदोंके प्रातिनिधिक स्वरूपका बल बढ़ा रहे हैं।

परन्तु, प्रार्थी निवेदन करणा चाहते हैं कि, अब इन विधानपरिषदोंको "मताधिकारपर आधारित" प्रातिनिधिक स्वरूप प्राप्त है।

संसद-सदस्य श्री श्वानने विधेयकमें इस आशयका एक सशोधन पत्र किया था कि "विधानपरिषदोंका कोई ऐसा सुधार सन्तोपजनक न होगा, जिसमें चुनावके सिद्धांत निहित न हो।" उसका उत्तर देते हुए श्री वज्रने कहा था

म बताना चाहूंगा कि हमारे विधेयकमें प्रचरण (सिलेक्शन), निर्वाचन (इलेक्शन) और प्रत्यायोजन (डेलिगेशन) की पद्धति जैसा कुछ तत्त्व ली है ही। सदनकी अनुमतिसे म उपपारा १ के उपलब्धके शब्द पढ़कर सुनाता हूँ। उक्त उपलब्ध इस प्रकार है "सपरिषद गवर्नर-जनरल भारत मन्त्रीकी स्वीकृतिसे समय-समयपर नियम बनायेगा कि गवर्नर-जनरल, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नरको किन बातोंके अनुसार ऐसी नामजदगिया— या कोई एक नामजदगी करनी होगी। यह निर्देश भी वह करेगा कि किस ढंगसे ऐसे नियमोंका पालन किया जाये। . "

लाड किम्बलने उस उपपाराके बारेमें अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था

इस चुनाव सिद्धान्तपर म अपना पूरा सन्तोप व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता।

लाड किम्बलके व्यक्त किये हुए विचारोंसे इस कानूनके अन्तगत भारत-मन्त्री सहमत हैं

वाइसरायको अधिकार होगा कि वह भिन्न भिन्न विचारोंके प्रतिनिधि योंको इन विधानपरिषदोंमें चुनाव-कानूनोंके अनुसार नामजद होनेके लिए आमंत्रित करे।

माननीय श्री ग्लेडस्टनने इसी विषयपर बोलते हुए विधेयक और उसके सशोधनका दूसरा वाचन पेश करनेवाले माननीय उपमन्त्रीके भाषणोंको स्पष्ट करनेके बाद कहा

मेरा खयाल है, म बखूबी कह सखता हूँ कि उपमन्त्रीके भाषणमें चुनावका तत्त्व उतने ही अथमें निहित दिखाई पडता है, जितने अयमें हमें अपेक्षा करनी चाहिए। स्पष्ट है कि सदनके सामने महान प्रश्न भारतीय शासनमें चुनावका तत्त्व दाखिल करनेका है। और यह एक भारी और गहरी दिलचस्पीका विषय है। म चाहता हूँ कि उनके पहले कदम खरे हा और चुनावके तत्त्वको कार्यावित होनेका जो कुछ भी अवसर वे दें, यह वास्तविक हो। इसमें कोई तात्त्विक मतभेद नहीं है। म समझता हूँ कि यद्यपि माननीय सज्जन (श्री सज्जन)ने चुनाव-तत्त्वको संभल-संभल-कर स्वीकार किया है, फिर भी वह स्पष्ट स्वीकार ही है, भिन्न कुछ नहीं।

उपयुक्त कानूनके अनुसार बनाये और प्रकाशित किये गये नियम, प्राथियाका निवदन है, ऊपर उद्धृत विचारानो पूणत चरिताथ करनेवाले है। उदाहरण के लिए, बम्बई विधानपरिपदमें १८ नामजद सदस्यामें से ८ का चुनाव विधान परिपदोके लिए मताधिकार प्राप्त विभिन्न प्रातिनिधिक सस्याओ द्वारा हुआ है। या, नियमोंके शब्दोंमें, वे उन सस्याओकी "सिफारिशापर नामजद" किये गये ह। बम्बई कारपोरेशन (जो स्वयं चुनावके आधारपर बनी हुई सस्या है), सपरिपद गवनर द्वारा निर्दिष्ट बम्बई प्रदेशके अय म्यूनिसिपल कारपोरेशन और जिला तथा लोकल बोड, दक्षिणन सरदार या ऊपर कहे अनुसार अधिकृत अन्य बडे-बडे जमीदार तथा व्यापारियोंके सघ आदि और बम्बई विश्वविद्यालयकी सेनेट—ये सब इन आठ सदस्याका चुनाव या सिफारिश करते है। निणय बहुमतसे किया जाता है। जो सस्थाएँ कानूनी तरीकेसे स्थापित नही होती वे जिन नियमोंके अनुसार अपने सामने आये हुए प्रश्नोका निणय करती या प्रस्तावोको स्वीकार करती है उनके ही अनुसार ये चुनाव या सिफारिशें भी करती है।

यह सम्माननीय सदन देखेगा कि दक्षिण भारतके सरदारोंमें तो परिपदके चुनावोंमें सीधे मत देनेवाले लोग भी मौजूद है।

दूसरी विधानपरिपदोके नियम भी बहुत-कुछ ऐसे ही है।

इस प्रकारका स्वरूप है भारतमें विधानपरिपदो और राजनीतिक मताधिकारका। इसलिए, प्राथी बताना चाहते है कि अन्तर रूपमें नही, केवल अक्षोंमें है। कारण यह नही है कि भारतीय प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तोको समझते



नहीं। इस सम्बन्धमें श्री ग्लैडस्टनके विचारोको ही उद्धृत कर देना सबसे अच्छा होगा। उनके कुछ विचार तो ऊपर उद्धृत किये ही गये हैं। चुनावके तत्त्वों भर्षादित स्वरूपका स्पष्टीकरण उन्होंने इन शब्दोंमें किया है

सम्राज्यी-भारकारको समझ लेना चाहिए कि हमें तमाम आशवासन दे दिये गये हैं कि शासनके इस गणितशाली यंत्र (अर्थात्, चुनाव-तत्त्व)को अमलमें लानेका प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु यदि इन आशवासनोंके बावजूद ऐसा कुछ भी परिणाम न हुआ, जैसेकी हम आशा करते हैं, तो यह नितान्त गम्भीर निराशाका विषय माना जायेगा। मैं परिणामकी मात्राकी बात नहीं कहता, उसकी फोटिकी घात अधिक कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि हम भारत जैसे एशियाई देशमें जो कुछ करना चाहते हैं उसे करनेमें भारी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि उसके पास अपनी पुरानी सम्यता है, अपनी खास सस्याएँ हैं, विविध जातियाँ, धर्म और धर्म ह और इतना विशाल देश तथा इतनी अधिक जनसंख्या है जितनी कि शायद चीनकी छोड़कर कभी किसी एक राज्यमें नहीं रही। परन्तु कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हों, काम महान है। उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करनेके लिए हम दार्जेकी बुद्धिमत्ता और सावधानीकी जरूरत होगी। इन सब बातोंसे हमें आशा होती है कि भारतका भविष्य महान है और हम उत्साहपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। हमें यह अपेक्षा करनेका उत्साह भी होता है कि उस विशाल और लगभग अपरिमेय देशमें चुनाव-तत्त्वको — भले वह सीमित मात्रामें ही क्यों न हो — सच्चाईके साथ अमलमें लानेसे सच्ची सफलता प्राप्त होगी।

भारतीय विषयोपर बोलनेके अधिकारी सभी व्यक्ति भारतीय विधान परिषदके प्रातिनिधिक स्वरूपके सम्बन्धमें एकमत दीखने हैं।

भारतीय विषयोंमें जो विद्वान जीवित हैं उनमें सबसे अधिकारपूर्वक बोल सकनेवाले सर विलियम विल्सन हट्टर हैं। उनका कथन है

लार्ड ब्रासके १८९२ के कानूनके अनुसार, अब विधानपरिषदोंमें चुनाव तत्त्वका सावधानीके साथ विस्तार किया जा रहा है। यह विस्तार क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय दोनों सरकारोंकी परिषदोंमें हो रहा है।

टाइम्सने नेटालमें भारतीयोंके मताधिकारकी चर्चा करते हुए कहा है

नेटालवासी भारतीय भारतमें जिन विशेषाधिकारोंका उपभोग करते हैं, उनसे अधिककी मांग नहीं कर सकते, और उन्हें भारतमें किसी प्रकारका मताधिकार हासिल है ही नहीं—यह तक वस्तुस्थितिके विपरीत है। भारतमें भारतीयोंको ठीक वही मताधिकार प्राप्त है, जो अंग्रेजोंको है। म्यूनिसिपल मताधिकारकी चर्चा करनेके बाद लेखमें कहा गया है

हमारी भारतीय शासन-प्रणालीमें जिसे उच्च मतदाता-मण्डल कहा जा सकता है, उसपर भी इसी तरहका सिद्धान्त आवश्यक सशोधनोंके साथ लागू है। सर्वोच्च और प्रान्तीय विधानपरिषदोंके निर्वाचित सदस्योंका चुनाव मुख्यतः भारतीयोंकी सख्याओ द्वारा होता है। और ये परिषदें २२,१०,००,००० ब्रिटिश प्रजाको व्यवस्था करती हैं। सर्वोच्च और प्रान्तीय विधानमण्डलोंमें सरकारी प्रतिनिधियोंके अलावा लगभग आधे सदस्य भारतीय हैं। इस तुलनाको बहुत ज्यादा तानना गलत होगा। परन्तु ब्रिटिश उपनिवेशोंमें भारतीयोंको मताधिकार न देनेके तर्कका जवाब इसमें मिल जाता है। उस तर्कका आधार यह है कि भारतीयोंको भारतमें मताधिकार प्राप्त नहीं है। जहाँतक भारतमें मत द्वारा शासनका अस्तित्व है, अंग्रेज और भारतीय एक-बराबर हैं। और म्यूनिसिपल, प्रान्तीय तथा सर्वोच्च परिषदोंमें भारतीयोंका प्रतिनिधित्व समान रूपसे जोरदार है।

भारतमें म्यूनिसिपल मताधिकार बहुत व्यापक है। और म्यूनिसिपल कार-पोरेशन तथा जनपद समार्य (लोकल बोर्ड) लगभग सारे देशमें बिखरी हुई हैं। नेटालमें जो भारतीय पहलेसे मतदाता-सूचीमें शामिल हैं, उनकी चर्चा करते हुए टाइम्सने उपर्युक्त लेखमें कहा गया है

ठीक इसी ढंगके लोग भारतके म्यूनिसिपल तथा अथ मतदाता-मण्डलमें महत्व रखते हैं। वहाँकी कुल ७५० म्यूनिसिपलिटियोंमें अंग्रेज और भारतीय मतदाताओंको बराबर अधिकार है। १८९१ में म्यूनिसिपलिटियोंके ८३९ यूरोपीय सदस्योंके विरुद्ध भारतीय सदस्योंकी सख्या ९,७९० थी। इसलिए भारतीय म्यूनिसिपल बोर्डोंमें यूरोपीय मतोंकी सख्या ८ भारतीय मतोंके पीछे बैचल १ थी, जब कि नेटालके मतदाता-मण्डलमें १ भारतीय

मतके पीछे ३७ यूरोपीय मत हैं। याद रहे, भारतीय म्यूनिसिपलिटिया डेढ़ करोड़की आयादी और ५ करोड़ रुपयेके सचकी व्यवस्था करती है। प्रातिनिधिक सस्याओंके स्वरूप और उनकी जिम्मेदारियोंसे भारतीयके परिचयके बारेमें उसी लेखमें कहा गया है

शायद सत्तारमें कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है, जिसमें प्रातिनिधिक सस्याएँ जनताके जीवनमें इतने गहरे समा गई हों। भारतमें युग-युगसे प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक गावकी अपनी पचायत रही है, जो अपने छोटे-से समाजके लिए नियम बनाती और उसका शासन करती थी। जबतक गत वर्ष 'परिस कौन्सिल एक्ट' [ पादरीके विशिष्ट क्षेत्रोंकी परिषदोंका कानून ] जारी नहीं किया गया तबतक इंग्लडमें भी इस तरहकी ग्रामस्वराज्य प्रणालीका अस्तित्व नहीं था।

ससद-सदस्य श्री श्वान इसी विषयपर कहते हैं

ऐसा मत मानिये कि चुनावका प्रश्न भारतमें नया है। चुनावका प्रश्न तो यस्तु ही खास भारतीय है—इससे ज्यादा खास भारतीय और कोई प्रश्न नहीं। हमारी ज्यादातर सभ्यता भारतसे आई है। और इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि हम खुद ही पूरके चुनाव सिद्धातके एक विकसित रूपका व्यवहार कर रहे हैं।

इन परिस्थितियोंमें, भारतीय समाजके लिए अपने ऊपर चोट करनेके मशासे बनाये गये इस विधेयकको समझना बहुत कठिन गुजर रहा है।

प्राथमिकाका निवेदन है कि विधेयक अस्पष्ट और दुविधाजनक है। वह अनिष्ट है, और न तो यूरोपीयोंके लिए न्यायपूर्ण है, न भारतीयोंके लिए ही। इससे दोनों त्रिशकुकी स्थितिमें पड जाते हैं, जो भारतीयोंके लिए बहुत कष्टजनक है।

हम अत्यन्त आदरके साथ सभाका ध्यान खींचते हैं कि वर्तमान मतदाता सूचीके अनुसार भारतीय मतदाताओंकी संख्या ३८ यूरोपीय मतदाताओंके पीछे केवल एक है। इसके अलावा, भारतीय मतदाता अपने समाजके सबसे आदरणीय लोग हैं। वे इस उपनिवेशमें लम्बे समयसे निवास कर रहे हैं और यहाँ उनके भारी हित दाँव पर चढे हैं।

तथापि, कहा जाता है कि वर्तमान मतदाता-सूचीसे यह नहीं जाना जा सकता कि भविष्यमें भारतीय मत कितना बड़ा रूप अस्तित्वपर कर लेंगे। परन्तु

भारतीय समाजके सामने गत दो वर्षोंसे मताधिकारके छीने जानेका खतरा उपस्थित है। इस बीच पहलेके अलावा बिन्ही भारतीयोंने मतदाता-सूचीमें अपने नाम नहीं लिखाये। इससे, हमारे नम्र मतके अनुसार, इस तकका पूरा निवटारा हो जाता है।

सच ता यह है, और हम व्यक्तिगत अनुभवसे कह सकते हैं कि, यद्यपि कानूनके अनुसार मताधिकार पानेके लिए बहुत कम सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उपनिवेशमें उतनी भी योग्यता रखनेवाले भारतीयोंकी संख्या बहुत कम है।

प्रार्थियोंका आदरपूर्वक निवेदन है कि विचाराधीन विधेयक अनेक आपत्तियोंका मूल है। वह अत्यन्त द्वेषजनक रूपमें रंग भेद दाखिल करनेवाला है। क्याकि, जिन दूसरे देशमें चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैं उनके निवासियोंको तो मत देनेका अधिकार न होगा, परन्तु यूरोपीय राज्योंसे आये हुए लोग, अपने देशमें ऐसी संस्थाएँ न होनेपर भी, उपनिवेशके सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार मतदाता बन सकेंगे।

उससे, यदि पिता यूरोपीय हो तो, सदिग्ध चरित्रकी गैर-यूरोपीय स्त्रियोंकी सन्तानाको तो मत देनेका अधिकार मिल जायेगा, परन्तु यदि कोई कुलीन यूरोपीय स्त्री किसी गैर-यूरोपीय जातिके कुलीन पुरुषसे विवाह कर ले तो उसकी सन्तानें सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार मतदाता नहीं बन सकेंगी। विधेयक उनके आड़े आयेगा।

अगर मान लिया जाये कि भारतीय विधेयकके दायरेमें आ जाते हैं, तो फिर जिन तरीकेसे उन्हें मतदाता-सूचीमें अपने नाम लिखाने हागे, वह सदैव उनक लिए सन्तापका कारण रहेगा। हो सकता है कि उससे पक्षपातका कोई तरीका निकल पड़े और भारतीय समाजके बीच गम्भीर झगड़े पैदा कर दे।

इसके अलावा, विधेयकका मसला भारतीय समाजको अपने अधिकार स्थापित करनेके लिए अनन्त भुकदमेबाजीमें फँसा देनेका है। हम समझते हैं कि उन अधिकारोंकी व्याख्या तो उपनिवेशकी किसी अदालतका आश्रय लिये बगर ही की जा सकती है।

इस सबसे अधिक, आज तो यूरोपीय लोग भारतीयोंका मताधिकार छीननेकी कामना करते हैं और आन्दोलन उनकी ओरसे हो रहा है। विधेयकके फलस्वरूप वह आन्दोलन भारतीयोंको करना होगा। और हमें भय है, उसे सदैव चलाते रहना पड़ेगा।

हम अत्यन्त नम्रताके साथ निवेदन करते हैं कि इस तरहकी स्थिति उपनिवेश निवासी सभी समाजोंके हितकी दृष्टिसे अत्यन्त अनिष्ट है।

प्रायियोंने एक वषसे अधिकतर सावधानीसे जांच की है। अब वे इस निष्कपपर पहुँचे हैं कि भारतीयोंके मतोंके यूरोपीयोंके मतापर हावी हो जानेका डर विलबुल थाया है।

इसलिए हम उत्कटतासे प्रार्थना और आशा करते हैं कि मह सम्माननीय सभा भारतीयोंके मताधिकारको खास तौरसे रोकनेवाले या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें रंग भेद दाखिल करनेवाले किसी विधेयकको स्वीकार करनेके पहले सच्ची स्थितिकी जांच करा लेगी, जिससे यह पता चल जाये कि इस उपनिवेशमें सम्पत्तिके आधारपर मताधिकार प्राप्त कर सकनेवाले भारतीयोंकी संख्या कितनी है।

और न्याय तथा दयाके इस वायके लिए प्रार्थी, कतब्य समझकर, सदा दुआ करेंगे, आदि-आदि।

(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम  
तथा अन्य

एक छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ७९ तार दादाभाई नौरोजीको

माननीय दादाभाई नौरोजी तथा सर विलियम इंदरको ओर श्री चेम्बरलेनको भी, दिये गये तारकी प्रतिलिपि।

द्विन

मई ७, १८९६

भारतीय समाज आपसे हार्दिक विनती करता है कि नेटाल मताधिकार विधेयक या उसमें मन्त्रियों द्वारा गत रात्रिकी वेद किये गये परिवर्तनाको मजूर न करें। प्राथनापत्र' तैयार कर रहे हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

फ्लोनिंगल आफिस रेकॉर्ड्स नं० १७९, जिल्द १९६।

## ८० नेटाल भारतीय कांग्रेस

दुबैन

मई १४, १८९६

सेवामें

माननीय प्रधान मंत्री

पीटरमैरिट्सबर्ग

महोदय,

बताया जाता है कि आपने मताधिकार विधेयकके दूसरे वाचनके समय नेटाल भारतीय कांग्रेसके बारेमें यह कहा है

शायद सदस्यगण जानते न हागे कि इस देशमें एक सघ है। यह अपने ढंगका बहुत शक्तिशाली और बहुत ऐक्यबद्ध सघ है, हालांकि वह करीब-करीब गुप्त है। मेरा मतलब है, भारतीय कांग्रेससे।

क्या मैं पूछनेकी धृष्टता कर सकता हूँ कि आपके भाषणके उस अंशकी यह रिपोर्ट सही है अथवा नहीं? अगर सही है तो क्या इस विश्वासका कोई आधार है कि कांग्रेस "करीब-करीब एक गुप्त सस्था है"? मैं आपका ध्यान आकर्षित करनेकी इजाजत चाहता हूँ कि जब ऐसी सस्था स्थापित करनेका इरादा किया गया था, तब इसकी सूचना अखबारोंमें दे दी गई थी। जब सस्थाकी प्रत्यक्ष स्थापना हुई, उस समय विटनेत्तने उसका उल्लेख किया था। सस्थाकी वार्षिक कारवाइयाँ और सदस्याकी सूचियाँ बराबर पत्रोंको भेजी जाती रही हैं और पत्रोंने उनपर टीका टिप्पणी भी की है। ये कागजात मैंने कांग्रेसके अवैतनिक मंत्रीकी हैसियतसे सरकारको भी भेजे हैं।

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक,

(ह०) मो० क० गांधी

अवैतनिक मंत्री, नेटाल भारतीय कांग्रेस

साबरमती संग्रहालयमें सुरक्षित एक अंग्रेजी नकल से।

## ८१ नेटाल भारतीय कांग्रेस

द्वन

मह १४, १८९६

श्री सी० बट

मुख्य उपसचिव, औपनिवेशिक कार्यालय

पीटरमैरिट्सवग

महोदय,

माननीय प्रधानमन्त्रीके नाम नेटाल भारतीय कांग्रेस-सम्बन्धी मेरे पत्रके उत्तरमें आपका १६ ता० का पत्र न० २८३७/९६ मुझे मिला।

इस विषयमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेसकी बैठकें हमेशा खुले आम होती हैं और उनमें अखबारके लोगो तथा जनताको आनेकी इजाजत रहती है। कुछ यूरोपीय सज्जनोको, जिनके बारेमें कांग्रेस-सदस्याका खयाल है कि वे बैठकोमें दिलचस्पी रखते हगें, खास तौरसे आमन्त्रित किया जाता है। एक सज्जन आमन्त्रण स्वीकार करके बैठकमें आये भी हैं। अनामन्त्रित यूरोपीय प्रेक्षक भी एक-दो बार कांग्रेसकी बैठकोमें आये हैं।

कांग्रेसके एक नियममें यह व्यवस्था है कि यूरोपीयोको उपाध्यक्ष बननेके लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। इस नियमके अनुसार, दो सज्जनोसे पूछा भी गया था कि क्या वे इस सम्मानको स्वीकार करेंगे? परन्तु वे राजी नहीं हुए। कांग्रेसकी बैठकोकी वारवाई नियमित रूपसे लिखी जाती है।

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक,

(ह०) मो० क० गांधी

अवैतनिक मन्त्री, नेटाल भारतीय कांग्रेस

सावरमती सभहालयमें सुरक्षित एक अग्रेजी नकलसे।

## ८२ प्रार्थनापत्र . श्री चेम्बरलेनको

द्वंद्व

मद २२, १८९६

सेवामें

परम सम्माननीय जोसेफ चेम्बरलेन

मुख्य उपनिवेश-मंत्री, सम्राज्ञी-सरकार, लंदन

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल-निवासी भारतीय

ब्रिटिश प्रजाजनोका प्रायनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी मताधिकार कानून सशोधन विधेयकके सम्बन्धमें महानुभावके विचारके लिए नीचे लिखा निवेदन पेश करना चाहते हैं। यह विधेयक नेटाल-सरकारकी ओरसे नेटालकी ससदमें पेश किया गया है। १३ मई, १८९६ को कुछ सशोधनोके साथ ससदमें इसका तीसरा वाचन हुआ था।

विधेयकका पाठ, जैसा कि वह ३ मार्च, १८९६ के नेटाल गवर्नमेंट गजटमें प्रकाशित हुआ था, निम्नलिखित है

मताधिकार-सम्बन्धी कानूनके सशोधनाय

शून्य मताधिकार-सम्बन्धी कानूनका सशोधन करना जरूरी है,

इसलिए नेटालकी विधानपरिषद और विधानसभाके परामर्श तथा सम्मतिके साथ और द्वारा महामहिमामयी सम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती है

१ कानून न० २५, १८९४ रद्द कर दिया जाये, और वह इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

२ जो लोग इस कानूनके खण्ड ३ के अमलके अंतगत हैं उन्हें छोड़कर किन्हीं दूसरे व्यक्तिषोको, जो (यूरोपीय वंशके न होते हुए) इसी देशके हों, या ऐसे देशके निवासियोंको पुरुष-शाखाके वंशज हों, जिनमें अबतक चुनावमूलक प्रातिनिधिक सन्ध्याएँ नहीं हैं, तबतक किसी निर्वाचक-सूची या मतदाता-सूचीमें नाम लिखानेका, या १८९३ के सविधान-कानूनके खण्ड २२ के, अथवा विधानसभा-सदस्योंके चुनाव-सम्बन्धी किसी अन्य



कानूनके अथके अन्तर्गत निर्वाचककी हैसियतसे मत देनेका हक नहीं होगा, जबतक कि वे सपरिपद गवर्नरसे इस कानूनके अमलसे बरी विधे जानकेका आदेश प्राप्त न कर लें।

३ इस कानूनके खण्ड २ की व्यवस्थाएँ उस खण्डमें निर्दिष्ट उन लोगों पर लागू नहीं होंगी, जिनके नाम इस कानूनके अमलमें आनेकी तारीखको किसी मतदाता-सूचीमें वाजिबी तौरसे दज हो और जो अन्यथा निर्वाचक बननेकी योग्यता तथा हक रखते हों।

उपर्युक्त विधेयवके खण्ड १ द्वारा रद किया गया कानून निम्नलिखित है

चूंकि मताधिकार-सम्बन्धी कानूनका सशोधन करना और ससदोंके सस्याओंके अधीन मताधिकारका प्रयोग करनेका अम्यास न रखनेवाली एशियाई जातियोंको उससे निकाल देना जरूरी है,

इसलिए नेटालकी विधानपरिषद और विधानसभाके परामश तथा सम्भतिके साथ और द्वारा महामहिमामयी सम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं

१ इस कानूनके खण्ड २ में अपवाद माने गये लोगोंको छोड़कर, एशियाई वंशके लोगोंको किसी निर्वाचक-सूची या मतदाता-सूचीमें अपने नाम लिखानेका, या १८९३ के सविधान कानूनके खण्ड २२ के, अथवा त्रिधान सभा-सदस्योंके चुनाव-सम्बन्धी किसी भी कानूनके अथके अन्तर्गत निर्वाचकोंकी हैसियतसे मत देनेका अधिकार नहीं होगा।

२ इस कानूनके खण्ड १ की व्यवस्थाएँ उस खण्डमें उल्लिखित वरके उन लोगों पर लागू नहीं होंगी, जिनके नाम इस कानूनके अमलमें आनेकी तारीखको किसी मतदाता-सूचीमें वाजिबी तौरसे दज हों और जो अन्यथा निर्वाचक बननेकी योग्यता तथा हक रखते हों।

३ यह कानून तबतक अमलमें नहीं लाया जायेगा जबतक गवर्नर सरकारी घोषणा करके नेटाल गवर्नमेंट गजटमें सूचना न निकाले कि सम्राज्ञीने कृपा कर इस कानूनको अस्वीकार नहीं किया। और इसके बाद यह कानून उस तारीखसे अमलमें आयेगा जो गवर्नर इसी घोषणा द्वारा या किसी दूसरी घोषणा द्वारा सूचित करे।

विचाराधीन विधेयकके सम्बन्धमें २८ अप्रैल, १८९६ को विधानसभाको एक प्रायनापत्र<sup>१</sup> भेजा गया था। उसमें भारतीयोंने तत्सम्बन्धी विचार स्पष्ट कर दिये गये थे। उसकी एक नकल इसके माध नत्थी है, जिसपर 'क' चिह्न लगा है।

मई ६, १८९६ को विधेयकका दूसरा वाचन हुआ था। उस समय प्रधान-मन्त्री माननीय सर जान राविन्सनने अपने भाषणके दौरानमें कहा था कि मन्त्रियोंने आपसे यह जाननेकी कोशिश की थी कि क्या आप पूर्वोक्त विधेयकमें "चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ" शब्दोंके पहले "मताधिकारपर आधारित" शब्द जोड़ देनेको सहमत होंगे। और आप इसके लिए राजी थे।

इसपर ७ मई, १८९६ को प्राथियोने महानुभावको निम्नाशयका तार भेजा

भारतीय समाज आपसे हार्दिक धिनती करता है कि नेटाल मताधिकार विधेयक या उसमें मन्त्रियों द्वारा गत रात्रिको पेश किये गये परिवर्तनोंको मजूर न करें। प्रायनापत्र तयार कर रहे ह।

तथापि, ११ मई, १८९६ को सद्विधेयक समितिकी बैठकमें सर जान राविन्सनने घोषणा की कि महानुभावने और भी परिवर्धन कर देने — अर्थात् 'मताधिकार'के पहले 'ससदीय' शब्द जोड़ देनेकी सम्मति दे दी है।

फलत विधेयकका प्रातिनिधिक सस्याआ-सम्बन्धी भाग अब इस प्रकार पढ़ा जायेगा — "ससदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ।"

प्राथियोका नम्र खयाल है कि जहातक भारतीय समाजका — और सच-मुच, सभी समाजोंका — सम्बन्ध है, वर्तमान विधेयक उस कानूनसे भी बदतर है, जिसे वह रद करता है।

इसलिए प्राथियोको दुःख है कि आपकी प्रसन्नता विधेयकको मजूरी देनेमें रही। परन्तु उनका विश्वास है कि नीचे आपके सामने जो तथ्य और तर्क पेश किये जा रहे हैं उनसे आपको अपने विचारा पर फिरसे गौर करनेकी प्रेरणा मिलेगी।

१ देखिये अप्रैल २७, १८९६का प्रार्थनापत्र, पृष्ठ ३१९।

प्राथम्योक्ता हमेशासे यह दावा रहा है कि भारतमें भारतीयाको निश्चय ही "चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याओ" का लाभ प्राप्त है। परन्तु मताधिकारके प्रश्नपर प्रकाशित लेखादिसे मालूम होता है कि भारतीयोंके पास ऐसी सस्याएँ हैं—यह महानुभाव नहीं मानते। महानुभावके मतके लिए अबिकने अधिक आदर रखते हुए प्रार्थी सलग्न पत्र क्रमें उद्धृत अशाकी ओर महा नुभावका ध्यान आर्वापित करते हैं। उनमें विपरीत मतका पोषण किया गया है।

भारतमें "चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्याओ"के विषयमें आपके विचारा और वतमान विधेयककी स्वीकृतिमें नेटालका भारतीय समाज एक बहुत दुःख मय और विषम परिस्थितिमें पड गया है।

प्राथम्योक्ता निवेदन है कि

(१) नेटालमें भारतीयोंके मताधिकारपर प्रतिबन्ध लगानेवाले किसी कानूनकी जरूरत नहीं है।

(२) अगर इस विषयमें कोई सन्देह हो तो पहले जांच कराई जाये कि इस प्रकारकी आवश्यकता है या नहीं।

(३) अगर मान लिया जाये कि आवश्यकता है ही, तो भी वतमान विधेयक सीधे और खुले तरीकेसे कठिनाईका सामना करनेके लिए नहीं बनाया गया।

(४) अगर सम्राज्यी-सरकारको पूरा सन्तोष हो गया है कि ऐसे कानूनकी जरूरत है, और बगलत कानून बनाये बिना किसी विधेयकसे कठिनाई हल न होगी, तो ज्यादा अच्छा यह होगा कि कोई भी मताधिकार विधेयक हो, उसमें भारतीयोंका उल्लेख विशेष रूपसे किया जाये।

(५) वतमान विधेयकमें, उसके सन्दिग्ध अर्थ और अस्पष्टताके कारण, अनन्त मुद्दमेवाजीका बडा हो जाना सम्भव है।

(६) इसमें भारतीय समाज ऐसे खचमें पड जायेगा, जिसे बरदास्त करना उसके लिए करीब-करीब असम्भव होगा।

(७) मान लिया जाये कि विधेयक भारतीय समाजके मताधिकारपर प्रतिबन्ध लगाता है। तो फिर, उस समाजके किसी सदस्यके उसके अप्रसंगे छुटकारा पानेका जो उपाय उसमें बनाया गया है, प्रार्थी आदरपूर्वक निवेदन करने हैं, वह मनमाना तथा अयायपूर्ण है। उससे भारतीय समाजके अन्दर झगडे पैदा होनेकी सम्भावना है।

(८) जो कानून रद किया गया है उसके समान ही यह विधेयक भी यूरोपीया तथा अन्य वर्गोंके बीच द्वेषजनक भेद-भाव उत्पन्न करनेवाला है।

प्राथियोका नम्र निवेदन है कि नेटालकी मतदाता-सूचीकी वर्तमान हालतमें भारतीयोंके मताधिकारपर रोक लगानेके लिए कोई कानून बनाना बिलकुल अनावश्यक है। यह कानून सम्राज्यकी प्रजाके एक बहुत बड़े हिस्सेपर असर डालनेवाला है और इसे स्वीकार करनेमें गैर-जरूरी जल्दी की जाती दिखाई दे रही है। यह मजूर किया जा चुका है कि ९,३०९ यूरोपीय मतदाताओंके विरुद्ध भारतीय मतदाताओंकी संख्या केवल २५१ है। उनमें से २०१ या तो व्यापारी हैं या मुह्रिर, महायक, शिक्षक आदि। ५० बागवान तथा अन्य घरेवाले हैं। इन मतदाताओंमें से ज्यादातर लम्बे समयसे उपनिवेशमें बसे हुए हैं। हमारा निवेदन है कि इन आँकड़ोंसे किसी रोक-थामके कानूनकी जरूरत सिद्ध नहीं होती। विचाराधीन विधेयकका मशा एक दूरके, शक्य और सम्भाव्य स्तरकी व्यवस्था करनेका है। सच तो यह है कि एक ऐसा स्तर मान लिया गया है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं। श्रीमान जान राबिन्सनने विधेयकका दूसरा वाचन पेश करते हुए भारतीय मतकोंके यूरोपीय मतोंका निगल जानेका स्तर बताया था। अपने इस भयके उन्होंने निम्नलिखित तीन कारण बताये थे

(१) वर्तमान विधेयक द्वारा रद किये जानेवाले मताधिकार-कानूनके सम्बन्धमें सम्राज्यी-सरकारको जो प्रार्थनापत्र भेजा गया था, उसपर लगभग ९,००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये थे।

(२) उपनिवेशमें आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं।

(३) नेटाल भारतीय कांग्रेसका अस्तित्व।

जहाँतक पहले कारणका सम्बन्ध है, इस विषयके पत्र-व्यवहार तकमें नेटाल-सरकारने कहा है कि वे ९,००० हस्ताक्षरकर्ता मतदाता-सूचीमें शामिल होना चाहते हैं। प्राथनापत्रका पहला अनुच्छेद इस तर्कका पर्याप्त उत्तर है। नम्र निवेदन है कि प्राथियाने ऐसी किसी चीजकी कभी मांग नहीं की। उन्होंने सारे-सारे भारतीयोंका मताधिकार छीननेका विरोध बेशक किया है। प्राथी मानते हैं कि प्रत्येक भारतीयपर—चाहे वह सम्पत्तिजन्य योग्यता रखता हो या न रखता हो—विधेयकका बहुत भारी असर पड़नेवाला है। वे स्वीकार करते हैं कि माननीय प्रस्तावके बताये इस तथ्यसे यह दिखालाई पड़ता है कि भारतीयोंमें एक अशक्य सगठन करनेकी शक्ति है। परन्तु वे

आदरके साथ दावा करते हैं कि सगठन-शक्ति कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, वह प्राकृतिक बाधाओंको जीत नहीं सकती। उन ९,००० हस्ताक्षरकर्ताओंमें पहलेसे ही मतदाता-सूचीमें शामिल व्यक्तियोंको छोड़कर १०० भी ऐसे नहीं हैं, जो कानूनके अनुसार आवश्यक सम्पत्तिजय मताधिकार-योग्यता रखते हैं।

दूसरे कारणके सम्बन्धमें माननीय प्रस्तावकने कहा था

म सदस्योंको याद दिला देना चाहता हूँ कि आम चुनाव शीघ्र ही होनेवाले हैं। सदस्योंको सोचना होगा कि ये आम चुनाव किस मतदाता-सूचीके आधारपर किये जाने हैं। यह बात मेरे कहनेको नहीं है कि आगामी मतदाता-सूचीमें कितने भारतीय मतदाता हों, या न हों। परन्तु सरकार समझती है कि समय आ गया है जब कि इस प्रश्नको उठा लेनेमें और देरी नहीं करनी चाहिए और इसे हमेशाके लिए एकबारगी तय कर चलना चाहिए।

माननीय प्रस्तावकके प्रति समस्त उचित आदरके साथ प्रार्थी निवेदन करते हैं कि इस सब भयका सचमुच कोई आधार नहीं है। प्रवासी सरक्षणक्री १८१५ क्री रिपोर्टके अनुसार, उपनिवेशके ४६,३४३ भारतीयोंमें से ३०,३०३ स्वतंत्र भारतीय हैं। इमें लगभग ५,००० व्यापारी भारतीयोंको जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार ४५,००० से ऊपर यूरोपीयोंके विरुद्ध केवल ३५,००० भारतीय ऐसे हैं जो जरा भी उनके साथ होड़ कर सकते हैं। यह तो जान लेना सरल है कि १६,००० गिरमिटिया भारतीय गिरमिटमें बँधे रहते कभी होड़ नहीं कर सकते। परन्तु ३०,३०३ में से एक बहुत बड़ी बहुसंख्या गिरमिटिया भारतीयोंमें एक ही सीढ़ी ऊपर है। और प्रार्थी व्यक्तिगत अनुभवसे कह सकते हैं कि इस उपनिवेशमें हजारों भारतीय ऐसे हैं जो १० पाँड सालाना किराया नहीं देते। सब तो यह है कि हजारों लोगोंको इतनी रकमपर अपनी गुजर-बसरका साराका सारा गाड़ा चलाना पड़ता है। तो फिर, प्रार्थी पूछते हैं, भारतीयोंके अगले वर्ष मतदाता-सूचीपर छा जानेका डर कहाँ है?

मताधिकार छीना जानेका खतरा मत दो वर्षोंसे चला आ रहा है। इस बीच दो बार मतदाता-सूचीका सगोपन किया जा चुका है। भारतीयोंको डर था कि कहीं उनमें से बहुत-से लोगोंको रोक न दिया जाये। इसलिए उन्हें हर

तरहसे अपने मत बढ़ानेका प्रलोभन प्राप्त था। फिर भी मतदाता-सूचीमें एक भी भारतीयका नाम नहीं बढ़ा।

परन्तु माननीय प्रस्तावक आगे कहते ही गये

शायद सदस्यगण जानते न होंगे कि इस देशमें एक सघ है। वह अपने ढंगका बहुत शक्तिशाली और बहुत ऐयबद्ध सघ है, हालाँकि वह करोब-करोब गुप्त है। मेरा मतलब है, भारतीय कांग्रेससे। यह एक ऐसा सघ है जिसके पास बहुत धन है। वह एक सघ है जिसके अध्यक्ष बहुत कमठ और बहुत योग्य व्यक्ति ह। और वह एक सघ है जिसका घोषित ध्येय उपनिवेशके कामकाजमें प्रबल राजनीतिक शक्तिका प्रयोग करना है।

प्राथियोका निवेदन है कि कांग्रेसके बारेमें यह अन्दाजा वस्तुस्थितिकी कसौटीपर खरा नहीं उतरता। जैसा कि नेटालके प्रधानमन्त्री और कांग्रेसके अवतनिक मन्त्रीके पत्र-व्यवहारसे स्पष्ट हो जायेगा, गुप्तताका आरोप एक गलत खयालके कारण किया गया था (परिशिष्ट ख, ग, घ)। इस विषयमें उन्होंने २० तारीखको विधानसभामें एक वक्तव्य भी दिया था।

कांग्रेसने कभी किसी रूपमें “प्रबल राजनीतिक शक्तिका प्रयोग करने” का इरादा या प्रयत्न भी नहीं किया। कांग्रेसके ध्येय नीचे लिखे अनुसार हैं, जो पिछले वष दक्षिण आफ्रिकाके प्रायः प्रत्येक पत्रमें प्रकाशित हो गये थे

“(१) उपनिवेशवासी यूरोपीयो और भारतीयोंके बीच अधिक मेलजोल पैदा करना और मिश्रताका भाव बढ़ाना।

(२) पत्रोंमें लेख लिखकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करके और व्याख्यानोके द्वारा भारत और भारतीयके बारेमें जानकारीका प्रसार करना।

(३) भारतीयोंको, और खास तौरसे उपनिवेशमें पैदा हुए भारतीयोंको, भारतीय इतिहासकी शिक्षा देना और उन्हें भारतीय विषयोवर अध्ययन करनेको प्रेरित करना।

(४) भारतीयोंको जो मुसीबतें भोगनी पड रही हैं उनका पता लगाना और उनका निवारण करनेके लिए सब वैध उपायोसे आन्दोलन करना।

१ देखिए, पृष्ठ ३२९ और ३३०।

(५) गिरमिटिया भारतीयानी हाजताकी जाँच करना और उन्हें सहायता देकर विशेष कठिनाइयोंमें उबारना ।

(६) गरीबा और जरूरतमन्दाको सब उचित तरीकोंसे सहायता देना ।

(७) और, आम तौरपर ऐसे सब काम करना, जिनसे भारतीयोंकी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक स्थितिकें सुधार हो ।”

इस प्रकार देगा जायेगा कि कांग्रेसका ध्येय भारतीयोंके अपकृपको रक्षना है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं । जहाँतक धनकी बात है, लिखनेके समय कांग्रेसके पास लगभग १,०८० पौंडकी जमादाद है, और १४८ पौंड ७ दि० ८ पैसेकी रकम बैंकमें जमा है । यह धन धर्मिय बापों, प्रायना-पत्राकी छपाई और चालू रखने लिए है । प्राथियोंके विनम्र मतमें यह धन कांग्रेसके ध्येय पूरे करनेके लिए भी काफी नहीं है । धन न होनेसे गिम्मा सम्बन्धी बायमें भारी बाधा पड़ रही है । इसलिए प्राथी निवेदन करना चाहते हैं कि बतमान विधेयवका मद्दा जिन रतरेसे रखा करनेका है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं ।

तथापि सम्राज्ञी-सरकारसे प्राथियोंकी यह विनती नहीं है कि उनके अपने कथनके आधारपर ही उपर्युक्त तथ्योंको स्वीकार कर लिया जाये । अगर इनमें से किसीके भी बारेमें कोई सन्देह हो तो, प्राथियोंका निवेदन है, उचित तरीका यह होगा कि उनके बारेमें जाँच कराई जाये । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हजारों लोगोंमें मतदाता बननेके लिए आवश्यक सम्पत्तिअन्य योग्यता नहीं है । इसलिए इसकी खास तौरसे जाँच की जानी चाहिए कि उपनिवेशमें ऐसे भारतीय कितने हैं, जिनके पास ५० पौंड मूल्यकी अवल सम्पत्ति है, या जो १० पौंड वार्षिक किराया अदा करते हैं । ऐसा हिसाब तैयार करनेमें न तो बहुत समय लगेगा और न बहुत व्यय ही होगा । साथ ही इसमें मताधिकारके प्रदानको सन्तोषजनक रूपसे हल करनेमें बहुत मदद मिलेगी । क्लॉर्क-ज-क्लॉर्क वानून मजूर कर लेनेकी सरगम जल्दवाजी प्राथियोंके नम्र मतसे, समग्र उपनिवेशके सर्वोत्तम हितोंके लिए हानिकारक होगी । भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे जहातक प्राथियोंका सम्बन्ध है वे सम्राज्ञी-सरकारको आश्वासन देते हैं कि उनका इरादा आगामी बरक आम चुनावोंकी मतदाता-सूचीमें एक भी भारतीयका नाम शामिल करानेका नहीं है । यही आश्वासन वे अधिकारी रूपसे उस मस्याकी ओरसे भी देते हैं, जिसके सदस्य होनेवा उन्हें सम्मान प्राप्त है ।

सरकारी मुखपत्रने वतमान विधेयककी चर्चा करते हुए सम्भवत एव पर-  
प्रेरित लेखमें इस विचारका समर्थन किया है कि "खतरा काल्पनिक" है।  
उमने कहा है

और हमें निश्चय है कि यदि कभी एशियाई मतोंसे इस उपनिवेशमें  
यूरोपीय शासनकी स्थिरतापर खतरा आ ही जाये, तो सम्राज्यी-भरकार  
इस प्रकारकी कठिनाई पार करनेके उपाय निकाल लेगी। नया विधेयक  
उन सब लोगोंके मताधिकार प्राप्त करनेपर कुछ मर्यादाएँ लादता है,  
जो यूरोपीय वशके नहीं ह। अभी, देशी लोगो-सम्बन्धी कानूनके अनुसार,  
केवल देशीयोको छोड़कर शेष सब जातियो और वर्गोंकी ब्रिटिश प्रजाको  
मताधिकार मुलभ है। फिर भी कुल ९,५६० मतदाताओंमें से भारतीय  
मतदाताओंकी सख्या सिफ २५० के लगभग है। या, यो कहा जा सकता  
है कि, ३८ यूरोपीय मतदाताओंके पीछे सिफ एक भारतीयको मत देनेका  
अधिकार प्राप्त है। इस स्थितिमें हमारा विश्वास है कि नये विधेयकसे  
अगर हमेशाके लिए नहीं तो भी बहुत बचाके लिए इस विषयकी जरूरत  
पूरी हो जायेगी। उदाहरणके लिए, दक्षिण फरोलीनामें २१ वषसे ऊपरके  
नीचो लोगोकी सख्या १,३२,९४९ है। इसके विपरीत २१ वषसे ऊपरके  
गोरे १,०२,५६७ ही ह। फिर भी, अल्पसंख्यक होनेपर भी, गोरोने  
प्रभुत्व शक्ति अपने हाथोंमें कायम रखी है। सच बात यह है कि सख्याके  
बावजूद शासनकी बागडोर हमेशा वरिष्ठ जातिके हाथोंमें ही रहेगी।  
इसलिए हमारा ऐसा विश्वास होता है कि भारतीय मतोंके  
यूरोपीय मतोंको निगल जानेका खतरा काल्पनिक है। हम  
जो कुछ जानते हैं उससे हमारा खयाल है कि भारतको 'चुनावमूलक  
प्रातिनिधिक सस्याओ'वाला देश करार दिया जायेगा। वास्तवमें,  
बार-बार पेश की जानेवाली यह दलील कि भारतीय उन सस्याओंके  
तत्त्व और जिम्मेदारियोसे अपरिचित ह, सचमुच ठीक निशानेपर नहीं  
बठती। कारण यह है कि भारतमें लगभग ७५० म्यूनिसिपल कमेटियाँ  
ह। उनमें ब्रिटिश और भारतीय मतदाताओंको बराबर अधिकार ह।  
१८९१ में ८३९ यूरोपीय म्यूनिसिपल सदस्योंके मुकाबलेमें भारतीय  
सदस्य ९,७९० थे। फिर, अगर हम मान भी लें कि भारतीयोंको



‘चुनावमूलक प्रातिनिधिक सभ्याओं’ के देशते आये हुए करार दिया जायेगा, तो भी हम नहीं मानते कि हमारे आक्रान्त हो जानेका खतरा जरा भी सम्भव है। क्योंकि, पिछले अनुभवने साबित कर दिया है कि भारतीयोंका जो वर्ग साधारणत यहाँ आता है वह मताधिकारकी विन्ता नहीं करता। इसके अलावा, उनमें से अधिकतर मताधिकारके लिए आवश्यक थोड़ी-सी सम्पत्ति जन्य योग्यता भी नहीं रखते। फिर हम एक ही साम्राज्यके अंग हैं। उससे प्रति हमारा उत्तरदायित्व हमें भारतीयोंको भारतीयोंके ही नते मताधिकार-जैसे विशेषाधिकारके प्रयोगसे वंचित करनेकी इजाजत नहीं देता। इसलिए, जहातक हमारा सम्बन्ध है, ऐसा रख कारगर होनेवाला नहीं है और उसे छोड़ देना ही अच्छा है। अगर नये कानूनकी ध्यवस्थाएँ मतदाता-सूचीमें अवाञ्छित लोगोंका आना न रोक सकें तो हम सम्पत्तिजन्य योग्यताको बढ़ा सकते हैं। इससे हमें रोकनेवाली चीज क्या है? अभी साम्प्रतिक योग्यता बहुत थोड़ी है। इसलिए उसे बढ़ाकर दूना भी किया जा सकता है। शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताकी शत भी बढ़ी जा सकती है। इससे यूरोपीय मतदाता तो एक भी खारिज न होगा, परन्तु भारतीय मतदाताओपर ध्यापक असर पड़ेगा। भारतीयोंमें लगभग १०० पौंडकी अचल सम्पत्ति रखनेवालो या २० पौंड सालाना किराया देने वाला और अंग्रेजी लिख-पढ़ सकनेवालोंकी सख्या बहुत ही कम होगी। यदि यह उपाय विफल हो जाये तो हम मिसिसिपी योजना या परिस्थितियोंके अनुकूल उसका कोई सशोधित रूप स्वीकार कर सकते हैं। इससे हमें रोकनेवाली कोई चीज नहीं होगी। (५ मार्च, १८९६)

इस तरह, सरकारी मुखपत्रके अनुसार ही स्पष्ट है कि वर्तमान सम्पत्ति जन्य योग्यता मतदाता-सूचीमें भारतीयोंकी किमी भी अनुचित भरमारकी रोकनेके लिए काफी है। और यह भी कि, वर्तमान विधेयकका एकमात्र उद्देश्य भारतीय समाजको सताना — उसे खर्चीली मुकदमेबाजीमें झोक देना है।

१८९५ के मारिशस आलमेंस [ मारिशसके तिथिवार वार्षिक विवरण ] के अनुसार, १८९४ में “सामाय आवादी” शीपबुकके अन्तगत मारिशसकी

आवादी १,०६,९९५ थी। इससे मुनाफ़ेमें भारतीयोंकी सख्या २,५९,२२४ बढ़ाई गई थी। वहाँ मताधिकारकी योग्यता इस प्रकार है

प्रत्येक पुरुषको किसी भी धर्म किसी भी निर्वाचन-क्षेत्रकी मतदाता-सूचीमें नाम दर्ज करानेका, और नाम दर्ज हो जानेपर उस क्षेत्रसे परिषदके सदस्यके चुनावमें मत देनेका हक होगा। उसमें ये योग्यताएँ होनी चाहिए

१ उसने २१ वर्षको उम्र प्राप्त कर ली हो।

२ उसपर कोई कानूनी प्रतिबंध न हो।

३ वह जन्म अथवा निवासके आधारपर ब्रिटिश प्रजा हो।

४ वह नाम दर्ज करानेके पहले कमसे कम तीन वर्ष तक उपनिवेशमें रह चुका हो और नीचे लिखी योग्यताओंमें से कोई एक उसमें हो

(क) प्रत्येक वर्षकी पहली जनवरीको और उससे पहलेके ६ महीनोंमें उसके पास उस क्षेत्रके अंदर सारा एच और डैनवारी बाद करके ३०० रुपये मूल्यकी या २५ रुपये मासिक आयकी अचल सम्पत्ति रही हो।

(ख) नाम दर्ज करानेकी तारीखको वह उस क्षेत्रमें स्थित अचल सम्पत्तिका कमसे कम २५ रुपये मासिक किराया दे रहा हो। इसी तरह वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्वके छ महीनोंमें इतना किराया देता रहा हो।

(ग) वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व तीन महीनेसे उस क्षेत्रमें रह रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अथवा नौकरीका मुख्य स्थान रहा हो। और, वह उपनिवेशके अंदर कमसे कम ३,००० रुपयेकी अचल सम्पत्तिका मालिक हो।

(घ) वह उपर्युक्त योग्यताओंमें से कोई भी एक योग्यता रखनेवाली स्त्रीका पति या ऐसी विधवाका सबसे बड़ा लड़का हो।

(ङ) वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व तीन महीनेसे उस क्षेत्रमें रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अथवा नौकरीका मुख्य स्थान रहा हो। और, उसे कमसे कम ६०० रुपये वार्षिक या ५० रुपये मासिक धेतन मिलता हो।

(घ) वह उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व तीन महीनेसे उस क्षेत्रमें रहा हो। या, उसमें उसके व्यापार अथवा नौकरीका मुख्य स्थान रहा हो। और, वह हमसे कम ५० रुपये वार्षिक परधाना-शुल्क देता हो।

सतें ये हैं कि—

(१) ऐसे किसी आवामीको मतदाता-सूचीमें नाम लिखाने या परिषदके सदस्यके धुनायमें मत देनेका हक नहीं होगा, जिसे हमारे राज्यकी किसी अदालत द्वारा जालसाजीके अपराधमें सजा दी गई हो, या जिसे ऐसी अदालतने मौत, गुलामी, सख्त कद या १२ महीनेसे ज्यादा कदकी सजा दी हो, और जिसने वह सजा या उसके बदलेमें दी गई सजा न भोगी हो, या हमसे क्षमा प्राप्त न की हो।

(२) ऐसे किसी व्यक्तिको किसी वर्षमें मतदाता नहीं बनाया जायेगा जिसने उस वर्षकी पहली जनवरीके पूर्व १२ महीनेके अंदर सरकार या गिरजाघरसे किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता पाई हो।

(३) ऐसे किसी व्यक्तिको किसी वर्षमें मतदाता नहीं बनाया जायेगा, जो नाम दज करवाले अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें अपना नाम दज करानेके कागजपर अपने हाथसे हस्ताक्षर न करे, तारीख न डाले और वे योग्यताएँ न लिखे, जिनके आधारपर वह नाम दज करानेका हक पेश करता है।

(४) ऐसे किसी व्यक्तिको, जो (ग), (घ), (ङ) या (च) में बताई गई योग्यताओंके अनुसार अपने निवासके क्षेत्रसे मतदाता-सूचीमें नाम दज करानेका दायेदार हो, उसी योग्यताके आधारपर उसके व्यापार या नौकरीके मुख्य स्थानसे मतदाता नहीं बनाया जायेगा। इसका उलटा भी न किया जायेगा।

भारिशसमें इन योग्यताओंके होते हुए कोई क्षण-क्षण दिखलाई नहीं पड़ता, हालांकि वहाँ भारतीयोंकी सख्या सामान्य आवालीसे दूनी है और वहाँके भारतीय नेटालके भारतीयोंके ही बगके हैं। फक सिर्फ यह है कि वे अपने नेटालवासी भारतीयोंसे बहुत ज्यादा समृद्धिशाली हैं।

तथापि, यदि मान लिया जाये कि भारतीयोंके मताधिकारके प्रश्नको सुलझानेकी जरूरत है ही, तो भी प्रायः आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत विधेयकका मसौदा सीधे और खुले ढंगसे उसे सुलझानेका नहीं है। बताया गया है कि नेटालके माननीय और विद्वान महान्यायवादीने दूसरे वाचनकी बहसके दौरानमें वतमान कानूनमें थोड़ा-सा परिवर्तन करनेके एक सुझावकी चर्चा करते हुए कहा था

मने कानूनमें परिवर्तन करनेसे इनकार किया, इसका कारण यह था कि यँसा परिवर्तन करनेका अर्थ बगली श्लोके — अप्रत्यक्ष प्रभाव — और गुपचुप तरीकेसे काम साधना होता, जब कि सरकारका इरादा उसे खुले-आम करनेका है।

प्रस्तुत विधेयकको स्वीकार करनेकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे "बगली श्लोके और गुपचुप तरीके"की कल्पना करना कठिन है। प्रस्तुत विधेयक तो हर व्यक्तिको अँधेरेमें रखनेवाला है। ८ मई, १८९६ के नेटाल एक्टॉफ़िजरका कथन है

प्रस्तुत विधेयक अगर बगली श्लोका नहीं तो क्या है? उसका सारा लक्ष्य यह प्रयत्न करनेका है कि पिछले सत्रका कानून जो कुछ करनेमें असफल रहा उसे गुपचुप और बगली श्लोकेसे पूरा कर लिया जाये। श्री एस्क्म्वने स्वीकार किया है कि वह कानून क्रूरतापूर्ण और सीधी मार करनेवाला था। और उन्होंने ठीक ही कहा कि इसी कारण उसे सम्राज्ञी-सरकारकी सम्मति नहीं मिली। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वतमान विधेयकका ठीक यही लक्ष्य है, जो कि उस "क्रूर" विधेयकका था। फक सिफ इतना है कि यह विधेयक अपने उद्देश्यको ईमानदारी और अकुटिलताके साथ व्यवहृत नहीं करता। दूसरे शब्दोंमें, इसका मसौदा सरल तरीकेसे अप्राप्य लक्ष्यको गुपचुप और बगली श्लोकेसे प्राप्त करना है।

अगर सम्राज्ञी-सरकारको विश्वास हो गया है कि नेटालमें भारतीयोंके मताधिकारको मर्यादित करनेकी सच्ची जरूरत है, अगर उसे सन्तोष हो गया है कि बगलत कानूनके सिवा इस प्रश्नको हल किया ही नहीं जा सकता और अगर वह उपनिवेशके इस विचारको स्वीकार करती है कि १८५८ की घोषणाके

बावजूद भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोके साथ यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोसे भिन्न आधारपर व्यवहार किया जा सकता है, तो प्रार्थी निवेदन करते हैं कि द्विविधाजनक वानुा बनाकर मुकदमेवाजी और मुसीबतके लिए दरवाजा खोल देनेसे बेहद अच्छा यह होगा कि सम्राज्ञी-सरकारकी रायमें जो अधिकार भारतीयोको नहीं मिलने चाहिए उनसे उन्हें नाम लेकर बाद कर दिया जाये।

अगर विधेयक मजूर हो गया तो मानी हुई बात है कि वह अपने द्विविधा जनक अथवे कारण अनन्त मुकदमेवाजीको जम देगा। यह भी पहले दजेसे महत्त्वकी बात मानी गई है कि भारतीय मताधिकारका प्रश्न नेटालके प्रधान मन्त्रीके शब्दोंमें, "हमेशाके लिए एकबारगी तय" कर दिया जाये। और फिर भी, नेटाली लोकमतके अधिकतर नेताओंके मतानुसार, विधेयकसे वह प्रश्न "हमेशाके लिए एकबारगी" तय नहीं होगा।

नेटाल विधानसभाके विपक्षी नेता श्री विन्सने यह सिद्ध करनेके लिए कि भारतमें ससदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक सस्थाएँ मौजूद हैं, गिन गिनकर प्रमाण पेश किये। बादमें, रिपोर्टके अनुसार, उन्होंने कहा

उन्होंने आशा व्यक्त की कि मने सिद्ध कर दिया है, उस आधारपर विधेयक गलत है। भारतमें प्रातिनिधिक सस्थाएँ और चुनावका सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है। भारतीयोको ससदीय मताधिकार प्राप्त है। म्यू निसिपल मताधिकार तो बहुत व्यापक है। वह स्थानीय शासनपर असर डालता है। फिर, अगर यह स्थिति है तो आपके इस विधेयकको स्वीकार करनेका क्या उपयोग? मने विधानसभाके सामने जो तथ्य पेश किये हैं वे बड़ेसे बड़े अधिकारी विद्वानोंके जो प्रयत्न म पा सका उनसे लिये गये हैं। उनसे अत्यन्त निर्णायक रूपमें सिद्ध हो जाता है कि भारतमें इन सस्थाओंका अस्तित्व है। एक विषयमें तो बिलकुल सदेह है ही नहीं। अगर यह विधेयक कानून बन गया तो आप अनन्त मुकदमेवाजी, फठिनाइयों और मुसीबतोंमें फँस जायेंगे। विधेयक काफी स्पष्ट या निश्चयात्मक नहीं है। हम कुछ अधिक स्पष्ट और निश्चयात्मक बनाना चाहते हैं। म चाहता हूँ कि इस प्रश्नका फंसला हो जाये और म कसला

करनेमें जो भी मवाद कर सकूंगा, सब कहूंगा। परन्तु मेरा खयाल है कि यह विधेयक गलत तरीकेपर बनाया गया है। इसमें एक बात ऐसी है, जो सही नहीं है। यह हमें अनन्त मुकदमेबाजी, फठिनाई और मुसीबतमें डाल देगा। इस विधेयकके दूसरे वाचनके पक्षमें मत देना मेरे लिए असम्भव होगा।

श्री बेल विधानसभाके एक प्रमुख सदस्य और नेटालके एक प्रमुख वकील है। वे उपनिवेशके सामान्य कानूनके अन्तगत भारतीयोंका मताधिकार कायम रखनेके विरोधी हैं। फिर भी वे श्री बिन्सके विचारोंसे सहमत थे। उन्होंने भारतीयों और समस्त उपनिवेशकी ओरसे विधानसभासे भावपूर्ण अनुरोध किया कि वह विधेयकको स्वीकार न कर

यह मुकदमेबाजीको जन्म देगा, शत्रुताका भाव पैदा करेगा और स्वयं भारतीयोंके बीच क्षोभ उत्पन्न कर देगा। इसके अलावा, इससे प्रीवी कांसिल [सम्राज्यकी 'याय-परिषद'] के पास मामले भेजनेकी प्रेरणा मिलेगी और सभाके सदस्योंके चुनावपर बुरा असर पड़ेगा। इस विधेयकके साथ जो बड़े प्रश्न उलझे हुए हैं, उनके खयालसे मैं आशा करता हूँ कि इसका दूसरा वाचन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नेटाल विटनेसने ८ मईको परिस्थितिका सार इस प्रकार दिया है

अगर विधेयकको जैसा है वसा ही स्वीकार करके कानूनका रूप दे दिया गया तो उपनिवेश गम्भीर मुकदमेबाजीमें फँस जायेगा—हमारी इस चेतावनीका श्री बिन्स और श्री बेलने समर्थन किया है। और श्री स्मिथकी आधी रोटी, जो न-कुछसे अच्छी है, इन दामो बहुत महँगी पड़ेगी। हमारा खयाल है कि सम्राज्यके कानूनी सलाहकारोंने विधेयकपर विचार किया ही नहीं। हमारे इस खयालका कारण विधेयकसे उठनेवाले अत्यन्त नाजुक प्रश्न हैं। अगर विधेयकके शब्दोंमें ऐसा परिवर्तन न कर दिया गया, जिससे कानूनका आश्रय लेनेकी सम्भावना निकल जाये, तो निश्चय ही उन प्रश्नोंकी अदालतमें ले जाया जायेगा। उन प्रश्नोंमें से कुछ ये हैं क्या कोई उपनिवेश ऐसा कानून बना सकता है, जो इंग्लैंडके नागरिक अधिकार-दानके कानूनका उल्लंघन करता हो? ब्रिटिश भारतीय ब्रिटिश

प्रजा हें या नहीं? इतरे शब्दोंमें, विधेयक ब्रिटिश साम्राज्यमें ब्रिटिश भारतकी स्थितिका सारा प्रश्न खड़ा फर देता है। क्या १८५८ की घोषणाके बाद उसके द्वारा प्रदान किये गये विशेषाधिकारोंके किसी अंशका हरण करने [के लिए] नेटालमें विशेष कानून बनाये जा सकते हें?

अपने ८ मईके अप्रैलमें विधेयकके द्विविधाजनक अर्थ और उसकी अस्पष्टतापर खेद प्रकट करनेके बाद नेटाल एडवर्टाईजने कहा है

सच्ची स्थिति यह है [कि] प्रस्तुत विधेयककी एक-एक पवित विवादोंका गुप्त गढ़ है। ये सब विवाद एक दिन खुलकर खेलने लगेंगे। और इनसे भारतीयों और यूरोपीयोंके बीचका मत-सम्बन्धी सघप शायद अधिक कटुताके साथ बर्षोंके लिए स्थायी बन जायेगा।

यह मनहूस सम्भावना — यह सतत आन्दोलन — किसलिए? सिफ एक ऐसे खतरको टालनेके लिए जिसका अस्तित्व ही नहीं है। प्रार्थी सम्राज्ञी सरकारसे प्रायना करते हैं कि वह अगर सारे उपनिवेशको नहीं, तो केवल भारतीय समाजको ही सही, इससे बचा ले।

ऐसे सघपका खच भारतीयोंकी शक्तके परे है। इसे साबित करनेके लिए किसी दलीलकी जरूरत नहीं। साराका सारा सघप बेजोड पदोंके बीच है। अब, यह भी मान लिया जाये कि, उच्चतम न्यायालयने अपना मत दे दिया है कि भारतीयोंके पास "संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनाव मूलक प्रातिनिधिक सस्याएँ" नहीं हैं। तो फिर, विधेयकमें भारतीयोंको मत दाता-सूचीमें शामिल करनेकी जो पद्धति बताई गई है वह, प्रायियोंके मत मतसे, हर तरह असन्तोषप्रद हो जाती है।

विधेयकका जो भाग गवर्नरको अधिकार प्रदान करता है उसको तो यूरोपीयोंने भी उतने ही जोरोसे नापसन्द किया है। नेटाल विटनेत्ने उस विषयमें कहा है

वह महान सवैधानिक सिद्धान्तपर हमला करता है। इससे अलावा प्रातिनिधिक सस्याओंके कायमें वह एक ऐसे तत्त्वको बाधित करता है, जिसे अज्ञात राशि कहा जा सकता है। उन सस्याओं पर पढ़नेवाला तीसरी उपधाराका असर। यह

111  
112  
113  
114

Handwritten text on a single line, possibly a header or title, with some illegible characters.

Main body of handwritten text, consisting of approximately 15 lines of dense, cursive script.

Final section of handwritten text, consisting of approximately 5 lines of dense, cursive script.



आश्वासन दिया है। भूतपूर्व मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके एष नेटालके भारतीय समाजको सम्मत्ता-सरकारने यह आश्वासन दिया है। यदि अमुक योग्यता रखनेवाले ब्रिटिश प्रजाजन अधिकार माँग सकते हैं तो, प्रायः नम्रतापूर्वक पूछते हैं प्रजाजन क्यों नहीं माँग सकते ?

तरीका दुःसाध्य है और वह मताधिकारके सधपको इमके अलावा वह सधपको यूरोपीयोंके हाथसे भारतीयोंके देगा। विधानसभामें दूसरे वाचनपर दिये गये मापणोसे गवर्नर यदि अपने अधिकारका जरा भी प्रयोग करेंगे भी, कर करेंगे।

विधेयकका मशा भारतीय समाजमें फूट पैदा करना उम्मीदवारको त्यागा जायेगा वह अगर अपने-आपको दूसरों मानता हो तो अपने भाईके प्रति की गई कृपासे नाराज

महानुभावने मताधिकार-सम्बन्धी अपने बरोतेमें भारतीयोंके हक देनेवाली तीन योग्यताएँ बताई हैं। वे हैं—विधेयक। प्राथमिक निवेदन है कि अगर शिक्षा, ज्ञान और मात्रा उपनिवेशवासी भारतीयोंके मताधिकार पानेके लिए का गवर्नरके हाथमें अधिकार सौंपनेके बजाय इसी तरहकी जा सकती है। यहाँ हम महानुभावका ध्यान नेटाल म ऊपर उद्धृत अशकी ओर आकर्षित करते हैं। अगर विधेयक अन्दर आनेवाले लोगोंके लिए आवश्यक योग्यताओंका वर्णन इससे विधेयकके उस भागका विवादात्मक स्वरूप मिट जा उसकी मर्यादामें आनेवाले लोगोंको ठीक-ठीक ज्ञान रहेगा कि होनेपर उन्हें मत देनेका अधिकार मिलेगा। ८ मईने नेटाल स्थितिको साररूपमें भली भाँति पेश किया गया है

वर्तमान विधेयककी कुटिलताका एक और प्रमाण इस है कि सपरिषद गवर्नरको कुछ भारतीयोंको मतवाता-भूचीमें

किया जायेगा, फिर भी किया अवश्य जायेगा। इसपर भी महान्यायवादीने घोषित किया “वर्तमान विधेयक द्वारा ऐसी परिस्थितियोंमें दिया गया मतदाता सूचीमें शामिल करनेका अधिकार सिर्फ सपरिषद गवर्नरके जरिये प्राप्त किया जा सकेगा। समाजका प्रत्येक अंग अब समझने लगा है कि मंत्रियोंकी जिम्मेदारियोंका सच्चा अर्थ क्या है। और वह भली-भाँति जानता है कि अगर मंत्रियोंने भारतीयोंको मतदाता बनाकर चुनाव क्षेत्रोंमें मिलावट करनेकी जिम्मेदारी उठाई तो वे चौदह दिन भी अपने पदपर ठहर न सकेंगे।” आगे उन्होंने कहा “दक्षिण आफ्रिकामें एक छोरसे दूसरे छोरतक इसके सिवा कोई दूसरी आवाज न होगी कि देशकी मतदाता-सूची पूर्णतः यूरोपीय जातितक सीमित रहे। यह हमारा पहला खयाल था, जिसे लेकर हम आगे बढ़े, यही सदा हमारा लक्ष्य रहा है।” अगर मंत्रियोंकी इन घोषणाओंका कोई अर्थ है तो यह है कि नियमसे मुक्त करनेके अधिकारको काममें लानेका इस सरकारका कोई इरादा नहीं है। फिर इसे विधेयकमें क्यों रखा गया? विधेयकमें एक व्यवस्था जोड़ी जाती है। उसके निर्माता उसे स्वीकृतिके लिए पेश करते हुए घोषित करते हैं कि वे उसे निरूपयोगी मानेंगे। फिर क्या इसमें पदका या, अगर ज्यादा अर्थ व्यक्त होता हो तो, बगली शब्दोंका — अप्रत्यक्ष प्रभावका — दिखावा भी नहीं है?

विधेयकके अमलसे मुक्त किये जानेकी अर्जी देना और फिर अपनी अर्जीके खारिज हो जानेकी जोखिम भी उठाना किसी धनी भारतीय व्यापारीको प्रिय न होगा। यह समझमें आना कठिन है कि जिन देशोंमें अबतक ससदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैं उनसे आनेवाले यूरोपीयोंको उपनिवेशके सामान्य कानूनके अनुसार मत देनेका अधिकार क्यों मिले, जबकि वह उसी स्थितिके गैर-यूरोपीयोंको नहीं मिल सकता।

सरकारके विचारसे वर्तमान विधेयक प्रयोगात्मक है। दूसरे वाचनमें माननीय महान्यायवादीने कहा है “अगर हमारे विश्वास और दृढ़ विश्वासके विपरीत विधेयक अपेक्षासे कम उत्तरा तो उपनिवेशमें कमी शान्ति नहीं होगी”, आदि। इसलिए विधेयक निश्चयवाचक नहीं है। ऐसी हालतामें जबतक वर्गगत

वानूनवा आश्रय लिये बिना सब साधनोंका प्रयोग करके उन्हें असफल नहीं पाया जाता (अर्थात्, यह मानकर कि भारतीय मर्तोंके यूरोपीय मर्तोंको निगल जानेका खतरा उपस्थित है), तबतक वर्तमान विधेयक जैसा-कोई विधेयक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्राणियोंका निवेदन है कि यह सम्राज्ञीके वेचल मुट्ठी भर प्रजाजनोंको हानि पहुँचानेवाला वानून नहीं, बल्कि ३० करोड़ वफादार प्रजाजनोंपर प्रहार करनेवाला है। प्रश्न यह नहीं है कि कितने और किन भारतीयोंको मताधिकार दिया जाये, बल्कि यह है कि भारतके बाहर और ब्रिटिश उपनिवेशोंमें तथा सह-राज्योंमें भारतीयोंका दर्जा क्या होगा? क्या कोई सम्भ्रान्त भारतीय व्यापार या किसी अन्य उद्यमके लिए भारतके बाहर जा सकता है और वहाँ कोई मान-मर्पादा रखनेकी आशा कर सकता है? भारतीय प्रवासी दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिक भविष्यको ढालनेके दृष्टिक नहीं हैं। परन्तु वे इतना अरुण चाहते हैं कि उनपर बिना कोई अपमानजनक शर्त लादे उन्हें निर्विघ्न रूपसे अपने शान्तिपूर्ण ध्ये करने दिया जाये। इसलिए प्राचीं निवेदन करते हैं कि अगर भारतीयोंके मत प्रबल हो जानेका जरा-सा भी खतरा हो तो सबके लिए समान रूपसे एक रिझा-सम्बन्धी कसौटी निर्धारित कर दी जाये। उसके साथ सम्पत्तिजन्य योग्यतामें भी चाहे तो वृद्धि कर दी जाये, या न की जाये। इससे, सरकारी मुखपत्रके मतानुसार भी, सब भय निर्मूल हो जायेगा। अगर यह असफल रहे तो बादमें ज्यादा सख्त कसौटी जारी की जा सकती है, जो यूरोपीयोंके मतोंमें बाधा डाले बिना भारतीयोंपर असर करनेवाली हो। अगर नेटाल-सरकारको भारतीयोंको मताधिकारसे पूरी तरह वंचित कर देनेसे कम किसी बातसे सन्तोष न हो और अगर सम्राज्ञी-सरकार ऐसी मागको मजूर करनेके अनुकूल हो तो, प्राणियोंका निवेदन है, भारतीयोंको तम लेकर वंचित करनेसे ही कठिनाईका सन्तोषजनक हल निकल सकेगा। इससे कम कोई कारवाई काफ़ी न होगी।

परन्तु प्राचीं आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि यूरोपीय उपनिवेशियोंकी समग्र रूपसे ऐसी कोई मांग नहीं है। वे बिलकुल उदासीन दिखलाई पड़ते हैं। नेटाल एडवर्टाईजमेंट इस उदासीनतापर खरी-खोटी सुनाई है

जिस ढंगसे ससदने इस सर्व-महत्त्वपूर्ण विषयपर विचार किया है उससे शायद एक ख़ोपी बात भी प्रकट होती है। वह है अपनी राजनीतिके

सम्बन्धमें उपनिवेशकी उदासीनता। अगर पता लगाया जा सके तो यह जानना बड़ा रोचक होगा कि कितने उपनिवेशियोने विधेयकको पढ़नेका भी फट्ट उठाया है। शायद जिन लोगोंने नहीं पढ़ा उनका अनुपात बहुत बड़ा होगा। इस विषयमें उपनिवेशियोको आम उपेक्षा इस बातसे प्रकट होती है कि उपनिवेशके कोने-कोनेकी तो बात ही क्या हर केन्द्रमें भी यह माँग करनेके लिए सभाएँ नहीं की गईं कि ससद सिर्फ ऐसा विधेयक स्वीकार करे, जिससे कि इस विषयमें आगे तमाम वाद विवाद ध्यय हो जाये। अगर उपनिवेश परिस्थितिको सच्ची गम्भीरतासे परिचित होता तो अप्तयाराके पने इस प्रश्न-पर गम्भीर और बुद्धिमत्तापूर्ण पत्र-व्यवहारसे भर जाते। परन्तु इनमें से कोई भी बात हुई नहीं। फलतः सरकार एक ऐसा विधेयक स्वीकार करनेमें सफल हो गई है जो स्थितिको निबटानेवाला माना जाता है। परन्तु सच-मुचमें तो यह स्थितिको इतनी बदतर और खतरनाक बना देनेवाला है, जितनी कि पहले कभी नहीं रही।

ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जायेगा कि वर्तमान विधेयक किसी भी पक्षको सन्तोष देनेवाला नहीं है। नेटालके मन्त्रिमण्डल और दोना विधानमण्डलके प्रति अधिकसे अधिक आदरके साथ प्रार्थी निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने विधेयकको स्वीकार कर लिया है, इसमें बहुत अथ नहीं है। विधेयकके सत्रिय विरोधसे अलग रहनेवाले सदस्य स्वयं ही नेटाल विटनेसके कथनानुसार, उसपर अविश्वाससे भरे हुए हैं।

प्रार्थियोको आशा है कि उन्होंने सन्तोषजनक रूपमें सिद्ध कर दिया है कि ऊपर बताया हुआ खतरा काल्पनिक है। वर्तमान विधेयक उन लोगोकी दृष्टिसे भी जो भारतीयोका मताधिकार छिनवाना चाहते हैं, और स्वयं भारतीयाकी दृष्टिसे भी असन्तोषजनक है। किसी भी हालतमें, आपके प्रार्थियोका दावा है कि उन्होंने यह बतानेके लिए काफी तथ्य और तक पसा कर दिये हैं कि विधेयकका फैसला जल्दबाजीमें नहीं होना चाहिए। ऐसा करनेकी कोई जरूरत भी नहीं है। नेटाल विटनेसका खयाल है कि "विधेयकको जल्दबाजीमें पास करनेका कोई स्पष्टीकरण — कमसे कम, कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण — नहीं किया गया।" नेटाल एडवर्टाइजरका मत है कि "भारतीयोके मताधिकारका यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसे हमेशाके लिए तय करनेमें कोई जल्दबाजी नहीं हानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि इस विषयको स्थगित

कर दिया जाये और चुनाव-क्षेत्रोंको, जब उनके सामने सही-मही जानकारी मौजूद हो, इसपर विचार करने दिया जाये" (२८-३-१९६)।

भारतीय समाजकी भावनाएँ लन्दन टाइम्सके शब्दोंमें भली-भांति व्यक्त की जा सकती हैं। उस पत्रने (अपने २० मार्च, १८९६ के साप्ताहिक सस्करणमें) कहा है

भारतीय जिन विदेशों और ब्रिटिश उपनिवेशोंमें काम घघेकी खोजके लिए जाते ह वहाँ अगर उन्हें उनकी ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे जाने दिया जाये तो दक्षिण आफ्रिकाके विकासमें भारतीय मजदूरोंके लिए नई सम्भावनाएँ मौजूद हैं। भारत-सरकार और स्वयं भारतीयोंका विश्वास है कि उनकी मान-मर्यादाके प्रश्नका निणय दक्षिण आफ्रिकामें ही होना चाहिए। अगर दक्षिण आफ्रिकामें उन्हें ब्रिटिश प्रजाका पद मिल जाता है तो दूसरे स्थानोंमें देनेसे इनकार करना लगभग असम्भव हो जायेगा। अगर वे दक्षिण आफ्रिकामें उसे पानेमें असफल रहते हैं तो अयन्न पाना अत्यत कठिन होगा। वे नि सकोच स्वीकार करते ह कि भारतीय मजदूर सहायता प्राप्त प्रवासके बदलेमें निश्चित वर्षोंतक सेवा करनेका जो इकरार करते ह उसकी शर्तोंको उन्हें पूरा करना ही चाहिए, भले ही इसमें उनके अधिकार कितने ही कम कपो न हो जाते हों। परन्तु वे मानते हैं कि किसी भी देश या उपनिवेशमें वे क्यों न बसैं, गिरमिटिया मजदूरीकी अवधि समाप्त कर लेने पर उन्हें ब्रिटिश प्रजाकी हैसियत प्राप्त करनेका अधिकार है। भारत सरकारका यह माँग करना उचित ही होगा कि भारतीय मजदूरोंको, अपने जीवनका सर्वोत्तम काल दक्षिण आफ्रिकाको अर्पित कर देनेके बाद, उनके उस अपनाये हुए देशमें ब्रिटिश प्रजाकी हैसियत देनेसे इनकार करके, वापस भारतमें खदेडा न जाये। निर्णय कुछ भी हो, उससे भारतीय मजदूरोंके प्रवासकी भावी वृद्धिमें गम्भीर बाधा पडे बिना न रहेगी।

मताधिकारके इस प्रश्नकी, और नेटाल गवर्नमेंट गजटसे सकलित तथा अब सही भाने जानेवाले आकड़ोंकी खास तौरसे चर्चा करते हुए वही पत्र ३१ जनवरी, १८९६ के अंक (साप्ताहिक सस्करण)में कहता है

इस विवरणके अनुसार, उपनिवेशमें ९,३०९ यूरोपीय मतदाताओंके विरुद्ध २५१ भारतीय मतदाता हैं। और अगर श्री गांधीका कथन

सही है तो अमली राजनीतिके दौरमें किसी समय यह भी सम्भव नहीं दिखलाई पड़ता कि भारतीय मत यूरोपीय मतोंको निगल जायेंगे। सब गिरमिटिया भारतीय ही मताधिकारसे वंचित नहीं हैं, बल्कि सारे-सारे ब्रिटिश भारतीय वंचित हैं। उनके सिर्फ एष बहुत ही छोटे-से वर्गको, जो अपनी बुद्धि तथा उद्योगशीलतासे खुशहाल बन गया है, मताधिकार प्राप्त है।

विवरण यताता है कि वर्तमान कानूनके अन्तगत भी ब्रिटिश भारतीयोंको मताधिकार पानेमें बहुत समय लगता है। कुल २५१ ब्रिटिश भारतीय मतदाताओंमें से केवल ६३ दस वयसे कमसे उपनिवेशमें रह रहे हैं। इनमें से बहुत-सोंने अपनी पूजीसे कारोबार शुरू किया था। शेष १० वयसे ज्यादा और अधिकतर १४ वयसे ज्यादासे यहाँ निवास कर रहे हैं। जो लोग इस प्रश्नको हल हुआ देखना चाहते हैं उनके लिए ब्रिटिश भारतीय मतदानाओंकी सूचीके पधेवार विश्लेषणके नतीजे बहुत प्रोत्साहक होंगे।

भारतमें ठीक इसी वर्गके लोग म्यूनिसिपल तथा अय चुनावोंके सबसे महत्त्वपूर्ण अंग हैं। नेटालके भारतीय भारतमें प्राप्त सुविधाओंसे ज्यादाका दावा नहीं कर सकते, और भारतमें उन्हें किसी प्रकारका कोई मताधिकार प्राप्त नहीं है — यह दलील वस्तुस्थितिके अनुकूल नहीं है। भारतमें मतदान द्वारा शासनका अस्तित्व जहातक है, वहाँतक अंग्रेज और भारतीय बराबर हैं। उसी तरह म्यूनिसिपल, प्रान्तीय और सर्वोच्च परिषदोंमें भी भारतीयोंके हितोंका प्रतिनिधित्व सबल है। यह दलील भी कसौटीपर खरी नहीं उतरती कि भारतीय प्रातिनिधिक शासनके स्वरूप और उत्तरदायित्वसे अपरिचित हैं। शायद दुनियामें दूसरा कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसमें प्रातिनिधिक सत्थाएँ लोगोंके जीवनमें इतनी गहरी समाई हुई हैं।

इस समय श्री चैम्बरलेनके सामने जो प्रश्न है, वह सैद्धान्तिक नहीं है। वह प्रश्न दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाका है। सम्राज्ञीकी १८५८ की घोषणाने भारतीयोंको ब्रिटिश प्रजाका पूरा-पूरा अधिकार दिया है। वे इंग्लैंडमें मत देते हैं और अंग्रेजोंकी बराबरीसे ब्रिटिश संसदमें आसन ग्रहण करते हैं। परन्तु अनेक राष्ट्रोंके योगसे बने हुए एक विशाल साम्राज्यमें ये प्रश्न

अनिवार्य है। और जैसे-जैसे भापके जहाज बृहत्तर ब्रिटेनकी घटक आबादियोंको एक-दूसरेके ज्यादा घनिष्ठ सम्पर्कमें लायेंगे, वैसे वैसे ये प्रश्न ज्यादा उग्र रूपमें प्रकट होंगे। दो बातें साफ हैं। ऐसे प्रश्न उपेक्षा करनेसे हल नहीं होंगे और ब्रिटेन स्थित शक्तिशाली सरकार इन प्रश्नोंका चाय करनेके लिए सबसे अच्छा पुनर्विचार-न्यायालय हो सकती है। हम अपनी ही प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर लाम नहीं उठा सकते। भारत-सरकारके लिए नेटालको मजदूर भोजना बंद करके उसकी प्रगतिको रोक देना उतना ही गलत होगा, जितना कि नेटालके लिए ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। भारतीयोंने तो वर्षोंकी कमलर्ची और अच्छे कामसे अपने-आपको नागरिकोंके वास्तविक बजैतक उठा ही लिया है। (सब जगह अक्षरोका फक प्रार्थियोंने किया है)।

अब प्रार्थी अपना मामला आपके हाथोंमें छोडते हैं। ऐसा करते हुए वे उत्कटतासे प्रायना और दृढ आशा करते हैं कि उपर्युक्त विधेयकको सभ्राज्ञीकी अनुमति प्राप्त नहीं होगी। और अगर भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई भी भय हो तो जांचका आदेश दिया जायेगा कि क्या बतमान कानूनके अन्तगत सचमुच ही कोई ऐसा खतरा मौजूद है? या कोई दूसरी ऐसी राहट दी जायेगी, जिससे न्यायका उद्देश्य पूरा हो।

और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कतव्य समझकर, सदैव दुआ करेगे, आदि-आदि।

(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम

तथा अय

छपी हुई अग्नेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।

## ८३ भेंट : भारतको विदा होते समय

[जून ४, १८९६]

गांधीजीके भारतको विदा होनेके अवसरपर नेटाल एडवर्टाइजरका एक सम्वाद-दाता नेटालवासी भारतीयोंकी तत्कालीन सामान्य स्थितिके बारेमें उनके विचार जाननेके लिए उनसे मिला था। इस मुलाकातका निम्नलिखित विवरण उक्त पत्रमें प्रकाशित हुआ था

श्री गांधीसे अनेक प्रश्न पूछे गये। उनके जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेसकी सदस्य-संख्या इस समय ३०० है। उसका सालाना अग्रिम चन्दा ३ पौंड है। कांग्रेस ऐसे सज्जनोको अपने सदस्य बनाना चाहती है जो न केवल अपना चन्दा दे सकें बल्कि जो कांग्रेसके उद्देश्योंके लिए प्रत्यक्ष काम भी कर सकें। हम कांग्रेसके लिए एक बड़ी रकम भी एकत्र करना चाहते हैं, जिससे कोई जायदाद खरीदी जा सके। इससे कांग्रेसके उद्देश्य पूर्ण करनेके लिए स्थायी आमदनीका एक साधन हो जायेगा।

सवाददाताने पूछा — “ये उद्देश्य क्या हैं ?”

उत्तर मिला — “वे दो प्रकारके हैं। राजनीतिक और शैक्षणिक। शैक्षणिक उद्देश्य यह है कि उपनिवेशमें पैदा हुए बच्चोको छात्रवृत्ति देकर हम उन्हें वे सारे विषय सीखनेके लिए प्रेरित करें, जिन्हें एक कौमकी हैसियतसे अपनी भलाईके लिए सीखना जरूरी है। इसमें भारत और उपनिवेशका इतिहास, निव्यसनता, वर्गरह विषय रहेंगे।”

“क्या कांग्रेसका सदस्य बननेके लिए और भी किसी योग्यताकी आवश्यकता होती है ?”

“जी, हा। सदस्यमें अंग्रेजी भाषामें लिखने और पढ़नेकी योग्यता होनी चाहिए। परन्तु इधर कुछ समयसे इस शतका पालन कड़ाईसे नहीं किया जा रहा है।”

“कांग्रेसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ?”

“संस्थाके पास इस समय १९४ पौंडकी रकम नकद है। इसके अलावा अमगेनी रोडपर एक जायदाद भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थितिमें यह रकम १,१०० पौंड हो जाये। और यह मुश्किल नहीं है। इससे संस्थाकी नींव काफी मजबूत हो जायेगी।”

“राजनीतिक दृष्टिसे कांग्रेसका रख क्या है ?”



“राजनीतिमें वह अधिक प्रभाव नहीं डालना चाहती। उसका उद्देश्य अभी तो यही है कि सन् १८५८ की घोषणामें दिये गये वचनोपर जमल हो। भारतमें भारतीयोंकी जो मान-मर्यादा है वह उपनिवेशमें भी उनको प्राप्त हो जाये तो हम समझ लेंगे कि कांग्रेसका राजनीतिक उद्देश्य सफल हो गया। किसी दूसरे दलको वह दवाना नहीं चाहती।”

‘उपनिवेशमें भारतीय मतदाताओंकी सख्या क्या है?’

“मतदाता-नामावलीमें २५१ भारतीय नाम हैं, जब कि यूरोपीय मतदाताओंकी सख्या ९,३०३ है। भारतीय मतदाताओंमें से १४३ डवनमें हैं। और अगर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी वह अन्य २०० से अधिक मतदाता नहीं बना सकती। हमारी सारी महत्वाकांक्षा यही है कि उपनिवेशमें भारतीयोंकी भी वही मान मर्यादा हो जो यूरोपीयोंकी है। हाँ, योग्यताकी कसौटी जाँचें रख दें। और अगर आप चाहें तो जायदाद-सम्बन्धी शत भी ऊँची कर सकते हैं। हम लुप्त ही होंगे। परन्तु जो भी शत रखें सब कौमोंके लिए समान हो।”

“आपका आगैका कार्यक्रम क्या रहेगा?”

“वही, जो अबतक रहा है। कांग्रेस इसी प्रकार सारे उपनिवेशमें, भारतमें और इंग्लैंडमें भी साहित्य द्वारा और समय-समयपर जनताके सामने आनेवाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें लेखों वगैरहके द्वारा भारतीयोंके दुखोंका प्रकाशन करती रहेगी और इस कामके लिए धन-संग्रह भी करती रहेगी। अबतक अपनी सभाओंमें कांग्रेस समाचार-पत्रोंके प्रतिनिधियोंको निमन्त्रित नहीं करती थी। किन्तु उसने निश्चय किया है कि अब वह कभी-कभी उनको भी अपनी सभाओंमें बुला लिया करेगी और अपनी प्रवृत्तियोंके समाचार उनको दे दिया करेगी। कांग्रेसकी इच्छा यह थी कि वह ऐसा करनेके पहले अपने संगठनको स्थायित्व प्रदान कर दे। मैं एक दुखस्ती करना चाहता हूँ। मुझे जो मानपत्र दिया गया है उसमें लिखा है कि कांग्रेसके विभिन्न उद्देश्य सफल हो गये। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। वास्तवमें कांग्रेस अभी उनपर विचार कर रही है। और हर वाजिब तरीकेसे उनको पूरा करनेका वह यत्न करेगी। उपनिवेशके कानूनोंमें भारतीयोंको लक्ष्य करके रण भेदको स्थापित करनेका अगर यत्न किया गया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। क्योंकि यदि यह यत्न यहाँ सफल हो गया तो यह दूसरे उपनिवेशोंमें और सत्तारके दूसरे हिस्सोंमें भी फैलेगा।”

## ८४ भारतीयोंकी एक सभा

जून ४, १८९६ को भारतीय कांग्रेसके सभा भवनमें टबनके तमिल और गुजराती भारतीयोंकी एक सभा हुई थी, जिसमें दूसरे समाजोंके लोग भी शामिल थे। गांधीजीने नेटाल भारतीय कांग्रेसके अवैतनिक मन्त्रीकी हैसियतसे भारतीयोंकी जो सेवाएँ की थीं उनका उनकी ओरसे सम्मान करना समाजका उद्देश्य था। उपस्थिति बहुत बढ़ी थी और उत्साह भी बहुत था। समापनिका आमन दादा भण्डुल्लाने ग्रहण किया था। तमिल श्रोताओंके लिये दुभाषियेका काम श्री लारेसने किया था। सभाकी निम्नलिखित रिपोर्ट नेटाल एडवर्टाइजरसे उद्धृत की गई है

मानपत्र भेंट कर दिया जानेपर उसका जवाब देते हुए श्री गांधीने इस कृपाके लिए सबसे प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि इस प्रसंगसे यह बात साफ हो गई है कि नेटालमें आये हुए भारतीय चाहे किसी जातिके हो, वे सब यहाँ एकताके नये बंधनमें अपनेको बांधना चाहते हैं। श्री गांधीने कहा कि वे मानते हैं कि कांग्रेसके उद्देश्यके बारेमें भारतीयोंमें कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वे उनके मन्त्रीको अभिनन्दन-पत्र भेंट करनेके लिए एकत्र नहीं होते। श्री गांधीने आगे कहा कि अगर उनका अनुमान सही है तो उस दिन कांग्रेसकी सभामें उन्होंने जो यह बात मद्रासी भाइयोंकी उपस्थितिके बारेमें कही थी वही यहाँ भी कहना चाहेंगे कि, अबतक भी उनकी उपस्थिति सन्तोषजनक नहीं है। परन्तु उन्होंने आशा प्रकट की कि भविष्यमें वे अधिक संख्यामें आने लगेगे। श्री गांधीने इस बातपर कुछ प्रकट किया कि वे तमिल भाषामें नहीं बोल सकते थे, परन्तु कहा कि उन्होंने जो मद्रासी भाइयोंकी कम उपस्थितिके बारेमें कहा उसका उनकी अथवा भारतकी अन्य कौमोकी बुराईके रूपमें कोई गलत अर्थ न लगा लिया जाये। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कांग्रेसके उद्देश्य क्या हैं। किन्तु वे केवल बातोंसे पूरे नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने सबसे विनती की कि कांग्रेसके प्रति अपना प्रेम केवल शब्दोंमें नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्योंमें प्रकट करके बतायें। श्री गांधीने सबसे खास तौरपर विनती की कि वे अपनेमें से कुछ प्रतिनिधियोंको मैरिट्सवग, लेडी स्मिथ तथा ऐसे ही अन्य स्थानोंको भेजें जहाँ प्रत्येक धरके भारतीय बसे हुए हैं और जो कांग्रेसक मदद नही बने हैं। वे उन्हें कांग्रेसके सदस्य बनानेका प्रयत्न करें।

श्री गांधी आज शामको समुद्र-भागसे भारतके लिए रवाना हो गये।

[अंग्रेजीमें]

नेटाल एडवर्टाइजर, ५-६-१८९६

“राजनीतिमें वह अधिक प्रभाव नहीं डालना चाहती। उसका उद्देश्य अभी तो यही है कि गन् १८५८ की घोषणामें दिये गये वचनोपर अमल हो। भारतमें नागोयाकी जा भाग-भर्यादा है वह उपनिवेशमें भी उनको प्राप्त हो जाये ता हम जानें लेंगे कि कांग्रेसका राजनीतिक उद्देश्य सफल हो गया। बिग्री दूम्ने दल्वा वह दवाना नहीं चाहती।”

‘उपनिवेशमें भारतीय मतदाताओंकी सख्या क्या है?’

‘मतदाता-नाभावगीमें २५१ भारतीय नाम हैं, जब कि यूरोपीय मतदाताओंकी सख्या ९,३०३ है। भारतीय मतदाताओंमें से १४३ डवनमें हैं। और अगर कांग्रेस अपनी पूरी तावत लगा दे तो भी वह अय २०० से अधिक मतदाता नहीं बना सवती। हमारी सारी महत्वाकांक्षा यही है कि उपनिवेशमें भारतीयोंकी भी वही मान मर्यादा हो जो यूरोपीयोंकी है। हाँ, योग्यताकी कसौटी जो चाहें रख दें। और अगर आप चाहें तो जायदाद सम्बन्धी शत भी ऊँची कर सकते हैं। हम खुश हो ह्यंगे। परन्तु जो भी शत रखें सब बीमाके लिए समान हो।’

“आपका आगेका कार्यक्रम क्या रहेगा?”

“वही, जो अबतक रहा है। कांग्रेस इसी प्रकार सारे उपनिवेशमें, भारतमें और इंग्लैंडमें भी साहित्य द्वारा और समय-समयपर जनताके सामने आनेवाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें लेखों बगैरहके द्वारा भारतीयोंके दुखडाकी प्रकाशन करती रहेगी और इस कामके लिए धन-संग्रह भी करती रहेगी। अबतक अपनी सभाओंमें कांग्रेस समाचार-पत्रके प्रतिनिधियोंको निमंत्रित नहीं करती थी। किन्तु उसने निश्चय किया है कि अब वह कभी-कभी उनको भी अपनी सभाओंमें बुला लिया करेगी और अपनी प्रवृत्तियोंके समाचार उनको दे दिया करेगी। कांग्रेसकी इच्छा यह थी कि वह ऐसा करनेके पहले अपने संगठनको स्थायित्व प्रदान कर दे। मैं एक दुःखस्ती करना चाहता हूँ। मुझे जो मानपत्र दिया गया है उसमें लिखा है कि कांग्रेसके विभिन्न उद्देश्य सफल हो गये। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। वास्तवमें कांग्रेस अभी उनपर विचार कर रही है। और हर वाजिब तरीकेसे उनको पूरा करनेका वह यत्न करेगी। उपनिवेशके कानूनोंमें भारतीयोंको लक्ष्य करके रंग भेदको स्थापित करनेका अगर यत्न किया गया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। क्योंकि यदि यह यत्न यहाँ सफल हो गया तो यह दूसरे उपनिवेशोंमें और ससारके दूसरे हिस्सोंमें भी फैलेगा।”

## ८४ भारतीयोंको एक सभा

जून ४, १८९६ को भारतीय कमिश्नर ममा भयाने टरन्जेके समिल और गुवराही भारतीयोंकी एक सभा हुा थी, जिनमें दूसरे म्माजेके लोग नी शामिल थे। गांधीजीने नेटाल भारतीय कॉंग्रेसके भवनिकर मन्त्रीकी हैमिलियम भारतीयोंकी जो मेवाठ की थी उनका उर्दी बोले सम्मन करवा समारा उरस्य था। उपरिधति बहुत बड़ी थी और उम्माह भी बहुत था। समापतिका भाषा दादा अण्डुल्लान प्रदण किया था। समिल थेतभाके लिच दुभाषियेका काग भी हारेसने किया था। सभारी निम्नलिखित रिपोट नेटाल एडवर्टाइजरसे उद्धत का ग. है

मानपत्र भेंट कर दिया जानेपर उगवा जवाब देते हुए श्री गांधीने इस कृपाके लिए सबके प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि इस प्रसंगसे यह बात साफ हो गई है कि नेटालमें आये हुए भारतीय चाहू कितो जातिके हा, वे सब यहाँ एकताके नये बंधनमें अपनेको बांधना चाहते हैं। श्री गांधीने कहा कि वे मानते हैं कि कांग्रेसक उद्देश्य बारेमें भारतीयोंमें कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वे उगवे मन्त्रीको अभिनन्दन-पत्र नेंट करनेके लिए एकत्र नहीं हाते। श्री गांधीने आगे कहा कि अगर उनका अनुमान सही है तो उस दिन कांग्रेसकी सभामें उन्हाने जा यह बात मद्रासी भाइयाकी उपस्थितिक बारेमें बड़ी थी वहाँ यहाँ भी कहना चाहेंगे कि, अबतक भी उनकी उपस्थिति सन्तोपजनक नहीं है। परन्तु उन्हाने आशा प्रकट की कि भविष्यमें वे अधिक म्म्यामें आने लगेंगे। श्री गांधीने इस बातपर दुरा प्रकट किया कि वे तमिल भाषामें नहीं बोल सकते थे, परन्तु कहा कि उन्हाने जा मद्रागी भाइयाकी कम उपस्थितिके बारेमें कहा उसका उनकी अथवा भारतकी अथ बौमावी दुराईके रूपमें कोई गलत अथ न लगा लिया जाये। उन्होने कहा कि सब जानते हैं कि कांग्रेसके उद्देश्य क्या हैं। किन्तु वे केवल बातोंसे पूरे नहीं हो सकते। इसलिए उन्हाने सबसे विनती की कि कांग्रेसके प्रति अपना प्रेम केवल शब्दोंमें नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्योंमें प्रकट करके बतायें। श्री गांधीने सबसे खास तौरपर विनती की कि वे अपनेमें से कुछ प्रतिनिधियाको मैरिस्सवग, लेडी स्मिथ तथा ऐसे ही अन्य स्थानोंको भेजें जहाँ प्रत्येक वर्गके भारतीय बसे हुए हैं और जो कांग्रेसके सदस्य नहीं बने हैं। वे उन्हें कांग्रेसके सदस्य बनानेका प्रयत्न करे।

श्री गांधी आज शामको समुद्र-भागसे भारतके लिए खाना हो गये।

[ अंग्रेजीसे ]

नेटाल एडवर्टाइजर, ५-६-१८९६



## सामग्रीके साधन-सूत्र

कलोनिअल आफिस रेकर्ड्स औपनिवेशिक कार्यालय, लंदनमें सुरक्षित इन कागज-पत्रोंमें यह सामग्री शामिल है ब्रिटिश उपनिवेश-मन्त्रीके नाम दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेश सचिव, नेटालके गवर्नर और वेपटाजन स्थित ब्रिटिश उच्चामुक्तके सरीते, नेटालकी विधानसभाओंके 'मतदान तथा कारवाइयाँ', उनको दिये गये प्राथनापत्र और उनके आदेशोंसे प्रकाशित पत्र-व्यवहार, और दक्षिण आफ्रिका तथा लंदनमें प्रकाशित दक्षिण आफ्रिकी मामलोंके कागज-पत्र तथा सरकारी रिपोर्टें (ब्ल्यू बुक्स) ।

कठियावाड टाइम्स राजकोटसे प्रकाशित अंग्रेजी तथा गुजरातीका साप्ताहिक पत्र ।

गांधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली गांधी स्मारक निधि द्वारा संचालित गांधी-साहित्य तथा फोटो-नकलो, माइक्रोफिल्म-नकलो और मूल पत्रों तथा अन्य कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय ।

टाइम्स आफ नेटाल (१८५१-१९२७) पीटरमैरित्सबर्गका दैनिक समाचार-पत्र ।

दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्डमैन आफ इंडिया लेखक, श्री आर० पी० मसानी, ऐलन एड अनविन, लंदन, १९३९ ।

नेटाल एडवर्टाइजर डबनसे प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र ।

नेटाल मर्केरी (१८५२—) डबनका दैनिक समाचारपत्र ।

नेटाल बिजनेस (१८४६—) पीटरमैरित्सबर्गसे प्रकाशित स्वतन्त्र विचारोंका दैनिक समाचारपत्र ।

वेजिटेरियन (१८८८—) पहले-पहल इसका प्रकाशन एक स्वतन्त्र पत्रके रूपमें हुआ था, परन्तु बादमें यह लंदनके अन्नाहारी मण्डल (वेजिटेरियन मोसाइटी)का साप्ताहिक मुखपत्र बन गया ।

वेजिटेरियन मेसेंजर मँचेस्टरके अन्नाहारी मण्डलका मुखपत्र ।

महात्मा लाइफ आफ मोहनदास फरमचन्द गांधी लेखक, डी० जी० तेंदुलकर, आठ खण्ड, प्रकाशक, शिवेरी और तेंदुलकर, बम्बई, १९५१-४।

सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा गुजराती, लेखक, महात्मा गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, अगस्त १९५२, महात्मा गांधीकी आत्मकथा, जो पहले-महल उनके गुजराती पत्र नवजीवनमें धारावाहिक रूपमें प्रकाशित हुई थी।

साबरमती सग्रहालय, अहमदाबाद साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित इस सग्रहालयमें यह सामग्री है गांधीजी द्वारा और उनके सम्बन्धमें लिखी हुई पुस्तकें, एक दर्जनसे अधिक दक्षिण आफ्रिकी पत्रोंकी १८९३ से १९०१ तककी कतरनोकी फाइलें, सरकारी रिपोर्टें (ब्ल्यू बुक्स), और गांधीजीके १८९३ से १९३३ तकके कागज-पत्र, जिनमें से कुछ नेटाल भारतीय कांग्रेससे सम्बन्ध रखनेवाले भी हैं।

श्रीमद् राजचन्द्र सम्पादक और प्रकाशक, मनसुखलाल रावजी मेहता, १९१४। राजचन्द्रके लेखोका सम्पूर्ण सग्रह, गुजराती।

## तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१८६१-१८९६)

इस वृत्तान्तमें गांधीजीके जीवनकी पृष्ठभूमि और उनकी इस बालकी अपत्याकृत अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ उल्लेख किया गया है।

१८६०

अक्टूबर २ पोरबन्दरमें मोहनदास वरमचन्द गांधीका जन्म।

१८७६

१२ वषकी उम्रतक प्राथमिक शिक्षा — राजकाटमें। वस्तूरवाईके साथ सगाई।

१८८१

आल्फ्रेड हाई स्कूलमें प्रविष्ट।

वस्तूरवाईके साथ विवाह।

१८८४-८५

मासाहारका प्रयोग, परंतु बड़े-बूढाको घोसा न देनेके खयालसे त्याग।  
पिताकी मृत्यु — त्रेसठ वषकी उम्रमें।

१८८७

नवम्बर मैट्रिक परीक्षामें उत्तीर्ण और भावनगरके सामलदास कालेजमें प्रविष्ट।

१८८८

अप्रैल मई पढाईमें आत्मविश्वासकी बमो। इंग्लंड जाकर कानूनकी शिक्षा प्राप्त करनेकी सलाह दी गई। मास, मदिरा और मिश्रयामि बचकर रहनेका वचन देकर मातासे अनुमति प्राप्त।

अगस्त १० राजकोटसे बम्बईके लिए रवाना, जहाँ जातिभाइयोंने विलायत जानेसे रोकनेका प्रयत्न किया।



सितम्बर ४ जातिके मुलियोंका जोरदार विरोध होनेपर भी इग्लडकी रवाना।

अक्टूबर २८ लदन पहुँचे।

नवम्बर ६ इनर टेम्पलमें भरती।

१८८९

अन्नाहारके कारण उत्पन्न सामाजिक कमीकी पूर्तिके लिए "सभ्य" वेशमें रहनेका निश्चय और भाषण-कला, फ्रेंच भाषा, नृत्य तथा पश्चिमी सगीतका अभ्यास आरम्भ। परन्तु शीघ्र ही अपनी गलती महसूस।

सितम्बर महीनेके अन्त-अन्तमें कार्डिनल भौनिंगके पास जाकर उनसे भेंट की और लदन जहाजघाटकी हड़तालको समाप्त करनेमें उनके योगपर उह बघाई दी।

पेरिसकी प्रदशनी देखने गये (मई और अक्टूबरके बीच किसी समय)।

नवम्बर ब्लैवेस्की और एनी वेसेंटके साथ परिचय कराया गया, परन्तु यियोसाफिकल सोसाइटी (ब्रह्मविद्या समाज)का नियमित सदस्य होनेसे इनकार कर दिया।

दिसम्बर लदनकी मैट्रिक परीक्षामें बैठे, परन्तु असफल रहे।

इस वषमें यियोसाफिकल प्रभावके कारण बहुत-सा यियोसाफिकल और अन्य धार्मिक साहित्य पडा, जिसमें एड्विन आर्नोल्डकी *द साग सेलेस्टियल*, *द लाइट आफ एशिया*, मूल भगवद्गीता और *आइबिल* भी शामिल थीं। गिरजाघरकी प्रार्थनाआमें गये और डा० जोसेफ पाकर-जैसे प्रसिद्ध धर्मोपदेशकाके प्रवचन सुने।

१८९०

इस वषके आरभमें मैचेस्टरके वेजिटेरियन मेसेंजर और लदनक वेजिटेरियन तथा दोनो स्थानोंके अन्नाहारी मण्डलोका परिचय हुआ। जोशाया ओल्डफील्डके साथ आन्तरराष्ट्रीय अन्नाहारी मण्डलकी बैठकमें गये। सादगीसे रहना शुरू किया। आहारके प्रयोग जारी रखे। कुछ समय तक वेजिटेरियन क्लबका संचालन किया, जिसके अध्यक्ष जोशाया ओल्ड-फील्ड, उपाध्यक्ष एड्विन आर्नोल्ड और मन्त्री स्वयं थे।

जून मैट्रिक परीक्षामें उत्तीर्ण।

सितम्बर ११ अन्नाहारी मण्डलमें शामिल हुए और उसकी कार्यकारिणीके सदस्य बने।

१८९१

जनवरी ३० चार्ल्स ब्रैडलाके दफन सस्कारमें शामिल हुए। उनके नास्तिक-वादका प्रभाव मनपर नहीं पडा। उलटे, श्रीमती बेसेंटकी पुस्तक हाउ आई विकेम ए थियोसाफिस्ट (मैं ब्रह्मविद्यावादी कैसे बनी) पढ़नेपर उसके प्रति अरुचि पक्की हो गई।

फरवरी १० अन्नाहारी मण्डलकी बैठकमें सवप्रथम भाषण—डा० एलिन्सनके इस दावेके समथनमें कि शुद्धिवादियोंके मतके विरुद्ध विचार रखनेके बावजूद उन्हें मण्डलका सदस्य बननेका हक है, हालांकि गाधीजी स्वयं उनके विचारोंसे सहमत नहीं थे।

फरवरी २१ वेजिटेरियनमें एक लेख लिखकर शराबको “मानवजातिका वह शत्रु, सम्यताका वह अभिशाप” कहा।

मार्च २६ लदन थियोसाफिकल सोसाइटीके सह-सदस्य बनाये गये।

मई १ अन्नाहारी मण्डलोंके समुक्त सभ (फेडरल यूनियन आफ वेजिटेरियन सोसाइटीज) की बैठकके लिए मण्डलके प्रतिनिधि नियुक्त किये गये।

जून १० बैरिस्टर बने।

कानूनका अध्ययन करते समय दादाभाई नौरोजीके व्याख्यान सुनने जाते रहे। फेडरिक पिनकोटके उपदेशसे, जिसमें ईमानदारी और मेहनतपर जोर दिया गया था, आगे चलकर बैरिस्टरके रूपमें सफलता प्राप्त करनेकी आशा प्रबल हुई।

जून ११ उच्च न्यायालयमें बैरिस्टरके तौरपर नाम दर्ज।

जून १२ भारतको रवाना।

जुलाई ५-१ बम्बई पहुँचे। माताके देहान्तका समाचार सुनकर शोक-विह्वल। जौहरी, कवि और सन्त श्री राजचन्द्र (रायचन्दभाई)से भेंट, जिन्हें आगे चलकर उन्होंने धार्मिक प्रज्ञामें टाल्सटायसे बड़ा माना और जो उनके जीवनपर प्रभाव डालनेवाले तीन महापुरुषोंमें से एक हुए। विलायत-यात्राके बारेमें जातीय निषेधका भग करनेके कारण नासिब जाकर प्रायश्चित्त किया।

राजकोट पहुँचे और अपने भाई लदमीदासके साथ रहे।

जुलाई २० फिर जातिमें शामिल किये गये, यद्यपि अब भी जातिसे एक हिस्सेने बहिष्कार कायम रखा।

नवम्बर १६ बम्बईके उच्च न्यायालयमें बैरिस्टरीकी इजाजतके लिए आवेदन।

१८१२

मार्च-अप्रैल परिवारके बच्चोंको आधुनिक ढंगकी शिक्षा देना आरम्भ किया। पोशाक और भोजनमें पश्चिमी ढंग अपनाया।

मई १४ वाठियावाड एजेन्सीकी अदालतामें बैरिस्टरी करनेकी इजाजत गजटमें सूचना निकालकर दी गई।

राजकोटमें बैरिस्टरी करना कठिन महसूस करके अनुभव प्राप्त करनेके लिए बम्बई गये। एक मित्रके साथ आहार-सम्बन्धी प्रयोग। घबडाहटके कारण पहला मुकदमा छोड़ दिया और अजियाँ लिखनेका काम पसन्द किया। शिक्षकका काम करनेकी विवशता महसूस की, परन्तु प्रैजुएट न होनेके कारण नियुक्ति नहीं हुई।

छ मासके बाद बम्बईका सारा कामकाज समेटकर भाईके साथ काम करनेके लिए राजकोट वापस। उनके साथ काम करते हुए अजियाँ, आवेदन-पत्र आदि लिखकर तीन सौ रुपये मासिकतक कमाने लगे।

१८१३

अप्रैल दादा अब्दुल्ला एड वपनीने दक्षिण आफ्रिकामें कानूनी कामके लिए आमन्त्रित किया। इस अवसरका लाभ उठाकर तत्परतासे डबनके लिए रवाना। एक वर्षमें वापस आनेके इरादेसे पत्नी और बच्चेको राजकोटमें ही छोड़ दिया था।

मई महीनेक अन्त-अन्तमें नेटाल बन्दरगाह पहुँचे। वहाँ भारतीयोंके प्रति अनादरकी भावना महसूस करके चकित और उद्धिग्न हुए।

मई-जून आनेके दूसरे या तीसरे दिन डबनकी अदालतमें गये। जब पगडी उतारनेके लिए कहा गया, अदालत छोड़कर चले जाना पसन्द किया। इस घटनाके बारेमें पत्रोंको लिखा। उन्हें "बे-योता मेहमान" कहकर पुकारा गया, परन्तु उनके नामका प्रचार बहुत हुआ। सात या आठ दिन बाद

मुअक्किलके कामसे प्रिटोरिया गये। रेल और घोडागाडीकी यात्रामें रग-भदका बहुत कटु अनुभव।

रग भेदके “रोगको समूल नष्ट कर देने” और “इस कायमें जो भी यठिनाइयाँ आयें उहे सहने”का मकल्प किया। अटर्नी और धर्मोपदेशक बकरन उहे रग-भेदकी चेतावनी दी और उनके लिए एक गरीब स्त्रीके घाबेमें रहनेका प्रवचन कर दिया।

बेकरकी प्रायना-सभाओंमें गये और श्री कोट्स — क्वेकर — तथा कुमारी हरिम व कुमारी गैब-जैसे ईसाइयोसे परिचय कराया गया, जो मित्र बन गये। प्रिटोरियावासके पहले हफ्तेमें सेठ तैयब हाजी खासे भेंट और ट्रान्सवालके भारतीयोंकी हालतपर मेमन ब्यापारियाकी सभामें भाषण। भारतीय निवासियोंके कष्टोंको दूर करानेके लिए मद्य बनानेका मुझाव और इस काममें मदद करनेका आश्वासन दिया। प्रिटोरियावाससे उहें ट्रान्सवाल तथा आरज फ्री स्टेटके भारतीयोंकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालतोंका गहरा ज्ञान हुआ। अध्यक्ष क्रूगरके निवास-स्थानके पास पैदल पटरीसे धक्के और लात मारकर ढकेल दिये गये, परतु गोरे हमलावर-पर मुकदमा चलानेसे इस आधारपर इनकार कर दिया कि मैं निजी शिकायतोंको दूर करानेके लिए कभी अदालतमें नहीं जाऊँगा। इस घटनासे भारतीयोंके पैदल पटरियापर चलनेके विरुद्ध लगी पाबंदियोंका अनुभव।

अगस्त ११-सितम्बर १ प्राणयुक्त आहारके प्रयोग। इस बीच श्री कोट्स तथा अन्य ईसाई मित्रोंके निरन्तर सम्पर्कसे ईसाई धर्म-मन्बधी पुस्तकें पढ़ने और उन मित्रोंके साथ विचार विमर्श करनेकी प्रेरणा हुई। परन्तु बाइबिल और ईसाई धर्मकी व्याख्याएँ स्वीकार करना कठिन मालूम हुआ।

१८१४

अप्रैल अपने मुअक्किल दादा अब्दुल्लाका मुकदमा तैयार करते हुए महसूस किया कि बानूनी काममें सत्यका महत्त्व सर्वोपरि है। विश्वास हो गया कि मुकदमेबाजी एक गलत चीज है, और मुकदमेको मध्यस्थ द्वारा निबटा दिया। पशुका काम पूरा हो जानेपर डबन वापस।

विदाईकी दावतके समय नेटाल मर्करीमें यह घोषणा पढी कि भारतीयोंका मताधिकार छीननेके लिए कानून बनाया जानेवाला है। उपस्थित भारतीय व्यापारियोंको उसका प्रतिरोध करनेकी सलाह। उनका अनुरोध कि एक महीनेतक ठहरकर आन्दोलनका नेतृत्व कर।

एक भाग्य निर्णायक निश्चय।

इस समय गभीर धार्मिक अध्ययन आरम्भ किया। टाल्सटायकृत *द किंगडम आफ गाड इज विदिन यू* ( ईश्वरका राज्य तुम्हारे अन्दर ही है ) का उनके मनपर बहुत प्रभाव पडा। इंग्लैंडके ईसाई मित्रोंसे पत्र-व्यवहार। भारतमें भी रायचन्दभाई-जैसे धर्म चिन्तकोंके साथ, जिनके पाससे हिंदू धर्मके सम्बन्धमें अपने प्रश्नोंके उत्तर पाकर उनकी शकाओंका निवारण हुआ, लिखा-पढी।

मई २२ (?) प्रमुख भारतीय व्यापारियोंकी सभामें, रगभेदके कानूनका विरोध करनेके लिए, कमेटीकी स्थापना।

जून २७ नेटाल विधानसभाके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री राबिन्सन और महा-यायवादी एस्कम्बके नाम तार कि, जबतक भारतीयोंका प्राथनापत्र पेश न हो जायै, मताधिकार कानून सशोधन विधेयक ( फ्रेंचाइज ला अमेंडमेंट बिल ) पर विचार स्थगित रखा जाये। विधेयकपर विचार दो दिनोंके लिए स्थगित।

जून २८ ५०० भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे विधानसभाको प्राथनापत्र दिया, जिसमें विधेयकका विरोध और एक जाँच-आयोगकी नियुक्तिकी माँग की गई थी।

जून २९ प्रधानमंत्रीके पास शिष्टमडल ले गये और उनसे अनुरोध किया कि भारतीयोंके पक्षको अधिक विस्तारके साथ पेश करनेके लिए एक सप्ताहका समय दिया जाये।

जुलाई १ फील्ड स्ट्रीटमें भारतीयोंकी सभामें शामिल हुए और भाषण दिया।

जुलाई ३ नेटालके गवर्नरके पास अपने नेतृत्वमें एक शिष्टमडल ले गये और उनसे अनुरोध किया कि मताधिकार विधेयकको, जिसका विधानसभामें तीसरा वाचन हो चुका था, स्वीकृति न दी जाये।

जुलाई ५ दादाभाई नौरोजीके साथ पत्र-व्यवहार आरम्भ किया। उनसे अनुरोध किया कि दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी ओरसे इंग्लैंडमें मदद करे।

जुलाई ६ भारतीयोंने विधानपरिषदको दूसरा प्रायनापत्र दिया और अनुरोध किया कि विधेयकका अस्वीकार कर दिया जाये।

जुलाई ७ मताधिकार विधेयकका विधानपरिषदमें तीसरा वाचन।

जुलाई १० गवर्नरको प्रायनापत्र दिया कि विधेयकको सम्राज्ञीकी अनुमतिके लिए तबतक ब्रिटिश सरकारके पास न भेजा जाये जबतक कि सम्राज्ञीके नाम भारतीयोंका प्रायनापत्र प्राप्त न हो जाये।

जुलाई १७ उपनिवेश-मन्त्री लाड रिपनके नाम १०,००० भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे एक प्रायनापत्र नेटाल-गवर्नरके सुपुद किया। सार्वजनिक काम करनेके लिए नेटालमें रह गये।

अगस्त २२ रगभेदके बानूनोंके खिलाफ लगातार आन्दोलन करनेके लिए नेटाल भारतीय कांग्रेसकी स्थापना की। उसके प्रथम मन्त्री नियुक्त। उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंका सघ भी बनाया।

सितम्बर ३ नेटाल वकील सघ (नेटाल ला सोसाइटी)के विरोधके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेटालकी अदालतोंमें वकालत करनेकी इजाजत मिली। अदालतमें पगडी उतारनेको कहा गया। "ज्यादा बड़ी लडाइयाँ लड़नेके लिए" शक्ति बचानेके इरादेसे अदालतकी प्रथा मानना स्वीकार कर लिया।

सितम्बर ११ गोपी महाराजके मुकदमेकी पैरवी की और उसमें जीत हुई। शायद यह दक्षिण आफ्रिकामें उनका पहला मुकदमा था। परन्तु कानून-भरोमें तरक्कीको सार्वजनिक कार्यके सामने गौण रखा।

नवम्बर २६ एसॉर्टरिक ईसाई विचारधाराकी पुस्तकोंके एजेंट बने, जिससे व्यक्त हुआ कि उस विचारधारामें उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है।

दिसम्बर (११ ता० के पूर्व) नेटालके विधानमंडल-सदस्योंके नाम सुली चिट्ठी भेजी, जो उद्धरणों और प्रमाणोंसे पूर्ण थी।

दिसम्बर ११ नेटालके यूरोपीयोंके नाम अपील निकाली कि वे भारतीय प्रवासियोंके प्रश्नापर सहानुभूतिके साथ विचार करे।

१९१५

अप्रैल डरनवे पास ट्रिपिट मठ देवने गये । वहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे अन्नाहारका प्रयोग हाने देगवर बहुत प्रभावित हुए ।

अप्रैल ६ भारतीय पंच-क्रमलेके मामलेमें अमनोपजनक निणयके विरुद्ध ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोकी कमेटीके द्वारा उच्चायुक्तको प्रायनापत्र भेजा ।

मई (५ ता० के पूव) भारतीय प्रवागी विधेयकमें गिरमिटको नया करनेका धाराअके विरुद्ध नेटाल विधानसभासे अपील ।

मई (१४ ता० के बाद) पंच-क्रममें भारतीयोंके व्यापारिक अधिकारोको अदालतकी दयापर छोड दिया गया था, उस अयायके विरुद्ध लाड रिपनसे फिर अपील ।

भारतके वाइसराय लाड एलगिनने भारतीयके खिलाफ भेदभावके कानूनो और उनपर लादे गये बाधा निषेधोंके विषयमें हस्तक्षेप करनेकी मांग ।

जून १७ गिरमिटिया भारतीय मजदूर वालसु-दरमके मामलेकी पैरवी की और उसे मुक्त कराया । इस मामलेसे गिरमिटिया मजदूरोंके साथ सम्पक स्थापित हुआ ।

जून २६ प्रवासी विधेयक (इमिग्रेशन बिल)की उन धाराओंके विरुद्ध विधान-परिषदको प्रायनापत्र, जिनका असर गिरमिटिया मजदूरोंपर पडता था ।

अगस्त ११ चेम्बरलेनको लम्बा प्रायनापत्र, जिसमें गिरमिट-मुक्त भारतीयोंसे ३ पौंड शुल्क वसूल करनेकी व्यवस्थापर आपत्ति की गई थी । लाड एलगिनसे हस्तक्षेप करने या और अधिक मजदूरोंको भेजना बन्द करनेका अनुरोध ।

अगस्त २१ लदनमें, दादाभाई नौरोजी दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके दुखडोंके सम्बन्धमें चेम्बरलेनके पास एक शिष्टमडल ले गये ।

सितम्बर १२ चेम्बरलेनने नेटाल-सरकारको सूचित किया कि सन्नाजी सरकार मताधिकार विधेयकको ज्योका त्यो स्वीकार नही करती ।

सितम्बर २५, ३० गांधीजीने अखबारोको लिखकर इस आरोपको नामजूर किया कि कांग्रेस एक गुप्त सस्या है, या वे स्वयं उसके वेतनभोगी कमचारी हैं । परन्तु यह जिम्मेदारी स्वीकार की कि उसका विधान मैंने ही तैयार किया है ।

अक्टूबर ११ नागरिकोंको अनिवाय सैनिक भेवाने मुक्त रखनेवाली सैनिक भरती सधिमें "ब्रिटिश नागरिकों"का जो यह अर्थ लगाया गया था कि ये शब्द केवल गोरे लोगोतक ही सीमित हैं, उसके विरोधमें ब्रिटिश भारतीय रक्षा समिति और जाहानिसबगने भारतीयों द्वारा चेम्बरलेनको तार।

नवम्बर १८ नेटाल सरकारने उपनिवेश-मन्त्रीको मताधिकार विधेयकका नया मसविदा भेजा। यूरोपीयोंने लेडीस्मिथ, सैलिस्बरी और बेलेयर आदि स्थानोंमें एशियाई कानूनोंके समथनमें सभाएँ की।

नवम्बर १६ गाधीजीने सैनिक भरती सधिमें भारतीयोंके प्रति भेदभावके विरुद्ध चेम्बरलेनको प्राथनापत्र भेजा।

दिसम्बर १६ *द इंडियन मैचाइज ऐन अपील टु एवरी थिंजन इन साउथ आफ्रिका* ( भारतीयोंका मताधिकार दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक अंग्रेजसे अपील ) नामक पुस्तिका प्रकाशित की।

इस वर्षमें, टाल्सटायकी *द गास्पेल्स इन वीफ श्वाट टु डू* (धर्मग्रथोंका सार क्या करे?) तथा अन्य पुस्तिकाका उनपर गहरा असर पडा और उनसे "प्रेमकी अपार क्षमता"की कल्पना जागी।

१८१६

जनवरी ११ गाधीजीने नेटालकी अदालतमें गुजराती दुभाषियेके कामके लिए आवेदन किया।

जनवरी १७ लदनके टाइम्सने गाधीजीका उल्लेख इन शब्दोंमें किया "एक ऐसा व्यक्ति, जो अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय बहु-प्रजाजनोंके हितके प्रयत्नोंके कारण आदरका अधिकारी है।"

फरवरी १६ वस्ती बसानेके नियमोंके विरुद्ध जू'रैडके गवर्नरको प्राथनापत्र भेजा।

मार्च १ नेटालके सरकारी गजट में मताधिकार विधेयकका नया मसविदा, जो विधानसभामें पेश किया गया था, प्रकाशित।

मार्च ५ वस्ती बसानेके नियमोंके विरुद्ध प्राथनापत्र सरकार द्वारा तामजूर कर दिया गया।

मार्च ११ गाधीजीने वस्ती बसानेके नियमोंके विरुद्ध चेम्बरलेनका प्राथनापत्र भेजा।



अप्रैल २७ अपने-अपने देशमें मताधिकारका उपभोग न करनेवाले परदेशियोंको मताधिकारसे वंचित करनेवाला विधेयक सशोधित रूपमें नेटालकी ससदमें पेश। नेटालके भारतीयों द्वारा उक्त विधेयकके विरुद्ध विधानसभा, पीटर मैरित्सवगको प्राथनापत्र।

मई ६ मताधिकार विधेयकका दूसरा वाचन।

मई ७ गांधीजीने चेम्बरलेन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको तार दिया कि जबतक भारतीयोंका प्राथनापत्र पेश न कर दिया जाये तबतक मताधिकार विधेयक या उसमें किये गये सशोधन स्वीकार न हो।

मई १३ विधानसभामें मताधिकारका तीसरा वाचन समाप्त और स्वीकार।

मई १८ १८८५ के कानून ३ की व्याख्याके बारेमें भारतीय समाजने परीक्षाणात्मक मुकदमा लड़नेका विचार किया था। गांधीजी इस विषयमें सम्राज्ञीके प्रिटोरिया स्थित एजेंटके पास शिष्टमडल ले गये और उन्होंने सरकारसे अनुरोध किया कि मुकदमेका खर्च वह बरदाश्त करे।

मई २६ डबनके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने गांधीजीको, जो भारत जानेवाले थे, अधिकार दिया कि वे "भारतके सत्ताधीशों, लोक-नेताओं और लोक-संस्थाओंको दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके दुखडोका परिचय दें।"

जून ४ डबनके भारतीयों द्वारा कांग्रेस सभाभवनमें आयोजित विदाई-सभामें गांधीजीको मानपत्र अर्पित।

जून ५ गांधीजी भारतके लिए रवाना।

## दक्षिण आफ्रिकाका वैधानिक तन्त्र

( १८९० - १९१४ )

### केप उपनिवेश

सन् १८५३ के सविधान अध्यादेश (फास्टिड्यूशन आर्डिनेंस) के अनुसार केप उपनिवेशके शासनतन्त्रमें एक गवर्नरकी व्यवस्था थी। गवर्नरको कायपालक अधिकार तो थे, किन्तु वह विधानमण्डलके प्रति उत्तरदायी नहीं था। विधानमण्डलके दो सदन थे—विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) और विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल)। १८७२ में उपनिवेशको सात विभागोंमें बांटकर और प्रत्येक विभागके प्रतिनिधियाका शामिल करके विधानमण्डलका पुनगठन कर दिया गया। उसका स्वरूप 'बोटा-बहुत वनेडा तथा आस्ट्रेलियाके औपनिवेशिक विधानमण्डलाका जैसा था। परन्तु उसे स्थानिक आवश्यकताओंके अनुकूल ढाल लिया गया था।

विधानपरिषद-सदस्योंकी मताधिकार बहुत कम लोगोंको था। उसके लिए बहुत ज्यादा साम्प्रतिक योग्यता निश्चित की गई थी। १८९२ के मताधिकार और मत-मत्र अधिनियम (फ्रैंचाइज एंड वेल्ट एक्ट)में व्यवस्था थी कि मतदाता बननेके लिए या तो ५० पाँड वार्षिककी आय हानी चाहिए या ७५ पाँड मूल्यकी अचल सम्पत्ति। लेवन-याग्यनाकी एक कमीटी भी निर्धारित कर दी गई थी। यद्यपि ये नियम सब लोगोंपर समान रूपसे लागू थे, फिर भी व्यवहारमें इनसे गैर-गोरे मतदाताओंकी मख्या बहुत सीमित हो गई थी। गोरे मतदाताओंका अनुपात उनसे बहुत अधिक था।

सविधान उदार, औपनिवेशिक स्वरूपका था, जिसमें अपनी दृष्टिके अनुसार स्वदेश-नीति निर्धारित करनेका अधिकार शामिल था। परन्तु उसे प्रत्यक्ष वार्यावित करनेमें मूल देश—ब्रिटेन—का अधिकार सर्वोपरि रखा गया था। यह सविधान वास्तविक रूपमें १९१० तक, जब कि केप उपनिवेश दक्षिण आफ्रिकी संघका प्रदेश बना जारी रहा।

सन् १८९४ के ग्लेन-ग्रे अधिनियमसे ग्राम और जिला परिषदोंके द्वारा नैती लोगोंको आंशिक स्वायत्त शासन प्राप्त हुआ। ये परिषदें बहुत परिषद

(जनरल काँसिल) के दायरेके अन्दर थी। प्रत्येक परिपदके ६ सदस्य होते थे — ४ निर्वाचित और २ नामजद। अध्यक्ष कोई यूरोपीय मजिस्ट्रेट होता था। बृहत् परिपदमें प्रत्येक जिला परिपदके तीन आफ्रिकी प्रतिनिधि होने थे — दो निर्वाचित और एक नामजद। बृहत् परिपदकी आयका साधन वेगारसे मुक्ति पानेका कर और झोपडी-कर था। उमे स्वायत्त शासनका बहुत अधिकार होता था। जिला परिपदको कर लगानेका कोई मौलिक अधिकार नहीं था। १८९९ से १९०३ तकके कालमें ग्लेन ग्रे अधिनियमका विस्तार उपनिवेशके कैंटनी तथा अय जिलोमें हो गया था।

सन् १९०९ के जिस दक्षिण आफ्रिका अधिनियमके अनुसार दक्षिण आफ्रिकी संयुक्त राज्यका निर्माण हुआ, उसके द्वारा केप उपनिवेशके "रग निरपेक्ष" मताधिकारको यह नियम बनाकर सुरक्षित कर दिया गया था कि केवल रग या जातिके आधारपर केप प्रदेशके लोगोंके मताधिकारको घटानेकी वृत्तिवाला कोई भी कानून तभी बनाया जा सकेगा जब कि संयुक्त राज्यकी ससदके दोनो सदनोंकी संयुक्त बैठकमें वह दो तिहाई बहुमतसे स्वीकार किया जाये।

केपटाउन, जो १९०१ तक ब्रिटिश उच्चायुक्त (ब्रिटिश हाई कमिश्नर) का सदर मुकाम था अब संयुक्त राज्यकी ससदका केन्द्र-स्थान बन गया। दक्षिण आफ्रिकाकी सारी राजनीति तबतक ब्रिटिश उच्चायुक्तके आस-पास ही केन्द्रित थी जबतक कि, १९१० में, प्रभावकारी सत्ता मन्त्रिमंडलके हाथोंमें नहीं आई।

### नेटाल

नेटालने १८९३ में उत्तरदायी शासनका अधिकार प्राप्त किया। विधान परिपद द्वारा स्वीकृत और सम्राज्ञी-सरकार द्वारा अनुमोदित विधानमें एक द्विसदनीय विधानमंडलकी व्यवस्था थी। ये दो सदन थे १० वर्षके लिए नामजद ११ सदस्योंकी एक विधानपरिपद, और ४ वर्षके लिए निर्वाचित ३७ सदस्योंकी एक विधानसभा। वायपालिकाका सगठन गवर्नर तथा एक मन्त्र परिपदको मिलाकर किया गया था। जहाँतक मताधिकारका सम्बन्ध था, १८९६ में मताधिकार अपहरण अधिनियम (डिसफ्रैंचाइजमेंट ऐक्ट) तथा प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) स्वीकार करनेकी जिम्मेदारी नेटालके प्रथम

प्रधानमन्त्री सर जान राबिन्सनकी थी। पहले कानूनसे एशियाइयाका मताधिकार छिन गया और दूसरेके द्वारा उपनिवेशमें स्वतन्त्र भारतीयोका प्रवेश लगभग वर्जित कर दिया गया। १९०६ में नेटाल-सरकारने अनेक देशी लोगोको प्राण-दण्ड देनेका एक आदेश निवाला, जिसे सम्राट्-सरकारने रोक दिया। इससे एक वैधानिक सकट उत्पन्न हो गया और नेटालके मन्त्रिमडलने विरोधमें त्यागपत्र दे दिया। परन्तु, बादमें, उपनिवेश मन्त्रीने यह आश्वासन देने पर कि सम्राट्-सरकारका उत्तरदायी औपनिवेशिक शासनमें हस्तक्षेप करनेका कोई इरादा नहीं है, मन्त्रिमडलने फिरसे काय संमाल लिया।

### आरजे रिबर उपनिवेश

आरजे रिबर उपनिवेश मन् १८९० तक अपना शासन एस्टेनवर्गों थ्रोइवेट या १८५८-६० के विधानके आधारपर चलाता रहा। इस विधानमें एक निर्वाचित अध्यक्ष और एक कायपालिका परिपद (एक्सेक्यूटिव कौंसिल) की व्यवस्था थी। परिपदके कुछ सदस्याकी नियुक्ति अध्यक्ष और कुछकी फोक्सराट (लोकसभा) द्वारा की जाती थी। स्वयं लोकसभा बयस्क मताधिकारके आधारपर निर्वाचित की जाती थी। प्रधान सेनापति परिपदका एक विनिष्ट सदस्य होता था। जिस विधानके द्वारा लोक-प्रभुत्वकी स्थापना हुई उसमें घोषणा की गई थी कि उपनिवेश गौरे और गैर-गौरे लोगोके बीच समानताका इच्छुक नहीं है। यह समानता न तो गिरजेमें इष्ट है, न राज्यमें। ब्लूमफाटीनकी सचिने मन् १८९७ और उनके बालके दो वर्षोंमें आरजे रिबर उपनिवेश तथा ट्रान्सवालके बीच अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। ब्लूमफाटीन और प्रिटोरियामें दोनों दशोंके प्रतिनिधियोंकी संयुक्त परिपदकी बैठकें हुईं। उनमें सघ निर्माणके जादशको दृष्टिमें रखते हुए शिक्षा, न्याय, देशी लोगोके शासन प्रबन्ध आदि जैसे विषयोंमें अधिक एकरूपता लानेकी व्यवस्था की गई।

बोअर-युद्ध समाप्त होनेपर जब उपनिवेश ब्रिटिश सत्ताके अधीन हो गया, तब सैनिक-सरकारने शासन अपने हाथमें लिया। परन्तु बेरीनिजिंग (फ्रेनेखन)की सचिसे, जिसके द्वारा १९०२ में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरे मुख्य अधिकारियोंकी एक कायपालिकाकी स्थापना हुई, इस सैनिक शासनका अन्त हो गया। १९०३ में एक विधानपरिपदकी स्थापना हुई। उसमें स्थानिक हितोके प्रतिनिधियोंके रूपमें एक अल्प सख्यामें गैर-सरकारी सदस्योको नामजद करनेकी

व्यवस्था थी। बादमें एक आन्तर-अपनिवेशित परिषद (इंटर-कलोनियल काउंसिल) का संगठन किया गया। उससे १४ सरकारी और ४ गैर-सरकारी नामजद सदस्य थे। उसका काम दोना उपनिवेशोंके सामान्य हित-सम्बन्धी मामलाका प्रबन्ध करना था। स्वशासनका दर्जा उपनिवेशको १९०७ में मिला। उससे विधानमें गोरे पुरुषोंको भूताधिकार और, जैसा कि पुराने गणराज्यमें था, सख्त रंग भेदकी व्यवस्था की गई। यह नियम भी बनाया गया कि विधानमंडलका दूसरा सदन — विधानपरिषद — नामजद स्वरूपका हा और उसके सदस्योंकी नियुक्ति पहले तो गवर्नर और बादमें सपरिषद गवर्नर करे।

### ट्रान्सवाल

ट्रान्सवालको शाही उपनिवेशके रूपमें १८७९ में जो शासन विधान प्राप्त हुआ था — अर्थात् एक नामजद कायपालिका परिषद और एक विधानसभाका — उसका प्रिटोरिया-ममजूते द्वारा, जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्वके अधीन पूरा स्वशासनका आश्वासन दिया गया था, सशोधन कर दिया गया। परन्तु लड़न समझौतेमें समझौतेकी प्रस्तावना निकाल दी गई, और इस तरह यह सशोधन व्यर्थ हो गया। १८९७ में ट्रान्सवालने आरेंज रिवर उपनिवेशके साथ गठबंधन करके सामान्य हितके विषयोंमें सलाह देनेके लिए एक स्थायी परिषदकी स्थापना की।

सन १९०० में ब्रिटिशोंके ट्रान्सवालपर अधिकार करनेपर मिलनरको वहाँका प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त किया गया। पुगनी कानून पुस्तकमें व्यापक परिवर्तन कर दिये गये और मालोमन आयोगकी सिफारिशों पर राजकीय घोषणा द्वारा केप उपनिवेशके जैसे बहुत-से कानून बना दिये गये। १९०१ में जोहानिसबर्गको और अगले वर्ष प्रिटोरियाको म्यूनिसिपल शासनका अधिकार प्रदान किया गया। वेरीनिजिगकी संधिमें शाही उपनिवेशका दर्जा देनेकी व्यवस्था थी, और यह भी निश्चय किया गया था कि धीरे धीरे यह दर्जा उत्तरदायी शासनतक बढ़ाया जायेगा। १९०२ में ट्रान्सवालको कायपालिका परिषद और विधानसभाका अधिकार प्राप्त हुआ। लोना नामजद की जाती थी और लेफ्टिनेंट गवर्नरके साथ-साथ उनके सख्त विभिन्न विभागोंके कायपालक मुख्याधिकारी होने थे। १९०३ में विधान परिषदकी स्थापना हुई और उससे कुछ बाद, उसी वर्षमें, आन्तर-अपनि

वैधानिक परिषद भी बन गई। १९०५ में लिटल्टन विधान लागू किया गया। उसके द्वारा एक निर्वाचित विधानसभाकी व्यवस्था हुई, परंतु अधिकार गवर्नरके प्रति उत्तरदायी सरकारी अफसरोंके हाथमें रहे। सभा ४४ सदस्योंकी थी। ताज द्वारा नियुक्त अधिकारियोंको छोड़कर केप सब सदस्योंके निर्वाचनकी व्यवस्था थी।

१९०६ में गाही फरमानके द्वारा लिटल्टन विधान रद्द कर दिया गया और उपनिवेशका स्वशासनका अधिकार प्राप्त हुआ। इसपर ट्रान्सवालके गोरे लोगोंके लिए पुराने गणराज्यके नमूनेका व्यवस्था पुरुष-मताधिकार प्रचलित किया। परन्तु गैर-गोरे लोगोंका वानूनी अधिकार प्रदान किये गये। देगी लोगोंका मताधिकार देनेका प्रश्न तब तकके लिए स्थगित रखा गया, जब तक कि प्रातिनिधिक मस्याओंकी स्थापना और गोरे लोगोंका बहुमतका शासन सुनिश्चित न हो जाये। द्वितीय सदन या विधानपरिषदको आरज रिवर उपनिवेशके नमूनेकी नामन्द मस्या बना दिया गया। १९०८ के आम चुनावोंके बाद सरकारने बहुत-से प्रतिबन्धात्मक वानून बनाये।

### संयुक्त राज्य

दक्षिण आफ्रिकाके चारों राज्योंका १९१० में एक संयुक्त राज्य बना दिया गया। संयुक्त राज्यके शासनतंत्रमें सपरिषद गवर्नर-जनरल, और उसकी मददके लिए अनिश्चित मस्यामें कार्यपालिकाके सदस्य तथा राज्य विभागके मंत्री थे। मंत्रियोंकी संख्या १० से अधिक नहीं हो सकती थी।

संयुक्त राज्यकी प्रमुखता उसकी संसदके हाथमें थी, जिसका संगठन संसद और संसदके दोनों सदनों—मीनेट और लोकसभाको मिलाकर हुआ था। दोनों सदनोंके वित्तीय विषयोंको छोड़कर केप सब विषयोंमें वानून बनानेके बराबर अधिकार थे। सब विधेयकोंका दोनों सदनोंमें स्वीकृत होना आवश्यक था। अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाये, तो वह दोनों सदनोंकी संयुक्त बैठक द्वारा हल किया जाता था। संसदका अपना ही विधान (दक्षिण आफ्रिका अधिनियम) बदल देनेका अधिकार था। केवल तीन उपधाराएँ ऐसी थी जिनको बदलनेके लिए दोनों सदनोंकी संयुक्त बैठकमें दो तिहाई बहुमतकी आवश्यकता थी। ये उपधाराएँ (१) अप्रैजी और डचको राज्य भाषाएँ मान्य करने, (२) मताधिकारमें कोई ऐसे परिवर्तन करने, जिनसे कि रंग या जातिके आधारपर केप निवासियोंके

मत देनेके अधिकार घटते हों, और (३) ससदको उपयुक्त दो तथा स्वयं इस उपधाराको छोटकर दोष विधानमें साधारण द्विसदनीय प्रक्रिया द्वारा सशोधन करनेका अधिकार देनेसे सम्बन्ध रखती थी।

लोकसभा (हाउस आफ असेम्बली) का चुनाव प्रत्यक्ष सावजनिक मत द्वारा ५ वर्षके लिए होता था। उसमें १५९ स्थान थे और वे सब यूरोपीयोंके लिए निर्दिष्ट थे। इनमें से १५० का चुनाव चारों प्रान्तोंके मतदाता, ६ का दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिकाके यूरोपीय मतदाता और ३ का केपके आफ्रिकी मतदाता करते थे। मतदाता (१) २१ वर्षकी आयुके ऊपरके यूरोपीय होते थे। प्रवासी ६ वर्षतक और ब्रिटिश प्रजाजन ५ वर्षतक सभमें रहनेके बाद नागरिकता प्राप्त करनेके लिए अर्जी दे सकते थे। यह विषय गृहमन्त्रीके विवेकाधिकारमें था। (२) वेप उपनिवेश और नेटालके साक्षर रगीन पुरुषोंको, जिनकी या तो ७५ पौंड वार्षिक आय हो या जिनके पास ५० पौंड मूल्यकी अचल सम्पत्ति हो, मत देनेका अधिकार था। और केवल वेपमें साक्षर आफ्रिकी पुरुषोंको, जो या तो ७५ पौंड कमात हा या जिनके पास ५० पौंडकी अचल सम्पत्ति हो, पृथक् मतदाता-सूचीमें नाम लिखानेका अधिकार था। वे तीन सदस्योंका चुनाव कर सकते थे। निर्वाचन-क्षेत्रोंमें मतदाताओंकी संख्या बराबर थी। किन्तु घट-बढ़ बराबर करनेके लिए निर्दिष्ट संख्यामें १५ प्रतिशत कम-ज्यादाकी गुजाइश रखी गई थी।

सीनेटकी अवधि १० वर्ष और सदस्य-संख्या ४८ थी। सब सदस्य यूरोपीय जमीन-जायदादके मालिक थे। इनमें से आठ-आठ का चुनाव प्रत्येक प्रान्तके ससद-सदस्य और प्रान्तीय परिषद तथा दाका दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिकाके ससद-सदस्य और विधानसभा करती थी, १० की नियुक्ति सरकार करती और ४ का चुनाव ५ वर्षके लिए मुखियों, देशी परिषदों और देशी सलाहकार मण्डलोंके द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धतिसे सभके आफ्रिकी लोग करते थे।

### प्रान्तीय सरकारें

प्रान्तीय सरकारोंमें (१) एक प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) होता था, जिसकी नियुक्ति ५ वर्षके लिए संयुक्त राज्य-सरकार करती थी। वह केवल सपरिषद गवर्नर-जनरल द्वारा ससदकी जानकारीसे पदच्युत किया जा सकता था। (२) ४ सदस्योंकी एक कार्यपालिका परिषद होती थी। इन सदस्योंका







चुनाव सानुपातिक मतदान द्वारा प्रान्तीय परिषदोंके सदस्य तीन वर्षके लिए करते थे। और (३) प्रान्तीय परिषदें होनी थी, जो तीन वर्षके अन्तमें भा हा जाती थी। उनका चुनाव उमी मताधिकार द्वारा होता था, जो सघीय लोकसभाके लिए निर्दिष्ट था।

प्रशासकका क्षेत्र दो प्रकारका था। कार्यपालिका समितिपाके अध्यक्षकी हैसियतसे वह उनकी कारंवाइयोमें शामिल होता था। वह वित्तीय विनियोगकी सिफारिशें ता करता था, किन्तु उसपर मत नहीं देता था। समुक्त राज्य सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतमें वह प्रान्तीय परिषदोंके अधिकार-क्षेत्रसे बाहरकी बातका प्रवच करता था।

कार्यपालिका समितियोंको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त थे। प्रान्तीय परिषदमें विधानमंडलोंके सब गुण मौजूद थे। उह निर्दिष्ट विषयोंपर अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) निकालनेका भी अधिकार था। शत केवल यह थी कि वे मसदके अधिनियमोंके विरुद्ध न हो और सपरिषद गवर्नर-जनरल उन्हें मजूरी दे दे। उनके अधिकाराधीन विषय थे— शिक्षा (उच्च शिक्षाको छोड़कर), अस्पताल, म्यूनिसिपल सस्याएँ और रेलवेको छोड़कर शेष सब स्थानिक निर्माण-कार्य। मसदीय और म्यूनिसिपल सस्याओका यह अनोखा मेल सघीय भावनाके प्रति एक रियायत-जैसा था। इससे केन्द्रीय सरकारके अधिकार क्षीण नहीं होते थे। समुक्त राज्यकी मसदकी उनके कार्योंको रद्द करने या बदलनेका अधिकार प्राप्त था।

दक्षिण आफ्रिकाके सर्वोच्च न्यायालयका पुनर्विचार विभाग (अपीलेट डिवीजन) ब्लूमफाटीनमें था और प्रान्तोंमें उसकी शाखाएँ थी। उसे प्रान्तीय अध्यादेशोंकी वैधताका फसला करनेका अधिकार था।

प्रान्तकी आयका ४० प्रतिशततक प्रान्तीय करसे वसूल किया जा सकता था। शेषकी पूर्ति केन्द्रीय आयसे सहायताके रूपमें होती थी। प्रान्तोंके बीच वित्तीय सम्बन्धोंका नियमन १९१३ के वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम (फाइ-नैशियल रिलेशन्स ऐक्ट) द्वारा होता था।

## दक्षिण आफ्रिकाका सक्षिप्त इतिवृत्त

इस इतिवृत्तका उद्देश्य घटनामाका पूरा विवरण देना नहीं है। इसमें केवल उन घटनाओंका उल्लेख किया गया है, जिनसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और, थोड़ी-बहुत मात्रामें, उन शक्तियोंको समझनेमें मदद मिल सकती है जो, गांधीजीकी प्रवृत्तियोंके समय, दक्षिण आफ्रिकामें काम कर रही थी।

१८१५ ब्रिटिश फौजोंने डचाके साथ संधि करके केपपर कब्जा किया। भारतके मागपर केप एक सामरिक महत्त्वका स्थान था। ब्रिटिशोंकी कार्रवाईका यही मुख्य कारण था। इस समय वहाँ गोरे वासियोंका सख्या १६,००० थी।

१८०२ ऐमियासकी संधिके अनुसार केप उपनिवेश डच गणराज्य सरकारको वापस दे दिया गया।

१८०६ ब्रिटेनने केपको फिरसे जीता।

१८१५ वियनाकी कांग्रेसने ब्रिटेनको केप उपनिवेश समर्पित कर देनेकी पुष्टि की।

१८२० ब्रिटिश प्रवासियोंका पहला जत्था केप उपनिवेशके तटपर उतरा।

१८२२ केपके मामलोंकी जांच करनेके लिए आयोगकी नियुक्ति।

१८३४ केप उपनिवेशमें विधानपरिषदकी स्थापना और जनमत द्वारा निर्वाचित म्यूनिसिपल कमेटियोंका आरम्भ। ग्लामी प्रथाका अन्त।

१८३६ महानिष्क्रमणका आरम्भ।

१८३८ नेटालमें गणराज्यकी स्थापना।

१८४१ केप उपनिवेशके नागरिकोंने विधानमन्त्रालयकी स्थापनाके लिए प्रार्थना की।

१८४२ ब्रिटेन द्वारा नेटाल हस्तगत और केप कालोनीमें सम्मिलित।

१८४५ नेटालमें, जो अबतक केप उपनिवेशके गवर्नर तथा विधानपरिषदके अधीन था, "यायतनका सूत्रपात।

१८४६ केप उपनिवेशके गवर्नरको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।

- १८४७ नेटालके सहरी क्षेत्रामें चुने हुए म्यूनिसिपल बोर्डोंकी स्थापना ।
- १८४८ नेटालको नामजद विधानपरिपदका अधिकार दिया गया । फ्री स्टेटने आरेज रिबर उपनिवेशकी प्रभुसत्ता घोषित कर दी ।
- १८५१ सैंड रिबर सम्मेलनने ट्रांसवालमें बाअरोकी स्वतंत्रता मान्य कर ली ।
- १८५१ वेप उपनिवेश सविधान अध्यादेश (कास्टिटभूशन आर्डिनेंस) जारी किया गया ।
- १८५४ ग्लूमफाटीन सम्मेलनके फलस्वरूप आरेज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल स्वतंत्र हो गये । डब्लेन और पीटरमैरित्सबर्गमें म्यूनिसिपैलिटियाकी स्थापना ।
- १८५५ सम्राज्यीस कँदी-मजदूरोंको लाने देनेके लिए नेटालकी असफल प्रायना ।
- १८५६ नेटालको शाही उपनिवेशका दर्जा और प्रातिनिधिक शासन तथा ससदीय मताधिकार प्रदान किया गया । निर्वाचित सदस्योंके बहुमतकी विधानपरिपद भी स्थापित की गई । किन्तु मताधिकारके लिए साम्प्रतिक योग्यता इतनी अधिक रखी गई थी कि देशी लोग मत देनेसे बचि रह गये ।
- १८५७ नेटालके सर्वोच्च न्यायालयका पुनर्गठन और आराप योग्य मामलोंमें जूरीके द्वारा मुकदमोंकी व्यवस्था । पीटरमैरित्सबर्गमें विधानपरिपदकी पहली बैठक ।
- १८५८ अमाटोगा बन्नीलेके लोगोंको मजदूर बनानेके नेटालके प्रयत्न असफल । जावासे चीनी और मलायी मजदूर लाये गये । भारत-सरकारसे मजदूर लाने देनेकी प्रायना सफल ।
- १८५९ नेटालकी विधानपरिपदने भारतीय मजदूरोंको लानेके लिए कानून मजूर किया ।
- १८६० नेटालके ईश्वरके खेतोंमें काम करनेके लिए भद्राससे भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंको पहले जल्येका दक्षिण आफ्रिकी भूमिपर आगमन ।
- १८६६ नेटालमें भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंकी संख्या ५,००० तक पहुँच गई ।
- १८६८ बसूटोलैंड ब्रिटिश साम्राज्यमें मिला लिया गया ।

- १८६१ फ्री स्टेटमें हीरेकी खानें मिली ।
- १८७० किम्बरलेमें हीरेकी खानें पाई गईं ।  
नेटालमें गिरमिटकी अवधि पूरी कर लेनेवाले मजदूरोंका भूमि देनेके लिए १८७० का कानून २ स्वीकृत ।  
बसूटोर्कडका सम्राज्ञी-सरकार और फ्री स्टेटके बीच बँटवारा कर दिया गया ।
- १८७१ बेप उपनिवेशमें पूण उत्तरदायी शासनकी स्थापना ।
- १८७६ देशी मामलावे आयोग (नेटिव अफेयस कमिशन) ने कायपालिकाकी देशी लागोपर अधिक शासनाधिकार प्रदान किया । प्रिटोरिया नगरकी नींव पड़ी ।  
रेलवे निर्माण और बन्दरगाह सुधारके कार्योंके लिए भारतीय मजदूरोंको लाना फिर शुरू ।
- १८७७ ट्रान्सवालको ब्रिटिश शासनमें शामिल कर लिया गया ।
- १८७८ ट्रान्सवालसे ब्रिटिश सत्ताको हटवानेके प्रयत्नोंके लिए क्लार इग्लड गये ।
- १८७९ ट्रान्सवालको शाही उपनिवेशका दर्जा दिया गया ।  
नामजद कायपालिका परिषद और विधानसभाकी व्यवस्था ।  
“अपने ही झंडेके नीचे मयुक्त दक्षिण आफ्रिका” का निर्माण करनेके उद्देश्यसे “जाफ्रैंडर बाइ” नामक सघकी स्थापना ।
- १८८० १ ट्रान्सवालका स्वातन्त्र्य-संग्राम, या बोअर-युद्ध ।
- १८८१ प्रिटोरिया-समझौते द्वारा ट्रान्सवालको ‘सम्राज्ञी-सरकारकी प्रभु-सत्तावे अधीन पूण स्वशासन’ का आश्वासन ।  
भारतीय व्यापारियोंका नेटालसे ट्रान्सवालमें प्रवेश ।
- १८८२ ट्रान्सवालमें पृथक् बस्तिया-सम्बन्धी आयोगका संगठन । देशी लोगोंको पृथक् बस्तियोंमें हटाना स्वीकार कर लिया गया किन्तु इस निषेधकी अमलमें नहीं लाया गया ।

- १८८३ ट्रान्सवालके निर्वाचित अध्यक्ष क्रूगरकी प्रिटोरिया समझौतेमें सशोधन करानेके लिए लदन-यात्रा ।
- १८८४ ब्रिटेन और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके बीच लदनका समझौता । उसके द्वारा देशी लोगोको छोडकर शेष सबको गणराज्यमें प्रवेश, यात्रा तथा निवासकी स्वतंत्रता और जो कर बगस (डच नागरिका) पर नहीं लगाये जाते थे उनसे मुक्ति । व्यापारकी स्वतंत्रता भी प्राप्त ।
- हाफमियर ससदके सदस्य चुने गये — ३२ सदस्योंके आफ्रिकडर दलके नेताके रूपमें ।
- नेटाल विधानपरिषदने उपनिवेशकी एशियाई आबादीको सफलता-पूर्वक नियंत्रणमें रखनेके सर्वोत्तम उपाय निकालनेके लिए आयोग नियुक्त करनेका निश्चय किया ।
- ट्रान्सवालकी जनताकी प्रतिबन्धक कानून बनानेकी मांग सम्राज्ञी-सरकारके सामने पेश कर दी गई ।
- १८८५ ट्रान्सवालमें एशियाइयोके अधिकारोपर प्रतिबन्ध लगानेवाला १८८५ का कानून ३ बना । यह कानून यूरोपीयोकी इस मांगके कारण बनाया गया कि एशियाइयोको पृथक् वस्तियोंमें रखा जाये । इसे बनानेके लिए सम्राज्ञी-सरकारकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी । न्यायाधीश रैगकी अध्यक्षतामें नेटाल-सरकार द्वारा भारतीय प्रवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमिशन) की नियुक्ति । आयोगके निष्कर्षोंसे प्रकट हुआ कि उपनिवेशके यूरोपीयोका जबर-दस्त लोकमत इस बातके खिलाफ था कि “ भारतीय कृषि अथवा वाणिज्य-व्यापारमें उनके प्रतिद्वन्द्वी या बराबरीवाले बनकर रहें । ” बेकवानालड ब्रिटिश रक्षित राज्य घोषित । दक्षिणी क्षेत्रको सम्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेश बना दिया गया ।
- १८८६ बेकवानालडका कुछ हिस्सा वेप उपनिवेशमें मिला दिया गया । ट्रान्सवालमें सोनेकी खानें पाई गई । भारतीयोंके खिलाफ नेटालके यूरोपीयोंके आरोपोंकी जांच करनेके लिए आयोगकी नियुक्ति । ब्रिटिश सरकारने घोषणा की कि



- १८११ फोक्सराट (लोकसभा) ने भारतीयोंके विरुद्ध १८८५ के कानून ३ को कार्यान्वित करानेके उपाय और साधन निकालनेका प्रस्ताव स्वीकार किया।  
नेटालको उत्तरदायी शासन प्राप्त। सर जान राबिन्सनने नेटालका पहला मंत्रिमंडल बनाया।  
केप उपनिवेशमें देशी मजदूरा-सम्बन्धी आयोगने सिफारिश की कि प्रत्येक देशी पुरुषपर लगा हुआ विशेष कर ऐसे व्यक्तियोंसे वसूल न किया जाये, जो बपभर घरमें गैरहाजिर और कामपर हाजिर रहनेका प्रमाण दे सकें।  
ट्रान्सवालमें खान-सघ (चेम्बर आफ भाइन्स) ने देशी मजदूर आयागके मातहत मजदूरा-सम्बन्धी एक विशेष मगठनकी स्थापना की।
- १८१४ नेटालमें उत्तरदायी शासनके अधीन पहली सरकारने भारतीय-मजदूरोंको लानेके लिए वार्षिक रूपमें दी जानेवाली आर्थिक सहायता बन्द करनेके लिए ससदकी स्वीकृति प्राप्त की।  
नेटालमें मताधिकार कानून सशोधन विधेयक पेश।  
ग्लेन-ग्रे अधिनियम (ऐक्ट) ने केप उपनिवेशको देशी पुरुषोंपर कर लगानेकी कानूनी स्वीकृति प्रदान की।  
नेटाल द्वारा ट्रान्सवालके साथ समझौता।  
विटवाटसरडमें सीने और हीरेकी खानें खोज ली गईं।  
पोडोलैंड केपके साथ मिला दिया गया।  
स्वाजीलैंडको, देशी लोगोंके हितोंको सुरक्षित करने दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके भरक्षणमें सौंपा गया।  
केपकी ससदने ईस्ट लदन म्यूनिसिपैलिटीको अधिकार दिया कि वह भारतीयोंको शहरकी पैदल-पटरियोंपर चलनेके अधिकारसे वंचित कर दे।
- १८१५ ट्रान्सवालने स्वाजीलैंडको सुरक्षित राज्य बना लिया। ब्रिटिश वेक्वानालैंड केप उपनिवेशके साथ मिला दिया गया।  
केपमें गवर्नर-जनरलके अधीन बृहत् परिषद (जनरल कौंसिल) की स्थापना।



१८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत जो एशियाई विरोधी कानून बनाये जायें उनका विरोध करनेवा उसका इरादा नहीं है। परन्तु उमने व्यापारके लिए ट्रान्सवालमें बसनेका भारतीयोंका अधिकार स्वीकार किया।

१८८८ १८८५ के कानून ३ में संशोधन।

नेटाल-सरकारके अधीन रखे गये जूलूल्डके एक हिस्सेपर ब्रिटिश प्रभुत्वकी घोषणा। वेप उपनिवेशमें ममदीय मतदाता पञ्जीकरण अधिनियम (पालमेटरी वोटस रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) स्वीकृत।

पहले औपनिवेशिक सम्मेलनमें प्रतिष्ठित राजनीतिक सभकी मांग नाओपर बहम करना नामजूर।

जोहानिसबर्गका आविर्भाव।

१८८८ काफिराका वयमें शामिल किये जाने और ९ बजे रातके बाद सड़कोपर चलने फिरनेपर पाबन्दीके विरुद्ध ट्रान्सवाल सरकारके नाम भारतीयोंका प्रायनापत्र नामजूर।

इस्माइल एड कम्पनीके मामलेमें निर्णय दिया गया कि एशियाई लाग पृथक् प्रस्थितिके अलावा और कहीं व्यापार नहीं कर सकते। झगडा पच-फैसलेके लिए आरज फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाधीशके सुपुद। पचने अपने फैसलेमें मान्य किया कि सरकारको, अदालतें जैसी व्याख्या करे उसके अनुसार, १८८५ के कानून ३ का अमल करानेका अधिकार है।

१८८९ रोडनने मेटाबेलेसे खानें चलानेकी रियायत प्राप्त की। मेटाबेलेका युद्ध और विद्रोह, रोडेशियापर विजयमें अन्त। सम्राज्ञीके अधिकारपर द्वारा ब्रिटिश दक्षिण आफ्रिका कम्पनीकी स्थापना।

१८९० वेपमें रोडनने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया। ब्रिटिश दक्षिण आफ्रिका कम्पनीने मासोनालडपर अधिकार कर लिया।

१८९१ वेप उपनिवेशमें मताधिकार और मतपत्र कानून बनाया गया। ट्रान्सवालमें परदेशियोंके राष्ट्रीय सभ (नेशनल यूनियन आफ् दी एट्लैंड्स) का निर्माण।

- १८९३ फोक्सराट (लोकसभा) ने भारतीयोंके विरुद्ध १८८५ के कानून ३ को कार्यान्वित करानेके उपाय और साधन निकालनेका प्रस्ताव स्वीकार किया।  
नेटालको उत्तरदायी शासन प्राप्त। सर जान राबिन्सनने नेटालका पहला मन्त्रिमंडल बनाया।  
केप उपनिवेशमें देशी मजदूरों-सम्बन्धी आयोगने सिफारिश की कि प्रत्येक देशी पुरुषपर लगा हुआ विशेष कर ऐसे व्यक्तियोंसे बसूल न किया जाये, जो वषभर घरमें गैरहाजिर और कामपर हाजिर रहनेका प्रमाण द सकें।  
ट्रान्सवालमें खान-सघ (चेम्बर आफ माइन्स) ने देशी मजदूर आयोगके मातहत मजदूरों-सम्बन्धी एक विशेष सगठनकी स्थापना की।
- १८९४ नेटालमें उत्तरदायी शासनके अधीन पहली सरकारने भारतीय मजदूरोंको लानेके लिए वार्षिक रूपमें दी जानेवाली आर्थिक सहायता बन्द करनेके लिए ससदकी स्वीकृति प्राप्त की।  
नेटालमें मताधिकार कानून संशोधन विधेयक पेश।  
ग्लेन-ग्रे अधिनियम (एक्ट) ने केप उपनिवेशको देशी पुरुषोंपर कर लगानेकी कानूनी स्वीकृति प्रदान की।  
नेटाल द्वारा ट्रान्सवालके साथ समझौता।  
विटवाटसरैंडमें सोने और हीरेकी खानें खोज ली गईं।  
पोडोलैंड केपके साथ मिला दिया गया।  
स्वाजीलैंडको, देशी लोगोंके हिताको सुरक्षित करके दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके संरक्षणमें सौंपा गया।  
केपकी ससदने ईस्ट लंदन म्यूनिसिपैलिटीको अधिकार दिया कि वह भारतीयोंको शहरकी पैदल-पटरियोंपर चलनेके अधिकारमें बंचित कर दे।
- १८९५ ट्रान्सवालने स्वाजीलैंडको सुरक्षित राज्य बना लिया। ब्रिटिश बेकवानालैंड केप उपनिवेशके साथ मिला दिया गया।  
केपमें गवनर-जनरलके अधीन बृहत् परिषद (जनरल कौंसिल) की-स्थापना।

नेटालमें १८९५ का १७वाँ कानून स्वीकृत।  
 ट्रान्सवालमें १८८५ के कानून ३ के अमलमें लाये जानेके प्रश्नकी  
 जांच करनेके लिए आयोगकी नियुक्ति।  
 जोहानिसबगपर जेमसनजा हमला। ब्रिटिश उच्चायुक्तने प्रतिवाद  
 प्रकाशित किया।

१८९६ नेटालमें १८९६ का मनाधिकारअपहरण कानून ८ पेश।  
 केपके प्रधानमन्त्री पदसे रोडनका इस्तीफा।  
 ट्रान्सवालके देशी मजदूर आयोगने पोर्तुगीज पूर्वी आफ्रिकामें मजदूर  
 भरती कार्यालय खोलनेका एवाधिकार प्राप्त कर लिया।  
 ट्रान्सवालमें १८८५ के कानून ३ पर आयोगकी रिपोर्ट फोक्सराट  
 (लोरुसभा) द्वारा स्वीकृत।

१८९७ कानून ३ से गुरो और गैर-गुरोके बीच विवाह वर्जित।  
 नेटालमें चुनाव। एस्कम्बके स्थानपर बिन्स पदारूढ।  
 नेटालमें १८९७ का प्रवासी पजीकरण अधिनियम (इमिग्रेशन  
 रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) जारी।  
 १८९७ का विक्रेता परवाना अधिनियम १८ (डीलस लाइसेंसिंग  
 ऐक्ट १८) स्वीकृत।  
 ट्रान्सवाल और आरेंज फ्री स्टेटके बीच ब्लूमफाटीनका समझौता।  
 मिलनर केपमें उच्चायुक्त नियुक्त।  
 सम्राज्ञीकी हीरक-जयंती।  
 लंदनमें ब्रिटेन तथा उपनिवेशोंके प्रधानमंत्रियोंका पहला सम्मेलन।

१८९८ ब्लूमफाटीनमें ट्रान्सवाल तथा ब्रिटेनके प्रतिनिधियोंका सम्मेलन।  
 नेटाल कस्टम्स यूनियनमें सम्मिलित।  
 बाइ दलके नेताके रूपमें थाइनर केपके प्रधानमन्त्री बने। क्लार  
 फिरसे अध्यक्ष निर्वाचित।  
 ट्रान्सवाल और आरेंज फ्री स्टेटकी 'संधीय रैंड' की पहली बैठक।

१८९९ वोअर-युद्ध आरम्भ। ब्रिटिश प्रवक्ताओने भारतीयोंके साथ दुर्व्यव  
 हारकी युद्धका एक कारण बताया।  
 भारतसे ब्रिटिश फौजोंका डबनमें आगमन।

- १९०० आरेज फ्री स्टेटके ब्रिटिश क्षेत्रका नाम आरेज रिवर कालोनी घोषित । ट्रान्सवाल ब्रिटिश शासनमें मिला लिया गया । २०,००० बोअर शरणार्थी स्त्रियो और बच्चाकी ब्रिटिश कारागार शिविरोमें मृत्यु । भूमि बन्दोबस्त आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित ।
- १९०१ जोहानिसबर्गमें म्यूनिसिपल शासन स्थापित ।
- १९०२ बेरीनिर्जांग (फ्रेनेखन)को सन्धिसे बाअर-युद्धका अन्त । रोडसकी मृत्यु । प्रिटोरियामें म्यूनिसिपल शासनकी स्थापना । पोर्तुगीज पूर्वी आफ्रिकाकी सरकारने दक्षिण आफ्रिकामें मजदूरी करनेके लिए अपने क्षेत्रसे भरती किये जानेवाले हर देशी व्यक्तिके पीछे १३ सि० शुल्क देना स्वीकार किया । ट्रान्सवाल और आरेज रिवर उपनिवेशमें नई सरकारोकी घोषणा । चेम्बरलेनकी दक्षिण आफ्रिका यात्रा । सन्धिकी शर्तोंमें ढिलाई करनेकी बाबत बोअरोकी दलीलें प्रिटोरिया और ब्लूमफाटीनमें नामजूर कर दी गई ।
- १९०३ शान्ति रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजर्वेशन आर्डिनेंस) से ट्रान्सवालमें भारतीयोके प्रवेशका नियमन । ट्रान्सवाल ब्रिटिश इन्डियन अमोसिएशनकी स्थापना और उसके द्वारा एशियाई दफ्तरके कामके तरीकेके खिलाफ प्रार्थनापत्र । ब्लूमफाटीनमें कन्स्टिच्युटिव यूनियनकी स्थापना । सामान्य स्वार्थोके विषयापर उच्चायुक्तको सलाह देनेके लिए ट्रान्सवाल और आरेज रिवर उपनिवेशके गैर-सरकारी प्रतिनिधियोके साथ आन्तर-उपनिवेशिक परिषदकी स्थापना । ब्लूमफाटीन सम्मेलन द्वारा देशी मामलात आयाग (नेटिव अफेयर्स कमिशन) की नियुक्ति । ट्रान्सवाल विधानपरिषदने गैर गोरे गिरमिटिया मजदूरोके आकर बसनेके सम्बन्धमें प्रस्ताव स्वीकार किया । ट्रान्सवालमें तीन पाँड सालाना कर १६ वर्षके ऊपरके पुरुषो और १३ वर्षके ऊपरकी स्त्रियोपर लागू कर दिया गया ।
- १९०४ नूगर्वकी मृत्यु । जोहानिसबर्गमें प्लेग फैला ।

लाइ वजनका खरीता। उसमें बताया गया कि “नेटालका कट्ट उदाहरण” मौजूद होनेके कारण भारतमें ट्रान्सवालको मजदूर भेजनेका उत्साह नहीं है।

ओपनिवेशिक कार्यालयने चीनी मजदूरोंको लानेका अध्यादेश (आर्डिनेंस) मजूर कर लिया।

- १९०४ दक्षिण आफ्रिकाके लिए स्वशासनकी मागके हेतु स्मटसकी ब्रिटेन यात्रा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैम्बेल-पैररमनसे बचन प्राप्त। ट्रान्सवालमें हेटफोक (लोकदल) का संगठन। लिटल्टन विधान जारी किया गया।
- १९०६ ट्रान्सवालमें शाही फरमानसे लिटल्टन विधान रद्द और उसे उत्तर दायी शासन प्रदान। केप-सरकारका लाइ सेल्वोनसे अनुरोध कि दक्षिण आफ्रिकी राज्योंका राजनीतिक एकीकरण करनेके विषयमें विचार किया जाये। एशियाई पजीकरण अध्यादेश (एशियाटिक रजिस्ट्रेशन आर्डिनेंस) जारी किया गया। भविष्यमें एशियाइयाको ट्रान्सवालमें न आने देनेका कानून मजूर। केप उपनिवेशमें १९०६ का प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) स्वीकृत।
- १९०७ जूलू विद्रोह। आरिज रिवर उपनिवेशको उत्तरदायी शासन दिया गया। भारतीय मजदूरों-सम्बंधी आयोगने भारतीय मजदूरोंको लानेकी सिफारिश की। ट्रान्सवालमें आम चुनावोंके फलस्वरूप हेटफोक सत्ताह्व। बोया प्रधानमंत्री बने। एशियाई (चीनी) मजदूर अध्यादेश (एशियाटिक चाइनीज लेबर आर्डिनेंस) का अन्त। दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिक एकीकरणके सम्बन्धमें सेल्वोनका ज्ञापन प्रकाशित। लंदनमें प्रधानमंत्रियोंका सम्मेलन।
- १९०८ केपमें आम चुनावोंके फलस्वरूप मेरीमनके नेतृत्वमें दक्षिण आफ्रिकी दल (साउथ आफ्रिकन पार्टी) सत्ताह्व।

डबनमें राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कानवेशन) हुआ, जिसमें सघ (फेडरेशन) की अपेक्षा सयुक्त राज्य (यूनियन) के सविधानकी अधिकतर धाराएँ स्वीकार की गईं।

स्वेच्छासे पजीकरण करानेका बंध रूप देनेके लिए कानून ३६ स्वीकार। पजीकरण कानून रद्द नहीं किया गया, इसलिए भारतीय नेताओ द्वारा सविनय अवज्ञा (सिविल डिस्-ओबीडिएन्स) आन्दोलनका निश्चय।

आंतर-औपनिवेशिक परिषद भंग।

हर्ट्जागने ट्रांसवालमें अग्रेजी और डच भाषाओका अनिवाय उपयोग जारी कराया।

जूलैडका विद्रोह दबा दिया गया।

१९०९ राष्ट्रीय सम्मेलनने सयुक्त राज्य विधानके मसविदे (ड्राफ्ट ऐक्ट आफ यूनियन) के रूपमें एक रिपाट तैयार की, जिसे ब्रिटिश ससदने स्वीकार कर लिया।

१९१० दक्षिण आफ्रिकी सयुक्त राज्यका आविर्भाव। दक्षिण आफ्रिकी दलके नेता जनरल बोथाके अधीन सयुक्त राज्यके पहले मन्त्रिमण्डलका निर्माण। हर्ट्जाग और स्मट्स सम्मिलित। भारतीयो द्वारा १९०८ के प्रवासी कानूनकी सविनय अवज्ञा।

१९११ दक्षिण आफ्रिकी सरकारने आजाद भारतीयोके आगमन (फ्री इमिग्रेशन) पर प्रतिवध लगाया। पहली शाही मंत्रणा-परिषद जिसमें, बोथाके नेतृत्वमें दक्षिण आफ्रिकी सयुक्त राज्यके प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतमें गिरमिट प्रथाका अन्त।

१९१२ हर्ट्जाग बोथाके पक्षसे अलग हो गये। उन्होने "दक्षिण आफ्रिका पहले, साम्राज्य बादमें" का नारा लेकर राष्ट्रीय दल (नेशनलिस्ट पार्टी) का संगठन किया। वित्तीय सम्बन्ध जाच आयोग।

१९१३ भूमि कानून स्वीकृत।

नेटालमें भारतीयोंका सत्याग्रह । नेटालकी सीमा पार करने ट्रांसवालमें महान वृत्त ।

आम हडताल ।

सन् १९१३ का प्रवासी नियमन अधिनियम (इमिग्रैंट्स रेगुलेशन ऐक्ट) या १९१३ का वाईनर्वा कानून बना ।

भारतीयोंको राहत देनेके कानून (इंडियन रिलीफ ऐक्ट) द्वारा तीन-मौड़ी कर हटा दिया गया । भारतीयों द्वारा दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सालोमन-आयोगका बहिष्कार ।

स्मट्स-गांधी पत्र-व्यवहार । मार्गें मजूर हो जानपर सत्याग्रह-सभामें रोक दिया गया ।

वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम (१९१३ का कानून १०) स्वीकार । प्रवासी अधिनियम — १९१३ का तेरहवाँ कानून स्वीकृत ।

१९१४ आम हडताल । स्मट्सने सिडिकैलिस्ट नेताओंको निर्वासित करके गैर-कानूनी काम किया । हडताल भंग, असफल । स्मट्स-गांधी समझौता । गांधीजी दक्षिण आफ्रिकासे भारतने लिए रवाना ।

## टिप्पणियाँ

**अधिकारपत्र कानून, १८३३ (चाटर ऐक्ट आफ १८३३)** यह कानून ब्रिटिश संसदके जाँच-आयोगके निष्कर्षोंके आधारपर बना था। इससे भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके व्यापारके अधिकार रद्द करके उसका कर्तव्य अपने प्रदेशके शासन प्रबन्ध तक सीमित कर दिया गया था। १८५३ में इसे मरदाख्त करके दुहराया गया और व्यवस्था की गई कि किसी भी भारतीयको उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंगके आधारपर ईस्ट इंडिया कम्पनीकी किसी नौकरी, पद या स्थानसे वंचित नहीं किया जा सकेगा।

**अब्दुल्ला, दादा** डबनकी प्रमुख भारतीय पेढी दादा अब्दुल्ला एंड कम्पनीके मालिक, जिनके मुकदमेकी पैरवीके लिए गांधीजी गुरु-गुरुमें दक्षिण आफ्रिका गये थे।

**अमतली** दक्षिणी रोडेशियाका एक जिला और नगर। एक बड़ी यूरोपीय वस्ती।

**भादम, अब्दुल करीम हाजी** दादा अब्दुल्ला एंड कम्पनीके प्रबन्धक और साथी। भारतीय मताधिकार विधेयक (इंडियन प्रॉचैज बिल) का विरोध करनेके लिए १८९३ में डबनमें दनी पहली कमेटीके अध्यक्ष।

**भायरिश होमरूल बिल** यह विधेयक ग्लैडस्टनने १८८६ में ब्रिटिश संसदमें पेश किया था। यह एक बहुत नरम विधेयक था जिसका मशा आयरलैंडका प्रशासन आयरिश समद द्वारा नियुक्त एक कायपालिकाको सौंपनेका था। परन्तु कर लगानेका अधिकार बहुत अंशमें ब्रिटिश संसदके अधीन ही रहने दिया गया था। ग्लैड और अन्स्टर दोनोंमें इसका घोर विरोध हुआ और ब्रिटिश लोकसभामें यह अस्वीकार कर दिया गया। १८८३ में जब ग्लैडस्टन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दुबारा एक होमरूल बिल पेश किया, जो लोकसभामें तो स्वीकार हो गया, परन्तु लाटसभामें भारी बहुमतसे गिर गया।

**इस्माइल सुलेमानका मामला** यह एक ऐसा मामला था जिसमें इस्माइल सुलेमान नामक एक अरब व्यापारीको, १८८८ में, पृथक बन्ती छोड़कर अन्यत्र व्यापार करनेका परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया था।



जय आरेंज प्री स्टेटो मुख्य 'गामापीसको पच निपुक्त किया गया, तो उहाणे पैगला दिया कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यको इस सम्बन्धके कानून (१८८५ के तीसरे)का, देशकी अदालतें जती व्याख्या कर दें उन रूपमें, अमल करानेका पूरा अधिकार है। घादमें ट्रांसवालकी सर्वोच्च अदालतने इस विणयको पलट दिया और फैसला किया कि सरकारको एशियाइयको परवाणे न देनेका अधिकार नहीं है।

ईस्ट कोट डबनस लगभग १५० मीलपर एक पस्वा।

ईस्ट लंदन एक महत्वपूर्ण तटवर्ती नगर और केप उपनिवेशका बंदर स्थान।

उस्मान, बाबा नेटालके एक प्रमुख भारतीय व्यापारी। ये नेटाल भारतीय कांग्रेसके मंत्री रहे थे और इन्होंने भारतीयोंके सत्याग्रह-संग्राममें भाग लिया था।

एलगिन, लार्ड (१८४९-१९१७) भारतके वाइसराय, १८९४-१८९९। बादमें दक्षिण-आफ्रिकी मुद्धके संचालनकी जांच करनेवाले रायल कमिशनके अध्यक्ष। उपनिवेश मंत्री, १९०५-१९०८।

एशोवे जूलूलंड रिजवका प्रशासन केन्द्र।

एसांटरिक क्रिश्चियन युनियन इस सघकी स्थापना १८९१ में एडवड मेटलंडने की थी। १८९४ में गांधीजी इसके एजेंट बने। 'एसांटरिक' शब्द किंचित् रहस्यवादका द्योतक है, जो उन लोगोंके लिए है जो ध्यान, भक्ति आदि द्वारा ब्रह्मका साक्षात्कार करनेके रहस्यमय सिद्धान्तोंकी दीक्षा ग्रहण करते हैं।

एस्कम्ब, सर हैरी (१८३८-१९१९) नेटालके सर्वोच्च न्यायालयके प्रमुख एडवोकेट। इन्होंने गांधीजीको नेटालके सर्वोच्च न्यायालयमें वकालतकी इजाजत देनेकी हिमायत की थी। १८९७ में नेटालके प्रधानमंत्री।

ऐस्टे, टामस विडहोम (१८१६-१८७३) वकील और राजनीतिज्ञ, मसद-मदस्य १८४७-५२।

ऐलिंसन, डा० टी० आर० आराम्यशास्त्र विषयके प्रयत्नकार जिनकी पुस्तकें गांधीजीका उपयोगी मालूम हुई थी। जबतक सन्तति निग्रहपर उदार विचारोंके कारण इनके विरुद्ध निन्दाका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, तबतक ये लंदन अन्नाहारी मण्डलके सदस्य रहे। १९१४ में गांधीजीके फुफ्फुस रोगसे पीडित होनेपर इन्होंने उनकी सेवा शुरुवा की थी।

कमरदौन, मुहम्मद फातिम जोहानिसबगवे भारतीय व्यापारी और नेटाल भारतीय कांग्रेसके एन कमरु सदस्य।

कानून ३, १८८५ द्रांसवालवा एन कानून। इससे अनुसार "तथावधि कृतिया, अरबा, गलापियों, और सुर्वी माघाज्यके मुगलमात प्रजाजना"को अधिक समयतक नामरिखतारके अधिचार पानेके अवाप्य टहरा दिया गया था। उहें गणराज्यमें अचल सम्पत्ति सरीदनेका भी अधिचार नहीं था। बादमें, लाकतारके १८८७ के प्रस्तावके अनुसार "कृतियों"को अपवाद रूप मान लिया गया और उहें जमीन जायदाद सरीदनेकी इजाजत तो दी गई परन्तु अस्वच्छतावा बहाना बनाकर यह तय कर दिया गया कि व निदिष्ट गलिया, मुहल्लो और पूयक् वस्तियोंमें ही जमीन-जायदाद सरीद सकते हैं। १८९३ में लोयसमाने एन और प्रस्ताव पाम करने तय किया कि सब एशियाइयोंको पूयक् वस्तियोंमें रहने और केवल वही व्यापार करनेके लिए बाध्य करना चाहिए। व्यापार करनेके लिए सरकारी दफ्तरमें नाम दर्ज (रजिस्टर) कराना और तीन पौडका गुल्ब अदा करना जरूरी कर दिया गया। यह कानून लदन-नमझौतेके विरुद्ध माना गया था।

किंगडफड, डा० ऐना स्वास्थ्य विविस्तव। एक अन्नाहारी जिनका एक निबन्ध फरफेस्ट के इन ड्राएट (उत्तम आहार-योजना) के नामसे प्रकाशित हुआ था। बादमें इन्होंने ऐड्वेन्स ऑन वेजिटेरियनिज्म तथा अय पुस्तकके र्गिनेमें एडवड मेटलडको योग दिया।

केन, विलियम स्प्रोस्टन (१८४२-१९०३) चार चार ब्रिटिश ससदके सदस्य, भारतीय कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीकी ससद-उपसमितिके सदस्य और भारतको स्वायत्त शासन देनेके समर्थक। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके हितार्थ बहुत दिलचस्पी रखते थे।

केनिगटन लदनका एक उपनगर।

केप टाउन दक्षिण आफ्रिकाका सबसे पहला नगर। केप प्रदेशकी राजधानी और संयुक्त राज्यके विधानमण्डलका केन्द्र-स्थान।

कम्ब्रेल, हेनरी एडवोकेट और द्रांसवालके ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंके मुख्य एजेंट। उनके लिए प्राथमपत्र लिखते और पेश करते थे।

गनी, अब्दुल ट्रान्सवालके एक सबसे पुराने निवासी और जोहानिसबर्गकी मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन पेडीके प्रबन्धक। दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके एक सबसे पहले परिचित। ट्रान्सवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (स्थापित, १९०३) के अध्यक्ष।

चारसदाउन नेटालकी सीमापर एक कस्बा, डबनसे ३१८ मील।

चेम्बरलेन, जोसेफ (१८३६-१९१४) ब्रिटेनके उपनिवेश-मंत्री। १९०२ में दक्षिण आफ्रिकाका दौरा किया। इनका आठ वर्षोंका कार्यकाल क्रूरके साथ वाताहं भग होने और उसके फलस्वरूप बोअर-युद्ध तथा वेरीनिर्जागकी सधि होनेके लिए उल्लेखनीय है। इन्होंने, लाड मिलनरके साथ ट्रान्सवाल व नेटालके युद्धोत्तर पुनर्निर्माणमें योग दिया। १९०३ में इस्तीफा।

जर्मिस्टन ट्रान्सवालका मुख्य रेलवे स्टेशन।

जैतपुर सौराष्ट्रमें एव रेलवे स्टेशन।

जोहानिसबर्ग विटवाटसरैंड-क्षेत्रका मुख्य नगर। ट्रान्सवालमें सोनेकी खानोका सबसे बड़ा क्षेत्र।

डबी डबनसे लगभग २५० मीलपर एक छोटा-सा कस्बा।

डबन बन्दरस्थान, व्यापारिक राजधानी और नेटालका "मुखद्वार" जोहानिसबर्गसे ४९४ मील।

डेलगोआ-चे बन्दरस्थान जीर व्यापारका केन्द्र। डबनसे २९६ मील उत्तर।

फोर्नगीज पूर्वी आफ्रिकाकी राजधानी। लोरेनको मार्क्विम नामसे भी प्रसिद्ध।

डोला काठियावाड़ (सौराष्ट्र) का एक रेलवे जंक्शन।

तपस्वजी, बदरुद्दीन (१८४४-१९०६) बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशनके बमठ सहायक और उसके वास्तविक अध्यक्ष। कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनके अध्यक्ष १८८७। बम्बई उच्च न्यायालयके चायाधीक्ष, १८९५। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके साथ दृष्ट्यवहार विरोधी आन्दोलनके जोरदार समर्थक। बम्बई विधानपरिषदके नामजद सदस्य, १८८२। म्यूनिसिपल मताधिकार सम्बन्धी कानूनके पुरस्कर्ता।

दादा, हाजी मुहम्मद हाजी प्रमुख व्यापारी और भारतीय समाजके नेता।

१८९३ में मताधिकार विधेयकका विरोध करनेके सम्बन्धमें विचारके लिए

भारतीयोंकी जो पहली मभा हुई थी उसके अध्यक्ष। नेटाल भारतीय कांग्रेसके उपाध्यक्ष, १८९८-९९।

धधुका काठियावाड़ (सौराष्ट्र) का एक छोटा-सा कस्बा।

नाजर, मनमुखलाल हीरालाल (१८६२-१९०६) प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थी, जो दिसम्बर १८९६ में दक्षिण आफ्रिकामें वासके लिए गये। १८९७ में दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी ओरसे प्रचार करनेके लिए द्वाँड्रेड भेजे गये। नेटालके भारतीय आन्दोलन तथा साम्रज्यनिव जीवनमें द्वाया योग उल्लेखनीय है।

नोदवेनी जूलून्डकी एक बस्ती और विभाग। एक जमानेमें खानाब केन्द्रके रूपमें जान था।

नोरोजी, दादाभाई (१८२५-१९१७) भारतीय राजनीतिज्ञाने अग्रणी। बहुधा "भारत राष्ट्रके पितामह"के रूपमें स्मरण किये जाते हैं। १८८६, १८९३ और १९०६ में तीन बार कांग्रेसके अध्यक्ष। कांग्रेसका लक्ष्य "स्वराज्य" बतानेवाले पहले व्यक्ति। १८९३ में ब्रिटिश संसदमें सदस्य। संसद-सदस्य व कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी, लक्ष्मण प्रमूख सदस्यकी हैसियतसे भारत और दक्षिण आफ्रिकावागी भारतीयोंकी बहुत सेवा की।

यूकसिल नेटालका कस्बा, कापरे, मया, ठा और गम्बावणी जगाना लिए प्रसिद्ध।

पाइनटाउन डबनसे १७ मीलपर एक छोटी-सी बस्ती।

पीटरमारित्सबर्ग नेटालकी राजधानी। संक्षेपमें पी० एम० बर्ग भा पीटरमार्ग भी कहा जाता है। डबनसे ७१ मील। औपनिवेशिक गणराज्यका भूतल।

पोट एलिजाबेथ वेप प्रदेशका दूगरे गम्बरवा प्रांत और गम्बरवाण। प्रिटोरिया समुक्त राज्यकी राजधानी, ब्यापार ५११ मील।

फोसेट, हेरती (१८३३-१८८४) कैम्ब्रिजमें राजनीतिज्ञ बर्ग का प्रथम प्राध्यापक और राजनीतिज्ञ। भारतीय विरा ध्यगन्ध तथा भाषिक प्रश्नोंके सम्बन्धमें उन्होंने संसदमें बहुत भाग लिया।

फोक्सरस्ट डबनसे ३०८ मीलपर नेटालका एक छोटा कस्बा।

अनर्जी, सर सुरेन्द्रनाथ (१८४८-१९२५) : प्रथम भारतीय मरण कालीय नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके शिष्टमण्डलके सदस्यकी हैसियतसे १८९०

में त्रिटेन गये थे। बंगाली विधानपरिषदके सदस्य (१८९३-१९०१)। बलकृष्णके प्रमुख समाचारपत्र *बंगालीके* मालिक और सम्पादक। माटफड सुधारोंके बालमें वाइसरायकी कायकारिणी परिषदके सदस्य। १८९५ और १९०२ में कांग्रेसके अध्यक्ष।

**बडेंपुड, सर** जार्ज फ्रिस्टोफर मोल्सवर्थ (१८३२-१९१७) भारतमें जमे, १८५४ में बम्बईके चिवित्सा विभागमें रहे, बादमें ३० वषतक लदनके इडिया आफिसमें सेवा की। रिपोर्टें आन द मिसलोनियस ओल्ड रेकर्ड्स आफ द इडिया आफिस एंड द इन्स्ट्रिपुल आर्ट्स आफ इडिया (भारतीय कार्यालयके विविध प्राचीन कागज-पत्रों और भारतकी औद्योगिक कलाओं पर रिपोर्ट) के प्रणेता।

**बन्स, जान** (१८५८-१९४३) ब्रिटिश संसदमें मजदूर-दलके विशिष्ट प्रतिनिधि (१८९७-१९१८)। १८८९ में लदन जहाजघाटकी इडतालके समय मजदूरोंका साथ देनेके कारण प्रसिद्ध हुए।

**बायटन** ट्रांसवालका एक कस्बा, प्रिटोरियासे २८३ मील।

**बिस, सर हेनरी** (१८३७-१८९९) गिरमितिया मजदूर-सम्बन्धी इस्कार नामेमें सशोधन करानेके लिए नेटाल सरकारने १८९४ में जो दो मदस्योका आयाग भारत-सरकारके पास भेजा था उनके एक सदस्य। नेटाल विधानपरिषदमें असंगठित विरोधी सदस्योंके नेता। एस्कम्बके बाद नेटालके प्रधानमंत्री।

**बय, डाक्टर** सेंट आइदान मिशन, डबनके प्रमुख। भारतीयों द्वारा स्थापित एक छोटी-सी धर्मार्थ अस्पतालकी देखरेख करत थे। प्रोजेक्टके समय, १८९९ में, भारतीय आहत-सहायता दलके स्वयंसेवकोंको शिक्षा देनेमें मदद की थी।

**बेल, सर हेनरी** एक प्रमुख वकील और नेटाल विधानमन्त्रालयके विशिष्ट सदस्य। १९०४ और १९०९ में नेटालके प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) बनाये गये थे।

**ब्लूमफाडीम** आरेज फी स्टेटकी राजधानी और १९१० के बाद दक्षिण आफ्रिकी संयुक्त राज्यका 'चाय-बैंद्र' जोहानिसबर्ग से २५४ मील।

**भावनगर** काठियावाडका एक भूतपूर्व देगी राज्य। अब बम्बई राज्यमें मिला गया है।

मेटलड, एडवड (१८२४-१८९७) रहस्यवादी विपरीतोंके लेखक और अनाहारके उपासक। १८९१ में एसॉटरिक क्रिश्चियन यूनियनकी स्थापना की। गांधीजीने इनके साथ पत्र-व्यवहार किया था और इनकी पुस्तकोंका उनके मनपर बहुत असर पडा था।

मेन, सर हेनरी समर (१८२२-१८८८) प्रख्यात 'याय-शास्त्री, जिनकी लिखी पुस्तकोंमें 'ऐंशट ला, अर्ली हिस्ट्री आफ इन्स्टिट्यूशन्स और विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट शामिल हैं। १८६२-६९ और १८७१ में इंडिया कौंसिलके सदस्य।

मेलमॉय जूलूडकी एक वस्ती और एक विभाग।

मेहता, सर फीरोजशाह (१८४५-१९१५) भारतीय नेता। बहुत दिनों तक बम्बईके सावजनिक जीवनका सत्र-संचालन इनके ही हाथमें रहा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशनके एक संस्थापक और तीन बार बम्बई कारपोरेशनके अध्यक्ष। बम्बई विधानपरिषद और बादमें वाइसरायकी कायवारिणीके सदस्य। १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना करनेवाले नेताओंमें से एक। १८९० और १९०९ में दो बार उसके अध्यक्ष निर्वाचित।

राबिन्सन, सर जान (१८३९-१९०३) लंदनके औपनिवेशिक सम्मेलनमें नेटालके प्रतिनिधि, १८८७। नेटालके पहले प्रधानमंत्री और उपनिवेश-सचिव, १८९३-९७।

रिचमंड पीटरमैरिस्वगके पास एक कस्बा।

रिपन, लाड (१८२७-१९०९) भारतके वाइसराय, १८८०-८४। उपनिवेश-मंत्री १८९२ से १८९५ तक, जब उनके स्थानपर चेम्बरलेन नियुक्त हुए।

रस्तमजी, पारसी नेटालके एक दानी और लोक सेवाकी भावनावाले भारतीय व्यापारी। पहले गांधीजीके सहवायकर्ता और घनिष्ठ मित्र, फिर उनके मुअक्बिल। नेटाल भारतीय कांग्रेस और उसके कामके जोरदार समर्थक।

रुदन-समन्वीता बोअरो और ब्रिटिशोंके बीच। २७ फरवरी, १८८४ को हस्ताक्षर। धारा १४ के द्वारा देशी लोगोंको छोड़कर शेष सबको

दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य (या ट्रान्सवाल) में प्रवेश, यात्रा, निवास, सम्पत्ति खरीदने और व्यापार करनेकी स्वतन्त्रताका आश्वासन। बोअर सरकारने "देशी लोगो'का अर्थ यह लगानेका प्रयत्न किया कि उमम भारतीय भी शामिल है, मगर ब्रिटिश सरकारने यह भाष्य स्वीकार नहीं किया।

लॉटन, एफ० ए० डब्लुनके वकील। भारतीयाके कानूनी मलाहकार और वकील। अक्सर गांधीजीके साथ अदालतोंमें पैरवी करने थे।

वेडरबर्न, विलियम बम्बई सिविल सर्विसके सदस्यकी हैसियतमें २५ वष भारतम रहे थे। अवसर प्राप्त करनेके बाद १९०० तक ब्रिटिश ससदके सदस्य। कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके अध्यक्ष, १८९३। कांग्रेसके अध्यक्ष, १९१०।

वेव, आल्फ्रेड ब्रिटिश ससदके सदस्य। इंडिया पत्रमें बहुधा दक्षिण आफ्रिका वासी भारतीयाके विषयमें लिखा करते थे। कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनके अध्यक्ष, १८९४। कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके सदस्य।

वेहलम डबनसे १९ मीलपर एक ऐतिहासिक बस्ती, जहाँ बहुत-से मिग्मिट मुक्त भारतीय बसे थे।

वेलिंग्टन वेप उपनिवेशका एक शहर।

सिडनहम डबनका एक उपनगर।

सलिसबरी दक्षिणी रोडेसियाकी राजधानी।

स्टेंगर डबनके उत्तरमें एक ऐतिहासिक गाँव।

सोरठ सोराष्ट्रका एक जिला।

हटर, सर विलियम विल्सा (१८४०-१९००) भारतमें २५ वषतक राजकीय सेवा की। इंडियन एम्पायर तथा अनेक पुस्तकें लिखीं। १४ खंडोंमें इम्पीरियल मैनेजियर आफ इंडिया का सफल किया। वाइमरायकी परिपदके सदस्य (१८८१-८७)। भारतमें अवसर प्राप्त करनेके बाद कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीके सदस्य बने और १८९० से भारतीय मामलोंपर लंदन टाइम्समें लिखते रहे।

हेबर, विंगप रेजिनाड (१७८३-१८२६) बङ्गालमें विंगप या बट पादरी। वहाँके विंगप कलेजके संस्थापक। दूहाने बहुत यात्रा करके भारतका परिचय प्राप्त किया था।

## साकेतिका

- अग्रणी टकसाली ६५  
 अठरांशीय अन्नाहारी काग्रिस, ६२  
 अफसर महान्, ८१, १५९  
 अग्निपुराण, १५४  
 अद्द १३-१५, ७०  
 अधिकारपत्र, (चापर) १८३३ का, ११०, २४३  
 अनोपदान, ९  
 अन्नाहार, भारतीय २५, २६, २८  
 अन्नाहारका सिद्धान्त २५, ६७, ८६, २९६  
 — अग्रज महिलाया परिवर्तन ८२  
 — और इण्डोके भारतीय, ८७, ८८, ८९  
 — और ईसाई ९०  
 — और दक्षिण आफ्रिका ८१, १८२  
 २९३, २९४  
 — और नेटाल, १८२, २९३-२९५  
 — और कच्चे ९०  
 — और कारबिल, २९८, २९९  
 — और मांसाहारी २९०-२९९  
 — और शारीरिक स्वास्थ्य, ३०, ३१,  
 ३३, ३७, ८५  
 — शराबबोरीका इलाज १६८-१७०  
 अन्नाहारी — महान् उदाहरण, २९६  
 — भारतमें २४-३७  
 अना उमर हाथी, १३१  
 अशुक्ला दाया, ७८, २५६, ३५७  
 अमरगोनी रोड ३५५  
 अमारदीन, २३९  
 अमूल्य ११  
 अमीर, इस्माइल, २४०  
 अमी, डच, १८२  
 अलेक्जेंडर, २६९  
 अवतारवाद, १६९  
 असगरा, २५५  
 अहमद, उरमा, १३१  
 अडिता, पौच  
 आफ्ट वल्ड, १४१  
 आनी नदी, १५  
 आरम, अशुक्लीन हाथी, २३५, ३१४,  
 ३२८, ३५४  
 आरम, अशुक्ला हाथी, २३०, २३१ २३४,  
 १८१, २१७, २३५ २३८, २४१, २४२,  
 २५१  
 आरम, मूना हाथी २३०, २३७, २३९  
 आनन्दराय, ११  
 आमुमी, कासमामी, १३१  
 आपरलैडका स्वन्धना विधेयक (आयरिश  
 होमरूल बिल), १०५  
 आरेंज फ्री स्टेट, आईस, १७७, १९०,  
 १९५, २१४, ३७२, ३७४, ३७५  
 — म्मुसपाटीन-सधि ३७३  
 — रसेनबग प्रोडक्ट, ३७३  
 — वैधानिक इतिहास, ३७३-३७४  
 आर्नोल्ड, एडविन १४२  
 आर्ये घर्म, ९१  
 आल्फ्रेड हारि स्कूल, १  
 आसाम, ६५, ७०, ७१  
 आहार — प्राणयुक्त, प्रयोग ८२-८७  
 — हिस्तका प्राणयुक्त आहारका सिद्धान्त,  
 ८२ पाद टिप्पणी  
 इडिपन एम्पायर (भारतीय साम्राज्य),  
 १५०, १५१ १५७, १५८, २९०  
 इनर टेम्पल २ २३, ६३  
 इमाहीम सुलेमान, २३९  
 इस्माइल, मुहम्मद २६०



- इलियट, सर चार्ल्स, २६४  
 ईसा और ईसाई धर्म, ९१, १३७, १६५,  
 १६९, २८७, २८९  
 ईसाई धर्म और अन्य धर्म, १३९  
 ईसाक, मुहम्मद १३१  
 ईश्वरावतार, ९२  
 ईस्ट इंडिया असोसिएशन, लंदन, ९४  
 वपनिषद्, १५२  
 अरमान गाँधी, ११  
 पहलवईस डब्ल्यू डी०, ६३  
 एडीसन, २९६  
 एलगिन, लार्ड, १५९, २१२, २३२  
 एल्लिसन, डाक्टर, ५०  
 एशोवे नर्सोंके नियम, ३०६, ३०७, ३१०,  
 ३१२, ३१४  
 एथॉटोरिक क्रिश्चियन यूनिवर्स, १३९, १४०,  
 १६८, १७०  
 एस्कन्ड, १२९, २२७, २३३  
 पेयट, न्यायमूर्ति मुनुस्वामी, १६०  
 पेस्वू, २४०, २४१  
 ओल्डफील्ड, डा० जोशया, ५२, ६२  
 ओशियायाना, ६४, ६५, ७०  
 कृष्ण ९२  
 कयराडा एम० ई०, १३१  
 कयराडा दावजी, २३८  
 कपूरभाई, ११  
 कमरुद्दीन, मोहम्मद सी०, ७८, १३१, १८२,  
 २५६, २६०  
 करीम, अब्दुल २३८  
 करीम, जूसुब अब्दुल, १३१  
 कर्जन, ३१६, ३२२  
 कादर, अब्दुल १३४  
 कादर, इस्मार्क १३१  
 कार्टर, अब्दुल १३०, २३७, २३८, २४१, २४२  
 काठियावाड टाइम्स, २  
 कान्स्टेंट एजे, १४०  
 कानैगी, एंड्रू, — ताजके बारेमें, १५५, १५६  
 काशीदास, ११, ७२  
 कासिम, मूसा हाजी, १३१, १३४, २३९  
 कासिम हुसेन, १३४, २३८, २३९, २४१  
 किंगफर्ल्ड, डा० एना, १४१, १७१, १८२  
 किम्बल्ले, लार्ड, ३२२  
 क्रिस्टोफर, जेम्स, १३१  
 कुरानशरीफ, १५५, १७३, १७४  
 कुली, ७८, १९५, १९६, १९८, २०३, २०७,  
 २२१, २२५, २२९, २५४  
 कुले, डा० लुई, २९८  
 कन, २९  
 कोप कालोनी, बाइस, १९७, ३७१,  
 ३७२, ३७५, ३७६  
 — का वैधानिक इतिहास ३७१-३७२  
 — गेन ग्रे अधिनियम, ३७१ ३७२  
 — मत पर अधिनियम (सैंचरज एव  
 वेलेट ऐक्ट १८९२) ३७१  
 — सविधान अध्यादेश (कांस्टिट्यूशन  
 आर्डिनेंस १८५३), ३७१  
 केम टाइम्स, १९७  
 कप टाउन, १९०, ३७२  
 केवलराम, ४, ५ ११  
 केसबिक ईसाई सम्मेलन (केसबिक क्रिश्चियन  
 कन्वेंशन), ९०  
 केनिंग लार्ड, ३१६, ३२१  
 कैंपबेल १०४, १११, ११९ १२३  
 क्लाइड, ११, १२  
 क्षत्रिय, ३१, ३२  
 खनी इबादीम एम०, १३१  
 खाड़ी पुल ६  
 खीमजी, ११  
 खनी अब्दुल, १७७ १७८ २६०  
 खेड्डेहन विलियम ज्वार्ड, १४२, १६६, ३२२,  
 ३२४

गांधी, करसनदास, ६, ९  
 गांधी, सुरालभाई, ४, १०, ११  
 गांधी हगनलाल, ३  
 गांधी, लक्ष्मीदास, २, २२  
 गांधीजी — आन्तर प्रजातीय सम्पर्कपर विचार  
 २९४

- इंग्लैंडकी यात्रा, १०-२१
- इंग्लैंडके लिए रवाना — कारण और  
 कठिनाइयाँ, ४, ५३, ५४, ६४
- इंग्लैंडसे बम्बईके लिए रवाना, ६४
- एडवोकेटके रूपमें, ६३
- दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंमें दिलचस्पी,  
 छव्वीस
- दक्षिण आफ्रिकामें पदापण, **षाईस,**  
 चौषीस
- दोष स्वीकार, १
- के पत्र, **देखिए पत्र**
- धर्मपर विचार, ९१ ९२
- नेटालसे हिन्दुस्तानके लिए रवाना,  
 ३५५ ३५७
- प्रथम भाषण, १ २
- प्राणयुक्त आहार — प्रयोग, ८२-८७
- भौतिकवादपर विचार, १६८, १६९
- लॉन देनन्दिनी, ३-२१
- लंदनमें पदापण, २०
- और एसेंट्रिक मिदिचयन यूनियन,  
 १३९ १४०
- और मुस्लिम कानून १७२-१७७

गांधी, मोहनदास धरमचंद, **देखिए गांधीजी**  
 गाय — हिन्दुओंके लिए उसका महत्त्व, २५  
 गार्लैंड, सी, १४६  
 गीता श्रीमद्भगवद्, ९१  
 ग्रीन, ९९  
 गेटे — शकुन्तलाके बारेमें १५६  
 ग्रेन्थ, कप्तान १२५, २७९  
 गेंजेज, ७०

गैमिणल, प्ल०, १३१  
 गैमिणल, जान १३१  
 गॉडल ११

चाय-काफी, २९  
 चात्मग्राउन २३९  
 चिवोम डेस्टी, ९४  
 चिट्टी, तुली, १४२-१६६  
 चित्तालकी ल्हाई, २८०  
 चेन्ननी, सर जार्ज, ११२  
 चेम्बरलेन, ओसफ, २१७, २५८, ३०९, ३१०,  
 ३३१, ३५३

जगमीदनदास, ११  
 जटाशकर, ११  
 खलुदत, १६९  
 जॉन्स्टन १४६  
 गिमालर, २०, ६८  
 जीवा, अमोद ७८, २३८  
 जीवा सी० एम० २४१  
 जीवा मुहम्मद कासिम, १३१  
 जूनाफा, ३, ४  
 जूल्हंड — में भारतीय, ३००, ३०१, ३०६  
 जेकोलियट एम० लुई, १५९  
 जेतपुर, ११  
 जेपरीच १६  
 जोशी एम० डी०, १३१  
 जोशी मावजी, ४  
 जोशी, एम० डी०, २३९  
 जोहानिसवर्ग, १९०, २१३, २९४, ३७४  
 जोहानिसवर्ग टाइम्स, १९२  
 हाक्षीबार, — में भारतीय व्यापारी, २४५  
 हावेरचन्द, ६  
 टाइम्स आफ इंडिया, १३५, १३७, २४१  
 टाइम्स आफ नेटाल, १३५, १३७

- टाइम्स, (लंडन), २४१, २४७,  
२६३, २८८, ३२५, ३५२  
टामसन, सर हेनरी, २९६  
टिल्ली, आमद ७८, १३१  
टोडरमल, ८१  
ट्रान्सवाल, चाईस, १९७, २००, २०१,  
३७४-३७५  
— लिट्लन सविधान, ३७५  
— वधानिक इतिहास, ३७४-३७५  
ट्रांसवाल एडवर्टाइजर, ७३, ७४  
ट्रान्सवाल ग्रोन बुक्म (दूरी फिलॉसोफी), १९२,  
१९३, १९५, १९६, २००, २०१  
ट्रांसवाल भारतीय, १९२ १९३, १९४,  
२३९ २४०, ३०१  
ट्रेवेलियन, सर सी० १५८  
टैथम, १७२, १७३, १७६  
ट्रेपिस्ट १८२-१८९, २९६  
ठाकुर ११  
ठाकुर साहब, १०  
बफरिन, १६६  
बाबल, सर एफ० एच०, १७२  
बाजनिंग स्पीड, २६७, २९२  
बेलागोवा-ब्रे २०२  
डेनियल, २९६  
डोन, थी, १२३  
डोला ११  
दय्यव, मुहम्मद, १३१  
ताजमहल, १५५  
तुभोदी मामला, २४०  
तेन्दुलकर, ३, पाद टिप्पणी  
तैयब ८४  
तैयबजी बदरुद्दीन १६०  
दत्तान, ३३ ३४

- बेचनेवाली, ३६  
दक्षिण आफ्रिका अधिनियम (१९०९),  
३७२, ३७५  
दक्षिण आफ्रिका — और डच, चाईस  
— और ब्रिटिश, चाईस  
— और ब्रिटिश सरकार, चाईस चौबीस  
— के उपनिवेश (१८९३), तेईस  
— ब्रिटिश राष्ट्रमंडलका सदस्य, तेईस  
— भारतीय मजदूरोंका आयात, तेईस  
— में चीनी, १९५  
— में भारतीय मजदूरोंकी स्थिति,  
तेईस, चौबीस  
— में भारतीय व्यापारी, तेईस,  
७४-७७, २४४-२४६  
— वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम (फारन-  
शियल रिलेशन्स ऐक्ट), ३७५  
— वैधानिक तंत्र (१८९०-१९१४),  
३७१-३७५  
— संयुक्त राज्य, तेईस, ३७५-३७७  
दक्षिण आफ्रिकी भारतीय — उनकी समस्याकी  
इतिहासिक पृष्ठभूमि, चाईस-चौबीस  
— उनका बारेमें पच-फैमला, १७७, १७८,  
१८९  
— और डच, चौबीस  
— और देशी, २६६, २६७, २६८  
— और सफाई २०६-२१०  
— और यूरोपीय, १९६-२०१ २४४,  
२५८, २५९, २६८  
— के खिलाफ जातीय भेदभाव, पच्चीस  
— कृषि और व्यापारमें प्रतियोगी माने गये  
चौबीस  
— पर प्रतिबंध, तेईस, चौबीस  
— बाधा निषेध २१२

— भारतीय सरकारसे हस्तक्षेपका माँग,  
२१३, २१४

केलिए नेटाल और ट्रान्सवाल भी

दादा, मुहम्मद हाजी, १२८ १३० २०२ २११

दादा, हाजी हबीब हाजी, १७७, १७८, २४२

दामोदर ११

दामोदर दाम ११

दावजी मुल्मान १३१

द्वारकादास ११

दिनशा २८२

देसाई, महेश्वर, ३

धनुका ७२

धनशंका पारमी, १३१

धर्म — गांधीजीकी प्रदनावली, ९१-९२

नायना क० भार०, १३०

न्यूकेमिल, २३९

न्यू रिव्यू, १४६

नरकन्दार (हेल्थ गेट), १५

नरभेराम ११

नरसाराय १३१

नाम्दू, कुन्दास्वामी, १३१

नाम्दू पेल्लम, १३१, २३९

नाम्दू रामस्वामी १३०

नाम्दू, सधु, १३१

नामचर डा० एम० डी०, २०७

नाथूगई १० ११

नार्यमक १६६

नाथू पा०, २३७

नारणजी ११

नारणदास ११

नॉस्टिक, १७२

नेटाल भरव २७४, २७७ २८२

नेटाल आलमैनेफ, १४८

नेटाल भावारा-कानून और भारतीय, १६३ ३०२

२६

नेटाल इडियन असोसिएशन १३४

नेटाल एडवर्टाईजर, ७३, ७६, ७७, ८१,

१०६, १४६, १४७, १६८, १७० १७२,

१९६ २२३, २४० २५१, २५४, २५५,

३४३ ३४५, ३४८ ३५०, ३५१, ३५५, ३५७

नेटाल एशियाई विरोधी-रूप ७८

नेटाल गवर्नमेंट गजट, १२३

नेटाल भारतीय कांग्रेस १०० २३५, २४१

२४९ २५०-२५८, २९०, ३२९ ३३०,

३३५ ३३७, ३३८ ३ ५ ३५७

नेटाल भारतीय — पूरी नागरिकताका अधिकार,

१०२

— मतदानका अधिकार, ७८-८९ ९३

०८, ९८-१०१

नेटाल भारतीय प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन

ऐक्ट), ३७२

नेटाल भारतीय प्रवासी आयोग (इमिग्रेशन

कमिशन) २२५ २२८ २६७ २८०

नेटाल भारतीय प्रवासी कानून सशोधन विवेक

(इमिग्रेशन एंड अमेडमेंट बिल) १७९, १८०,

१८१ २१५, २१७ २३२ २८८

नेटाल भारतीय यापारी १४६, १४७,

१६० २१५

नेटाल प्रवासी भारतीय स्कूल बोर्ड रिपोर्ट १८९३

(इडियन इमिग्रेंट्स स्कूल बोर्ड रिपोर्ट) १२३

नेटाल मताधिकार अपहरण अधिनियम

(डिस्पनर्वाइजमेंट ऐक्ट) ३७५

नेटाल मताधिकार कानून सशोधन विवेक

(फ्रैन्चाइज एंड अमेडमेंट बिल), छ-वीस,

९३, ९७, ९९, १०२, १०५, १०७,

१०८, १०९ ११२ ११४, ११६, ११७-

१२८ १२९ ३०८ ३०९, ३१७-३२८,

३३१, ३३४ ३३५

नेटाल मर्कटी, ७८, ११२, १४०, १४१,

१४६, २२२, २४३, २४६, २४९, २५१,

२६

- २५२, २९६, २९९, ३०१, ३०६, ३४८  
 नेपाल सरकारी नौकरी विधेयक (नेपाल  
 सिविल सर्विस बिल), १२७  
 नेपाल विटनेस, १७२, १७३, १७७,  
 २५०, ३१४, ३१९, ३२९, ३४५,  
 ३४६, ३५१  
 नेपालका वैधानिक इतिहास, ३७२  
 नेपाल भारतीय — अग्रजोंसे हीन नहीं १५१—  
 १५९, १४२—१६८  
 — अस्वच्छ भारत, १४७—१४८  
 — और परवाने ३०१  
 — और यूरोपीय — मांसाहारी भारत,  
 १८३  
 — और राजनीतिक अधिकार १३५—१३७  
 — उपनिवेशके लिए अनिवार्य १६५  
 १८०, २३०  
 — के साथ व्यवहार १२७, १५०—१५९  
 — गिरमिटिया, १२१ १२४ १२९  
 १३२, १४४ १४५ १७९, १८०, १८१  
 २१५—२३२ २७५, २७७, २७९  
 — बाधा निषेध १६१, १६२  
 — सम्पत्ति खरीदने या हासिल करनेसे  
 बर्चित, ३००, ३०१  
 — सरकारपर मार नहीं, १३८  
 — हिन्दू और मुस्लिम १६१ २७७  
 नेपोलियन बोनापार्ट, १९  
 नेपोलियनकी गाड़ी ६८  
 नौरोजी, दादाभाई १०६, ११५ १२९,  
 १६६ १८१, २४४, ३०४, ३२८  
 नेशनल रिब्यू, १५६  
 नौदवेनी बस्ती नियम (टाउनशिप रेग्युलेशन),  
 २९९ ३०६ ३०७, ३१० ३१२, ३१३,  
 ३१४  
 न्यूयॉर्क २३९  
 न्यू रिब्यू, १४६
- पत्राची, छगनचाल, ११  
 — नारायणदास, ११  
 — रणछोड़दास, ११  
 पत्र — कमरुद्दीनका, १८२  
 — जेठलाल-सम्बन्धी कार्योंके सचिवको ३०७  
 — जेठलाल-सम्बन्धी कार्योंके स्थानापन्न  
 सचिवको, ३०६—३०७  
 — दादाभाई नौरोजीको, १०६—१०७,  
 ११६—११७ १२९—१३०, १७१, ३०८  
 — नावरको १३८—१३९  
 — पत्राचीको ७१  
 — पिताको १  
 — प्रधानमंत्री पीटरमेरिस्त्वर्ग ३२९  
 — बड, सी०पी०, ३३०  
 — यूरोपीयोंको १६७—१६८  
 — लक्ष्मीदास गांधीको २  
 — लेलीको २१  
 — वाट्सन जे० डबल्यू० को, २३  
 — वटरबर्नको ३०९  
 पदयात्री रगस्वामी १३१  
 — मुकरमा और नेपाल भारतीय कांग्रेस  
 २४९, २५५ २५६  
 पब्लिशर १३६  
 परमानन्दभाई ७ ८  
 परिपत्र १०१—१०२ १६७  
 पांडे, लक्ष्मण १३१  
 पाट्यागोरस २९६  
 पारनटाउन, १८४  
 पाणिनि १५२ १५३  
 पारिज बाउल ६२  
 पाथेर, पुन्नुस्वामी, मामला, २५७  
 पाथेर, वी० नारायण, १३१  
 पार्नेल १४२  
 पाल क्रिस्तोशम, १५९  
 पिग्मेन आइडल २९६  
 पिनकाउ, एफ० ९६, १५६, १६६

पिल्ले, दोरास्वामी, १३१, २३९, २४२  
 पिल्ले, मुखेश १३०  
 पिल्ले, ए० सी०, ७३, ७४, ७८  
 पिल्ले कोल्दावेलु १३४  
 पोटरमैरिमवर्गी, ११८, १३१ २३५, २३८  
 २५५, २८३, ३२९, ३३० ३५७  
 पुनर्जन्मका सिद्धान्त, ९१  
 पुनरुत्थान (रिसोव्शन) २९६  
 पुस्तक, पादरी जान, १७०  
 पोपटलाल ११  
 पोन्नदर, ४-९, २२  
 पोर्ट सरद १६ ६९  
 प्राणशंकर ११  
 प्रार्थना पत्र — चेम्बरलेनको, २१७-२३१  
 ३१०-३१४ ३३१-३५४  
 —नेटाल गवर्नरको १०३-१०४ ११४-  
 ११५, २९९-३०१  
 —नेटाल प्रधानमन्त्रीको ९७-९९  
 —नेटाल विधानपरिषदको १०३-१०६,  
 १०७-१११  
 —नेटाल विधानसभाको, ९३-९८,  
 १७९-१८१, ३१९-३२८  
 —प्रिगेरिया स्थित एजेंटको १७७-१७८  
 —लार्ड प्लगिनको २१०-२१४  
 २३२-२३५  
 —लार्ड रिपनको, ११७-१२८ १८९ २११  
 प्रिगेरिया ७३, ७८ १८९, ३७३, ३७४  
 —समझौता, १९३, ३७३  
 प्रीवी काउंसिल (सम्राज्यकी न्याय परिषद्) ३४५  
 प्रेस, १९७  
 प्लिमप २०  
 प्लेटो, २९६  
 फरीद, शेख १३१  
 फारुख एम० १३१  
 फोस्ते, १६४ १६६

फ्रीरोनशाह, ११  
 फेरिसा १३६  
 फोक्सरस्ट ३०४  
 फोक्सराट (लोकमगा) १७८, १९४, १९६ ३७३  
 फ्रांसिस टी० मार्लिन, २४६, २४७, २४८  
 बट्लर हाजर २४  
 बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, १६०  
 बम्बई, १० ११ ५८, ७०  
 बर्क, एडमंड १६४  
 बर्टे सी०, ३३०  
 बर्टेबुड, सर जार्ज — भारतीयोंक बारेमें,  
 ९७ १५८  
 बन्स, जान १४२  
 बादविल २९१, २९८  
 —बीड टस्पामे ९२, १४०  
 —रू टेस्पामेट १३७  
 बालविवाह, ३०-३१  
 बालसुन्दरम्, २४०  
 बाना, जी० ए०, १३१  
 बि स और मेमनकी रिपोर्ट २१५ २१९, २२८  
 बि स, हेनरी, २२८, २८३, ३४४, ३४५  
 बिसेसर, १३१  
 बीच ग्रोव (हवन), २६०  
 बुद्ध, ९२, १३९ १५९ १६९ १९८ २९६  
 बूच जयशंकर, ३  
 बूच हाजर, ३०३  
 बेकर, ८३ ८४  
 बन्वरदास ११  
 बेनेग मामला, २३७  
 बेल श्री ३४५ ३४७  
 बनेयर, २९०  
 बेंड भाष मर्सी, भाषा, ५२  
 बीअर-सुद्ध ३७३  
 ब्रजउलगाई ११, ७२  
 ब्राइट, १६४, १६६

- ब्रिटिश परम्परा, १३७, १६२, १६४  
 ब्रिटिश शासन — भारतमें, २८, २९, ८१, ९५  
 ब्रिटिश संविधान, १८०, २२२, २८७, २९२,  
 ३१३  
 ब्रिटिश रुमर, ८१, १६६  
 ब्रिटिशी १७, ६९  
 ब्लूमफील्ड, १७७, ३७३, ३७७  
 — का सचि, ३७३
- भक्ति और मोक्ष, ९२  
 भाऊ टाकर ११  
 भानजी, ११  
 भायान आमन, १३१  
 भारत — प्राचीन महत्ता, २९०  
 भारतमें — भारतीय और यूरोपीय जनक  
 अधिकार, २४३, २४४, २४६-२४९  
 — भारतीयोंका मताधिकार, २६१-२६४  
 — भारतीयोंके अधिकार और गणतन्त्र  
 मताधिकार विषयकी तुलना ३१६-  
 ३१९, ३१९-३२६  
 भारतमें ग्राम पंचायत, ९५, २६६  
 भारतीय — मूल बही जो ऐंग्लो-सैक्युलरोंका,  
 ९९, १००, १५०, १५१  
 भारतीय आहार २६-२९, ४४-५२  
 भारतीय कला और स्वास्थ्य कला, १५५, १५६  
 भारतीय बालिकोंका आर्त, ३२-३७  
 भारतीय चारित्र्य और सामाजिक जीवन,  
 ९७, १५६-१५९  
 भारतीय त्योहार, ३७-४४  
 — दशहरा ३८, ३९  
 — दिवाली ३७, ३९, ४२, ४४  
 — नवरात्रि ३७, ३८  
 — होली ४२-४४  
 भारतीय दर्शन — की महत्ता, १५१, १५२  
 भारतीय परिषद विधेयक (इण्डिया कॉन्सिल  
 बिल) ९५
- भारतीय कल, ४८, ४९, ५१  
 भारतवास और यूरोपीय — शिक्षा योग्यता,  
 १२३  
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस — ब्रिटिश समिति,  
 ३०८, ३०९  
 भारतीय और सभ्यता, ८०  
 भारतीय सभ्यता, १५०-१५९  
 भारतीय सयुक्त परिवार व्यवस्था, ५५, ५६  
 भारतीय स्नान, ३५, ३६  
 भारतीय विधानपरिषद कानून या इण्डिया  
 कॉन्सिल ऐक्ट (१८६१), ३१६, ३२०  
 भारतीय विधानपरिषद कानून सङ्ग्रहण  
 विधेयक या इण्डिया कॉन्सिल ऐक्ट नम्बरमें  
 बिल (१८६१), ३१६, ३२०  
 भावनगर ३, ४, ९  
 भौतिकवाद, १६८, १६९
- मनमूदार, १२, १८, १९, २०  
 मनीष अस्तुल १२, १८, २०, २१  
 मणिलाल, ११  
 मन्रो, सर थामस ९७, १५८  
 मनुकी व्यवस्थाएँ १५६  
 मोरे, पादरी एडवर्ड ९०  
 मसान्नी, आर० पी० १०६  
 महताब, शेख ६, ८, १०  
 महारानी (राज्ञी, सम्राज्ञी) की घोषणा १८५८,  
 चौबीस, ८०, ११०, १२२, २०४,  
 २४३, २६७, २८७, ३००, ३१८,  
 ३४६, ३५३, ३५६
- मानसकर ११  
 मानिकचन्द, ११  
 मानिकजी, १३१, २४१, २४२  
 मारिशस — में भारतीय, २५०, ३४०, ३४१,  
 ३४२  
 मारिस ९९

माला, १८, १९, ६९  
 मिचेल, १९४  
 मियाँलॉ, आदमजी, १३०  
 मियाँलॉ, जी० एच०, २३८  
 मिल, ४४, १६४  
 मिलनर, ३७४  
 मिलर, २५७  
 मीरत हुसेन १३०  
 मुशी गुलाम मुहम्मद ५  
 मुताल्ल दावजी मामूजी १३१  
 मुतुहम्म, १३१, २४२  
 मुस्लिम और शरान २९  
 मुहम्मद तैयब हाजी खॉ १७७, १७८  
 मुहम्मद, दाउद, १३१, २५६  
 मुहम्मद न्यायमूर्ति, ११९  
 मुहम्मद, पी० दावजी, १३०, १३४ २३८  
 मुहम्मद पीरन १३०, २३८, २३९  
 मुहम्मद पैगम्बर, १३९, १६९  
 मुहम्मद, हाजी, १३१, २४१, २४२  
 मफाह, लार्ड, ११०, १६४  
 मेनेस्थनीज १५७  
 मेवजीभाई, ५ ६ ८, ९, ११  
 मेल्ड, एलवर्ड, १४०, १४१ १७१  
 मडन २९०, २९२  
 मेन, ५५  
 मेन सर हेनरी समर, ९४, ११२ १५३, १५६  
 मरियन हिल १८४  
 मेडमॉय बर्तारिके नियम (मेलमॉय टाउनशिप  
 रेग्युलेशन्स) ३०७  
 मेहता राजचन्द्र रावजीभाई (रायचन्द्रभाई),  
 ९१  
 मेहता, फिरोजशाह १६०, २४१  
 मेहता मनसुखलाल रावजीभाई ९१  
 मेकडुवाल श्रीमती ५२  
 मेकनाटन, १७४  
 मेकसमूलर ९७ १५१ १६९

मैसूर, ९५, ११३  
 मोक्ष — की प्राप्ति, ९१, ९२  
 मोदी, ११  
 मोन्वासा — में भारतीय व्यापारी २४५  
 मोहर्रम २४०  
 म्योरकाम, २४०

रणछोड़दास ११  
 रतनशाह, ११  
 रनगीत, १३१  
 रविशंकर, ११  
 रसूल गुलाम, २३९  
 रहमतखॉ उस्मानखॉ १३१  
 रादेरी गुलाम हुसेन १३१, २३८  
 राउड द वर्ल्ड (संसार भ्रमण), १५५  
 राजकोट, १ ४, ६ ८ ९ १० ७२  
 राजचन्द्र, श्रीमद्, ९१  
 राविन्सन सर एच०, १९३ १९४  
 राविन्सन सर जान ०८ ११८, ३३३,  
 ३३५ ३७३  
 रावर्ट्स और रिचाड्सका मुफदमा, ३०१  
 राम ५४ ९२  
 रामजी फालिदास ११  
 रामायण, ५४  
 रायपन १३१  
 रिचमंड रोड, ११९  
 रिचार्डसन डा० बी० डब्ल्यू० १७०  
 रिपन लाह १०४, ११५, ११७ १२८,  
 १६६, १८९ २१२ २१३, ३१८  
 रिपोर्ट, वार्षिक, १८९४, प्रवासी सरदाक  
 (पोटेक्टर आफ इमिग्रेशन्स)की,  
 २१९-२२२  
 — (१८९५), २७२, २८६  
 रुस्तमजी, पारसी, ७८ १३१ २३८, २३९  
 २४१



स्वप्नमञ्जी भवन २५३  
रे, १६६  
रेग, सर वाल्टर, १७२  
रोगन फौजलिक, १८६, १८९

रंजन-देवन्दिनी, ३-२१  
रंजन-भासकौता (रन्दन कन्वेन्शन), पच्चीस,  
२१४, ३७५

लाइट, १४१  
लाई मासका कानून (छाई कासेव ऐक)  
३१८ ३२४

लतीव, ११  
लोटम २४२ ३५७  
लान्मार्क, ६  
लाल सागर, १४, १५ ७०  
लिवरपूल स्ट्रीट ऐशन, ६४  
लीडर, १३९  
लेडीस्मिथ ३५७  
लेली, ७, २१  
लेसेप्प, एम० डी ६९

बडवाण ११  
वरिन्द इरमाइल १३१  
वाट्मन, कनल जे० डब्ल्यू०, ९ १० २३  
वाल्टर, ३०२  
वालश, सी० ३०६  
विक्नोरिया होटल २०  
विलेज कम्युनिटीज, १५३, १५४  
वितराम फञ्जलमाइ, २४१  
वील डाक्टर एच० प्रायर, १९७ २०६  
बुड सर सी० ३१६ ३२१

वेजिटेरियन, २४, २५, २७, २९,  
३३, ३५, ३७, ३९, ४२, ४४,  
५२, ५३, ६०, ६३, ६८, ७१,

८२, ८५, ८७, ८८, ८९, ९०,  
१८९, २९४, २९५  
वेजिटेरियन मेसेंजर, ४४, ५१, ६२, ८९  
वेजिटेरियन सोमाटा (भनाइती महल)—  
एदन ५२, ८७ ८९, १४१, १६८, १७०  
—मैक्सट, ६२, ८९  
—पोरुमय, ४४

वञ्जे, २९६  
व, सर जेक्म डी', १७७, २१२,  
पाद टिप्पणी

वेडवर्न सर विलियम, १३०, १६६ ३०९  
वद, ९१  
वव एम० ए० २४१  
वरानिजिग (फ्रेनेखन) की सचि (१९०२)  
३७३ ३७४

वल्म ११९ २३८ २३९  
वैनिटी फेयर, ७६  
वोराजी, सुलेमान, १३१

शमसुद्दीन १३१  
शराव—भौर दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय  
२६८ २६९

—भौर भनाइर, १६९ १७०  
—उसकी बुराईयाँ २८ २९

शख्ताल-भवन, १८, १९  
शाकुन्तल, १५६  
शामलजा ११  
शेरी, २९६  
शोपिनडार, १५२  
शवान ३२२, ३२६

मन्नाझीकी घोषणा, ड्रेसिए, महाराणीकी  
घोषणा  
सरवजीत १३१

साग सेलेस्टियल, १४३  
 सांडर्स, जे० आर० १२५, २२५, २२९,  
 २७८ २८०  
 सावरमती सग्रहालय २४३, ३२९, ३३०  
 पाद टिप्पणी  
 सालेमन आयोग (कमिशन) ३७४  
 साल्ट एच० एम०, ६२  
 सिंह अजुन, १३१  
 सिंघ, रणजीत, २४२  
 सिकन्दर, महान्, २९०  
 मीक्रीन्व कुमारी ५२  
 सीदत मुहम्मद, २३९  
 सीली, २९१  
 मुन्नेमान, हाजी, २४२  
 मट जानका गिरजा १८  
 सेट्ल, जल्पानगृह ६२  
 सैनिकसेवा २५९  
 सैलिमवरी, १४२  
 सोमसुन्दरम्, २३९  
 सोरठ, ३  
 स्टार, १३८, २८८

स्वेज नहर, १५, १६, ६९  
 स्विफ्ट सी० पो०, २०६  
 सिमय, ३४५  
 सैंडटन, ३०४

डॉर सर विलियम विलसन, १५०, १५१,  
 १५२, १५७ १५८, २४१, २६३, २९०  
 ३१८, ३२४ ३२८  
 हबीब, हाजी दादा हाजी, १३०  
 हरिशकर, ११  
 हाजी, अब्दुल करीम ३०१  
 हाफिज मुहम्मद, १३१  
 हाल्वन ५२  
 हिंदू और शराव, २९  
 हिल्स, ए० एफ० — प्रागयुक्त आहार ८२,  
 ८५  
 हेबर, विशप, १५७  
 हेली-दचिन्सन, सर वाल्टर, ७७, १०३, ११४,  
 १२९ १२८  
 हेरिस, कुमारी, ८४  
 होवाड २९६  
 झुंगी विकर १५९



